त्रयोदश माला, खंड 7, अंक 36

सोमवार, 15 मई, 2000
25 वैशाख, 1922 (शक)

NOT TO BE ISSUED
FOR REFERENCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 50
Date 10/7/2001

(खंड 7 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 36, सोमवार, 15 मई, 2000/25 वैशाख, 1922 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 681, 683, 684 और 687, 682**	2–35
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 685, 686 और 688 से 700	35–79
अतारांकित प्रश्न संख्या 7413 से 7642	79–384
सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक के बारे में	384–394
सभा पटल पर रखे गए पत्र	394–398
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	398–399
संचार सम्बन्धी स्थायी समिति	
बारहवां प्रतिवेदन	399
केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव	399–400
याचिका का प्रस्तुतीकरण	400
कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	400
सरकारी विधेयक–पुरःस्थापित	429–439
(एक) जैव विविधता विधेयक	429
(दो) लौह और इस्पात कंपनी (समामेलन और प्रबंध ग्रहण विधि) निरसन विधेयक	429
(तीन) संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) संशोधन विधेयक	439
नियम 377 के अधीन मामले...	440–445
(एक) गोरखपुर-अवध एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बिहार में बरास्ता नरकटियागंज–मोतीहारी–मुजफ्फरपुर चलाये जाने की आवश्यकता श्री राधा मोहन सिंह	440
(दो) हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए "दीक्षित अवार्ड" को लागू किए जाने की आवश्यकता श्री किशन सिंह सांगवान	440

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

**सदस्य द्वारा वापस लिया गया।

विषय		कालम
(तीन)	तिरूपति से काटापाड़ी के बीच रेललाइन का आमान परिवर्तन तथा गुडुरू और रेणुगुंटा के बीच रेललाईन को दोहरीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	डा. एन. वेंकटस्वामी	441
(चार)	उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित "आर्थिक जोन" को कानपुर में स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	441
(पांच)	कर्नाटक में उडुपी में बरही लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री विनय कुमार सोराके	442
(छह)	महाराष्ट्र सरकार की समेकित डेरी विकास परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री विलास मुत्तेमवार	443
(सात)	केरल में नारियल के पेड़ों में "माइट" रोग के प्रकोप की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री वरकला राधाकृष्णन	444
(आठ)	आन्ध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले में सूखे की स्थिति का सामना करने तथा इस क्षेत्र को रेगिस्तान बनने से रोकने के लिए एक दीर्घकालीन संदर्शी योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री कालवा श्रीनिवासुलु	444
(नौ)	उत्तर बिहार विशेष रूप से सीतामढ़ी जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री नवल किशोर राय	445
(दस)	कन्याकुमारी से बरास्ता "त्रिवेन्द्रम, कोचीन, कालीकट, मंगलौर, गोवा और मुम्बई तक एक तटीय एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.सी. थामस	445
सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक		
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	446–477, 478–485, 494–522
	श्री प्रमोद महाजन	446
	श्री शिवराज वी. पाटील	449
	डा. संजय पासवान	462
	श्री रूपचन्द पाल	463
	श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	475
	श्री पी.एच. पांडियन	478
	श्री रतन लाल कटारिया	483
	श्री के.पी. सिंह देव	502
	श्री अरुण जेटली	507
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	517
राज्य सभा से संदेश		477
आधे घंटे की चर्चा		
	गुट निरपेक्षता के बारे में	486–494
	श्री आर.एल. भाटिया	486
	श्री बसुदेव आचार्य	488
	प्रो. रासा सिंह रावत	489
	श्री जसवन्त सिंह	490

लोक सभा

सोमवार, 15 मई, 2000/25 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक गम्भीर एवं महत्वपूर्ण मामला रखना चाहता हूं, जो 1984 के दंगा पीड़ित कानपुर के सिख भाइयों से सम्बन्धित है। 1984 में जो दंगे हुए, उस घटना को 16 साल हो गए हैं। रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट बहुत पहले आ चुकी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यह मामला शून्य काल में उठा सकते हैं, प्रश्न काल में नहीं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मृतकों के बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए 50,000 रुपए और इसके साथ पैकेज देने की बात थी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मामला इस सभा में कई बार उठाया जा चुका है। हम प्रश्न काल स्थगित नहीं कर सकते। आप यह समझिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने पैकेज का फैसला दिया। हाई कोर्ट ने असंतोष एवं नाराजगी जाहिर की। उच्च न्यायालय के निर्णय को उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मान रही है, इसके लिए क्या किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे जीरो ऑवर में रेज़ करें।

श्री मुलायम सिंह यादव : तब मुझे सबसे पहले अवसर दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। प्रश्न संख्या 68

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

रसोई गैस कनेक्शन

*681. श्री ए. कृष्णास्वामी :
श्री रामानन्द सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एक करोड़ रसोई गैस कनेक्शन जारी करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में, राज्य-वार, कुल कितनी रसोई-गैस एजेंसियां स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) उपरोक्त बकाया एजेंसियों को स्वीकृति देने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। सरकार को कैलेन्डर वर्ष 2000 के दौरान 1 करोड़ एल पी जी (घरेलू) कनेक्शन जारी करने की योजना है जिससे 1.12.1999 की तारीख के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनियों के एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची समाप्त हो जाएगी। वर्ष 2000 के दौरान प्रतीक्षा सूची के प्रति जारी किए जाने वाले एल पी जी (घरेलू) कनेक्शनों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही एल पी जी एजेंसियों की राज्यवार कुल संख्या अनुबंध-2 में दी गई है।

व्यवहार्य पाए गए स्थान तेल कम्पनियों द्वारा विपणन योजना में सम्मिलित किए जाते हैं तथा डीलर चयन बोर्डों (डी.एस.बी.) के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए समय-समय पर विज्ञापित किए जाते हैं। पहले कार्य कर रहे डीलर चयन बोर्ड भंग किए जा चुके हैं तथा नए बोर्डों का गठन किया जा रहा है।

अनुबंध-1

लम्बित प्रतीक्षा सूची का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	1.12.1999 तक प्रतीक्षा सूची
1	2
आन्ध्र प्रदेश	994278
अरूणाचल प्रदेश	1167
असम	32995
बिहार	482377
दिल्ली	0
गोआ	40019
गुजरात	494208
हरियाणा	251783
हिमाचल प्रदेश	0
जम्मू और कश्मीर	0
कर्नाटक	413798
केरल	862785
मध्य प्रदेश	552324
महाराष्ट्र	837248
मणिपुर	5755
मेघालय	1134
मिजोरम	2817
नागालैण्ड	1743
उड़ीसा	178482
पंजाब	699424
राजस्थान	584270
सिक्किम	0
तमिलनाडु	1192428
त्रिपुरा	1755
उत्तर प्रदेश	1137580
पश्चिम बंगाल	545138
राज्य योग	9313508
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार	12828
चंडीगढ़	0
दादर और नागर हवेली	0
दमन और दीव	0
लक्षद्वीप	0
पांडिचेरी	0
योग	12828
अखिल भारत	9326336

अनुबंध-2

1.4.2000 की तारीख के अनुसार अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की राज्यवार स्थिति (अनन्तिम)

राज्य	अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या (अनन्तिम)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	197
अरूणाचल प्रदेश	7
असम	59
बिहार	190
दिल्ली	15

1	2
गोआ	28
गुजरात	163
हरियाणा	78
हिमाचल प्रदेश	23
जम्मू और कश्मीर	16
कर्नाटक	106
केरल	121
मध्य प्रदेश	333
महाराष्ट्र	305
मणिपुर	11
मेघालय	7
मिजोरम	6
नागालैण्ड	6
उड़ीसा	53
पंजाब	98
राजस्थान	151
सिक्किम	0
तमिलनाडु	193
त्रिपुरा	12
उत्तर प्रदेश	568
पश्चिम बंगाल	113
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार	6
चंडीगढ़	5
दादर और नागर हवेली	0
दमन और दीव	0
लक्षद्वीप	0
पांडिचेरी	3
योग	2873

श्री ए. कृष्णास्वामी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा दिऐ गए वक्तव्य से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि तमिलनाडु में एल.पी.जी. कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची के अनुसार एल.पी.जी. कनेक्शनों की प्रतीक्षा करने वाले लोगों की संख्या 11,92,428 है। यह देश की प्रतीक्षा सूची की कुल संख्या का लगभग 12 प्रतिशत है जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार इस लम्बी प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए पहल करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस संबंध में कदम उठाए हैं, यदि हां, तो वे क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय : सीधे अनुपूरक प्रश्न का सीधा उत्तर।

श्री राम नाईक : जी हां। यह सच है कि पूरे देश की प्रतीक्षा सूची में 93,26,336 लोग हैं और तमिलनाडु में 11,92,428 हैं। महोदय, वर्ष 1999-2000 में हमने अब तक 89 लाख उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन दिए हैं और निश्चित रूप से हम दिसम्बर 2000 के अंत तक प्रतीक्षा सूची को निपटा देंगे।

1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार, हमारी प्रतीक्षा सूची में 63 लाख लोग हैं। अब हम उस प्रतीक्षा सूची को निपटा देंगे। तमिलनाडु और अन्य राज्यों को जो इस सूची में शामिल हैं, इस वर्ष के अंत तक एल.पी.जी. कनेक्शन अवश्य मिल जाएंगे। इसे पूरी तरह से निपटा दिया जाएगा।

श्री ए. कृष्णास्वामी : मंत्री जी के उत्तर के अनुसार, इस कैलेन्डर वर्ष के दौरान एक करोड़ एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए जाने की योजना है। सभी शहरों में एल.पी.जी. के बिक्री केन्द्र घरेलू कनेक्शनों की अपनी सीमा पहले ही पार कर चुके हैं जिससे उपभोक्ताओं को काफी कठिनाई हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार एल.पी.जी. खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या अविलम्ब बढ़ाएगी।

डीलर चयन बोर्डों को भंग कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि डीलर चयन बोर्डों के गठन में इतना अधिक विलम्ब क्यों हो रहा है। डीलर चयन बोर्ड का गठन करने की क्या प्रक्रिया है?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा को विश्वास में लेना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपको उनके अनुपूरक प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले भाग का उत्तर दे सकते हैं।

श्री ए. कृष्णास्वामी : महोदय, दूसरा भाग बहुत महत्वपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदय, इस समय भारत में 6,161 खुदरा बिक्री केन्द्र अर्थात् गैस एजेंसियां हैं। अब, एल.पी.जी. की आपूर्ति में वृद्धि होने से हमने और 2,910 गैस एजेंसियों को खोले जाने की अनुमति देने का फैसला किया है। अत:, उनको खोला तो जाएगा। यह सच है कि पूर्व के डीलर चयन बोर्डों को भंग किए जाने से कुछ विलम्ब हुआ। उन्हें इसलिए भंग किया गया था क्योंकि वे सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे। विज्ञापन दिए गए थे परन्तु साक्षात्कार नहीं लिए गए थे। इसलिए सरकार ने डीलर चयन बोर्डों का पुनर्गठन करना सही समझा। उनका पुनर्गठन किया जा रहा है तथा इनके नाम यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : बोर्ड का जैसे गठन होता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्वैश्चन ऑवर है, डिबेट नहीं है।

श्री रामानन्द सिंह : माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के पहले भाग का उत्तर संतोषजनक दे दिया है कि इस दिसम्बर तक पूरा कर देंगे लेकिन जो 2873 एजेंसीज क्लिअरेंस के लिए पूरे देश में बाकी हैं, उनमें मध्य प्रदेश में 333, उत्तर प्रदेश में 568, महाराष्ट्र में 305, आंध्र प्रदेश में 197, बिहार में 190, राजस्थान में 151 और वेस्ट बंगाल में 113 हैं, इन एजेंसीज को कब तक क्लिअरेंस दे दी जाएगी क्योंकि क्लिअरेंस न मिलने के कारण इसका वन और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और मध्य प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में जंगल काटे जा रहे हैं, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह स्पष्ट करें कि इन एजेंसियों को कब तक क्लिअरेंस दे देंगे?

श्री राम नाईक : मैंने पहले ही प्रश्न के जवाब में यह कहा कि 2873 नई एजेंसियों का निर्माण करना है, यह निर्माण तब होगा जब डीलर्स सलैक्शन बोर्ड री-कांस्टीट्यूट होंगे और उनके री-कांस्टीट्यूट करने के बाद ही मुझे इसकी उम्मीद है। मैं इस भूमिका में प्रयास कर रहा हूं कि ये डीलर्स सलैक्शन बोर्ड जल्दी से जल्दी गठित होकर काम करें ताकि सभी जगह पर क्योंकि अब गैस उपलब्ध है लेकिन एजेंसीज नहीं हैं, अभी तक जो एजेंसीज हैं, उन पर काम का जो ज्यादा दबाव पड़ रहा है, वह कम हो और अधिक लोगों को रोजगार मिले, इस भूमिका में मैं इन्हें जल्दी नियुक्त करने की कोशिश करूंगा।

श्री रामानन्द सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पूरे देश में 93 लाख ...*(व्यवधान)* क्या मंत्री जी सांसदों का कोटा बढ़ाने की कोशिश करेंगे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामानंद सिंह, कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं उन उपायों की सराहना करता हूं जो मंत्री जी एजेंसियों की बकाया संख्या के कोटे को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यद्यपि देश भर में उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. कनेक्शनों के वितरण का काम डीलर चयन बोर्ड द्वारा चुनी गई डीलरशिपों और एजेंसियों द्वारा किया जाता है, बाद में यह पाया गया कि एजेंसी के सरकारी धारक इसे बेनामीदारों को दे रहे हैं।

इसे बेनामीदार चला रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वे उपभोक्ताओं से कन्नी काट रहे हैं तथा उन्हें धोखा दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे मामले मंत्री जी के ध्यान में लाए गए हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या मूल मालिक, जिसने डीलरशिप लेकर बेनामीदारों को दे दी थी, के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाएगी।

श्री राम नाईक : अगर माननीय सदस्य मुझे ऐसी जानकारी दें तो मैं निश्चय ही कार्रवाई करूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं आपको आज दे दूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे तीन हैं। वहां राजस्थान और दिल्ली के बेनामीदार काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह बाद में दे सकते हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, मुझे यह स्पष्ट करने दीजिए। मैं शीघ्र कार्रवाई करूंगा परन्तु बात यह थी कि पिछले वर्ष चुनाव के कारण उन मामलों को सुलझाया नहीं जा सका। उसके बाद उन्हें भंग कर दिया गया था। इस प्रकार, डीलर चयन बोर्ड को भंग करने के बाद, अगर किसी एजेन्सी को किसी तरह का चोरी-छिपे डीलरशिप दी गयी हो तो मैं न केवल माननीय मंत्री जी को बल्कि पूरी सभा से अनुरोध करूंगा कि मुझे ऐसी घटनाओं के बारे में बताएं फिर मैं उन पर कड़ी और मुस्तैद कार्रवाई करूंगा।

श्री पी.एच. पांडियन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर देते हुए कहा था कि बोर्ड के पुनर्गठन के बाद वे तमिलनाडु में सभी गैस कनेक्शनों का बाकी काम पूरा कर देंगे। तमिलनाडु में निजी क्षेत्र की कई एजेंसियां हैं। वे गैस का उत्पादन कर रही हैं। क्या उन्हें अपनाया जाएगा और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी? मैं यह जानना चाहूंगा।

श्री राम नाईक : सरकार डीलरशिप के माध्यम से प्रचालनरत इकाइयों से केवल, जिन पर सरकार का नियंत्रण है अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, गैस का ही वितरण कर रही है। 1993 में इसमें ढील दी गई थी ताकि कोई भी प्रतिस्पर्द्धा के लिए आ सके। उन्होंने यह शुरू कर दिया है और अब वे स्वतंत्र रूप से, व्यावसायिक रूप से निजी आधार पर कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार, हम यही करेंगे कि सरकारी क्षेत्र की जिन कम्पनियों के पास गैस है उन्हें रहने दिया जाएगा तथा अन्यों पर सरकार विचार नहीं करेगी।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इसकी कोई समय सीमा बांधेंगे कि कब तक बोर्ड का गठन कर देंगे क्योंकि बहुत से जिले ऐसे हैं, जिनमें उदाहरण के लिए शिवगढ़ जिले से मैं आता हूं, वहां एक भी एजेंसी नहीं है, लोगों को चालीस-पचास कि.मी. तक जाकर गैस सिलिंडर लाना पड़ता है, इसलिए क्या वे कोई समय सीमा बांधकर निश्चित तौर पर बताएंगे? आठ-नौ महीने पहले बोर्ड खत्म हो गया, उसके बाद बोर्ड नहीं बना है, क्या बोर्ड शीघ्र गठित करके कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री राम नाईक : समय सीमा के अंदर ही काम करने का मैं आश्वासन दे रहा हूं लेकिन समय इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि कहीं कोई काम अधूरा रह गया तो बात बराबर नहीं होगी। समय सीमा के अंदर ही मैं यह काम पूरा करूंगा।

श्रीमती जयश्री बैनर्जी : मध्य प्रदेश में जिन 333 एजेंसीज को अभी तक क्लिअरेंस नहीं मिली है, उन्हें कब तक क्लिअरेंस मिल जाएगी ताकि लोगों को गैस की सुविधा मिल सके?

श्री राम नाईक : मैंने पहले ही प्रश्न का उत्तर दिया है कि जो फार्मूला तमिलनाडु और बिहार पर लागू होगा, वही मध्य प्रदेश पर भी लागू होगा। हम जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करेंगे।

[अनुवाद]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : महोदय, मैं बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र का हूं और जैसलमेर मेरा पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र है। वहां 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 28 लाख लोग रह रहे हैं। वहां केवल चार एजेन्सियां हैं। जैसलमेर जिले में 68,000 लोगों के बीच एक एजेन्सी है; और बाड़मेर जिले में 1,10,000 लोगों के बीच एक एजेन्सी है। पोखरण, सिवाना और बलोटरा जैसे स्थान है। कई बड़े शहर हैं। इनकी जनसंख्या 15,000 से 35,000 के बीच है। मैं पिछले चार वर्षों से आपके विभाग को लगातार लिख रहा हूं। यही उत्तर मिलता है कि आपने एक सर्वेक्षण करवाया है और यह कर दिया जाएगा। अब, आप मुझे आश्वासन दें कि आप यह करेंगे। आप कोई समय-सीमा भी नहीं बता रहे हैं। कम से कम आपको इस सभा को विश्वास में लेना चाहिए। मैं आपसे उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। यहां तक कि वर्तमान एजेंसियां भी विभाग के साथ मिली हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ नहीं कह सकते। आप केवल अनुपूरक प्रश्न ही पूछ सकते हैं।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : मैं अनुपूरक प्रश्न पूछने वाला हूं। वे विभाग के साथ सांठ-गांठ कर रहे हैं ताकि नई एजेंसियां न खोली जाएं। वे नई एजेंसियों के शेयरों का वितरण कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यही है। मेरे क्षेत्र में नई एजेंसियां खोलने में कितना समय लगेगा? दूसरे, अधिकारियों और पहले से ही विद्यमान एजेन्सी धारकों के बीच सांठ-गांठ है। क्या आप इस सांठ-गांठ को दूर करने के लिए कोई कार्रवाई करेंगे?

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : महोदय, जब हम ज्यादा गैस उपलब्ध करा रहे हैं, तो ज्यादा गैस एजेंसी का निर्माण करने का भी हमने तय किया है। मैं मोटेतौर पर कह रहा हूं, इसके तहत ब्लाक या तहसील - कुछ स्थानों पर ब्लाक का क्षेत्र बड़ा है और कुछ स्थानों पर तहसील का क्षेत्र बड़ा है - जिसका भी क्षेत्र बड़ा होगा और आबादी 15 हजार से ज्यादा होगी, जिसमें वहां दस किलोमीटर के अन्तर्गत छोटे-छोटे देहात भी आ जाते हैं, गैस एजेंसी देने का हमारा इरादा है।

एक माननीय सदस्य: हमारे यहां एक लाख की आबादी में भी गैस एजेंसी नहीं है।

श्री राम नाईक : मैं जानता हूं, पहले काम नहीं हुआ है, लेकिन मैं आगे पूरा कर करने की कोशिश करूंगा। इस संबंध में माननीय सदस्यों ने मुझे लिखकर भी दिया है। मैं सर्वे करा रहा हूं, लेकिन मेरे पास दस साल पहले, सन् 1991 की सैंसस के आंकड़े हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र में जहां-जहां एजेंसी चाहते हैं और इस समय वहां कितनी आबादी है, इसका भी आंकड़ा आप मुझे उपलब्ध करा दें, तो उसके आधार पर ...*(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : सर्वे हो गया है और आपने हां भी कर दी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनको जवाब देने दीजिए।

श्री रघुनाथ झा : हमारे यहां जिले तक में एजेंसी नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : इसके पहले नहीं थी, इसका यह मतलब नहीं है कि आगे भी नहीं होगी। आगे करने के लिए मैं आश्वासन दे रहा हूं। जहां कहीं भी ब्लाक या तहसील जिसका भी क्षेत्र बड़ा होगा और जिसकी आबादी 15 हजार के अधिक होगी, वहां एजेंसी देने का हमारा इरादा है। इस बारे में माननीय सदस्य सुझाव दे सकते हैं और इस काम को करने की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पूरे देश की जो प्रतीक्षा सूची दर्शायी है, उसके हिसाब से एक करोड़ लोग आज की तारीख में प्रतीक्षा सूची में हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह प्रतीक्षा सूची किस प्रकार तैयार की जाती है? जहां तक मैं जानता हूं, प्रत्येक एजेंसी के पास एक संख्या निर्धारित होती है कि उसे कितने चूल्हे देने हैं। जैसे ही वह अपनी सीमा, आठ हजार या नौ हजार, पार करता है, तो वह पंजीकरण नहीं करता है, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं होती है और वह अधिकृत भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं, क्या वे नेशनल आंकड़े हैं? बिहार में चार लाख लोग प्रतीक्षा सूची में हैं और मेरे अकेले छपरा जिले से 20 हजार लोगों के आवेदन पत्र मेरे पास हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रतीक्षा सूची में चयन या पंजीकरण का आधार क्या है और डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रतीक्षा सूची की सीमा कितनी है, क्या आप उसे रिवाइज करेंगे और प्रचार कराएंगे ताकि लोगों को स्थिति का पता चले? यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है और वे हमारे पास सीधे आवेदन करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि प्रतीक्षा सूची को विश्लेषित करके पूरे देश को बतायें ताकि आज की तारीख में लोग अपने नाम गैस एजेंसी में लिखवायें और वे नई सूची तैयार करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हमें सौ कूपन दिए जाते हैं, इनकी संख्या पांच हजार कर दीजिए ताकि प्रतीक्षा सूची क्लीयर होती रहेगी। हम लोगों की स्थिति बहुत खराब है। आप हमारा कोटा खत्म कर दीजिए या पांच हजार कर दीजिए, ताकि हम लोग सभी को कूपन्स दे सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आपके अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। मैं आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : महोदय, जिनके प्रतीक्षा सूची में नाम दर्ज किए गए हैं, उसी के ये आंकड़े हैं और आज भी लोग एजेंसीज में जाकर नाम दर्ज कर रहे हैं। आयल कम्पनीज के माध्यम से सारी एजेंसीज को एक सूचना देने का काम होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

जिनको भी गैस कनैक्शन चाहिए, अपने नाम से वहां दर्ज करवाएं, मैं ऐसी सूचना सबको दे दूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, अखबार में इश्तहार दे दिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सदन में जो बोला जाता है, उसका पता सारे हिन्दुस्तान को चलता है और इसी भूमिका में हम काम करने की कोशिश करेंगे।

महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि इन्हें गैस कनैक्शन बहुत कम मिलते हैं, वे बढ़ाने चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि इस समय हम देश में ज्यादा गैस कनैक्शन उपलब्ध करा रहे हैं। पहले हम प्रति सांसद 40 गैस कनैक्शन एक क्वार्टर के देते थे, लेकिन हमने जनवरी में 40 से बढ़ा कर 50 गैस कनैक्शन किए और अब जो अप्रैल से क्वार्टर शुरू हो रहा है, उसके लिए हम 50 से बढ़ा कर 80 गैस कनैक्शन हर सदस्य को देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी, कृपया अपना उत्तर पूरा करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : महोदय, हम हर सदस्य को 50 से बढ़ा कर 80 गैस कनैक्शन कर देंगे। कंसलटेटिव कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को 60 के बदले सौ कूपन देना प्रारम्भ करेंगे। माननीय सदस्य ने जो और अधिक गैस कनैक्शन देने की मांग की है, उस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे और जब ज्यादा गैस उपलब्ध होगी तो उसके बारे में जरूर फैसला करेंगे, इतना मैं आश्वासन देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 683

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, प्रश्न संख्या 683

...(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या 682 का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अनुरोध किया है कि वह अपना प्रश्न संख्या 682 वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने अपना प्रश्न संख्या 682 वापस ले लिया है।

...(व्यवधान)

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैं एक सदस्य हूं। मेरा नाम भी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न संख्या 683 पूछिए। वे अपना प्रश्न वापस ले चुके हैं। माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न संख्या 682 वापस लेने का अनुरोध किया है और उन्होंने इसे वापस ले लिया है।

...(व्यवधान)

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, मैंने वापस नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न संख्या 683 के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं प्रश्न संख्या 682 के बारे में बता रहा हूं। अब, प्रश्न संख्या 683 की बारी है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : यह ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्या *682 - सदस्य द्वारा वापस लिया गया।

[अनुवाद]

तरल प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) की ढुलाई

***683. श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तरल प्राकृतिक गैस की ढुलाई हेतु आई.ओ.सी., बी.पी.सी.एल., ओ.एन.जी.सी. तथा जी.ए.आई.एल. ने पोत मालिकों की पूर्व-योग्यता हेतु विश्वव्यापी अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अधिसूचना में पूर्व-योग्यता संबंधी क्या शर्तें रखी गई हैं;

(ग) क्या तरल प्राकृतिक गैस की ढुलाई संबंधी प्रस्तावित व्यवस्थाओं में भारतीय पोत कंपनियों की भागीदारी की इस समय कोई सम्भावना नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस कार्य हेतु भारतीय कंपनियों की सहभागिता के लिए पूर्व-योग्यता संबंधी शर्तों में ढील देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं। तथापि पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड जो आई.ओ.सी., बी.पी.सी.एल., ओ.एन.जी.सी. और गेल द्वारा प्रवर्तित है, ने कतार से दहेज (गुजरात) और कोचि (केरल) में प्रस्तावित एल.एन.जी. टर्मिनलों तक टाइम चार्टर आधार पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के परिवहन के लिए पोत के स्वामियों और प्रचालकों की पूर्व अर्हता के लिए एक वैश्विक अधिसूचना जारी की है।

(ख) पोत स्वामियों/प्रचालकों की पूर्व-अर्हता की मुख्य शर्तें निम्नानुसार हैं:-

(1) एक अथवा अधिक ऐसे एल.एन.जी. टैंकरों में समांशता मालिकाना जो कम से कम 1,25,000 घन मीटर क्षमता के हों, और

(2) ऐसे एक अथवा अधिक एल.एन.जी. टैंकरों का प्रचालन करने और प्रबन्धन (तकनीकी और संचालन दोनों प्रबंधन) करने में पूरा अनुभव, और

(3) बोलीदाता द्वारा प्रचालित एल.एन.जी. टैंकरों द्वारा पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान टाइम चार्टर व्यवस्था के अन्तर्गत कम से कम 0.65 मिलियन टन एल.एन.जी. की ढुलाई की गई हो।

(ग) जी, नहीं। बोलीदाताओं के लिए एल.एन.जी. टैंकरों के स्वामित्व वाली और उनका प्रचालन करने वाले भारतीय जहाजरानी कंपनियों के साथ सहबद्ध होना और भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना अनिवार्य बना दिया गया है। पूर्व-अर्हता के लिए जारी किए गए विस्तृत प्रलेख में इसका विशेषत: उल्लेख किया गया था तथा बोलीदाताओं के साथ चर्चाओं के दौरान भी इस पर पुन: जोर दिया गया था।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री रामशेठ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि आई.ओ.सी., बी.पी.सी.एल., ओ.एन.जी.सी. और गेल कम्पनी ने विश्वव्यापी अधिसूचना जारी नहीं की, बल्कि उन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर बना कर पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड ने कतार से दहेज और कोचि टर्मिनलों में एल.एन.जी. की ढुलाई के लिए एक वैश्विक अधिसूचना जारी की है। महोदय, भारत में हाल ही में ढुलाई का कार्य कुछ वर्षों से शुरू हुआ है और किसी भी शिपिंग कम्पनी को, यहां तक कि सरकारी शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया कम्पनी को भी इस हेतु उपयुक्त नहीं समझा गया है, जबकि इस कम्पनी के पास 117 जहाज हैं और उन्होंने 17 और जहाज एक-दो साल में लेने के लिए सोचा है, प्रावधान भी किया है। जब ये जहाज एल.पी.जी. की ढुलाई के लिए उपयुक्त हैं, फिर भी शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को एल.एन.जी. की ढुलाई के लिए क्यों पर्याप्त नहीं समझा, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।

इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि भारत में शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एक अच्छी सैरकारी कंपनी है लेकिन इसके लिए जो प्री-क्वालिफिकेशन की कंडीशन रखी है उसमें कटौती करके शिपिंग कारपोरेशन के लिए क्या कुछ विशेष प्रावधान करेंगे?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, भारत में एल.एन.जी. का इम्पोर्ट अभी तक किसी ने किया नहीं है। इसलिए इम्पोर्ट करने के लिए जो बड़े शिप्स और टैंकर्स लगते हैं उनकी टैक्नोलॉजी और क्षमता के क्षेत्र में भारत को आगे आना चाहिए। प्री-क्वालिफिकेशन के लिए हमने जो बिड 8 फरवरी को ऑफर की थी उसमें भी यही कहा है कि जो क्वालिफाई होंगे, उसमें उनका हिंदुस्तान की शिप कंपनीज के साथ इक्विटी पर्टिसिपेशन होना चाहिए यानी उनके साथ शेयर होना चाहिए, उनको उन्हें ट्रेंड करना चाहिए और ऐसा जब होगा, जब टैंडर्स मंगवाये जायेंगे, उस समय इस पर विचार किया जायेगा। भारत में इस प्रकार की सात-आठ कंपनियां हैं जो इक्विटी पार्टिसिपेशन का काम कर सकती हैं। उनके साथ जिन्होंने प्री-क्वालिफाई करने के लिए बिड भेजी थी, उन कंपनियों के साथ चर्चा करके उनको यह समझाया गया है। लेकिन कभी-कभी गलत धारणा होती है, इसलिए इसमें जो कंडीशन हमने लिखी है, वह सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

> "बोली लगाने वालों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे किसी प्रतिष्ठित भारतीय जहाज कंपनी जो एल.एन.जी. टैंकर का कार्य संचालन करती हो और उनके पास उसका स्वामित्व हो के साथ संबद्ध हो और वे भारतीयों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करें।"

[हिन्दी]

इसलिए भारतीयों की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से उनको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस भूमिका में हमारी जो क्षमता है, उसे बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं।

श्री रामशेठ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका था कि शिपिंग कारपोरेशन जैसी कंपनी ने मांग की है फिर क्यों सवा लाख घन मीटर टैंकर की क्षमता तथा साल भर में साढ़े छ: लाख टन की ढुलाई मिनिमम की क्षमता हो, ऐसी प्री-कंडीशन रखी है। मंत्री महोदय ने जवाब में भी बताया कि 6-7 कंपनीज ऐसी हैं, जैसे दाभोल पावर कंपनी ने शिपिंग कारपोरेशन कंपनी के साथ जाइंट वैंचर बनाकर उनके साथ एल.एन.जी. ढुलाई का ठेका भी लिया हुआ है उनके साथ काम भी कर रही है और अपनी कैपेसिटी को उसने प्रूव करके भी दिखाया है। दाभोल कंपनी अगर इसको पहचानती है तो पैट्रोनेट एल.एन.जी. लि. कंपनी को पहचानने में कुछ तकलीफ हो, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता है। भारत का पैसा भारत में रहने के लिए अगर इस कंपनी का पूरा काम अगर शिपिंग कारपोरेशन कंपनी नहीं कर सकती तो इसे कुछ हिस्सों में बांटकर, शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया का कुछ भाग और कुछ भाग भारत की किसी प्राइवेट शिपिंग कंपनीज को देने के बारे में क्या सरकार सोच रही है?

श्री राम नाईक : सभापति जी, माननीय सदस्य की जो शंका या संदेह है उसको मैं कुछ स्पष्ट कर दूं। एनरॉन एक प्राइवेट

कंपनी है लेकिन उसने भी शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ जाइंट वैंचर किया है। उसी प्रकार का जाइंट वैंचर, जो भी बाहर की कंपनियां यहां बिड देंगी, उनको भारतीय कंपनियों के साथ करना ही पड़ेगा, इस प्रकार की इसमें कंडीशन है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में भारत की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से जो कुछ आवश्यक है वह किया जायेगा। इसके लिए सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टरी के साथ चर्चा करके एक कमेटी नियुक्त की गई है और वह काम कर रही है। कुछ दिनों में ही उनकी रिपोर्ट आयेगी और उसके आधार पर जब हम टैंडर्स पंगवायेंगे तो उसका निर्णय उस समय होगा, अभी तो यह प्री-क्वालिफिकेशन की प्रारम्भिक प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, तरलीकृत प्राकृतिक गैस भारत के लिए भविष्य का ईंधन हैं। यह ईंधन नया है। बिजली निर्माण संबंधी हमारी कई परेशानियां हैं। तरलीकृत प्राकृतिक गैस विद्युत क्षेत्र के विकास को तीव्र करने के लिए और नई इकाईयों को स्थापित करने के लिए वैकल्पिक ईंधन है। कई ईकाइयां हैं। दुर्भाग्यवश, पहले प्रश्न को वापस ले लिया गया है। प्रस्तावित सभी विद्युत संयंत्र केवल कागजों पर ही है। इसलिए, इन सबको चालू करने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयात करना पड़ेगा। आवश्यक प्रौद्योगिकी का आयात करना पड़ेगा। भारतीय जहाजरानी कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर यह व्यवस्था कर सकती हैं। जहाजरानी के क्षेत्र में शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया स्वयं ही विश्व की सबसे विशाल कंपनी है। यह एक भाग है।

इसका अगला कदम इसके आयात इसके संग्रह करने की व्यवस्था करनी है। वे कहते हैं कि उनके पास एक सीमावर्ती भंडारण दहेज, गुजरात में है और दूसरा पश्चिमी तट कोच्ची में है। पूर्वी तट पर दो स्थानों के बारे में सोचा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मूर्ति, यह तरलीकृत प्राकृतिक गैस के परिवहन से संबंधित है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, मैं इस पर आ रहा हूं। यह परिवहन और संग्रहण दोनों के संबंध में है। पूर्वी तट पर यह दो स्थान हैं—पहला तमिलनाडु में एन्नोर और दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा या विशाखापट्टनम में है। ये दो स्थान भंडारण की सुविधा के लिए हैं। जब तक इसे साथ-साथ योजित नहीं किया जाता, आप इस ईंधन का आयात नहीं कर सकते। आप इसे टैंकर या जहाज में तो नहीं रख सकते। टैंकर से आयात करना एक बात है और भंडारण करना दूसरी बात है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का पूर्वी तट पर और साथ ही इन दो स्थानों पर सीमावर्ती भंडारण बनाने का प्रस्ताव है और भारतीय जहाजरानी निगम (शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया) इसे कब बनाने वाली है। जल-भूतल परिवहन मंत्री, माननीय श्री राजनाथ सिंह ने एक परस्पर विरोधी रिपोर्ट दी है कि वे तरलीकृत प्राकृतिक गैस के परिवहन की नीति पर शीघ्र ही विचार कर रहे हैं।

मेरा प्रश्न यह है—क्या वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ सहयोग कर कार्य रहे हैं या नहीं? मैं इन दो मुद्दों पर उत्तर जानना चाहूंगा।

श्री राम नाईक : महोदय, दूसरे मुद्दे के उत्तर में, मैंने पहले ही कहा है कि पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और भूतल परिवहन मंत्रालय तरलीकृत प्राकृतिक गैस जो भारत में पहली बार आ रही है के परिवहन के लिए अच्छी नीति बनाने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस प्रश्न पर कि क्या कुछ और टर्मिनल बनाए जाएंगे, मैं यह कहना चाहूंगा कि वे कई स्थानों पर बन सकते हैं। परंतु हमने यह निर्णय लिया है कि हम इसे पहले पश्चिमी तट पर गुजरात के दहेज और केरल में कोच्ची में स्थापित करेंगे। हम सर्वप्रथम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यह लगातार चलने वाला काम है और यह अन्य स्थानों पर बाद में किया जा सकता है। पर अब, हम इन दो प्राथमिकताओं पर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, वर्तमान में, तरलीकृत प्राकृतिक गैस कई उद्योगों के लिए कम लागत वाला ईंधन है। यह पता लगा है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस को जहाजों के द्वारा पश्चिमी और दक्षिणी तट पर आयात किया जाए। पूर्वी क्षेत्र कई क्षेत्रों में पिछड़ रहा है। पहले, मैंने माननीय पेट्रोलियम मंत्री का इस सभा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस को जहाजों द्वारा पूर्वी तट पर हल्दिया जैसे स्थानों पर आयात करने संबंधी मामलों पर ध्यान आकर्षित किया था, जिससे संपूर्ण पूर्वी तट क्षेत्र का इस कम लागत वाले ईंधन के द्वारा विकास हो। यहां तक कि हमारी पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार ने माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री को हल्दिया पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात में इक्विटी शेयर में भागीदारी संबंधी पत्र लिखा था।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार तरलीकृत प्राकृतिक गैस को विशाखापट्टनम, हल्दिया, पारादीप आदि जैसे पूर्वी तट के स्थानों पर आयात करने का विचार कर रही है।

श्री राम नाईक : महोदय, जैसा कि मैंने कहा है, हमारे पास पूर्वी तट, पश्चिमी तट इत्यादि क्षेत्र हैं। हमारे पास लंबी तटीय रेखाएं हैं। परंतु हम सर्वप्रथम पश्चिमी तट पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। पारादीप में 8,000 करोड़ रुपये की लागत वाली नई रिफाइनरी लगा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री वहां जाकर 14 मई को शिलान्यास करेंगे।

इसलिए, हम विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और बांग्लादेश से भी गैस प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गैस को यहां लाया जाए, और माननीय मंत्री ने ठीक कहा कि इसकी मांग भी है।

महोदय, मैं यह कहूंगा कि यदि पैट्रोल और डीजल पिछली सदी का ईंधन था, वर्तमान सदी का ईंधन है गैस—तरलीकृत प्राकृतिक गैस या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.)। हम अधिक से अधिक गैस को लाने का प्रयत्न करेंगे और इसका उत्पादन अपने देश में भी करने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों की सहायता

***684. श्री रामदास आठवले :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, राज्य विद्युत बोर्डों को सहायता प्रदान करता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त की गई सफलता का ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु उक्त निगम को भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवन्ती मेहता): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) ग्रामीण विद्युतीकरण, पहले से विद्युतीकृत गांवों के व्यापक विद्युतीकरण, पम्पसेटों के ऊर्जीकरण और प्रणाली सुधार स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत विभागों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आर.ई.सी. वित्त पोषित स्कीमों के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण और पम्पसेट ऊर्जीकरण के लक्ष्य और उपलब्धियां अनुबंध-II में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) को वित्तीय सहायता हेतु राज्य विद्युत बोर्डों/ राज्य विद्युत विभागों से अब तक प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति अनुबंध-III में दी गई है।

अनुबंध-I

गत तीन वर्षों के दौरान आर.ई.सी. द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	1999-2000 वितरण	1998-99 वितरण	1997-98 वितरण
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	30091	24866	6094
2.	अरूणाचल प्रदेश	1540	662	1174

1	2	3	4	5
3.	असम	296	82	0
4.	बिहार	261	0	147
5.	दिल्ली	0	0	0
6.	गोवा	243	361	386
7.	गुजरात	36190	31296	3931
8.	हरियाणा	3418	2357	836
9.	हिमाचल प्रदेश	2771	3041	2060
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1637	3178	2187
11.	कर्नाटक	27613	29486	8655
12.	केरल	24176	13703	5200
13.	मध्य प्रदेश	7091	13461	6826
14.	महाराष्ट्र	40245	23991	26976
15.	मणिपुर	1761	1326	1359
16.	मेघालय	44	0	0
17.	मिजोरम	625	444	256
18.	नागालैंड	1256	333	173
19.	उड़ीसा	8473	8841	3612
20.	पंजाब	33231	3614	3314
21.	राजस्थान	34729	22872	12009
22.	सिक्किम	15	0	0
23.	तमिलनाडु	21078	16433	11476
24.	त्रिपुरा	1129	753	323
25.	उत्तर प्रदेश	15110	13719	9011
26.	पश्चिम बंगाल	139	29	322
27.	नीपको	10000	0	0
	उप-जोड़	305142	214848	106327
	अन्य*	**	5412	3054
	कुल	305142	220260	109381

(*) आर.ई. सहकारिताएं तथा एस.पी.डी.जी.एस. और केजेपी/ई.सी.पी. इत्यादि द्वारा अनुदान।

**संबंधित राज्यों में सम्मिलित।

अनुबंध-II

गत तीन वर्षों के दौरान आर.ई.सी. वित्त पोषित स्कीमों के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण और पम्पसेट उर्जीकरण के लक्ष्य-उपलब्धियां

अवधि	ग्राम विद्युतीकरण (सं.)		पम्पसेट ऊर्जीकरण (सं.)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1997-98	3000	3045	2.40 लाख	2.42 लाख
1998-99	2000	2502	2.50 लाख	2.79 लाख
1999-2000 (अनंतिम)	2000	2106	2.50 लाख	2.45 लाख

अनुबंध-III

2000-2001 के दौरान आर.ई.सी. द्वारा प्राप्त स्कीमों तथा स्वीकृतियों की वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त स्कीमें		स्वीकृत स्कीमें	
		संख्या	लागत	संख्या	ऋण स्वीकृत
1.	हरियाणा	3	700	–	–
2.	पंजाब	6	5139	6	5139
3.	जम्मू एवं कश्मीर	4	969	2	206
4.	राजस्थान	1	10000	–	–
5.	महाराष्ट्र	25	2481	1	414
6.	गोवा	2	247	–	–
7.	मणिपुर	1	430	–	–
	कुल	42	19966	9	5759

नोट : शेष स्कीमों का स्वीकृति हेतु मूल्यांकन किया जा रहा है।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में गांवों की संख्या कितनी है और अब तक कितने गांवों में विद्युत पहुंचाने का काम सरकार ने किया है? कितने गांवों में आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है और सभी गांवों में विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य जो सरकार ने बनाया है उसे सरकार कब तक पूरा करने वाली है?

श्रीमती जयवन्ती मेहता : अध्यक्ष महोदय, 1991 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में 5,87,258 गांव हैं और उनमें से 29 फरवरी, 2000 तक 5,06,401 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है जो 86.2 परसेंट है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : यह ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयवन्ती मेहता : मुझे जवाब तो देने दीजिए। अभी 80,416 गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण करना बाकी है, जो 13.8 परसेंट है।

श्री रामदास आठवले : मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो विद्युत निर्माण का काम सरकार द्वारा चल रहा है, विद्युत का प्रोडक्शन करने के लिए महाराष्ट्र में ऐनरॉन कंपनी को लगाया गया है। सरकार का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का लक्ष्य है, उसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यह काम बहुत अच्छी तरीके से सरकार को करना पड़ेगा। सरकार को अपना ज्यादा से ज्यादा बजट विद्युत निर्माण में लगाने की आवश्यकता है। देश के विकास के लिए विद्युत का निर्माण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इसलिए सरकार बताए कि हमारे देश को विद्युत की कितनी आवश्यकता है, उसका निर्माण करने के लिए सरकार क्या करने वाली है, यह लक्ष्य कब तक पूरा हो सकता है, और उसके लिए संभावित खर्च कितना आएगा?

श्रीमती जयवन्ती मेहता: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मांग और सप्लाई के विषय में जानना चाहा है। मैं कह सकती हूं कि निश्चित रूप से मांग के हिसाब से जो कमी है, उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए कई योजनाएं बनी हैं। उन योजनाओं के आधार पर हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को रेफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में आदेश दिये गये हैं। रेगुलेटरी कमीशन भी उसके लिए गठित कर दी गई है और इस तरह विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का पूर्ण प्रयास जारी है। सन् 2012 तक सबके लिए ऊर्जा पहुंचाने का हमने लक्ष्य रखा है।

श्री रामदास आठवले: अगर 2012 तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो? *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा है कि मांग और पूर्ति के बारे में कदम उठाए जा रहे हैं, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का क्या लक्ष्य था और कितना परसेंटेज उस हिसाब से पूरा हुआ?

. मेरे प्रश्न का भाग ख यह है कि वैसे आप कहेंगी कि राज्यों के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज हैं लेकिन इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जो केन्द्र शासित प्रदेश हैं, जहां आप सीधा हस्तक्षेप करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, वहां बढ़ाने के लिए कहें। दिल्ली के अंदर जो 15 साल से टेण्डर आए हुए हैं, एम.ओ.यू. साइन हो गया लेकिन वह काम पूरा नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्रीमती जयवन्ती मेहता: अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न आठवले जी ने पूछा है, वह ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में पूछा गया है।

मैं ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में ही जवाब दे रही हूं। अभी माननीय सदस्य खुराना जी ने जो प्रश्न पूछा, उसके आधार पर मैं कह सकती हूं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर, सैंट्रल सैक्टर के लिए, 1997-98 में 409 मेगावाट, 1998-99 में 191.3 मेगावाट, 1999-2000 में 1625.40 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था। अभी हमने सैंट्रल सैक्टर के लिए 659.00 मेगावाट का लक्ष्य रखा है और 2001-2002 के लिए 6,170 मेगावाट का लक्ष्य शेष रहता है यानी सैंट्रल सैक्टर के लिए टोटल 9,729 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। स्टेट सैक्टर में 1997-98 में 1954 मेगावाट, 1998-99 में 1278 मेगावाट और 1999-2000 में 2506.6 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया, यानी हमने 10005.2 मेगावाट का लक्ष्य रखा था। टोटल हम 12000 मेगावाट (लगभग) का लक्ष्य (मार्च 2000) प्राप्त कर चुके हैं।

श्री मदन लाल खुराना: परसेंटेज के बारे में बताइये।

श्रीमती जयवन्ती मेहता: अभी हमने परसेंटेज निकाली नहीं है। वह मैं निकालकर आपको बाद में बता दूंगी।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, हम प्रश्न से विषयांतर हो रहे हैं। *...(व्यवधान)*

डा. गिरिजा व्यास: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदया ने दिया है, राज्य विद्युत मंडलों की स्थिति को देखते हुए हालांकि आपने कहा कि 13 दशमलव कुछ प्रतिशत गांव ही बचे हैं, मंत्री महोदया आप तो मुम्बई में रहती हैं इसलिए आपको ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति मालूम नहीं है, लेकिन ये आंकड़े ठीक नहीं हैं और लगता है कि इस संबंध में आपको बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। *...(व्यवधान)* इन दोनों स्थितियों में सरकार की उदासीनता साफ नजर आती है। 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों ने 42 स्कीम्स भेजी जिसमें हरियाणा ने 3, पंजाब ने 6, जम्मू-कश्मीर ने 4, राजस्थान ने 1, महाराष्ट्र ने 25, गोवा ने 2 और मणिपुर ने एक स्कीम भेजी है। उन 42 स्कीम्स में से सरकार ने केवल 9 को ही स्वीकृति दी है। इससे सरकार की उदासीनता दिखाई देती है। क्या सरकार इस उदासीनता को तोड़ने का प्रयास करेगी और ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में कुछ पोजीटिव रुख अपनायेगी?

श्रीमती जयवन्ती मेहता: माननीय सदस्या ने कहा कि जवाब बढ़ा-चढ़ाकर दिये गये हैं, यह वास्तविकता नहीं है। जो वास्तविक है, वही जवाब दिया गया है। आपने स्टेटवाइज डिटेल पूछी कि जो 42 योजनाएं हैं, जिनमें से हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और मणिपुर की योजनाओं के बारे में आपने अभी बताया। 2001-2002 के लिए जो योजनाएं आर.ई.सी. के पास अभी आई हुई हैं, यह उनका ब्यौरा है। अभी यह वित्तीय

वर्ष चालू हुआ है। इसमें निश्चित रूप से और भी जो योजनायें आयेंगी, राज्य सरकारें जितने धन की आर.ई.सी. के माध्यम से इच्छा रखेंगी, उनको पर्याप्त मात्रा आर.ई.सी. के माध्यम से धन दिया जायेगा। धन की कोई कमी नहीं होगी।

डा. गिरिजा व्यास: जो योजनायें आई हैं, उन्हें तो आप स्वीकृत कीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं है। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रूडी, यह क्या है? यह वाद-विवाद नहीं है। यह प्रश्न काल है। आप प्रश्न काल में कैसे व्यवधान डाल सकते हैं? आप हमेशा ही ऐसे खड़े हो जाते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवन्ती मेहता: अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की एक ही योजना मंजूर हुई हैं और कुल 42 में से 9 योजनायें ही मंजूर हुई हैं। माननीय सदस्या ने पूछा कि अधिक संख्या में स्कीम्स को मंजूरी न देने का क्या कारण हैं— मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि राज्य सरकार की तरफ से हमारे पास जो योजनायें भेजी जाती हैं, उनके संबंध में वित्तीय व्यवस्था संबंधी जो डिटेल हम मांगते हैं, वे नहीं दिये जाते। इसी कारण उन योजनाओं को मंजूरी देने में विलंब होता है।

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। जैसा कि माननीय राज्य मंत्री ने ठीक कहा है, दिए गए आंकड़े एकदम ठीक हैं। रंतु, यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं सभा को बताऊँ कि जब हम गाँवों के विद्युतीकरण की बात करते हैं, पहले इसकी मूल परिभाषा यह होती थी कि गाँवों में कहीं एक खंभा हो। पर, पिछले दो सालों में, हमारी सरकार ने इसमें संशोधन करके कहा है कि एक खंभा हीं परंतु, गाँव में कम से कम एक लाइट होनी चाहिए। इसके पश्चात, हम इस पर पुन: विचार कर रहे हैं, वस्तुत: मंत्रियों का एक दल इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। हमें साथ में यह भी चिंता है कि ऐसे कुछ राज्य हैं जो यदि इसी रफ्तार से चलते रहे। जैसा कि वे अभी चल रहे हैं तो ग्रामीण विद्युतीकरण पर उन्हें सैकड़ों साल लग जायेंगे। मैं यहाँ उनका नाम नहीं लेना चाहता। इसलिए हमें इस ओर निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। मंत्रियों का एक समूह जिसमें मैं, वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष एक साथ बैठकर इसका निदान सोच रहे हैं। वित्त मंत्री महोदय ने, अपने बजट भाषण में, साफ तौर से कहा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण पर योजना से दी गई धनराशि के अलावा अतिरिक्त बजट सहायता दे रहे हैं। हम एक योजना पर कार्य कर रहे हैं। हम इस समस्या के प्रति काफी सचेत हैं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि पिछले तीन वर्षों में 6,200 करोड़ रुपये उन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों की मदद के रूप में अभी तक स्वीकृत किए हैं। उनके उत्तर के अनुसार 1997-98 में 1000 करोड़, 1998-99 में 2020 करोड़ और 1999-2000 में 3051 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार से कुल स्वीकृत लगभग 6200 करोड़ रुपए में से, बिहार के लिए पिछले तीन सालों में केवल चार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मंत्री महोदया के इस उत्तर को देखने से ऐसा लगता है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण का जो लक्ष्य रखा गया था कि देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा, किन्तु अभी तक 85 फीसदी गांवों का ही विद्युतीकरण हुआ है और अभी भी देश के 15 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण शेष है—वह लक्ष्य पूर्ण होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के अनुसार बिहार को केन्द्र सरकार से 40 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं, लेकिन यह धन बिहार सरकार को रिलीज नहीं किया जा रहा है। उसे रोक कर रखा गया है। मंत्री महोदय के उत्तर से भी यह स्पष्ट हो जाता है क्योंकि उन्होंने जो 6200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं उनमें से बिहार को केवल चार करोड़ रुपए ही मिले हैं। अभी तक हमारे 32 हजार गांवों में बिजली नहीं आई है और जो बिहार के लिए 40 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं, उन्हें रोककर रखा गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस रोके हुए धन को बिहार सरकार को देगी और क्या सरकार 6200 करोड़ रुपए में से जो उचित हिस्सा बिहार सरकार का बनता है, उसे बिहार सरकार को देने के लिए तैयार है?

[अनुवाद]

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, मैं यहाँ स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की ओर से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण देने में थोड़ा विरोध है। इसका कारण केवल यही है कि विद्युत क्षेत्र में पहली बार एक नया शब्द

प्रचलित हो रहा है वह है 'विद्युत-विहीनीकरण' दूसरे शब्दों में, हमें ऐसे आँकड़े मिले हैं कि कई हजार गाँव, यहाँ तक कि दसियों हजार गाँवों में, विद्युतीकरण किया गया और फिर हमें यह पता चला कि अगले ही वर्ष वे विद्युतविहीन हो गये हैं, कारण यह कि तारें और खंभे दोनों की चोरी हो गई। यही उत्तर दिया गया। इसलिए, हमने इसकी जाँच करने को कहा है। और उसी समय बिहार राज्य में चुनाव का समय आ गया और जाँच का काम उस समय स्थगित रहा। जैसे ही जाँच पूरी हो जाएगी और हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी, हम अंतिम निर्णय ले पाएंगे। हम यह मानते हैं कि यह तब तक संभव नहीं है जब तक ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रश्न पूछा है मंत्री जी उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, बल्कि कुछ और ही उत्तर दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: ये ठीक उत्तर दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* विद्युत विहीन की यह नयी अवधारणा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रूडी, आप क्यों प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, बिहार की दुर्दशा तो देखिए। बिहार विद्युत-विहीन हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो हमने पूछा है, उसका उत्तर मंत्री महोदय, नहीं दे रहे हैं। हमने बहुत स्पष्ट पूछा है कि क्या मंत्री महोदय बिहार का बकाया 40 करोड़ रुपया और विगत तीन वर्षों में स्वीकृत धन में से जो बिहार का हिस्सा बनता है, उसे बिहार सरकार को देने के लिए तैयार हैं या नहीं? ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, राजीव प्रताप रूडी मंत्री महोदय के सपोर्ट में क्यों उठ रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: जब विद्युत-विहीनीकरण हो रहा है, बिहार के गाँवों का विद्युतीकरण कैसे होगा? और सदस्य पैसे के बारे में बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रूडी, आप मंत्री महोदय के उत्तर में अनावश्यक व्यवधान डाल रहे हैं। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रूडी, जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हों, आप क्यों अनावश्यक रूप से सभा में व्यवधान डाल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, मेरा राज्य रो रहा है, मेरा राज्य आंसू बहा रहा है। बिजली नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रूडी, बहुत हो गया। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह सब क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अपना उत्तर पूरा कीजिए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मैं उत्तर दे सकता हूँ, यदि मुझे दोनों ओर से अवसर प्राप्त हो। मुझे अवसर चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना उत्तर पूरा कीजिए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिहार के माननीय विद्युत मंत्री से यह निवेदन किया है कि वे मुझसे आकर मिलें। हम बैठक का आयोजन कर रहे हैं, और उस बैठक में, हम इस मामले पर बातचीत करेंगे। मुझे लगता है, कार्य को थोड़ा रोकना फिर भी ठीक है परंतु इस कारण से बिहार के ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतीकरण रुकना नहीं चाहिए।

बल्कि, हम इस काम में तेजी लाना चाहते हैं और हम बिहार पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम इसे तीव्र करेंगे ...*(व्यवधान)* 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार बिहार द्वारा आर.ई.सी. को भुगतान के लिए 389.98 करोड़ रु. बाकी हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री जी नहीं दे रहे हैं। मैं विरोध स्वरूप सदन से बहिष्कार करता हूं। ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.51 बजे

(तत्पश्चात् डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

प्रदूषण फैलाने वाली प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण

*687. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विकसित देश, विकासशील देशों को बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की प्रौद्योगिकियों का भारत को भी हस्तांतरण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जो इस प्रकार की प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (ङ) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली प्रौद्योगिकियों से होने वाले पर्यावरणीय अवक्रमण को रोकने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रणाली और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सहमति की कार्य-पद्धति लागू की गई है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार की प्रौद्योगिकियों का भारत को हस्तांतरण न हो।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण रोकने के लिए भारत सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है और जो टैक्नोलोजी लागू की है, उसका विवरण मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। देश में प्रदूषण दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर और मुम्बई का जो प्रदूषण स्तर है, वह बहुत ज्यादा है—दिल्ली का 67 प्रतिशत, मुम्बई का 66 प्रतिशत प्रदूषण स्तर है और इसी प्रकार अन्य दो महानगरों में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है। महानगरों में प्रदूषण को रोकने के लिए और इंडस्ट्रीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या सरकार कोई विचार कर रही है? अध्यक्ष महोदय, हम प्रति-दिन समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि दुनिया के अनेक विकसित देशों से इंडस्ट्रीज यहां स्थानांतरित की जा रही हैं। सरकार भी सोचती है कि विकसित देश अपने देश में इंडस्ट्रीज लगाएं ताकि विदेशी धन का निवेश देश में हो सके। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज कौन-कौन से देशों से इस देश में ट्रांसफर हो रही हैं, उनके बारे में बताएं?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, यहाँ प्रश्न है घटिया तकनीक का या आयातित प्रौद्योगिकी का। परंतु इसके साथ ही, माननीय मंत्री ने दूसरा प्रश्न किया...

अध्यक्ष महोदय: 'माननीय मंत्री' ने नहीं परंतु 'माननीय सदस्य' ने प्रश्न किया।

श्री टी.आर. बालू: जी हाँ, मुझे खेद है। मैं इसे ठीक करता हूँ। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया।

महोदय, हम बहुत कड़े नियंत्रण-उपाय कर रहे हैं। हमारे पास राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और साथ ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं। हम राजधानी दिल्ली और अन्य स्थानों पर कड़े मानदण्ड लागू कर रहे हैं। साथ ही संशोधित ईंधन, दक्ष प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और मानदण्ड प्रस्तुत किये जा रहे हैं। ऑटो ईंधन के संबंध में, हमने एन.सी.आर. से सल्फर की मात्रा को 0.05 प्रतिशत कम किया है। इसलिए, प्रदूषण पर ध्यान दिया जा रहा है।

महोदय, इस संबंध में, हमने उद्योगों की 29 श्रेणियों की पहचान कर ली है। हमने 24 क्षेत्रों की सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचान कर ली है, और 17 को सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की श्रेणी में रखा है। हम इस पर उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

जो भी प्रौद्योगिकी और अन्य बातें हैं, उन्हें उद्यतन होना होगा, इसलिए, हम प्रदूषण पर ध्यान दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, ऐसे कितने कारखाने दिल्ली तथा बड़े-बड़े शहरों में हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं और उनको हटाने के लिए सरकार ने क्या-क्या कार्रवाई की और ऐसी कंपनियों और कारखानों से प्रदूषण न पैदा हो, उसे रोकने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: नि:संदेह, इनके पूरक प्रश्न का संबंध प्रौद्योगिकी के आयात से नहीं है। वे यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान-2 के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसे कई उद्योग हैं जो प्रदूषित हैं। नि:संदेह, वे यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसे कई प्रदूषित नाले हैं जो नगर-निगम के बहिस्राव को सीधे यमुना में डाल रहे हैं, परंतु इसके साथ ही, हमने इस संबंध में उचित कार्यवाही की है। इन सभी उद्योगों के बहिस्राव शोधन संयंत्र का होना अति आवश्यक है।

अब सभी पर निगरानी रखी जा रही है। घबराने और चिंता करने का कोई कारण नहीं है।

डा. बी.बी. रमैया: प्रदूषण का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस महत्वपूर्ण पहलू को बहुत महत्व देंगे। कई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं। इन सभी परिस्थितियों में, मैं यह कहना चाहूंगा कि वायु प्रदूषण सर्वाधिक महत्वपूर्ण में से एक पहलू है। विशाखापट्टनम की सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र में से एक के रूप में पहचान हुई है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कुछ विशेष उपाय किये हैं। यदि नहीं, तो माननीय मंत्री इस क्षेत्र में प्रदूषण रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने वाले हैं।

श्री टी.आर. बालू: सरकार को डा. बी.बी. रमैया द्वारा दिए गए तथ्यों का जिनका उल्लेख उन्होंने अभी किया है पता है। हम पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में कल इस पर चर्चा करेंगे जिसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी करेंगे। विभिन्न राज्यों के पर्यावरण मंत्री कल मिलेंगे। हम इस पर बातचीत करेंगे और उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: 1992 में ही, विशाखापट्टनम को सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया था। परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री टी.आर. बालू: सब पर कल चर्चा की जाएगी।

श्रीमती रेणूका चौधरी: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि क्या भारत ने विकसित देशों से हरित प्रौद्योगिकी माँगी है जिसका अर्थ है पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, जिसकी लागत भारत वहन कर सके क्योंकि दुनिया भारत से यह चाहती है कि भारत हरित प्रौद्योगिकी में और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें जबकि हमारे अध्ययन ने यह दिखाया है कि यह केवल विकसित देश ही है जो सर्वाधिक प्रदूषण फैलाते हैं जिसे हम सबको भुगतान पड़ता है। क्या माननीय मंत्री हमें बतायेंगे कि उन्होंने विकसित देशों से कम लागत में हरित प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का समझौता किया है क्योंकि हम विकासशील देश हैं और अभी तक हमें ऐसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और वायुयान प्राप्त नहीं हुए हैं जो स्वास्थ्य-अनुकूल हों?

श्री टी.आर. बालू: हम इस मामले की बहुपक्षीय मंच पर चर्चा कर रहे हैं और जो भी कोई हरित प्रौद्योगिकी विकसित देशों में ग्रीन हाउस के हानिकारक गैसों को कम करने के लिए उपलब्ध है उसे वे क्योटो समझौते के अनुसार सिद्धांत और नियम जिनका निर्णय होना बाकी है, के मुताबिक हमें देंगे। हम इस संबंध में उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। यह अभी प्राथमिक स्तर पर ही है। इस साल के अंत तक, हम इस पर विचार करेंगे कि किस प्रकार का स्वच्छ विकास तंत्र, किस प्रकार की हरित प्रौद्योगिकी का हमारे देश में आयात हो सकता है और किन शर्तों पर। इन सभी मामलों को नवम्बर-दिसम्बर, 2000 तक सुलझा लिया जाएगा।

श्रीमती रेणुका चौधरी: क्या हम इन देशों को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि विकसित देशों ने प्रदूषण को बढ़ाया है?

श्री टी.आर. बालू: हमारा बहुपक्षीय मंच पर इस मामले में एक दृष्टिकोण है। हम अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। हम हरित प्रौद्योगिकी की माँग कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य: मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री महोदय को पता है कि कुछ जहाज हमारे जहाज तोड़ने के कारखाने में खतरनाक माल लेकर आ रहे हैं जिससे विकसित देशों जहाँ से जहाज आ रहे हैं द्वारा बेसल कन्वेंशन का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने यह मामला उन विकसित देशों के साथ उठाया है, जहाँ से यह जहाज आ रहे हैं कि जहाज तोड़ने के कारखाने में भेजने से पूर्व, प्रदूषण रहित किया जाए।

श्री टी.आर. बालू: बेसल कन्वेंशन में, खतरनाक कचरे से संबंधित मामला उठाया जा रहा है। मैं इस चर्चा के परिणाम को निश्चित ही सभा के सामने रखूंगा। मैंने पहले ही संबंधित मामलों पर बेसल कन्वेंशन में चर्चा की है।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या चर्चा अभी भी चल रही है?

श्री टी.आर. बालू: सभा की जानकारी के लिए, इस्तेमाल की हुई लेड एसिड बैटरी को बरतने को नियमित करने के लिए एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार किया गया है। आरसनिक, सायनाइड और मरकरी वाले कचरे के आयात पर ई पी ए के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। तेल के कचरे, साथ ही जहाज तोड़ने संबंधी कार्य से संबंधित मामलों की चर्चा पिछले वर्ष बेसल कन्वेंशन में की गई।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, हरित प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संबंधी पहलू अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं। मेरा माननीय मंत्री से प्रश्न भारत सरकार के पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ बहुपक्षीय समझौते से संबंधित है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से ऐसे कितने समझौते किये हैं और इन समझौतों से होने वाले बड़े फायदे क्या हैं।

श्री टी. आर. बालू: मैं माननीय सदस्य को जो भी जानकारी दे सकता हूँ, दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विद्युत उत्पादन की वृद्धि दर

*685. **श्री माधवराव सिंधिया:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की वार्षिक विद्युत उत्पादन क्षमता की वृद्धि दर में गत कुछ वर्षों में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन के लिए, राज्य-वार विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) विगत 5 वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन तथा क्षमता की विकास दर निम्नानुसार है:

वर्ष	31 मार्च के अनुसार क्षमता (मे.वा.)	क्षमता अभिवृद्धि की विकास की वार्षिक दर	बिजली उत्पादन विकास की वार्षिक दर
1994-95	81171	–	–
1995-96	83293	2.6%	8.3%
1996-97	85795	3.0%	3.8%
1997-98	89102	3.8%	6.6%
1998-99	93253	4.6%	6.6%
1999-2000	97836	4.9%	7.1%

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार 2001-02 यूटिलिटीज में सकल उत्पादन 606.7 बि.यू. होने की संभावना है। यह मूल्यांकन योजना अवधि के आरंभ में लगाए गए क्षमता अभिवृद्धि अनुमान पर आधारित है। चालू परियोजनाओं की कार्यान्वयन कार्यक्रम रखरखाव कार्य की सूची क्षेत्रीय बिजली मांग, ग्रिड पैरामीटरों तथा पारेषण क्षमता आदि के आधार पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में विद्युत उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। देश में 2000-2001 में 500.7 बि. यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। उत्तरपूर्वी क्षेत्र के राज्यवार लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

उत्तर पूर्वी क्षेत्र

राज्य का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र (मि.यू.)	राज्य क्षेत्र (मि.यू.)	निजी क्षेत्र (मि.यू.)	जोड़ (मि.यू.)
असम	2274	1290	180	3744
त्रिपुरा	360	381	शून्य	741
मेघालय	शून्य	520	शून्य	520
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	20	शून्य	20
नागालैंड	277	शून्य	शून्य	277
मणिपुर	450	शून्य	शून्य	450

(घ) वर्तमान वर्ष में विद्युत उत्पादन की विकास दर बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(1) वास्तविक उत्पादन व लक्ष्यों की स्टेशन-वार यूनिट-वार मानीटरिंग सीईए में दैनिक आधार पर की जाती है।

(2) थर्मल तथा हाइड्रो पावर स्टेशनों के नव क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम की नियमित मानीटरिंग की जाती है।

(3) जबरन बंदी के अंतर्गत यूनिटों के शीघ्र पुनर्स्थापन के लिए कार्रवाई की जाती है।

(4) विद्युत स्टेशनों, जिन्हें नवीकरण व आधुनिकीकरण की जरूरत होती है को पीएफसी की पेजर स्कीम के अंतर्गत सहायता दी जाती है।

(5) थर्मल संयंत्रों के पीएलएफ में वृद्धि के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(6) आधिक्य विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले विद्युत केन्द्रों को अधिकाधिक विद्युत का अंतरण।

[हिन्दी]

भारतीय तेल निगम द्वारा उत्तरी भारत में भूमि की खरीद

*686. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय तेल निगम द्वारा 1999-2000 के दौरान देश के उत्तरी भाग में पेट्रोल पम्पों के निर्माण हेतु कुल कितनी भूमि की खरीद की गई और तत्संबंधी स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी और भूमि की खरीद की जानी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ भूमि की खरीद के लिए निर्धारित दर की भारतीय तेल निगम द्वारा उपेक्षा की गयी है, और

(घ) यदि हां, तो उन लोगों के नाम क्या हैं, जिनसे उपरोक्त भूमि की खरीद की गई है तथा भूमि कहां-कहां स्थित है और उनका मूल्य संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 1999-2000 के दौरान उत्तरी भारत में 91 स्थल खरीदे हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2000-2001 में आई ओ सी ने फिलहाल उत्तरी भारत में 151 स्थानों पर भूमि खरीदने की योजना बनाई है।

(ग) और (घ) अब तक खरीदी गई भूमि का मूल्यांकन तीन अधिकारियों की समिति द्वारा सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक स्थल के लिए निर्धारित किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	स्थान	जिला	राज्य	वर्ग मी. में भूमि का क्षेत्र	स्थान का प्रकार कोको/"ए" साइट/जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र	किया गया भुगतान	स्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हिसार	हिसार	हरियाणा	1600	"ए"	24.80	श्रीमती विंध्या देवी
2.	कोहन्दा	करनाल	हरियाणा	5083	कारगिल	24.32	मैसर्स डीसेन्ट स्पीनर्स प्रा.लि. करनाल
3.	नांगल सिरोही	महेन्द्रगढ़	हरियाणा	12940	जुबली	38.74	श्रीमती संतोष देवी
4.	औरंगाबाद	मथुरा	उत्तर प्रदेश	1793	कोको	32.09	श्री धर्मेन्दर सिंह तोमर और अन्य
5.	गंगेरू	मुजफ्फरनगर	उत्तर प्रदेश	1400	कोको	3.19	श्री सुरेश कुमार शर्मा
6.	हरदुआगंज	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	1200	कोको	15.60	श्री सुशील कुमार जैन

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	खैर	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	1400	कोको	22.05	श्री हरी शंकर आजाद
8.	कोसी	मथुरा	उत्तर प्रदेश	1360	कोको	12.26	श्री बीजेन्द्र कुमार पालीवाल
9.	कच्छेसर रोड	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	1672	कोको	13.13	श्री सुरेश कुमार शर्मा
10.	सिरसा टापू	एटा	उत्तर प्रदेश	1888	कोको	4.71	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
11.	सुरीर	मथुरा	उत्तर प्रदेश	1781	कोको	4.81	श्रीमती सरिया अग्रवाल
12.	दौराला मिल	मेरठ	उत्तर प्रदेश	2185	कोको	10.05	श्री जवाहर शर्मा
13.	शोभापुर	मेरठ	उत्तर प्रदेश	1545	कोको	10.51	श्रीमती प्रेमा सेन
14.	ग्रेटर नौएडा	जी.बी. नगर	उत्तर प्रदेश	10000	जुबली	206	सरकारी भूमि
15.	ग्रेटर नौएडा (हालैण्ड ट्रैक्टर क्रासिंग)	जी.बी. नगर	उत्तर प्रदेश	6000	कोको	107	सरकारी भूमि
16.	ट्रांसपोर्ट नगर	आगरा	उत्तर प्रदेश	1161	कोको	24.86	सरकारी भूमि
17.	उसका बाजार	सिद्धार्थ नगर	उत्तर प्रदेश	1115	"ए"	4.35	श्री श्रीराम
18.	विश्वनाथ गंज	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	1115	कोको	4.76	श्री सहदयो सिंह
19.	अम्बारी	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश	1115	कोको	7.85	श्रीमती अहमदी बेगम
20.	सागरी	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश	1115	कोको	8.92	श्री इंतजार एण्ड नियाज अहमद
21.	साबर हद, जौनपुर	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	1115	कोको	6.47	श्री मिर्जा अजाफर बेग/श्री मिर्जा अफजल बेग
22.	बलपुर, गोंडा	गोंडा	उत्तर प्रदेश	1115	कोको	3.35	श्री गजेन्द्र कुमार तिवारी
23.	दुदाही, कुशीनगर	कुशी नगर	उत्तर प्रदेश	1115	कोको	3.29	श्री लाल बहादुर राय/श्री संतोष कुमार एण्ड श्री विश्वनाथ
24.	वलतियर गंज, बस्ती	बस्ती	उत्तर प्रदेश	1126	कोको	9.29	श्री भारत भूषण भाटिया
25.	महादेवा, बस्ती	बस्ती	उत्तर प्रदेश	1115	कोको	7.25	श्री एस. पी. उपाध्याय
26.	अकबरपुर-मोलीपुर रोड, अम्बेडकर नगर	अम्बेडकर नगर	उत्तर प्रदेश	1115	कोको	6.87	श्री कमला प्रसाद सिंह एण्ड श्री सूर्या प्रताप सिंह

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	महुआ कोठी, इलाहाबाद	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1115	कोको	3.75	श्री शकील अहमद एण्ड श्री मोहम्मद अख्तर
28.	लक्ष्मण नगर, सरस्वती	सरस्वती	उत्तर प्रदेश	1115	कोको	7.25	श्री मुख्तार अहमद
29.	दुल्हेपुर, इलाहाबाद	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1115	कोको	7.24	श्री पन्ना लाल/ श्री छन्नू लाल आदि
30.	दुर्गापुर, सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	1115	कोको	7	श्री शिव प्रताप शुक्ला
31.	पन्नूगंज	सोनभद्र	उत्तर प्रदेश	1115	कोको	2.65	श्री सिद्ध नाथ मिश्रा
32.	कोहदौर	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	1115	कोको	4.91	श्री जाहिर आलम
33.	मिर्जापुर, रीवा रोड	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	3065	कोको	16.08	श्री रईश चन्द्र शुक्ला
34.	रासरा	बलिया	उत्तर प्रदेश	2524	कोको	9.50	श्रीमती शैल अग्रवाल
35.	हट्टा बाजार	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	1394	कोको	12.10	श्री टी.एन. गुप्ता
36.	आई.जी. शहीद पार्क	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	1882	कोको	5	श्री राम आश्रय पाठक
37.	घूरपुर	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1533	कोको	10.76	श्री इश्तीयाक अहमद और श्री मोहम्मद अहमद
38.	मुसकरा	हमीरपुर	उत्तर प्रदेश	1208	कोको	2.75	श्री जावेदन हलीम खान
39.	कुरारा	हमीरपुर	उत्तर प्रदेश	1394	कोको	0.42	श्री पियूष श्रीवास्तव
40.	जी.टी. रोड*	कानपुर (भाग-1)	उत्तर प्रदेश	355	"ए"	11.49	डा. राजेन्द्र नारायण द्विवेदी
41.	(2 विक्रेता-1 आर ओ	कानपुर (भाग-2)	उत्तर प्रदेश	269		8.71	श्रीमती चन्द्र प्रभा देवी
42.	जिहानीखेड़ा	हरदोई	उत्तर प्रदेश	2899	कोको	4.99	श्री संजय सिंह/श्री कृष्णा एण्ड कर्नल ब्रिजेश
43.	सिकन्दरपुर	कन्नौज	उत्तर प्रदेश	1779	"ए"	3.76	श्री राज कुमार शर्मा
44.	हैदरगढ़	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश	3790	कोको	6.50	श्री पोल्लर
45.	सकरार	झांसी	उत्तर प्रदेश	2091	कोको	2.70	श्री महेन्द्र पाल सिंह
46.	पांडवा	झांसी	उत्तर प्रदेश	2091	कोको	12.54	श्री प्रभु दयाल

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	झिंजक	कानपुर देहात	उत्तर प्रदेश	2091	कोको	13.50	श्री राज कुमार सिंह/ श्री धर्मवीर
48.	कालीमिटी बंगारमऊ	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	1280	कोको	1.79	श्री राज कुमार गुप्ता
49.	कबराई	महोबा	उत्तर प्रदेश	2846	कोको	1.28	श्री राकेश कुमार
50.	रौजागांव	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	3717	कोको	4.45	श्री सुभाष चन्द्र पांडे और श्री अम्बिका प्रसाद पांडे
51.	शम्भुआ क्रासिंग	कानपुर	उत्तर प्रदेश	2200	कोको	3.50	श्री राजाराम
52.	कसबा मर्दगंज इटावा	औरैया	उत्तर प्रदेश	3511	कोको	3.21	श्री अम्बिका सिंह
53.	नवाबगंज-सोहराम के बीच	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	2490	कोको	2.80	श्रीमती विनोद रानी
54.	इटावा	इटावा	उत्तर प्रदेश	3803	कोको	11	श्री प्रकाश यादव और श्री अशोक कुमार
55.	गोला गोकर्णनाथ	लखीमपुर खीरी	उत्तर प्रदेश	2000	कोको	9.60	श्री राजपाल अग्रवाल और अन्य
56.	धर्मपुर नगीना	बिजनौर	उत्तर प्रदेश	1764	कोको	9.70	श्री सुभाष चन्द्र महेश्वरी
57.	सैद नगर	रामपुर	उत्तर प्रदेश	1400	कोको	1.32	श्री कुलदीप सिंह और अन्य
58.	टाडरपुर	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	979	कोको	4.05	श्री इरशाद खान/ श्रीमती सरवरी बेगम
59.	ठाकुरद्वारा	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	1750	कोको	2.16	श्री प्रगट सिंह/ श्री बलविन्दर सिंह
60.	गंडेवाद	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	2000	कोको	2.84	श्री पवन सिंह
61.	अगरौली तिराहा	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश	1400	"ए"	1.20	श्री शिव राम
62.	रुद्रपुर बिलासपुर कस्बे (इन्दरपुर) का मध्य	रामपुर	उत्तर प्रदेश	2750	कोको	8.90	श्री जसवीर के. ग्रोवर
63.	डीडीहाट (पर्वतीय क्षेत्र)	पिथौरागढ़	उत्तर प्रदेश	402	"ए"	1.50	श्री दीपक सिंह कन्याल

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	ट्रांसपोर्ट नगर	बरेली	उत्तर प्रदेश	1680	कोको	30.20	सरकारी भूमि
65.	मालवीय नगर	जयपुर	राजस्थान	1120	कोको	78.40	सरकारी भूमि
66.	बडगांव नाका	बून्दी	राजस्थान	3253	कोको	6.96	श्री हुकुम चन्द जैन
67.	भलेरी	चुरु	राजस्थान	2090	कोको	0.55	कलैक्टर, चुरु
68.	रुधीशर पहाड़ी	चुरु	राजस्थान	2090	कोको	0.96	कलैक्टर, चुरु
69.	लवान	दौसा	राजस्थान	2090	कोको	1.30	श्री राम प्रताप/श्री राम सहाय गुजर
70.	मनिया-1	धौलपुर	राजस्थान	2090	कोको	3.72	कलैक्टर, धौलपुर
71.	मनिया-2	धौलपुर	राजस्थान	2090	कोको	8.25	कलैक्टर, धौलपुर
72.	कैथून	कोटा	राजस्थान	1672	कोको	2.16	श्री अशोक नन्दवाना
73.	टोडारायसिंह	टोंक	राजस्थान	1619	कोको	1.60	श्री सुरेन्द्र कनोई
74.	सवाईपुर	भीलवाड़ा	राजस्थान	2090	कोको	1.92	कलैक्टर, भीलवाड़ा
75.	गाजीपुर-हिंडन रोड के बीच	दौसा	राजस्थान	2090	कोको	0.66	कलैक्टर, दौसा
76.	जयपुर	जयपुर	राजस्थान	1120	कोको	89.60	जयपुर विकास प्राधिकरण
77.	जयपुर	जयपुर	राजस्थान	1680	कोको	171.66	जयपुर विकास प्राधिकरण
78.	सावर	अजमेर	राजस्थान	2031	कोको	0.61	कलैक्टर, अजमेर
79.	मेरता सिटी	नागौर	राजस्थान	2090	कोको	1.93	श्री धर्मंडी राम
80.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	राजस्थान	1178	कोको	10.77	श्री केशरीमल शाह
81.	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	2787	कोको	6.90	श्री नन्द लाल मीना और शाम लाल मीना
82.	भाम्बला	मंडी	हिमाचल प्रदेश	1161	कोको	15.88	श्री खजाना राम/श्याम सिंह/ दया राम
83.	भारवेन	उना	हिमाचल प्रदेश	1587	कोको	7.75	दौलत राम, मोहर सिंह, कश्मीर सिंह, अमर सिंह, शमशेर सिंह, मस्त राम, जोगिन्दर सिंह
84.	बंगाना	उना	हिमाचल प्रदेश	1045	कोको	12.42	सुरेन्द्र कुमार, अमल देव, श्रीमती राम पियारी

1	2	3	4	5	6	7	8
85.	राजा का तालाब	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश	878	कोको	7.01	केशव दत्त
86.	हर-रायपुर	भटिंडा	पंजाब	3373	कोको	10.90	विलायती राम, हंस राज
87.	थूथियावाली	मन्सा	पंजाब	3147	कोको	8.80	गरुनैल सिंह, अजाइब सिंह
88.	बुनदाला	जालंधर	पंजाब	1114	कोको	21.00	स्वर्ण सिंह
89.	जमालपुर	लुधियाना	पंजाब	1449	कोको	60.86	सुरजीत सिंह, अमरजीत कौर
90.	छब्बेवाल	होशियारपुर	पंजाब	2536	कोको	15.08	भजन सिंह, धर्मो, सीतू, चरण कौर, कृष्णा
91.	माहिलपुर	होशियारपुर	पंजाब	1743	कोको	13.11	इन्दरजीत कौर, हरजीत कौर, अरविन्दर सिंह

*भूमि के 2 प्लाट खरीद लिए गए हैं जो एक खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना के लिए मिला लिए गए हैं (क्रम संख्या 40 तथा 41)

[अनुवाद]

प्रमुख तेल कम्पनियों को विपणन संबंधी अधिकार

***688. श्री किरीट सोमैया:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख तेल कम्पनियां सरकार पर विपणन के अधिकारों की पूर्व शर्तों में परिवर्तन करने के लिए दबाव डाल रही हैं ताकि वे उन क्षेत्रों में निवेश करके भारत में तेल उत्पादों का विपणन कर सकें जिनमें संवर्धित लाभ की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विपणन संबंधी अधिकारों की पूर्व शर्तों में परिवर्तन की बात पर सिद्धांततः सहमति जताई है; और

(ग) यदि हां, तो पेट्रोलियम उत्पादों पर नए विपणन अधिकारों को कब से प्रभावी किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी, हां।

(ख) "भारत हाइड्रोकार्बन झलक 2025" में पूर्व शर्तों में कुछ परिवर्तनों की सिफारिश की गई है।

(ग) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय वानिकी कार्ययोजना

***689. श्री जितेन्द्र प्रसाद:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वानिकी वित्तपोषण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार का विचार एक बैंकिंग संस्था गठित करने का है जिसमें विभिन्न राज्य वन निगम (एस.एफ.सी.) हिस्सेदार हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना को लागू करने के लिए वानिकी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना की विशिष्ट बातें क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस योजना को सफल बनाने को सुनिश्चित करने के लिए इसे जन-आन्दोलन का रूप देने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक वानिकी विकास बैंक की स्थापना सहित कई विकल्पों की जांच की गई है। वन विकास बैंक स्थापित करने के लिए कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) ऐसा अनुमान है कि राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए 20 वर्षों की अवधि में 1339 बिलियन रुपए की आवश्यकता होगी। केन्द्र सरकार द्वारा वानिकी क्षेत्र के लिए वार्षिक आबंटन में बढ़ोत्तरी की गई है तथा राज्य सरकारों को भी वानिकी क्षेत्र के लिए अपने आबंटन बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। विदेशी एजेंसियों से धनराशि प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं का खाका तैयार किया गया है।

(घ) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना (एन.एफ.ए.पी.) राष्ट्रीय वन नीति,1988 के अनुरूप वानिकी क्षेत्र की मुख्य समस्याओं से संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए व्यापक कार्यनीति वाली अगले 20 वर्षों की दीर्घावधि योजना है। एन.एफ.ए.पी. का उद्देश्य देश के एक तिहाई क्षेत्र को वन/वृक्ष आवरण के तहत लाना तथा वनों को सतत विकास करने के लिए वनों की कटाई को रोकना है। इस योजना के पांच मुख्य घटक हैं-1. विद्यमान वन संसाधनों की सुरक्षा करना। 2. वन उत्पादकता में सुधार लाना। 3. कुल मांग को कम करना। 4. नीति और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाना। 5. वन/क्षेत्र का विस्तार करना।

(ङ) और (च) जी, हां। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वनों के विकास और उनकी सुरक्षा में लोगों की भागीदारी पर विचार किया गया है। 1990 में अपनाए गए संयुक्त वन प्रबंधन की क्रियाविधि का उद्देश्य पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए अवक्रमित वनों का पुनरुद्धार और उनका विकास तथा वनों में और उनके आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को ईंधन, लकड़ी, चारा, गैर-काष्ठ वन उत्पाद और इमारती लकड़ी प्रदान करवाना है। अधिकांश राज्यों द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संस्थापना की जा चुकी है तथा ग्रामीण स्तरीय संस्थाओं, जैसे ग्राम वन समितियों के गठन पर जोर दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के लिए 21.2.2000 को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

राज्यों में विद्युत परियोजनाएं

*690. **श्री के. करूणाकरन:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सहित विभिन्न राज्यों से राज्यों में 1999-2000 के दौरान नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (घ) मार्च, 2000 की स्थितिनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं अथवा जांचाधीन परियोजनाओं का राज्य-वार संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जांचाधीन परियोजनाओं के मामले में विभिन्न लंबित निवेशों जैसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति, ईंधन लिंकेज, अंतर्राज्यीय स्वीकृति (अगर लागू हो), भूमि और जल की उपलब्धता इत्यादि में तेजी लाने के लिए परामर्श कार्य प्रगति पर है।

विवरण

परियोजनाओं के मूल्यांकन का क्षेत्र-वार संक्षिप्त ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य		के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत/मूल्यांकित			के.वि.प्रा. में जांचाधीन		
			जल विद्युत	ताप विद्युत	जोड़	जल विद्युत	ताप विद्युत	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हरियाणा	मे.वा.	0	0	0	0	0	0
		संख्या	0	0	0	0	0	0
2.	हिमाचल प्रदेश	मे.वा.	2412	0	2412	170	0	170
		संख्या	6	0	6	2	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	जम्मू व कश्मीर	मे.वा.	1087.5	0	1087.5	0	0	0
		संख्या	3	0	3	0	0	0
4.	पंजाब	मे.वा.	50	0	50	0	500	500
		संख्या	1	0	1	0	1	1
5.	राजस्थान	मे.वा.	0	1992.7	1992.7	0	71	71
		संख्या	0	4	4	0	1	1
6.	उत्तर प्रदेश	मे.वा.	2034	3217	5251	0	800	800
		संख्या	4	4	8	0	1	1
7.	दिल्ली	मे.वा.	0	330	330	0	0	0
		संख्या	0	1	1	0	0	0
8.	गुजरात	मे.वा.	0	4056.7	4056.7	0	256	256
		संख्या	0	10	10	0	2	2
9.	मध्य प्रदेश	मे.वा.	960	6919.5	7879.5	0	703.48	703.48
		संख्या	3	13	16	0	2	2
10.	महाराष्ट्र	मे.वा.	0	3784.1	3784.1	400	0	400
		संख्या	0	4	4	1	0	1
11.	गोवा	मे.वा.	0	0	0	0	0	0
		संख्या	0	0	0	0	0	0
12.	आंध्र प्रदेश	मे.वा.	271.0	3846	4117.4	0	0	0
		संख्या	2	8	10	0	0	0
13.	कर्नाटक	मे.वा.	90	2802.6	2892.6	0	800.1	800.1
		संख्या	1	5	6	0	4	4
14.	केरल	मे.वा.	160	1192.2	1352.2	0	128	128
		संख्या	1	2	3	0	1	1
15.	तमिलनाडु	मे.वा.	0	6285.5	6285.5	0	357.88	357.88
		संख्या	0	10	10	0	2	2
16.	पांडिचेरी	मे.वा.	0	32.5	32.5	0	0	0
		संख्या	0	1	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	बिहार	मे.वा.	0	240	240	0	1320	1320
		संख्या	0	1	1	0	1	1
18.	उड़ीसा	मे.वा.	0	3000	3000	150	0	150
		संख्या	0	3	3	1	0	1
19.	पश्चिम बंगाल	मे.वा.	125	1070	1195	0	0	0
		संख्या	1	3	4	0	0	0
20.	सिक्किम	मे.वा.	1200	0	1200	0	0	0
		संख्या	1	0	1	0	0	0
21.	डीवीसी	मे.वा.	0	0	0	0	0	0
		संख्या	0	0	0	0	0	0
22.	असम	मे.वा.	0	0	0	0	0	0
		संख्या	0	0	0	0	0	0
23.	अरुणाचल प्रदेश	मे.वा.	600	0	600	0	0	0
		संख्या	1	0	1	0	0	0
24.	मणिपुर	मे.वा.	90	36	126	0	0	0
		संख्या	1	1	2	0	0	0
25.	मिजोरम	मे.वा.	330	0	330	0	0	0
		संख्या	2	0	2	0	0	0
26.	मेघालय	मे.वा.	84	0	84	0	0	0
		संख्या	1	0	1	0	0	0
27.	त्रिपुरा	मे.वा.	0	0	0	0	0	0
		संख्या	0	0	0	0	0	0

सांख्यवाहिनी परियोजना

***691. डा. जसवंतसिंह यादव :**
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांख्यवाहिनी परियोजना को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कुल कितना निवेश किया गया है;

(घ) क्या उक्त परियोजना को समाप्त किए जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की आपत्तियां उठाने के क्या कारण हैं;

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (च) सांख्यवाहिनी परियोजना को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब तक इस परियोजना पर कोई निवेश नहीं किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नलिखित से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं:-

(1) आई यू नेट के चयन का आधार।

(2) फाइबर्स को लीज पर देने के संबंध में नीति।

(3) सीमा शुल्क छोड़ना।

(4) शेयर होल्डिंग पद्धति और आई यू नेट की परिसंपत्तियां।

(5) सी एम यू द्वारा आई यू नेट को किस सीमा तक वित्त पोषित किया जाए।

(6) कार्य क्षेत्र तथा कम्पनी का अनुभव।

(7) उपस्कर इत्यादि सप्लाई करने वाले की पहचान/चयन के लिए आई यू नेट द्वारा पालन की गई प्रक्रिया।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को यह तथ्य पर्याप्त रूप से बताए व समझाए जा चुके हैं। अपेक्षित सीमा तक इन्हें ज्वाइण्ट वेन्चर एग्रीमेंट के प्रारूप में शामिल किया गया है।

(छ) हालांकि सरकार ने सिद्धांत रूप में यह परियोजना अनुमोदित कर दी है, तथापि, दो प्रमुख संवर्द्धक कम्पनियों के बीच जे वी करार पर अभी हस्ताक्षर होने हैं।

न्यायालय की अवमानना संबंधी अधिनियम, 1971 की समीक्षा

*692. **श्री रामपाल सिंह :**
डा. अशोक पटेल :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में न्यायालयों की अवमानना के कितने मामले न्यायालय-वार लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार न्यायालय की अवमानना संबंधी अधिनियम, 1971 की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस अधिनियम के उपबंधों को और अधिक कठोर बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। प्रशासनिक विधियों की समीक्षा करने के लिए स्थापित पी.सी. जैन आयोग के सुझाव के अनुसरण में, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के विभिन्न उपबंधों की हाल ही में समीक्षा की गई थी और यह विनिश्चय किया गया था कि अभी 1971 के उक्त अधिनियम का संशोधन न किया जाए।

विवरण

न्यायालय अवमान के लंबित मामले

न्यायालय का नाम	निम्नलिखित तारीख को लंबित	ग्रहण किए गए मामले (फाइलों की वास्तविक संख्या)	नियमित मामले	योग
उच्चतम न्यायालय	1.5.2000	188	157	345

उच्च न्यायालय	निम्नलिखित को लंबित	सिविल	दांडिक	योग
1	2	3	4	5
1. इलाहाबाद	12/99	0	28827	28827
2. आन्ध्र प्रदेश	12/99	1680	0	1680

1		2	3	4	5
3.	बम्बई	12/99	219	76	295
4.	कलकत्ता	12/99	2581	0	2581
5.	दिल्ली	12/99	2209	186	2395
6.	गौहाटी	12/98	1778	22	1800
7.	गुजरात	12/98	0	3	3
8.	हिमाचल प्रदेश	12/99	33	1	34
9.	जम्मू-कश्मीर	12/99	3569	52	3621
10.	कर्नाटक	12/99	1411	0	1411
11.	केरल	12/99	210	0	210
12.	मध्य प्रदेश	12/99	689	36	725
13.	मद्रास	12/99	865	0	865
14.	उड़ीसा	12/99	2132	0	2132
15.	पटना	9/99	5426	60	5486
16.	पंजाब और हरियाणा	12/99	2478	50	2528
17.	राजस्थान	9/99	1113	25	1138
18.	सिक्किम	12/99	0	6	6
	कुल योग		26393	29344	55737

इन्टरनेट उद्योग

*693. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इन्टरनेट उद्योग के विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) ने देश के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट "नोड्स" उपलब्ध कराए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वीएसएनएल द्वारा देश में ऐसे और "नोड्स" उपलब्ध कराने हेतु एक विस्तार कार्यक्रम बनाया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) ये "नोड्स" कब तक वाणिज्यिक पट्टे पर उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (छ) सरकार ने देश में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लक्ष्य से एक अत्यंत उदार नीति शुरू की है। इंटरनेट नीति के अनुसार, आईएसपी लाइसेंसधारक को 5 वर्ष तक कोई लाइसेंस शुल्क नहीं देना है तथा 5 वर्ष के बाद उन्हें एक रुपया प्रति वर्ष का नाममात्र का शुल्क अदा करना होगा।

इंटरनेट नीति में इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा विदेश संचार निगम लि. पर निर्भर किए बिना नेटवर्कों को इंटरकनेक्ट करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय गैटवे स्थापित करने का प्रावधान है।

इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई.एस.पी.) नीति की प्रमुख विशेषताएं विवरण-I में दी गई हैं।

सरकार ने वर्ष 2000-2001 के बजट में इंटरनेट उद्योग के लिए करों में कुछ रियायतों की घोषणा भी की है। रूटर्स, एटीएम स्विचों तथा फ्रेम रिले स्विचों के आयात के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को बुनियादी शुल्कों पर 5% की दर से रियायत दी गई है, जो विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों के लिए लागू थी।

सरकार ने इंटरनेट उद्योग को तेज गति से विकास में सहायता करने और इंटरनेट संबंधी सरकारी नीतियों के अनुपूरक के तौर पर दूरसंचार सेवा विभाग के माध्यम से अनेक उपाय भी किए हैं। इन उपायों की प्रमुख विशिष्टताएं विवरण-II में दी गई हैं।

इस उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी वेधेयक पेश किए जाने की संभावना भी है।

विदेश संचार निगम लि. छः स्थानों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, पुणे तथा बंगलौर से इंटरनेट स्वाएं प्रदान कर रहा है। दूरसंचार सेवा विभाग 89 केन्द्रों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवा रहा है (मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार)।

देश में इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए विदेश संचार निगम लि. का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विवरण-I

इंटरनेट सेवा प्रदाता नीति की रूपरेखा

(क) 49 प्रतिशत की अधिकतम विदेशी इक्विटी रखने वाली कोई भी भारतीय कंपनी पात्र मानी जाएगी।

(ख) श्रेणी ''क'' सेवा क्षेत्र-पूरा भारत 1 श्रेणी ''ख'' सेवा क्षेत्र-20 क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किल, चार महानगर - दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई तथा चार बड़े टेलीफोन जिले - अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद और पुणे। श्रेणी ''ग'' सेवा क्षेत्र - 1.4.98 की स्थिति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र सहित दूरसंचार विभाग का कोई सैकेण्ड्री स्विचन क्षेत्र (एस.एस.ए.)।

(ग) आवेदक कंपनी को कितनी भी संख्या में लाइसेंस दिए जा सकते हैं और क्षेत्र विशेष में प्रदान किए गए लाइसेंसों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी।

(घ) लाइसेंस की अवधि 15 वर्ष है।

(ङ) 31.10.2003 तक लाइसेंस शुल्क माफ है और इसके बाद 1 रुपया प्रतिवर्ष लिया जाएगा।

(च) कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी ''क'' सेवा क्षेत्र के लिए 2 करोड़ रुपए, प्रत्येक श्रेणी ''ख'' सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रु. और प्रत्येक श्रेणी ''ग'' सेवा क्षेत्र के लिए 3 लाख रु.।

(छ) अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता-डी.ओ.टी., वी.एस.एन.एल. अथवा प्राधिकृत पब्लिक/सरकारी संगठनों के गेटवे के माध्यम से। प्राइवेट आई.एस.पी. को प्रतिभूति अनुमति (क्लीयरेंस) प्राप्त करने के बाद गेटवे स्थापित करने की अनुमति है। आई.एस.पी. विदेशी उपग्रहों से सीधे बैंडविड्थ ले सकते हैं जो भारत से समन्वित हैं।

(ज) पारेषण लिंकों की स्थापना - प्राइवेट आई.एस.पी., दूरसंचार विभाग, लाइसेंस शुदा बुनियादी सेवा प्रचालक, रेलवे, राज्य बिजली बोर्ड, राष्ट्रीय पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन आदि से पट्टे पर पारेषण लिंक प्राप्त कर सकता है। वे अपने उपभोक्ता की कॉलें शुरू करने तथा समाप्त करने संबंधी परियात ले जाने के लिए अपने सेवा क्षेत्र के भीतर अपना पारेषण लिंक भी स्थापित कर सकते हैं। बशर्ते कि ऐसी क्षमताएं प्राधिकृत एजेन्सियों के पास उपलब्ध न हों और दूरसंचार प्राधिकारी की अनुमति भी प्राप्त कर ली गई हो।

(झ) इंटरनेट पर टेलीफोनों की अनुमति नहीं है।

(ञ) आई.एस.पी. को अपना टैरिफ निर्धारित करने की छूट है। तथापि, टी.आर.ए.आई. किसी भी समय टैरिफ निर्धारित कर सकता है। जो लाइसेंसधारी के लिए बाध्यकारी होगा।

विवरण-II

देश में इंटरनेट के विकास के लिए दूरसंचार सेवा विभाग (डी.टी.एस.) द्वारा उठाए गए कदमों की प्रमुख विशेषताएं

* राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन (एन.आई.बी.)-इंटरनेट ट्रैफिक वहन करने के लिए डी.टी.एस. ने एक नेशनल इंटरनेट बैकबोन स्थापित करने की योजना बनाई है। इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में डी.टी.एस. के लिए मौजूदगी के बिन्दु स्थापित करने के अलावा इसका लक्ष्य इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सरल इंटरकनेक्ट पॉइन्ट प्रदान करना है। प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र में कम से कम एक इंटरनेट नोड स्थापित करने का प्रस्ताव है।

* इस समय इंटरनेट अभिगम्यता और सॉफ्टवेयर निर्यात के उद्देश्यों के लिए डी.टी.एस. द्वारा लीज्ड लाइनों पर वार्षिक लीज्ड लाइन किराए पर 20% रियायत की पेशकश की गई है।

* मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान/सरकारी संगठन/समाचार पत्र और न्यूज एजेंसियों को इस समय पोर्ट प्रभारों पर दूरसंचार सेवा विभाग द्वारा 50% रियायत दी जा रही है। 100% निर्यात अभिमुख यूनिट (जिनका वार्षिक निर्यात टर्न ओवर 1,00,000 यू.एस. डॉलर से अधिक है) साफ्टवेयर निर्यातकों को वार्षिक पोर्ट प्रभारों पर 20% रियायत मिल रही है।

* इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंसशुदा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (साथ ही वी.एस.एन.एल.) द्वारा अपेक्षित आधे टेलीफोन कनेक्शन, डी.टी.एस. द्वारा नॉन ओ.वाई.टी. श्रेणी में बिना-बारी आधार पर प्रदान किए जा सकते हैं ताकि आई.एस.पी. द्वारा मांग पर इंटरनेट डायल-ऑफ पोर्ट अपने डायल-आफ उपभोक्ता आधार के $^{1}/_{12}$ की सीमा तक प्रदान किए जा सकें।

* इंटरनेट पर स्टोर तथा फौरवर्ड सेवाएं (यथा वॉयल, डाटा, वीडियो इत्यादि) प्रदान करने की अनुमति डी.टी.एस. द्वारा दी गई है, बशर्ते डेस्टिनेशन पर पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पी.एस.टी.एन.)/इंटिग्रेटिड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क (आई.एस.डी.एन.) लाइनों/ई.आई.आर. 2 लिंक के माध्यम से कोई डायलिंग न की जाए और एक इंटरनेट नोड से दूसरे इंटरनेट नोड को सूचना, बिना पी.एस.टी.एन., आई.एस.डी.एन. के प्रयोग के भेजी जाए।

दूरसंचार विभाग के विस्तार के लिए धनराशि

***694. श्री यू.वी. कृष्णमराजू :**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग का 2000-2001 के दौरान नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तार कार्यक्रम के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऋण लेकर धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) बाण्ड जारी करके या किसी अन्य तरीके से बाजार से ऋण प्राप्त करने संबंधी तरीके का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 1998 में दूरसंचार विभाग ने नेटवर्क विस्तार सहित अपने पूरे पूंजी परिव्यय की व्यवस्था किसी प्रकार का बाहरी ऋण लिए बिना कर ली थी;

(ङ) यदि हां, तो 2000-2001 के दौरान विस्तार हेतु विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इस विस्तार कार्यक्रम का पर्यवेक्षण भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) से कराने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) संस्थापन व्यय में मितव्ययता लाने और अधिक राजस्व वसूली करने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) दूरसंचार सेवा विभाग (एमटीएनएल के अलावा) के 2000-2001 के योजना परिव्यय के लिए धन की व्यवस्था करने में संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए, 16000 करोड़ रु. के योजना परिव्यय में से, 2152 करोड़ रु. तक के बाजार ऋण (बांडों) की स्वीकृति प्रदान की गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में 66193 करोड़ रु. के अपेक्षित परिव्यय के वित्त पोषण में बाजार ऋण (बांड) का भाग 14304 करोड़ रु. होने की संभावना है। तथापि, यदि टैरिफ का और आगे पुनर्संतुलन किया जाता है तो ऋण घटक में और बढ़ोत्तरी हो सकती है।

ऋण लेने का कारण, विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजना के बढ़ते आकार के वित्त पोषण के लिए आंतरिक संसाधनों के सृजन में गिरावट आना है।

(ग) एमटीएनएल के माध्यम से बांड जारी करके ऋण लिया जाता है।

(घ) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान दूरसंचार विभाग द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया था।

(ङ) 16,000 करोड़ रु. के योजना परिव्यय के लिए वर्ष 2000-2001 के लिए निर्धारित मुख्य लक्ष्य निम्नांकित हैं:

1.	स्थानीय टेलीफोन प्रणाली	
	(1) निवल स्विचन क्षमता (लाइनें लाखों में)	67
	(2) डीईएल (लाइनें लाखों में)	53.50
2.	एलडी स्विचिंग प्रणाली टैक्स क्षमता (लाइनें लाखों में)	4
3.	एलडी संचारण प्रणाली	
	(1) माइक्रोवेव प्रणाली (रूट कि.मी.)	10,000
	(2) ओएफसी प्रणाली (रूट कि.मी.)	1,00,000
	(3) एमसीपीसी वी-सेट	164
	(4) आईडीआर	25
	(5) वीपीटी	1,00,000

(च) और (छ) टी.आर.ए.आई. की शक्तियां टैरिफ निर्धारण तथा विनियामक कार्यों तक सीमित हैं तथा दूरसंचार सेवा विभाग के कार्यक्रमों के विस्तार के निरीक्षण में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

(ज) दूरसंचार सेवा विभाग अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए निरन्तर अपने नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन कर रहा है। विस्तार की गति बढ़ रही है और चालू वर्ष के दौरान विभाग का 53.5 लाख वर्किंग लाइन लगाने, तथा साथ ही प्रणाली की क्षमता एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए एक्सेस तथा लंबी दूरी नेटवर्क को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है। अपने राजस्व में और अधिक बढ़ोत्तरी के लिए विभाग की योजना है कि उत्तरोत्तर रूप से इंटरनेट, सेल्यूलर मोबाइल सेवा आदि जैसी मूल्य वर्द्धित सेवाएं आरम्भ की जाएं। दूसरी ओर खर्च को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। वेतन तथा उत्पादों के लागत में हो रही लगातार वृद्धि के बावजूद पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रति लाइन अनुरक्षण व्यय को नियंत्रित रखा गया है। प्रति हजार लाइन पर उपलब्ध स्टाफ की संख्या को निरंतर कम किया जा रहा है जो 1992-93 के प्रति हजार लाइन पर लगभग 57 स्टाफ की तुलना में फिलहाल प्रति 1000 लाइन लगभग 20 है।

विद्युत क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) का पुनर्गठन

***695. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटिल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और भारतीय विद्युत ग्रिड निगम का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र के इन केन्द्रीय उपक्रमों की विनिवेश प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कोई परामर्शदात्री समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) सरकार को त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु सक्षम बनाने के लिए सरकार योजना में प्राप्त होने वाली संभावित निधियों को पूरा करने और विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र उपक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए संसाधन जुटाने हेतु विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। विनिवेश, निजीकरण आदि जैसे विभिन्न पहलुओं सहित विभिन्न सी.पी.एस.यूज. की वित्तीय शक्ति, को उदार बनाने की पद्धति के बारे में अंतिम निर्णय योजना आयोग तथा संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया जायेगा।

(ग) मेसर्स आई.सी.आई.सी.आई. एवं मैसर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस.बी.आई.) कैपिटल मार्केट्स को त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम में निवेश के लिए केन्द्रीय पीएसयूज के संसाधन उगाहने के विभिन्न विकल्प सुझाने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

(घ) और (ङ) आई.सी.आई.सी.आई. तथा एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विद्युत क्षेत्र सीपीएसयूज की वित्तीय इंजीनियरिंग/पुनर्गठन के विभिन्न विकल्पों का सुझाव दिया है:

(1) गंभीर आर्थिक स्थिति वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भारत सरकार का विनिवेशन।

(2) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की परिसम्पत्ति की बिक्री।

(3) विद्युत क्षेत्र केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में क्रास होल्डिंग।

(4) फ्रैगमेन्टेड कम्पोसिट्स का समेकन।

निगम क्षेत्र की मुकदमेबाजी हेतु विशेष न्यायालय

***696. श्री सुबोध मोहिते : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार का विचार देश में निगम क्षेत्र की मुकदमेबाजी से निपटने के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी विभिन्न न्यायालयों में राज्य-वार ऐसे कितने मामले लंबित हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष न्यायालय-वार कितने मामले निपटाए गए; और

(ङ) इन मामलों के जल्द निपटान हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों से संबंधित और उक्त न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान से संबंधित दो विवरण-I और II संलग्न हैं। अधीनस्थ/जिला न्यायालयों में निगम विषयक मामलों की जानकारी न्याय विभाग में नहीं रखी जाती है।

(ङ) सभी प्रकार के मामलों, जिनमें ऐसे मामले भी हैं जो दो या उससे अधिक निगमों के बीच मुकदमेबाजी से संबंधित हैं, का लंबित होना सरकार और न्यायपालिका, दोनों के लिए ही चिंता का विषय है। सरकार ने, मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करना, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में वृद्धि करना, माध्यस्थम् और सुलह जैसी विवाद समाधान की अन्य वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाना भी सम्मिलित है। विवादों के समाधान के लिए लोक अदालतों को एक अनुपूरक मंच के रूप में कानूनी आधार प्रदान किया गया है।

मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, मामलों का अधिक व्यावहारिक रूप से प्रवर्गीकरण और समूहन, दोषपूर्ण मामलों का संचय न होने देना, विशेषित न्यायपीठों की स्थापना करना, आदि सम्मिलित है।

विवरण-I

(क) नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालयों में लंबित कंपनी मामलों की संख्या

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	निम्नलिखित तारीख को लंबित	योग
1.	इलाहाबाद	31.12.99	304
2.	आन्ध्र प्रदेश	31.12.99	289
3.	बम्बई	31.12.99	2175
4.	कलकत्ता	31.12.99	559
5.	दिल्ली	31.12.99	9698
6.	गौहाटी	31.12.99	153
7.	गुजरात	31.12.99	1242
8.	हिमाचल प्रदेश	31.12.99	74
9.	जम्मू-कश्मीर	31.12.99	25
10.	कर्नाटक	31.12.99	4003
11.	केरल	31.12.99	513
12.	मध्य प्रदेश	31.12.99	267
13.	मद्रास	31.12.99	10149
14.	उड़ीसा	31 12.99	335
15.	पटना	30.09.99	74
16.	पंजाब और हरियाणा	31.12.99	394
17.	राजस्थान	30.09.99	396
18.	सिक्किम	31.12.99	0
	कुल योग		30,650

1.5.2000 को उच्चतम न्यायालय में निगम विषयक 258 (अर्थात् 40 ग्रहण किए गए मामले और 218 नियमित मामले) मामले लंबित हैं।

विवरण-II

वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाए गए कंपनी मामलों की संख्या

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	निम्नलिखित वर्ष के दौरान		
		1997	1998	1999
1.	इलाहाबाद	123	99	118
2.	आन्ध्र प्रदेश	387	1112	1071
3.	बम्बई	2157	2825	4566
4.	कलकत्ता	631	400	744
5.	दिल्ली	3068	3149	5764
6.	गौहाटी	55	38	लागू नहीं होता*
7.	गुजरात	626	649	लागू नहीं होता*
8.	हिमाचल प्रदेश	38	22	18
9.	जम्मू-कश्मीर	0	11	0
10.	कर्नाटक	649	595	958
11.	केरल	177	148	153
12.	मध्य प्रदेश	94	125	86
13.	मद्रास	4513	330	1352
14.	उड़ीसा	31	12	9
15.	पटना	105	21	11**
16.	पंजाब और हरियाणा	350	724	444
17.	राजस्थान	104	126	22
18.	सिक्किम	0	0	0
	कुल योग	13108	10386	15316

*जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

**सितंबर, 1999 तक की जानकारी प्राप्त हुई है।

उच्चतम न्यायालय (कंपनी विधि, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और सहबद्ध मामलों के प्रवर्गीकरण के अंतर्गत

वर्ष	ग्रहण किए गए मामले	नियमित मामले
1997	76	58
1998	120	5
1999	159	0

एस.टी.डी. के लिए नीलामी

***697. श्री जी.एस. बसवराज :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने एस.टी.डी.. क्षेत्र में अनुमति देने के लिए निजी कम्पनियों का चयन करने हेतु प्रवेश शुल्क के लिए नीलामी प्रक्रिया अपनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरसंचार विभाग ने अपनी सिफारिशें पुनर्गठित भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को भेजी हैं;

(ग) यदि हां, तो इसमें किए गए मुख्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के विचारार्थ भेजे गए प्रमुख प्रस्तावों में प्रचालन का सेवा क्षेत्र, प्रतिस्पर्धा का प्रकार, प्रवेश शुल्क तथा चयन के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया, राजस्व हिस्से के रूप में लाइसेंस शुल्क, आधारभूत सुविधाएं प्रदाता इत्यादि से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्तों का सम्मेलन

***698. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयुक्तों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्वाचन आयोग ने चुनाव कानूनों में और परिवर्तन लाने हेतु सरकार के पास कई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सम्मेलन में जिन मामलों की चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) निर्वाचन आयोग के विचारों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, हां। भारत के निर्वाचन आयुक्त द्वारा तारीख 18.4.2000 को राज्य निर्वाचन आयुक्तों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोज़ित किया गया था।

(ख) जी, नहीं। बैठक में हुए विचार-विमर्श के आधार पर, सरकार को अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया:-

(1) राज्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें;

(2) कार्यपालिका के हस्तक्षेप के प्रति निर्देश से राज्य निर्वाचन आयुक्तों के कृत्य;

(3) सामान्य निर्वाचक नामावली;

(4) निर्वाचक फोटो पहचानपत्रों का उपयोग;

(5) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोगों को निर्वाचन सामग्री, इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों को उधार देना;

(6) राजनीति का अपराधीकरण;

(7) निर्वाचन मशीनरी पर अनुशासनिक नियंत्रण; और

(8) राजनीतिक दलों और उनके प्रतीकों का रजिस्ट्रीकरण।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

'इंडियाज फारेस्ट बियॉण्ड 2000' संगोष्ठी

***699. श्री नरेश पुगलिया :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में "इंडियाज फारेस्ट बियॉण्ड 2000" पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो संगोष्ठी में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और उसमें किन-किन लोगों ने भाग लिया;

(ग) क्या सरकार द्वारा भू-भाग का 33 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत लाने का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) 19 से 21 अप्रैल, 2000 के दौरान "2000 के बाद भारत के वन पर सेमिनार" योजना आयोग द्वारा प्रायोजित और अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग, यू.के. और फोर्ड फाउन्डेशन की सहायता प्राप्त कॉमनवेल्थ वानिकी संघ, भारत और भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित किया गया। इस सेमिनार में निम्नलिखित मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ:

(1) वन नीति विकल्प

(2) प्रबंध विकल्प

(3) अन्तर्राष्ट्रीय कार्य सूची

(4) संस्थानात्मक तंत्र

(5) अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क

इस सेमिनार में भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों, शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रेस और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और कॉमनवेल्थ वानिकी संघ के 171 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस सेमिनार की सिफारिशों को विवरण के रूप में संलग्न किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह परिकल्पना की गई है कि राष्ट्रीय लक्ष्य देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम एक तिहाई क्षेत्र वन अथवा वृक्षावरण के अन्तर्गत लाने का होना चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई वन स्थिति रिपोर्ट, 1997 के अनुसार देश का कुल वनावरण 63.64 मिलियन हेक्टेयर (कुल भूमि का 19.27 प्रतिशत) है। इसके अलावा यह अनुमान भी लगाया गया है कि देश में निजी भूमियों पर वृक्षावरण लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर है। इससे ज्ञात होता है कि कुल वन और वृक्षावरण देश की कुल भूमि में से 24.13 प्रतिशत भूमि पर है। एक तिहाई क्षेत्र को वन और वृक्षावरण के अन्तर्गत लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य संसाधन उपलब्ध न होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार ने वनों के सतत विकास और देश के एक तिहाई क्षेत्र को वन और वृक्षावरण के अन्तर्गत लाने के लिए 20 वर्षीय व्यापक राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम योजना तैयार की है। इस प्रयोजन के लिए बीस वर्षों में अनुमानत: 133902.78 करोड़ रुपए की कुल धनराशि की आवश्यकता होगी।

विवरण

वर्ष 2000 के बाद भारत के वन

"वर्ष 2000 के बाद भारत के वन" विषय पर कॉमनवैल्थ फॉरेस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और इंडियन कौंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजूकेशन सेमिनार में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडल ने नई सहस्राब्दी में भारत में वानिकी हेतु एक "दृष्टिकोण" (विजन) देने के क्रम में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

तकनीकी सत्र-1 (वन नीति विकल्प)

सिफारिश-1

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समग्र राष्ट्रीय विकास आयोजना प्रक्रिया के लिए विभिन्न क्षेत्रों की नीतियों के बीच तालमेल होना चाहिए;

यह सिफारिश की गई है कि लैंगिक रूप संवेदनशीलता, सतत वन एवं वृक्ष प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आजीविका के संरक्षण और उसकी सहायता का कार्य साथ-साथ और समान रूप से किया जाना चाहिए।

सिफारिश-2

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्रीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स में वनों के योगदान को और अधिक बढ़ाने और उसे प्रचारित करने की आवश्यकता है;

यह सिफारिश की गई है कि राष्ट्रीय वन संसाधन लेखाकरण को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भीतर संस्थाकृत किया जाना चाहिए।

सिफारिश-3

देश के वनों का बेहतर और सतत रूप से प्रबंधन और विकास करने के प्रयोजन से लोगों की व्यापक भागीदारी की आवश्यकता को पूरा करने की बात को ध्यान में रखकर;

यह सिफारिश की गई है कि सतत वन प्रबंधन और उसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए समुदायों, व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, सी.बी.ओ., पंचायतों और कार्पोरेट सैक्टर को आगे लाने और इन्हें वन सेवा प्रबंधन के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सिफारिश-4

राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस नीति के लक्ष्यों की व्यवहार्यता की जांच की आवश्यकता पर विचार करते हुए।

सिफारिश की गई है कि निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ केन्द्रीय वानिकी आयोग को फिर से लागू किया जाए और उसे मजबूत बनाया जाए:

* राष्ट्रीय वन नीति में निर्धारित किए गए वन/वन आवरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यवहार्यता की जांच करना।
* वन/वन आवरण के प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के लिए नीति का विकास करना।
* वानिकी क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट नीति तैयार की जानी चाहिए।

सिफारिश-5

वन पर निर्भर लोगों के हित के लिए वनों की उत्पादक संभावना को मान्यता प्रदान करते हुए;

यह सिफारिश की गई है कि जहां कहीं वन वृक्ष विज्ञान की दृष्टि से संभव हो, वन उत्पादन का उद्देश्य वनों पर निर्भर लोगों के श्रेष्ठ हित के लिए वस्तुओं और सेवाओं का अधिकतम उत्पादन किया जाना चाहिए, और वानिकी क्षेत्र विकास के लिए संसाधन प्रवाह को बढ़ाने के लिए अधिशेष राजस्व का उपयोग किया जाना चाहिए।

तकनीकी सत्र-II (प्रबंधन विकल्प)

सिफारिश-6

यह मानते हुए कि देश में वन क्षेत्रों से बाहर वन सम्पदा एवं वन रोपण के लिए उपयुक्त संभावित क्षेत्र और वनों के विस्तार से संबंधित विश्वसनीय आंकड़ा तत्काल उपलब्ध नहीं है;

यह सिफारिश की गई कि संसाधन प्रबंधन हेतु अनुकूल आयोजना में सुधार करने के लिए वन और वृक्ष संसाधनों से संबंधित आंकड़ा का संवर्धन किया जाए और सभी स्टेकहोल्डरों को वर्तमान और प्राप्त की गई गई जानकारी सुगम कराई जाए।

सिफारिश-7

यह स्वीकार करते हुए कि राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (एन.एफ.ए.पी.) में इस क्षेत्र के प्रबंधन उद्देश्यों का निर्धारण, प्राथमिकीकरण और प्रकाशन दिया गया;

यह सिफारिश की गई कि राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (एन.एफ.ए.पी.) के विस्तृत उपबंधों की तर्ज पर इन उद्देश्यों को भी समयबद्ध आधार पर कार्यान्वित किया जाए।

सिफारिश-8

स्थानीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-वन भूमियों पर वृक्षों और काष्ठभूमियों की संभावना और भारत में वनों के अल्प उत्पादकतन स्तरों को पहचानते हुए;

सिफारिश की गई है कि अनुसंधान संस्थान, संसाधन मूल्यांकन, योजना, प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के नए परिवर्तनों का विकास करें और वनों की उत्पादकता और गैर-वन भूमियों पर वृक्षारोपण को बढ़ाएं।

तकनीकी सत्र-II (अन्तर्राष्ट्रीय कार्य सूची)

सिफारिश-9

अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में वानिकी की विश्व एवं राष्ट्रीय भूमिकाओं पर प्रचुर ध्यान दिए जाने को मान्यता देते हुए;

निम्नलिखित विचारार्थ विषयों सहित अंतर्राष्ट्रीय वानिकी मामलों पर मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य बल का गठन करने की सिफारिश करता है:

* समग्र राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्टेकहोल्डरों से विस्तार से विचार-विमर्श करना और वानिकी से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय अभिमत तैयार करना।
* राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बीच एकरूपता लाने के लिए एक कार्यनीति तैयार करना।
* सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट देना कि भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्पष्ट रूप से समझी एवं प्रस्तुत की जाए और नए अंतर्राष्ट्रीय विकासों, करारों एवं सम्मेलनों से आर्थिक एवं अन्य अवसरों के लिए व्यवस्थापूर्ण तरीके से जोर डालने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की सिफारिश करें।

सिफारिश-10

मान्यता देते हुए कि घटती हुई विदेशी सहायता सहित, प्रमुखत: यह देश की जिम्मेदारी है कि वह अपने वन संसाधनों का प्रबंधन करे।

सिफारिश करता है कि वानिकी कार्यक्रमों के अंतर्गत धन देना सतत मूल घरेलू सहायता के लिए एक स्थानापन्न न बन जाए और यह कि यह राष्ट्रीय योजना आबंटन के लिए एक अतिरिक्तता बने।

तकनीकी सत्र-IV (संस्थानात्मक तंत्र)

सिफारिश-11

वन क्षेत्र के सतत विकास एवं वृद्धि की अत्यधिक आवश्यकता को मान्यता देते हुए;

यह सिफारिश की गई कि वन प्रबंधन से संभावित राजस्व प्रवाह और संस्थागत संरचना का पूर्ण रूप से मूल्यांकन किया जाए और विभिन्न स्टाकहोल्डरों को सम्मिलित करते हुए उपयुक्त सक्षम विधि समस्त आधारभूत ढांचा विकसित किया जाए। इस प्रक्रिया के लिए एक अन्तर्विध कार्यबल पर विचार किया जा सकता है।

तकनीकी सत्र-V (अंतर्क्षेत्रीय संपर्क)

सिफारिश-12

यह स्वीकार करते हुए कि वनों, भूमियों और जल संसाधनों के समग्र प्रबंधन के लिए वन क्षेत्र के अतिरिक्त कई क्षेत्रों के समन्वय की आवश्यकता है, यदि सिविल सोसाइटी के हितों के लिए इन संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को अनुकूल बनाया जाना है।

यह सिफारिश की गई कि केन्द्रीय रूप से सभी स्तरों पर समन्वय के लिए उपयुक्त कार्यपद्धतियां विकसित की जाएं और यह कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेषकर सीमाशुल्क, मूल्य निर्धारण, वित्तीय लिखत, बाजार के उतार-चढ़ाव और अंतर्राज्यीय व्यापार में सामंजस्य स्थापित किया जाए।

सर्किलस्टाम्प डिपो

*700. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री रघुनाथ झा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1995-97 के दौरान विभिन्न सर्किल स्टाम्प डिपो (सी.एस.डी.) ने डाक-लेखन सामग्री के लिए सरकारी मुद्रकों की अपेक्षा प्राइवेट मुद्रकों के पास अधिक मात्रा में मांग भेजी और अपनी आवश्यकता से अधिक इनकी आपूर्ति प्राप्त की;

(ख) यदि हां, तो प्राइवेट मुद्रकों के पास अधिक संख्या में मांग भेजने के क्या कारण हैं;

(ग) सर्किल स्टाम्प डिपो में डाक संबंधी लेखन सामग्री की आमतौर पर मांग कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मुद्रणालयवार और मदवार सरकारी और प्राइवेट मुद्रणालयों को दिए गए, क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी नहीं। यह कहना सही नहीं है कि विभिन्न सर्किल स्टैंप डिपुओं ने विभिन्न डाक लेखन-सामग्री के लिए सरकारी मुद्रकों की अपेक्षा निजी मुद्रकों के पास अधिक मात्रा में मांग भेजी तथा वर्ष 1995-97 के दौरान अपनी आवश्यकता से अधिक आपूर्ति प्राप्त की।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी सर्किल स्टैंप डिपो में डाक लेखन-सामग्री की सामान्य मात्रा इतनी रखी जाती है जो किसी मद विशेष की खपत को देखते हुए 120 दिन तक चल सके। पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में केवल 3 फ्लैप वाले अंतर्देशीय पत्र-कार्डों को छोड़कर, जोकि सरकारी मुद्रणालयों द्वारा मुद्रित नहीं किए जाते, डाक लेखन-सामग्री की अन्य सभी मदों के लिए आदेश केवल सरकारी मुद्रणालयों को ही दिए गए। सरकारी मुद्रणालयों द्वारा छापे जाने वाले एक-फ्लैप के अंतर्देशीय पत्र-कार्ड मशीन द्वारा छांटे जाने योग्य नहीं हैं तथा सरकारी मुद्रणालयों को अपेक्षित उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए कहा गया है। अंतर्देशीय पत्र-कार्डों की कुल आवश्यकता में से निजी मुद्रकों को दिए गए मुद्रण आदेश निम्नानुसार हैं:-

1997-98	कुल आवश्यकता का	34.07 प्रतिशत
1998-99	कुल आवश्यकता का	26.24 प्रतिशत
1999-2000	कुल आवश्यकता का	7.93 प्रतिशत

पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी तथा निजी मुद्रकों को दिए गए मुद्रण-आदेशों का प्रेसवार तथा मदवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सरकारी तथा निजी मुद्रणालयों को दिए गए आदेशों का सार

(लाख मदों में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रभार	मुद्रणालय	एकल पोस्टकार्ड	जवाबी पोस्टकार्ड	प्रतियोगिता पोस्टकार्ड	अंतर्देशीय पोस्टकार्ड	उत्कीर्ण लिफाफे	विदेश एयरोग्राम	पंजीकृत लिफाफे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1997-98	सरकारी मुद्रणालय	भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक	4670.37	638.20	131.32	1734.12	1902.12	146.2	271.92
			सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद	3896.52	-	-	3472.40	1529.00	-	-
		निजी मुद्रणालय	मद्रास सिक्यूरिटी प्रिंटर्स, चेन्नई	-	-	-	1347.60	-	-	-
			कलकत्ता सिक्यूरिटी प्रिंटर्स, कानपुर	-	-	-	1343.11	-	-	-
2.	1998-99	सरकारी मुद्रणालय	भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक	1270.29	457.14	0.64	1035.20	1128.82	286.47	249.44
			सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद	2428.00	-	-	2900.00	770.00	-	-
		निजी मुद्रणालय	कलकत्ता सिक्यूरिटी प्रिंटर्स लि., कानपुर	-	-	-	700.00	-	-	-
			मद्रास सिक्यूरिटी प्रिंटर्स, चेन्नई	-	-	-	700.00	-	-	-
3.	1999-2000	सरकारी मुद्रणालय	भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक	2672.55	230.00	0.60	1638.01	1035.64	254.63	254.90
			सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद	2404.00	-	-	1626.20	134.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		निजी मुद्रणालय	कलकत्ता सिक्यूरिटी प्रिंटर्स लि., कानपुर	-	-	-	140.56	-	-	-
			मद्रास सिक्यूरिटी प्रिंटर्स चेन्नई	-	-	-	140.56	-	-	-

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 में अंतर्देशीय पत्र-कार्ड

वर्ष	कुल आपूर्ति (लाख मदों में)	(%)	सरकारी मुद्रणालयों द्वारा आपूर्ति* (लाख मदों में)	(%)	निजी मुद्रणालयों द्वारा आपूर्ति** (लाख मदों में)	(%)
1997-98	7897.23	(100)	5206.52	(65.93)	2690.71	(34.07)
1998-99	5335.20	(100)	3935.20	(73.76)	1400.00	(26.24)
1999-2000	3545.33	(100)	3264.21	(92.07)	281.12	(7.93)

*केवल दो फ्लैप वाले
**केवल तीन फ्लैप वाले

एनटीपीसी से बिजली की खरीद

7413. श्री टी. गोविन्दन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार की ओर से केरल में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कायमकुलम स्थित स्टेशन से बिजली के खरीद मूल्य को दक्षिण क्षेत्र के सभी केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों के बिजली मूल्य के समान बनाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विभिन्न विद्युत केन्द्रों के लिए टैरिफ को समान बनाने का केरल सरकार का सुझाव इस समय व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि कायमकुलम केन्द्र को उसके अनुरोध पर केरल को सौंप दिया गया है। इस केन्द्र से सम्पूर्ण विद्युत के लिए विद्युत क्रय करार पर भी केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। यह केन्द्र जो नापथा पर आधारित है, जब आयोजित किया गया था तो काफी युक्तिसंगत लागत पर निर्धारित था। इस समय नापथा की उच्च लागत को देखते हुए कोई अन्य राज्य विद्युत की खरीद के लिए इच्छुक नहीं है।

पंजाब तेल शोधक कारखाने को मंजूरी

7414. श्री भान सिंह भौरा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब में एक तेल शोधक कारखाने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। पंजाब में एक तेल शोधक कारखाने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को 6 नवम्बर, 1998 में पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान कर दी गई थी।

तमिलनाडु में रसोई गैस कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

7415. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में रसोई गैस कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिले-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा प्रतीक्षारत आवेदकों को कनेक्शन प्रदान करने हेतु क्या रणनीति अपनाई गई है;

(ग) राज्य में रसोई गैस की जिले-वार कितनी एजेन्सियां कार्यरत हैं तथा उनमें से प्रत्येक एजेन्सी के पास रसोई गैस कनेक्शन का कितना कोटा है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रतीक्षारत व्यक्तियों को रसोई गैस कनेक्शन कब तक प्रदान कर देने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1 जनवरी, 2000 को तमिलनाडु राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची पर लोगों की संख्या लगभग 14.25 लाख थी।

(ख) से (घ) 1 अप्रैल, 2000 को तमिलनाडु राज्य में प्रचालन कर रहे एल पी जी वितरकों की कुल संख्या 450 थी। नए एल पी जी कनेक्शन एल पी जी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, वितरकों के पास उपलब्ध बकाया एवं उनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए देश भर में एक चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं। तथापि, सरकार की 1 दिसम्बर, 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत समस्त प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए वर्ष 2000 के दौरान लगभग 1 करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की एक योजना है।

[हिन्दी]

गुजरात में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं

7416. श्री मानसिंह पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित पर्यावरण संबंधी कितनी परियोजनाएं आरंभ की गई हैं;

(ख) अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी सहायता दी गई; और

(ग) निकट भविष्य में राज्य में आरंभ की जाने वाली इस प्रकार की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित पर्यावरणीय योजनाओं का विवरण और अब तक की उपलब्धियों का विवरण और उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई वित्तीय सहायता का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) राज्य में उन सभी चल रही स्कीमों को जारी रखा जाएगा जिनके लिए राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्ताव मांगे गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	1997-98 से 1999-2000 तक के दौरान मिली उपलब्धियां	
		वित्तीय (लाख रुपए)	वास्तविक
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	300.00	कार्य निष्पादन पर 220 लाख रुपए खर्च हुए।
2.	राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के आसपास पारिस्थितिकीय विकास	521.00	
3.	एकीकृत वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास परियोजना	108.57	990 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

1	2	3	4
4.	क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी चारा परियोजना	505.53	7860 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।
5.	गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद	232.99	1045 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।
6.	वृक्ष चरागाह और बीज विकास स्कीम	27.86	–
7.	राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों का विकास	52.91	–
8.	आधुनिक दावानल शमन प्रणाली	80.78	–
9.	वनस्पति उद्यानों को सहायता	6.50	–

[अनुवाद]

मूल्यवर्द्धित दूरसंचार सेवाएं

7417. श्री साहिब सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ई-मेल, इन्टरनेट, वीडियो कानफ्रेंसिंग, रेडियो पेजिंग, आदि जैसी मूल्य-वर्द्धित सेवाएं शुरू करने वाले दूरसंचार सर्किलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश के सभी दूरसंचार सर्किलों में इन सेवाओं की शुरुआत के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) ऐसे दूरसंचार सर्किलों/महानगरीय जिलों/एमटीएनएल की सूची विवरण में दी गई है जिन्होंने इंटेलीजेंट नेटवर्क (आई एन), इंटरनेट और इंटीग्रेटेड डिजीटल सेवा नेटवर्क (आईएसडीएन) प्रारंभ की है। इंटरनेट और आईएसडीएन क्रमशः ई-मेल और वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए प्रयोग की जा सकती है। पेजिंग सेवाएं निजी प्रचालकों द्वारा प्रदान की जा रही है न कि दूरसंचार सेवा विभाग द्वारा।

(ख) चालू वित्त वर्ष (2000-2001) के दौरान अंडमान तथा निकोबार दूरसंचार सर्किल में आईएन और आईएसडीएन सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

विवरण

दूरसंचार सर्किलों की स्थिति

क्र.सं.	सर्किलों/महानगरीय जिलों/एमटीएनएल के नाम	उपलब्धता की स्थिति		
		इंटरनेट	इन	आईएसडीएन
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2.	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
3.	असम	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
4.	बिहार	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
5.	गुजरात	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
6.	हरियाणा	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
7.	हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध

1	2	3	4	5
8.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
9.	कर्नाटक	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
10.	केरल	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
11.	मध्य प्रदेश	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
12.	महाराष्ट्र	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
13.	उत्तर पूर्व	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
14.	उड़ीसा	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
15.	पंजाब	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
16.	राजस्थान	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
17.	तमिलनाडु	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
20.	पश्चिम बंगाल	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
21.	कलकत्ता टेलीफोन्स	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
22.	चेन्नै टेलीफोन्स	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
23.	एमटीएनएल दिल्ली	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
24.	एमटीएनएल मुंबई	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध

तेलशोधक कारखानों को घाटा

7418. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने तेलशोधक कारखानों में आग लगी और उन्हें कितना घाटा उठाना पड़ा;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खुले या बंद हुए तेलशोधक कारखानों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं से तेल शोधक कारखानों को बचाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) विशाख रिफाइनरी में 14 सितम्बर, 1997 को अग्नि दुर्घटना हुई थी जिसके कारण 72 करोड़ रुपये की हानि तथा 14 सितम्बर, 1997 से 15 फरवरी, 1998 तक रिफाइनरी बन्द रही थी। तथापि, विगत 3 वर्षों में रिफाइनरियों की कुछ एक इकाइयों में अग्नि की दुर्घटनायें हुई हैं।

(ग) सभी अग्नि दुर्घटनाओं की बहुविध दलों द्वारा जांच पड़ताल की जाती है तथा यथा संस्तुत उपचारी उपाय एक समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किये जाते हैं।

निर्धारित तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ आई एस डी) मानकों के अनुसार संयंत्र एवं प्रचालन कार्मिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किये जाते हैं।

तेलशोधक कारखानों का उन्नथन

7419. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंधक रहित ईंधन उत्पन्न करने के लिए तेलशोधक कारखानों को उच्चीकृत करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) समूचे देश में गंधक रहित ईंधन कब तक उपलब्ध हो जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) नौ रिफाइनरियों ने 1.0 प्रतिशत अधिकतम से 0.25 प्रतिशत अधिकतम गंधक मात्रा तक डीजल ईंधन के डीसल्फराइजेशन के लिए डीजल हाइड्रो डीसल्फराइजेशन (डी एच डी एस) की सुविधाएं स्थापित की हैं।

पेट्रोल में गंधक की मात्रा भी बी आई एस 2000 ईंधन विनिर्देशों के अनुसार 1.4.2000 से 0.2 प्रतिशत से कम करके 0.1 प्रतिशत तक कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1.4.2000 से उद्योग सभी श्रेणियों के पेट्रोल वाहनों के लिए 0.05 प्रतिशत अधिकतम गंधक वले पेट्रोल और सभी नए गैर-वाणिज्यिक डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 0.5 प्रतिशत अधिकतम गंधक डीजल की आपूर्ति कर रहा है।

(ख) 0.25 प्रतिशत अधिकतम गंधक वाला डीजल और 0.1 प्रतिशत अधिकतम गंधक वाला पेट्रोल पूरे देश में क्रमश: 1.1.2000 और 1.4.2000 से उपलब्ध है।

उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम कारीडोर-राजमार्ग के लिए बांड

7420. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री के उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर-राजमार्ग के प्रस्ताव के वित्त पोषण हेतु धन उगाहने के लिए बांड जारी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना हेतु कुल धनराशि की आवश्यकता के संबंध में मूल्यांकन किया है; और

(ग) इस परियोजना का कार्य तब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 54,000 करोड़ रु. की राशि अपेक्षित है।

(ग) इस परियोजना को 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति

7421. श्री अमर राय प्रधान: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्ष-वार उनके मंत्रालय के अधीन विभागों/स्वायत्त निकायों और अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने लोगों को नौकरियां दी गईं;

(ख) 31 मार्च, 2000 की तिथि के अनुसार प्रत्येक उक्त कार्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने पद रिक्त पड़े हैं, और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन पंजीकरण शुल्क

7422. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंजीकरण शुल्क, टेलीफोन कॉल शुल्क और किराए को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपने टैरिफ आदेश 1999 में टेलीफोन कॉल प्रभार तथा किराए की टैरिफों में काफी वृद्धि की अधिसूचना जारी करने के बावजूद भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टैरिफ में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की है। इसके अलावा सरकार ने फील्ड यूनिटों को यह छूट दी है कि वे ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में त्यौहारों के अवसर पर किसी विशेष अवसर पर प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर नॉन-ओवाईटी टेलीफोन के पंजीकरण शुल्क में 50% तक की रियायत दे सकते हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:

* सभी ग्रामीण एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया है।
* एसटीडी सेवाओं में सुधार लाने के लिए उत्तरोत्तर रूप से विश्वसनीय पारेषण मीडिया प्रदान किया जा रहा है।
* सभी गांवों में सन् 2002 तक दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी।
* ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की छुट-पुट मांग को पूरा करने तथा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए डब्ल्यूआईएमएल तथा सी-डॉट/पीएमपी जैसी नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत की जा रही है। देश के दूरदराज तथा दुर्गम क्षेत्रों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए उपग्रह आधारित प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

बिहार में एबीएल विद्युत परियोजनाओं को चालू हालत में रखना

7423. श्री सुनील खां: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए.बी.एल., दुर्गापुर में कोई कार्य आदेश नहीं है तथा यह बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त कंपनी को चालू हालत में रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार कंपनी के कार्यालय को कलकत्ता से कहीं और स्थानांतरित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) मैसर्स एबीबी-एबीएल लि. के प्रवर्तकों ने सूचित किया है कि विगत में उनके स्वामित्व वाली बॉयलर उत्पादक दोनों यूनिटों में कोई कार्यभार नहीं रहा है, इसमें पश्चिम बंगाल में स्थित दुर्गापुर फैक्टरी भी शामिल है। प्रवर्तकों ने भी बताया है कि कम कार्यभार वाली स्थिति के परिणामस्वरूप यदि उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए तो कम्पनी के रुग्ण होने की संभावना है।

(ख) और (ग) वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में जहां तक आर्डर दिए जाने का संबंध है तो यह केन्द्र सरकार के लिए संभव है और वांछनीय नहीं कि वह किसी अन्य की तुलना में एबीबी-एबीएल लि. को ठेके देने के बारे में किसी परियोजना विकासक से कहे। इस प्रकार एबीबी-एबीएल, किसी अन्य निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता को समान भूमि पर अन्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। कम्पनी से पावर फाइनेंस कार्पोरेशन से फंडिंग से ताप विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध व्यापक अवसरों का पता लगाने की सलाह दी गई है। विद्युत केन्द्र में सुधार से नये निवेशों को गति प्राप्त हो रही है व कुशल उपकरण उत्पादक के लिए लाभकारी अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति

7424. श्री सनत कुमार मंडल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति कितनी थी;

(ख) क्या राज्य में रसोई गैस के सिलिंडरों की आपूर्ति में कोई कमी रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में इस कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों द्वारा पी जी की बिक्री निम्नानुसार है:

वर्ष	एल पी जी बिक्री टी एम टी में
1997-98	242.5
1998-99	272.7

(ख) से (घ) वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के यहां सूचीबद्ध एल पी जी ग्राहकों की मांग कमोबेश पूर्णतया पूरी की जा रही है। तथापि, जब कभी भी बैकलाग उत्पादन होता है तब सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कम्पनियां प्रभावित बाजारों में मांग को पूरा करने के लिए आयात के इष्टतमीकरण भरण संयंत्रों को बढ़ाए हुए घंटों/रविवारों तथा अवकाश के दिनों आदि प्रचलित करने सहित विभिन्न उपाय करती हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल राज्य में कोई एल पी जी बैकलाग नहीं है।

[हिन्दी]

दरभंगा, बिहार में पंचायतों को रसोई गैस की आपूर्ति

7425. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के दरभंगा जिले की किन-किन पंचायतों को रसोई गैस की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) ऐसे कितने गांव हैं जो मुख्य सड़क से 100 से 500 गज की दूरी पर स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इन गांवों में घर पर ही रसोई गैस-सिलिण्डर पहुंचाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान दरभंगा में कितनी रसोई गैस एजेंसियां खोलने का प्रस्ताव है और उन्हें किन-किन स्थानों पर खोला जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) वर्तमान निर्देशों के तहत एल पी जी वितरक अपने प्राधिकृत प्रचालन क्षेत्र में एल पी जी की आपूर्ति करते हैं तथा बिहार राज्य में दरभंगा जिले में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के सभी चार विद्यमान एल पी जी वितरक दरभंगा नगरपालिका सीमा के अंतर्गत प्रचालन कर रहे हैं।

(ङ) बिहार राज्य के दरभंगा जिले में 3 स्थानों अर्थात् लहरिया सराय, जाले तथा ररही की पहचान नई एल पी जी एजेंसियां स्थापित करने के लिए की गई है।

बरौनी तेलशोधक कारखाना

7426. श्री राजो सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बरौनी तेल शोधक कारखाने के विकास और विस्तार के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या आबंटित धनराशि का उपयोग पूर्णरूपेण कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बरौनी रिफाइनरी के विकास तथा विस्वार के लिए कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की है। तथापि इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) ने बरौनी रिफाइनरी के विकास तथा विस्तार के लिए 1997-98 से 1999-2000 के दौरान अपनी निधियों से 262.89 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस फील्ड में नई प्रयोगशालाओं और पायलट संयंत्रों की स्थापना

7427. श्री तूफानी सरोज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में नई प्रयोगशालाओं और नए प्रायोगिक संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु स्थानों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी), गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) तथा बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बी आर पी एल) ने निम्नानुसार नई प्रयोगशालाएं/ पायलट संयंत्र स्थापित करने की योजनाएं बनाई हैं:

ओ एन जी सी: हाइड्रोकार्बनों की मौजूदगी के उन्नयन अनुमान की आशा में हाइड्रोकार्बन माइग्रेशन माडलिंग के लिए इसके केडीएमआईपीए, देहरादून पर एक नया कार्य स्टेशन तथा पायलट स्केल पर गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में वर्धित तेल निकासी पद्धतियां लागू करना।

गेल: नौएडा, उत्तर प्रदेश में गैस पाइपलाइन प्रणालियों, प्राकृतिक गैस उपयोग व प्राकृतिक गैस परिवर्तन के लिए नई प्रयोगशालाएं।

बी आर पी एल: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून के तकनीकी सहयोग से अल्फा ओलेफीन के निर्माण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए धालीगांव, असम में एक पायलट संयंत्र।

[अनुवाद]

मुस्लिम महिलाओं के तलाक हेतु 'तलाक' शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध

7428. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि वह इस समुदाय में 'तलाक' शब्द बोलकर मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने की प्रथा को बंद करवाये;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की मुस्लिम महिलाओं ने भी इस प्रथा को बंद करवाने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने, केन्द्रीय सरकार को मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा की जानकारी दी है, जिन्हें तीन बार तात्क्षणिक मौखिक "तलाक-तलाक-तलाक" जैसी मर्माहत मनोदशा से गुजरना पड़ता है। जहां तक संभव है केन्द्रीय सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की स्वीय विधि में तब तक दखल नहीं देती जब तक कि संबद्ध समुदाय व्यापक बहुमत से ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक पहल करने हेतु आगे नहीं आता है।

जल-आपूर्ति हेतु पाइपलाइन के लिए स्वीकृति

7429. श्री चिंतामन वनगा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोका कोला ग्रुप प्रोजेक्ट को जल-आपूर्ति के लिए वन भूमि से होकर गुजरने वाली नई भूमिगत पाइपलाइन बिछाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी ने केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पाइपलाइन बिछाने का कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी हां।

(ख) इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत फरवरी, 2000 में महाराष्ट्र सरकार से वैतरणी नदी वाया भिवन्डी रोड से हिन्दुस्तान कोकाकोला बाटलिंग यूनिट जिला ठाणे में भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के 0.304 हैक्टेयर वन भूमि के प्रयोग का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। यह प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 25.2.2000 को अनुमोदन कर दिया गया था।

(ग) प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का किसी प्रकार का उल्लंघन शामिल नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण

7430. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश में विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार कितनी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है/अस्वीकृत कर दी गयी है/लंबित पड़ी है;

(घ) इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) द्वारा लंबित परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी, हाँ। वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में निजी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने 23 कम्पनियों को 5254 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है। ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) आईडीबीआई ने अपने अस्तित्व में आने से 31 मार्च, 2000 तक 50 कम्पनियों को 17,186 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है, जबकि 12 प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया था। 31 मार्च, 2000 की स्थितिनुसार आईडीबीआई के पास कुल 4987 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए 3 आवेदन पत्र लम्बित थे जिसमें से 700 करोड़ रुपए की सहायता अप्रैल, 2000 में एक परियोजना को स्वीकृत की गई थी। शेष दो आवेदन पत्रों पर आईडीबीआई द्वारा विचार कम्पनियों द्वारा विभिन्न मुख्य व्यवस्थाओं/संविदाओं जैसे ईंधन आपूर्ति, एस्क्रो, विद्युत खरीद समझौता, सुरक्षा पैकेज, लाईसेंस नवीनीकरण को अंतिम रूप प्रदान करने के बाद किया जायेगा।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान आईडीबीआई द्वारा विद्युत परियोजनाओं को सहायता

क्र.सं.	कम्पनी का नाम/राज्य	क्षमता (मेगावाट)	स्वीकृत सहायता	
			सहायता की प्रकृति	राशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	एनसीसी पावर कारपोरेशन लि., आंध्र प्रदेश	232	आरटीएल	57
			एफसीएल	143
			कुल	200
2.	वेमागिरि पावर जनरेशन लि., आंध्र प्रदेश	542	आरटीएल	9
			एफसीएल	200
			कुल	209
3.	अटरिया पावर कारपोरेशन लि., कर्नाटक	106	आरटीएल	30
			डीपीजी	90
			कुल	120

1	2	3	4	5
4.	बीपीएल पावर प्रोजेक्ट्स (ए.पी.) लि., आंध्र प्रदेश	520	एफसीएल	200
			डीपीजी	200
			कुल	400
5.	सुजाना पावर (तूतीकोरिन) लि., तमिलनाडु	110	आरटीएल	75
			लिज	25
			कुल	100
6.	सुजाना पावर (गंगाईकोंडन) लि., तमिलनाडु	110	आरटीएल	75
			लिज	25
			कुल	100
7.	रिलायंस पावर लि., गुजरात	500	एफसीएल	653
			कुल	653
8.	एसपीआईसी इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (पी.) लि., तमिलनाडु	525	आरटीएल	130
			डीपीजी	500
			इक्विटी	40
			कुल	670
9.	हिन्दूजा नेशनल पावर कारपोरेशन लि., आंध्र प्रदेश	1040	आरटीएल	200
			कुल	200
10.	जिंदल स्टील एंड पावर लि., मध्य प्रदेश	55	आरटीएल	100
			कुल	100
11.	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लि., (एपीजीईएनसीओ), आंध्र प्रदेश	400	आरटीएल	50
			कुल	50
12.	गुजरात स्टेट ईनर्जी जनरेशन लि., गुजरात	156	आरटीएल	50
			एफसीएल	150
			कुल	200
13.	कोनासीमा ईपीएस ओकवेल लि., आंध्र प्रदेश	220	आरटीएल	50
			एफसीएल	150
			डीपीजी	9
			कुल	209
14.	त्रिशक्ति ईनर्जी प्राईवेट लि., तमिलनाडु	525	आरटीएल	50
			डीपीजी	350
			कुल	400

1	2	3	4	5
15.	जम्मू एवं कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन, जम्मू व कश्मीर	0	आरटीएल	40
			कुल	40
16.	रिलायंस पतालगंगा पावर लि., गुजरात	447	एफसीएल	550
			कुल	550
17.	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, गुजरात	250	आरटीएल	400
			एफसीएल	100
			कुल	500
18.	श्री महेश्वर हाईडल पावर कारपोरेशन लि., मध्य प्रदेश	400	आरटीएल	100
			इक्विटी	50
			कुल	150
19.	इंडियन सिमलेस पावर लि., महाराष्ट्र	18	आरटीएल	20
20.	जिंदल ट्रैकटेबेल पावर कम्पनी लि., कर्नाटक	260	आरटीएल	60
21.	एनएचपीसी		कारपोरेशन ऋण	200
22.	सुभाष काबीनी पावर कारपोरेशन लि., कर्नाटक	20	पीएफएस	35
			डीएस	5
23.	इंडसिल इलैक्ट्रोस्मेलट्स लि., केरल	21	पीएफएस	13

[हिन्दी]

राजस्थान में इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र

7431. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में राज्यवार कितने मैनुअल दूरभाष केन्द्रों को इलेक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्रों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) योजना अवधि में इस उद्देश्य के लिए कितना धन आवंटित किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) राजस्थान में किसी मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में कोई स्थानीय मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज मौजूद नहीं थे।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र

7432. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में तेल और प्राकृतिक गैस के कुल कितने क्षेत्र हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस का कितना उत्पादन किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य में कोई तेल अथवा गैस उत्पादक क्षेत्र नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अनु. जातियों/अनु. जनजातियों को पेट्रोल पम्प

7433. श्री अशोक अर्गल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा चलाए जा रहे पेट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे पेट्रोल पम्पों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में सतर्कता जांच के आदेश देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो अनधिकृत व्यक्तियों को उक्त कार्य से कब तक हटाये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1.10.1999 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से संबंधित 94 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें प्रचालनरत थीं।

(ख) मध्य प्रदेश में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा कोई खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप कथित रूप से नहीं चलाया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज

7434. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान तथा 31 मार्च, 2000 तक जिलावार कितने टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में विस्तार किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के शेष टेलीफोन एक्सचेंजों का वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान क्षमता में विस्तार किये गए टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में प्रस्तावित एक्सचेंजों के स्थानवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। 2001-2002 के लिए योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण I

महाराष्ट्र में 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान एक्सचेंजों की संख्या और जोड़ी गई क्षमता के जिलावार ब्यौरे (31.3.2000 तक)

क्र.सं.	जिले का नाम	1997-98 के दौरान विस्तार किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या		1998-99 के दौरान विस्तार किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या		1999-2000 के दौरान विस्तार किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	
		एक्सचेंजों की संख्या	जोड़ी गई एक्सचेंज क्षमता	एक्सचेंजों की संख्या	जोड़ी गई एक्सचेंज क्षमता	एक्सचेंजों की संख्या	जोड़ी गई एक्सचेंज क्षमता
1		2	3	4	5	6	7
1.	अहमदनगर	57	7540	91	5600	98	29457
2.	अकोला और वासिम	16	7136	26	12320	40	2142

1	2	3	4	5	6	7
3. अमरावती	21	4260	28	3803	40	9802
4. औरंगाबाद	16	5008	31	7348	42	11252
5. बीड़	14	2440	7	2352	35	8298
6. भंडारा और गोंदिया	17	2932	22	3784	40	11120
7. बुलढाना	14	1128	20	6388	45	6236
8. चंद्रपुर और गढ़चिरोली	19	7643	32	9592	39	10174
9. धुले और नंदूरबार	30	7324	46	9018	45	6944
10. थाणे	12	33800	10	36950	11	36500
11. जलगांव	29	9720	64	7715	45	17079
12. जालना	11	196	14	2378	25	4417
13. कल्याण	16	67364	30	24616	42	56072
14. कोल्हापुर	60	15156	75	14932	45	22152
15. लातूर	15	1537	23	3683	38	6487
16. नागपुर	18	17100	25	11344	45	23884
17. नांदेड़	22	3404	26	1592	45	6652
18. नासिक	37	28406	102	35326	60	11288
19. उसमानाबाद	21	4240	17	2676	14	4996
20. परभनी और हिंगोली	17	3268	31	4320	11	8604
21. पुणे	33	43286	38	30448	65	78020
22. रायगढ़	79	15756	70	19050	43	14416
23. रत्नागिरी	23	5408	33	10003	40	12554
24. सांगू	81	22240	06	12328	50	26256
25. सतारा	42	12362	45	5940	50	18294
26. सिंधुदुर्ग	25	2980	26	3566	20	5156
27. सोलापुर	37	9798	43	2950	65	20114
28. वर्धा	11	1660	14	3530	38	10344
29. यवतमाल	12	3684	21	5108	35	9296
30. मुंबई	60	161860	90	187950	106	227150

विवरण II

2000-2001 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में प्रस्तावित विस्तार

क्र.सं.	स्थान	जोड़ी जाने वाली सकल क्षमता
1	2	3
1.	नेवासा	2000
2.	राहुरी	1000
3.	संगमनेर	2000
4.	शेवगांव	2000
5.	शिरडी	3000
6.	श्री रामपुर	1000
7.	श्री रामपुर	1000
8.	अहमदनगर	3600
9.	कारंजा	3000
10.	मूरतिजापुर	3000
11.	अमरावती	2000
12.	अमरावती एमआईडीसी	1500
13.	अमरावती (एम)	2000
14.	दरयापुर	2000
15.	वरुड	3000
16.	औरंगाबाद	4000
17.	वालूज	2000
18.	कंटोनमैंट	4000
19.	सिल्क कालोनी	2000
20.	शिवाजी नगर	4000
21.	चिकलथाना	5000
22.	पैथन	2000
23.	चिटेगांव	1000
24.	मजालगांव	2000
25.	पारली-5	3000
26.	पारली-5	1000
27.	भंडारा	1000
28.	नादूर	2000
29.	बुलढाना	1000
30.	चिखाली	1000
31.	मलकापुर	1000
32.	शेगांव	3000
33.	भद्रावती	2000
34.	चरोरा	2000
35.	धुले	8000
36.	धुले	1000
37.	धुले एमआईडीसी	1000
38.	डोंडाइचा	1000
39.	नांदुरबार	1000
40.	शाहादा	1000
41.	शिरपुर	2000
42.	जामनेर	3000
43.	पचोरा	3000
44.	भुसावल	3000
45.	चालीसगांव	2000
46.	रवेर	2000
47.	कालगांव	3000
48.	नाईगांव	2000
49.	कल्याण	11000
50.	अम्बेरनाथ (ई) एमआईडीसी	4000
51.	डोमबुवकु एमआईडीसी(एम)	1000
52.	डोम्बीवली एमआईडीसी-2	2000

1	2	3
53.	डोम्बीवली (डब्ल्यू) आरएसयू-2	4000
54.	नांदीवली	4000
55.	उल्हासनगर कैम्प-4	6000
56.	वसाई (डब्ल्यू)	1500
57.	विरार	1500
58.	कोल्हापुर	6500
59.	इचलकरंजी	3000
60.	गोकुल-शिरगांव	2000
61.	जयसिंहपुर-1	1000
62.	वारननगर	3000
63.	लातुर एमआइडीसी	1000
64.	उमरेर	2000
65.	दूजवार, (एसएके)	1000
66.	कामटी (एसबीएलडी)	3500
67.	काटोल रोड (एलबीएलडी)	3000
68.	नंदनवन (एसएके)	3000
69.	उमरेर	1000
70.	नागपुर	17000
71.	डेगलूर	2000
72.	अहमदपुर	2000
73.	स्नेहा नगर	1000
74.	टरोडा नाका	1000
75.	नासिक	7000
76.	नासिक	3500
77.	देवलाली	5500
78.	इगतपुरी	2000
79.	नादगांव	2000
80.	नासिक रोड	8000
81.	उपनगर	6000
82.	निफाड	2000
83.	ओजार	1000
84.	सिनार	1000
85.	येओला	1000
86.	ओमेरगा	2000
87.	उस्मानाबाद	1000
88.	तुलजापुर	2000
89.	हिंगोली	1000
90.	साइल	2000
91.	बारामती (आरएसयू)	500
92.	पाशान (एमकेआर-3)	5000
93.	सालुके विहार	1000
94.	शिवाजी नगर (एमकेआर-3)	3000
95.	वारजे (एमकेआर-3)	5000
96.	औंध	1000
97.	तलावाडे	1000
98.	उरूलीकंचन	3000
99.	दौंड	2000
100.	घोंडनाडी	3000
101.	इन्दापुर	2000
102.	जुन्नूर	3000
103.	सोनावला	2000
104.	लोनावला	2000
105.	नारायणगांव	1000
106.	सासवाड	1000
107.	बालचंदनगर	3000

1	2	3
108.	पुणे	4000
109.	पुणे	5000
110.	खोपोली	1000
111.	महाड	1000
112.	पापोली	1000
113.	खेड	2000
114.	मुझगवाडा	500
115.	रत्नागिरी	1000
116.	रत्नागिरी (एमआईडीसी)	500
117.	कावये महानाल	2000
118.	इस्लामपुर	1000
119.	जाथ	1000
120.	मिराज	1000
121.	वीटा	2000
122.	कोरेगांव	2000
123.	दत्तानगर	1000
124.	कराड	1000
125.	मालवान	2000
126.	पंधरपुर	1000
127.	सोलापुर	2000
128.	हिंगनघाट	1000
129.	सी पराडे	3000
130.	कूपरेजे	5000
131.	फाउन्टेन	5000
132.	सिटी	4000
133.	कालबादेवी	1000
134.	माडवी	4000
135.	गोमदेवी	4000
136.	मालाबार हिल	3000
137.	मजगांव	8000
138.	बाइकुल्ला	7000
139.	वरली	9000
140.	प्रभादेवी	6000
141.	शिवाजी पार्क	3000
142.	डब्ल्यूडीएल-डब्ल्यूडीएल टीआरके टीआरएम	12000
143.	सियोन	10000
144.	करीरोड	1000
145.	बीडीआर+सीटीबैंक+ आईसीआईसीआई	9000
146.	बीडीआर केआरएल कॉम्प	4000
147.	खार	4000
148.	विले पारले	11000
149.	जुहू डांडा	1000
150.	अंधेरी	7000
151.	वारसोवा	8000
152.	जोगेश्वरी	3000
153.	मरोल	17000
154.	सीप्ज	1000
155.	गोरेगांव	8000
156.	गोकुलधाम	6000
157.	साकीनाका	5000
158.	साकी विहार	5000
159.	मलाड	8000
160.	समतानगर	7000
161.	कांडीवली	12000

1	2	3
162.	शिम्पोली	2000
163.	चारकोप	6000
164.	बोरीवली	7000
165.	भयानडेर (पश्चिम)	4000
166.	भयान्डेर (पूर्व)	4000
167.	दहीसार	4000
168.	मीरा रोड	6000
169.	मानखुर्द	10000
170.	सीता एस्टेट	1000
171.	चेम्बूर	8000
172.	घाटकोपार+सीएनई	11000
173.	टैगोर नगर	1000
174.	एन. नगर	1000
175.	गोदरेज	2000
176.	पोवाई	6000
177.	पोवाई काम (आईआईटी)	1000
178.	मुलुंद	13000
179.	पी परखाडी	1000
180.	चेरी	15000
181.	वागले इस्टेट	6000
182.	मुम्ब्रा	4000
183.	वाशी	4000
184.	वाशी सेक्ट-7	1000
185.	वाशी रेलवे स्टेशन	1000
186.	तुरभे	4000
187.	बेलापुर	2000
188.	राबले	3000
189.	पनवेल	3000
190.	नहावा	1000
191.	शेवा (जे.एन.पी.टी.)	1000
192.	कोपर खाइराने	2000
193.	कलमबोली	2000
194.	उरन	2000
195.	तलोजा	1000
196.	नेरूल	3000

[हिन्दी]

पुनः तार लगाना

7435. डा. बलिराम: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम दिल्ली के अंतर्गत महाप्रबंधक (मध्य) के अति विशिष्ट क्षेत्र में पुनः तार लगाने के नाम पर एक बड़ा घोटाला किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नार्थ एवेन्यू और साऊथ एवेन्यू के संसद सदस्यों के फ्लैटों में से एक भी आवास में पुनः तार नहीं लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी नहीं। अभी केवल योजना को अंतिम रूप दिया गया है और उत्तरी एवेन्यू तथा दक्षिणी एवेन्यू में बाह्य संयंत्र की पुनःस्थापना चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2000-2001 के दौरान की जाएगी।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चुटोक और निमू-बासगो जल विद्युत परियोजना

7436. श्री हसन खान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर राज्य में चुटोक और निमू-बासगो जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां। अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी पार्षद लद्दाख हिल डेवलपमेन्ट काउंसिल, लेह में निमू-बासगो जल विद्युत परियोजना (30 मे.वा.) को केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना के रूप में क्रियान्वित करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री के समक्ष एक ज्ञापन रखा। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में फरवरी, 2000 में उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए "अनापत्ति" भेज दी है। तत्पश्चात् विद्युत मंत्रालय ने एन.एच.पी.सी. से निमू बासगो जल विद्युत परियोजना का सर्वेक्षण एवं जांच कार्य करने को कहा है।

(ख) जम्मू एवं कश्मीर की सलाह पर एन.एच.पी.सी. को मार्च, 2000 में निमू-बासगो जल विद्युत परियोजना के संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हुई है। यह वि.परि.रि. एन.एच.पी.सी. में जांच के अधीन है ताकि क्रियान्वित करने हेतु इसकी सुयोग्यता का मूल्यांकन किया जा सके। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एन.एच.पी.सी. को परियोजना की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण की सहमति दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने एन.एच.पी.सी. की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण की सहमति दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने एन.एच.पी.सी. को कारगिल की चुटेक जल विद्युत परियोजना (18 मे.वा.) पर भी कार्य शुरू करने को कहा है ताकि उक्त राज्य की समस्याओं को दूर किया जा सके। एन.एच.पी.सी. ने राज्य सरकार को परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति के लिए भी कहा है।

कोचीन में वल्लारपदम तेल टैंकर बर्थ

7437. श्री जार्ज ईडन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोचीन में प्रस्तावित वल्लारपदम तेल टैंकर बर्थ की अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान तेल टैंकर बर्थ के कार्य हेतु प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) कोचीन पत्तन न्यास में "वल्लारपदम तेल टैंकर बर्थ" नाम की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, वल्लारपदम में ट्रांशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल का विकास करने का प्रस्ताव है।

सांसदों के टेलीफोन कनेक्शनों के कोटे में वृद्धि

7438. श्री मुद्रागाड़ा पद्मनाभम् : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सांसदों से टेलीफोन कनेक्शन का उनका वर्तमान कोटा 50 कनेक्शनों से बढ़ाकर 100 कनैक्शन करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) माननीय सांसदों को उपलब्ध टेलीफोन कनेक्शनों का कोटा 1998/टी.के.ओ.पी. न. 11507 में दिए गए माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हाल ही में 25 कनेक्शनों से बढ़ाकर 50 कनेक्शन कर दिया गया है। इस कोटे को आगे और बढ़ाने के लिए कोई लिखित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा इस समय माननीय सांसदों को उपलब्ध टेलीफोन कनेक्शनों के कोटे को और अधिक बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रमिकों को नियमित किया जाना

7439. श्री अनादि साहू : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्यास निर्माण बोर्ड के सभी आश्रित श्रमिकों को जिन्हें 1993 में भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड में शामिल कर लिया गया था को नियमित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें नियमित करने की कोई समय-सीमा निश्चित की गयी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन सभी कर्मचारियों को 1992 में सी.ए.टी. द्वारा निर्देशित योग्यता और अनुभव के अनुसार भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड में शामिल कर लिया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) ब्यास परियोजना को भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) में हस्तांतरित किए जाने के कारण ब्यास कंस्ट्रक्शन बोर्ड (बी.सी.बी.) के आधिक्य घोषित किए गए कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा आकस्मिकता भुगतान वाले आधिक्य कर्मचारिणी को वर्ष 1993 में बी.बी.एम.बी. में भर्ती कर लिया गया था। तदुपरान्त बी.बी.एम.बी. ने इनकी सेवाओं में उपलब्ध समरूपी स्वीकृत रिक्त पदों पर नियमित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार कुछ कर्मचारियों को उपलब्ध समरूपी स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या के बराबर नियमित कर दिया गया था। वर्ष 1993 में भर्ती किए गए शेष कर्मचारियों की सेवाओं के नियमतिकरण की प्रक्रिया के सितम्बर, 2000 तक पूरा होने की संभावना है।

(ङ) और (च) ब्यास कंस्ट्रक्शन बोर्ड के आधिक्य कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा आकस्मिकता भुगतान वाले आधिक्य कर्मचारियों को ब्यास कंस्ट्रक्शन बोर्ड में उनके उसी पद/क्षमता के अनुरूप बी.बी.एम.बी. में भर्ती किया गया था।

बेईमान वकील

7440. श्री रामजी मांझी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल के अपने एक निर्णय में आपराधिक मामलों में गवाह को खरीदने या उसे हतोत्साहित करने तक मामलों को बार-बार स्थगित कराकर उनके साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के लिए बेईमान वकीलों को जिम्मेवार बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे गवाहों को प्राप्त विधि सम्मत सुरक्षा और गवाह की स्थिति के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार वकीलों के आचरण को जवाबदेह बनाने और विधि सम्मत निदेशों का पालन करने के लिए अधिनियम में संशोधन का है ताकि गवाह के उत्पीड़न और अनुचित स्थगनों द्वारा मामलों के निपटान में विलम्ब को रोका जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय में की गई टिप्पणियों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) तारीख 2.5.2000 को 'हिंदुस्तान टाइम्स' में रिपोर्ट किए गए "'सिद्धान्तशून्य वकीलों' को उच्चतम न्यायालय ने फटकार लगाई" नामक शीर्षक में उच्चतम न्यायालय ने, दांडिक मामलों में साक्षियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए "सिद्धांतशून्य वकीलों" और न्यायालयों को दोषी ठहराया है। जैसाकि रिपोर्ट किया गया है, उच्चतम न्यायालय ने यह पाया है कि जब तक साक्षी थक हार कर और मामले को छोड़कर बैठ नहीं जाता है, दाण्डिक मामलों में बार-बार तारीख लेना लगभग एक फैशन सा बन गया है। सिद्धांतशून्य वकीलों का, जब तक कोई साक्षी उनके काबू में नहीं आ जाता है या थक हार कर बैठ नहीं जाता है, किसी न किसी बहाने से बार-बार तारीख लेते रहना एक मजाक बन गया है। केवल इतना ही नहीं, साक्षी को धमकी दी जाती है, उसका अपहरण किया जाता है, उसे अंगहीन कर दिया जाता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है या उसे रिश्वत तक दी जाती है। साक्षी का न्यायालय कक्ष के भीतर भी उत्पीड़न होता है। उसके न तो बैठने के लिए कोई स्थान है और न ही एक गिलास पानी पीने तक की कोई व्यवस्था होती है। जब वह न्यायालय में हाजिर होता है तो उसकी बेरोक-टोक और लंबी परीक्षा और प्रतिपरीक्षा होती है और वह अपने आपको दुखद स्थिति में पाता है। इन सभी कारणों से और अन्य कारणों से, एक व्यक्ति साक्षी बनने से घृणा करता है।

(ग) से (च) भारत के विधि आयोग ने, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का व्यापक पुनर्विलोकन किया है और अन्य बातों के साथ-साथ, "साक्षियों को सुरक्षा और सुविधाओं" की सिफारिश की है। उक्त विषय संबंधी विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट संसद् में पहले ही रख दी गई है। गृह मंत्रालय में राज्य सरकारों के परामर्श से रिपोर्ट पर कार्यवाही हो रही है।

कर्मचारियों की कमी

7441. श्री जी.जे. जावीया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात दूरसंचार सर्किल में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सामान्यत: जे.टी.ओ., टी.टी.ए., ड्राइवरों आशुलिपिकों और कनिष्ठ लेखा अधिकारियों जैसे कुछ संवर्गों को छोड़कर स्टाफ की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग तथा भर्ती पर रोक को देखते हुए भर्ती नियमों के संशोधन पर रोक थी। भर्ती नियमों के संशोधन पर प्रतिबंध अब हटा दिया गया है और जे.टी.ओ., टी.टी.ए. तथा ड्राइवरों आदि के संवर्ग में भर्ती नियम संशोधित किए गए हैं। टी.टी.ए. और ड्राइवरों की भर्ती पर रोक आंशिक रूप से हटाया गया है। अब सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इस वर्ष के अंत तक पूरी होने की संभावना है।

डाकघरों की कमी

7442. श्री बहादुर सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के बयाना क्षेत्र में डाकघरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में नया डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त डाकघर को कब तक खोल दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) बयाना परिक्षेत्र में नए डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। केवल भगवती कॉलोनी, बयाना का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था तथा इसकी जांच करने पर इसे वित्तीय मानदंडों के आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

डीलरशिप को पुन: प्रदान करने के मामले

7443. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 1 दिसम्बर, 1998 के आतारांकित प्रश्न संख्या 350 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल निगमों को डीलरशिप पुन: प्रदान करने के ऐसे लंबित मामलों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए पत्र लिखे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में पत्रों को कब तक जारी किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने उन खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, जो 1.1.1996 के बाद बन्द हो गई तथा एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों, जो दुव्यर्वहार या कदाचार के कारण मानकों के अधीन समाप्त नहीं की गई हैं, को पुन: आरम्भ करने के मामलों पर विचार करने हेतु तेल विपणन कम्पनियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए 15.1 1999 को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

पेट्रोल पम्पों का स्थान-परिवर्तन

7444. डा. रमेशचन्द तोमर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल निगमों को ऐसे पेट्रोल पम्पों को एक ही व्यापारिक क्षेत्र/बाजार या जिले के एक ही वर्ग के बाजार में स्थान परिवर्तित करने का अधिकार है जिनकी बिक्री आर्थिक व्यवहार्यता की सीमाओं से कम हो और जिन्हें वस्तुत: ''ग'' वर्ग के बाजार को आबंटित किया गया हो;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम दूरी मापदण्डों की परिभाषानुसार ''ग'' वर्ग के बाजारों का व्यापारिक क्षेत्र मूलत: 5 कि.मी. रखा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो निगम ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्यीय राजमार्गों पर अवस्थित व्यापारिक क्षेत्रों के भीतर ''ग'' वर्ग के बाजारों के लिए निर्धारित पेट्रोल पम्पों को कहां तक स्थान-परिवर्तित कर रहा है/था, जो एक ही नगर/बाजार/व्यापारिक क्षेत्र से गुजरते हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) तेल कम्पनियां सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत स्थान परिवर्तन के अंतर्गत सम्मिलित अनुरोधों पर विचार करने के लिए शक्तिप्रदत्त हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसी बाजार/व्यापार क्षेत्र में स्थान परिवर्तन सम्मिलित हैं।

जनहित-याचिका

7445. श्री पी. कुमारासामी: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनहित याचिकाओं से कोई सार्थक परिणाम मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनहित याचिका दायर करने वाली सुविधाओं का दुरूपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) चूंकि असहाय व्यक्तियों, लोक क्षति, लोक कर्तव्य के प्रर्वतन, सामाजिक अधिकारों के संरक्षण और जनहित रक्षा संबंधी शिकायतों के निवारण के प्रयोजनों के लिए जनहित मुकदमें प्राय: न्यायालय द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। और इनसे कुछ हद तक निर्धन और विशेषाधिकारों से वंचित व्यक्यिों को न्याय प्राप्त करने में उनकी सहायता करने का प्रयोजन सिद्ध हुआ है।

(ख) जनहित मुकदमें के दुरूपयोग को रोकने के अनुक्रम में, उच्चतम न्यायालय ने, हाल ही में, रौनक इन्टरनेशनल लिमिटेड बनाम आई.वी.आर. कन्सट्रक्शन लिमिटेड (ए आई आर 1999 एस सी 393) और मलिक ब्रदर्स बनाम नरेन्द्र दधीच और अन्य [1999(5) स्केल 212] के मामलों में कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त अधिकथिक किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

(1) जनहित मुकदमे का उद्देश्य मात्र उसकी आड़ में किसी तीसरे पक्षकार या याचिका लाने वाले पक्षकार के निजी उद्देश्यों की जांच करनी चाहिए।

(2) न्यायालय को, उस संगठन के जो जनहित मुकदमे ला रहा है, की गई लोक सेवा के पिछले अभिलेखों की जांच करनी चाहिए।

(3) न्यायालय को कोई रिट याचिका ग्रहण करने और ऐसी याचिका पर कोई अन्तरिम आदेश पारित करने से पूर्व, उनमें विरोधाभासी जनहितों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। न्यायालय को याचिका ग्रहण करने में केवल तब ही हस्तक्षेप करना चाहिए जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जनहित अत्यधिक महत्व की है।

(4) उस समय भी जब कोई जनहित मुकदमा ग्रहण किया जाता है, तब भी न्यायालय को हस्तक्षेप करने से पूर्व विरोधाभासी जनहितों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए।

(5) उस पक्षकार को, जिसके अनुरोध पर अन्तरिम आदेश प्राप्त किए जाते हैं, उसे अन्तरिम आदेश के परिणाम के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए। समुचित मामलों में अन्तरिम आदेश मांगने वाले याची से किसी अन्तरिम आदेश के परिणामस्वरूप, विलम्ब के कारण लागत में हुई वृद्धि या विरोधी पक्षकार को हुई किसी नुकसानी के लिए प्रतिभूति देने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि स्थगन आदेश या अन्तरिम आदेश पारित किया जाता है तो उसमें प्रत्यास्थापन की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। यदि जनहित मुकदमा खारिज हो जाता है तो परियोजना के क्रियान्वयन में हुए विलम्ब और ऐसे अन्तरिम आदेश के विलम्ब के कारण लागत में हुई बढ़ोतरी को भरपाई जनता की अवश्य की जानी चाहिए।

(6) यदि न्यायालय यह पता है कि किसी जनहित मुकदमें की आड़ में किसी वैयक्तिक हितसाधन या उसके संरक्षण की याचना की गई है तो न्यायालय का यह मर्यादित कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसी याचिका ग्रहण न करे।

(7) न्यायालय को जनहित मुकदमों के नाम पर मामलों की बाढ़ को रोकना चाहिए अन्यथा पारम्परिक मुकदमेबाजी को नुकसान होगा और न्यायालय, न्याय प्रदान करने के बजाय प्रशानिक और कार्यपालक कृत्यों को करने के लिए ही स्वयं बाध्य हो जाएंगे।

(ग) जनहित मुकदमों के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जनहित मुकदमे के दुरूपयोग के निवारण के लिए फिलहाल कदम उठाने का कोई इरादा नहीं है। वस्तुत: यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कार्य है कि वह जनहित के मुकदमे के नाम पर निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों के अनावश्यक रूप से तंग करने वाले मुकदमे ग्रहण न करे।

अनुमोदन हेतु लंबित विधेयक

7446. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ भेजे गए विधेयकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन विधेयकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल चुका है; और

(ग) सरकार द्वारा शेष विधेयकों पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) कर्नाटक राज्य सरकार ने, 1.4.1997 और 10.5.2000 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रपति की अनुमति के लिए 18 विधेयक भेजे हैं।

(ख) 13 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति की सूचना राज्य सरकार को भेज दी गई है। इनके ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य सरकार से स्पष्टीकरण और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की टीका-टिप्पणियों के अभाव में, शेष विधेयक लम्बित हैं।

विवरण

राष्ट्रपति की अनुमति के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए विधायी प्रस्तावों और 1.4.1997 से 10.5.2000 तक उनकी स्थिति का ब्यौरा

क्रम सं.	विधेयक का नाम	प्राप्ति की तारीख	अनुमति की तारीख	लंबित विधेयकों की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1997	21.04.1997	12.8.1997	
2.	कर्नाटक रेशमकीट सीड कोया और रेशम सूत (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और विक्रय विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1997	21.04.1997	13.8.1997	
3.	कर्नाटक किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998	07.04.1998	20.4.1998	
4.	मैसूर महल (अर्जन और अंतरण) विधेयक, 1998	19.05.1998	28.08.1998	
5.	विद्युत विधि (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 1998	08.06.1998	21.10.1998	
6.	कर्नाटक राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1997	08.06.1998	09.12.1998	
7.	*सिविल प्रक्रिया संहिता (कर्नाटक संशोधन) विधेयक,1995	26.06.1995	02.12.1998	*यद्यपि, विधेयक जून, 1995 में प्राप्त हुआ था किन्तु अनुमति 2 दिसंबर, 1998 को दी गई थी।
8.	कर्नाटक सहकारी समिति (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1997	29.06.1998	18.03.2000	
9.	कर्नाटक सौहार्द्र सहकारी विधेयक, 1997	07.07.1998	28.03.2000	
10.	कर्नाटक अंतर्देशीय मत्स्यपालन (संरक्षण, विकास और विनियमन) विधेयक, 1996	07.07.1998	लंबित	पर्यावरण और वन मंत्रालय की संप्रेक्षणाओं की बाबत, राज्य सरकार के स्पष्टीकरण की 17.9.1999 से प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
11.	तुंगभद्रा चीनी (देवे शुगर) लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) विधेयक 1998	30.11.1998	18.01.1999	
12.	कर्नाटक स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 1999	03.05.1999	09.08.1999	
13.	कर्नाटक कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999	24.05.1999	लंबित	केन्द्रीय सरकार के संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों से परामर्श करके विधेयक की समीक्षा की जाती है।
14.	मैसूर तंबाकू कंपनी लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) विधेयक, 1998	25.06.1999	लंबित	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संप्रेक्षणाओं की बाबत राज्य सरकार के स्पष्टीकरण की 11.04.2000 से प्रतीक्षा है।
15.	बंगलौर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1999	27.07.1999	28.12.1999	
16.	कर्नाटक विद्युत सुधार विधेयक, 1999	02.08.1999	20.08.1999	
17.	कर्नाटक वन और कतिपय अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1999	03.08.1999	लंबित	पर्यावरण और वन मंत्रालय की संप्रेक्षणाओं की बाबत राज्य सरकार के स्पष्टीकरण की 25.04.2000 से प्रतीक्षा है।
18.	कर्नाटक भूमिगत जल (पेयजल स्रोतों का संरक्षण विनियमन) विधेब्क, 1999	05.08.1999	लंबित	जल संसाधन और ग्रामीण विकास की संप्रेक्षणाओं की बाबत राज्य सरकार के स्पष्टीकरण की 29.12.1999 से प्रतीक्षा है।
19.	कर्नाटक किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000	06.04.2000	24.04.2000	

बहुराष्ट्रीय तेल कम्पनियों का बाजार नेटवर्क

7447. श्री रतनलाल कटारिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की अभिरुचि तेल का पता लगाने की अपेक्षा भारत में तेल का एक बड़ा बाजार नेटवर्क बनाने में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें पेट्रोलियम उत्पाद के विपणन के साथ-साथ तेल-शोधन की अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे कदम से सरकारी क्षेत्र की स्वदेशी तेल कंपनियां प्रभावित नहीं होगी जो इस काम के लिए स्वयं सक्षम हैं; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू तेल कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) बहुराष्ट्रीय तेल कम्पनियों ने तेल अन्वेषण तथा तेल विपणन दोनों के विषय में रुचि दर्शायी है।

(ख) से (घ) सरकार ने नवम्बर, 1997 में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था को चरणों में समाप्त करने का निर्णय लिया था। उक्त निर्णय में अन्य बातों के साथ निम्नांकित हैं-

> "ऐसी रिफाइनरियों, जो कम से कम 2000 करोड़ रुपये के निवेश पर स्वामित्व एवं प्रचालन कर रही हैं अथवा ऐसी तेल अन्वेषण एवं उत्पादन कंपनियां जोकि वार्षिक रूप से कच्चे तेल की कम से कम तीन मिलियन टन मात्रा का उत्पादन कर रही हैं, के विषय में परिवहन ईंधनों अर्थात् एम एस, एच एस डी तथा ए टी एफ के लिए उपयुक्त टैरिफ संरक्षण उपलब्ध कराने तथा विपणन अधिकार दिए जाने की शर्त पर शोधन क्षेत्र के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहित किए जाएंगे।"

आगे 26 मई, 1998 को सरकार ने निर्णय लिया था कि जब तक प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाती है, नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विनियमित होना जारी रहेगा।

निजी तथा संयुक्त क्षेत्र रिफाइनरियों को विपणन अधिकार प्रदान करने के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

लकड़ी के गोल लट्ठों का निर्यात

7448. श्री विष्णु पद राय: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार से लकड़ी के गोल लट्ठों के निर्यात पर सामान्यतया पाबंदी है किन्तु विशेष स्थितियों में यह अनुमत्य है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंडमान और निकोबार वन और रोपण विकास निगम को वर्ष 1999-2000 में ऐसी अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका मात्रात्मक ब्यौरा क्या है।

(ङ) क्या चेट्टम स्थित सरकारी आरा-मिल को जनवरी और फरवरी, 2000 में लकड़ी की शहतीरों को फिर से चीरना पड़ा था। क्योंकि गोल लट्ठे उपलब्ध नहीं थे, जबकि अंडमान और निकोबार वन और रोपण विकास निगम द्वारा चेन्नई को 60 घन मीटर लट्ठों का निर्यात किया गया था;

(च) यदि हां, तो सरकार का गोल लट्ठों के निर्यात पर पूर्णतया पाबंदी लगा देने का विचार है क्योंकि स्थानीय मांगों की ही पूरी तरह पूर्ति नहीं हो पा रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हाँ। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह से लकड़ी के गोल लट्ठों के निर्यात पर स्थानीय प्रशासन ने 1995 से प्रतिबंध लगा रखा है, तथापि विशेष परिस्थितियों के तहत इसकी अनुमति दी जाती है।

(ख) और (घ) 1995 से किसी निर्यात की अनुमति नहीं थी, तथापि केवल 1999-2000 के दौरान अण्डमान एवं निकोबार वन एवं बागान विकास निगम लि. को लगभग 27,500 घन मी. टन के कुल उत्पादन में से 3850 घन मी. टन इमारती लकड़ी के निर्यात की अनुमति दी गई थी। यह अनुमति इमारती लकड़ी को खराब होने से बचाने के लिए दी गई थी। क्योंकि स्थानीय काष्ठ आधारित उद्योग बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी इमारती लकड़ी को नहीं उठा रहे थे।

(ङ) चेथम स्थित आरा मिल में शहतीरों की पुन: चिराई संबंधी काम एक पारी में नियमित तौर पर होता है। जनवरी और फरवरी, 2000 के दौरान पुन: चिराई की मात्रा बढ़ गयी थी। क्योंकि अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम के तहत पंजीकृत जलयानों पर बन्दरगाह की सीमा से आगे की आवाजाही पर प्रतिबंध होने और मर्केन्टाइल शिपिंग अधिनियम के तहत पंजीकृत उचित नावें उपलब्ध न होने की वजह से डिवीजनों में उपलब्ध लट्ठों को चेथम स्थित आरा मिल को नहीं भेजा जा सका।

(च) और (छ) लकड़ी के गोल लट्ठों के निर्यात पर पहले से ही प्रतिबंध है। केवल विशेष मामलों में, उद्योगों द्वारा अपनी स्थानीय औद्योगिक इकाईयों में इसके प्रसंस्करण हेतु इसे स्वीकार करने या खरीदने के इच्छुक न होने की वजह से निपटान न की गई इमारती लकड़ी को खराब होने से बचाने के लिए इसके निर्यात की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

7449. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक सरकार को विभिन्न राज्यों से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन से संबंधित मामलों की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हाँ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के ब्यौरों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए वन (संरक्षण), अधिनियम, के प्रावधानों और इसके नियमों तथा दिशा-निर्देश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

आपराधिक मामले

7450. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अंतिम रूप से दोषी करार दिए गए आपराधिक मामलों का प्रतिशत क्या है;

(ख) भ्रष्टाचार के मामले में इस तरह के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मामलों में कम सफलता मिलने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) विधि आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 संबंधी अपनी 154वीं रिपोर्ट में कहा है कि दांडिक न्याय की गुणवत्ता का इस बात से बहुत निकट का संबंध है कि हमारी अभियोजन पद्धति कितनी मजबूत है और बहुत से अपराधियों के छूट जाने को मात्र घटिया अन्वेषण का परिणाम नहीं कहा जा सकता बल्कि उसका कारण अभियोजन पक्ष की विगुणता भी है (अध्याय 2 और 3)।

विधि आयोग, ने गंभीर अपराधों के अन्वेषण के लिए सीधे पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षणाधीन एक ऐसा पृथक, अभिकरण स्थापित करने की सिफारिश की है जो उस अभिकरण से भिन्न हो जिसे विधि-व्यवस्था का काम सौंपा गया है। समुचित कार्रवाई के लिए यह सिफारिश राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

आयोग ने, प्रत्येक राज्य में एक अभियोजन निदेशालय की स्थापना करने और मामलों के दक्ष अभियोजन के लिए अभियोजन निदेशालय तथा पुलिस अन्वेषण अभिकरण के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए जाने की भी सिफारिश की है। ये सिफारिशें, कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

विवरण

वर्ष 1999 (सम्पूर्ण भारत) के दौरान भारतीय दंड संहिता के अधीन मामलों में दोषसिद्धि की दर

(क):

क.सं.	अपराध शीर्ष	दोषसिद्धि दर
1	2	3
1.	हत्या	34.8
2.	हत्या करने का प्रयास	33.5
3,	हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध	36.9
4.	बलात्संग	26.7
5.	व्यपहरण और अपहरण	28.8
	(1) महिलाएं और लड़कियां	28.2
	(2) अन्य	30.3

1	2	3
6.	डकैती	25.2
7.	डकैती की योजना बनाना और उसके लिए एकत्रित होना	30.8
8	लूटपाट	30.1
9.	सेंधमारी	36.0
10.	चोरी	40.4
11.	बलवा	26.0
12.	आपराधिक न्यासभंग	26.2
13.	छल करना	27.4
14.	कूटकरण	27.4
15.	आग लगाना	24.0
16.	उपहति	28.3
17.	दहेज हत्याएं	31.1
18.	उत्पीड़न	31.1
19.	यौन उत्पीड़न	60.6
20.	पति और संबंधियों द्वारा निर्दयता	19.6
21.	भारतीय दंड संहिता के अन्य अपराध	42.9
22.	भारतीय दंड संहिता के अधीन कुल संज्ञेय अपराध	37.4
	(ख) :	
	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम	27.6

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो।

[हिन्दी]

गुजरात में कवास और गंगाधार विद्युत परियोजनाएं

7451. श्री अखिलेश यादव:
श्री तूफान सरोज:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने गुजरात में कवास और गंगाधार विद्युत परियोजनाओं के द्वितीय चरण के निर्माण तथा उपस्कर आपूर्ति हेतु ए.बी.बी. एक्टॉम पावर को आपूर्ति ठेका प्रदान करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या ए.बी.बी. एक्टॉम द्वारा उन परियोजनाओं को प्रस्तावित गैस टरबाईन पुरानी है जबकि भेल-सिमेन्स वी. 94 3ए अत्याधुनिक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां। कवास एवं गंगाधार परियोजना चरण-2 के मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए आमंत्रित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के उत्तर में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को दो बोलियां प्राप्त हुई थी। चूंकि बोलीकर्ता बोली संबंधी पात्रता नहीं रखते थे एवं बोली दस्तावेजों के मुख्य अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं कर रहे थे अत: ये बोलियां नॉन-रिस्पोंसिव हो गई और एनटीपीसी बोर्ड ने इस पर फिर से बोली कराने का फैसला किया है।

(ख) उपर्युक्त "क" के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ) मैसर्स एबीबी एल्सथॉम पावर ने गैस टरबाईन माडल नमूना ई-13 ई-2 प्रस्तावित किया था । प्रस्तावित मामले अपने परम्परागत 13 ई-सीरिज के गैस टरबाइन नमूनों का ही नवीनतम रूप है जिसकी दर क्षमता ज्यादा विकसित है, यह गैस टरबाइन 2000 में.वा. आईएसओ रेटिंग से कम वाले समूह में शामिल है।

मैसर्स एबीबी एल्सथॉम ने एक अत्याधुनिक विकसित समूह के गैस टारबाईन माडल जीटी-26(आईएसओ रेटिंग 265 में.वा. का भी वैकल्पिक रूप में प्रस्ताव किया है। अत: गैस टरबाइन आईएसओ रेटिंग में 2000 मे.वा. से ज्यादा क्षमता वाले टरबाइनों की श्रेणी में आते हैं और सामान्य रूप से उन्नत श्रेणी गैस टरबाइन के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि यह प्रस्ताव अपूर्ण था।

मेसर्स भेल ने उन्नत श्रेणी गैस टरबाइन नमूना वी 94.3ए मेसर्स सीमेंस जर्मनी (आईएसओ रेटिंग 255 मे.वा.) का प्रस्ताव किया है, हालांकि कथित एवं प्रकाशित क्षमताओं में लगभग 4 से 5% का अन्तर है (कथित आंकड़ा कम था।

एबीबी एवं भेल दोनों ने उसके द्वारा प्रस्तावित संबंधित श्रेणी की मशीनों का अत्याधुनिक तकनीक एवं विशेषता वाला बताकर इन्हें प्रस्तावित किया था।

[अनुवाद]

एम.टी.एन.एल. लाइनमैनों द्वारा आईएसडी कॉलों की हेराफेरी

7452. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानगर टेलीफोन निगम लि. के लाइनमैन हेराफेरी करके विदेशों को सस्ती दरों पर टेलीफोन करवा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी राजस्व को भारी हानि पहुंचाने वाले ऐसे गिरोह को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) यदि ऐसे किसी मामले का पता चलता है तो उसकी पूरी जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, सीबीआई/ पुलिस की सहायता से उचित कार्रवाई की जाती है। सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए कतिपय उपाय किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं:-

(1) नेटवर्क से पुरानी प्रौद्योगिकी वाले एक्सचेंजों को क्रमिक रूप से हटाकर उनके स्थान पर डिजिटल एक्सचेंज स्थापित किए जा रहे हैं। डिजिटल एक्सचेंजों में अत्याधुनिक उच्च गति के सिंगलिंग प्रोटोकोल लगे होते हैं जिसकी नकल सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती है।

(2) नई प्रौद्योगिकी वाले ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज (टैक्स) स्थापित कर दिए गए हैं जो कालिंग लाइन आइडेन्टिफिकेशन की जांच करते हैं और यदि काल, जंक्शन से सीधे की जाती है तो उस टैक्स काल को खत्म कर देते हैं।

(3) निवारक उपाय के तौर पर, किसी अनियमितता को रोकने के संबंध में सतर्कता एकक के अधिकारियों के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक्सचेंज रूमों के रात्रि में निरीक्षण किए जा रहे हैं।

कंप्यूटरीकृत 198 शिकायत सेवा द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्य करना

7453. श्री रामसागर रावत: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कंप्यूटरीकृत 198 शिकायत सेवा द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्य करने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) कम्प्यूटरीकृत 198 शिकायत सेवा सन्तोषप्रद रूप से कार्य कर रही है। तथापि कुछ दोष पाये जाते हैं, जब डेकाडिम पल्सिंग सहित खराब लाइन हालतों तथा उपकरणों वाले टेलीफोन से शिकायतें बुक की जाती हैं

(ख) कम्प्यूटरीकृत 198 सेवा में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:-

(1) टोन पल्सिस वाले उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं।

(2) प्रत्येक सुबह को अनुरक्षण स्टाफ द्वारा सेवा की जांच की जाती है ताकि इस सेवा को सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा हेतु लक्ष्य

7454. श्री सुकदेव पासवान:
श्री रामशकल:
श्री रामजी लाल सुमन:
श्री शंकर सिंह वाघेला:
श्री अरूण कुमार:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश के गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का वार्षिक लक्ष्य बढ़ा दिया है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(च) क्या निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी उक्त लक्ष्य प्राप्त करने का दायित्व सौंपा गया है;

(छ) यदि हां, तो इस लक्ष्य प्राप्ति में उक्त कंपनियों का अनुपात क्या होगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि मांग पर टेलीफोन प्रदान किया जाता है। तथापि, वीपीटी के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	लक्ष्य
1997-98	83,000
1998-99	45,000
1999-2000	45,089

(ख) पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए गए टेलीफोनों तथा संस्थापित वी पी टी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	प्रदान किए गए डीईएल	संस्थापित वीपीटी
1997-98	6,65,591	42,855
1998-99	6,63,031	37,040
1999-2000	11,89,484	33,965

(ग) वीपीटी के मामले में, अधिकांश मामलों में समय पर उपस्कर की प्राप्ति होना कुछ क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की समस्याओं का होना, कठिन पहाड़ी क्षेत्र, सड़क परिवहन की कमी तथा गांवों में समुचित पावर सप्लाई का उपलब्ध न होना आदि कुछ ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

(घ) और (ङ) जी, हां। वी पी टी सुविधा देने संबंधी वर्ष 2000-2001 के लिए निर्धारित राज्य-वार लक्ष्य विवरण में दिए गए हैं।

(च) और (छ) जी हां। वर्ष 2000-2002 की अवधि के लिए कुल वी पी टी लक्ष्य का लगभग 24 प्रतिशत लक्ष्य निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा व्यवस्था की जाने की संभावना है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 संबंधी वी पी टी के लिए लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल/राज्य	वी पी टी
1.	आंध्र प्रदेश	0
2.	अंडमान निकोबार	8
3.	असम	5000
4.	बिहार	24651
5.	गुजरात	0
6.	हरियाणा	4
7.	हिमाचल प्रदेश	4000
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2000
9.	कर्नाटक	1265
10.	केरल	0
11.	मध्य प्रदेश	5860
12.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	0
13.	उत्तर-पूर्व (अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम सहित)	5110
14.	उड़ीसा	14000
15.	पंजाब	0
16.	राजस्थान	0
17.	तमिलनाडु	55
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	18000
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	9000
20.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	11047
	कुल	100000

कहलगांव में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा शुरू किए गए निर्माण कार्य

7455. श्री सुबोध राय: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 10 कि.मी. की परिधि के भीतर विकास और कल्याणकारी कार्यों पर निर्धारित धनराशि खर्च करता है।

(ख) यदि हां, तो क्या कहलगांव में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा शुरू किए गए अनेक निर्माण कार्य अभी भी लंबित पड़े हैं और विकास के लिए धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में विकास संबंधी कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने 10 किमी की परिधि के अन्दर विकास कार्य एवं कल्याणकारी कार्य करने एवं इन पर एक निर्धारित राशि खर्च करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई है हालांकि एनटीपीसी ने सरकार द्वारा अनुमोदित पुनः स्थापन एवं पुनर्वास नीति अपनाई है जिसके अन्तर्गत प्रभावित गांवों/मौजा में भूमि से विस्थापित लोगों के लिए यह विभिन्न समुदाय विकास कार्य जैसे गांव के सड़कों को निर्माण सामुदायिक हाल, पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय का निर्माण, कुओं एवं हैण्डपंपों, नाली की व्यवस्था करता है। इन समुदायिक विकास कार्यों का निर्णय ग्रामीण विकास सलाहकार समिति की बैठकों में किया जाता है। जिसमें भूमि विस्थापित लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते है जहां पर ग्रामीण विकास सलाहकार समिति अस्तित्व में नहीं है वहां सामुदायिक विकास कार्यों का निर्णय प्रभावित गांव के भूमि विस्थापित व्यक्तियों के साथ संयुक्त विचार-विमर्श के जरिए किया जाता है।

(ख) और (ग) एनटीपीसी द्वारा पहले से कहलगांव में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के अनुसार चल रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ कार्य शुरू किए जा सके हैं क्योंकि प्रभावित गांव में निर्माण कार्य हेतु ग्रामीण व्यक्तियों/भूमि विस्थापितों को अभी भूमि उपलब्ध नहीं कराया जा सका है इन उदेश्यों के लिए आवंटित निधि का पूर्ण रूपेण समुपयोजन किया जा रहा है। मार्च, 99 तक प्रभावित गांवों एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यों पर 462.82 लाख रुपये का खर्च किया जा चुका है। 1999-2000 के दौरान सामुदायिक विकास कार्यों के लिए अनुमोदित 84, लाख रुपये परिव्यय की तुलना में लगभग 130 लाख रुपये का खर्च हो चुका है।

[अनुवाद]

भूमंडलीय तापमान में वृद्धि

7456. श्री राजेश वर्मा:
श्री राशिद अलवी:
श्री जितेन्द्र प्रसाद:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमंडलीय तापमान में वृद्धि के खतरे को देखते हुए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार तापमान वृद्धि पर श्वेत-पत्र जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान कानूनी एवं नीतिगत ढ़ांचे में भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होने के बारे में व्यक्त चिन्ताओं का पर्याप्त रूप से समाधान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विभागेत्तर डाकघर

7457. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभागेत्तर डाकघरों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार करने का है;

(ख) नियमित पोस्टमास्टर और डाकिये और विभागेत्तर डाकघरों के पोस्टमास्टर और डाकिये को दिए जा रहे वेतन और अन्य सुविधाओं में कितना अंतर हैं;

(ग) क्या ऐसे डाकघरों के पोस्टमास्टरों को किराया मुक्त कार्यालय आवास और सरकारी सुविधाओं का प्रबंध स्वगं करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) ऐसा कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) शाखा पोस्टमास्टर के लिए यह अनिवार्य है कि वह डाक प्रचालन के लिए एजेंसी परिसर के बतौर कार्य करने हेतु स्थान उपलब्ध कराए ।

विवरण

नियमित पोस्टमास्टर तथा पोस्टमैन और अतिरिक्त विभागीय डाकघरों में कार्यरत उनके समकक्ष कर्मचारियों को प्रदान किए जा रहे वेतन तथा अन्य सुविधाओं में अन्तर

बीआरसीए का वेतनमान (ईडीडीए)	औसत वेतन औसत लागत वेतन	पोस्टमैन का वेतनमान	औसत वेतन	मूल वेतन का अंतर	महंगाई भत्ता 38%	मूल वेतन+ महंगाई भत्ते का कुल अंतर (वेतन प्रति कर्मचारी)
1375-25-2125	1625	3050-75-3950 80-4590	3820	2195	834	3029
1740-30-2640	2040		3820	1780	676	2456
अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टर		पोस्टमास्टर (एचएसजी-1)	8500	5875	2233	8108
2125-50-3125	2625	6500-200-10500				
अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर						
1280-35-1980	1630	पोस्टमास्टर (एल एस जी) 4500-125-7500	5750	4120	1566	5686
1600-10-2400	2000	पोस्टमास्टर (बी सी आर) 5000-150-8000	6500	4500	1710	6210

[अनुवाद]

ऑनलाइन बूथ

7458. श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सभी गांवों में "ऑनलाइन" बूथों (कियोस्क्स) को स्थापित और संचालित करने के लिए किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल लागत कितनी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 99 के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं भी उचित हो, पी सी ओ को इंटरनेट सुविधा सहित मल्टी मीडिया की क्षमतायुक्त पब्लिक टेलीईफों सेंटरों (पीटीआईसी) में बदल दिया जाए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2000-2001 के दौरान ब्लॉक मुख्यालयों में इन्टरनेट ढाबों की योजना है। प्रत्येक इंटरनेट ढाबे में पीरफेरलों के साथ एक कम्प्यूटर की आवश्यकता होगी तथा इसके संरूपण के आधार पर प्रत्येक ढाबे की लागत लगभग 90,000/-रुपये होने की संभावना है।

हरियाणा में नए टेलीफोन कनेक्शन

7459. श्रीमती कैलाशो देवी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल में प्रायोजित नई योजना के अंतर्गत हरियाणा में कितने नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए;

(ख) इन नए टेलीफोन कनक्शनों के लिए कितने टेलीफोन उपस्कर के माडलों की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या नए टेलीफोन उपकरणों के दोषपूर्ण होने के कारण बड़ी संख्या में नए टेलीफोन कनेक्शन काम नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषपूर्ण उपकरणों की शिकायतों का निपटान किस प्रकार किया जा रहा है अथवा किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) हरियाणा में नयी स्कीम (कम पंजीकरण फीस सहित) आरम्भ नहीं की गई है। इस प्रकार से हरियाणा में स्कीम के अन्तर्गत कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया गया।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पियरलेस जनरल फाइनेन्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में निदेशकों का मनोनयन

7460. श्री सी.पी. राधाकृष्णन: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पियरलेस जनरल फाइनेन्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के निदेशक मंडल में अध्यक्ष और पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक (सहित) कितने निदेशक हैं;

(ख) किस तारीख को बोर्ड अन्तिम बार गठित किया गया था;

(ग) क्या बोर्ड के गठन और सदस्यों को इसमें शामिल करने के पूर्व कम्पनी ला बोर्ड की स्वीकृति मांगी गई थी और प्राप्त की गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 308 के अन्तर्गत बोर्ड में कुछ निदेशकों को मनोनयन हेतु सरकार की ओर से कोई दबाव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता के रिकार्डों के अनुसार पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट लि. के निदेशक मंडल में अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों सहित 10 निदेशक हैं।

(ख) कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता द्वारा रखे जा रहे कम्पनी के रिकार्डों के अनुसार इस कम्पनी के निदेशक मंडल का अद्यतन संघटन निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री ध्रुव नारायण घोष	अध्यक्ष	12.8.1996
2.	श्री अजित कुमार चटर्जी	उपाध्यक्ष	16.11.1993
3.	श्री सुनील कांतिराय	प्रबन्ध निदेशक	2.12.1993
4.	श्री सुसिम मुकुल दत्ता	निदेशक	12.8.1996
5.	श्री दीवांकर बसु	निदेशक	11.5.1998
6.	श्री अमल चन्द्र चक्रवर्ती	निदेशक	29.8.1998
7.	श्री बे.बी. दादाचंजी	निदेशक	12.8.1996
8.	श्री एस.बी. बोस मल्लिक	निदेशक	15.5.1987
9.	श्री एन.एच. थानावाला	निदेशक	7.3.1989
10.	श्री आसिस कुसुम चटर्जी	निदेशक	26.6.1986

(ग) (1) मैं. पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट लि. कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक नियमित कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में है और यह पब्लिक रकम के संबंध में कार्रवाई करती है। यह एक अवशिष्ट गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी है और अवशिष्ट गैर-बैंककारी कम्पनी (भारतीय रिजर्व बैंक) संशोधन अधिनियम, 1997 के उपबंध इस पर लागू होते हैं।

(2) कम्पनी विधि बोर्ड (सी.एल.बी.) ने धारा 408(1) के अन्तर्गत 30.11.1987 को एक आदेश पारित किया था। जिसमें यह निदेश दिया था कि कम्पनी के बोर्ड में 4 सरकारी निदेशकों की नियुक्ति उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाए। कम्पनी ने सी एल बी के उक्त आदेश के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत एक आवेदन दायर किया। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1.7.1988 के

आदेश के द्वारा सी एल बी के दिनांक 30.11.1987 के आदेश को रद्द कर दिया। केन्द्रीय सरकार द्वारा एक अपील न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष अभी भी लंबित है।

(3) 1997 में कभी कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत मै. पी जी एफ आई सी एल के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति के सारे मामले की नए सिरे से जांच किए जाने का निर्णय करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1954 की धारा 45एन के अन्तर्गत की गई निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित की । भारतीय रिजर्व बैंक की उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कम्पनी कार्य विभाग द्वारा पी जी एफ आई सी एल के बोर्ड में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत इस संबंध में कम्पनी विधि बोर्ड को एक संदर्भ भेजा गया। कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा दिनांक 4.12.1998 के इसके आदेश के द्वारा धारा 408 के अन्तर्गत इस संदर्भ पर बिना किसी आदेश के पारित किए हुए निर्णय लिया गया क्योंकि 1995 में जिन परिस्थितियों के आधार पर यह संदर्भ भेजा गया था तब की स्थिति व अब की परिस्थिति में काफी परिवर्तन आ गया है और इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही सक्रिय मानिटरिंग तथा 5 नए विशेषज्ञ व्यावसायिक निदेशकों के शामिल किए जाने सहित कम्पनी के कार्यों की प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाईयों पर विचार करते हुए ऐसा करना पड़ा। कम्पनी विधि बोर्ड को सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करने का कोई कारण नजर नहीं आया।

(4) इन परिस्थितियों को देखते हुए कम्पनी के लिए निदेशक मंडल के गठन तथा उसमें सदस्यों को शामिल करने के लिए कम्पनी विधि बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 (प्रश्न में गलती से 308 लिखा गया है) के अन्तर्गत कम्पनी के बोर्ड में कुछ निदेशकों को नामित करने के लिए सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है।

(च) मामले में कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में न्यायाधीन है।

नई विद्युत परियोजनाएं

7461. श्री नामदेव हरभाजी दिवाथे: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र अनुमति देने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु हाल ही में परियोजनाओं पर निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया के विकेन्द्रीकारण/ प्रक्रियात्मक सुधारों को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत निर्णयों के प्रभाव की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नौकरशाही की भूमिका को पूर्णत: समाप्त करने के लिए शुरू किए गए/विचाराधीन सुधारों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) 1991 से विद्युत क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के बाद निर्णायक प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण हेतु उपायों सहित कई नीतिगत पहल की गई हैं। विद्युत क्षेत्र में बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इन नीतियों की समीक्षा की जाती है। सरकारी नीतिगत पहलों का उत्साहवर्द्धक प्रभाव रहा है और इस समय औसतन 54,969 मे.वा. क्षमता वाली 95 परियोजनाओं की मॉनीटरिंग की जा रही है।

(ग) सरकार विद्युत क्षेत्र की व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए विद्युत केन्द्र सुधारों की जरूरत को समझती है और एक निश्चित माध्यम से सुधार संबंधी गति बढ़ाना चाहेगी। इस संबंध में सरकार के पास संसद में एक विधेयक पारित करने का प्रस्ताव है, जिसके आधार पर विद्युत क्षेत्र का सुधार सुगमता से हो सकेगा। अब तक सुधार के लिए कमद उठाए सन्दर्भों में विद्युत आपूर्ति अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति के लिए सीमा में वृद्धि एवं 1500 करोड़ रुपये तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी शत-प्रतिशत स्वत: अनुमोदन देना शामिल है।

[हिन्दी]

एम आर टी पी सी में दवा विनिर्माताओं के खिलाफ मामले

7462. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इसा बात की जानकारी है कि बहुत से दवा विनिर्माताओं के खिलाफ एकाधिकार तथा प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार (एम आर टी पी सी) आयोग में मनमानी कीमतें वसूल करने, अनुचित व्यापार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार में संलिप्त होने संबंधी मामले दर्ज किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दर्ज किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में एम आर टी पी सी ने क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एम आर टी पी सी आयोग) एम आर टी पी अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत स्थापित एक अर्द्धन्यायिक निकाय है अधिनियम की स्कीम के अन्तर्गत, एम आर टी पी आयोग की एकाधिकारिक, अवरोधक, एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने में अहम भूमिका है। आयोग ने रिपोर्ट किया है कि यह इसके द्वारा कार्रवाई की जाने वाली एकधिकारिक/अवरोधक/अनुचित व्यापार प्रथाओं आदि के अन्तर्गत आने वाले मामलों की उद्योगवार या उत्पादवार सूचना नहीं रख रहा है।

नये टेलीफोन कनेक्शन

7463. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में टेलीफोन कनेक्शन लगाए जाने की प्रक्रिया को तेजी करने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कितनी श्रेणियां निर्धारित की गई हैं और किस श्रेणी के उपभोक्ता को टेलीफोन कनेक्शन शीघ्रातिशीघ्र दिया जाता है; और

(घ) महानगर टेलीफोन निगम द्वारा दिल्ली में उपभोक्ताओं को टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए ओ वाई टी और नॉन-ओ वाई टी के तहत अधिकतम समय सीमा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, सरकार, देश में तेजी से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए लगातार सभी सभव प्रयास कर रही है। चूंकि प्रति वर्ष 20% से अधिक टेलीफोन वृद्धि-दर का प्रावधान है। अत: देश में प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने वाले नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।

ऐसा नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने तथा मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार के कारण संभव हो पाया है। इस क्षेत्र में अग्रिम योजना कार्य से भी काफी मदद मिलती है।

(ग) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सात श्रेणियां निर्धारित की गई हैं:

1. तत्काल
2. ओ वाई टी-विशेष
3. ओ वाई टी-सामान्य
4. नॉन-ओवाईटी (एस एस)
5. नॉन-ओ वाई टी—विशेष
6. नान-ओ वाई टी एस डब्ल्यू एस/ ओ वाई टी-जी-एस ई डी ओ टी
7. नॉन-ओ वाई टी—सामान्य

"तत्काल" श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन शीघ्रातिशीघ्र दिए जाते हैं।

(घ) एम टी एन एल दिल्ली के क्षेत्र में सामान्यतया दोनों ही श्रेणियों में तकनीकी रूप से व्यवहार्य क्षेत्रों में 15 दिनों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाते हैं। तथापि, तकनीकी रूप से व्यवहार्य न पाये जाने वाले क्षेत्रों में उक्त समयावधि का पालन कर पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

अर्जित लाभ की प्रतिपूर्ति

7464. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन और दीव प्रशासन को बिजली के वितरण पर अर्जित लाभ के आधे की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव के अध्ययन हेतु विद्युत वित्त निगम को कोई अनुदान देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) गृह मंत्रालय में दिनांक 23.10.1998 को हुई बैठक में इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था। यूटी प्रशासन दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र को अपने विद्युत विभाग के लिए कारपोरेशन हेतु एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। तथापि यह प्रस्ताव अभी तक दमन व दीव सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रयुक्त हुए ल्युबआयल का आयात

7465. श्री ए. वेंकटेश नायक
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपशिष्ट तेल और प्रयुक्त हुए तेल के प्रयोग को विनियमित करके ल्युबआयल के आयात व्यय में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अधिसूचना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार प्रयुक्त हुए ल्युबआयल के आयात की अनुमति देने हेतु अपने प्रस्ताव को बेसल सम्मेलन में पेश किया है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की क्या प्रतिक्रिया रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार ने स्नेहक तेल के आयात खर्च में कमी करने के लिए अपशिष्ट तेल तथा प्रयुक्त हुए तेल कार्यों को विनियमित करने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी नहीं। "प्रयुक्त किए गए स्नेहक तेल" की बेसल सम्मेलन के अनुबंध 9 (सूची ख) में नई प्रविष्टि के लिए एक आवेदन पत्र सूचना कागज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बेसल सम्मेलन के तकनीकी कार्य दल के विचारार्थ एक औपचारिक आवेदन-पत्र अभी प्रस्तुत किया जाना है।

[हिन्दी]

राजस्थान में तेल कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण

7466. प्रो. रासासिंह रावत: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के अजमेर जिले में कितने किसानों और ग्राम पंचायतों की भूमि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अधिगृहीत की गई है तथा यह भूमि कितने एकड़ है और इसे किस-किस तिथि को अधिगृहीत किया गया है;

(ख) इस भूमि को किन-किन नियम और शर्तों पर अधिगृहीत किया गया है;

(ग) प्रभावित किसानों और ग्राम पंचायतों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन भी किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा प्रभावित किसानों के पुनर्वास के लिए किस नीति को अपनाया गया है;

(छ) कितने किसान पुनर्वास सुविधा से वंचित रह गए और ऐसे किसानों का कब तक पुनर्वास करा दिया जाएगा;

(ज) क्या प्रभावित किसानों के परिवारों को नौकरी में आरक्षण दिया गया है; और

(झ) यदि हां, तो कितने परिवरों को अभी तक रोजगार के अवसर दिए गए हैं और शेष परिवारों को इस प्रकार के रोजगार के अवसर कब तक प्रदान कर दिए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) गैस अॅथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) एल. पी. जी. के थोक परिवहन के लिए राजस्थान से होकर गुजर रही जामनगर/कांडला-लोनी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल. पी. जी.) पाइपलाइन बिछाने के लिए अजमेर जिलान्तर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 [पी.एण्ड एम.पी. (ए.आर.यू.एल.) अधिनियम] के प्रावधानों के तहत, सार्वजनिक हित में, केवल भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने की प्रक्रिया में है। गैस अॅथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 17-24 मई, 1999 के दौरान किशनगढ़ पीसांगन, नसीराबाद, मसूदा, तथा अजमेर तहसीलों के अंतर्गत 25 गांवों के 1420 किसानों के स्वामित्ववाली 159.29 हेक्टेयर भूमि के विषय में उपयोग के अधिकार का अर्जन कर लिया है। पाइपलाइन बिछाने की संपूर्ति के पश्चात् ऐसा उपयोग का अधिकार सरकारी अधिसूचनाओं के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है तथा भूमि का स्वामी/दखलदार फसलें उगाने/कृषि कार्य हेतु भूमि का

उपयोग करने के लिए अधिकृत हो जाता है। तथापि, भू-स्वामी/दखलदार भूमि के ऐसे हिस्से पर स्थाई भवन का निर्माण करने अथवा किसी हौज, कूप, रिजर्वायर अथवा बांध का निर्माण/खुदाई करने तथा कोई वृक्ष लगाने के लिए अधिकृत नहीं है।

(ग) 8 मई, 2000 तक सक्षम प्राधिकरण के द्वारा यथानिर्धारित 8,01,505 रुपये की धनराशि संबंधित भूस्वामियों को मुआवजे के रूप में भुगतान कर दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (झ) चूंकि भूमि का वास्तविक रूप से अधिग्रहण किए बगैर भूमि के विषय में केवल उपयोग का अधिकार प्राप्त किया गया था, इसलिए किसानों के पुनर्वास का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

म.प्र. में टेलीफोन केबलों की कमी

7467. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में टेलीफोन केबलों की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) लागू नहीं।

स्वर्णिम चार लेन वाली परियोजना

7468. श्री टी. एम. सेल्वागनपति: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2000 तक राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ी गई सड़कों की कुल लम्बाई क्या है;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान पूरी की गयी बड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान स्वर्णिम चार लेन वाली परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रा.रा. नेटवर्क में 17,712 कि.मी. की लम्बाई जोड़ी गई है। आज की स्थिति के अनुसार रा.रा. नेटवर्क की कुल लम्बाई 52,010 कि.मी. है।

(ख) 1999-2000 के दौरान पूरी की गई 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में है।

(ग) 1999-2000 के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर 900.70 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

विवरण

वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान पूरे किए गए 5 करोड़ रुपये और इससे अधिक लागत के सड़क/पुल कार्यों के ब्यौरे

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि मूल/संशोधित (लाख रुपये)
1	2	3
1.	असम	1037.35
	55.57 कि.मी. से 60 कि.मी. और 87 से 106 कि.मी. में मौजूदा 2 लेन पेवमेंट का सुधार	1351.22
2.	गुजरात	1462.99
	रा.रा.-8 के 249/4 कि.मी. से 259/4 कि.मी. में मौजूदा 2 लेन सी/डब्ल्यू को 4 लेन तक चौड़ा करना	

	2	3
	तमिलनाडु	823.00
	बी एस एम खंड के 94/0 कि.मी. से 130/0 कि.मी. के मौजूदा 2 लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करना	
	उत्तर प्रदेश	1878.26
	000 कि.मी. से 15.00 कि.मी. और 17.47 कि.मी. से 29.65 कि.मी. तक वाराणसी बाइपास का निर्माण	5899.00
	पश्चिम बंगाल	2778.00
	कलकत्ता-पल्सिट खंड पर 5-10 कि.मी. दुर्गापुर एक्सप्रैस-वे का निर्माण	13751.00
	दिल्ली	1017.00
	नई दिल्ली में रा.रा.-24 पर यमुना नदी के ऊपर दूसरा निजामुद्दीन पुल का निर्माण और पूर्वी एप्रोच रोड का नोएडा लिंक रोड तक विस्तार	
	गुजरात	429.90
	रा.रा.-8 और रा.रा.-8 को जोड़ने वाली लिंक रोड़ के 4/0 से 6/0 कि.मी. के बीच साबरमती नदी के ऊपर अतिरिक्त 2 लेन वाले पुल का निर्माण	843.00
	रा.रा.-8क (एप्रोच) पर 280/080 कि.मी. पर सूरजबाड़ी के नजदीक हडकिया क्रैक पर 2 लेन वाले नये पुल का निर्माण	1200.00
	हरियाणा	598.00
	रा.रा.-1 पर 29.295 कि.मी. से 50.00 कि.मी. (2 लेन) तथा न्यू कैरिजवे को 4 लेन (कुंडली सीमा से मुरूथल) का निर्माण	
10.	केरल	690.40
	चैनल-0-11760 चरण-II में कालीकट बाइपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण	
11.	अल्वे-विटिला अरूर-शेरतलैई को 4 लेन का बनाना और	6058.66
	विटिला से अरूर ए डी बी एच तक मौजूदा 2 लेन को सुदृढ़ करना	14504.00
12.	नील्थोड् पुल सहित चैनल 20870 से 28124 तक कालीकट बाइपास	1135.96
	चरण-I का निर्माण	3019.30
13.	विल्लिंडन आईलैण्ड और कोचीन बाइपास को जोड़ने वाले रा.रा.-47क	3977.55
	चरण-II के लिंक रोड का निर्माण	5848.00
14.	उत्तर प्रदेश	759.00
	135 कि.मी. से 160 कि.मी. में कमजोर 2 लेन पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण	

[हिन्दी]

आयल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय का स्थान परिवर्तन

7469. श्री तरूण गोगोई: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयल तेल निगम के मुख्यालय को दिल्ली से हटाकर असम क्षेत्र में ले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मुख्यालय को कब तक बदल दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आयल इंडिया लिमिटेड के नैगम कार्यालय को दिल्ली से हटाकर असम क्षेत्र में ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय असम राज्य के अन्तर्गत दुलियाजान में है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मूल्य-वर्धित इंटरनेट सेवाएं

7470. श्री पी.आर. खूंटे: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम के द्वारा मूल्यवर्धित इंटरनेट सेवाओं के लिए एक अलग कंपनी की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा इसके परिणामस्वरूप कितना लाभ अर्जित किया जा रहा है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन 17.2.2000 को "मिलेनियम टेलीकाम लि." नामक एक नई कंपनी शामिल की गई। यह नई कंपनी ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की मूल्यवर्धित सेवाओं की योजना स्थापना, विकास बाजार, प्रबंध, प्रचालन तथा अनुरक्षण करेंगी।

(ग) कंपनी का प्रचालन अभी शुरू किया जाना है, अत: प्रश्न नहीं उठता।

महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण हेतु योजना

7471. श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्री पी.आर. खूंटे:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अतिरिक्त अन्य अति महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव/योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में विशेषकर छत्तीसगढ़ और सारंगगढ़ क्षेत्र में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने एक केन्द्रीय सड़क निधि बनाने का निर्णय लिया है। इसमें हाई स्पीड डीजल तथा पेट्रोल पर 1/-रुपये प्रति लीटर भी उपकर वसूली से प्राप्त राशि जमा की जाएगी। हाई स्पीड डीजल पर उपकर वसूली से प्राप्त 50% राशि ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय को अंतरित कर दी जाएगी। शेष राशि में से 57.5% राशि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव हेतु उपयोग में लाई जाएगी, 12.5% राशि रेल-ओवर-ब्रिजेज और कर्मी-रहित रेल फाटकों पर सुरक्षा कार्यों के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय को अंतरित की जाएगी और 30% राशि राज्यीय सैक्टर की सड़कों के लिए आबंटित की जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैस आधारित विद्युत परियोजना

7472. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में गैस आधारित कुछ विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में इन विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा पहले आमंत्रित की गई निविदाएं रद्द कर दी गई हैं और नए सिरे से निविदा दरें आमंत्रित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) राज्यों में प्रस्तावित रूप से स्थापित किए जाने वाले गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन ने चार गैस आधारित परियोजनाओं, अर्थात् कवास सीसीपीपी-2 झनोर-गांधार-2 अंता सीसीपीपी-2 एवं औरैया सीसीपीपी-2 जो सभी 650 मे.वा. क्षमता के एवं कुल मिलाकर 2600 मै.वा. क्षमता के हैं, तथा जिन्हें नौवीं योजनावधि के अन्दर चालू किए जाने का लक्ष्य था के लिए एक विस्तार योजना बनाई थी, इन परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया एनटीपीसी द्वारा 1998 के दौरान शुरू किया गया था और अभी तक विभिन्न तकनीकी कारणों एवं नॉन-रिसपांसिव कारणों से बोलियों का निपटारा नहीं हो सका है। चूंकि ये परियोजनाएं राष्ट्रीय महत्व की हैं, अत: सरकार का विचार है कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अब अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तदनुसार विद्युत मंत्रालय ने जनहित में एनटीपीसी से कहा कि वह इन बोलियों को अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल से प्राप्त कानूनी सलाह के आधार पर बोलीकर्त्ताओं के साथ बातचीत कर अंतिम रूप दे। हालांकि, विभिन्न शर्तों एवं अपेक्षाओं के मामलों में कतिपय विपथन को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी ने दोनों बोलियों को नॉन-रिसपोंसिव माना एवं उन पर पुन: बोली कराने का निर्णय लिया। एनटीपीसी ने बोली संबंधी शर्तों की समीक्षा शुरू की है और इन संयुक्त साइकिल परियोजनाओं की मुख्य संयंत्र पैकेजों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली आधार पर पुन: बोली करा रहा है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम
1	2	3
1.	अन्ता सीसीपी (650 मे.वा.) चरण-2, एनटीपीसी	राजस्थान
2.	रामगढ़ सीसीजीटी (71 मे.वा.), आरएसईबी	राजस्थान
3.	धौलपुर सीसीजीटी (702.7 मे.वा.)-मै. आरपीजी धौलपुर पावर कं.लि.	राजस्थान
4.	औरैया सीसीपीपी (650 मे.वा.) चरण-2, एनटीपीसी	गुजरात
5.	कवास सीसीजीटी (650 मे.वा.) चरण-2, एनटीपीसी	गुजरात
6.	झनोर-गांधार सीसीजीटी चरण-2 (650 मे.वा.) एनटीपीसी	गुजरात
7.	हजीरा में सीसीपीपी (156 मे.वा.)-मै. गुजरात स्टेट एनर्जी जैनरेशन लि.	गुजरात
8.	ध्रुवण सीसीजीटी (100 मे.वा.)-मै. गुजरात राज्य विद्युत निगम	गुजरात
9.	प्रगति सीसीपीपी (330 मे.वा.) दिल्ली विद्युत बोर्ड	दिल्ली
10.	कोविलकल्पल (107.88 मे.वा.) टीएनईबी	तमिलनाडु
11.	पिल्लईपेरूमालनल्लूर सीसीजीटी (330.5 मे.वा.) मै. पीपीएन पावर जेनरेशन कं.	तमिलनाडु

1	2	3
12.	वेम्बर सीसीजीटी (1873 मे.वा.) मै. इंडियन पावर प्रोजेक्ट्स लि.	तमिलनाडु
13.	कट्टीपल्ली सीसीपीपी (1000 मे.वा.)-मै. चेन्नई पावर जेनरेशन लि.	तमिलनाडु
14.	नरसिंहपुर सीसीपीपी (166 मे.वा.)-मै. वीबीएल पावर इंडिया लि.	मध्य प्रदेश
15.	गुणा सीसीजीटी (330 मे.वा.)-मै. एसटीआई पावर लि.	मध्य प्रदेश
16.	भाण्डेर सीसीजीटी (342 मे.वा.)-मै. भाण्डेर पावर लि.	मध्य प्रदेश
17.	खण्डवा सीसीजीटी (171.17 मे.वा.)-मै. मध्य भारत एनर्जी कार्पोरेशन लि.	मध्य प्रदेश
18.	राजगढ़ सीसीपीपी (343.48 मे.वा.)-मै. अल्पाइन पावर सिस्टम लि.	मध्य प्रदेश
19.	झाबुआ सीसीपीपी (360 मे.वा.)-मै. केडिया पावर लि.	मध्य प्रदेश
20.	डाभोल सीसीजीटी (1444 मे.वा.) चरण-2-मै. डाभोल पावर कं.. एनरॉन यू एसए	महाराष्ट्र
21.	पातालगंगा सीसीपीपी (447 मे.वा.)- मै. रिलायंस पातालगंगा प्रा. लि.	महाराष्ट्र
22.	कोंडापल्ली सीसीजीटी (350 मे.वा.)-कोंडपल्ली पावर कार्पोरेशन	आंध्र प्रदेश
23.	वेमागिरी सीसीपीपी (492 मे.वा.)-पूर्वी गोदावरी में मै. इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	आंध्र प्रदेश
24.	कमनिमिके सीसीपीपी (107.6 मे.वा.)-मै. पीन्या पावर कं.	कर्नाटक
25.	नंजनगुड सीसीपीपी (96.7 मे.वा.)-मै. आईपीएस पावर कं.	कर्नाटक
26.	हासन सीसीपीपी (189 मे.वा.)-मै. हासन पावर सप्लाई कं.लि.	कर्नाटक
27.	माण्ड्या सीसीपीपी (164.37 मे.वा.)-मै. माण्ड्या पावर पार्टनर्स प्रा. लि.	कर्नाटक
28.	विपीन सीसीपीपी (679.2 मे.वा.)-मै. सियासिन एनर्जी प्रा. लि.	केरल
29.	कन्नूर सीसीपीपी (513 मे.वा.)-मै. कन्नूर पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	केरल

आन्ध्र प्रदेश में गैस की उपलब्धता

7473. श्री डी.वी.जी. शंकर राव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, आन्ध्र प्रदेश के अपतटीय रव्वा क्षेत्र में गैस की उपलब्धता बढ़ाने हेतु कोई उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैस की दोगुनी आपूर्ति कब तक होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) राव्वा क्षेत्र के अन्वेषण/दोहन में शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खुदरा पेट्रोलियम डीलरों को ह्रास-भत्ता (सीकेज अलाउंस)

7474. श्री रमेश चेन्नितला:
श्री जार्ज ईडन:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड देश में पेट्रोलियम डीलरों को कोई ह्रास भत्ता (सीकिज अलाउंस) देता है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड पिछले कई वर्षों से केरल के खुदरा पेट्रोलियम डीलरों को देय ह्रास भत्ता लम्बित रखे हुए है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त शीर्ष में कितनी धनराशि लम्बित है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) अनुमोदित बाजारों के डीलरों को तेल विपणन कंपनियों, जिनमें भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड शामिल है, के द्वारा संकुचन भत्ते की अनुमति दी गयी है और यह बिक्री मूल्यों के माध्यम से वसूल किया जाता है। केरल बाजारों के नाम जहां संकुचन भत्ता लागू है, संलग्न विवरण में दिए हैं।

विवरण

केरल में ऐसे बाजार जहां संकुचन भत्ता लागू है

क्र. सं.	बाजार
1	2
1.	चुन्दाले
2.	कलपेट्टा
3.	मननतोवडी
4.	मेपडी
5.	एस बत्तेरी
6.	अदिमली
7.	इल्लापारा
8.	इदुक्की
9.	कट्टापाना
10.	कुमिली
11.	मुन्नार
12.	नेदुमकेंडम
13.	पंबानार
14.	पीरामेद
15.	पुलपल्ली
16.	वेदीप्पेरियार
17.	वेल्लाथुवल
18.	पनमारम
19.	तरूवना
20.	इत्तुमन्नूर

विद्युत उत्पादन पर उपकर

7475. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन पर उपकर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या विधेयक पारित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) सरकार द्वारा अगस्त, 1998 में घोषित जल विद्युत विकास संबंधी नीति में देश में खपत हो रही बिजली पर प्रति कि.वा. घं. 10 पैसे का उपकर लगाकर राष्ट्रीय विद्युत विकास निधि की स्थापना की व्यवस्था है। बाद में उत्पादित विद्युत के लिए 5 पैसे प्रति कि.वा. घंटा उपकर लगाने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ रखा गया पर इसे स्थागित कर दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार

7476. श्री जी. वेंकटेस्वरलु: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार का पता चला है; और

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राज्य में और खोज किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997-98 से 1999-2000 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज पांच नए पूर्वेक्षण स्थलों नामत: मागाटापल्ली, गोकरनापुरम केसवदासुपलायम, लक्ष्मणेश्वरम और सीरीकट्टापल्ले में हुई है।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में अन्वेषण प्रयासों के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए किए गए प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:

(1) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) का क्रियान्वयन प्रथम दौर में 25 ब्लाक अवार्ड किए गए और 7 गहरे पानी वाले ब्लाकों सहित 22 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर समयबद्ध ढंग से हस्ताक्षर किए गए।

(2) पूर्वी और पश्चिम तट के गहरे पाली वाले क्षेत्रों सहित विद्यमान बेसिनों और अन्वेषण न किए गए क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन ओ सीज) द्वारा प्रयासों में गहनता लाना।

(3) अन्वेषण क्रियाकलापों में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

(4) सी बी एम के अन्वेषण और उत्पादन के लिए किसी निजी कंपनी को पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र में सरकार द्वारा एक ब्लाक हाल में अवार्ड किए जाने जैसे उपायों के माध्यम से वैकल्पिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों अर्थात् कोल बेड मीथेन (सी बी एम) और गैस हाइड्रेट्स को लक्ष्य बनाना।

[हिन्दी]

लघु विकास परियोजनाएं

7477. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय द्वारा 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी नहीं करने के कारण विभिन्न राज्यों की अनेक लघु विकास परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्या सरकार द्वारा कोई विशेष व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उपबन्धों और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार परियोजनाओं को पर्यावरण/वन मंजूरी प्रदान करता है।

पर्यावरण मंजूरी अधिसूचना, एक करोड़ रुपये से कम लागत वाली औद्योगिक परियोजनाओं पर लागू नहीं होती। यह लघु उद्योग क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आती हैं। इसके अलावा, अनेक विकासात्मक कार्य को पर्यावरण मंजूरी लेने से छूट दी गई है, यदि उनकी लागत 50 करोड़ रुपये से कम है। खनन परियोजनाओं को अरावली अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता केवल तभी होगी जब खनन पट्टा पांच हैक्टेयर से अधिक हो।

यदि वन क्षेत्र पांच हैक्टयर से कम है और इनमें खनन तथा अवैध कब्जों को नियमित करना शामिल नहीं है तो वन मंजूरी के संबंध में मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को निर्णय लेने की शक्ति है। पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने और पारेषण लाइनें बिछाने जैसी मदों के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा और प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

(घ) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना तथा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तावों पर निर्णय पूरी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर ले लिया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन कनेक्शन

7478. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन बुक कराते समय ही सभी टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कोई आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा गुजरात में भी उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात में अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और आज की तारीख तक उनमें से कितने कनेक्शन प्रदान किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जहां मांग पर टेलीफोन उपलब्ध है वहां पंजीकरण कराने की तारीख से 7 दिनों के भीतर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के सभी यथा संभव प्रयास किये जाते हैं, बशर्ते कि क्षेत्र तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।

वर्ष 2002 तक गुजरात के सभी एक्सचेंजों में दूरसंचार विभाग का मांग पर टेलीफोन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) गुजरात दूरसंचार सर्किल में 1999-2000 के दौरान प्राप्त कुल 4,01,024 आवेदनों में से 1999-2000 के दौरान 3,74,022 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

पी.पी.ए. में मंत्रालय की भूमिका

7479. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत खरीदने संबंधी समझौतों में उनके मंत्रालय की क्या भूमिका है;

(ख) क्या राज्य विद्युत खरीदने संबंधी समझौते करने के लिए स्वतंत्र हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे विद्युत खरीद संबंधी समझौतों में उनके मंत्रालय की भी कोई भूमिका है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार और राज्य सरकारों द्वारा कितने विद्युत खरीद संबंधी समझौते किए गये हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कितने इन विद्युत खरीद समझौतों में यूनिट खरीद दर क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) विद्युत क्रय करार (पीपीए) राज्य विद्युत बोर्ड और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के मध्य में एक करार है जिसमें दोनों पक्षों के मध्य विद्युत की खरीद/बिक्री हेतु रूपात्मकताओं और विभिन्न जोखिमों के आवंटन को तय किया जाता है। इसीलिए, पीपीए की मानीटरिंग का मामला संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

(ख) जी, हां। राज्य अपनी विद्युत की आवश्यकता, विद्युत की लागत और इसके लिए भुगतान करने की अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए विद्युत क्रय करार करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अभी तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 29362.3 मे.वा. की कुल क्षमता की विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए 57 स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1.4.1997-31.3.2000) के दौरान राज्य सरकारों के साथ किए गए पीपीए का ब्यौरा निम्नवत् है:-

वर्ष	राज्य का नाम	पीपीए की सं.
1997-98	हिमाचल प्रदेश	1
	मध्य प्रदेश	3
	गुजरात	2
	उड़ीसा	1
	बिहार	1
	आंध्र प्रदेश	1
	कर्नाटक	1
	तमिलनाडु	2
1998-99	उत्तर प्रदेश	2
	महाराष्ट्र	1
	पश्चिम बंगाल	1
	आंध्र प्रदेश	1
	तमिलनाडु	2
1999-2000	कर्नाटक	2
	तमिलनाडु	1

(ङ) भारत सरकार उत्पादन कम्पनी और राज्य के मध्य किए गए पीपीए में उत्पादन की लागत की मानीटरिंग नहीं करती है। सभी निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं द्वारा विद्युत की बिक्री हेतु टैरिफ इस समय, इस संबंध में भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निर्धारित घटकों तथा अन्य शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सड़क विकास के लिए योजना बनाना

7480. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सड़क विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या 2001 तक राष्ट्रीय राजमार्गों से 45520 कि.मी. लम्बी दोहरी लेन वाली और 8500 कि.मी. लम्बी एकल लेन वाली सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के लिए राजमार्ग की लम्बाई में कितनी अतिरिक्त वृद्धि की घोषणा किए जाने का प्रस्ताव है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने कि.मी. लम्बाई की सड़कों की मंजूरी दी गई थी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए लक्ष्यों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश राज्य के लिए किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग को अनुमोदित प्रदान नहीं किया गया। तथापि, नौवी योजना के दौरान अब तक मध्य प्रदेश में 2228 कि.मी. लम्बी राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है।

विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) की नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वास्तविक लक्ष्य

(क) भा.रा.रा.प्रा. से इतर एजेंसियों द्वारा

क्रम सं.	स्कीम	यूनिट	नौवीं योजना लक्ष्य (1997-2002) कि.मी./संख्या
1	2	3	4
	सामान्य रा.रा. कार्य		
1.	दो लेन में चौड़ा करना	कि.मी.	1194
2.	चार लेन में चौड़ा करना	कि.मी.	202
3.	कमजोर दो लेन को सुदृढ़ करना	कि.मी.	2908
4.	बाईपास	संख्या	20
5.	बड़े पुल	संख्या	40
6.	आर ओ बी सहित छोटे पुल	संख्या	226
7.	एक्सप्रेस मार्ग	चुनिंदा आधार पर जहां यातायात की मात्रा बहुत ज्यादा है।	

*उपर्युक्त लक्ष्यों/उपलब्धियों में भा.रा.रा.प्रा. का कार्यक्रम शामिल नहीं है। भा.रा.रा.प्रा. का कार्यक्रम अलग से संलग्न है।

(ख) भा.रा.रा.प्रा. द्वारा

		परियोजना में शामिल कुल लंबाई	वह लंबाई जिसमें 4 लेन पहले ही बनाई जा चुकी है	चालू/कार्यान्वयन के अधीन कार्य	9वीं योजना के दौरान सौंपी जाने वाली लंबाई
1(क)	स्वर्णिम चतुर्भुज चार/छह लेन में चौड़ा करना	कि.मी. 5952	504	716	4732
(ख)	उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कारिडोर चार/छह लेन में चौड़ा करना	कि.मी. 7300	628	264	366
	जोड़	13252	1132	980	5118
2.	भा.रा.रा.प्रा. द्वारा अन्य कार्य	कि.मी. 1000	0	214	784

ताप और जल विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा

7481. डा. संजय पासवान: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की रुग्ण ताप और जल विद्युत परियोजनाओं तथा विशेषकर बिहार की मैंकनराइल बैंक ताप और जल विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा करने तथा उन्हें पुन: चालू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) इनमें से प्रत्येक विद्युत परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई और इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख)भारत सरकार नवीकरण एवं आधुनिकीकरण द्वारा पुराने ताप एवं जल विद्युत केन्द्रों के जीर्णोद्धार के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने पुराने ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन, कार्य क्षमता एवं उपलब्धता में सुधार करने के लिए इनके नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम चरण-2 नाम दिया गया वर्ष 1984-85 में आरंभ किया गया जिसकी अनुमानित लागत 1165 करोड़ रुपये थी, शामिल थे। 1990-91 में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम चरण-2 शुरू किया गया जिसमें, 44 ताप विद्युत केन्द्र शामिल थें। और जिनकी अनुमानित लागत 2383 करोड़ रुपये थी। इसी प्रकार नवीकरण एवं आधुनिकीकरण एवं दर वृद्धि जल विद्युत केन्द्रों का भी किया जा रहा है। हालांकि बिहार की विद्युत परियोजनाएं, नामश: मैकन राइल बैंक ताप तथा जल विद्युत केन्द्र नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के अंतर्गत शामिल नहीं थे। बिहार/प. बंगाल में डीवीसी की निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाएं प्रगति पर हैं:

स्कीम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	अनुमानित (मे.वा.)	लाभ (मि.यू.)	पूरा होने का कार्यक्रम
मैथान (3×20 मे.वा.)	17.34 (संशोधित-39.00)	60	137	2002-03
पंचेट (1×40 मे.वा.)	2.17	40	87	2001-02

(ग) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए किसी भी केन्द्रीय निधि का आवंटन नहीं किया जा रहा है। हालांकि सरकार पीएफसी को सहायता दे रही है ताकि वह रा.वि. बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराए। नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर बल देने के लिए सरकार ने राज्य यूटिलिटियों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक नई योजना घोषित की है। इस योजना के अंतर्गत 2000-01 के दौरान पुराने एवं असक्षम संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए एवं वितरण प्रणाली प्रबलन के लिए राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों को 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता दी गई है।

(घ) ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण चरण-2 की स्थिति विवरण-I में दी गई है। एवं जल विद्युत केन्द्रों के संबंध में स्थिति विवरण-II एवं III में दी गई है।

विवरण-I

आर एण्ड एम कार्यक्रम के अन्तर्गत ताप विद्युत यूनिटों का वितरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	बोर्ड/यूटिलिटियां	स्टेशन	यूनिटें	कुल यूनिटें	क्षमता (मे.वा.)	स्वीकृति अनुमानित लागत	3/2000तक किया गया व्यय	भौतिक प्रगति (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एनटीपीसी	बदरपुर	1-5(3×95+2×210)	5	705.00	14018.00	0.00	0.00
2.	डीवीबी	आई.पी.	1-5(1×30+3×62.5+1×60)	5	277.50	1744.00	1117.23	71
3.	एचपीजीसीएल	फरीदाबाद	1-3(3×55)	3	165.00	1050.00	714.01	74
4.	एचपीबीसीएल	पानीपत	1-2(2×110)	2	220.00	1658.00	2084.09	75
5.	पीएसईबी	रोपड़	1-2(2×220)	2	420.00	2494.65	2276.51	100
6.	पीएसईबी	भटिंडा	1-4(4×110)	4	440.00	2340.84	661.81	85
7.	आरएसईबी	कोटा	1-2(2×110)	2	220.00	3904.00	3057.88	100
8.	यूपीएसईबी	ओबरा	1-13(5×50+3×100+5×200)	13	1550.00	14367.00	1682.99	16
9.	यूपीएसईबी	पंनकी	1-4(2+32+2×110)	4	284.00	2570.00	1635.74	59
10.	यूपीएसईबी	हरदुआगंज	1-8(1×30+2×40+4×60+1×105)	8	855.00	3320.00	645.90	4
11.	यूपीएसईबी	परिचां	1-2(2×110)	2	220.00	1734.00	894.00	40
12.	एमपीईबी	अमरकंटक	1-4(1×30+1×20)	4	290.00	3674.00	2799.73	64
13.	एमपीईबी	कोरबा(ई)	1-6(4×5+2×120)	-	440.00	7710.00	4599.10	100
14.	एमपीईबी	कोरबा (डब्ल्यू)	1-2(2×210)	2	420.00	940.00	786.98	100
15.	एमपीईबी	सतपूड़ा	1-9(5×62+2×200+3×210)	9	1142	17707.17	5131.85	88
16.	जीईबी	उकई	1-5(2×120+2×200+1×210)	5	850	3090.00	2629.04	87
17.	जीईबी	गांधी नगर	1-2(2×120)	2	240.00	346.00	344.89	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	जीईबी	धुर्वन	1-6(4×63.5+2×140)	6	534.00	2724.00	1976.51	89
19.	जीईबी	बनकबोरी	1-3(3×210)	3	630.00	1544.00	1151.33	95
20.	एमएसईबी	कोराड़ी	1-7(4×115+1×200×2×210)	7	1080.00	6765.00	4041.70	93
21.	एमएसईबी	नासिक	1-5 (2×140+3×210)	5	910.00	12122.00	6397.40	86
22.	एमएसईबी	भूसावल	1-3 (1×58+2×210)	3	478.00	4179.00	1710.84	83
23.	एमएसईबी	चण्डीगढ़	1-4 (4×210)	4	840.00	4348.00	2665.95	100
24.	एमएसईबी	पारली	1-5 (2×30+3×210)	5	690.00	5416.00	1458.67	100
25.	एमएसईबी	पारस	2 (1×58) (2×60+3×110)	1	58.00	998.00	1780.05	100
26.	टीएनईबी	इन्नौर	1-5 (2×60+3×110)	5	450.00	6486.00	3317.67	76
27.	टीएनईबी	तुतीकोरिन	1-3 (3×210)	3	630.00	1043.00	842.76	100
28.	टीएनईबी	मेतूर	1-4 (4×210)	4	840.00	312.00	228.54	100
29.	एपीजेनको	कोथागुदम "ए" (ओईसीएफ)*	1-4 (4×60)	4	240.00	14171.00	13476.68	73
	एपीजेनको	कोथागुदम बी एण्ड सी	1-4 (2×105+2×110)	4	430.00	2903.00	1382.73	100
30.	एपीजेनको	मैल्लौर	1(1×30)	1	30.00	1385.00	1107.96	67
31.	एनएलसी	नवेली	1-9 (6×50+3×110)	9	600.00	25000.00	23764.63	100
32.	डब्ल्यूबीपीडीसी	कोलाघाट	2-3 (2×210)	2	420.00	2000.00	728.94	63
33.	डब्ल्यूबीएसईबी	सतनादीही	1-4 (4×120)	4	480.00	8490.00	4027.24	65
34.	डीवीसी	चन्दपुर	1-6 (3×120+3×140)	6	780.00	2722.00	2700.80	54
35.	डीवीसी	दुर्गापुर	1-4 (2×75+1×140+1×210)	4	500.00	36481.00	1807.09	92
36.	डीवीसी	बोकारो	1-3 (3×50)	3	150.00	284.00	257.15	100
37.	बीएसईबी	पतरातु	1-10 (4×40+2×90+2×105+2×110)	10	770.00	7583.00	4441.95	54
38.	बीएसईबी	बरौनी	1-4 (2×50+2×105)	4	310.00	1577.00	60.96	50
39.	बीएसईबी	मुजफ्फरपुर	1-2(2×110)	2	220.00	292.00	67.50	100
40.	एएसईबी	बोगाईगांव	1-4(4×60)	4	240.00	880.00	762.43	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	एएसईबी	चन्दुपुर	1(1×30)	1	30.00	252.00	215.28	87
42.	एएसईबी	कथलगुड़ी व गोलबकी	1-7(3×2.705+4×2.705)	7	18.93	633.00	534.02	100
43.	एएसईबी	लखवा	1-4(4×15)	4	60.00	1777.00	210.30	55
44.	एएसईबी	नामरूप	1-5 (3×23+1×12.5+1×30)	5	111.50	3268.00	3021.17	81
		जोड़		198	20869.43	238302.66	115251.14	

विवरण-I

पूर्ण आर एम एण्ड यू योजनाएं

31.3.2000 की स्थितिनुसार

क्र.सं.	योजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत/ वास्तविक लागत (रुपये करोड़ में)	प्रत्याशित मि.यू.	लाभ मि.यू.	वास्तविक मि.यू.	मि.यू.	टिप्पणीयां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्षमता उन्नयन का हानि में कमी एवं इस पर रोक								
1.	गिरि एच.पी.	2+30	9.85/7.90	6	28	–	–	क्षमता उन्नयन नहीं हो सका। कारण स्पष्ट नहीं है।
2.	नागहरी (यू-2) कर्नाटक	6×135	11.97/11.32	15	–	15	–	यूनिट 2 को 135 मे.वा. से 150 मे.वा. का बनाना।
3.	गंगूवाल (यू-2) बीबीएमबी	2+24.2+ 1+29.25	18.90/15*	3.43 24.20	27.98 217.50	27.63	–	यूनिट-2 का उन्नयन कर 24.2 मे.वा. से 27.63 मे.वा. किया गया है और जीवन विस्तार भी किया गया है। जीवनावधि समाप्ति 9/98 तक।
4.	कोटला (यू-2) बीबीएमबी	2+24.2+ 1+29.25	18.90/16.90	3.92 24.20	31.98 217.50	28.12	–	यूनिट-3 का उन्नयन कर 24.2 मे.वा. से 28.12 मे.वा. कर दिया गया है और जीवन विस्तार भी किया गया है। जीवनावधि समाप्ति 9/98 तक।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	शरावती(यू-9 व 10) कर्नाटक	2×89.1	17.96/14.68*	47.9	-	47.9		यूनिट 9 का उन्नयन 89.1 मे.वा. से 103.5 मे.वा. और यूनिट 10 का 70 मे.वा. से उन्नयन किया गया जीवनावधि समाप्ति 3/98 तक।
6.	शरावती (यू 1 से 8) कर्नाटक	8×89.1	65.00/63.49	115.2	-	471.6 178.2	-	सभी यूनिटों को 89.1 मे.वा. 103.5 मे.वा. कर दिया गया है।
7.	बेरा सुयूल एनएचपीसी	3×60	25.90	18.00	85	18	-	यूनिटों को उन्नयन का 60 मे.वा. से 66 मे.वा. कर दिया गया है।
8.	हिराकुड-1 (यू 1व 2)	2×37.5	90.26/92.32*	22.5	28.0	97.0	-	दोनों यूनिटों को 37.5 मे.वा. से 49.7 मे.वा. का बनाया गया जीवन विस्तार 25 वर्ष का। जीवनाधि समाप्ति 2/2000 तक।
9.	तिलोथ यू.पी.	3×30	8.02/5.513*	9	55	6	25	प्रत्येक यूनिट में 2 मे.वा. की वृद्धि की गई। जीवन समाप्ति 5/99 तक।
10.	कोयना 1 व 2 महाराष्ट्र	4×65+4×75	38.53/74.91*	280	1360	300	-	सभी यूनिटों में 5 मे.वा. की वृद्धि की गई सभी यूनिटों का जीवन विस्तार 25 वर्ष का। जीवन समाप्ति 9/99
पुन:स्थापन								
11.	उकई (यू-1 व 3) गुजरात	4×75	20.17/24.99	75.0	43.0	75.0	-	यूनिट 1 और 3 का पुन: स्थापन एवं दोनों में 9 मे.वा. की वृद्धि
12.	चेन्नई जम्मू एवं कश्मीर	5×4.66	11.00	0.93	-	0.93	-	पुन:स्थापित
13.	यूबीडीसी-1 पंजाब	3×1.5	11.00/8.00	11,0	146.26	11.0	-	वृद्धि की गई
14.	कदमपराई यू 1 व 4 तमिलनाडु	4×100	23.17/33.69	200	61	200	-	दो यूनिटों का पुन:स्थापन जो आग दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गए थे।
15.	खाडोंग (यू-1) नीपको	2×25	0.62/0.62	25.0	108.0	25.0	-	यूनिट 1 का पुन:स्थापन।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	देहर (यू-2, 3 व 4) बीबीएमबी	6×165	46/10.74	25.00	-	25.0	-	यूनिट 2 के पूर्व दर क्षमता संस्थापन/3 और 4 यूनिट पर कार्य नवीकरण एवं आधुनिकीकरण चरण-2 में शुरू किया जाएगा। क्योंकि ये संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।
क्षमता हानि का निवारण								
17.	शिवसामुद्रम कर्नाटक	6×3+4×6	8.00	18.00	90.0	18.0	-	जीवन विस्तारित प्रणाली को मौजूदा ग्रिड के साथ स्थापित किया गया।
18.	मयुर तमिलनाडु	3×12	1.62/1.3	36.0	115.0	36.0	-	जीवन विस्तारित।
19	रिहन्द केरल.	6×50	1.43	100.0	287.0	-	-	वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य इन्टेक के नवीकरण तथा ड्राफ्ट क्यूब गेट के खराब रहने के कारण सीमित रह गया।
नवीकरण								
20.	सोलेयर केरल	3×18	7.5/5.725	-	-	-	-	विश्वसनीयता में वृद्धि।
21.	कुंडया-3 यू 1 व 2 तमिलनाडु	3×60	5.45/3.2	-	8.12	-	-	टरबाईन की जीवनावधि में वृद्धि/इसकी कार्यक्षमता में 3.5% की वृद्धि।
22.	सोलेयंर-1 तमिलनाडु	2×35	1.40/0.85	-	91.80	-	-	जनरेटरों की जीवनावधि में वृद्धि।
23.	गुम्टी त्रिपुरा	3×5	17.50/17.50	-	5.6	-	-	जल संचालक प्रणाली में वृद्धि।
24.	कोयना-2 यू 10 व 12 महाराष्ट्र	4×80	0.8/4.65	-	-	-	-	नवीकृत जीवनावधि समाप्ति 9/97 तक।
25.	चिल्ला यू.पी.	4×36	4.264/1136*	-	15	-	15	विश्वसनीयता में वृद्धि। जबरन बेदी में कमी जीवनावधि समाप्ति 5/99 तक।

25 योजनाओं से प्रत्याशित लाभ = 1313 मे.वा.

25 योजनाओं से वास्तविक लाभ= 1402.7 मे.वा.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बन्द योजना								
1.	खातीमा	3×13.8	1.64/044*	41.4	220	-	-	वित्तीय कठिनाइयों से
2.	ओबरा	1.53/	-	-	-	-	-	यूपीजेवीएनएल ने इन
3.	पाथरी(यू3)	3.6/8	3.80/0.*	20.40	40	-	-	योजनाओं (1 से 4) को
4.	रामगंगा	3×66.	1.60/.08*	18	-	-	-	बंद कर दिया और अब इन योजनाओं का दसवीं योजना के दौरान चरण-2 के अन्तर्गत शुरू करने हेतु संशोधन किया जा रहा है।
5	निजाम सागर	2×5	8.00	10	32	-	-	एपजेनको ने इन योजनाओं को समाप्त कर दिया क्योंकि यूनिट संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं और तत्संबंधी नवी. एवं आधु. कार्य दसवीं योजना/ग्यारहवीं योजना के दौरान चरण-2 के अन्तर्गत किया जाएगा।

विवरण-III

चालू आर एम एण्ड यू योजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत करोड़ रुपये	किया गया खर्च करोड़ रुपये	वास्तविक प्रगति	पूर्णता समय सीमा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश							
1.	लोअर सिलेरू	4×115	13.35	5.49	50%	2000-2001	बीएफसी द्वारा मंजूर 9.30 करोड़ रु. में से 5.67 करोड़ का 31.3.2000 तक संवितरण 2,.3, 4,. यूनिट के सिस्टम चालू एवं यूनिट 1 पर चालू करने के पूर्व का कार्य पूरा। यूनिट 3 और 4 के निर्जलीकरण के लिए 2 पंप

1	2	3	4	5	6	7	8
							एवं मोटरों का प्रतिस्थापन एवं नए पंपों एवं मोटरों को चालू किया गया गवर्नर स्टेटर एयर कूलर टीजीबी ऑडल कूलर, एसएफ 6 ब्रेकर आदि स्थल पर प्राप्त। शेष उपस्कर/माल शीघ्र प्राप्त होने की संभावना। आपूर्ति के क्षेत्र का संशोधन हो रहा है।
2.	श्रीसेलम	7×110	16.32	10.12	60%	2000-2001	पीएफसी द्वारा मंजूर 11.40 करोड़ रुपये में से 9.42 करोड़ रुपये का 31.2.2000 तक संवितरण किया गया। अधिकांश माल जैसे स्पेअर स्तर ब्रेकर के लिए एलबीबी प्रोटिशन न्यूटल ग्राउन्डिंग ट्रान्सफार्मर आदि स्थल पर प्राप्त आपूर्ति के क्षेत्र का संशोधन हो रहा है।
हिमाचल प्रदेश							
3.	बासी	4×15	5.35	3.9145	60%	2000-2001	पीएफसी द्वारा मंजूर 3.70 करोड़ में से 31.3.2000 तक 2.89 करोड़ रु. का संवितरण कर दिया गया। यूनिट 1, 2 और 4 के गवर्नर को बदल दिया गया है। यूनिट 3 स्पीप्रर एवं नोजल एसेम्बली को बदल दिया गया है, यूनिट 1, 2 व 3 के आईसोलेटिंग सील, यूनिट 2 एवं 3 के लिए 2 के वी केबिलों तथा एल टी स्विच गेयर को बदल दिया गया है।
कर्नाटक							
4.	महात्मा गांधी	4×12+4×18	33.90	10.49	50%	2000-2001	पीएफसी द्वारा मंजूर 23.50 करोड़ रुपये में 31.2.2000 तक 20.81 करोड़ रुपये का संवितरण कर दिया गया। यूनिट-1 एवं 2 की रिवाइन्डिग चल रही है। मेसर्स सलजर फलोवल स्विच यार्ड के लिए इलेक्ट्रानिक गवर्नर एवं नए रनर हेतु आदेश के दिया गया है ढांचा की रंगाई हो चुकी है। स्टैटिक

1	2	3	4	5	6	7	8
							एक्साइटेशन प्रणाली के लिए सभी आठ यूनिटों हेतु मेसर्स बीएचई को आदेश भेज दिया गया है एवं माल प्राप्त हो गया है। 16 एअरकूलर, 110 केवी, एस-56 ब्रेकर, 110 केवी सीटी एवं सी एण्ड आर पैनल सेट हेतु सामग्री प्राप्त जो जनरेटर कूलर एवं वेयरिंग आयल प्रणाली के कूलरों की कूलिंग जल प्रणाली के लिए है।
केरल							
5.	नेरियामंगलय	3×15	31.92	–		अनकेयरटेन	मेसर्स एबीबी पावर से समझौता सामान्य स्वीटजरलैंड अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया।
6.	सबरीगिरी	6×50	163.34	5.186		अनकेयरटेन	दो यूनिटों को भेल से रिवाइन्ड कर दिया गया है 13 यूनिटों का मेसर्स एसमुई मुम्बई से रिवाइन्ड कर दिया गया है। अभी वित्तीय सुनिश्चितता नहीं हुई है।
7.	पोरिअंगलकुत्थू	4×8	9.55	0.34		-वही-	यूनिट-2 के स्टेटर एवं रोटर पोल को क्लास एक इन्सुलेसन से रिवाइन्ड किया गया है योजना का संशोधन हो रहा है।
उड़ीसा							
8.	हिराकुड 1 (यू 3 व 4)	2×24	54.3	0.175		2002-2003	केएफडब्ल्यू जर्मन सहायता के लिए सुनिश्चित ऋण पीएफसी के जरिए प्राप्त हुआ। पीएफसी ने 88 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया अनंतिम रूप से इस ठेके को मेसर्स बाइथ सीमेन्स मेसर्स एबीबी सल्जर को देना निश्चित हुआ है। इसके लिए आदेश देना बाकी है।
9.	हिराकुड (स्विचयार्ड उपस्कर)	–	9.85	3.03	30%	2000-2001	एसएफ 6 सर्किट ब्रेकर, सीटी, पीटी, पावर और कन्ट्रोल केवल 1000 केवी ए 1010.4 केवी ट्रांन्सफार्मर प्राप्त आंतरिक दूरसंचार प्रणाली संस्थापित ।

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	हिरकुड-2	3×24	82.05	42.583	50%	2000-2001	पीएफसी ने 26.58 करोड़ रुपये की ऋण मंजूरी दी। यूनिट 1 का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण पूरा एवं जुलाई, 1998 में इनकी स्पिनिंग हो गई । जुलाई 1992 में यूनिट 3 के स्टेटर को बदला गया 132 केवी/33 केवी 20 एमवीए ट्रान्सफॉमर में 132 केवी ब्रेकेर एवं 6 नं. 33 केवी वीसीबी को चालू कर दिया गया है। स्वीचयार्ड का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण पूरा।
	तमिलनाडु						
11.	मेत्तूर बांध पी.बी.	4×10 संशोधन 78.80	41.50	1.418	10%	2000-2001	31.2.2000 तक पीएफसी द्वारा 44.2 करोड़ रुपये मंजूर यूनिट-3 के रोटर एवं स्टेटर की रिवाइन्डिंग सुरक्षात्मक रिले प्राप्त।
12.	पाइकारा	3×6.65+2×11 +2×14 संशोधन	17.06 26.06	19.17	50%	2000-2001	पीएफसी द्वारा मंजूर 9.25 करोड़ रुपये संवितरण वाल्व हाउस क्रेन, कुलिंग वाटर सिस्टम एवं स्टेन्डबाई बेयरिंग ऑयल पंप उत्थापन का कार्य पूरा। बोर्ड के उत्थापन का कार्य पूरा। दो यूनिटों के लिए 2 केवी केबल उत्थापित। सुरक्षात्मक रिले पैनल 600 एमएम और 660 एमएम 660 एम एम वेनस्टॉक कन्ट्रोल वाल्व पेनस्टाक कन्ट्रोल वाल्व डुप्लेक्स स्टेनर एबीआर गवर्नर एवं 110 केवी एसएफ 6 सर्किट किमी ब्रेकर तथा 212 एमवीए ट्रांसफॉर्मर स्थल पर प्राप्त उत्थापन कार्य ग्रिड स्थिति पर आधार पर शट डाउन के मद्देनजर शुरू किया जाएगा।
13.	पपनासम	4×5	40.23	0.82		2001-2000	32.7 करोड़ रुपये की मंजूर राशि में से 4.51 करोड़ रुपये का संवितरण पीएफसी द्वारा 31.3.2000 तक दिया गया। सुरक्षात्मक रिले स्थल पर प्राप्त। कन्ट्रोल केबल की प्राप्ति हेतु कार्रवाई शुरू।

1	2	3	4	5	6	7	8
	सीवीएमबी						
14.	भाखड़ा पी.एस.	5×120	77.50	84.02	80%	2000–2001	तत्कालीन सोवियत संघ के टीपीई से समझौता ऋण पीएफसी के जरिए दिया गया। पीएफसी ने 32.29 करोड़ रुपये ऋण मंजूर की और 31.3.2000 तक 32.29 करोड़ रुपये का संवितरण किया 26.2.96 को यूनिट 9 चालू, यूनिट ए 22.6.96 को चालू एवं यूनिट बी 5.4.98 को चालू तीनों यूनिटों की क्षमता में 37 मे.वा. की वृद्धि एवं 20-25 वर्ष का जीवन विस्तार रूस से स्टेटर पंचिंग नहीं भेजे जाने के कारण लगाया 18 महीनों तक कार्य स्थागेत इसलिए कार्य समापन समय सीमा में विलंब 1 यूनिट सं. 10 पर कार्य चल रहा है और 30.5.2000 तक इसके पूरा होने की आशा है।
	एनएचपीसी						
15.	लोकतक एनएचपीसी	3×35	24.4			अनकेयरटेन	एनएचपीसी के अनुसार योजना का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है दर क्षमता अभिवृद्धि संबंधी अध्ययन पूरा।
	जम्मू एवं कश्मीर						
16.	लोअर झेलम	3×35	20			-वही-	पीडीसी एवं जम्मू और कश्मीर द्वारा योजना में संशोधन तथा वित्तपोषण हेतु पीएफसी के समक्ष प्रस्तुत यूनिट-2 के रनर के प्रतिस्थापन हेतु भेल को आदेश भेजा गया निधियों के अभाव में रनर के प्रेषण में विलंब।
17.	संभल सिन्ध	2×11.3	11			अनकेयरटेन	पीडीसी एवं जम्मू और कश्मीर द्वारा संशोधन वित्तपोषण के लिए पीएफसी के समक्ष प्रस्तुत।
	मेघालय						
18.	उमियम चरण-1 व 2	4×9+2×9	86.92 53.27			2002–2003 अनकेयरटेन	ओइसीएफ ऋण के लिए एसटी-1 संबंधी मंजूरी सुनिश्चित। ओइसीएफ

1	2	3	4	5	6	7	8
							ने 11.11.98 को 99,900, 000 येन की ऋण मंजूरी दी। संविदा समझौता एवं कार्य सौंपे जाने के लिए पत्र निर्गमन पर हस्ताक्षर अंतिम चरण में है।
पश्चिम बंगाल							
19.	जलढ़ाका।	3×9	12.6	-	-	अपकेयरटेन	एमओसीबी को विभागीय रूप से बदला गया है बजट प्रावधान मशीनी गवर्नर के मरम्मत के लिए रखा गया है जिन्हें इलेक्ट्रानिक गवर्नर से बदलना है। वित्तीय सुनिश्चितता की प्रतीक्षा। ओइसीएफ से पुराना समझौता नहीं हो सका।
डीवीसी							
20.	मैथान	3×20	17.34 (संशोधित 39.00)			2002-2003	डीवीसी ने योजना का संशोधन किया और इसे 1999-2000 में शुरू करेगा।
21.	पंचेट	1×40	2.17			2001-2002	एल.ओ.आई. मौजूदा एक्साइटेशन सिस्टम को स्टेटिक एक्साइटेशन सिस्टम से बदलेगा।

नए भण्डारों की खोज

7482. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौर:
श्री अरुण कुमार:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तेल के नए भंडारों की लगातार खोज की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी संस्थाएं उक्त खोज में लगी हैं;

(ग) मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार तेल के कुल कितने नए कुओं की खोज की गई;

(घ) क्या इन तेल भंडारों से प्राप्त होने वाले तेल की मात्रा के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो निकाले जाने वाले तेल की संभावित मात्रा कितनी है; और

(च) इन भण्डारों से तेल निकालने संबंधी क्या योजना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें भूकंपीय आंकड़ा अर्जन, संसाधन, निर्वचन, संभावना वाले क्षेत्र की पहचान तथा वेधन शामिल हैं। इसके अलावा आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी) तथा आयल इंडिया लि. (ओ आई एल) जो दो सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियां हैं, कई एक निजी कंपनियां, भारतीय तथा विदेशी दोनों, देश के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण में लगी हुई हैं।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन तथा आयल इंडिया लिमिटेड ने क्रमशः तीन और चार तेल खोजें की हैं तथा एक निजी कंपनी के द्वारा की गई है।

(घ) से (च) इन खोजों के स्थापित भंडारों के विषय में आरंभिक अनुमान लगभग 10.53 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) है तथा अंतिम भंडार 1.7 एम एम टी होना अनुमानित हैं। जहां आयल इंडिया लिमिटेड ने इन खोजों को ईपी एस एवं क्यू पी एस के माध्यम से अथवा इसे नजदीकी तेल एकत्रण स्टेशनों से संबंद्ध करके उत्पादन पर लगाया है, वहीं आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन तथा निजी कंपनी के मामले में उत्पादन की शुरूआत करने के पूर्व इन खोजों के विषय में मूल्यांकन किया जाना है/रूपरेखा तैयार की जानी है तथा आगे और भी अन्वेषण किया जाना है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में निजी विद्युत परियोजनाएँ

7483. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र आन्ध्र प्रदेश के रंगारेड्डी और नलगोंडा जिलों में निजी क्षेत्र में दो विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा है; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) इन जिलों में निजी क्षेत्र के द्वारा स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिकी स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न कोयला राख

7484. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में राज्य और राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम स्तरों पर कार्यरत विद्युत-परियोजनाओं के विरुद्ध इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ताप-विद्युत संयंत्रों के प्रचालन के कारण वातावरण में फैल रही कोयला-राख से पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हाँ। बड़े और माध्यम आकार के 97 विद्युत संयंत्रों में से 21 संयंत्रों में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने हेतु पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं नहीं हैं। इनमें से कुछ विद्युत संयंत्रों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) सरकार द्वारा किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) पिट-हैड से 1000 कि.मी. या इससे अधिक दूरी पर स्थित विद्युत संयंत्रों और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित विद्युत संयंत्रों के लिए भी 1.6.2001 से अधिकतम 34 प्रतिशत राख वाले अपस्क कोयला का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलैक्ट्रो-स्टेटिक प्रैसिपिटेटर्स (इ एस पी) की व्यवस्था/सुदृढ़ीकरण करना।

(3) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन और बहि:स्राव मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(4) विद्युत संयंत्रों के आस-पास हरित क्षेत्रों (ग्रीन बैल्ट्स) का विकास करना।

[हिन्दी]

दिल्ली में दूरभाष कनेक्शन

7485. श्री मणिकराव होडल्या गावित: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि., दूरभाष केन्द्रों में बुकिंग करवाने के दिन में ही '' ओ.बी.'' जारी करता है और इसके साथ ही इस आशय का एक पत्र भी भेजता है कि अमुक क्षेत्र तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है और/अतएव, कनेक्शन देने में 8 से 12 महीने लगेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या महानगर टेलीफोन निगम लि. इस तरह आवेदनकर्त्ताओं के साथ छल कर रहा है चूंकि बुकिंग के लिए जमा की गई धनराशि पर ब्याज उपभोक्ताओं को प्रदान नहीं किया जाता;

(ग) दिल्ली में ऐसे कितने "ओ.बी." को छः महीने पूर्व जारी तो कर दिया गया है लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं लगा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) एमटीएनएल में, एक्सचेंज क्षमता के उपलब्ध होने पर नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए पंजीकरण के दिन ही ओ.बी. जारी कर दिए जाते हैं। इस बीच यदि वह क्षेत्र तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं होता है तो उपभोक्ता को टेलीफोन कनेक्शन चालू होने में लगने वाली संभावित अवधि के बारे में लिखित सूचना दी जा रही है। तथापि, तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों में ओ.बी. जारी करने के कार्य को अस्थाई तौर पर 1 मई 2000 से रोक दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। उपभोक्ताओं को उनकी जमा राशि पर पंजीकरण की तारीख से टेलीफोन संस्थापित किए जाने की तारीख ब्याज दिया जाता है।

(ग) 30.4.2000 की स्थिति के अनुसार एम टी एन एल दिल्ली में गत छः माह या उससे पूर्व जारी की गई 2734 ओ.बी. लंबित थीं।

(घ) लंबित ओ.बी. के निपटान हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:-

(1) नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना या मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार ।

(2) तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों में भूमिगत केबलों का बिछाया जाना।

(3) पेयर गेन सिस्टम का प्रयोग।

(4) सेकेन्ड रिमोट स्विचों का प्रयोग।

(5) तांबा आधारित केबलों की जगह डिजिटल लाइन कन्सेन्ट्रेटर्स (डीएलसी) का प्रयोग।

केन्द्रीय पूल से मध्य प्रदेश को विद्युत का आवंटन

7486. श्री शिवराजसिंह चौहान: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय पूल से विद्युत की अधिक मात्रा का आग्रह किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य में एक नयी विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) केन्द्रीय पूल में हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) ने कुल 7880 मे.वा. क्षमता जिसमें 960 मे.वा. जल विद्युत क्षमता और 6920 मे.वा. ताप विद्युत क्षमता शामिल हैं, के साथ मध्य प्रदेश राज्य में 16 विद्युत उत्पादक परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है।

उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त कुल 703 मे.वा. क्षमता के लिए दो परियोजनाओं के संबंध में के.वि.प्रा. में प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु के.वि.प्रा. द्वारा कार्रवाई परियोजना प्रवर्तकों द्वारा निवेश/लिंकेज/स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

[अनुवाद]

पोत निर्माण और पोत मरम्मत की जिम्मेदारी

7487. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पोत निर्माण और पोत मरम्मत डिवीजन (एस.बी.आर.) की तकनीकी डिवीजन को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संगठन के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

"गेल" और इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा सी एन जी

7488. श्री ए. कृष्णैया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "गेल" और इसकी सहायक कंपनी इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड सी एन जी की मांग को पूरा नहीं कर पा रही है;

(ख) यदि हां, तो सी एन जी की मांग को पूरा करने में उनकी विफलता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या समूचे देश में सी एन जी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने हेतु कोई समीक्षा करने की योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सी एन जी आपूर्ति सुविधाएं केवल ऐसे शहरों में स्थापित की जा सकती हैं जहां पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति उपलब्ध हो और जहां प्रोद्योगिकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता साबित हो गई हो। मुम्बई, दिल्ली, बडोदरा, सूरत और अंकलेश्वर शहरों में मोटर वाहनों के लिए सी एन जी उपलब्ध कराने हेतु अब तक 56 सी एन जी केन्द्र पहले ही चालू किए जा चुके हैं।

सौराष्ट्र, गुजरात में तेल के भण्डार

7489. श्री पी. एस. गढ़वी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के कच्छ क्षेत्र सहित सौराष्ट्र क्षेत्र में तेल के भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में तेल के भंडारों के संभावित स्थानों का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है और इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की गुजरात में इस प्रकार के सर्वेक्षण करने के लिए भविष्य की क्या योजना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने तेल भण्डारों के सम्भावित स्थानों का निर्धारण करने के लिए कच्छ क्षेत्र सहित गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भूगर्भीय सर्वेक्षण, घनत्व, चुम्बकीय सर्वेक्षण तथा सिंगल फोल्ड द्विआयामी भूकम्पीय सर्वेक्षण किए। कच्छ क्षेत्र में अतिरिक्त मल्टी फोल्ड द्विआयामी भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किए गए हैं। जबकि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पांच अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया गया था। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में दो पैरामीट्रिक कूपों का वेधन किया गया। आयल इंडिया लिमिटेड ने सौराष्ट्र अपतट में अपने प्रचालनात्मक क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किए। कच्छ-सौराष्ट्र के जमीनी भाग में दो ब्लाक तथा समीप के अपतटीय क्षेत्रों में तीन ब्लाक निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों को पहले ही संविदागत किए जा चुके हैं। निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा इनमें से कुछ ब्लाकों में भी द्विआयामी तथा त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े प्राप्त कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी जी एच) तथा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन आर एस ए) द्वारा कच्छ के तटीय व अपतटीय क्षेत्रों के भागों में संयुक्त रूप से वायु-चुम्बकीय प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है।

तथापि हाइड्रोकार्बन भंडारों की उपस्थिति का अब तक पता नहीं चल पाया है।

(ग) इन क्षेत्रों में सर्वेक्षणों के लिए आगामी योजनाओं में निम्न सम्मिलित हैं:-

गुजरात में कैम्बे बेसिन में द्विआयामी तथा त्रिआयामी सर्वेक्षणों की ओ एन जी सी की योजना, सौराष्ट्र अपतट में त्रिआयामी भूकम्पीय सर्वेक्षण के लिए ओ आई एल की योजना, कैम्बे-कच्छ बेसिन में एन जी आर आई तथा ओ एन जी सी के साथ संयुक्त रूप से मेगनेटो-टेल्यूरिक (एम टी) सर्वेक्षण करने के लिए डी जी एच का प्रस्ताव, पहले से प्रदान किए गए अन्वेषण ब्लाकों में भूकम्पीय सर्वेक्षणों की निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों के वचनबद्धता तथा उन दो अपतटीय ब्लाकों को अतिरिक्त द्विआयामी भूकम्पीय सर्वेक्षण जिनके लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के तहत निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों के साथ अप्रैल, 2000 में उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे।

गंगा सफाई योजना

7490. श्री जयभद्र सिंह: क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाराणसी में आरम्भ की गई गंगा कार्य योजना से कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना के आरम्भ से इस संबंध में सरकार द्वारा अभी तक वार्षिक रूप से कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या सरकार गंगा सफाई कार्यक्रम के कार्यकरण की समीक्षा हेतु एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) वाराणसी में वर्ष 1985 में शुरू की गई गंगा कार्य योजना के चरण-1 में नदी जल गुणवत्ता में जैव रसायन ऑक्सीजन मांग और घुलित ऑक्सीजन स्तर के ग्रीष्म औसत मान जैसे परिमापित पैरामीटरों के संबंध में लगभग गुणात्मक परिवर्तन हुआ। घुलित ऑक्सीजन स्तर में वृद्धि जैव रसायन ऑक्सीजन मांगस्तर में कमी नीचे दिए अनुसार है:-

(मि.ग्रा./प्रति लीटर)

		1986	1999
घुलित ऑक्सीजन	वाराणसी उर्ध्वप्रवाह	5.6	8.2
	वाराणसी अधोप्रवाह	5.9	8.4
जैवरसायन ऑक्सीजन मांग	वाराणसी उर्ध्वप्रवाह	10.1	2.2
	वाराणसी अधोप्रवाह	10.6	3.7

गंगा कार्य योजना चरण-1 के अन्तर्गत उपलब्ध प्रोद्योगिकी डिजायन से केवल नाइक्रोबायल प्रदूषण स्तर में प्रासंगिक कमी ही हुई है।

(ग) वाराणसी में गंगा कार्य योजना चरण-1 के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के सृजन और रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार मंजूर की गई राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। अब तक जारी की गई कुल 67.60 करोड़ रुपये की राशि में से 42.92 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा और 24.68 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) गंगा कार्य योजना और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की विभिन्न स्तरों पर नियमित पुनरीक्षा की जाती है. प्रधानमंत्री जी के अधीन राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कार्यक्रम की पुनरीक्षा करता है। सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में निगरानी समिति और सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अध्यक्षता में संचालन समिति कार्यक्रम की तिमाही समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रूड़की विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ हाइजिन और पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता, द्वारा संयुक्त रूप से मध्यावधि मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट से पता चलता है कि जल गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रथम आवश्यक कदम आर्गेनिक तत्वों के निस्तारण को कम करना है जिसे गंगा कार्य योजना चरण-1 के अंतर्गत उपयुक्त स्तर तक प्राप्त किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि गंगा कार्य योजना चरण-1 की जैसी परिकल्पना की गई है और जैसे इसका कार्यान्वयन किया गया है वह अन्य नदी बेसिनों पर लागू किए जाने के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम है। मूल्यांकन में उपयुक्त सुधार के लिए नोट कर लिया गया है। इसमें आर्गेनिक तत्वों के निस्तारण को कम करना, सीवेज शोधन प्रौद्योगिकी के चयन में स्थानीय परिस्थितियों पर पर्याप्त ध्यान देना सीवेज और गंगा कार्य योजना चरण-1 के अन्तर्गत निर्मित अवरोधन ढाचों की नियमित सफाई, सभी स्तरों पर स्टाफ को नियमित प्रशिक्षण देना, संसाधन वसूली विकल्पों का विश्लेषण करना आदि शामिल है।

हार्वड इंस्टीट्यूट आफ इन्टरनेशनल डिवेलपमेंट के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों ने स्थानीय भारतीय संस्थानों जैसे इंस्टीट्यूट आफ इकनामिक ग्रोथ, नई दिल्ली, इन्डियन टाक्सिकालाजी रिसर्च सेन्टर, लखनऊ और आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ हाइजिन एण्ड पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता के सहयोग से गंगा कार्य योजना चरण-1 का लागत लाभ विश्लेषण किया था। इस अध्ययन से मोटे तौर पर यह निष्कर्ष निकला कि गंगा कार्य योजना चरण-1 में कई कमियों के बावजूद भी भारत को उल्लेखनीय लाभ मिला है। स्नान श्रेणी मानकों का उल्लंघन करने वाला नदी का प्रदूषित क्षेत्र गंगा कार्य चरण-1 के इन्हीं शहरों में कन्नोज और वाराणसी के बीच 437 किलोमीटर की तुलना में कम से कम विश्व की अन्य महत्वपूर्ण नदियों की तुलना में उपयुक्त है। अध्ययन से पता चलता है कि गंगा कार्य योजना चरण-1 की आंतरिक वसूली दर सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं की अपेक्षित 10 प्रतिशत से काफी अधिक है।

गंगा शुद्धीकरण कार्यक्रम के कार्याचालन की पुनरीक्षा के लिए किसी समिति के गठन का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

वाराणसी के लिए गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत कार्यों के लिए जारी राशियों का विवरण

वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रुपये)
1	2
1985-86	29.300
1986-87	291.000
1987-88	521.285

1	2
1988-89	490.360
1989-90	1104.140
1990-91	811.075
1991-92	444.200
1992-93	352.840
1993-94	561.000
1994-95	426.620
1995-96	371.210
1996-97	353.000
1997-98	329.500
1998-99	271.200
1999-2000	403.000
कुल	6759.730

उपर्युक्त में से 4291.840 लाख रुपये भारत सरकार द्वारा और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है।

तलाकशुदा महिलाओं के लिए भरण-पोषण भत्ता

7491. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 27 वर्ष पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत बेघर महिलाओं के लिए भरण-पोषण राशि निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विधि आयोग ने इस धारा में तलाकशुदा महिलाओं के लिए भरण-पोषण भत्ते में बदलाव लाने और उसे बढ़ाने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 के अनुसार भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता अधिकतम पांच सौ रुपये है।

(ग) जी, हां।

(घ) विधि आयोग ने, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973" (जिल्द 1) संबंधी अपनी 154वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ भरण-पोषण भत्ते की प्रतिमास पांच हजार रुपये तक की वृद्धि करने की सिफारिश की है जो तलाकशुदा स्त्री को भी लागू होगा। यह सिफारिश गृह मंत्रालय के समीक्षाधीन है और इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है।

(ङ) धन के अवमूल्यन को देखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 को दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 जो 9 मई, 1994 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था, के खंड 17 द्वारा संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि भरण-पोषण भत्ते के संदाय के लिए अधिकतम सीमा पांच सौ रुपये प्रति मास से बढ़ाकर एक हजार पांच सौ रुपये प्रति मास की जा सके। उक्त विधेयक अभी लंबित है।

[हिन्दी]

बिहार में सेल्युलर फोन सेवा

7492. श्री ब्रजमोहन राय: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में पलामू और हजारीबाग जिलों में सेल्यूलर फोन सेवा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस) शुरू में कुछ चुनिन्दा शहरों में एक पायलट परियोजना के रूप में सेल्यूलर सेवाएं शुरू कर रहा है। बिहार राज्य के शहर जिन्हें पायलट परियोजना के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है नीचे दिए गए हैं:-

1. पटना
2. बिहारशरीफ
3. हाजीपुर
4. आरह
5. राजगीर
6. बाध

देश के अन्य भागों में सेल्यूलर मोबाईल सेवा के प्रावधान के मामले पर भी विभाग में कार्रवाई की जा रही है।

प्राइवेट आपरेटर्स द्वारा सेल्यूलर फोन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सेल्यूलर मोबाईल टेलीफोन सेवा के प्रचालन के लिए मै. रिलायन्स टेलीकॉम प्राइवेट लि. (प्रभावी तारीख 12.12.1995) और मै. कोशिका टेलीकॉम प्राइवेट लि. (प्रभावी तारीख 23.8.1996) को बिहार दूरसंचार सर्किल में लाइसेंस प्रदान किए गए थे, जिसमें बिहार में पलामू और हजारीबाग जिले शामिल हैं। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार बिहार में मै. रिलयान्स द्वारा सेल्युलर मोबाईल टेलीफोन सेवा पटना, हाजीपुर, रांची,धनबाद, जमशेदपुर, झरिया, दानापुर और चास शहरों में उपलब्ध है। बिहार में, मै. कोशिका का लाइसेंस 22.5.1999 से आपरेशन में नहीं है।

प्राइवेट सेल्यूलर आपरेटर्स के साथ हुए लाइसेंस समझौते के अनुसार कम से कम 10% जिला मुख्यालय प्रथम वर्ष में और 50% जिला मुख्यालय लाइसेंस की प्रभावी तिथि से तीन वर्ष के भीतर कवर किए जाएंगे। लाइसेंसधारियों को यह भी अनुमति दी गई है कि वे जिला मुख्यालय के बदले जिले में किसी अन्य शहर को कवर कर सकते हैं। कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/ शहरों का चुनाव तथा जिला मुख्यालयों/शहरों का 50 प्रतिशत से और आगे विस्तार करने की मर्जी, लाइसेंसी कंपनियों पर निर्भर करेंगी, जो कि व्यापारिक निर्णय पर आधारित होगी।

आई.आर.सी.सी. की सेवा

7493. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्रीमती रीना चौधरी:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लड़कों/राजमार्गों/एक्सप्रैस राजमार्गों के निर्माण हेतु भारतीय सड़क निर्माण निगम (आई.आर.सी.सी.) की सेवाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) केन्द्र सरकार के अन्य उपक्रमों का ब्यौरा क्या है। जिनके बन्द कर दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) सरकार ने आई आर सी सी को इसके संचयी घाटे को देखते हुए बंद करने का निर्णय लिया है।

(घ) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संघ सरकार के अन्य किसी भी उपक्रम को बंद करने का प्रस्ताव नहीं है।

दूरसंचार सुविधाएं

7494. श्री हरिभाऊ चौधरी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के बनासकांठा क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने और आधुनिक संचार सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कोई कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो शुरू किए गए कार्य के विकास का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान दूरसंचार और डाकसेवा क्षेत्र में कितने अधिकारी भ्रष्ट कार्य में लिप्त पाए गए और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 1999-2000 के दौरान गुजरात दूरसंचार सर्किल के पालनपुर (बनासकंठा जिले) के सेकेन्डरी स्विचन क्षेत्र (एसएसए) में और अच्छी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने और क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं।

(ख) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

- खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंज	-	16
- जोड़ी गई क्षमता	-	17574
- उपलब्ध कराए गए नए टेलीफोन कनेक्शन	-	11787
- चालू किए गए ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम		
- 8 एम बी	-	17 नग
- 34 एमबी	-	02 नग

(ग) उक्त अवधि के दौरान गुजरात दूरसंचार और डाक सर्किल में पालनपुर सैकेन्डरी स्विचिंग क्षेत्र (बनासकंठा जिले) में कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

रांची में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

7495. श्री राम टहल चौधरी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के रांची क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न दूरभाष केन्द्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रतीक्षा-सूची में व्यक्तियों को तत्काल टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु और क्षेत्र में दूरभाष केन्द्रों के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) रजिस्ट्रेशन की दर कम होने के कारण बिहार में रांची क्षेत्र के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों जैसे रांची, लोहार डग्गा, धुव हिन्नू और पांडरा में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

(ख) 30.4.2000 की स्थिति के अनुसार बिहार के रांची क्षेत्र के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों का एक्सचेंजवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) विभाग द्वारा प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को तत्काल टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने और रांची क्षेत्र के अंतर्गत टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(1) नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा रहे हैं।

(2) मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है।

(3) मांगों को देखते हुए नए केबल बिछाए जा रहे हैं।

(4) जहां कहीं अपेक्षित हो, मौजूदा माध्यम को ओएफसी/यूएचएफ द्वारा बदला जा रहा है।

(5) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तरोत्तर रूप से प्रतीक्षा सूचियां निपटाने के लिए योजनाएं बना ली गई हैं।

विवरण

रांची दूरसंचार जिला

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	30.4.2000 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	रांची	1116
2.	ए.नगर	105
3.	बारियातु	134
4.	समपडिल	56
5.	धुवा	968
6.	हिनू	410
7.	कानके	24
8.	मेसरा	16
9.	नागरी	0
10.	नामकुम	195
11.	नयासराय	0
12.	ओरमानझी	0
13.	पंडारा	410
14.	पिथोरिया	0
15.	तातीसिलवई	8
16.	बसिया	22
17.	कामदारा	19
18.	बोलवा	0
19.	बुन्दु	0
20.	तामर	0
21.	राहे	68
22.	मोनाहातु	7
23.	घघरा	34
24.	बिशनुपुर	0

1	2	3
25.	नेतेरहाट	1
26.	गुमला	5
27.	भारनो	1
28.	सिसई	0
29.	टोटो	10
30.	इटकी	0
31.	बेरो	0
32.	खुंटी	0
33.	कर्रा	15
34.	कोलेबिरा	8
35.	लछरागढ़	0
36.	लोहारडगा	140
37.	भाडरा	7
38.	कुरू	45
39.	किसको	12
40.	सेनहा	3
41.	मंडार	0
42.	वान्हो	0
43.	डाकरा	0
44.	खेलाड़ी	0
45.	एमसी गंज	0
46.	पिपारवार	0
47.	ठाकुरगांव	0
48.	बुरमू	0
49.	धामधामिया	12
50.	मुरी	0
51.	सिकिदरी	0
52.	जोन्हा	3
53.	अंगारा	0
54.	पालकोट	1
55.	सिमदेगा	50
56.	थेथाइटंग	1
57.	बिरू	17
58.	टोपरा	0
59.	मुरहू	0
60.	टापकारा	0
61.	चैनपुर	14
	कुल	3937

आन्ध्र प्रदेश में रसोई गैस के कनेक्शन

7496. श्री ए. नरेन्द्र: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के सभी गांवों में रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने गांवों को इसमें शामिल किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा सभी गांवों में रसोई गैस की सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए राज्य की आवश्यकता की तुलना में कुल कितनी प्रमात्रा में रसोई गैस की आपूर्ति की जाती है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य के लिए इसकी आवश्यकता के अनुसार रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किए गए अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) वर्तमान निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के विद्यमान एल पी जी वितरक अपने प्राधिकृत प्रचालन क्षेत्र के अंतर्गत एल पी जी कनेक्शन जारी कर रहे हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के द्वारा एल पी जी की बिक्री निम्नवत् है:-

(आंकड़े टी एम टी में)

वर्ष	एल पी जी बिक्री
1996-97	308.05
1997-98	331.88
1998-99	362.45

(ङ) वर्तमान में आध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के पास सूचीबद्ध एल पी जी ग्राहकों की मांग कमोवेश रूप से पूर्णतया पूरी की जा रही है।

टेलीकॉम जिले

7497. श्री के.पी. सिंह देव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकार का उड़ीसा में कुछ नए टेलीकॉम जिलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय भुवनेश्वर सर्किल के अंतर्गत कितने टेलीकॉम जिले हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हाँ।

(ख) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार कार्य-भार को देखते हुए उड़ीसा दूरसंचार सर्किल में फूलबनी एम एस ए (सेकेन्डरी स्विचन क्षेत्र) को, बेरहामपुर दूरसंचार जिला से अलग करके एक पृथक दूरसंचार जिला गठित करने का प्रस्ताव है। इस समय फूलबनी एस एस ए और बेरहामपुर एस एस ए का नियंत्रण एक दूरसंचार जिला अर्थात बेरहामपुर द्वारा किया जा रहा है।

(ग) इस समय उड़ीसा दूरसंचार सर्किल में 11 दूरसंचार जिले काम कर रहे हैं।

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज

7498. डा. गिरजा व्यास:
प्रो. रासासिंह रावत:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों के संदर्भ में राजस्थान का प्रतिशत क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की स्थिति के अनुसार राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की गयी है तथा इन पर कितना व्यय हुआ;

(ग) राजस्थान में विशेषकर अजमेर, राजसमुन्द तथा नागौर जिलों में 1999-2000 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए तथा 2000-2001 के दौरान कितने और स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तथा इनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को राजस्थान के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त टेलीफोन एक्सचेंजों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(च) क्या राज्य में टेलीफोन एक्सचेंजों के उन्नयन तथा विस्तार संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 31.3.2000 की स्थित के अनुसार स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों के संबंध में राजस्थान का प्रतिशत 7.02 है।

(ख) इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	वर्ष	एक्सचेंजों की संख्या		कुल	किया गया व्यय रुपये हजारों में	
		ग्रामीण	शहरी		ग्रामीण	शहरी
1.	1997-98	125	22	147	182949	3205096
2.	1998-99	141	12	153	560842	2586217
3.	1999-2000	169	12	181	1166877	3461979
4.	2000-2001	-	-	-	-	-

(ग) 1999-2000 के दौरान "स्थापित किए गए और 2000-2001 के दौरान स्थापित किए गए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या निम्ननुसार है:

	1999-2000 के दौरान स्थापित किए गए एक्सचेंज	2000-2001 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंज
राजस्थान	181	250
अजमेर जिला	4	2
राजसमुंद जिला	1	2
नागोर जिला	11	12

स्थिति-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) जी हाँ।

(ङ) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(च) जी हां, ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(छ) ब्यौरा विवरण IV में दिया गया है।

विवरण I

1999-2000 के दौरान अजमेर, राजसामुंद तथा नागौर जिले में स्थापित दिए गए एक्सचेंजों तथा 2000-2001 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या

क्र.सं.	जिला	1999-2000 के दौरान स्थापित किए गए एक्सचेंज	2000-2001 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंज
1	2	3	4
I.	अजमेर		
1.		बुराडा/सरवार	कीरप/बीवाड़
2.		बोगला/कीकरी	बिड़ला/सरवार
3.		सिंधावल/मिली	
4.		साराना/बीवाड़	
II.	राजसमुंद		
1.		जिलोटा/आमेट	जेतगढ़/भीम
2.			कंचोली/कुम्भालगढ़
III.	नागौर		
1.		बागोट/पर्वतसर	भडार/नागौर
2.		बेमनो/दिगाना	जिलोटा/कूचमनसिटी (नावा)
3.		भाकरी/परबस्तर	खविकाला/दिगाना
4.		भकरोड़/खिंपवसार	गादपुरा/खिनवासार
5.		बुटाला/दिगाना	रानीगांव/मकराना
6.		छपरा/लदनून	संखवाड़ा/मुंडवा
7.		दुदिया/दिगाना	सोनेली/जयाल
8.		केरप/दीदवाना	रसाल/कूचामंसिटी (नावा)
9.		लीड़ी/लदनून	लालाग/वही
10.		रोटा/जायाल	कुछयाड़ा/जागल
11.		टंकला/खिनवमार	चनराली/नागौर
			सिधांना/दीदवाना

विवरण II

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले नए टेलीफोन एक्सचेंज

क्र.सं.	अवस्थिति	वर्ष
1	2	3
1.	झिसिसर	2000-2001
2.	बोमादारा	-वही-
3.	मंद्रयाल	-वही-
4.	महसवा	-वही-
5.	पल्लू	-वही-
6.	प्रेमपुरा	-वही-
7.	गोथारीगुरू	-वही-
8.	परासन	2001-2002
9.	पारलु	2000-2001

1	2	3
10.	बैदराहा	2000-2001
11.	केलन	-वही-
12.	अविनशहर	-वही-
13.	कनूला	-वही-
14.	पिल्हीसर	-वही-
15.	छतोली	-वही-
16.	बेरू	नवीं योजना
17.	खराहेड़ा	नवीं योजना
18.	नरवा	2001-2002
19.	सनवारा	-वही-
20.	जरोदा	2000-2001
21.	खुदीकालम	-वही-
22.	पीपलवा	2001-2002
23.	सीलनवाड़ा	नवीं योजना
24.	सुरपरिया	2000-2001
25.	नंदिया	-वही-
26.	भाझीवाला	-वही-
27.	जाखदावाली	-वही-
28.	इंदरपुरा	-वही-
29.	नागरासी	-वही-
30.	जहानकाली	2001-2002
31.	सलवाकलन	-वही-
32.	संखवास	2000-2001
33.	बदूसर	-वही-
34.	वेदीनावू	-वही-
35.	अलखपुरी	-वही-
36.	दौलतावाली	2001-2002
37.	पीथरासर	-वही-
38.	पींछ	2000-2001
39.	सुहागपुरा	2001-2002

विवरण-III

2000-2001 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों का उन्नयन तथा विस्तार करने का प्रस्ताव

क्र.सं.	जिले का नाम	उन्नयन किए जाने वाले एक्सचेंजों की संख्या	विस्तार किए जाने वाले एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	9	22
2.	अलवर	9	31
3.	बांसवाड़ा	3	14
4.	बारान	5	12
5.	बारमेर	0	25
6.	भरतपुर	10	24
7.	भीलवाड़ा	6	23
8.	बीकानेर	0	16
9.	बूंदी	9	11
10.	चित्तौरगढ़	6	22
11.	चूरू	9	46
12.	दौसा	6	17
13.	धोलपुर	5	4
14.	डुंगरपुर	6	10
15.	हनुमानगढ़	3	30
16.	जयपुर	47	47
17.	जैसलमेर	6	2
18.	जालोर	5	23
19.	झालावार	12	15
20.	जोधपुर	30	52
21.	झुनझुन	15	44
22.	करौली	7	15

1	2	3	4
23.	कोटा	4	27
24.	नागौर	21	43
25.	पाली	38	40
26.	राजसमुंद	-	15
27.	सवाईमाधोपुर	14	16
28.	सीकार	27	36
29.	सिरोही	4	18
30.	श्रीगंगानगर	20	40
31.	टोंक	-	22
32.	उदयपुर	-	25
	कुल	336	767

राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए आलेख और डिजाइन

7499. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने और एक्सप्रेस मार्ग के लिए संभावित मार्गों का आलेखन और डिजाइन तैयार करने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे स्थानों में जहां सड़कें बिछाने अथवा बनाने के लिए अपेक्षित भूमि हासिल करना व्यवहारिक रूप से असम्भव अथवा कठिन है वहां सड़कें बिछाने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य करने के लिए अपेक्षित नक्शे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए मापदंड दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्र सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए ही जिम्मेदार है। यह गौर करने योग्य है कि इसके लिए पर्याप्त चौड़ी भूमि उपलब्ध कराए बगैर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार के पास भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित नक्शे उपलब्ध हैं। तथापि, अलग-अलग परियोजनाओं के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल की जाती है।

विवरण

राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के निम्नलिखित मापदंड हैं:

(1) देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली सड़कें।

(2) पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें।

(3) राष्ट्रीय राजधानी को राज्यों की राजधानियों के साथ तथा राज्यों की राजधानियों को परस्पर जोड़ने वाली सड़कें।

(4) महापत्तनों, बड़े औद्योगिक केन्द्रों अथवा पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें।

(5) अति महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताएं पूरी करने वाली सड़कें।

(6) महत्वपूर्ण सड़कें जिनसे यात्रा दूरी में काफी कमी होती हो और उनसे पर्याप्त आर्थिक विकास होता हो।

(7) ऐसी सड़कें जिनसे पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों को खोलने में मदद मिलती है।

(8) ऐसी सड़कें जिनसे 100 कि.मी. की राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड प्राप्त होती हो।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर समग्र देश की आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जाता है न कि ।वशषत: स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर।

कर्नाटक में विद्युत पारेषण योजनाओं हेतु ऋण सुविधाएँ

7500. श्री कोलुर बसवना गौड: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत वित्त निगम कर्नाटक में विद्युत पारेषण और वितरण योजनाओं के लिए ऋण सुविधाएँ देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि ऋण के रूप में दिये जाने का विचार है; और

(ग) उक्त ऋण से शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) पीएफसी अपनी प्रचालनात्मक नीति के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में राज्य यूटिलिटियों सहित देश में सभी राज्य यूटिलिटियों को पारेषण एवं वितरण स्कीमों के लिए ऋण सुविधा प्रदान करता है।

(ख) और (ग) पीएफसी कैपेसिटरों/मीटरों की अधिष्ठापना हेतु परियोजना की सम्पूर्ण लागत का 80% तक तथा पारेषण एवं वितरण प्राणालियों के लिए परियोजना की सम्पूर्ण लागत का 70% तक ऋण सुविधा प्रदान करता है। प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि पहले से निर्धारित नहीं की जाती है बल्कि यह प्रत्येक परियोजना/स्कीम के परियोजना मूल्यांकन पर निर्भर करता है। 30.4.2000 की स्थितिनुसार पारेषण एवं वितरण स्कीमों के लिए कर्नाटक राज्य के मै. कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

स्कीमों की श्रेणी	ऋण की संख्या	स्वीकृत धनराशि	संवितरित धनराशि
पारेषण	62	673.88	524.42
शहरी वितरण	25	218.15	188.45
कैपेसिटर	7	47.35	26.95
प्रणाली सुधार	4	198.50	78.91
जोड़	98	1137.88	818.74

विद्युत मंत्रालय और कर्नाटक सरकार के बीच निष्पन्न समझौता ज्ञापन के अनुसार पावर फाइनेंस कार्पोरेशन सामान्य शर्तों में छूट प्रदान करते हुए निवेश हेतु वित्त पोषण करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रयोजनार्थ समझौता ज्ञापन में कुछ विशेष स्कीमों और परियोजनाओं को अभिज्ञात किया गया है।

पानीकोला से राउरकेला तक के राजमार्ग का उन्नयन

7501. श्री अनंत नायक:
श्री के.पी. सिंह देव

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पानीकोला से राउरकेला तक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में उन्नयन का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1999-2000 के वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या कार्य शुरू कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन्नयन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) इस परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) पानीकोला, राउरकेला से रा.रा.-215 के जरिए पानीकोला से राजामुंडा तक रा.रा.-23 के जरिए राजामुंडा से राउरकेला तक पहले ही जुड़ा है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और उन्नयन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए यह मंत्रालय निधियों का आबंटन राज्यवार रूप से करता है न कि राष्ट्रीय राजमार्गवार रूप से। वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए उड़ीसा राज्य को 3850 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई थी।

उड़ीसा में "बायोस्फेयर रिजर्व" परियोजनाएं

7502. श्री प्रभात सामंतराय: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में चल रही "बायोस्फेयर रिजर्व" परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इन परियोजनाओं की प्रगति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) उड़ीसा में केवल सिमलीपाल ही अभिनिर्धारित जीव मंडल रिजर्व है।

(ख) जीवमंडल रिजर्व की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उड़ीसा सरकार ने 1995 से मार्च, 2000 तक की अवधि में सिमलीपाल जीवमंडल रिजर्व पर 38.09 लाख रुपये की राशि खर्च की है।

(ग) राज्य सरकार ने जीवमंडल के 69 गांवों में विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं। इनमें पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम, समाज कल्याण संबंधी गतिविधियां, पर्यावरणीय शिक्षा आर्चिड केन्द्रों का रखरखाव और औषधीय पौधों के उद्यान की स्थापना शामिल है।

टेलीफोन नेटवर्क

7503. श्री भर्तृहरि महताब: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क उपलब्ध कराने पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषकर उड़ीसा के भद्रक, जयपुर और कटक जिलों में बड़ी संख्या में टेलीफोन, खराब सेवा और घटिया स्तर के उपकरणों के कारण खराब पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में अच्छी गुणवत्ता वाले टेलीफोन उपकरण उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक हो जाएगा;

(ङ) राज्य और उक्त जिलों में टेलीफोन सुविधाओं का स्तर सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं। विभाग, राज्य में अच्छी गुणवत्ता के टेलीफोन उपस्कर प्रदान करता है, जिनकी ठीक प्रकार से पांच की जाती है और विभाग के गुणवत्ता आश्वासन संगठन द्वारा पास किया जाता है। तथापि, यदि उपभोक्ता चाहे, तो वह आप टेलीफोन उपकरण खरीद सकता है और 250 रुपये की छूट प्राप्त कर सकता है।

(ङ) और (च) तथाकथित जिलों सहित राज्य में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(1) भद्रक, कटक और जैपोर जिलों को डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित कर दिया गया है।

(2) बाह्य संयंत्रों को उन्नत प्रौद्योगिकी के उपकरणों/अनुषंगी उपकरणों से अपग्रेड किया जा रहा है और ओवर हैड लाइनों को धीरे-धीरे भूमिगत केबलों से बदला जा रहा है ताकि दोष दर न्यूनतम हो सके।

(3) सभी एक्सचेंजों में चरणबद्ध रूप से ओएफसी द्वारा पारेषण माध्यम को अपग्रेड किया जा रहा है। सभी एक्सचेंजों को सितम्बर, 2000 तक विश्वसनीय पारेषण माध्यम प्रदान करने की संभावना है।

(4) उन्नत संचार प्रणालीयां जैसे सी-डॉट पी एम पी और डब्ल्यूएलएल (वायरलैस इन लोकल लूप) को गांवों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने हेतु दिए जाने का प्रस्ताव है।

दूरसंचार सेवा विभाग

7504. श्री अब्दुल हमीद: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार सेवा विभाग (डी.टी.एस.) दूरसंचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में सरकारी इक्विटी को कम करने के लिए विनिवेश विभागों की पहल का सख्त विरोध कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) वी एस एन एल तथा एम टी एन एल दोनों में सरकारी इक्विटी को पहले ही क्रमश: 53 प्रतिशत तथा 57.25 प्रतिशत तक नीचे लाया गया है। संबंधित विभागों के विचार-विमर्श के साथ और आगे डिसइनवैस्टमैंट के प्रश्न की जांच की जा रही है।

कर्नाटक में दूरसंचार सुविधाएं

7505. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के चिकबल्लापुर क्षेत्र में सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं में सुधार हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जी, हां। चिकबल्लापुर क्षेत्र में 973 गांवों में से 631 गांवों में दूरसंचार सुविधा प्रदान कर दी गई है। शेष 342 गांवों को मार्च, 2001 तक उत्तरोत्तर रूप से दूरसंचार सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए हैं और मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार किया गया । नए और एक्सचेंज खोले जाने की योजना है। ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर विश्वसनीय संचारण माध्यम प्रदान करने की योजना है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

7506. श्री दिलीप संघाणी: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित भारतीय कम्पनियों द्वारा किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय कंपनियों को किस सीमा तक विदेशी इक्विटी की अनुमति प्रदान की गई है; और

(ग) इस संबंध में उद्योग मंत्रालय और नौवहन मंत्रालय द्वारा की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

वायु प्रदूषण के कारण मौतें

7507. प्रो. दुर्गा भगत:
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री विजय हान्दिक:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के महानगरों में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान महानगरों में महानगर-वार कितनी मौतें हुई; और

(ग) ऐसी मौतों और वायु-प्रदूषण से हो रही बीमारियों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार वायु-प्रदूषण के कारण 1995 में भारत के 36 शहरों में लगभग 40,000 असामयिक मौतें हुई हैं। यद्यपि, इन आंकड़ों की पुष्टि संबंधी कोई अंतिम आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। वायु प्रदूषण की वजह से मृत्यु दर संबंधी कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) सरकार ने प्रदूषण उपशमन के लिए एक व्यापक नीति विवरण तैयार किया है, जिसमें प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संबंधी पहलुओं पर जोर दिया गया है।

(2) विभिन्न शहरों और कस्बों की परिवेशी वायु गुणवत्ता की राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के तहत 290 मॉनीटरिंग स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से नियमित तौर पर मॉनीटरिंग की जाती है।

(3) औद्योगिक इकाईयों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(4) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों और ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले उत्सर्जनों को नियमित तौर पर मॉनीटर किया जाता है और दोषी इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(5) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिल्ली और मुम्बई में प्रदूषण कम करने के लिए पर्यावरण कार्य योजना तैयार की गई, जो कार्यान्वित की जा रही है।

(6) दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई महानगरों में जून, 1994 में कम सीसा युक्त पेट्रोल की शुरूआत की गई थी। तदुपरान्त, उपरोक्त शहरों में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगे वाहनों के लिए 1.4.1995 से सीसा रहित पेट्रोल की शुरूआत की गई थी। अब 1.2.2000 से पूरे देश में सीसा रहित पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है। डीजल में धीरे-धीरे सल्फर की मात्रा कम की जा रही है। पेट्रोल और डीजल के लिए ईंधन गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(7) सड़कों पर चल रहे वाहनों के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत ठोस उत्सर्जन मानक तथा नए वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए द्रव्य उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(8) प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपकरण स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

वन क्षेत्र के लिए कार्य योजना

7508. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री अरुण कुमार:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी बीस वर्षों के दौरान देश के एक तिहाई भौगोलिक क्षेत्र को वन क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या पेड़ों को लगाने के लिए भू-क्षेत्र की पहचान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य में इस प्रयोजन के लिए कितने एकड़ भूमि उपलब्ध है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना (एन एफ ए पी) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुरूप वानिकी क्षेत्र की मुख्य समस्याओं से संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए व्यापक कार्यनीति वाली अगले 20 वर्षों की दीर्घावधि योजना है। एन एफ ए पी का उद्देश्य देश के एक तिहाई क्षेत्र को वन/वृक्ष आवरण के तहत लाना तथा वनों का सतत विकास करने के लिए वनों की कटाई को रोकना है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के पांच मुख्य घटक हैं-

1. विद्यमान वन संसाधनों की सुरक्षा करना: इसके तीन मुख्य उप-कार्यक्रम हैं (1) वनों की सुरक्षा (2) मृदा एवं जल संरक्षण, और (3) सुरक्षित क्षेत्र और जैव-विविधता संरक्षण।

2. वन उत्पादकता में सुधार: इसके चार मुख्य उप-कार्यक्रम हैं (1) अवक्रमित वनों का पुनरुद्धार, (2) अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास, (3) गैर-काष्ठ वन उत्पादों का विकास (4) सामुदायिक सहभागिता से निजी पहल में सहायता प्रदान करना।

3. कुल मांग में कमी लाना: इसमें निम्नलिखित के कार्यक्षम प्रयोग के लिए तीन मुख्य उप-कार्यक्रम हैं:

(1) ईंधन लकड़ी और चारा (2) इमारती लकड़ी, और (3) गैर-काष्ठ वन उत्पाद।

4. नीति और संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण: इसके तीन मुख्य उप-कार्यक्रम हैं (1) केन्द्रीय वानिकी प्रशासन (2) केन्द्रीय वानिकी संस्थाएं, और (3) राज्य वानिकी प्रशासन और संस्थाएं।

5. वन क्षेत्र का विस्तार करना: इसके दो मुख्य उप-कार्यक्रम हैं (1) वन और वनेतर भूमियों पर पौधरोपण और (2) पौधरोपण और इसकी सुरक्षा में लोगों की भागीदारी।

प्रत्येक राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित भूमि संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:-

एन.एफ.ए.पी. के राज्य-वार निवेश अनुमान का सार (मिलियन रुपयों में)

राज्य/संघ क्षेत्र	पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पांचवां वर्ष
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	2618.82	2619.5	2620.1	2620.3	2621.3
अरूणाचल प्रदेश	1174.9	737.7	743.4	744.3	737.2
असम	706.2	873.3	1009.8	1129.9	1228.0
बिहार	2899.8	2952.2	3047.6	3063.2	3145.2
गोवा	108.9	108.9	108.9	108.9	108.9

1	2	3	4	5	6
गुजरात	855.7	1032.1	1112.2	1161.3	1179.4
हरियाणा	716.0	716.2	716.3	716.5	718.3
हिमाचल प्रदेश	1839.2	2134.3	2524.5	2970.8	3362.9
जम्मू और कश्मीर	2609.7	2608.9	2608.9	2608.9	2608.9
कर्नाटक	5400.85	5410.35	5420.85	5436.35	5446.85
केरल	1544.6	1582.8	1566.7	1564.4	1530.1
मध्य प्रदेश	6698.1	9723.2	10673.7	11074.3	11474.6
महाराष्ट्र	1788.4	1787.7	1787.7	1789.6	1789.6
मणिपुर	968.3	1121.5	1185	1241.5	1296.4
मेघालय	63.4	66.2	68.6	71.2	73.8
मिजोरम	598.6	723.5	767.5	792.4	817.2
नागालैंड	396.8	328.6	339.9	325.6	330.8
उड़ीसा	332.78	1348.58	1348.58	1347.29	1344.75
पंजाब	956.3	1154.7	1220.3	1342.9	1375.3
राजस्थान	5598.3	6194.8	6772.9	7351	7947.8
सिक्किम	417	432.1	447.6	448	448.3
तमिलनाडु	1547.04	1547.04	1547.04	1547.04	1547.04
त्रिपुरा	396.8	328.6	339.9	325.6	330.8
उत्तर प्रदेश	681.6	1372.1	1539.2	1585.2	1658.7
पश्चिम बंगाल	1957	1957	1957	1957	1957
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	292.4	319.6	293.3	291.8	293.1
कुल राज्य	43167.49	49181.47	51767.47	53615.68	55372.24
केन्द्रीय खण्ड	3520.5	3696.5	3881.4	4075.4	4279.2
देश के लिए कुल	46687.99	52877.97	55648.87	57691.08	59651.44

राज्य/संघ क्षेत्र	पहले पांच वर्ष	दूसरे पांच वर्ष	तीसरे पांच वर्ष	चौथे पांच वर्ष	20 वर्षों के लिए कुल		पुनरुद्धार/पौधरोपण किया जाने वाला कुल क्षेत्र (मि.हे.)	
							II	V
1	7	8	9	10	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश	13100.43	12964.73	12687.98	12580.98	51334.12	4.93	2.65	2.28
अरूणाचल प्रदेश	4137.49	3578.36	3260.89	3136.85	14113.59	0.15	0.10	0.05
असम	4947.25	5779.85	5068.15	4925.10	20720.35	1.10	0.92	0.18
बिहार	15107.94	15605.72	15700.01	15653.99	62067.66	4.21	1.50	2.71
गोवा	544.52	277.12	283.16	279.17	1383.97	0.03	0.03	0.00
गुजरात	5340.74	6042.18	5962.52	5901.22	23246.66	2.62	0.74	1.88
हरियाणा	3583.3	3806.14	3824.18	4553.67	15767.29	0.87	0.17	0.70
हिमाचल प्रदेश	12831.70	17190.00	29080.50	49412.50	108514.70	0.90	0.49	0.41
जम्मू और कश्मीर	13045.25	14333.58	14329.41	15468.95	57177.19	6.27	2.05	4.22
कर्नाटक	27117.25	27246.75	28995.75	30017.25	113377.00	3.21	3.09	0.12
केरल	7788.64	6862.18	6235.12	5196.95	26082.89	0.26	0.14	0.12
मध्य प्रदेश	49643.82	60195.07	60221.26	60229.29	230289.44	7.39	6.01	1.38
महाराष्ट्र	8943	16746.77	24585.78	34658.66	84914.21	3.36	2.68	0.68
मणिपुर	5812.71	5942.87	4671.13	3009.45	19436.16	1.08	0.77	0.31
मेघालय	343.15	408.16	473.17	538.17	1762.65	–	–	0.00
मिजोरम	3699.22	4473.12	5827.48	5221.08	19220.90	0.62	0.60	0.02
नागालैंड	1721.7	1270.4	894.7	736.7	4623.5	–	–	–
उड़ीसा	5721.98	6391.45	7056.45	7982.45	27152.33	0.44	0.16	0.28
पंजाब	6049.49	7292.62	4904.93	4365.64	22612.68	0.66	0.31	0.35
राजस्थान	33864.79	47416.27	52665.53	57197.89	191144.48	5.14	0.80	4.34
सिक्किम	2193.05	2103.26	2095.53	2101.23	8493.07	0.28	0.20	0.08
तमिलनाडु	7735.20	7618.25	6006.10	5828.45	27188.00	0.71	0.33	0.38
त्रिपुरा	1721.70	1270.40	894.70	736.70	32208.18	0.08	0.04	0.04
उत्तर प्रदेश	6836.80	9018.94	8204.74	8147.70	32208.18	3.24	2.28	0.96
पश्चिम बंगाल	9785.05	12464.03	15849.79	19179.98	57278.85	0.61	0.30	0.31

1	7	8	9	10	11	12	13	14
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1490.22	1544.06	1973.86	2579.69	7587.83	0.07	0.07	0.00
कुल राज्य	253106.39	297842.28	321732.82	359639.71	1233321.20	48.23	26.43	21.80
केन्द्रीय खण्ड	19453.00	24149.00	27921.10	35183.50	106706.60	–	–	–
देश के लिए कुल	272559.39	321991.28	349653.92	394823.21	1339027.8	48.23	26.43	21.80

प्रारूप विद्युत विधेयक

7509. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री आन्नासाहेब एम. के. पाटील:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र के राज्य प्रारूप विद्युत विधेयक, 2000 का विरोध कर रहे हैं तथा इन राज्यों ने इस विधेयक में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव भी किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर) द्वारा प्रस्तुत प्रारूप बिजली बिल, 2000 को सभी संबंधितों को परिपत्रित कर दिया गया है। पूर्वी क्षेत्र से उड़ीसा राज्य और पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, कलकत्ता से टिप्पणियाँ प्राप्त हो गई हैं। उड़ीसा सरकार ने यूटिलिटियों को आर्थिक सहायता देने से संबंधित प्रावधानों इत्यादि पर लोक हित को शामिल करते हुए नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांतों को जारी करने की शक्तियों से संबंधित मामलों पर सुझाव दिये हैं। पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, कलकत्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अवलोकन किया है कि क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड अपने वर्तमान रूप में काफी उपयोगी भूमिका निभा रहे हैं और इन्हें जारी रखा जाना चाहिए।

एनसीएईआर द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए प्रारूप में प्राप्त की गई विभिन्न टिप्पणियों और विचारों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन एवं संशोधन किए गए हैं।

[हिन्दी]

तेल कम्पनियों का विनिवेश

7510. श्रीमती रेणु कुमारी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के कार्यानिष्पादन को सहारा देने और उन्हें वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए विनिवेश योजना को पूरा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र की तेन कम्पनियों के लिए विनिवेश में कितने प्रतिशत भागीदारी की सिफारिश की गई है; और

(घ) विनिवेश योजना के कब तक पूरा हो जाने का लक्ष्य है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ तेल कम्पनियों के कार्यानीतिक गठबन्धन और एकीकरण के लिए सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। कोई निश्चित योजना और समय कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की एजेंसियां

7511. श्रीमती रीना चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिला-वार विशेषत: मोहनलालगंज जिले में रसोई गैस की कितनी एजेंसियां काम कर रही हैं;

(ख) इन्हें वितरण हेतु कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं को कितने अतिरिक्त कनेक्शन उपलब्ध कराए गए; और

(घ) अगले कुछ वर्षों में प्रत्येक जिले में कितने नए रसोई गैस कनेक्शन और एजेंसियां आबंटित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) फिलहाल उत्तर प्रदेश में 5824171 ग्राहक संख्या के साथ 715 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालनरत हैं जिसमें लखनऊ जिले में मोहनलालगंज बाजार में 4074 ग्राहक संख्या के साथ एक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप सम्मिलित है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में 1836058 नए एल पी जी कनेक्शन जारी किए गए।

(घ) उत्तर प्रदेश के लिए 1996-98 की विपणन योजना में 440 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं। तेल कम्पनियों को उत्तर प्रदेश सहित देश के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान 1 करोड़ नए कनक्शन जारी करने तथा 1.12.1999 तक प्रतीक्षा सूची निपटाने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

लुप्तप्राय पशु प्रजातियों की रक्षा

7512. श्री उत्तमराव ढिकले:
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में लुप्तप्राय पशु-प्रजातियों के संरक्षण और बचाव के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की गई, कितनी धनराशि आबंटित की गई और अब तक लुप्तप्राय पशुओं की रक्षा के लिए लक्ष्य तथा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को तेजी से लुप्त हो रहीं पशु-प्रजातियों को बचाने के लिए इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विश्व वन्यजीव कोष अथवा किसी अन्य विदेशी स्रोतों से सहायता लेने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) भारत सरकार ने देश की संकटापन्न वन्य जीव प्रजातियों की सुरक्षा करने और उन्हें बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- वन्यजीवों के शिकार और उनके वाणिज्यिक दुरूपयोग के सम्बन्ध में वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराना;
- वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण एवं वन सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय एवं प्रवर्तन समिति का गठन करना। विभिन्न राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर इसी तरह की समितियाँ गठित की गई हैं।
- दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को प्राधिकृत करना और वन्यजीवों से संबंधित अपराधों के लिए मुकदमा चलाना।
- अर्धसैनिक बलों और राज्य सशस्त्र टुकड़ियों में से लिए गए सशस्त्र दस्तों और स्ट्राइक फोर्स को शामिल करके ढांचागत सुविधाएं मजबूत करने के लिए राज्य सरकार को सहायता पहुँचाना।
- शुरू किए गए सुरक्षा उपायों की प्रभावी रूप से मानीटरी करने के लिए राज्य सरकार के साथ समय-समय पर बैठकें करना।
- केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत ढांचागत सुविधाओं को मजबूत बनाना और सभी संवेदशील क्षेत्रों में इसकी विद्यमानता सुनिश्चित करना।

(ख) क्रियान्वित की गई परियोजनाओं की संख्या और उनके लिए आबंटित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। ये परियोजनाएं देश की बहुमूल्य जैव विविधता और विशेषकर संकटापन्न वन्य प्राजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से देश के संरक्षित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाती हैं। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप दुर्लभ और संकटापन्न वन्य जीवों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। दुर्लभ और संकटापन्न वन्य जीवों के सन्दर्भ में प्राप्त उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- देश में बाघों की संख्या जो 1969 में 1827 थी, वर्ष 1997 में बढ़कर 3810 हो गई है।
- गैंडों की संख्या 1966 में 600 की तुलना में 1997 में बढ़कर 1730 हो गई है।

- हाथियों की संख्या 1985 में 18960 (लगभग) से बढ़कर 1998 में 29450 (लगभग) हो गई है।
- भारत में एशियाई शेरों की संख्या 1968 में 177 से बढ़कर 1995 में 304 हो गई है।

(ग) और (घ) संकटापन्न वन्यजीव प्रजातियों की सुरक्षा से संबंधित परियोजना क्रियान्वित करने के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू एफ अथवा अन्य किसी विदेशी संस्था के साथ सम्पर्क करने की भारत सरकार की निकट भविष्य में कोई योजना नहीं है।

विवरण

परियोजनाओं की संख्या और उन्हें आबंटित राशि

क्र.सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	आबंटित राशि (करोड़ रुपये में)		
		7वीं योजना	8वीं योजना	9वीं योजना
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	18.85	49.50	85.00
2.	संरक्षित क्षेत्रों में और उनके आस-पास पारिविकास	-	29.96	175.00
3.	हाथी परियोजना	-	23.00	40.00
4.	बाघ परियोजना	14.74	40.00	75.00
5.	आदिवासी विकास के लिए लाभोन्मुखी स्कीम	-	3.50	12.00

दूरसंचार नेटवर्क

7513. श्री मणिशंकर अय्यर: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार सेवा विभाग काफी समय से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दूरसंचार नेटवर्क में अपनी अतिरिक्त धनराशि निवेश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-1999 तक कितना संचयी निवेश किया गया;

(ग) क्या दूरसंचार शुल्क आदेश 1999 के लागू होने से लंबी दूरी की कॉल संबंधी राजस्व में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने राजस्व का घाटा हुआ;

(ङ) यूनिवर्सल सर्विस फंड की स्थापना के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) अब तक निजी आपरेटरों द्वारा कितने ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन दिए गए हैं; और

(छ) प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक टेलीफोन का समयबद्ध लक्ष्य लक्षित तारीख तक पूरा किया जाता है, को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) 62,395.54 करोड़ रुपये।

(ग) और (घ) टी आर ए आई के टैरिफ आदेश-1999 में यह अनुमान लगाया गया था कि लंबी दूरी कालों की दरों को कम करने से लंबी दूरी परियात में वृद्धि होगी। जिससे आपरेटरों को हुए घाटे की पूर्ति हो जाएगी परन्तु यह सही साबित नहीं हो पाया। जिसके परिणामस्वरूप यह अनुमान है कि मूल बजट प्राक्कलन की तुलना में वर्ष 1999-2000 में दूरसंचार सेवा विभाग को लगभग 2000 करोड़ रुपये के घाटे (लेखे अभी बंद किए जाने हैं) की संभावना है।

(ङ) "यूनिवर्सल सर्विस फंड" की व्यवस्था करने के मुद्दे की जांच की जा रही है।

(च) अभी तक मै. भारतीय टेलीनेट लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में केवल बारह (12) गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए हैं।

(च) दूरसंचार सेवा विभाग डब्ल्यूएलएल., सी-डॉट टीडीएमए/ पीएमपी जैसी नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर रहा है। हमारा लक्ष्य यह है कि देश में टेलीफोन सुविधा रहित सभी गांवों को मार्च, 2002 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिया जाए।

[हिन्दी]

रसोई गैस के कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

7514. **मोहम्मद शहाबुद्दीनः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसोई गैस के कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने की सरकार की क्या योजना है;

(ख) क्या बिहार में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर वहां रसोई गैस के वितरकों की कम संख्या के कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार कब तक पर्याप्त संख्या में रसोई गैस के वितरकों को नियत करने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार बिहार के सिवन जिले में कुछ नए वितरकों को नियुक्त करने के लिए कोई कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार की योजना, 1.12.1999 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत पूरी प्रतीक्षा सूची निपटाने के लिए वर्ष 2000 के दौरान लगभग 1 करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की है।

(ख) वर्तमान में बिहार राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास पंजीकृत एल पी जी ग्राहकों की मांग कमोवेश पूर्णतः पूरी की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) बिहार में जिला सीवान के लिए विपणन योजना 1996-98 में निम्नलिखित स्थानों पर 5 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल की गई हैं:-

1. जीरादी
2. मैड़वा
3. रघुनाथपुर
4. चैनपुर
5. आमोबाजार।

[अनुवाद]

झरवारी भैथ्या विद्युत परियोजना

7515. **श्री अजय सिंह चौटालाः** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अप्रैल, 2000 के "ट्रिब्यून" में "इररेगुलेरिटीज इन अवार्ड ऑफ कंट्रेक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) संबंधित प्रेस रिपोर्ट का संबंध नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की विशेष लेखा परीक्षा दल द्वारा जनवरी, 2000 में किए गए लेखा परीक्षा से है। लेखा परीक्षा संबंधी अभिगत नाथपा-झाकड़ी पावर कार्पोरेशन द्वारा ठेकेदारों को अभिवृद्धि प्रभार का भुगतान, कॉलोनी सड़क एवं गैस्ट हॉउस के सुदृढ़ीकरण के लिए ठेका देना और निगम के सतर्कता अधिकारी के कतिपय एलटीसी दावे के निपटान में विसंगति से संबंधित है। नाथपा झाकड़ी पावर कार्पोरेशन सीएजी कार्यालय को अपेक्षित स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया है।

जहां तक निगम के सतर्कता अधिकारी के एलटीपीसी दावे से संबंधित विसंगति का प्रश्न है, एनजेपीसी इस मामले में चल रहे जांच को पूरा करने के लिए उचित कार्रवाई करेगा।

(घ) नाथपा-झाकड़ी जल विद्युत परियोजना (1500 मे.वा.) के 250 मे.वा. वाले छः यूनिटों को संभावित रूप से मार्च, 2002 तक पूरा किया जाना है।

[हिन्दी]

डीजल की मांग

7516. **श्री रामशकलः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्तमान में कृषि, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों सहित देश में डीजल की कुल जरूरत घरेलू उत्पादन से पूर्णत: पूरी की जाती है।

[अनुवाद]

दूरसंचार प्रौद्योगिकी

7517. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी के पृथक निकायों को एक संयुक्त प्राधिकरण में विलय हेतु कोई सुझाव प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) दूरसंचार, कम्प्यूटर, टेलीविजन और इलेक्ट्रानिक्स के बीच अभिसरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय तार अधिनियम, 1885 को बदलने के लिए नए विधान का सुझाव देने के लिए एक आदेश-पत्र सहित वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया है। यह दल सेवाओं के विनियमन सहित सभी पहलुओं की जांच करेगा।

गंधकरहित पेट्रोल और डीजल

7518. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में यूरो-2 पर्यावरण के अनुकूल गंधकरहित एक अन्य पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो पारंपरिक उत्पादनों की तुलना में गंधकरहित पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर लागत में कितना अंतर है;

(ग) क्या गंधकरहित पर्यावरण अनुकूल पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराने में वाहनों की आयु पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ङ) क्या सरकार का विचार वाहनों में सी एन जी के प्रयोग को बढ़ावा देने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां। 1 अप्रैल, 2000 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) के अंतर्गत यूरो-2 मानकों का अनुसरण करते हुए क्रमश: सभी पेट्रोल इंजन वाहनों तथा डीजल से चलाए जाने वाले गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए 0.05 प्रतिशत गंधक अंश भार वाले पेट्रोल तथा डीजल की शुरूआत की गई है।

(ख) दिल्ली में कम गंधक (0.05 प्रतिशत अधिकतम) अंश वाले पेट्रोल तथा डीजल के वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्य अपेक्षाकृत नियमित पेट्रोल तथा डीजल की तुलना में क्रमश: 13 पैसे प्रति लिटर एवं 52 पैसे प्रति लिटर अधिक है।

(ग) और (घ) जी, हां। पेट्रोल के अंतर्गत अपेक्षाकृत कम अंश से कैटेलिटिक कनवर्टरों के साथ ही आन-बोर्ड डाइगनोस्टिक सिस्टम तथा आक्सीजन सेन्सर्स इत्यादि, जो नई उत्पादित कारों पर लगाए जाते हैं, जैसे उत्सर्जन नियंत्रण यंत्रों की मियाद बढ़ेगी। डीजल के मामले में अपेक्षाकृत कम गंधक अंश विविक्त उत्सर्जनों में कमी करने के अलावा इंजन की संक्षारक छीज को कम करेगा और इस प्रकार इंजन की लाइफ में वृद्धि होगी।

(ङ) और (च) सी एन जी आपूर्ति सुविधाएं ऐसे शहरों में स्थापित की जा सकती हैं जहां प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन आपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है तथा तत्संबंध में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता प्रमाणित की गई है। मुंबई, दिल्ली, बढ़ोदरा, सूरत, तथा अंकलेश्वर शहरों में मोटर वाहनों के लिए सी एन जी उपलब्ध कराने हेतु अब तक 56 सी एन जी स्टेशन चालू किए गए हैं।

दूरसंचार सुविधाएं

7519. श्री राम मोहन गाइडे:
श्री आर.एस. पाटिल:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:
श्री प्रभात समन्तराय:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में टेलीफोन मांग पर उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार ने अभी हाल ही में यह घोषणा की है कि देश भर में टेलीफोन मांग पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) सरकार ने परिकल्पना की है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात् मार्च, 2002 तक समूचे देश में सरकारी प्रयासों में निजी क्षेत्र के सहयोग से मांग पर टेलीफोन उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

(ग) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची तथा 2000-2001 के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य के राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। अधिकांश सर्किलों में प्रतीक्षा सूची की तुलना में लक्ष्य अधिक निर्धारित किया गया है। वर्ष 2001-2002 के लक्ष्यों को उपर्युक्त ढंग से निर्धारित किये जाने से प्रतीक्षा सूची का निपटान करने तथा मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। आंशिक मांगों को पूरा करने के लिए कुछ राज्यों में निजी क्षेत्र के सहयोग के प्राप्त दिये जाने की प्रत्याशा है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	2000-01 के लिए नये टेलीफोन कनेक्शन के लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	377058	575000
2.	असम	5475	55000
3.	बिहार	106196	260000
4.	गुजरात	232624	330000
5.	हरियाणा	73262	150000
6.	हिमाचल प्रदेश	24708	60000
7.	जम्मू और कश्मीर	31882	50000
8.	कर्नाटक	332189	425000
9.	केरल	647165	450000
10.	मध्य प्रदेश	40534	150000
11.	महाराष्ट्र	287277	840000
12.	उत्तर-पूर्व	26023	50000
13.	उड़ीसा	42527	100000
14.	पंजाब	176732	250000
15.	राजस्थान	95172	210000
16.	तमिलनाडु	615096	700000
17.	उत्तर प्रदेश	325048	490000
18.	पश्चिम बंगाल	159876	445000
19.	दिल्ली	81871	200000
	कुल	3680715	5790000

टिप्पणी:

गुजरात राज्य में दादर दियू, दमन और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।
केरल राज्य में लक्ष्यद्वीप (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है।
महाराष्ट्र राज्य में गोवा और एमटीएनएल, मुम्बई, शामिल है।
पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किल में अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।
पंजाब राज्य में चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है।
तमिलनाडु राज्य में चेन्नई और पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र) सम्मिलित हैं।
पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता और सिक्किम, अण्डमान निकोबार राज्य सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

धूल और धुंआ द्वारा प्रदूषण

7520. प्रो. दुखा भगत: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धूल और धुंआ के कारण होने वाले प्रदूषण का मूल्यांकन और हुई क्षति हेतु कोई अनुसंधान अध्ययन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनसे हुए प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। मानवों पर प्रयोगशाला के लिए रखे गए पशुओं और पौधों पर धूल के कारण हुए प्रदूषण

से होने वाली क्षति का मूल्यांकन करने हेतु अध्ययन किया गया है। मुख्य निष्कर्ष यह निकला है कि धूल और धुंआ से हुए प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विशेषकर इससे श्वास प्रणाली प्रभावित होती है। इससे पौधों की उत्पादकता और जीनव शक्ति भी प्रभावित होती है।

(ग) धूल और धुंए के प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों में धुएं का स्तर निर्धारित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे प्रशासनिक तंत्र स्थापित किए गए हैं। वायु गुणता संबंधी मानकों को पूरा करने के उपाय उठाए जा रहे हैं। जैसे स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने, शहरी और वन कटाई वाले क्षेत्रो/मरू क्षेत्रों में व्यापक वनीकरण उपाय कारखानों के आसपास निर्धारित पौध प्रजातियों से हरित पट्टी बनाना, अभिनिर्धारित क्षेत्रों विशेषकर दिल्ली में ट्रेफिक चौराहें पर नियमित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, ड्राई परिवहन प्रणाली के स्थान पर फ्लाइ ऐश के लिए स्लोरि पर आधारित परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए अनुसंधान अध्ययन चल रहे हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के खंड 5 के अंतर्गत थर्मल पावर संयंत्र जैसे उद्योगों को भी इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर्स स्थापित करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। शहरी वायु गुणता विशेषकर वाहन प्रदूषण में सुधार लाने के लिए मंत्रालय भू-तल परिवहन मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आटोमोबाईल प्रौद्योगिकी के उन्नयन, ईंधन गुणता में सुधार, परिवहन के वैकल्पिक तरीके, ट्रैफिक प्रबंधन आदि में सुधार लाने पर कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में पुडुक्कोट्टै में पेट्रोल पम्प

7521. श्री तिरूनावक्करसू: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु के पुडुक्कोट्टै जिले में कितने पेट्रोल बिक्री केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में नए पेट्रोल बिक्री केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) वर्तमान में तमिलनाडु के पुडुक्कोट्टै जिले में 28 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप कार्य कर रही हैं।

बर्द्धित मांग को पूरा करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप स्थापित करने हेतु तेल कंपनियों के द्वारा इस जिले में 5 और स्थानों अर्थात् पोन्नामरावथी, पुडुक्कोट्टै, कोट्टाईपट्टीनक करमबाकुडी तथा मेमीसाल के लिए विज्ञापन दिया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी

7522. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में विद्युत की स्थिति के सुधार हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा और इस उद्देश्य हेतु राज्य को क्या सहायता प्रदान की जा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) राज्य के भीतर क्षेत्रवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति की मानीटरिंग संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तथापि, वर्ष 1999-2000 के दौरान तथा अप्रैल, 2000 के माह में उत्तर प्रदेश राज्य में समग्र विद्युत की स्थिति का ब्यौरा निम्नवत् है:-

	ऊर्जा (मि.यू.)		व्यस्ततमकालीन माँग (मेगावाट)	
	1999-2000	अप्रैल, 2000	1999-2000	अप्रैल, 2000
आवश्यकता	44552	3720	6580	6488
उपलब्धता	38800	3222	5058	5735
कमी	5725	498	1522	753
%	12.9	13.4	23.1	11.6

उत्तर प्रदेश के लिए उत्तरी क्षेत्र के केन्द्रीय स्टेशनों में हिस्से के रूप में 2372 मे.वा. विद्युत आवंटन के अतिरिक्त राज्य को उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय स्टेशनों में अनावंटित कोटे में से 14% (126 मे.वा.) और पूर्वी क्षेत्र, जहाँ कि विद्युत का अधिशेष है, में एनटीपीसी स्टेशनों में अनावंटित कोटे में से 6.8% (60 मे.वा.) का भी आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

कर्मचारियों का नियमन

7523. श्री अनंत गुढ़े:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 2000 के ''द इंडियन एक्सप्रेस'' में ''राम राज्य इन संचार भवन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) संचार मंत्री ने दिनांक 4.4.2000 को आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की भर्ती के लिए लिए नियम एवं शर्तों का समान्य तौर पर उल्लेख किया था। साथ ही, उन्होंने, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को नियमित कर्मचारियों के समान दर्जा व पेंशन देने के बारे में कर्मचारी यूनियनों की मांगों का उल्लेख भी किया था। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं मुहैया कराने वाली अतिरिक्त विभागीय प्रणाली के सभी पहलुओं पर संचार मंत्रालय की सलाहकार समिति की हाल में हुई बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया था। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से संबद्ध मुद्दों में केन्द्र सरकार के अधीन भर्ती के नियम एवं शर्तों से संबंधित मूलभूत सिद्धांत अंतर्निहित हैं, अत: इस मामले की भारत सरकार के नोडल विभागों/मंत्रालयों के साथ परामर्श करके गहराई से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में, नई प्रौद्योगिकी के समावेश के साथ सेवाओं को आधुनिक बनाने तथा विशेष रूप से वाणिज्यिक/व्यावसायिक सेक्टर के अनुकूल बनाई गई प्रीमियम सेवाओं एवं उत्पादों के जरिए अधिक राजस्व जुटाने के डाक विभाग के प्रयास भी उल्लेखनीय हैं।

तमिलनाडु में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की खंडपीठ

7524. डा. वी. सरोजा: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की कोई खण्डपीठ स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त राज्य में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की एक खंडपीठ स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आय कर अपील अधिकरण की 4 न्यायपीठें स्थापित की गई हैं और वे तमिलनाडु के चेन्नई नगर में पहले से ही कार्यरत हैं।

टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार

7525. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में जिलेवार कितने टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता का विस्तार किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राज्यों में वर्तमान टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के लिए इस कार्य हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) उन टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में जिले-वार क्षमता में वृद्धि की गई है, विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) देश में विद्यमान एक्चेंजों की क्षमता बढ़ाने की योजना वर्ष-दर-वर्ष-वार बनाई जाती है। ऐसा ही वर्ष 2000-2001 के लिए किया जा रहा है जिसमें तमिलनाडु शामिल है। वर्ष 2000-2001 के दौरान तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल में 5,50,000 टेलीफोन लाइनें और 1,50,000 टेलीफोन लाइनें चेन्नई टेलीफोन जिले में जोड़ी जानी हैं। तमिलनाडु स्थित वर्तमान एक्सचेंजों का आवश्यकतानुसार विस्तार किया जाएगा।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान, तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल में वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने सहित नई टेलीफोन लाइनें जोड़ने के लिए प्रस्तावित फंड का आवंटन 1091.58 करोड़ रुपये है और चेन्नई टेलीफोन्स जिले के लिए 320.34 करोड़ रुपये है।

विवरण

उन टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षमता तमिलनाडु में जोड़ी गई है

		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
क.	तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल			
1.	कोएम्बटूर	55	73	64
2.	कुड्डालोर	22	43	24
3.	धर्मपुरी	43	41	62
4.	डिंडीगुल	29	27	29
5.	इरोड	34	52	44
6.	कांचीपुरम	23	19	13
7.	कन्याकुमारी	18	24	21
8.	करूर	15	24	20
9.	मदुरै	33	30	35
10.	नागपट्टीनम	22	26	34
11.	नामक्कल	35	35	33
12.	पेरम्बलूर	15	10	15
13.	पांडीचेरी	8	13	16
14.	पुडूकोट्टई	18	23	15
15.	रामनाथपुरम	26	13	29
16.	सालेम	52	44	51
17.	शिवगंगा	17	16	18
18.	थंजावुर	42	47	39
19.	नीलगिरीज	19	15	39
20.	थेनी	13	15	11
21.	तिरूनेलवेली	42	63	57
22.	तिरूवन्नामलई	16	30	18
23.	तिरूवरूर	12	21	20
24.	त्रिची	25	35	49

1	2	3	4	5
25.	टूटीकोरिन	35	37	35
26.	वेल्लोर	44	40	32
27.	विल्लुपुरम	27	41	28
28.	विरूधुनगर	10	25	21
29.	तिरूवेल्लोर	35	17	11
(ख)	चेन्नई टेलीफोन्स जिले	21	32	68

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर

7526. श्री शंकर सिंह वाघेला:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों पर कर तथा उप-कर लगाकर राजस्व अर्जित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अर्जित औसत वार्षिक धनराशि कितनी थी;

(ग) क्या इस धनराशि से एक कोष की स्थापना कर पेट्रोलियम क्षेत्र में व्यय करने के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) 1997-98 से 1999-2000 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक राजस्व राशि 24,777 करोड़ रुपये (अनन्तिम) है।

(ग) और (घ) कार/उपकर अर्थागम, संसद द्वारा अनुमोदित किए अनुसार खर्चे के वित्तपोषण के संसाधन हैं। बजट से किसी भी क्षेत्र का वित्तपोषण का संबंध उसी क्षेत्र से संग्रह किए गए राजस्व से होना आवश्यक नहीं है।

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी./गेल द्वारा टाटा इलैक्ट्रिक कंपनियों (टेक) को गैस की आपूर्ति

7527. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी./गेल ने टाटा इलैक्ट्रिक कंपनियों को विद्युत उत्पादन हेतु 1.5 एम.एम.सी.एम.डी. गैस की आपूर्ति करने के लिए वचनबद्धता जताई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ओ.एन.जी.सी./गेल द्वारा टाटा इलैक्ट्रिक कंपनियों को वचनबद्धता के अनुरूप गैस की आपूर्ति की गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक वर्षवार टाटा इलैक्ट्रिक कंपनियों को गैस की कितनी आपूर्ति गयी है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने साफ ईंधन उपलब्ध कराने और टाटा इलैक्ट्रिक कंपनियों के लिए गैस के आबंटन को बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):

(क) से (घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनीज (टी ई सी) के साथ उरान में ओ.एन.जी.सी. क्षेत्रों से उपलब्धता के अधीन अधिकतम 1.5 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस. सी.एम.डी) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक गैस आपूर्ति संविदा की है। वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान गेल ने टी ई सी को गैस की संविदागत मात्रा 1.5 एम.एम.एस.सी.एम.डी. की आपूर्ति की है। तथापि, लगभग 15 एम.एम.एस.सी.एम.डी. के कुल आबंटन की तुलना में उरान में गैस की उपलब्धता 1998-99 के दौरान कम होकर लगभग 12 एम.एम.एस.सी.एम.डी. तथा 1999-2000 के दौरान लगभग 10.5-11.0 एम.एम.एस.सी.एम.डी. रहने के कारण उरान में टी ईसी सहित सभी उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति यथानुपात कम करनी पड़ी। गेल ने टी ई सी को 1997-98 के दौरान 1.5 एम. एम. एस. सी. एम. डी. 1998-99 में 1.4 एम. एम. एस. सी.एम.डी. और 1999-2000 के दौरान लगभग 1 एम. एम. एस. सी. एम. डी. की औसत पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में रसोई गैस एजेंसियों के खिलाफ शिकायतें

7528. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध अनियमितताओं संबंधी कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा मामले दर्ज हुए;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) केरल में उक्त अवधि के दौरान विभिन्न अनियमितताओं के कारण अब तक बंद की गई रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध विभिन्न कदाचारों के लिए सिद्ध हुई शिकायतों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1997-98	8
1998-99	20
1999-2000	5

(ख) और (ग) प्रचालित डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार सिद्ध हुए कदाचार/अनियमतिता पर इसकी प्रकृति के आधार पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों ने केरल राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान 5 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को निलम्बित कर दिया ।

तेल की खोज

7529. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान तेल की खोज के लिए नये क्षेत्रों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में छिद्रण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में राज्य-वार क्या परिणाम निकला; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान खोज और छिद्रण प्रक्रिया पर अलग-अलग राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण एक सतत प्रक्रिया है। जिसमें भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन संसाधन, निर्वचन, संभावना वाले क्षेत्र की पहचान तथा वेधन शामिल है। वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) तथा आयल इंडिया लि. (ओआईएल) के द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों के विस्तृत ब्यौरे साथ ही वेधन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अलावा पूर्वी तट से दूर कुल 12 नए गहन जल ब्लाकों तथा पश्चिम तट से दूर उथले अपतटीय क्षेत्रों में 2 नए ब्लाकों की नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) के प्रथम दौर के तहत वर्ष 1999 में प्रस्ताव के लिए पहचान की गई थी तथा इनके बारे में उत्पादन हिस्सेदारी संविदायें हस्ताक्षर की गई हैं।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/तट	बेसिन	स्थान	स्थान जहां वेधन आरंभ किया गया/ पूरा किया गया	परिणाम
1	2	3	4	5	6
1998--99					
1.	आंध्र प्रदेश	कृष्ण-गोदावरी	7	4	एक कूप परीक्षणाधीन है, दो कूपों का अधित्याग कर दिया गया।
2.	तमिलनाडु	कावेरी	1	1	-
3.	असम	असम-अराकान वलन पट्टी-असम	1	-	-
4.	-तदैव-	ऊपरी असम	5	2	एक कूप उत्पादन तहत
5.	गुजरात	कैम्बे	2	2	एक कूप प्रेक्षणाधीन है तथा अन्य दूसरे कूप ने हाइड्रोकार्बन का संकेत दर्शाया तथा आगे और मूल्यांकन करने की कार्रवाई की गई है।
6.	पश्चिम तट	मुंबई अपतट	1	1	एक कूप का अधित्याग कर दिया गया (केसिंग कम नहीं की गई)
1999-2000					
1.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा-गोदावरी	8	1	कूप परीक्षणाधीन
2.	पूर्वी तट	पूर्वीतट अपतट	1	-	-
3.	तमिलनाडु	कावेरी	6	2	एक कूप शुष्क
4.	मध्य प्रदेश	विंध्यान	1	-	-
5.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल तराई	-	-	-
6.	जम्मू और कश्मीर	-तदैव-	1	-	-
7.	असम	असम-अराकान वलन पट्टी-असम	3	1	-
8.	-तदैव-	ऊपरी असम	11	1	-
9.	त्रिपुरा	असम-अकरान वलन पट्टी-त्रिपुरा	1	-	-
10.	गुजरात	कैम्बे	5	-	-
11.	पश्चिमी तट	मुंबई अपतट	6	3	एक कूप तेल युक्त, अन्य शुष्क साबित हुआ।
12.	-तदैव-	कच्छ अपतट	3	-	-

विद्युत परियोजनाओं को पूरा किये जाने में विलम्ब

7530. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुनियादी सुविधाओं तथा ईंधन की कमी के कारण देश की कतिपय विद्युत परियोजनाओं के बंद हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश की इन विद्युत परियोजनाओं को बंद होने से रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पूर्वोत्तर राज्यों में टेलीफोन एक्सचेंज

7531. श्री भीम दाहाल:
श्री माधव राजवंशी:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2000-2001 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनको कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार सिक्किम के मन्हलदोई, सियाझार, तंगलाम खामपेटिया और उदलगुड़ी क्षेत्रों में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	2000-01 के दौरान खोले जाने वाले नियोजित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1.	असम	50
2.	अरूणाचल प्रदेश	7
3.	मणिपुर	66
4.	मेघालय	9
5.	मिजोरम	6
6.	नागालैंड	९
7.	त्रिपुरा	7
8.	सिक्किम	6

(ग) आशा है कि मार्च, 2001 तक इन एक्सचेंजों को स्थापित कर दिया जाएगा।

(घ) जी हां।

(ङ) भाटापाड़ा डुगीचौकी, छमुआपाड़ा, पथौरीघाट, हाटीगढ़ तथा दीमाकशी में नए एक्सचेंज खोलने की योजना है।

(च) इस उद्देश्य के लिए 1.8 करोड़ की निधियां अलग से निर्धारित की गई हैं।

(छ) किए गए/प्रस्तावित उपाय निम्नानुसार हैं:-

1. उपस्कर प्राप्त किया जाना है।
2. भवनों की व्यवस्था की जा रही है।
3. पारेषण माध्यम की योजना बनाई गई है और इसे प्राप्त किया जाना है।

पारेषण एवं वितरण हानियां

7532. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों को विद्युत के पारेषण, वितरण और उत्पादन के कारण भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो देश में आज की तिथि तक विद्युत पारेषण और वितरण में हुई हानियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी हानियों को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखा वितरण के अनुसार 14 राज्य विद्युत बोर्डों की प्रतिफल दर (बिना आर्थिक सहायता के) नकारात्मक थी। रा.वि. बोर्डों की हानियों के मुख्य घटक अन्य बातों के साथ-साथ ये हैं। विद्युत की चोरी, उच्च पारेषण एवं वितरण हानियां और अस्थिर क्रास सब्सिडी जिससे आपूर्ति की लागत और राजस्व संलग्न के बीच अंतर बढ़ रहा है। कुछ राज्यों में ताप विद्युत संयंत्रों की कार्यकुशलता भी कम है।

(ख) वर्ष 1993-97 के लिए पारेषण एवं वितरण हानियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया गया है।

(ग) पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जुलाई, 1991 में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रावधान किए गए हैं:-

- प्रचालन वोल्टता का उच्चीकरण
- एलटी लाइनों की लम्बाई कम करना
- भार केन्द्रों के समीप ट्रांसफार्मर स्थापित करना
- उपभोक्ता परिसरों के समीप कम क्षमता के ट्रांसफार्मरों को अपनाना
- शंट कैपेसिटरों की अधिष्ठापना
- निर्माण और प्रचालन तकनीक में सुधार
- दीर्घकालीन आधार पर वितरण प्रणाली की आयोजना और डिजाईन के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण।
- ऊर्जा लेखा परीक्षा करना और तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को अलग-अलग करने के लिए पद्धति प्रदान करना।

विद्युत की चोरी को एक संज्ञेय आपराध बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के तहत यह प्रस्तावित किया गया है कि नवीनतम विकसित इलेक्ट्रानिक मीटरिंग प्रणाली की अधिष्ठापना सहित उप पारेषण एवं वितरण में सुधार लाने के लिए विशेष परियोजनाओं हेतु राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जाएंगी। एपीडीपी स्कीम के तहत क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए योजना आयोग द्वारा रूपात्मकताओं को अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

26.2.2000 को आयोजित हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों ने यह संकल्प लिया है कि दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं के लिए मीटरों की अधिष्ठापना की जायेगी तथा सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा की जाएगी। इन उपायों को अपनाने से विद्युत की चोरी के कारण पैदा होने वाली हानियों को काफी कम करना संभव होगा।

विवरण

राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों में पारेषण, रूपांतरण तथा वितरण हानियां (चोरी इत्यादि वाणिज्यिक हानियों सहित) का प्रतिशत

क्षेत्र	रा.वि.बो./विद्युत विभाग	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	25.0	30.80	32.39	32.77	33.04*
	2. हिमाचल प्रदेश	18.31	18.21	16.09	18.02	19.20
	3. जम्मू व कश्मीर	45.69	48.74	47.52	48.27	47.40**
	4. पंजाब	19.37	16.70	18.49	19.10	17.90
	5. राजस्थान	25.00	24.78	29.27	26.28	26.46
	6. उत्तर प्रदेश	24.08	21.69	21.84	24.84	25.00

1		2	3	4	5	6	7
	7.	चण्डीगढ़	27.17	28.44	33.72	21.88	14.95
	8.	डीवीबी (दिल्ली)	31.79	34.56	48.57	49.08	46.86[$]
पश्चिमी क्षेत्र	1.	गुजरात	20.34	20.02	20.08	17.14	19.66
	2.	मध्य प्रदेश	20.26	19.61	17.84	19.24	19.08
	3.	महाराष्ट्र	16.22	16.33	16.95	16.55	17.73
	4.	दादर व नगर हवेली	12.64	11.35	9.31	8.80	एनए
	5.	गोवा	24.50	2.87	26.06	23.50	23.39
	6.	दमन एवं दीव	22.34	16.30	12.80	8.15	11.27
दक्षिणी क्षेत्र	1.	आंध्र प्रदेश	19.91	17.95	19.34	33.19	31.76
	2.	कर्नाटक	19.55	19.41	19.06	18.73	18.56
	3.	केरल	20.00	20.05	21.12	20.59	17.87
	4.	तमिलनाडु	17.18	17.11	16.19	17.65	17.00
	5.	लक्षद्वीप	16.99	17.84	17.23	15.11	15.83
	6.	पाण्डिचेरी	15.80	15.00	16.54	17.38	13.79
पूर्वी क्षेत्र	1.	बिहार	20.35	19.76	15.91	25.31	25.41
	2.	उड़ीसा (ग्रिडको)	22.43	23.03	24.17	50.15	लागू नहीं
	3.	सिक्किम	22.60	21.22	18.47	29.24	20.13
	4.	पश्चिम बंगाल	20.82	21.51	19.26	18.01	20.34
	5.	अ.एण्ड नि. द्वीप समूह	23.71	22.38	19.25	19.15	20.51
उत्तर-पूर्वी	1.	असम	22.44	24.18	26.91	25.97	30.05
क्षेत्र	2.	मणिपुर	23.92	25.30	24.85	22.95	21.50[$]
	3.	मेघालय	18.03	18.47	12.55	19.75	17.93
	4.	नागालैंड	33.45	36.12	35.17	26.81	29.50[$]
	5.	त्रिपुरा	30.53	31.96	30.86	30.11	29.75
	6.	अरूणाचल प्रदेश	42.04	45.30	37.12	32.62	30.99[$]
	7.	मिजोरम	31.80	20.76	25.18	34.35	47.00
		अखिल भारत	21.41	21.18	22.27	24.53	24.44

स्रोत:- * राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों द्वारा भेजे गए आंकड़े अनंतिम हैं।

** आंकड़े

$ योजना आयोग को प्रस्तुत वार्षिक योजना संसाधन पत्र में दर्शाये गए अनुसार एन.ए. राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत विभाग द्वारा सूचना अभी दर्शायी नहीं गई है।

सरकारी उपक्रमों में मितव्ययिता के उपाय

7533. श्री अकबर अली खांदोकर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने नियंत्रणाधीन सभी सरकारी उपक्रमों को अपने कार्य संचालन में मितव्ययिता बरतने के अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी उपक्रमों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार तेल क्षेत्र के अनेक विशाल उपक्रमों द्वारा की गई बचत की मात्रा से संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त सरकारी उपक्रमों को गैर-योजना व्यय शीर्ष के अंतर्गत और अधिक बचत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए नए मार्ग निदेश/अनुदेश जारी करने हेतु आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर, 1997 से सितंबर, 1999 की अवधि के दौरान 276.33 करोड़ रुपये की निवल बचत की गई है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रचालनों में मितव्ययिता करने के लिए लागत नियंत्रण उपायों की प्रक्रिया एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप बचत में वृद्धि हुई है। चूंकि तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल क्षेत्र खोले जाने के बाद व्यवसाय के विकास के लिए नए अवसरों की खोज कर रहे हैं इसलिए नए अवसरों का अन्वेषण करने पर व्यय बढ़ गया है जिससे बाजार हिस्सा बढ़ाने के लिए नए अवसरों की खोज करने, वर्तमान अवसरों को बढ़ाने तथा बुनियादी सुविधाओं व नई सुविधाओं के सृजन पर व्यय बढ़ गया है। फिर भी, सरकार ने बचतों को लागत प्रतिस्पर्धी करने के लिए सारे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सलाह दी है।

कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की मांग और उत्पादन

7534. श्री दिनशा पटेल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की मांग और उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नौवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा नौवीं योजना अवधि की शेष अवधि के दौरान बकाया लक्ष्यों सहित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की मांग, लक्ष्य व उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	कच्चा तेल (मिलियन मीट्रिक टन)			प्राकृतिक गैस		
	मांग	लक्ष्य**	उत्पादन	उत्पादन (बिलियन घन मीटर)	लक्ष्य*	आबंटन (एम एम एस सी एम डी)**
1997-98	65.166	34.01	33.859	26.401	-	93.68
1998-99	65.167	34.72	32.723	27.428	-	97.81
1999-2000*	69.031	33.04	31.977 (अनन्तिम)	28.434 (अनन्तिम)	-	103.80

* अनन्तिम, केवल अप्रैल-जन. के लिए।

** ओएनजीसी तथा ओआईएल के संबंध में समझौता ज्ञापन लक्ष्य सम्मिलित हैं।

*प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए लक्ष्य नियत नहीं किये जा रहे हैं।

**प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए लक्ष्य नियत नहीं किए जा रहे हैं।

(ग) निम्न कारणों की वजह से कच्चे तेल के उत्पादन के लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किए जा सके:-

(1) बंबई हाई सहित मुख्य तेल क्षेत्र अवधि बीतने के साथ प्राकृतिक ह्रासमान चरण में प्रवेश कर चुके हैं।

(2) पिछले कई वर्षों से कोई महत्वपूर्ण या बड़े तेल क्षेत्र की खोज नहीं हुई है।

(3) ई आर बी सी में निरन्तर पर्यावरणीय समस्याओं तथा इसके प्रभाव की वजह से बाधित वेधन व वर्क ओवर कार्यों के चलाते कम आधार संभाव्यता रही है।

(4) डब्ल्यू आर बी सी (गुजरात) तथा ई बी सी (असम) में राज्य विद्युत बोर्ड से त्रुटिपूर्ण विद्युत आपूर्ति के कारण कृत्रिम उठान प्रणाली प्रभावित हुई।

कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में निम्न उपाय सम्मिलित हैं:-

(1) बेहतर रिजर्वायर प्रबंधन त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षणों, इनफिल वेधन, दबाव रखरखाव, कृत्रिम उठान की स्थापना/इष्टतमीकरण तथा उन्नत व लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के उपयोग तथा निकासी घटक में सुधार करने के माध्यम से विद्यमान क्षेत्रों से इष्टतम उत्पादन करना।

(2) नए खोजे गए तेल क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास।

(3) गहन अन्वेषण कार्यों के माध्यम से नए हाइड्रोकार्बन भंडार खोजना जैसे–

- वर्तमान क्षेत्रों में अधिक गहराई तक अन्वेषण।
- गहन जल तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण कार्यों का विस्तार।
- नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से अन्वेषण कार्यों में बढ़ी हुई निजी प्रतिभागिता।

पी.सी.ओ./एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा

7535. श्री बाबूभाई के. कटारा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय गुजरात के झालौड़ और दाहोद जिले के गांवों में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. सुविधा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जिलों के जिन-जिन गांवों में यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जिलों के शेष गांवों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। जिला दामोद के गांवों के 30 एक्सचेंजों में से 26 एक्सचेंजों में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. सुविधा है। झालौड़ तालुका में 3 एक्सचेंज हैं और इन 3 एक्सचेंजों से जुड़े गांवों में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. सुविधा भी उपलब्ध है।

(ख) जिला दाहोद के 1078 गांवों में से 562 गांवों में और जिला झालौड़ तालुका के 151 गांवों में से 62 गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

(ग) शेष गांवों में उत्तरोत्तर रूप से वीपीटी प्रदान किए जाने है। यह सम्पूर्ण काम मार्च, 2002 तक पूरा होगा।

(घ) अपेक्षित धनराशि किसी स्थान विशेष पर उपयोग में लाई गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है तथा इसका निर्धारण विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात ही किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

पेंशनधारियों को परेशान किया जाना

7536. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाकघर-जसीडीह, जिला देवघर बिहार में उनके पेंशन बकाया न जारी कर उन्हें परेशान किया जा रहा है और उनके पास-बुक में आवश्यक प्रविष्टियां भी नहीं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों विशेषकर वर्ष 1997 की शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में जो दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में मंगलौर विद्युत परियोजना

7537. श्री जी.एस. बसवराज: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के पश्चिम तट पर विद्युत उत्पादन करने के लिए मंगलौर विद्युत परियोजना हेतु चाइना लाइट एंड पावर कम्पनी की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सहयोग व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए विदेशी निवेश संवर्धन बार्ड से नए सिरे से अनुमति लेनी होगी; और

(घ) यदि हाँ, तो इस परियोजना का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) 1013.2 मे.वा. क्षमता वाली मंगलौर विद्युत परियोजना को मंगलौर विद्युत कम्पनी (एमपीसी) द्वारा विकसित किए जाने की प्रत्याशा है। विदेशी निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति और विदेशी निवेश सम्प्रवर्तन बोर्ड के अनुमोदन के साथ ही भारत सरकार, औद्योगिक नीति एवं सम्प्रवर्तन विभाग (डीओआई पीएंडपी) द्वारा मै. कोजेंट्रिक्स एनर्जी इंक., यूएसए को उनकी कथित विद्युत परियोजना के संबंध में दिनांक 15.5.1993 को विदेशी सहयोग संबंधी अनुमोदन जारी किया गया था। मै. कोजेंट्रिक्स एनर्जी इंक. ने एमपीसी और परियोजना में अपनी अभिरुचि इक्विटी साझेदार मै. चाइना लाईट मॉरीशस लि. को दिनांक 11.2.2000 को हस्तांतरित कर दी है। तदनुसार कम्पनी की पदत्त पूंजी में 157,677,800 रुपये के बराबर 100% विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए डीओआईपीएंडपी का अनुमोदन दिनांक 5.4.2000 के संशोधन-पत्र द्वारा जारी कर दिया गया है। यह पूंजी निम्न प्रकार से अंशदत्त होगी।

(1)	मै. चाइना लाईट एंड पावर कंपनी, मॉरीशस लि.	100 रुपये वाले 1,576,777 अंश
(2)	मलकोन्ना कंपनी लि.	100 रुपये वाला एक शेयर

हाल ही में मै. सीएलजी पावर इंटरनेशनल ने मै. टाटा के साथ परियोजना का क्रियान्वयन करने का प्रस्ताव किया है। मै. टाटा, मंगलौर विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए मै. सीएलपी पावर इंटरनेशनल के साथ कम्पनी में साझेदारी बनने के लिए सहमत हो गया है। मंगलौर विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन अपने साझेदार के रूप में मै. टाटा के साथ करने संबंधी मै. सीएलपी पावर इंटरनेशनल के प्रस्ताव के बारे में कर्नाटक सरकार द्वारा अपना अनुमोदन अभी गारत सरकार को सूचित किया जाना है।

(घ) सभी लंबित निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने तथा वित्तीय समापन प्राप्त करने के बाद ही परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

एम.टी.एन.एल. द्वारा संग्रहीत कर

7538. श्री टी. गोविन्दन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एम.टी.एन.एल. द्वारा टेलीफोन उपभोक्ताओं से बिक्री कर के रूप में संग्रहीत करोड़ों रुपये सरकार के खाते में जमा नहीं कराए गए; और

(ख) यदि हां, तो इसे वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और एम.टी.एन.एल. के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) एमटीएनएल द्वारा बिक्री कर के रूप में टेलीफोन उपभोक्ताओं से कोई राशि एकत्र नहीं की गई है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति

7539. श्री साहिब सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं तथा इसके भौतिक और वित्तीय संघटक क्या हैं;

(ख) इस समय देश में कितने दूरसंचार मंडल हैं;

(ग) क्या सेल्युलर फोन सेवा शुरू कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो देश के प्रत्येक दूरसंचार मंडल में कुल कितने सेल्युलर उपभोक्ता हैं;

(ङ) क्या दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव सभी दूरसंचार मंडलों में अपनी स्वयं की सेल्युलर मोबाईल सेवा शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) नई दूरसंचार नीति, 1999 की मुख्य विशेषताएं अन्य बातों के साथ इस प्रकार हैं:-

- खर्च वहन करने के योग्य तथा प्रभावी संचार की व्यवस्था करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी समाभिकर्ता, जन-संचार के माध्यम, दूरसंचार तथा उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिकी को ध्यान में रखते हुए आधुनिक दूरसंचार अवसंरचना का सृजन करना।
- दूरसंचार सेक्टर को प्रतियोगी वातावरण में बदलना।
- ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों के लिए सार्वभौमिक सेवा की व्यवस्था करना।
- देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम उच्चस्तर की सेवा की व्यवस्था करना।
- देश के दूरस्थ, पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देना।
- 2005 तक 7 के तथा 2010 तक 15 के टेलीफोन घनत्व को प्राप्त करना।
- ग्रामीण टेलीफोन घनत्व को 0.4 के चालू घनत्व से बढ़ाकर 4 करना।
- 2002 तक सभी गांवों को दूर संचार सुविधा प्रदान करना।
- वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों को इंटरनेट संपर्क प्रदान किया जाना है। वर्ष 2002 तक सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम प्रदान करना।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 99 में सेल्यूलर मोबाइल, बुनियादी, तथा रेडियो पेजिंग इत्यादि जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए स्थिर लाइसेंस शुल्क व्यवस्था से राजस्व की भागीदारी की परिकल्पना की गई है।

(ख) देश में दूरसंचार सर्किलों की संख्या-20, महानगरीय दूरसंचार जिले-4 (एमटीएनएल, दिल्ली, एमटीएनएल मुम्बई, चेन्नै टेलीफोन्स और कलकत्ता टेलीफोन्स)।

(ग) जी, हां।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश के प्रत्येक दूरसंचार सर्किलों में सेल्युलर ग्राहकों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) दूरसंचार सेवा विभाग (डिटीएस) एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में चार राज्यों के कुछ चुने हुए शहरों में प्रारंभिक रूप से सेल्यूलर सेवाओं की शरूआत कर रहा है। देश के अन्य भागों में सेल्यूलर मोबाइल सेवा की व्यवस्था करने के मामले पर भी विचार किया जा रहा है।

विवरण

देश के सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के उपभोक्ताओं की लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रवार संख्या

(सीओएआई द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार)

क्र.सं.	लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रवार (महानगर/दूरसंचार सर्किल)	उपभोक्ताओं की संख्या (मार्च, 2000)
1	2	3
1.	दिल्ली	3,32,330
2.	मुंबई	3,19,309
3.	कलकत्ता	90,036
4.	चेन्नई	54,256
5.	महाराष्ट्र	1,15,086
6.	गुजरात	1,46,175
7.	आंध्र प्रदेश	1,05,469

1	2	3
8.	कर्नाटक	1,27,967
9.	तमिलनाडु	90,956
10.	केरल	1,06,560
11.	पंजाब	94,403
12.	हरियाणा	25,047
13.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	55,950
14.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,13,587
15.	राजस्थान	20,025
16.	मध्य प्रदेश	40,544
17.	पश्चिम बंगाल	3,978
18.	हिमाचल प्रदेश	5048
19.	बिहार	21,901
20.	उड़ीसा	9,139
21.	असम	5,823
22.	उत्तर-पूर्व	722
	महानगर	7,95,931
	सर्किल	10,88,380
	अखिल भारतीय योग	18,84,311

आंध्र प्रदेश में रसोई गैस कनैक्शन की प्रतीक्षा सूची

7540. श्री कृष्णमराजू: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में वर्तमान में रसोई गैस कनैक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में जिलेवार कितने व्यक्ति हैं;

(ख) सरकार द्वारा बकाया कनेक्शनों को पूरा करने के लिए क्या रणनीति अपनायी गयी है;

(ग) राज्य में वर्तमान में जिला-वार कितनी रसोई गैस एजेंसियां कार्यरत हैं और उनमें से प्रत्येक एजेंसी के पास रसोई गैस कनैक्शन का कितना कोटा है; और

(घ) प्रतीक्षा सूची में रख गये सभी व्यक्तियों को कब तक सरकार रसोई गैस कनैक्शन उपलब्ध करायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1 जनवरी, 2000 को आंध्र प्रदेश राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के एलपीजी वितरकों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची पर लोगों की कुल संख्या लगभग 8.87 लाख थी।

(ख) जब कभी एलपीजी का बकाया बढ़ जाता है तो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियां प्रभावित बाजारों में मांग को पूरा करने के लिए आयात इष्टतमीकरण, बर्द्धित घंटों/रविवारों तथा अवकाश दिवसों, इत्यादि पर भरण संयंत्रों के प्रचालन समेत विविध उपाय करती हैं।

(ग) वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत प्रचालन कर रहे एलपीजी वितरकों की कुल संख्या 531 है। तेल कंपनियों के द्वारा एलपीजी कनेक्शनों के लिए वितरक-वार कोटा नियत नहीं किया जाता है।

(घ) नए एलपीजी कनेक्शन एलपीजी उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, वितरकों के पास उपलब्ध बाकया तथा उनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए देश भर में एक चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं। तथापि सरकार की 1 दिसंबर, 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के एलपीजी वितरकों के पास पंजीकृत समस्त प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए वर्ष 2000 के दौरान लगभग 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने की एक योजना है।

पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस

7541. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां घरेलू उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की आपूर्ति करने की योजना शुरू की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस योजना से कोई उत्साहवर्धक परिणाम समाने आए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत और राज्यों तथा घरेलू उपभोक्ताओं को लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो अगले तीन वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(च) क्या इस योजना के प्रारंभ होने के बाद कोई रिसाव दुर्घटना घटित है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (छ) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां ऐसी कोई योजना लागू नहीं कर रही हैं।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा बेड़े में वृद्धि

7542. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने अपने बेड़े में वृद्धि करने हेतु एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय नौवहन परिवहन को नए टैंकर/पोत कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है; और

(घ) पेट्रोनेट द्वारा आयात किए जाने वाले एल.एन.जी. की ढुलाई हेतु निविदाएं आमंत्रित करने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) भा.नौ.नि. ने नौवीं योजना अवधि की शेष अवधि में 16.85 लाख डी डब्ल्यू टी के 21 जलयान खरीदने का प्रस्ताव किया है।

(ग) अनुमान है कि ये जलयान 2001-2004 के बीच चरणबद्ध रूप में भा.नौ.नि. को उपलब्ध होंगे।

(घ) पेट्रोनेट एल एन जी लि. ने एल एन जी की ढुलाई के लिए पोतमालिकों और प्रचालकों की पूर्व-अर्हता हेतु विश्व स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। तथापि, कोई भी भारतीय नौवहन कंपनी निर्दिष्ट शर्तें पूरी करती प्रतीत नहीं होती। भा.नौ.नि. ने एम ओ एल और एन वाई के के लाइन के संघ के साथ पूर्व-अर्हता हेतु पेट्रोनेट एल एन जी के पास निविदा भेजी है।

वन-भूमि का प्रकृति परिवर्तन

7543. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनहित में उपयोग हेतु वन-भूमि के परिवर्तन के कुछ प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बीच इन प्रस्तावों पर निर्णय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ङ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997, 1998 और 1999 के दौरान जनहित में प्रयोग करने के लिए वन भूमि के वनेत्तर प्रयोग के 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो केन्द्र सरकार के पास वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन मंजूरी के निर्णय कार्रवाई हेतु लम्बित पड़े हैं । इन 18 प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। इस विवरण में खनन के प्रस्तावों और प्रस्ताव जो राज्य सरकारों/केन्द्र शसित प्रदेशों से मांगी गई अतिरिक्त सूचना के अभाव में लम्बित पड़े हैं सहित वे प्रस्ताव शामिल नहीं किए गए हैं जो आम जनता के हित में नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	नाम	राज्य	स्थिति
1	2	3	4
1	अल्लेन दुहानगान एचईपी, कुल्लु	हिमाचल प्रदेश	क्षेत्रीय कार्यालय से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
2.	किनौर जिले में 66 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन को बिछाना	हिमाचल प्रदेश	निर्णय के लिए प्रस्तुत की जा रही है।

1	2	3	
3.	रीवा-सिधी 132 केवी ट्रांसमिशन/लाइन	मध्य प्रदेश	निर्णय के लिए
4.	झाबुआ विदिशा में बीओआरएल तेल पाइपलाइन	मध्य प्रदेश	निर्णय के लिए
5.	एमपीईबी द्वारा रहबेदा बांध	मध्य प्रदेश	निर्णय के लिए
6.	चन्द्र में विद्युत संयंत्र का निर्माण	महाराष्ट्र	निर्णय के लिए
7.	थाणे में मलसेज घाट पम्पड स्टोरिज	महाराष्ट्र	निर्णय के लिए
8.	अरावती-नारखेड़ बीजी लाइन	महाराष्ट्र	निर्णय के लिए
9.	पणवेल-कारजाट रेलवे लाइन	महाराष्ट्र	निर्णय के लिए
10.	233 केवी इटाप्पल्ली धामरीगाड़ लाइन	महाराष्ट्र	कार्रवाई की जा रही है
11.	बांदरा में झांसीनगर लिफ्ट सिंचाई स्कीम का निर्माण	महाराष्ट्र	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना प्राप्त हुई है और कार्रवाई की जा रही है।
12.	उकाई लिफ्ट बैंक कनाल	गुजरात	निर्णय के लिए प्रस्तुत की जा रही है.
13.	खम्माम में निम्मावागु परियोजना का निर्माण	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
14.	आईबी थर्मल बुद्धीपाड़ार सम्बलपुर से 220 केवी लाइन	उड़ीसा	एसएजी की अगली बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।
15.	सियातिगढ़ राम मंदिर चकबौरा सड़क	उत्तर प्रदेश	निर्णय के लिए प्रस्तुत की जा रही है।
16.	कल्सी कहानाहरा सड़क	उत्तर प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है। एसएजी की अगली बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।
17.	क्यूवांसि दामता सड़क	उत्तर प्रदेश	निर्णय के लिए
18.	ट्यूवे हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना	मिजोरम	निर्णय के लिए

[हिन्दी]

बिहार में बेरोजगार युवकों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को रसोई गैस एजेंसियां

7544. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को कितनी रसोई गैस एजेंसियां और कितने पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए;

(ख) उक्त वितरकों की संख्या कितनी है और चालू वर्ष में किन-किन जिलों में इन्हें आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेनीपुर, बिरौल घनश्यामपुर और बहेरी में रसोई गैस एजेंसियां खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो रसोई गैस एजेसियों को कब तक खोल दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत 16 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 13 एलीपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित की गई थी। वर्तमान नीति के अनुसार बेरोजगार और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई पृथक आरक्षण नहीं है।

(ख) से (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप तेल उद्योग के व्यवहार्यता मानदंड पूरे करने वाले स्थानों पर स्थापित की जाती हैं। तदनुसार बिहार के लिए विपणन योजना 1996-98 में 105 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने में साक्षात्कार की तारीख से लगभग 6-12 महीने लग जाते हैं।

फिलहाल बेनीपुर, बिरौल, घनश्यामपुर और बाहेड़ी में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। दरभंगा जिले में 3, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मधुबनी जिले में 5, सीतामढ़ी जिले में 6 और समस्तीपुर जिले में 4 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन/चालू किए जाने का प्रस्ताव लंबित है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य

7545. श्री राजो सिंह: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन निर्माण कार्यों को रोकने हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्तमान आबंटन को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव संबंधी अनेक कार्य फिलहाल प्रगति पर हैं। वर्तमान में 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले चल रहे विकास कार्यों की एक सूची विवरण में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों में विकास और रख-रखाव हेतु आबंटित राशि नीचे दर्शाई गई है:

वित्त वर्ष	विकास कार्य (करोड़ रु.)	रख-रखाव कार्य (करोड़ रु.)
1999-2000	118.09	119.08
1998-1999	81.05	33.37
1997-1998	63.42	34.10

(ग) और (घ) यह निधियों की उपलब्धता और प्रगति की गति पर निर्भर करेगा।

विवरण

5.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये)	कार्यान्वयन एजेंसी
1.	रा.रा. -2 के बरवाड्डा (398.75 कि.मी.) से बढ़ाकर (441.4 कि.मी.) खंड को चौड़ा करके चार लेन का बनाना।	127.00	एनएचएआई
2.	बिहार राज्य में उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम कारिडोर के तहत रा.रा. -31 के पूर्णिया-गया कोटा खंड के 410.00-419.00 कि.मी. और 470.00-476.150 कि.मी. भाग को चौड़ा करके चार लेन का बनाना।	62.98	एनएचएआई
3.	पटना के निकट रा.रा.-30 के 196 कि.मी. में दिल्ली- हावड़ा मेन लाइन पर दीदारगंज में 530/16-17 कि.मी. पर फाटक सं. 70-ए/स्पेशल क्लास पर रेल ओवर ब्रिज और इसके संपर्क मार्गों का निर्माण।	14.7726	रेलवे

[अनुवाद]

आवर्ती जमा योजना में धोखाधड़ी

7546. श्री चिंतामन वनगा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में थाने जिले के भिलवंडी डाकघर में आवर्ती जमा योजना में कोई धोखाधड़ी का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या: और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं। महाराष्ट्र के थाणे जिले में भिलवंड़ी नाम का कोई डाकघर नहीं है। तथापि, थाणे जिले में भिवंडी डाकघर नामक एक कार्यालय है। इस कार्यालय में आवर्ती जमा योजनाओं में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का पता नहीं चला है।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

मैरीन और नाटिकल इंजीनियरिंग कालेज

7547. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने मैरीन और नाटिकल इंजीनियरिंग कालेज और प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) महाराष्ट्र में निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों में स्थित ऐसे महाविद्यालयों/संस्थानों का स्थानावार ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों प्रकार के महाविद्यालयों/संस्थानों में दाखिल हेतु क्या मानदंड और योग्यता है;

(घ) क्या इन महाविद्यालयों/संस्थानों में दाखिला के इच्छुक स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा दाखिला पाने के लिए स्थानीय उम्मीदवारों हेतु तैयार किए गए विशेष प्रावधान क्या हैं;

(छ) क्या सरकारी महाविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी (तकनीकी और गैर-तकनीकी) दोनों उपलब्ध हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) इन महाविद्यालयों/संस्थानों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी (तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों में) उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) सरकार द्वारा संचालित चार नौचालन प्रशिक्षण संस्थाएं और सरकार द्वारा अनुमोदित 85 गैर-सरकारी प्रशिक्षण संस्थाएं नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं।

(ख) महाराष्ट्र में स्थित गैर-सरकारी और सरकारी महाविद्यालयों/संस्थाओं के स्थानवार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) मापदंड और पात्रता, सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित नौचालन और इंजीनियरिंग विषयों से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों की आवश्यकता पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। सरकारी संस्थाओं द्वारा अधिकारियों के पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु चयन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है। समुद्र पूर्व डैक और इंजीनियरिंग केडिटो के लिए चयन, नौवहन कंपनियों द्वारा प्रायोजित करके किया जाता है। गैर-सरकारी संस्थाएं नौवहन महानिदेशालय द्वारा यथानिर्दिष्ट पात्रता आवश्यकताओं और नौवहन कंपनियों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी स्वयं की चयन प्रक्रिया का अनुपालन करती हैं।

(च) स्थानीय अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश अभ्यर्थियों की उपयुक्तता अपेक्षित शैक्षिक योग्यता आदि पर निर्भर करता है न कि क्षेत्र विशेष पर।

(छ) और (ज) जी हां। निम्नलिखित ब्यौरे से यह स्पष्ट है कि किसी भी समय स्टाफ की कमी, मर्केन्टाइल मेरीन एजूकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट (एमएमईआरटी) द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टाफ से पूरी की जाती है:

	स्वीकृत पद	सरकार के माध्यम से भरे गए पद	मर्केन्टाइल मेरीन एजूकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट (एम एम ई आर टी) के माध्यम से भरे गए पद
तकनीकी	105	51	54
गैर-तकनीकी	189	179	10

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान
1	2	3
सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं		
1.	लाल बहादुर शास्त्री उन्नत समुद्री अध्ययन और अनुसंधान महाविद्यालय	मुंबई
2.	समुद्री इंजीनियरी और अनुसंधान संस्थान	मुंबई
3.	प्रशिक्षण पोत चाणक्य	नवी मुंबई
गैर-सरकारी संस्थाएं		
1.	प्र.पो. रहमान	मुंबई
2.	प्र.प्रो. जवाहर	मुंबई
3.	मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	मुंबई
4.	मेरीन मेडीकल अकादमी	मुंबई
5.	सेंट जेवियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट	मुंबई
6.	एम बी पी टी-एफ ओ एस एम ए नाविक प्रशिक्षण केन्द्र	मुंबई
7.	द इंस्टीट्यूट आफ मेरीन इंजीनियर्स	मुंबई
8.	वंकरी मेरीन अकादमी	मुंबई
9.	बी.पी. मेरीन अकादमी	नवी मुंबई
10.	वालेम शिप मैनेजमेंट लि.	मुंबई
11.	इंडियन मेरीटाइम ट्रेनिंग सेंटर	मुंबई
12.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम स्टडीज	मुंबई
13.	बाम्बे मेरीन अकादमी	मुंबई
14.	मै. टोलानी मेरीटाइम इंस्टीट्यूट	पुणे
15.	एस मेरीटाइम इंस्टीट्यूट	मुंबई
16.	डान बास्को नारमर मेरीन अकादमी	मुंबई
17.	डा. पी.सी. अहलूवालिया	मुंबई
18.	स्कूल आफ सिनर्जिक स्टडीज	मुंबई
19.	एंग्लो-ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट लि.	मुंबई
20.	ओसन अजूकेशन एंड रिसर्च सेंटर प्रा. लि.	मुंबई
21.	एस सी एम एस मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	मुंबई

1	2	3
22.	मेरीन मेडीकल क्लीनिक	मुंबई
23.	वरूण शिपिंग कंपनी लि.	मुंबई
24.	यूनाइटिड मेरीटाइम अकादमी	नवी मुंबई
25.	मै. जेफर शिपिंग प्रा. लि.	मुंबई
26.	मै. नवल मेरीटाइम अकादमी	मुंबई
27.	मुंबई मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	मुंबई
28.	नेशनल मेरीन अकादमी	मुंबई
29.	पेसीफिक शिप मेनेजमेंट	मुंबई
30.	सागर ज्ञान अकादमी	नवी मुंबई
31.	कुश्ते नर्सिंग होम	पुणे
32.	आदित्य ट्रेनिंग एंड मेरीटाइम सर्विसेज	मुंबई
33.	मेरीटाइम एसोसियशन आफ शिपओनर्स शिपमेनेजर्स एंड एजेंट (एम ए एस एस ए)	मुंबई
34.	पेलीकन शिपिंग कंपनी	मुंबई
35.	चौगुले स्टीम शिप्स लि.	मुंबई
36.	सीफेरर्स मेरीटाइम इंस्टीट्यूट	मुंबई
37.	मै. याक मेरीटाइम अकादमी	नवी मुंबई
38.	मै. मेरीनर्स अकादमी	मुंबई
39.	सुरक्षा मेरीन	मुंबई
40.	ओसन प्राइमा मेरीन इंस्टीट्यूट	मुंबई
41.	पीलकन मेरीन अकादमी	नवी मुंबई
42.	सीसकन मेरीन सर्विसेज	मुंबई

नौवीं योजना परिव्यय

7548. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के लिए नौवीं योजना परिव्यय को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय लिए गए क्षेत्र-वार परिव्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौवीं योजना का आबंटन पूर्व पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में अधिक है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने कारपोरेट बोर्डों से पत्तन न्यासों के आधार पर संयुक्त उद्यमों में प्रवेश के लिए कोई ढांचा तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो बम्बई पत्तन न्यास के विशेष संदर्भ सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

	(करोड़ रुपये में)
(1) सकल बजट सहायता	12069.82
(क) निवल बजट सहायता	7193.03
(ख) विदेशी सहायता	4876.79
(2) आंतरिक तथा अतिरिक्त बजट संसाधन	13195.82
कुल परिव्यय (1+2)	25264.82

सैक्टर-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) पहले इन्नौर स्थित नए पत्तन को तथा बाद में जवाहरलाल नेहरू पत्तन और हल्दिया पत्तन को निगमित करने का निर्णय लिया गया है। महापत्तन न्यासों को संयुक्त उपक्रम बनाने हेतु सक्षम बनाने के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन हेतु एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है।

विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

नौवीं योजना परिव्यय

(करोड़ रुपये)

सैक्टर	बजट संसाधन			आई ई बी आर			जोड़
	एनबीएस	ई ए	जीबीएस	आईआर	आईसीएल /ईसीबी	अन्य	
1. सड़क	5285.23	3576.79	8862.02				8862.02
2. सड़क परिवहन	60.00		60.00				60.00
3. आई डब्ल्यू टी	408.00		408.00				408.00
4. नौवहन	145.00	100.00	245.00	2033.00	3634.00	0.00	5912.00
क. एस सी आई	85.00		85.00	2033.00	3634.00		5752.00
ख. पालपोत	0.05		0.05				0.05
ग. महानिदेशक (नौ.)	59.95	100.00	159.95				159.95
5. पोत निर्माण	209.80	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	209.00
क. एचएसएल							
ख. सीएसएल							
ग. एचडीपीई							
घ. केन्द्रीय सैक्टर							
6 क. पत्तन	700.00	12.00.00	1900.00	5934.00	1529.00	65.00	9428.00
ख. अन्य	262.00		262.00				262.00
7. दीपघर	123.00		123.00				123.00
कुल जोड़	7193.03	4876.79	12069.82	7967.00	5163.00	65.00	25264.82

[हिन्दी]

दोष नियंत्रण केन्द्रों में कम्प्यूटर लगाया जाना

7549. डा. बलिराम: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम द्वारा दोषों के बारे में शीघ्र सूचना प्राप्त करने के लिए दिल्ली में कई दोष नियंत्रण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेना भवन और राजपथ टेलीफोन एक्सचेंज में कार्य कर रहे दोष नियंत्रण केन्द्रों में कम्प्यूटर लगाए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित ब्यौरो के अनुसार सेक्शन फॉलट कन्ट्रोल्स पर कम्प्यूटर टर्मीनल्स प्रदान किए गए हैं:

किदवई भवन	11
जनपथ	5
राजपथ	6
जोरबाग	6
सीजीओ कम्पलैक्स	3
सेना भवन	पैरा (ग) के अनुसार

(ग) और (घ) सेना भवन क्षेत्र जो कि एक वी आई पी क्षेत्र है में सभी एस डी ओ को कम्प्यूटर टर्मीनल्स प्रदान किये गये हैं और वे सीधे दोषों को नियन्त्रित करते हैं। राजपथ के मामले में, फॉल्ट कंट्रोल केन्द्रों पर कम्प्यूटर प्रदान किये गये हैं।

(ङ) उपर्युक्त (ग) तथा (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

देहर-पानीपत लाईन के अंतर्गत अस्पताल का निर्माण

7550. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड दल ने कितनी बार 400 कि.वा. देहर-पानीपत लाईन के अंतर्गत सरकारी अस्पताव के निर्माण की जाँच-पड़ताल हेतु हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ का दौरा किया;

(ख) प्रत्येक बार निर्माण स्थिति सहित क्या स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी तथा पहले दौर के पश्चात् चल रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये; और

(ग) इसे गिराने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थिति की समीक्षा करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को दिए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) यह पता चला है कि भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) के नए दल ने हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ जनपद में 400 के.वी. देहर-पानीपत लाईन, जहां पर उक्त पारेषण लाईन के पास सरकारी अस्पताल भवन का निर्माण कार्य चल रहा है; का चार बार निरीक्षण किया। दल ने प्रत्येक बार यह सूचित किया कि उक्त भवन, प्रत्यक्ष रूप से उक्त पारेषण लाईन के अंतर्गत नहीं बन रहा है और यह लाईन से लम्बवत आधार पर लगभग 35 फुट दूर है और इस प्रकार भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956, समय-समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार विद्युत संबंधी स्वीकृति का पालन किया जा रहा है। चूंकि बीबीएमबी के चार निरीक्षणों के दौरान नियमों के उल्लंघन का पता नहीं चला है अतएव दल के पास अस्पताल भवन के निर्माण कार्य को रोकने की सिफारिश करने का कोई अवसर नहीं है।

(ग) व्यक्त की गई चिन्ता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए स्थिति की समीक्षा की सलाह दी गई है।

माइक्रोवेव लिंक

7551. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषरूप से महाराष्ट्र में उपग्रह और माइक्रोवेव लिंक आधारित राज्य-वार कितने टेलीफोन काम कर रहे हैं;

(ख) देश में माइक्रोवेव लिंक के जरिए टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार करने हेतु बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सूचना संलग्न संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान माइक्रोवेव लिंक्स के लगभग 10,000 रूट कि.मी. की योजना बनाई गई है।

(ग) माइक्रोवेव लिंक्स के लिए आबंटित निधियां इस प्रकार है:-

1999-2000 के दौरान - 246 करोड़ रुपये

2000-2001 के दौरान - 175 करोड़ रुपये

विवरण

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार देश में उपग्रह/माइक्रोवेव लिंक पर आधारित कार्य कर रहे टेलीफोनों की राज्य-वार सूची

क्रम सं.	राज्य	उपग्रह आधारित टेलीफोन				रेडियो आधारित टेलीफोन			
		इनमारसेट	एलडीएसटी	फ्लाईअवे	जोड़	एमएआरआर	डब्ल्यूएलएल	टीडीएमए/पीएमपी	जोड़
1.	अंडमान और निकोबार			1	1	146			146
2.	आंध्र प्रदेश			1	1	12399			12399
3.	असम			1	1	9293			9293
4.	बिहार			1	1	14281			14281
5.	गुजरात			1	1	7413			7413
6.	हरियाणा			1	1	3634			3634
7.	हिमाचल प्रदेश			1	1	2842	8		2850
8.	जम्मू और कश्मीर	14	7	1	22	2601			2601
9.	कर्नाटक	1		1	2	14662			14692
10.	केरल+लक्ष्यद्वीप			1	1	32			32
11.	मध्य प्रदेश		3	1	4	25553	22		25575
12.	महाराष्ट्र		1	1	2	1884	8		18848
13.	उत्तर पूर्व			1	1	3622			3622
14.	उड़ीसा			1	1	11542		5	11547
15.	पंजाब		1	1	6195				6195
16.	राजस्थान		4	1	5	17703			17703
17.	तमिलनाडु			1	1	7229			7229
18.	उत्तर प्रदेश		4	1	5	41103	75		41178
19.	पश्चिम बंगाल+सिक्किम			1	1	12185			12185
20.	दिल्ली			1	1	0		-	0
	कुल जोड़	15	19	20	54	211313	75	35	211423

टेलीफोन सलाहकार समिति

7552. श्री भानसिंह भौरा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भटिंडा, पंजाब में टेलीफोन सलाहकार समिति गठित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) भटिंडा के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन जून, 1998 में दो वर्ष की अवधि के लिए 30.6.2000 तक किया गया है। इस समय माननीय संसद सदस्य श्री भान सिंह भौरा जिन्होंने संसद सदस्य श्रेणी का प्रतिनिधित्व किया है, के अलावा टेलीफोन सलाहकार समिति में 34 सदस्य हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन बंदरगाह में पोत-चैनल

7553. श्री जार्ज ईडन: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन बंदरगाह में बड़े पोतों के प्रवेश हेतु पोत चैनल को गहरा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। नौवीं योजना-अवधि के दौरान चैनल को 12.8 मी. की वर्तमान गहराई की तुलना में 13.8 मी. गहरा करने का प्रस्ताव है जिसके लिए नौवीं योजना-परिव्यय में 50.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रस्ताव के लिए वार्षिक योजना 2000-2001 में 5.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

7554. श्री अशोक अर्गल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का वर्षवार कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ख) इन मदों का आयात करने वाली कंपनियों के नाम क्या है तथा तत्संबंधी मूल्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) मांग तथा आपूर्ति की स्थिति तथा आयात के अर्थतंत्र को ध्यान में रखते हुए इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा नियंत्रक एजेंसी के रूप में नियंत्रित उत्पादों का आयात किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी कंपनियों द्वारा नियंत्रणमुक्त उत्पादों का आयात तथा निर्यात बाजार परिस्थितियों पर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा तथा मूल्य निम्ननुसार है:

*सकल आयात**

(मात्रा: 000 टन)

(मूल्य: करोड़ रुपए)

मद		1997-98		1998-99		1999-2000 (अप्रैल-फरवरी)**	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	एलपीजी	1087	902.57	1525	1130.35	1311	1457.97
2.	एटीएफ	55	34.23	000	0.00	1	3.60
3.	एसकेओ	3812	2528.77	5823	3244.11	4987	4253.92
4.	एचएसडी	14075	8586.97	10485	4959.80	4958	3499.62
5.	भट्टी तेल	141	55.31	514	182.85	453	289.82
6.	स्नेहक	25	64.05	11	35.68	60	92.40
	अन्य	335	260.02	422	283.73	218	222.06
	योग	19530	12431.92	18780	9836.52	11988	9819.39

*निजी आयात सम्मिलित नहीं है।

**अनन्तिम

पर्यावरण नियंत्रण

7555. श्री जितेन्द्र प्रसाद: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में पर्यावरण की समस्या का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक ने यह महसूस किया था कि भारतीय समाज को पर्यावरण संबंधी जागरूकता को संवेग प्रदान करने के लिए पूर्व चेतावनी वाले तंत्र को विकसित करने, शहरीकरण और पर्यावरण के बीच संबंध के बारे में बताने और निगरानी तथा आकलन क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने हेतु यूरोप में ग्रीन पीस मूवमेन्ट की तर्ज पर ''ग्रीन पीस मूवमेन्ट'' जैसे प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों की आवश्यकता है; और

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक ने देश में भृक्षय, जैव-विविधता वायु प्रदूषण, स्वच्छ जल संसाधनों और जोखिमपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की पहचान की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) सरकार को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक द्वारा इस संबंध में की गई कोई टिप्पणी उचित माध्यम से प्राप्त नहीं हुई है।

''कोल बेड मीथेन'' गैस के भंडार

7556. श्री ए. कृष्णा स्वामी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''कोल-बेड मीथेन'' नामक गैस के प्रामाणिक भंडार 850 बिलियन क्यूबिक मीटर के आस-पास है जो कि प्राकृतिक गैस के प्रामाणिक भंडार से लगभग 40 प्रतिशत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी कंपनियों का विचार ''कोल-बेड मीथेन'' (सी.बी.एम.) के विकास के लिए पर्याप्त निवेश करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) कोल बेड मीथेन के अन्वेषण एवं दोहन के लिए सरकार के द्वारा अनुमोदित नीति में ऐसी वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत भारतीय साथ ही विदेशी कंपनियां भी बोली दे सकती हैं। कोल बेड मीथेन नीति के अनुसार बोलियों के आमंत्रण के लिए तैयारी पूरी नहीं हो पाई है।

प्रारंभिक अध्ययनों तथा अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों से पश्चिम बंगाल, बिहार एवं मध्य प्रदेश राज्यों में कोल बेड मीथेन भंडारों की उपलब्धता के संकेत मिले हैं। कोल बेड मीथेन भंडार आधार अन्वेषण के पश्चात ही जाना जा सकता है तथा ऐसे भंडारों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता तत्पश्चात प्रमाणित हो सकती है।

इसके अलावा सरकार ने एफ आई पी बी अनुमोदन के प्रति पश्चिम बंगाल के दक्षिण रानीगंज में मैसर्स ग्रेट इस्टर्न एनर्जी कार्पोरेशन लि. द्वारा कोले बेड मीथेन (सीबीएम) के अन्वेषण एवं दोहन के लिए भी अनुमोदन दे दिया है। एफ आई पी बी अनुमोदन के अनुसार इस ब्लाक में लगभग 4 मिलियन अमरीकी डालर के विदेशी निवेश के लिए विचार किया गया था।

सेलुलर टेलीफोन के लिए एम.टी.एन.एल. की विश्वव्यापी निविदा

7557. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेलुलर टेलीफोन के लिए एम.टी.एन.एल. की विश्वव्यापी निविदा के अपरांत किन कम्पनियों/निगमों ने अपने-अपने निविदा प्रपत्र भरे हैं;

(ख) सेलुलर टेलीफोन कनेक्शन के क्षेत्र में इन कंपनियों की कुल परिसंपत्ति और अनुभव क्या हैं तथा इस काम को करने के लिए उनके द्वारा कितनी निविदा राशि उद्धृत की गई है;

(ग) क्या यह निविदा एम.टी.एन.एल. की सबसे उपयुक्त कम्पनी को दी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी.एस.एम. सेल्युलर मोबाईल सेवा की टर्नकी परियोजना के लिए एमटीएनएल की ग्लोबल निविदा पूछताछ के उत्तर में निम्नलिखित विक्रेताओं ने अपनी निविदाएं प्रस्तुत की:-

1. मैसर्स एरिक्सन रेडियो सिस्टम, ए बी
2. मैसर्स नोकिया नेटवर्क ओ वाई
3. मैसर्स सीमेन्ट ए जी लि. (एसपीसीएनएल) और मेसर्स आईटीएएलटीईएल के संघ के बदले मैसर्स सीमेन्स एजी।
4. मै. लूसेंट टैक्नोलॉजी वर्ल्ड सर्विसिज इंक तथा मैसर्स टाटा लूसेन्ट टैक्नोलॉजी लि. के संघ के बदले मेसर्स यूसेंट टैक्नोलोजीज वर्ल्ड सर्विसेज आई एन सी।

5. मै. आई टी आई लि. और मै. लूसेन्ट टेक्नॉलोजीज वर्ल्ड सर्विसेज इंक के बदले मै. आईटीआई लि.

6. मै. मोटोरोला इंक, मै. टीसीआईएल और मै. मोटारोला इंडिया लि. के बदले मै. नोरटेल इंक प्रा.लि.

7. मै. नोरटेल नेटवर्क प्रा.लि.

8. मै. अल्काटेल सी आई टी, मै. अल्कोटेल नेटवर्क्स सिस्टम्स इंडिया (एएलएसआई)

(ख) ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	बोलीदाता का नाम	अनुभव (लाइनें में)	परिसंपत्तियां	ईएलआई दिल्ली (रु. में)	ईएलआई(मुंबई) (रु. में)
1.	मै. आईटीआई	105.8 लाख जीएसएम	1117.42 करोड़ (आईटीआई) (98-99)यूएस 267020 लाख (1998लूसेंट)	3666	3709
2.	मै. लूसेंट टेक्नोलाजी	105.8 लाख जीएसएम	यूएस 26720 लाख (एलटी डब्ल्यूएस) एवं 887.5 लाख (टीएलटीएल)	3669	3711
3.	मै. एरिक्सन रेडियो सिस्टम	873.7 लाख जीएसएम	765340 लाख स्वीडन करोना 18 क्रोन	3971	4008
4.	मै. मोटेरोला इंक.	337 लाख	16561 यूएस डालर	4253	4780
5.	मै. सीमेन्स ए जी	390.5 लाख	736970 लाख डचमार्क (1998)	1611	4810
6.	मै. नोएडा नेटवर्क ओ वाई	909 लाख जीएसएम	596600 लाख एफआईएम (1998) 15.6 एफआईएम	5221	5224
7.	मै. नोस्टेल नेटवर्क्स	225.8 लाख जीएसएम	197320 यूएस डालर लाख	6464	6596
8.	मै. अल्काटेल सीआईटी	330 लाख उपभोक्ता	171389 फ्रेंच फ्रांक (1998) अल्काटेल सीआईटी	6682	6838

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर सरकार ने इसमें शामिल विभिन्न उपायों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई है।

डीलर चयन बोर्ड

7558. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने डीलर चयन बोर्ड हैं;

(ख) प्रत्येक बोर्ड में कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है;

(ग) क्या डीलर चयन बोर्डों द्वारा वर्तमान चयन की प्रणाली में सुधार की जरूरत है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा डीलर चयन बोर्डों को निर्देश देने के लिए कोई नए मार्गनिर्देश बनाये गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) डीलर चयन बोर्डों को हाल ही में भंग कर दिया गया है। डीलर चयन बोर्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है।

[हिन्दी]

चिड़ियाघर में पशु-पक्षियों की मृत्यु

7559. श्री रामदास आठवले: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के चिड़ियाघर में दुर्लभ प्रजातियों के अनेक पशु-पक्षियों की मृत्यु हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कुल कितने पशु-पक्षियों की मृत्यु हुई है;

(ग) इस चिड़ियाघर को अधिक आकर्षक बनाने तथा दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए और नयी प्रजातियों के पशु-पक्षियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गयी और इसे किन-किन शीर्षों में इस्तेमाल किया गया और इस धनराशि का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली में वन्य प्राणियों और पक्षियों की मृत्यु दर पिछले तीन वर्षों में सामान्य रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली में मरने वाले पक्षियों और वन्य प्राणियों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	स्तनधारी जीव	पक्षी	रेंगने वाले जीव (रैप्टाइल्स)	कुल
1996-97	21	0	0	21
1997-98	31	121	9	161
1998-99	48	54	3	105
कुल	100	175	12	287

वन्य प्राणियों की मृत्यु के प्रमुख कारण हैं: एन्ट्राइटिस, निमोनिया, तपेदिक और आपसी लड़ाई के कारण घायल होना आदि।

(ग) चिड़ियाघर को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रस्तावित कदम निम्नलिखित हैं:-

1. वन्यप्राणियों के लिए प्राकृतिक स्वरूप के व बड़े आकार के बाड़े लगाना।
2. नवीन सूचना और व्याख्या
3. आगन्तुओं के लिए मार्गदर्शक सेवाओं की व्यवस्था करना।
4. वृक्षारोपण आदि द्वारा प्राणी उद्यान के पर्यावरण को समृद्ध बनाना।

(घ) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली के बजट आबंटन/उसके उपयोग का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपये में)

	1996-97		1997-98		1998-99	
कार्य की मद	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
वेतन और संस्थापना व्यय	1.51	1.68	2.10	2.02	2.05	2.16
प्राणियों की देखभाल	0.60	0.65	0.65	0.66	0.66	0.71
उपकरणों की खरीद सहित विकास गतिविधियाँ	0.10	0.07	0.20	0.21	0.20	0.35
कुल	2.21	2.40	2.95	2.89	2.91	3.22

अभ्युक्तियां:- इसमें सिविल निर्माण कार्यों पर हुआ व्यय शामिल नहीं है।

पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण

7560. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्णतया विनियंत्रित वातावरण में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई दिशानिर्देश बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु किये गये ये प्रयास मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम संबंधी सुधारों को मानवीय रूप देने के संबंध में प्रतिपादित दृष्टिकोण के अनुकूल है;

(ग) यदि हां, तो क्या संसद द्वारा अधिनियमित करके आर.ए.एन.जी.डी.पी.एस. गठित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सरकार ने प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली के समाप्ति कार्यक्रम को चरणबद्ध करने के ब्यौरे के बारे में निर्णय लेते समय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी ढांचे का कार्य देखने तथा प्रवर्तन करने के लिए नियामक ढांचे की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है। कार्यक्रम मार्च, 2002 तक लागू किया जाना है।

राजस्थान में प्राकृतिक गैस की खोज

7561. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में प्राकृतिक गैस की खोज के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता की मांग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन जिलों में प्राकृतिक गैस की खोज के कार्य को कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना के कार्य को पूरा करने की संभावित समय-सीमा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) फिलहाल राजस्थान के बाड़मेर और जैससमेर जिलों में प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि एक सतत प्रक्रिया के रूप में राजस्थान के इन जिलों में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) ओर आयल इंडिया लि. (ओआईएल) द्वारा अन्वेषण और उत्पादन क्रियाकलाप आवश्यकतानुसार चलाए जाते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण

7562. श्रीमती कैलाशो देवी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी तक जनजातीय/पर्वतीय/मरूस्थल क्षेत्रों के कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) इन क्षेत्रों में अभी भी कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया जाना है; और

(ग) इन गाँवों का कब तक विद्युतीकरण कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार देश की कुल 115088 जनजातीय गांवों में से 81437 (अनंतिम) गांवों का फरवरी, 2000 के अंत तक विद्युतीकरण हो चुका है और 33651 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है।

(ग) विद्युतीकरण हेतु बचे शेष अनेक जनजातीय गांव सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में हैं। देश की जनजातीय गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण की समय-सीमा मुख्यत: अपेक्षित अवसंरचना तैयार करने हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और राज्यों में बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करता है। हाल ही में सरकार ने जनजातीय गांवों एवं दलित बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु एक ब्याज आर्थिक सहायता योजना को अनुमोदन दिया है। इसमें से 16.67 करोड़ रुपये की ब्याज आर्थिक सहायता ग्रा.वि. निगम द्वारा रा.वि. बोर्डों को वर्ष 2000-2001 के दौरान 415 जनजातीय गांवों एवं 2440 दलित बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए दिए गए ऋण हेतु दिया जाएगा। इसके अलावा जनजातीय गांवों, दलित बस्तियों एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों के विद्युतीकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जांच हेतु मंत्रियों का एक दल भी गठित किया गया है।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण विद्युतीकरण

7563. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में बारामूला के सभी गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस जिले में अभी कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है; और

(ग) इन गाँवों का विद्युतीकरण कब तक किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) 31.3.2000 (अनंतिम) की स्थितिनुसार जम्मू व कश्मीर के बारामूला क्षेत्र के कुल 646 बसे हुए गांवों (1981 की जनगणना) में से राज्य द्वारा 626 गांवों को विद्युतीकृत घोषित कर लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई है और 20 गांवों को अभी विद्युतीकृत किया जाना है।

(ग) गांवों की पहचान करने और उनके विद्युतीकरण हेतु प्राथमिकताएं प्रदान करने के संबंध में निर्णय राज्य विद्युत बोर्डों/ राज्य विद्युत युटीलिटियों द्वारा राज्य सरकारों की नीति और दिशा निर्देशों के अनुसार लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति तथा गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण हेतु समय की आवश्यकता अधिकतर अपेक्षित अवसंरचनात्मक प्रणालियां सृजित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, राज्य में विद्युत की उपलब्धता तथा उपभोक्ताओं की मांग इत्यादि पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

फर्रूखाबाद में ताप विद्युत एकक

7564. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के पास कोई प्रस्ताव लम्बित है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त ताप विद्युत संयंत्र कब तक स्थापति और चालू कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश में फर्रूखाबाद में 800 मे.वा. क्षमता की एक संयुक्त चक्र गैस विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा दिसम्बर, 1990 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। परियोजना को मूलभार पर चलाने के लिए एचबीजे पाईप लाईन से, प्राथमिक ईंधन के रूप में, लगभग 4 एमसीएमडी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता थी। तथापि, परियोजना को गैस उपलब्ध न होने के कारण छोड़ना पड़ा।

राष्ट्रीय स्तर पर लम्बी दूरी के दूरसंचार आपरेटर

7565. श्री माधवराव सिंधिया: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न दूरसंचार आपरेटरों और कम्पनियों से विद्युत ग्रिड के साथ राष्ट्रीय लम्बी दूरी आपरेटर (एन एल डी ओ) के रूप में संयुक्त उद्यम संचालन की स्थापना के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कार्य-प्रणाली क्या है; और

(ग) कब तक इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां

7566. श्री तूफानी सरोज: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, जौनपुर जिलों में नई गैस एजेंसियां खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुल जिलों की जनसंख्या के मद्देनजर वर्तमान रसोई गैस एजेंसियों की संख्या कम है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तेल उद्योग के व्यवहार्य मानकों को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न भागों में खोली जाती हैं। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में जिला गाजीपुर में एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप तथा जिला जौनपुर में चार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें एलपीजी की आवश्यकता को पूरा कर रही हैं। वर्द्धित मांग को पूरा करने के लिए जिला गाजीपुर में 6 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा जिला जौनपुर में 8 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें विपणन योजनाओं के अंतर्गत शामिल की गई हैं। इसके अतिरिक्त कारगिल में शहीद हुए शहीदों की विधवाओं/उनके निकटतम संबंधियों के लिए विशेष योजना के तहत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आशय-पत्र जारी किया गया है।

[अनुवाद]

राजस्व साझेदारी करार

7567. श्री सुशील खाँ: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व साझेदारी करार के अंतर्गत सरकार और सेल्यूलर कम्पनियों के बीच विभक्त होने वाले राजस्व का प्रतिशत क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था के तहत सेल्यूलर कंपनियों से लाईसेंस शुल्क के रूप में लिए जाने वाले राजस्व हिस्से की प्रमात्रा के बारे में अंतिम निर्णय लेगी, इस मामले में टी आर ए आई की सिफारिशें मांगी गई हैं और उनकी प्रतीक्षा है इस बीच सरकार ने लाइसेंसधारक के सकल राजस्व का 15 प्रतिशत अनंतिम लाइसेंस शुल्क के रूप में निर्धारित किया है।

[हिन्दी]

गेल द्वारा लोनी में रसोई गैस टर्मिनल का निर्माण

7568. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) द्वारा लोनी में रसोई गैस टर्मिनल का निर्माण कार्य जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य पिछडे क्षेत्रों विशेषकर मध्य प्रदेश के सारागढ़ जिले में कोई रसोई गैस टर्मिनल निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) जामनगर/कांडला-लोनी एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के एक भाग के रूप में उत्तर प्रदेश में लोनी में एक एलपीजी प्रेषण टर्मिनल का निर्माण कर रही है। यह टर्मिनल तेल विपणन, कंपनियों नामत: इंडियन आयल कार्पोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. को सिलेंडरों की भराई के लिए एलपीजी की प्रतिवर्ष लगभग 724 हजार मीट्रिक टन (टीएमटीपीए) को आपूर्ति करेगा जिससे लगभग 50 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।

(घ) और (ङ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कोचीन तेल शोधक कारखाना

7569. श्री के. करूणाकरण: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन तेलशोधक कारखाने (कोचीन रिफाइनरी लि.) के विकास और आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार अथवा मैनेजमेंट आफ कोचीन शिपयार्ड ने इसके लिए कोई प्रस्ताव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

7570. डा. जसवन्त सिंह यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के लिए तेलशोधन क्षमता में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने देश में शोधन क्षमता में वृद्धि करने के लिए निम्न उपाय किए हैं:

(1) सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में वर्तमान रिफाइनरियों के विस्तार तथा नई रिफाइनरियों की स्थापना द्वारा शोधन क्षमता में वृद्धि की अनुमति देना।

(2) शोधन क्षेत्र को लाइसेंसमुक्त करना; तथा

(3) घरेलू रिफाइनरियों को शुल्क संरक्षण प्रदान करना।

वर्ष 2000-2001 के लिए लगभग 105 एम एम टी पी ए की अनुमानित मांग के मुकाबले दिनांक 1.4.2000 तक शोधन क्षमता लगभग 112 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एम एम टी पी ए) थी।

पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित रिफाइनरी क्षमता वृद्धि परियोजनाएं चालू की गई हैं:

नई रिफाइनरी	एम एम टी पी ए
आई ओ सी एल, पानीपत	6.0
आर पी एल, जामनगर	27.0
एन आर एल, नुमालीगढ़	3.0
वर्तमान रिफाइनरियों का विस्तार	
एम आर पी एल, मंगलौर	6.0
आई ओ सी एल, कोयाली	3.0
एच पी सी एल, विसाख	3.0

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के लिए पिछले वर्षों के लिए तीन वर्षों हेतु शोधन क्षमता में वृद्धि के लिए आबंटित तथा वास्तविक रूप से व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये)

आई ओ सी एल, पानीपत	930	931
एन आर एल, नुमालीगढ़	2019	1679
आई ओ सी एल, कोयाली	550	557
एच पी सी एल, विसाख	792	831

[हिन्दी]

विश्वव्यापी सूचना प्रणाली का प्रयोग

7571. श्री रामपाल सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वनों के संरक्षण हेतु इनसेट पर आधारित विश्वव्यापी सूचना प्रणाली तथा कम्प्यूटर प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; औ

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वव्यापी सूचना प्रणाली के प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय वन सर्वेक्षण देश के वन आवरण के द्विवार्षिक मूल्यांकन के लिए उपग्रह आंकड़ा भौगोलिक सूचना प्रणाली, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और कम्प्यूटरों का प्रयोग कर रहा है।

पब्लिक काल आफिस

7572. श्री मानसिंह पटेल:
श्री राम टहल चौधरी:
श्री तरूण गोगोई:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में पश्चिम बंगाल, गुजरात के मांडवी क्षेत्र तथा बिहार के रांची क्षेत्र में कार्य कर रहे पी.सी.ओ. की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक उक्त क्षेत्रों में पी.सी.ओ. स्थापित करने के लिए कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं;

(ग) इन सभी आवेदन-पत्रों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त राज्यों तथा क्षेत्रों में ये पी.सी.ओ. ठीक तथा संतोषपूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा उक्त राज्यों तथा क्षेत्रों में पी.सी.ओ. के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने पी.सी.ओ. बन्द हुए;

(ज) इसके क्या कारण हैं;

(झ) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्रों के लिए पी.सी.ओ. की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ञ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) इन क्षेत्रों में पीसीओ के आबंटन के लिए 15,127 आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं।

(ग) मार्च, 2001 तक क्रमिक रूप से सभी लम्बित आवेदन पत्रों का निपटान किया जाना है, बशर्ते, कि तकनीकी व्यवहार्यता हो तथा अवेदक अन्य शर्तें पूरी करते हो।

(घ) तथा (ङ) अधिकांश पीसीओ सुचारू रूप से काम कर रहे हैं जब भी कभी कुछ दोष रिपोर्ट किया जाता है उस पर तत्परता से कार्यवाही की जाती है।

(च) पीसीओ के समुचित कार्यकरण के संबंध में उठाए गए कदमों में बाहरी प्लांट का उन्नयन तथा विश्वसनीय मीडिया की व्यवस्था भी शामिल है।

(छ) शून्य।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) तथ (ञ) इस समय सुन्दरबन क्षेत्रों में 25 पीसीओ काम कर रहें हैं। पीसीओ के आबंटन के लिए 91 आवेदन लम्बित हैं, जिन्हें जून, 2000 तक क्रमिक रूप से निपटाया जाना है बशर्ते कि तकनीकी व्यवहार्यता हो और आवेदक अन्य शर्तें पूरी करते हों।

विवरण

	राज्य का नाम	कार्यरत पीसीओ की संख्या
1.	असम	6679
2.	अरूणाचल प्रदेश	842
3.	मणिपुर	875
4.	मेघालय	742
5.	मिजोरम	481
6.	नागालैंड	1029
7.	त्रिपुरा	832
8.	पश्चिम बंगाल	38530
9.	गुजरात (मांडवी क्षेत्र)	395
10.	बिहार (रांची क्षेत्र)	1371

[अनुवाद]

"इन्टरनेट" गेटवेज

7573. श्रीमती रेणुका चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में इन्टरनेट गेटवेज स्थापित करने वाली निजी कंपनियां कितनी हैं तथा ये कौन-कौन सी हैं;

(ख) क्या निजी उपग्रह कंपनियां, भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता (आई.एस.पी.) को सैटेलाइट इन्टरनेट कनेक्टीविटी (बैंडविड्थ) प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो भारत में सेवा प्रदान कर रहे उपग्रहों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत द्वारा छोड़ा गया नया उपग्रह इन्सैट-1सी इन्टरनेट सेवा प्रदानकर्त्ता को इन्टरनेट बैंडविड्थ प्रदान करने हेतु वाणिज्यिक प्रचालन के लिए तैयार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) अभी किसी भी प्राइवेट पार्टी ने देश में इन्टरनेट गेटवे स्थापित नहीं किया है। तथापि, सिद्धांतत: 66 गेटवेज की स्थापना करने के लिए 18 इन्टरनेट सेवाप्रदाताओं (आई एस पी) को इन्टरनेट गेटवेज की स्थापना करने के लिए मंजूरी दे दी गयी है। सूची विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां, सरकार ने आई एस पी को विदेशी उपग्रह जो भारत के ऊपर से कोआर्डीनेटिड हैं, बैंडविड्थ प्राप्त करने की अनुमति दी है।

(ग) निम्नलिखित उपग्रह भारत के ऊपर से कोअर्डीनेटिड सी-बैंड कवरेज उपलब्ध कराते हैं:-

जे सी सैट-3 ए, पलपा, एसटीआई-क, एन एस एस 703 पी ए एस-4, थाईकॉम-3 और इंटेलसेट।

निम्नलिखित उपग्रह भारत में अपर से कोआर्डीनेटिड क्यू-बैंड कवरेज उपलब्ध कराते हैं:-

एन एस एस 703, पी ए एस-4 और पी ए एस-7

(घ) और (ङ) भारत द्वारा छोड़ा गया नया उपग्रह इनसैट 3बी बिजनेस वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल (वी सैट) सर्विसेज के वाणिज्यिक प्रचालन के लिए तैयार है। यह अंतर्राष्ट्रीय आई एस पी गेटवेज को सपोर्ट नहीं करेगा।

विवरण

उन आईएसपी की सूची जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय गेटवेज की स्थापना करने के लिए सिद्धांतत: मंजूरी दे दी गई है

क्र.सं.	आईएसपी का नाम	स्थान
1	2	3
1.	मैसर्स डाटा एक्सेस (इंडिया) प्रा.लि.	दिल्ली
2.	मै. इन्टरनेट प्रोमोटर्स इंडिया लि.	दिल्ली
3.	मै. सिगला इनपुट आउटपुट टेक इंडिया लिमिटेड	हैदराबाद अहमदाबाद दिल्ली चेन्नई बंगलौर पुणे मुम्बई कलकत्ता
4.	मैसर्स एसटीपीआई	बंगलौर नोएडा भुवनेश्वर हैदराबाद गांधीनगर थिरूवनन्तपुरम नवी मुम्बई जयपुर मोहाली मैसूर मणिपाल कोयम्बतूर

1	2	3
5.	मैसर्स जैन स्टूडियोज लि.	नोएडा
6.	मैसर्स इन टैक नेट लि.	हैदराबाद
7.	मैसर्स डायरेक्ट इन्टरनेट लि.	दिल्ली
8.	मैसर्स सत्यम इन्फो. लि.	मुम्बई अहमदाबाद हैदराबाद पुणे कोचीन
9.	मैसर्स भारतीय बी टी इन्टरनेट लि.	नई दिल्ली
10.	मैसर्स ग्लोबल इलैक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्रा.लि.	मुम्बई बंगलौर नई दिल्ली पुणे हैदराबाद कलकत्ता अहमदाबाद चेन्नई
11.	मैसर्स इलैक्ट्रलिक्स नेटवर्क प्रा. लि.	अहमदाबाद
12.	मैसर्स डिशनेट डीएसएल लि.	चेन्नई कलकत्ता कोचीन पुणे बंगलौर हैदराबाद नई दिल्ली मुम्बई
13.	मैसर्स मैक्रोनेट	चेन्नई-सी चेन्नई-केयू कलकत्ता-सी कलकत्ता-के यू गांधीनगर-सी गांधीनगर-के यू पतालगंगा-सी पतालगंगा-के यू मुम्बई-के यू
14.	मैसर्स जी एन एफ सी	बरौच

1	2	3
15.	मैसर्स सदर्न ऑनलाइन सर्विस लि.	हैदराबाद
16.	मैसर्स एम टी एन एल	मुम्बई
17.	मैसर्स कॉमसेट मैक्स लि.	दिल्ली बंगलौर चेन्नई हैदराबाद कलकत्ता
18.	मैसर्स वेकफील्ड मैकमॉनिक्स इन्फोनेटवर्क प्रा.लि.	पुणे

[हिन्दी]

चचाई जल प्रपात से विद्युत उत्पादन

7574. श्री रामानन्द सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में तमास जल विद्युत परियोजना से कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) मध्य प्रदेश के सतना जिले में अन्तरराज्यीय सिंचाई परियोजना के तहत चचाई जल प्रपात के अध्ययन से कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) इन परियोजनाओं पर अब तक कितना व्यय किया गया है और इस पर व्यय की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त जल-विद्युत परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) मध्य प्रदेश के सतना जिले में बाण टोंस जल विद्युत परियोजना की लक्षित क्षमता 425 मे.वा. है (3×105+2×15+3×20+2×10 मे.वा.)।

(ख) बाण सागर अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत चचाई जल प्रपात के समीप चालू विद्युत गृह से विद्युत उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य 315 मे.वा. है।

(ग) 1996 के मूल्य स्तर पर परियोजना कुल अनुमानित लागत 976.37 करोड़ रुपये है जिसमें से 735.01 करोड़ रुपये की राशि इस परियोजना पर खर्च की जा चुकी है।

(घ) विद्युत गृह-2, 3 और 4 पर कार्य चल रहा है और इसे 2001-2002 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

तलमार्जन संबंधी कार्य के लिए ठेका

7575. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में विदेशी तलमार्जन कंपनियों को तलमार्जन संबंधी कार्य के लिए ठेका दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी तलमार्जन कंपनियों को स्थानवार और राशिवार तलमार्जन का कार्य दिया गया;

(ग) भारतीय तलमार्जन निगम को यह ठेका न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय तलमार्जन निगम का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित निकर्षण कार्य विदेशी कंपनियों को सौंपे गए:

क्रम सं.	पत्तन का नाम	विदेशी कंपनी का नाम	संविदा मूल्य (करोड़ रुपये)
1.	कलकत्ता पत्तन न्यास	मै. हेम ड्रैजिंग एंड मैरिन कन्ट्रैक्टर, नीदरलैंड	280.45
2.	चेन्नै पत्तन न्यास	मै. जन डे नल, एन वी बैल्जियम	84.79
3.	विशाखापत्तन पत्तन न्यास	मै. ड्रैजिंग इंटरनेशनल, एन वी बैल्जियम	10.21
4.	कोचीन पत्तन न्यास	मै. वान ऊर्ड ए सी जैड	108.80
5.	मुम्बई पत्तन न्यास	मै. हेम ड्रैजिंग एंड मैरिन कन्ट्रैक्टर नीदरलैंड	62.29
6.	टूटीकोरिन पत्तन न्यास	मै. जन डे नल, ए वी बैल्जियम	170.38

(ग) भारतीय निकर्षण निगम के पास सभी महापत्तनों पर सारा निकर्षण कार्य करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। इस बात के मद्देनजर महापत्तनों को प्रतिस्पर्धात्मक निविदा आमंत्रित करने की अनुमति दी गई थी।

(घ) भारतीय निकर्षण निगम लि. ने दो और ट्रेलर सेक्शन ड्रैजरों, प्रत्येक की क्षमता 7400 घन मीटर के लिए आदेश दिए हैं। ये दो ड्रैजर और शामिल हो जाने के बाद डी सी आई की संस्थापित क्षमता (स्वस्थाने) वर्तमान 41.5 मिलियन घन मीटर वार्षिक से बढ़कर 56 मिलियन घन मीटर वार्षिक हो जाएगी।

एनटीपीसी की तरलीकृत प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

7576. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर चलने वाली राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विद्युत परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) एनटीपीसी की कौन-कौन सी परियोजनाएं फिलहाल नैफ्था पर चल रही हैं;

(ग) ऐसी परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं जिनमें अन्ततः तरलीकृत प्राकृतिक गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग करने की परिकल्पना है;

(घ) इसी ईंधन के प्रयोग के क्या कारण हैं; और

(ङ) एनटीपीसी की कुछ परियोजनाओं का काम निर्धारित समय से पीछे रहने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) वर्तमान में कोई भी नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन गैस विद्युत संयंत्र तरल प्राकृतिक गैस से नहीं चल रहा है।

(ख) एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों में से केवल केरल का कायमकुलम चरण-1, प्राकृतिक ईंधन के रूप में नाफ्था की सहायता से चल रहा है। हालांकि एनटीपीसी अपने कवास, अन्ता और औरैया स्थित गैस आधारित विद्युत संयंत्र में भी वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग कर रहा है।

(ग) गुजरात के कवास एवं झनोर-गांधार में, राजस्थान के अन्ता में तथा उत्तर प्रदेश के औरैया में संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्रों के विस्तार चरण सुनियोजित रूप से ईंधन के रूप में केवल तरल प्राकृतिक गैस पर आधारित हैं जहां नाफ्था को प्रचालन के तब तक की प्रारंभिक अवधि के लिए उपयोग किया जाना है जब तक कि तरल प्राकृतिक गैस उपलब्ध नहीं हो जाए कायमकुलम सीसीपीपी में भी अन्य ईंधन के रूप में तरल प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाएगा।

(घ) विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस ज्यादा सुलभ ईंधन है और कोयला आधारित या जल विद्युत संयंत्रों की अपेक्षा गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की निर्माणावधि कम होती है। तरल प्राकृतिक गैस भी प्राकृतिक गैस ही है जिसे आवागमन में सुविधाजनक रूप से ले जाने हेतु द्रव रूप दिया गया है। साथ ही इसे एनटीपीसी की विस्तार यूनिटों के लिए अन्य ईंधन के रूप में माना गया है।

(ङ) वर्तमान में एनटीपीसी की कोई भी निर्माणाधीन परियोजना विलम्ब से नहीं चल रही है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि से महाराष्ट्र को सहायता

7577. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 1998-99 के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से अपर्याप्त राशि जारी होने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकारी की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी नहीं। वर्तमान केन्द्रीय सड़क निधि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही।

[अनुवाद]

बेतिया, बिहार की रसोई गैस की आवश्यकता

7578. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के बेतिया जिले की रसोई गैस की वर्तमान मासिक अनुमानित आवश्यकता कितनी है और तत्संबंधी आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ख) इस जिले में रसोई गैस की पूरी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या रसोई गैस की आपूर्ति करने में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) वर्तमान बेतिया जिले समेत बिहार राज्य के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के पास सूचीबद्ध एलपीजी ग्राहकों की मांग कमोवेश पूर्णतया पूरी की जा रही है। जब कभी भी एलपीजी के बकाया में वृद्धि होती है, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियां प्रभावित बाजारों में मांग को पूरा करने के लिए आयातों के इष्टतमीकरण तथा भरण संयंत्रों के बर्द्धित घंटों/रविवारों तथा अवकाश दिवसों पर प्रचालन करने समेत विभिन्न उपाय करती हैं।

पर्यावरण अनुकूल पर्यटन का संवर्द्धन

7579. श्री सुबोध मोहिते: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अवैध शिकार को रोकने और अभयारण्यों के सुरक्षित क्षेत्र को कायम रखने के लिए पर्यावरण अनुकूल पर्यटन संवर्द्धन के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नागपुर के पास कान्हा अभयारण्य को पर्यावरण अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि अनुमोदित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने वन्यजीव पर्यटन के लिए भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के निर्देशों के अनुसार दिशानिर्देश तैयार किये हैं। इन दिशानिर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य एक ओर जैव-विविधता के संरक्षण की दृष्टि से पर्यटन प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन देना तथा दूसरी ओर स्थानीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार लाना है। वन्यजीव पर्यटन में स्थानीय लोगों के शामिल होने से अवैध शिकार तथा अवैध व्यापार को रोकने में सहायता मिलेगी तथा इससे क्षेत्र की जैव-विविधता संभावना में सुधार होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में तेल और गैस के भंडार

7580. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राजस्थान में तेल और गैस के भंडारों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इन भंडारों से तेल और प्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इन भंडारों से तेल और गैस प्राप्त करने का काम हाथ में लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) 1999-2000 के दौरान मैसर्स शेल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट बी वी (एस आई पी डी) निजी कंपनी द्वारा राजस्थान के बीकानेर जिले में 1.3 मिलियन मानक स्टाक टैंक बैरल (एम एम एस टी बी) के अनुमानित स्थानिक तेल के साथ कच्चे तेल की खोज की गई है। इस भंडार से दोहन किये जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा संविदाकार द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन तथा अन्वेषण कार्य के परिणाम पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

कानूनी शिक्षा का स्तर

7581. श्री पी. कुमारासामी: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कानूनी शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रवृत्ति को रोकने तथा देश में कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की अत्यधिक आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कानूनी शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद् से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में दी जा रही विधि शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट आई है और पिछले कुछ वर्षों में संबंधित प्राधिकारियों, विशेषकर भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने, इसकी ओर ध्यान दिया है। वर्ष 1995 में, भुवनेश्वर और हैदराबाद में हुए दो सम्मेलनों में विधि शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट की बाबत चर्चा हुई थी। भारतीय विधिज्ञ परिषद् महसूस करती है कि विधि शिक्षा के स्तर को तुरंत सुधारने की जरूरत है और इस संबंध में, परिषद् अनेक कदम उठाती रही है जिसमें पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण तथा ऐसे सांध्यकालीन विधि महाविद्यालयों को, जो विधि शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा विहित मानकों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, बन्द करने का विनिश्चय करना शामिल है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् देश के विभिन्न विधि महाविद्यालयों का दौरा और निरीक्षण भी करती रही है तथा परिषद् द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन न करने वाले महाविद्यालयों की संबद्धता समाप्त करती रही है और साथ ही उन्हें समुचित निदेश देकर स्तर सुधारने के लिए कहती रही है।

नौवहन उद्योग को ढांचागत उद्योग का दर्जा देना

7582. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नौवहन उद्योग को ढांचागत उद्योग का दर्जा देने के संबंध में जांच करने केलिए एक विशेष दल गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल में कौन-कौन से सदस्य शामिल हैं और इसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) अध्ययन किए जाने वाला अन्य बातों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अध्ययन दल की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नौवहन नीति समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि नौवहन उद्योग को अन्य उद्योगों के समान निर्यात उद्योग के रूप में मान्यता दी जाए। सरकार ने उपर्युक्त सिफारिश पर तथा नौवहन उद्योग को निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए भी कार्रवाई की है:

(1) मूल्यह्रास दर को 20% से बढ़ाकर 40% करना।

(2) भारतीय नाविकों के लिए कर राहत।

(3) तटीय नौवहन को अवसंरचना उद्योग का दर्जा देना।

सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र

7583. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश में सतपुड़ा विद्युत केन्द्र संख्या-1 में अपने हिस्से के रखरखाव हेतु भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के विरुद्ध मध्य प्रदेश की बकाया देय राशि कितनी है और ऐसी बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसवंती मेहता): (क) से (ग) मध्य प्रदेश में स्थापित सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र संख्या-1 मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (एमपीईबी) और राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (आरएसईबी) का संयुक्त उद्यम है जहां उनके लाभ/लागत की हिस्सेदारी क्रमश: 60% और 40% है। चूंकि एमपीईबी सतपुड़ा केन्द्र में आरएसईबी द्वारा इसके शेयर से ली गई बिजली के लिए सतपुड़ा केन्द्र के ओ एंड एम व्यय में तत्संबंधी ऊर्जा लागत का समायोजन कर रहा है। आरएसईबी के लेखा-जोखा के अनुसार एमपीईबी से इसके लिए 49.71 करोड़ रुपये (31.3.2000 तक) बकाया राशि वसूली योग्य है।

[हिन्दी]

एम.ए.आर.आर. प्रणाली का प्रतिस्थापन

7584. श्री सुकदेव पासवान:
श्री प्रभात सामन्त राय:
श्री सुशील कुमार इंदौरा:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री आर.एस. पाटिल:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाष (वी.पी.टी.) के लिए अतिशय गड़बड़ी की संभावना वाले मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (एम.ए.आर.आर.) प्रणाली की जगह वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) प्रणाली लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके वित्तीय प्रभाव क्या पड़ेंगे;

(घ) क्या इनमें गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जी, हां। जबकि भरोसे के उपयुक्त स्तर पर एम.ए.आर.आर. प्रणाली को बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। फिर भी वे प्रणालियां जिन्हें मूल विनिर्माताओं द्वारा उपयुक्त मरम्मत न किये जाने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से बनाए रखना कठिन है, को उत्तरोत्तर रूप से बदल दिया जाएगा। ग्रामीण टेलीफोनी हेतु कुछ नई प्रौद्योगिकियां वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल), टीडीएमए/पीएमपी आफ सी-डॉट, सैटलाइट आधारित टेलीफोन आदि हैं। प्रयोग की गई प्रौद्योगिकी के आधार पर प्रतिस्थापन के समय वित्तीय खर्चों का हिसाब लगाया जाएगा।

(घ) से (च) जी, नहीं। गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को उनके लाइसेंस करारों के अनुसार ग्रमीण सार्वजनिक टेलीफोन्स (वीपीटी) देने संबंधी अपने दायित्वों को पूरा करना है। सभी 6 लाइसेंस-धारकों को उनके प्रचालन के पहले तीन वर्षों के भीतर वी पी टी (ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन) प्रदान करने हैं। लाइसेंसधारकों के साथ उनकी वचनबद्धताओं का अनुपालन करवाने के लिए बैठकें आयोजित की गई हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली में सीएनजी फिलिंग स्टेशन

7585. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में फिलहाल संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के कितने फिलिंग स्टेशन काम कर रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली में सीएनजी बसें चलाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद ऐसे और अधिक सीएनजी फिलिंग स्टेशनों की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली में कितनी सीएनजी फिलिंग स्टेशन खोले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आज की तारीख तक दिल्ली में 31 सी एन जी बिक्री केन्द्र चालू किये जा चुके हैं।

(ख) और (ग) जी हां। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 28.7.1998 के निदेश के अनुसार गेल को 31.3.2000 तक दिल्ली में सी एन जी आपूर्ति बिक्री केन्द्रों की संख्या तेजी से 9 से बढ़ाकर 80 करनी है।

[हिन्दी]

टेलीफोन सुविधा

7586. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गत कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन तकनीकों का ब्यौरा क्या है तथा व्यवहारिक रूप से ये किन-किन प्रकारों से भिन्न हैं;

(ग) इन तकनीकों का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों हेतु किस आधार पर चयन किया गया;

(घ) क्या ये तकनीकें इन क्षेत्रों में सफल साबित हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। गत कुछ वर्षों के दौरान उपभोक्ता अभिगम्यता, स्विचन तथा पारेषण नेटवर्क में अनेक तकनीकों का प्रयोग किया गया है।

(ख) उपभोक्ता अभिगम्यता नेटवर्क-ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने के लिए भूमिगत केबल तथा ओवरहेड लाइनों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए एमएआरआर प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया था।

पारेषण नेटवर्क—ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में एक्सचेंजों को विश्वसनीय संयोजकता प्रदान करने के लिए माइक्रोवेव, आप्टिकल फाइबर तथा उपग्रह जैसी विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।

स्विचन नेटवर्क—ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ग) तकनीकों का चयन परियात जरूरतों तथा विशिष्ट स्थान स्थितियों तथा क्षेत्र के भू-भाग के आधार पर किया जाता है।

(घ) और (ङ) एमएआरआर प्रणाली को छोड़कर इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल सफल रहा है। एमएआरआर प्रणालियों का निष्पादन विश्वसनीय नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

डाकघर

7587. श्री दलपतसिंह परस्ते:
श्री मोइनुल हसन:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में राज्य-वार जनसंख्या की तुलना में डाकघरों का अनुपात कितना है;

(ख) किन-किन राज्यों में विशेषकर मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में डाकघर कम हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल और त्रिपुरा में डाक और तार क्षेत्र में शुरू किये गये विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जानकारी विवरण-I में दी गई है।

(ख) जानकारी विवरण-II में दी गई है।

(ग) नए डाकघर योजना अनुमानों के अनुसार खोले जाते हैं। ऐसा करना धनराशि उपलब्ध रहने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित मदों की मंजूरी पर निर्भर करता है।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान खोले गए डाकघरों का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है। टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार के कारण तार परियात में निरंतर गिरावट आ रही है। अत: पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल तथा त्रिपुरा में तारघर खोलने के लिए कोई विनिर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। विभाग की नीति के अनुसार, प्रत्येक गांव में मार्च, 2002 तक

सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। डाकघरों में लगाए गए सार्वजनिक टेलीफोनों का प्रयोग फोनोकॉम पर तार सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। माइक्रो-प्रोसेसर आधारित प्रौद्योगिकी के समावेश द्वारा तार सेवाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। तार नेटवर्क में स्टोर एंड फॉरवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम (एसएफएमएसएस), इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड कंन्सन्ट्रेटर्स (ईकेबीसी) उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य	एसएफएमएसएस	ईकेबीसी
पश्चिम बंगाल	1	28
बिहार	2	3
उड़ीसा	2	2
मध्य प्रदेश	4	4
केरल	3	18
त्रिपुरा	शून्य	शून्य

विवरण I

क्र.सं.	सर्किल का नाम	प्रति डाकघर सेवित जनसंख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4099
2.	असम	5737
3.	बिहार	7247
4.	दिल्ली	16467
5.	गुजरात	4622
	दादर एवं नगर हवेली	3049
	दमन व दीव	5975
6.	हरियाणा	6189
7.	हिमाचल प्रदेश	1849
8.	जम्मू एवं कश्मीर	4711
9.	कर्नाटक	4548
10.	केरल	5757
	लक्षद्वीप	5173
11.	मध्य प्रदेश	5834
12.	महाराष्ट्र	6337
	गोआ	4624
13.	उत्तर पूर्व	
	अरुणाचल प्रदेश	2925
	मणिपुर	2656
	मेघालय	3643
	मिजोरम	1738
	नागालैंड	3812
	त्रिपुरा	3853
14.	उड़ीसा	3880
15.	पंजाब	5370
	चंडीगढ़	12818
16.	राजस्थान	4231
17.	तमिलनाडु	4615
	पांडिचेरी	8526
18.	उत्तर प्रदेश	6875
19.	पश्चिम बंगाल	7884
	सिक्किम	2009
	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2886
	राष्ट्रीय औसत	5477

विवरण II

क्र.सं.	सर्किल का नाम	डाकघरों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16186
2.	असम	3885
3.	बिहार	11914

1	2	3
4.	दिल्ली	569
5.	गुजरात	8960
	दादर एवं नगर हवेली	34
	दमन एंड दीव	17
6.	हरियाणा	2637
7.	हिमाचल प्रदेश	2764
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1639
9.	कर्नाटक	9583
10.	केरल	5051
	लक्षद्वीप	14
11.	मध्य प्रदेश	11335
12.	महाराष्ट्र	12426
	गोआ	253
13.	उत्तर पूर्व	
	अरुणाचल प्रदेश	294
	मणिपुर	689
	मेघालय	483
	मिजोरम	397
	नागालैंड	320
	त्रिपुरा	711
14.	उड़ीसा	8120
15.	पंजाब	3879
	चंडीगढ़	52
16.	राजस्थान	10371
17.	तमिलनाडु	12055
	पांडिचेरी	95
18.	उत्तर प्रदेश	20223
19.	पश्चिम बंगाल	8622
	सिक्किम	204
	अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह	97
	कुल	154149

विवरण III

वर्ष 1999-2000 के दौरान खोले गए डाकघरों का ब्यौरा

	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
पश्चिम बंगाल	43	9	41	9
बिहार	50	3	51	–
उड़ीसा	14	2	14	2
मध्य प्रदेश	40	4	40	4
केरल	4	2	4	2
त्रिपुरा	4	–	4	–

[हिन्दी]

छोटे गैस सिलेंडरों का उपयोग

7588. श्री माणिकराव होडल्या गावीत: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलपीजी को कारों में इस्तेमाल करने की अनुमति को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का विचार छोटे आकार के गैस सिलेंडर शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों ने स्वचालित वाहनों में उपयोग किये जाने वाले सिलेंडरों के आकार को अंतिम रूप नहीं दिया है।

[अनुवाद]

इन्टरनेट

7589. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका ने भारत में इन्टरनेट के विकास में सहायता करने में रुचि दिखाई है;

(ख) क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट उपयोग के संवर्धन हेतु मिलियन डालर के सहायता पैकेज की घोषणा की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या पांच वर्षीय सहायता कार्यक्रम से भारत की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास में तेजी लाने हेतु नीति और नियामक वातावरण का संवर्धन करने में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) लागू नहीं।

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में गैस और तेल की उपलब्धता

7590. श्री मुद्रागाड़ा पद्मानाभम्: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में इन संसाधनों की पहचान की गई है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस और तेल निकालने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और तेल निकालने की क्या समय-सीमा तय की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में 1.4.2000 तक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की निम्नलिखित 20 खोजें की गई हैं:

मोरी, केसनापल्ली, केसनापल्ली-पश्चिम, भीमनपल्ली, टाटीपाका-काडली, पसारलापुड़ी, चिंटल्लापल्ली, मांडापेटा, मानेपल्ली, एण्डामुरू, बांडामुरलण्का-उत्तर, मुम्मुडीवरम, पोन्नामण्डा, मुल्लीकिपल्ली, अडिवीपालेम, एणुगापल्ली, रंगापुरम, मागाटापल्ली, केशवदासपालेम, सिरीकट्टापाले।

(ग) उपर्युक्त बीस क्षेत्रों में से नौ में ओएनजीसी द्वारा आगे अन्वेषण की योजना बनाई गई है।

(घ) (1) ओएनजीसी द्वारा पूर्वी गोदावरी जिले में 1997-2000 की अवधि के दौरान निम्नलिखित अन्वेषणात्मक निवेश किये गए हैं:

भूकंपीय सर्वेक्षण:

द्विआयामी:	लगभग 430 लाइन किलोमीटर
त्रिआयामी:	लगभग 3300 लाइन किलोमीटर

अन्वेषणात्मक कूप: 47

(2) ओएनजीसी की योजना उक्त जिले में 2000-2002 की अवधि के दौरान 450 लाइन किलोमीटर द्विआयामी और 2200

लाइन किलोमीटर त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन करना और 28 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन करने की है।

पत्तन क्षमता संवर्द्धन हेतु उपकरण और पोत

7591. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय पत्तन संघ को प्रमुख पत्तनों हेतु आवश्यक उपकरण और पोंतों के मानकीकरण और इनके विक्रेताओं के लघुसूचीयन करने का काम सौंपा था, ताकि संविदा देने में कम समय लगे और पत्तन क्षमता में शीघ्र वृद्धि हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या विभिन्न प्रमुख पत्तन एक जैसे/एक ही उपकरण/पोत खरीद रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विक्रेताओं के लघुसूचीयन के समान ही निविदा आमंत्रण खरीद के लिए भी केन्द्रीयकृत व्यवस्था का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) पत्तनों द्वारा अपेक्षित बड़े उपस्करों/बेड़े के लिए आपूर्तिकर्त्ताओं की एक सूची बना ली गई है और पत्तनों को सलाह दी गई है कि वे अपनी भावी आवश्यकताओं के लिए सूचीबद्द आपूर्तिकर्ताओं से निविदा आमंत्रित करें।

(ग) जी हां।

(घ) पत्तनों द्वारा खरीदें जा रहे वही/एक जैसे उपस्कर/जलयान हैं—रेल माऊंटेड क्वे क्रेन (आर एम क्यू सी), रबड़ टायर्ड जैन्ट्री क्रेन (आर टी जी) व्हार्फ क्रेन, रीच स्टैकर, इत्यादि तथा बेड़ा जैसे, टग, लांचेज और अन्य छोटे फ्लोटिंग क्राफ्ट्स।

(ङ) और (च) जी नहीं। सभी महापत्तनों की आवश्यकताओं का समेकन करके निविदा/खरीद की केन्द्रीयमुक्त प्रणाली के गुण-दोषों की जांच की आवश्यकता है। तथापि, सभी महापत्तनों के निविदा/बोली दस्तावेजों की शर्तों को सरल और एक समान बनाने के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

वन आश्रित समुदायों के लिए नीति

7592. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वन आश्रित लोगों और समुदायों के लिए नीति तैयार करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि परम्परागत और वन आश्रित समुदायों के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा न हो जाएं कि जिससे वे वनों के बिना जिंदा न रह सकें, किस तरह नीति तैयार करने जा रही है; और

(घ) सरकार का इन समुदायों के साथ बातचीत करके नीति तैयार करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) सरकार को वन आश्रित लोगों और समुदायों के लिए नीति तैयार करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सरकार ने महिलाओं की सहभागिता से व्यापक जन आंदोलन द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के प्रमुख उद्देश्य से वर्ष 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की है। वर्तमान नीति में परिवर्तन करने हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। वन-आश्रित लोगों के लिए इस नीति में यह विचार किया गया है कि:

1. लघु वन उपज, आदिवासी जनसंख्या और वनों के आस-पास रहने वाले अन्य समुदायों को आहार प्रदान करते हैं। रोजगार और आय के सृजन के संबंध में ऐसे उत्पादों की सुरक्षा तथा उनके उत्पादन में सुधार किया जाना चाहिए।

2. वनरोपण में तेजी लाई जानी चाहिए जिसमें ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन की लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि करने पर विशेष बल दिया जाए।

3. वन क्षेत्रों में जिन लोगों को परम्परागत अधिकार और रियायतें प्राप्त हैं, उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि जिन वनों से वे लाभ प्राप्त करते हैं उनकी सुरक्षा करने और विकास का काम भी उनका ही है। वनों से अधिकार और रियायतें वनों के इर्द-गिर्द रहने वाले समुदायों, विशेष रूप से आदिवासियों के वास्तविक उपयोग के लिए होने चाहिए।

4. वनों में तथा वनों के पास रहने वाले आदिवासी और अन्य गरीब, वनों पर निर्भर हैं। जिन अधिकारों और रियायतों का वे भोग कर रहे हैं, उनकी पूर्ण सुरक्षा की जानी चाहिए। उनकी ईंधन की लकड़ी, चारा, लघु वन उपज और इमारती लकड़ी की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिकतापूर्वक की जानी चाहिए। उनकी ये आवश्यकताएं और वैकल्पिक सामग्री उन डिपुओं से उचित कीमत पर उपलब्ध की जानी चाहिए जहां वे आसानी से जा सकें।

5. वनों के पास रहने वाली अनुसूचित जातियों और अन्य निर्धन लोगों के बारे में भी ऐसा ही करना चाहिए। तथापि, जिस क्षेत्र पर विचार किया जाए उसे वनों की वहनीय क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

6. आदिवासियों एवं वनों के बीच सहजीवी संबंध का ध्यान रखते हुए, वन विकास निगमों सहित वन प्रबंध के लिए उत्तरदायी सभी अभिकरणों का प्रधान कार्य वनों में तथा उसके चारों ओर रहने वाले लोगों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त वनों की सुरक्षा, पुनरुद्धार एवं विकास के लिए आदिवासियों को सहायता देना होना चाहिए।

(घ) भोगाधिकार हिस्सेदारी के आधार पर वनों की सुरक्षा और विकास में वन पर आश्रित लोगों की भागीदारी वन प्रबंधन की प्रमुख कार्य नीति बन गई है। ऐसे लोग संयुक्त वन प्रबंधन हेतु ग्राम वन सुरक्षा समितियाँ गठित करते हैं। वर्तमान में 36130 ग्राम वन सुरक्षा समितियाँ 10.25 मिलियन हैक्टेयर अवक्रमित वनों के आसपास प्रबंधन कार्य कर रही हैं। संयुक्त वन प्रबंधन में ग्राम वन सुरक्षा समतियों को आयोजना चरण में शामिल किया जाता है। इन समितियों ने अपने आहार के लिए स्थायी संसाधन आधार के रूप में वनों की स्थापना की है।

गुजरात में कच्चे तेल और गैस का उत्पादन

7593. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में स्थित विभिन्न तेल कुओं से हुए कच्चे तेल और गैस के कुल उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत दो वर्ष की तुलना में कच्चे तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या राज्य में तेल और गैस के उत्पादन के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नवत था:

वर्ष	कच्चा तेल (एमएमटी)	प्राकृतिक गैस (बीसीएम)
1997-98	5.978	3.175
1998-99	2.860	3.279
1999-2000*	5.704	3.273

एमएमटी: मिलियन मीट्रिक टन
बीसीएम: बिलियन घन मीटर
*अनंतिम

(ग) गुजरात राज्य में कच्चे तेल उत्पादन की वृद्धि करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। ये निम्न प्रकार से हैं:

(1) बलोल तथा संथाल में बर्द्धित तेल निकासी योजनाओं का क्रियान्वयन।

(2) गैस लिफ्ट योजना का प्रतिष्ठापन।

(3) लनवा में प्रायोगिक स्थानिक दहन परियोजना का क्रियान्वयन।

(4) नए इनफिल कूपों का वेधन, जल अंत:क्षेपण का पुनर्वितरण, हाइड्रोफेक्चरिंग तथा लोंग डिस्टेन्स साइड ट्रेकिंग।

(5) दक्षिण कादी क्षेत्रों तथा वासना क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाओं का क्रियान्वयन।

(घ) और (ङ) निम्नांकित उपायों के माध्यम से नए क्षेत्रों के अंतर्गत तेल एवं गैस का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं:

(1) भूकंपीय आंकड़े का अर्जन, संसाधन एवं निर्वचन।

(2) रण कच्छ क्षेत्र में 48000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत वायु-चुंबकीय टोही सर्वेक्षण।

(3) अन्वेषी कूपों का वेधन।

भारतीय लागत एवं संकर्म लेखा संस्थान का पुनर्गठन

7594. श्री सी.पी. राधाकृष्णन: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इंस्टिट्यूट आफ कास्ट एंड वर्क्स एकाउन्टेंट्स (आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई.) संस्थान की छवि को सुधारने के लिए इसकी कार्य प्रणाली के पुनर्गठन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अध्ययन दल का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और किस आधार पर ये सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) क्या अंतिम कार्यवाही करने से पहले इस संबंध में व्यावसायिक और विशेषज्ञ निकायों के विचारों को जाना जाएगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के खाते

7595. श्री ब्रजमोहन राम: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को किये गये बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने वर्ष 1999-2000 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विद्युत का उत्पादन किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन को कोई सकल बजटीय सहायता नहीं उपलब्ध कराई गई है। हालांकि केवल पूंजीगत व्यय अर्थात्, बहुपक्षीय/द्विपक्षीय ऋण के लिए यह कुल बजटीय सहायता प्राप्त कर रहा है जो भारत सरकार के बजट के जरिए दिये जाते हैं और पिछले 3 वर्षों के दौरान एनटीपीसी को उपलब्ध कराई गई कुल बजटीय सहायता निम्नवत है:

वर्ष	करोड़ रुपये
1997-98	172.75
1998-99	166.77
1999-2000	262.36

(ख) जी, हां। शीर्षस्थ स्तर पर एनटीपीसी एवं विद्युत मंत्रालय के बीच नियमित बातचीत के अलावा एनटीपीसी के कार्य निष्पादन की इसके प्रशासनिक मंत्रालय (विद्युत मंत्रालय) के सचिव द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। समीक्षा के दौरान भारत सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों एवं योजना आयोग के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किये जायेंगे।

(ग) और (घ) जी, हां। समझौता ज्ञापन को 107000 मिलियन यूनिट के "उत्कृष्ट" लक्ष्य की तुलना में एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों ने 1999-2000 में 118677 मि.यू. बिजली उत्पादन की है, अर्थात् निर्धारित लक्ष्य से 11677 मि.यू. अधिक।

अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए न्यायपालिका में आरक्षण

7596. श्री रतन लाल कटारिया:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री अमर राय प्रधान:
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सरकार पिछड़े वर्गों को अतिरिक्त आरक्षण देने वाला कानून बनाकर न्यायिक

अधिकारियों की नियुक्ति संबधी संवैधानिक प्रावधानों में दखलन्दाजी नहीं कर सकती;

(ख) यदि हां, तो क्या 3 : 2 के बहुमत वाला निर्णय मार्च, 2000 में दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण देने वाले वर्तमान नियमों में कोई प्रावधान करने का है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने बिहार राज्य और एक अन्य बनाम बालमुकुन्द शाह और अन्य (जे.टी. 2000 (3) 221] में 14 मार्च, 2000 को अपना निर्मय सुनाया था जिसमें न्यायाधीशों के बहुमत (3:2) ने, यह अभिनिर्धारित किया है कि पदों और सेवा में रिक्तियों में बिहार आरक्षण (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की धारा 4, जिसमें सीधी भर्ती में राज्य की न्यायिक सेवा को मिलाकर 50 प्रतिशत पदों के आरक्षण का उपबंध है, उस सीमा तक अधिकारातीत है जिस तक यह न्यायिक सेवा को लागू होता है। चूंकि यह उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करती है। संविधान के अनुच्छेद 233 से 235 तक के साथ इसका सीधा संघर्ष है क्योंकि राज्य विधान-मंडल अनुच्छेद 233 और 234 के सांविधानिक आदेशों को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए तथा उच्च न्यायालय से अपेक्षित परामर्श किए बिना न्यायिक सेवा में आरक्षण की कानूनी स्कीम अधिकथित नहीं कर सकती। न्यायालय के अनुसार, धारा 4 जिला न्यायपालिका/अधीनस्थ न्यायपालिका को लागू नहीं होगी क्योंकि इन अनुच्छेदों के अधीन राज्य विधान-मंडल द्वारा हस्तक्षेप पूर्णतया अपवर्जित है और तदनुसार उसका सही अर्थ निकाला जाना चाहिए।

(ग) और (घ) चूंकि, निर्णय का संबंध बिहार की अधीनस्थ न्यायपालिका से है अत:, इससे उत्पन्न पेचीदगियों की समीक्षा करना बिहार सरकार का काम है।

[अनुवाद]

संपत्ति का अनिवार्य पंजीकरण

7597. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संपत्ति का पंजीयन अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के साथ पठित संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के उपबंध संपत्तियों के विक्रय बंधक, पट्टा और दान के द्वारा उसके अंतरण की दशा में, दस्तावेजों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

एन.टी.पी.सी. विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति

7598. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम प्राकृतिक गैस की आपूर्ति न होने के कारण अपनी अधिकतम क्षमता का उपोग करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त विद्युत संयत्र को प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) की दो परियोजनाएं नामश: 645 मे.वा. क्षमता की कवास गैस विद्युत परियोजना और 648 मे.वा. क्षमता की गंधार गैस विद्युत परियोजना गुजरात में अवस्थित है जहां कवास परियोजना के लिए गैस लिंकेज 2.5 एमडी की आवश्यकता की तुलना में 2.25 मिलियन क्यूबिक प्रति दिन (एमसीएमडी) है, वहीं गंधार परियोजना के लिए लिंकेज 2.5 एमसीएमडी की तुलना में 1.50 एमसीएमडी है। तथापि वर्ष 1999-2000 के दौरान कवास और गंधार परियोजनाओं के लिए गैस की उपलब्धता क्रमश: मात्र 2.07 एमसीएमडी और 2.6 एमसीएमडी थी। कवास और गंधार परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन में परिणामी हानि क्रमश: 92 मिलि. यूनिट और 2741 मिलि. यूनिट थी। इस प्रकार जहां कवास परियोजना सामान्यत: अपनी क्षमता का समुपयोजन करने में समर्थ थी वही गंधार परियोजना अपर्याप्त गैस लिंकेज। आपूर्ति के कारण ऐसा करने में असमर्थ थी।

(ग) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमि. (गेल) इन दोनों विद्युत परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति कर रहा है। जहां तक कवास परियोजना का संबध है। गैस आपूर्ति लगभग लिंकेज के अनुरूप है तथापि गंधार परियोजना के लिए गैस आपूर्ति गंधार (दक्षिणी गुजरात) गैस फील्ड से गैस की सीमित उपलब्धता के कारण लिंकेज अपेक्षाकृत कम है। गैस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्न उपाय किये जा रहे हैं, बेहतर जलाशय प्रबंधन के माध्यम से विद्यमान क्षेत्रों से उत्पादन अधिकतम करना, इनफिल ड्रिलिंग, प्रेशन अनुरक्षण कृत्रिम लिफ्ट प्रणाली की अधिष्ठापना प्रणाली को ईष्टतम बनाना, रिकवरी घटक में सुधार, विकसित और लागत प्रवाही प्रौद्योगिकी का उपयोग, नये अन्वेषणों का तीव्र गति से विकास, विद्यमान क्षेत्रों में अधिक गहराई पर अन्वेषण कार्य करना, गहरे पानी और अग्रिम क्षेत्रों तक अन्वेषण संबधी कार्यकलाप करना अन्वेषण कार्यों में निजी भागेदारी बढ़ाना आदि।

[अनुवाद]

तेल-शोधनशालाओं की क्षमता

7599. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न तेल-शोधनशालाओं की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित कच्ची सामग्री को कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा;

(ग) इन शोधनशालाओं में मासिक स्तर पर कितनी मात्रा में पेट्रोल और तरल पेट्रोलियम गैस का उत्पादन किया जाता है;

(घ) इन शोधनशालाओं द्वारा कौन-कौन से सह-उत्पादों का उत्पादन होता है और उनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है; और

(ङ) इन शोधनशालाओं द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) मार्च, 2000 के दौरान रिफाइनरियों से एलपीजी तथा पेट्रोल का उत्पादन क्रमश: 311 तथा 665 हजार मीट्रिक टन (टी एम टी) था।

(घ) गंधक रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित एक ऐसा सह उत्पाद है जो उर्वरक तथा रसायन निर्माण इकाइयों को बेचा जा रहा है।

(ङ) रिफाइनरियां राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरल निस्सारियों व गैसीज उत्सर्जनों के लिए सांविधिक जरूरतों को पूरा कर रही है। रिफाइनरियों द्वारा पिछले वर्षों से कई पर्यावरण रक्षा परियोजनाएं लागू की गई हैं।

छोटे-छोटे बंदरगाहों का उन्नयन

7600. श्री के.पी. सिंह देव:
श्री अनन्त नायक:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विशेषकर उड़ीसा के कुछ छोटे-छोटे बंदरगाहों के उन्नयन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव में धमारा और गोपालपुर के छोटे बंदरगाहों को शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन अन्य बंदरगाहों का ब्यौरा क्या है जिन्हें बड़े बंदरगाह के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अनुसार लघु पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन संबंधित राज्य सरकार की है जिनका इन पत्तनों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। लघु पत्तनों के विकास के लिए निधियां योजना आयोग द्वारा संबंधित राज्य सरकार के बजट शीर्ष में आबंटित की जाती हैं।

दूरसंचार सुविधाएँ

7601. डा. गिरिजा व्यास: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में जिलेवार कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन के साथ-साथ फैक्स और एस.टी.डी./आई.एस.डी. की सुविधाओं से जोड़ा गया है; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को उक्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) राजस्थान में कुल 9181 ग्राम पंचायतों में से 7922 ग्राम पंचायतों को एसटीडी की व्यवस्था हेतु आधारभूत संरचना प्रदान की गई है। जिले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चूंकि फैक्स सुविधा हेतु कोई लाइसेंस शुल्क नहीं है, इसलिए उपभोक्ता/पीसीओं अपनी जरूरतों के अनुसार फैक्स मशीनों का प्रयोग करते हैं।

(ख) सरकार का निजी स्थिर सेवा प्रदाताओं के संयुक्त प्रयास से मार्च, 2000 तक ग्राम पंचायतों सहित राज्य के प्रत्येक गांव में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

विवरण

उन ग्राम पंचायतों का जिलेवार ब्यौरा जिनमें एस टी डी व्यवस्था हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध है

क्रम सं.	राजस्व जिले का नाम	कुल ग्राम पंचायतें	ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें एसटीडी व्यवस्था हेतु आधारभूत संरचना है
1	2	3	4
1.	अजमेर	276	266
2.	अलवर	477	477
3.	बांसवाड़ा	325	282
4.	बारां	215	182
5.	बाड़मेर	380	350
6.	भरतपुर	372	341
7.	भीलवाड़ा	378	276
8.	बीकानेर	191	153
9.	बूंदी	181	134
10.	चित्तौड़गढ़	391	363
11.	चूरू	279	245
12.	दौसा	174	77
13.	धौलपुर	153	153
14.	डुंगरपुर	236	209
15.	हनुमानगढ़	246	240
16.	जयपुर	537	431
17.	जैसलमेर	126	60
8.	जालौर	264	242

1	2	3	4
19.	झालावाड़ा	251	245
20.	झुनझुनु	290	290
21.	जोधपुर	338	147
22.	करौली	224	196
23.	कोटा	161	149
24.	नागौर	461	411
25.	पाली	321	291
26.	राजसमन्द	205	175
27.	सवाई माधोपुर	199	190
28.	सिकर	328	303
29.	सिरोही	148	136
30.	श्रीगंगानगर	326	319
31.	टोंक	230	179
32.	उदयपुर	498	410
	कुल	9181	7922

सेल्यूलर टेलीफोन उपकरण

7602. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सेल्यूलर टेलीफोन उपकरणों की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले दो वर्षों के दौरान देश में भारी मात्रा में सेल्यूलर टेलीफोन उपकरण बैटरियों की तस्करी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सेल्यूलर आपरेटर्स एसोसिएसन आफ इण्डिया (सीओएआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 1998-99 में 317289 तथा वर्ष 1999-2000 में 684733 नए सेल्यूलर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे। सेल्यूलर टेलीफोन उपकरणों की मांग भी लगभग इतनी ही आंकी जा सकती है।

सेल्यूलर टेलीफोन उपकरण देश में नहीं बनाए जाते हैं तथा आयात-निर्यात नीति के अनुसार इनको निर्बाध रूप से आयात किया जा सकता है।

(ख) से (ग) चूंकि तस्करी, एक गुप्त गतिविधि है, अत: देश में किन सेल्यूलर टेलीफोन उपकरण तथा बैटरियां इस माध्यम से लाई गई हैं इनकी सही संख्या बता पाना संभव नहीं है। गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय तथा सीमाशुल्क की विभिन्न फील्ड फार्मेशनों द्वारा तस्करी के माध्यम से सेल्यूलर टेलीफोन उपकरण तथा बैटरियां लाने के प्रयास में पकड़े जाने वाले मामलों की संख्या का ब्यौरा निम्नवत् है:

	पकड़े गए सेल्यूलर फोनों तथा बैटरियों की संख्या	कीमत लाख रुपये में
1998-99	6962	657.86
1999-2000	24721	1408.05

(घ) सीमाशुल्क विभाग के सभी फील्ड फार्मेशन तथा राजस्व आसूचना निदेशालय, सेल्यूलर टेलीफोनों सहित सभी प्रकार के विनिषिद्ध सामान की तस्करी का पता लगाने एवं इसे रोकने के लिए सदैव सतर्क एवं सावधान रहते हैं।

कर्नाटक में विद्युतीकरण हेतु ऋण

7603. श्री कोलुर बसवनागौड़: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने कर्नाटक में दूरस्थ गाँवों और उपग्रामों के विद्युतीकरण के लिए ऋण देने की सहमति दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितना ऋण दिये जाने का प्रस्ताव है और चालू वर्ष के दौरान कितने गाँवों और उपग्रामों को शामिल किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) राज्य विद्युत बोर्डों/ राज्य पावर यूटिलिटीज द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करा रही है, बशर्ते कि वे तकनीकी व वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हो। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) अथवा कर्नाटक सरकार से इस प्रयोजनार्थ कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में वनों की क्षति

7604. श्री अनन्त नायक: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उड़ीसा में वनों की बढ़ती क्षति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा और अन्य राज्यों में वनों के उचित संरक्षण और विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) भारत सरकार को उड़ीसा में वनों के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। तथापि, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट, 1997 के अनुसार 1995 के मूल्यांकन की तुलना में वन आवरण में 166 वर्ग कि.मी. कमी आई।

(ग) सरकार द्वारा वनों के संरक्षण और विकास हेतु उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं:-

1. वनीकरण कार्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं।
2. संयुक्त वन प्रबंधन द्वारा वनों के संरक्षण और पुनरुद्धार में ग्रामीण समुदायों को सम्मिलित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
3. वन भूमि के नियमित अपवर्तन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया।
4. वनों की आग से सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "आधुनिक दावानल नियंत्रण प्राविधियां" क्रियान्वित की जा रही हैं।
5. बाघों और हाथियों और उनके आवास स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष उपाय लागू किए जा रहे हैं।

गुजरात और उड़ीसा में गरान के वन

7605. श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात और उड़ीसा के गरान वनों के भारी विनाश की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों राज्यों में गरान वनों के भारी विनाश के क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा और गुजरात के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में गरान का नया वृक्षारोपण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात में कच्छ वनस्पति का विनाश चराई और चारा तथा ईधन लकड़ी के रूप में इनका उपयोग करने के कारण हुआ है। उड़ीसा में कच्छ वनस्पति क्षेत्रों का अतिक्रमण चारे और ईधन लकड़ी के लिए इनके उपयोग के साथ-साथ जल कृषि, कृषि संबंधी गतिविधियों और गृह निर्माण के कारण है।

(ग) कच्छ वनस्पति और प्रवाल भित्त के संरक्षण और प्रबंधन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने कच्छ वनस्पति के वनीकरण पुनरुद्धार और सुरक्षा के लिए गुजरात में कच्छ की खाड़ी और खामबाट की खाड़ी और उड़ीसा में भिटारकानिका, महानदी, सुवर्नरेखा, धामरा और देवी मुहाने अभिनिर्धारित किए हैं।

उड़ीसा में वनरोपण कार्यक्रम

7606. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उड़ीसा के लिए वन रोपण कार्यक्रम हेतु कितना धन आबंटित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उड़ीसा के समुद्री तट पर वनों के विकास हेतु किसी अन्य देश से प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र वन रोपण स्कीमों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों (1997-98, 1998-99 और 1999-2000) के दौरान उड़ीसा को आबंटित केन्द्रीय सहायता 1,611.14 लाख रुपये थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज

7607. श्री जगदम्बा प्रसाद यादव: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के जमुई जिले में चकई मंडल में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त एक्सचेंज के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जमुई जिले के चकई में 56 लाइनों तथा 32 सीधी एक्सचेंज लाइनों की क्षमता वाला एक एमआईएलडी-64 टाइप इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज काम कर रहा है।

डाक प्रणाली की समीक्षा

7608. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान डाक प्रणाली पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त समीक्षा के परिणाम के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) और (ग) डाक प्रणाली के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा के लिए वर्ष 1988 में डाक सेवा उत्कृष्टता समिति गठित की गई थी। इस समिति ने निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में डाक की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रौद्योगिकियां अपनाने की सिफारिश की:

(1) सभी लेन-देन एक ही खिड़की पर मुहैया कराने के उद्देश्य से काउंटर कार्यों का कम्प्यूटरीकरण, जो ग्राहकों से संपर्क का प्रमुख स्थान हैं।

(2) मनीआर्डरों के प्रेषण के लिए उपग्रह आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

(3) प्रमुख महानगरों में डाक छंटाई प्रणाली का स्वचलीकरण।

31.3.2000 तक कुल 6257 कम्प्यूटर आधारित बहुद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई जा चुकी हैं। जिन पर प्रतिवर्ष लगभग 12 करोड़ लेन-देन किए जा हैं । 77 वेरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल (वीएसटी) स्थापित किए गए हैं जिन पर प्रतिवर्ष 1.25 करोड़ मनीआर्डर प्रेषित किए जा रहे हैं। उच्च गति के 62 और वीएसएटी की संस्थापना करके इस नेटवर्क का आगे और विस्तार किया जा रहा है। मुंबई तथा चेन्नई में ऑटोमैटिक मेल की छंटाई कर रहे हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कलकत्ता तथा दिल्ली में ऑटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

इंडिया-ईको-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

7609. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इंडिया-ईको-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नामक परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह परियोजना किन-किन राज्यों के लिए स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या शेष राज्यों के लिए भी ऐसी कोई योजना तैयार की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) सात संरक्षित क्षेत्रों में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अक्तूबर, 1997 से 67 मिलियन अमरीकी डालर (294.93 करोड़ रुपये) की कुल लागत से भारतीय पारिविकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है:-

(1) जैवविविधता संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की क्षमता में सुधार करना और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी के लिए अवसरों में सुधार लाकर संरक्षण संबंधी कार्यों में स्थानीय लोगों की सहायता लेना।

(2) जैवविविधता पर स्थानीय लोगों के नकारात्मक प्रभाव को कम करना, और

(3) अभिनिर्धारित बाघ रिजर्वों और राष्ट्रीय अभयारण्यों में संरक्षण के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और जागरूकता, निगरानी और अनुसंधान।

(ग) यह परियोजना बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) और (ङ) भारतीय पारिविकास परियोजना के द्वितीय चरण के लिए संकल्पना दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया गया है। संकल्पना दस्तावेज में परियोजना के अंतर्गत 10 और संरक्षित क्षेत्रों को शामिल करने का सुझाव है।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत परियोजनाएँ

7610. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी बिहार में जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण बिहार में पन-बिजली विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) बिहार की कोयल-कारो जल विद्युत परियोजना (710 मे.वा.) को एक वृहद् विद्युत परियोजना के रूप में बहुराज्यीय लाभ के लिए अभिज्ञात किया गया है।

परियोजना प्रभावित लोगों के बारे में बिहार सरकार एक नई सर्वेक्षण कर रही है ताकि एनएचपीसी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार की जा सके। केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं से बिजली खरीदने के लिए इनके क्रियान्वयन के पूर्व बिजली खरीदकर्त्ताओं से प्रतिबद्धता लेना आवश्यक है। उड़ीसा व पश्चिम बंगाल ने परियोजना से बिजली खरीद नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि इसके लिए अनंतिम टैरिफ 7.13 रुपये प्रति यूनिट है, जो उन्होंने काफी महंगा माना है। बिहार ने परियोजना से उतनी बिजली खरीदने की प्रतिबद्धता दी है जितनी इसे आवश्यकता होगी तथा यह बिजली बिहार सरकार मौजूदा टैरिफ दर के अनुसार लेगा। कोयलकारों जल विद्युत परियोजना से बिजली की खरीद हेतु एनएचपीसी से कहा गया है कि वह इस क्षेत्र से बाहर के राज्यों की इच्छा/सहमति मांगे।

बिहार राज्य में निर्माणाधीन नार्थ कोयल (2×12 मे.वा.) एवं चांडिल (2×4 मे.वा.) जल विद्युत परियोजनाओं को 2001-02 में चालू किया जाना है।

बिहार में संस्थापना के लिए प्रस्तावित निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परियोजना प्राधिकरणों

एवं केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करते हुए पुन: प्रस्तुत करने हेतु लौटा दिया गया है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तिथि	वापसी की तिथि
1.	शंख चरण-2 एचईपी (186 मे.वा) (जिला गुमला)	दिसम्बर, 1997/ दिसम्बर,1999	दिसंबर, 1998/ जनवरी, 2000
2.	कथवान एचईपी (450 मे.वा.) (जिला गढ़वा एवं रोहतास)	फरवरी, 1995	मार्च, 1995
3.	कन्हर पीएसएस (300 मे.वा.) (जिला पलामू)	जनवरी, 1990/ मई, 1999	जुलाई, 1990/ जुलाई, 1999

[अनुवाद]

वन संबंधी आय और व्यय

7611. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के वन संबंधी तुलनात्मक वार्षिक आय और व्यय का विवरण क्या है;

(ख) क्या देश का वन क्षेत्र कम हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार वन संबंधी वैकल्पिक निवेश नीति पर किस तरह विचार करेगी।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) इस मंत्रालय द्वारा वनों से होने वाली आय और व्यय का वितरण संकलित नहीं किया जाता और इसका रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून 1987 से समय-समय पर देश वन संसाधनों का मूल्यांकन कर रहा है। वन स्थिति रिपोर्ट, 1987 के अनुसार देश का रिकार्ड किया गया वन क्षेत्र 7,51,846 वर्ग कि.मी. था जबकि वन स्थिति रिपोर्ट 1997 के अनुसार यह 7,65,210 वर्ग कि.मी. है। तथापि 1987 के मूल्यांकन के अनुसार देश का वन आवरण 6,49,819 वर्ग कि.मी. था, इसकी तुलना में 1997 के मूल्यांकन में यह घटकर 6,33,379 वर्ग कि.मी. रह गया है।

(ग) मंत्रालय ने वनों के सतत विकास और देश के एक तिहाई भाग को वन/वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाने के लिए अगले 20 वर्षों के लिए राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम किया है। राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम के अनुसार सभी स्रोतों से वानिकी क्षेत्र में वर्तमान निवेश 1615 करोड़ रुपये है जबकि वार्षिक औसत आवश्यकता 4669 करोड़ रुपये है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि जुटाने के लिए वैकल्पिक साधनों और कार्य पद्धति की जरूरत है।

[हिन्दी]

मोहनलाल गंज में टेलीफोन

7612. श्रीमती रीना चौधरी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में मोहनलाल गंज जिले के अंतर्गत प्रखंड-वार कौन-कौन से गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार को जिले के कुछ गांवों से टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उक्त गांवों में टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मोहनलाल गंज तहसील में इस समय टेलीफोन सुविधा वाले गांवों के ब्लॉकवार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) जी हां। प्राप्त अभ्यावेदनों के ब्यौरे और उन अभ्यावेदनों की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:-

नाम	अभ्यावेदन	स्थिति
1	2	3
श्रीमती रीना चौधरी, मोहनलालगंज से संसद रहस्य	लखनऊ तहसील के अंतर्गत गांव लोन्हा में टेलीफोन एक्सचेंज उपलब्ध कराना	टेलीफोन एक्सचेंज की योजना बना ली गई है और इसे अक्तूबर, 2000 तक चालू कर दिया जाएगा।

1	2	3
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह, प्रताप गढ़ से संसद सदस्य	माइक्रोवेव अथवा ओएफसी की स्थापना करने द्वारा सिसेन्डी एक्सचेंज का उन्नयन करना।	मार्च, 2000 के दौरान आप्टिकल फाइबर की स्थापना करके सिसेन्डी टेलीफोन एक्सचेंज का उन्नयन कर दिया गया है।
श्री बच्चा पाठक	खेडा में टेलीफोन कनेक्शन का प्रावधान करना	21.12.000 को इन्डीकेटर सं. 826211 के साथ टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है।

विवरण

मोहनलाल गंज तहसील के गोसाईंगंज विकास खंड में दूरसंचार सुविधा वाले गांवों के नाम

क्र.सं.	गांव का नाम
1	2
1.	बगौली
2.	दाखिना
3.	रसूलपुर आशिक अली
4.	फतेहपुर
5.	बाजगीहा
6.	साहजादेपुर
7.	बसतौली
8.	करसंडा
9.	सराय गुडौली
10.	चमर तोलिया
11.	कपेरा मदरपुर
12.	सोल्डू माऊ
13.	मितौली आदमपुर
14.	हसनापुर
15.	दौराबारा
16.	बौरा खुर्द
17.	पंच सारा
18.	अस्ती
19.	हररई
20.	सदरा रायपुर
21.	किओली
22.	खवस खेरा
23.	सिरौली
24.	नौबस्ता
25.	भाटवाड़ा
26.	अहमदपुर अहसनबली
27.	जहांगीरपुर
28.	अलीया माऊ
29.	दुलार माऊ
30.	सिद्ध पुरा
31.	बक्कम
32.	रहमत नगर
33.	आदमपुर नौब्स्ता
34.	बहरौली

1	2
35.	बरौनी
36.	गुस्कर
37.	जौरवंडी
38.	हरदोइआ
39.	नूरपुर बेहता
40.	चुरहिया
41.	सेवाई
42.	करोरवा
43.	चवलिया
44.	कबीरपुर
45.	काजी खेरा
46.	कासिमपुर
47.	चांदसराय
48.	बस्तिया
49.	बसराहिया
50.	बिगारिया माऊ
51.	मधूवा
52.	मलौली
53.	रतिया माऊ
54.	जरपालनगर पुरियाना
55.	रसूलपुर टिकनिया
56.	डोहरा माऊ
57.	शिवलर
58.	सदरपुर करोरा
59.	सथवाडा
60.	सालेमपुर
61.	शेखनापुर
62.	कोरयानी
63.	अमेठी
64.	बेली कलाँ

मोहनलाल गंज तहसील के मोहनलाल विकास खंड में दूरसंचार सुविधा वाले गांव

क्र.सं.	गांव का नाम
1	2
1.	बड्डी बरकत नगर
2.	कोटरा रायपुर
3.	पूरनपुर
4.	धनुआ साद
5.	भौदरी
6.	नीवन
7.	परहेता
8.	मदरपुर
9.	जेती खेरा
10.	धौरा काला
11.	रकीबाबाद
12.	महूराखुर्द
13.	कनकहा
14.	कुश मौश
15.	रघुनाथ खेड़ा
16.	सेथालीकलाँ
17.	भीलमपुर
18.	करोरा
19.	अचली खेरा
20.	कुरहा

1	2
21.	अकर हद्दू
22.	जमालपुर ददूरी
23.	महूरा कलाँ
24.	देवाती
25.	गौरिया खुर्द
26.	कबेराहा
27.	मीरापुर
28.	मीरौं पुर
29.	कमलपुर विचरिका
30.	घुरसारा
31.	लालूमार
32.	मेहनडौली
33.	बगहू खेड़ा
34.	गौतम खेड़ा
35.	मोहम्मदाबाद
36.	पारसपुर पटटहा
37.	टिकरा जुगराज
38.	घिरूरा
39.	सरथुआ
40.	उतरावन
41.	बहादेसुआ
42.	सीरस
43.	परवर पश्चिम
44.	दयालपुर
45.	उत्तरगांव
46.	देवरिया भरोसवा
47.	रति
48.	रामचुर गढ़ही

1	2
49.	लालपुर
50.	हरिहरपुर पटसा
51.	सीमरापीर पुर
52.	देही टीकर
53.	अतरौली
54.	खुजेहटा
55.	खौली
56.	गोविंदपुर
57.	गौरा
58.	जबरौला
59.	देहवा
60.	पुरसैनी
61.	बरवालिया
62.	रायभान खेड़ा
63.	धरमावत खेड़ा
64.	होलास खेड़ा
65.	कल्ली पश्चिम
66.	कल्लीपूरब
67.	परवर पश्चिम
68.	खरिका
69.	मोहारी कलां
70.	मोहारी खुर्द
71.	इन्द्रजीत खेड़ा
72.	विंदौवा
73.	भसन्धा
74.	माऊ
75.	मंगतैया
76.	अनैया खड़गपुर

1	2
77.	इसमाइलनगर
78.	कनेरी
79.	हसनपुर
80.	कांताकरोंदी
81.	अब्बास नगर
82.	चटटौनी
83.	मीराखनगर
84.	शाहमोहम्मदपुर
85.	समेसी
86.	सालेमपुर अचहाका
87.	करनपुर
88.	नटौली
89.	निगोहन
90.	पटौना
91.	पुरहिया
92.	बीरसिंहपुर
93.	बेरीसलपुर
94.	भातपुरा
95.	भाव खेड़ा
96.	मस्तीपुर
97.	रामदासपुर
98.	डिधारी
99.	सेरपुर लावल

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानियों को टेलीफोन कनेक्शन

7613. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानी टेलीफोन कनेक्शन के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी हां। स्वतंत्रता सेनानी रजिस्ट्रेशन प्रभारों तथा संस्थापना प्रभारों के भुगतान के बिना गैर-ओवाईटी-एसडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत प्राथमिकता आधार पर टेलीफोन कनेक्शन लेने के पात्र हैं। इसके अलावा उन्हें सामान्य किराया प्रभारों का केवल आधा भुगतान करना होता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जी.आई. तार

7614. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी.आई. तारों को कुछ विशेष मानदंडों के अनुसार विसंवाहित बनाने का निर्णय लिया गया था लेकिन आज की तिथि तक उस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कुल कितना घाटा हुआ; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने का प्रस्ताव हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हाँ। जहां कहीं भी जरूरत हो इंसुलेटेड जी.आई. वायर प्राप्त करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया था।

समय-समय पर जारी होने वाले आशोधनों सहित 1979 में टी एंड डी सर्किल द्वारा जारी ड्राफ्ट विनिर्देशनों तथा टी ई सी द्वारा 1994 में अंतिम विनिर्देशनों में इसे लागू किया गया था।

(ग) और (घ) विभाग को सीधे-सीधे कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि जी.आई. वायरों को केवल सुरक्षात्मक उपाय के तौर पर इंसुलेट किया जाता है। तथापि, कुछ कथित अनियमितताओं की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

रणथम्भौर बाघ परियोजना

7615. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रणथम्भौर बाघ परियोजना के क्रियान्वयन के कारण कितने गांव प्रभावित हैं और इसके साथ ही तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन किसानों को रोजगार मुहैया कराये हैं जिनकी भूमि इस प्रयोजनार्थ अधिगृहीत की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन किसानों का कब तक पुनर्वास प्रदान कराये जाने और रोजगार मुहैया कराये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) 12 गाँवों को रणथम्भौर बाघ रिजर्व से हटाकर अन्यत्र बसाया गया। अन्यत्र बसाने में 100 परिवारों का हटाया जाना शामिल है, जिनको 4.53 लाख रुपया का मुआवजा और अधिगृहीत 1812 बीघा भूमि के एवज में 2681 बीघा भूमि दी गई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ग्रामवासियों को नगद मुआवजा दिया गया। अन्यत्र बसाए गए प्रत्येक परिवार को उनकी भूमि के बराबर भूमि आबंटित करने के अलावा 5 बीघा अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई।

(घ) 12 गाँवों से संबंधित पुनर्वास कार्य पूरा हो गया है।

[अनुवाद]

बिजली उत्पादन की समीक्षा

7616. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में बिजली उत्पादन/वितरण/पारेषण की स्थिति की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) अखिल भारत स्तर पर विद्युत उत्पादन की मानीटरिंग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दैनिक आधार पर की जाती है। पिछले तीन वर्षों में महाराष्ट्र में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मिलियन यूनिट में)

क्षेत्र	विद्युत उत्पादन		
	1997-98	1998-99	1999-2000
राज्य क्षेत्र			
(क) ताप विद्युत	37932	40839	41530
(ख) जल विद्युत	3491	3704	3819
जोड़ राज्य क्षेत्र	41423	44543	45349
निजी क्षेत्र			
(क) ताप विद्युत	11194	10953	15141
(ख) जल विद्युत	1263	1307	1623
केन्द्रीय क्षेत्र			
(क) न्यूक्लीयर	2117	2294	2171

राज्य में विद्युत आपूर्ति एवं वितरण का कार्य संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आता है जो समय-समय पर वितरण एवं पारेषण समीक्षा करते हैं के.वि.प्रा. को महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड से निजी/सार्वजनिक क्षेत्र में क्रियान्वित करने हेतु मूल्यांकन के लिए पारेषण परियोजनाओं संबंधी कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि एमएसईबी अपने विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत पारेषण परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर रहा है।

किसी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति एवं अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा समय-समय पर क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों में की जाती है। किसी अति आवश्यकता मामले की समीक्षा पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के स्तर पर की जाती है जिसका महाराष्ट्र एक घटक है।

एन.ई.एल.पी. के अंतर्गत नए अन्वेषण ब्लाकों का प्रस्ताव

7617. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्रीमती श्यामा सिंह:
डा. रमेश चंद तोमर:
श्री जी.जे. जावीया:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

श्री शिवाजी माने:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री नवल किशोर राय:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जयप्रकाश:
श्री अरुण कुमार:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिकगैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई खोज और लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों को प्रदान किए गए 25 तेल ब्लाकों हेतु उत्पादन में भागीदारी संबंधी अनुबंध को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में भागीदारी संबंधी अनुबंध का ब्यौरा तथा नियम और शर्तें क्या हैं;

(ग) इससे किस सीमा तक तेल के उत्पादन में वृद्धि होगी;

(घ) सरकार का विचार तेल की खोज के प्रथम चरण के दौरान कितना खर्च करने का है;

(ङ) खोज कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(च) क्या ऐसे तेल ब्लाकों का ठेका प्रदान करने हेतु बोलियां आमंत्रित की गई थी;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) एनईएलपी के अंतर्गत किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और शेष तेल ब्लाकों को कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ज) (1) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी)-99 के तहत एवार्ड किए गए 25 अन्वेषण ब्लाकों में से, वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर 22 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं में 12 अप्रैल,2000 को हस्ताक्षर किए गए हैं। नई अन्वेषण लाइसेंस की व्यापक शर्तें विवरण में दी गई हैं।

(2) उत्पादन की सीमा के विषय में अनुमान इन ब्लाकों के अंतर्गत हाइड्रोकार्बनों की वाणिज्यिक खोज किए जाने के पश्चात ही किया जा सकता है।

(3) इन ब्लाकों के अन्वेषण में सरकार से किसी निवेश की जरूरत नहीं है। तथापि, अन्वेषण के चरण-1 के अंतर्गत एवार्ड की गई कंपनियों के द्वारा बचनबद्ध कार्यक्रम के आधार पर इन कंपनियों द्वारा लगभग 246 मिलियन अमरीकी डालर का व्यय किए जाने का अनुमान है।

(4) इन ब्लाकों में अन्वेषण कार्य, पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी ई एल) जारी किए जाने के पश्चात आरंभ किया जा सकता है।

(5) देश में अन्वेषण क्रियाकलाप, जिसमें नए आंकड़ों का अर्जन विद्यमान आकड़ों का पुनर्संसाधन/पुननिर्वचन तथा ब्लाकों का प्रस्ताव शामिल हैं, एक अनवरत एवं जारी प्रक्रिया है।

विवरण

नई अन्वेषण लाइसेंस नीति की व्यापक शर्तें निम्नवत हैं:-

- कोई हस्ताक्षर खोज अथवा उत्पादन बोनस नहीं।
- कोई अनिवार्य राज्य प्रतिभागिता नहीं।
- राष्ट्रीय तेल कंपनियों के द्वारा कोई धारित हित नहीं ।
- वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने से सात वर्षों के लिए आयकर में छूट।
- पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए अपेक्षित आयातों पर कोई सीमा शुल्क नहीं।
- 100 प्रतिशत तक बोली योग्य लागत वसूली सीमा।
- प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने से 10 वर्ष की अवधि में अन्वेषण एवं वेधन व्ययों को चुकाने के लिए विकल्प।
- संविदाकार के द्वारा प्राप्त किए गए कर-पूर्व निवेश अपवर्तन पर आधारित लाभ पेट्रोलियम की बोली योग्य हिस्सेदारी।

- जमीनी क्षेत्रों के लिए रायल्टी कच्चा तेल के लिए 12.5 प्रतिशत तथा प्राकृतिक गैस के लिए 10 प्रतिशत की दर से देय है। अपतटीय क्षेत्र के लिए यह तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए 10 प्रतिशत की दर से देय है। 400 मीटर समुद्री गहराई से अधिक गहन जल क्षेत्रों में खोजों के लिए रायल्टी वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम सात वर्षों के लिए अपतटीय क्षेत्रों के लिए लागू दर के आधे पर प्रभार्य होगी।
- संविदा के अंतर्गत राजकोषीय स्थिरता का प्रावधान।
- संविदाकार को घरेलू बाजार में तेल एवं गैस के विपणन की स्वतंत्रता।
- समनुदेशन का प्रावधान।
- सुलह एवं माध्यमस्थम् अधिनियम, 1996 लागू होगा।

शिपयार्ड में जहाजों का निर्माण

7618. श्री राम शकल: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक शिपयार्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने जहाजों का निर्माण किया गया है;

(ख) इस पर कितनी वास्तविक लागत आयी है;

(ग) प्रत्येक जहाज के संबंध में शिपयार्ड-वार लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा इन जहाजों की निर्माण लागत में कमी शिपयार्ड के आधुनिकीकरण और व्यवसायिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 में कितने जहाजों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों द्वारा निर्मित जहाजों की संख्या उनकी वास्तविक लागत और लाभ/हानि एवं वर्ष 2000-01 के दौरान निर्मित किए जाने वाले जहाजों के लक्षित संख्या और किस्म की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) उत्पादन की लागत कम करने के लिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों को आधुनिक तथा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए संघ सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) घरेलू और निर्यात आर्डरों के लिए समुद्रगामी जलयानों हेतु जहाजनिर्माण पर 30% सब्सिडी का प्रावधान।

(2) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्राधीन सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों के स्तरोन्नयन व आधुनिकीकरण तथा जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत सुविधाओं के संवर्धन के लिए योजना सहायता दी जा रही है।

(3) फालतू जनशक्ति को कम करके इष्टतम संख्या के कर्मचारियों को रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति स्कीम लागू की जा रही है।

(4) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. विशाखापत्तनम और कोचीन शिपयार्ड लि., कोचीन का पूंजीगत पुनर्गठन किया जा चुका है। हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लि., कलकत्ता के लिए अल्पकालिक पुनरुद्धार योजना कार्यान्वित की जा रही है। एच डी पी ई की दीर्घकालिक पुनरुद्धार योजना विचाराधीन है।

(5) शिपयार्ड उदारीकृत निर्यात-आयात नीति के अनुसार ओ जी एल के तहत जहाज घटकों का आयात कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त उत्पादन की लागत घटाने और यार्डों को आधुनिक बनाने के लिए शिपयार्ड निम्नलिखित उपाय भी कर रहे हैं:-

(1) मौजूदा सुविधाओं का इष्टतम उपयोग

(2) बेहतर वस्तुसूची नियंत्रण प्रणाली

(3) गुणवता नियंत्रण प्रणाली

(4) नई प्रौद्योगिकी/तकनीक शुरू करना जैसे कि

(क) जहाजों को मोड्यूलर निर्माण

(ख) कम्प्यूटर की सहायता से तैयार डिजाइन सुविधाएं

(5) संगठनात्मक ढ़ांचे का पुनर्गठन।

विवरण

क्र.सं.	शिपयार्ड का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित जहाजों की संख्या और (किस्म)	उत्पादन की वास्तविक लागत (करोड़ रुपये)	लाभ (+) हानि (-) (करोड़ रुपये)	वर्ष 2000-2001 तक निर्मित किए जाने वाले लक्षित जलयानों की संख्या और किस्म
1	2	3	4	5	6
1.	कोचीन शिपयार्ड लि., कोचीन	1 तेल टैंकर (93400 डी डब्ल्यू टी)	23.1.07	-37.85	3 टग 150 यात्रियों वाले 2 यात्री जहाज
		4 टग			
		टग बी वाई 28	17.31	+1.03	डबल हल टैंकर
		टग बी वाई	10.70	+0.345	हल।
		टग बी बाई 30	9.97	+1.03	(96000 डी
		टग बी बाई 31	9.72	+0.76	डब्ल्यू टी)
		डार्किंग पंटून-2			
		बी बाई 32	2.77	-0.31	
		बी बाई 33	3.50	-0.27	
2.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तन	बल्क कैरियर (42750 डी डब्ल्यू टी)	167.00	-102.77	बल्क कैरियर 1
		1200 यात्रियों वाला जलयान-1	239.87	-33.2	100 यात्रियों वाले जलयान-4
		टग-1 (50 बोलर्ड पुल टग	29.25	-8.73	3 टग
3.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता का राजाबागान डाकयार्ड	डम्ब बार्ज-1	3.44	-0.28	टग
		प्रदूष नियंत्रक जलयान-1	4.60	-3.05	
4.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि., कलकत्ता	7 को उत्पादन के लिए लिया गया परन्तु अभी डिलीवर नहीं किए गए	वास्तविक लागत अभी आंकी जानी है	लागू नहीं कोई भी जलयान डिलीवर नहीं किया गया	दीपघर टेंडर जलयान-1 सरफेस ड्रेजर-2 सर्वे लांच-1 टग-1

फोटो पहचान-पत्र

7619. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने में करोड़ों रुपयों की हुई धांधली की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने की सरकार की योजना असफल साबित हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने मतदाता फोटो पहचान-पत्रों की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आबंटित निधियों के कम उपयोग, भारत निर्वाचन आयोग (देखिए मार्च, 1997 के लिए उनकी रिपोर्ट की जिल्द 3 के अध्याय 4 के पैरा 4) द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के कारण कुछ राज्यों द्वारा अपरिहार्य या अधिक/परिहार्य व्यय के बारे में कतिपय संप्रेक्षण किए हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। निर्वाचन आयोग के अनुसार हरियाणा में हाल ही में हुए विधान सभा निर्वाचनों में इन फोटों पहचान-पत्रों या पहचान के अन्य विनिर्दिष्ट सबूत प्रस्तुत करना आवश्यक किया गया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। इस राज्य में, लगभग 88% मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी कर दिए गए हैं और मुख्य निर्वाचन आफिसर, हरियाणा से प्राप्त आंकड़े यह उदर्शित करते हैं कि लगभग 80 प्रतशित मतदाताओं ने मतदान के समय फोटों पहचान-पत्र पेश किए। आयोग, मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने की स्कीम की प्रगति को यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मानीटर करता है कि मतदाताओं के रूप में रजिस्ट्रीकृत सभी नागरिकों को त्रुटि रहित पहचान-पत्र जारी हो जाएं। देश के पात्र निर्वाचकों के 62% का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 38 करोड़ मतदाताओं को अब तक पहचान-पत्र दे दिये गए हैं।

पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश का प्रस्ताव

7620. श्री अजय सिंह चौटाला:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 2000 को "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पावर ग्रिड टू एन्टर टेलीकाम बिजनेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इससे पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को कितनी वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हाँ!

(ख) और (ग) सरकार द्वारा लांग डिस्टैन्स दूरसंचार क्षेत्र को खोलने विश्वस्तर पर विद्युत यूटिलिटियों का दूरसंचार क्षेत्र में सफल अनुभव ने पावर ग्रिड के लिए दूरसंचार व्यवसाय में प्रवेश पाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। पावरग्रिड के अधीन विद्युत पारेषण लाइन पूरे देश में उत्कृष्ट संयोज मुहैया कराती है जो बॉडवैंड संचार के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक ऑप्टिक फाइबर की संस्थापना में मदद करेगा।

इसमें मौजूदा विभिन्न कठिनाइयों के मद्देनजर पावरग्रिड ने विस्तारण योजना पर सलाह देने के लिए प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं को नियुक्त किया था। दूरसंचार क्षेत्र के परिदृश्य का विस्तृत विश्लेषण करने पर परामर्शदाताओं ने पाया है कि दूरसंचार क्षेत्र में पावरग्रिड का प्रवेश एक व्यावहारिक कदम होगा।

परामर्शदाताओं की रिपोर्ट के आधार पर पावरग्रिड नेशनल मांग डिस्टैन्स व्यवसाय को तैयार करने एवं इसके लिए अवसंरचना तैयार करने तथा एनएलडी व्यवसाय में ही इक्विटी शेयर भी करने पर विचार कर रहा है एनएलडी ऑपरेटर स्विचड लांक डिस्टैन्स तार तथा डाटा सेवा उपलब्धता कराएगा। पावरग्रिड द्वारा एनएलडी के नेटवर्क के प्रारंभिक अनुमान से लगभग 42,000 मिमी के ऑप्टिकल फाइबर की संस्थापना की जरूरत है जिसकी अनुमानित लागत 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। पावरग्रिड लगभग 14,000 मिमी के ऑप्टिकल फाइबर संस्थापित करने की योजना बना रहा है जो 35 बड़े शहरों को जोड़ेगा। इसमें लगभग 1300 करोड़ रुपये के परिव्यय की जरूरत होगी। पावरग्रिड ने संयुक्त उद्यम साझेदारी के चयन के लिए वैश्वीय आमंत्रण दिया है ताकि एन एनडी प्रचालन संस्थापना की जा सके और एनएलडी लाइसेंस के लिए दूरसंचार विभाग में आवेदन किया है।

[हिन्दी]

प्रतिस्पर्धा कानूनों संबंधी समिति

7621. श्री तिरूनावक्करसू: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिस्पर्धा कानूनों संबंधी एस.वी.एस. राघवन समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट को पेश करने हेतु समय बढ़ाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रिपोर्ट कब तक पेश की जाएगी?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ङ) जी, हां। श्री एस.वी.एस. राघवन की अध्यक्षता में गठित प्रतिस्पर्धा नीति तथा कानून संबंधी उच्चस्तरीय समिति को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31.5.2000 तक का समय बढ़ाया गया है। समय में वृद्धि इसलिए की गई क्योंकि समिति ने महसूस किया था कि इसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा की अवधि कम थी। समिति की रिपोर्ट अब 31.5.2000 तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

नागरिक प्रक्रिया संहिता और दंड-प्रक्रिया संहिता संबंधी विधि आयोग

7622. प्रो. रासा सिंह रावत:
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:
श्री चिंतामन वनगा:
श्री रामजी मांझी:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आम आदमी को सस्ता, तीव्र और उचित न्याय प्रदान करने के लिए समय की मांग के अनुसार सभी नागरिक प्रक्रिया संहिताओं और दंड प्रक्रिया संहिताओं में परिवर्तन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में विधि आयोग स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस आयोग के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और इसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) जन-सामान्य को कम खर्चीला, शीघ्र और उचित न्याय प्रदान करने के लिए, न्यायमूर्ति मलिमथ समिति द्वारा की गई सिफारिशों, विधि आयोगों की रिपोर्टों और अधीनस्थ विधायन (11वीं लोक सभा) संबंधी समिति की रिपोर्ट के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का 46) द्वारा संशोधित किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 1999 की धारा 7, 8 और 27 कम खर्चीला और शीघ्र विचारण करने से संबंधित हैं। उपरोक्त संशोधनों में से कोई भी संशोधन अभी तक प्रवृत्ति नहीं किया गया है।

मामलों को शीघ्र निपटाने के मद्देनजर विधि आयोग और राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के सुसंगत उपबंधों को संशोधित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 1994, 9 मई, 1994 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था। विधेयक के खंड 26, 27 और 28 मामलों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करते हैं विधेयक की गृह मामलों संबंधी संसदीय. स्थायी समिति द्वारा समीक्षा की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट की गृह मामलों में समीक्षा की गई थी और गृह मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर सरकार का विधेयक में यथासंभव शीघ्र आवश्यक सरकारी संशोधन लाने का इरादा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

रिलायंस की पन्ना-मुक्ता परियोजना

7623. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस की पन्ना-मुक्ता परियोजना का परित्याग कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बीपीसीएल की और अन्य पेट्रोलियम कंपनियों की इक्विटी को रिलायंस उद्योग में विनिवेश करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (40 प्रतिशत) एनरोन आयल एण्ड गैस कंपनी (30 प्रतिशत) तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज (30 प्रतिशत) से बना परिसंघ, जिसे उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सीज) के तहत पन्ना-मुक्ता तेल एवं गैस क्षेत्र एवार्ड किए गए हैं; इन क्षेत्रों के अंतर्गत अपने क्रियाकलाप जारी रखे हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन

7624. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग प्रतिवर्ष लगभग 7000 करोड़ रुपये के उपस्करों और भंडारों की खरीद करता रहा है। जिनमें से लगभग 230 करोड़ रुपये के उपस्कर और भंडार वह खुद की फैक्टरियों से वर्ष-वार खरीदता है?

(ख) यदि हां, तो दूरसंचार विभाग की फैक्टरियों से ही सारी खरीद न करने के कारण हैं; और

(ग) दूरसंचार विभाग की फैक्टरियों की क्षमता कितनी है और पूर्ण उत्पादन क्षमता न प्राप्त कर पाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां, 1999-2000 के दौरान विभाग द्वारा दूरसंचार फैक्टरियों का 271.61 करोड़ रुपये का कुल उत्पादन खरीदा गया है।

(ख) विभाग द्वारा कुल प्रापण में से, दूरसंचार फैक्टरियों का कुल उत्पादन 271.62 करोड़ रुपये है। दूरसंचार फैक्टरियां कम लागत वाली मदें जैसे डीपी बाक्सेज सीटी बॉक्सेज, लाइन जैक यूनिटों आदि का निर्माण कर रही हैं। यद्यपि उनका उत्पादन वर्ष-वार बढ़ रहा है, वे विभाग की सम्पूर्ण आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते हैं।

(ग) 1999-2000 के दौरान दूरसंचार फैक्टरियों की क्षमता और उपयोग संबंधी आकड़े संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं। यह देखा जा सकता है कि अधिकतम मदों के लिए पूर्ण क्षमता का उपयोग किया गया ।

विवरण

1999-2000 के दौरान दूरसंचार फैक्टरियों की क्षमता-उपयोगिता

क्र.सं.	मद का नाम	उत्पादन 1998-99	लक्ष्य 1999-2000	उत्पादन 1999-2000	क्षमता उपयोगिता का प्रतिशत	कम उत्पादन के कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	बी के टी चै. एल आर 4 डब्ल्यू	1283000	1200000	1322746	110	
2.	बुट्टेनस की टेलीफोन	4500	10000	14327	143	
3.	सीबीटी -95	6383	15000	12080	81	उत्पादन अर्हता परीक्षण में विलम्ब के कारण
4.	सी.डी. केबिनेट्स	17204	17000	20006	118	
5.	सी.टी. बॉक्सेस 100 पेयर	137020	150000	161014	107	
6.	डी.पी. बॉक्सेस	389472	450000	577674	128	
7.	लाइन जैक यूनिट	2046285	2200000	2625812	119	

1	2	3	4	5	6	7
8.	एम डी एफ	3674	5325	5195	98	
9.	मोडेम्स	550	1500	3096	206	
10.	माइक्रोवेव टावर्स (एमटी में)	6968	7600	10442	137	
11.	मास्ट्स एस.एस. 15 एम (नग)	9872	1500	5212	347	
12.	सैडल ए एंड बी	37275	800000	485000	61	
13.	सॉकिट बी	37500	30000	27500	92	बार-बार पावर फेल हो जाने के कारण उत्पादन में कमी आई।
14.	सोल प्लेट बी एंड सी	85	125000	60000	48	
15.	स्टॉक्स	682000	600000	547650	91	
16.	स्पोर्ट ब्रैकेट	1071000	1800000	1326350	74	फील्ड आवश्यकता में कमी के कारण उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।
17.	टयूब ऑफ सॉर्टस	679427	785000	1030120	131	
18.	यू-बैक	1168000	900000	1100322	122	
19.	मस्त एस एस 40 एम (डब्ल्यूबी) नग	160	150	81	54	फील्ड आवश्यकता कम होने के कारण उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए नियम

7625. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी जिले में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) क्या उक्त नियमों का देश के बहुत से क्षेत्रों में उल्लंघन हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में विभाग की ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए अपेक्षित न्यूनतम रजिस्टर्ड मांग 10 है, बशर्ते कि उस स्थान पर टेलीफोन की मांग तकनीकी/आर्थिक कारणों से एसडीसीए (कम दूरी-प्रभारण क्षेत्र) के भीतर मौजूदा एक्सचेंज से पूरी न हो सकती हो।

(ख) इस शर्त का देश में कहीं भी उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त पैरा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंगलौर और मैसूर के बीच एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण

7626. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर और मैसूर के बीच एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) परियोजना किस तारीख से शुरू की जाएगी; और

(घ) उक्त परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं। इस प्रस्ताव से केन्द्र सरकार का कोई संबंध नहीं है। यह राज्य सरकार की परियोजना है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में रिंग रोड का निर्माण

7627. डा. वी. सरोजा: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नामक्कल में बढ़ते यातायात की परेशानी को कम करने के लिए उसके आस-पास एक रिंग रोड का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कस्बे के भीतर यातायात संबंधी भीड़भाड़ कम करने के लिए नामक्कल कस्बे के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण प्रमुख रूप से राज्य सरकार/नगर निगम की जिम्मेदारी है।

पर्यावरण निधि

7628. श्री टी. एम. सेल्वागनपति:
श्री साहिब सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय पर्यावरण निधि स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र निधि के संदर्भ में राष्ट्रीय पर्यावरण निधि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उ उत्पादों पर उपकर वसूल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वनों के पुन: रोपण तथा वनों को तैयार करने हेतु कुल वित्तीय जरूरत पूरी करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण निधि की संकल्पना अपने प्रारम्भिक चरण में है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वन्यजीव अभयारण्यों के लिए निधियां

7629. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन अभयारण्यों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या वन्य जीव अभयारण्यों को दी जा रही धनराशि के समुचित उपयोग की पुनरीक्षा की गई/कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) मंत्रालय द्वारा पिछली बार संकलित की गई सूचना के अनुसार देश में 86 राष्ट्रीय उद्यान और 448 अभयारण्य हैं।

(ख) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को प्रदान की गई सहायता निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	स्कीम का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	1212.533	934.883	1298.00
2.	बाघ परियोजना	807.985	1660.875	1749.162

(ग) और (घ) "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" नामक स्कीम का आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 संगठनों द्वारा मूल्यांकन कराया गया था और यह बहुत उपयोगी पाई गई थी, अत: यह 9वीं योजना के दौरान भी जारी है।

[अनुवाद]

आर.बी.एफ निधि लिमिटेड से स्थिति रिपोर्ट

7630. **श्री किरीट सोमैया:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री राममोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी भाने:
श्री जी.जे. जावीया:
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीय:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी कानून बोर्ड (सी.एल.बी.) ने आर.बी.एफ. निधि लिमिटेड के निदेशक मंडल के अधिक्रमण के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.एल.बी. ने नए मंडल से कम्पनी के कार्यकलापों और उसके द्वारा संगृहीत जमा के भुगतान के लिए समयबद्ध योजना संबंधी स्थिति-रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सी.एल.बी. ने अन्य चूककर्ता आर.एल.बी. निधि कम्पनियों में भी ऐसा ही निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के बारे में ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) जी, हां। कम्पनी विधि बोर्ड ने दिनांक 12.1.2000 के अपने आदेश के अंतर्गत अध्यक्ष सहित सात नए निदेशकों की नियुक्ति की है जो निम्न प्रकार है:-

(1) श्री ए.एम. स्वामीनाथन, सेवानिवृत सचिव, तमिलनाडु सरकार

(2) श्री एन.आर. श्रीधरन, सेवानिवृत निदेशक, भारत सरकार

(3) श्री के.जे. पप्पाचेन, अध्यक्ष आर.बी.एफ. निधि निदेशक संघ

(4) श्री आर. देसीकन, उपभोक्ता कार्यकर्ता

(5) श्री आर. अरविन्द दातार, अधिवक्ता, मद्रास उच्च न्यायालय

(6) श्री आर. रूद्रकुमार चार्टर्ड एकाउंटेंट

(7) श्री ए. आर. राव, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। कम्पनी विधि बोर्ड ने नए निदेशक मंडल को कम्पनी के कार्यों पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं तथा जमा राशि के 31.3.2000 तक पुनर्भुतान के लिए एक समयबद्ध योजना बनाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। कम्पनी विधि बोर्ड ने दिनांक 11.4.2000 के अपने आदेश के अंतर्गत जमाराशि के पुनर्भुगतान के लिए निम्नानुसार निर्देश दिए हैं:-

(1) 2000 रुपये और इससे कम की सभी जमाराशियों का पूरा भुगतान किया जाएगा ताकि मात्र 6 करोड़ रुपये की जमाराशि का बड़ा भाग योजना से बाहर रखा जा सके। इस तरह कंपनी का कार्यभार कम हो जाएगा।

(2) अन्य सभी जमाराशियों के संबंध में 2000 रुपये की न्यूनतम राशि तक जमाराशि के 10% भुगतान किया जाएगा। इन जमाराशियों के 50% से अधिक का भुगतान नहीं होगा।

(3) जमाराशियों पर ब्याज 1.11.1999 को बन्द कर दिया जाएगा।

(4) पहला भुगतान करते समय कम्पनी 30.11.1999 को प्रत्येक जमाकर्ता के देय पूंजी का विवरण भी संलग्न करेगी तथा सी.एल.बी. के आदेश का सार भी संलग्न करेगी।

(5) चूंकि, नवम्बर, 1999 माह के लिए अधिकतर सावधिक जमा के संबंध में ब्याज का भुगतान एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कर दिया गया है अत: नवम्बर 1999 माह के लिए ब्याज का भुगतान उन सावधिक जमाराशियों के लिए किया जाए जिनके ब्याज का भुगतान नवम्बर, 1999 के लिए नहीं किया जा सका था। यह भुगतान सी.एल.बी. का आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के अन्दर किया जाना चाहिए।

(6) वृद्धावस्था जमाकर्ताओं को कुछ सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से सी.एल.बी. ने निर्देश दिया कि 75/80 वर्ष से ऊपर की आयु वाले जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गई जमाराशियों का, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, 50,000 रुपये की अधिकतम राशि तक पूरा भुगतान किया जाएगा। यदि कोई बकाया है, तो उसका पुनर्भुतान अन्य जमाकर्ताओं पर लागू शर्तों के अनुसार किया जाएगा। दिवंगत जमाकर्ताओं के संबंध में इसी तरह का मामला होगा।

(ङ) और (च) जी, हां। मै. अल्वापेट बेनिफिट फण्ड लिमिटेड के मामले में एक निधि कम्पनी जो परिपक्वता पर जाराशि का भुगतान करने की चूककर्ता है, कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी कार्य विभाग को इस कम्पनी के बोर्ड में तीन (3) निदेशक नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। अत: केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 6.9.1999 के आदेश के तहत तीन निदेशकों को नियुक्त किया है, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं:-

(1) श्री वी.आर. लक्ष्मीनारायणन

(2) श्री एच. वेंकटरमन, और

(3) श्री एस. राधाकृष्णन।

कच्चे तेल का उत्पादन

7631. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कच्चे तेल का कितना उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या यह उत्पादन स्तर देश के सभी तेल-शोधक कारखानों की आवश्यकता को पूरा कर रहा है;

(ग) यदिहां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के वर्तमान तेलशोंधक कारखानों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कच्चे तेल का आयात करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1999-2000 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 32 एम एम टी रहा है।

(ख) और (ग) जी नहीं। स्वदेशी कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी आयात से पूरी की जानी है। देश में कच्चे तेल के उत्पादन स्तर में वृद्धि करने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं:

(1) बेहतर रिजर्वायर प्रबंधन, त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षणों इनफिल वेधन, दबाव रखरखाव, कृत्रिम उठान की स्थापना/इष्टतमीकरण तथा उन्नत व लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के उपयोग तथा निकासी घटक में सुधार करने के माध्यम से विद्यमान क्षेत्रों से इष्टतम उत्पादन करना।

(2) नए खोजे गए तेल क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास।

(3) गजन अन्वेषण कार्यों के माध्यम से नए हाइड्रोकार्बन भंडार खोजना जैसे-

- वर्तमान क्षेत्रों में अधिक गहराई तक अन्वेषण।
- गहन जल तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण कार्यों का विस्तार।
- नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से अन्वेषण कार्यों में बढ़ी हुई निजी प्रतिभागिता।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे तेल का आयात 2000-2001 के दौरान लगभग 46.957 एम एम टी रहने का अनुमान है।

केरल में कच्चे तेल की खोज

7632. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "केरल हाई" में कच्चे तेल की खोज करने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) ने केरल-कोंकण अपतटीय क्षेत्र में अपने द्वारा धारित पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस में एक संरचना की पहचान की है। फिलहाल त्रिआयामी सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा इसके परिणामों के आधार पर अन्वेषणात्मक वेधन सहित आगे के कार्यक्रम पर निर्णय लिया जाएगा।

इसके अलावा, नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत 1999 में बोली के पहले दौर में केरल-कोंकण अपतटीय क्षेत्र से संबंधित चार अन्वेषण ब्लाक प्रस्तावित किये गये थे। इनमें से दो ब्लाक प्रदान कर दिए गए हैं, एक निजी संयुक्त उद्यम तथा एक ओ एन जी सी को प्रदान किया गया है तथा दोनों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर 12.4.2000 को हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

विद्युत परियोजनाओं में हिस्सा

7633. श्री पी. मोहन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में स्थापित की गयी विद्युत परियोजनाओं में केन्द्र सरकार के योगदान का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं में राज्यों का राज्यवार हिस्सा कितना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

7634. श्री राजेश वर्मा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के भीतर उत्पादन आदि की लागत के आधार पर गैस और अन्य उत्पादों के मूल्य निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मूल्यों का वास्तविक लेखा-परीक्षित अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) करों को छोड़कर इन उत्पादों की वास्तविक लागत कितनी है और इनकी वास्तविक बिक्री मूल्य कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) से इस मामले की छानबीन करने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) प्राकृतिक गैस का उपभोक्ता मूल्य उत्पादन की लागत के आधार पर नियत नहीं किया जाता है। 1 अक्तूबर, 1997 से प्राकृतिक गैस का उपभोक्ता मूल्य वर्ष 1997-98 में 55 प्रतिशत, वर्ष 1998-99 में 65 प्रतिशत, तथा वर्ष 1999-2000 में 75 प्रतिशत से बढ़ रही संबद्धता समेत भूदर्श बिन्दु पर ईंधन तेल बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से संबद्ध किए गए हैं। प्राकृतिक गैस का वर्तमान उपभोक्ता मूल्य भी ईंधन तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के 75 प्रतिशत से संबद्ध है। 2000-2002 की अवधि के लिए प्राकृतिक गैस का मूल्य पुनरीक्षाधीन है। जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों का संबंध है। सरकार ने नवंबर, 1997 में प्रशासित मूल्यनिर्धारण प्रणाली को समाप्त करने के चरणबद्ध कार्यक्रमों के ब्यौरों के विषय में निर्णय लिया था। उक्त निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित शामिल हैं:

(1) यह कि सभी (विद्यमान एवं नई) रिफाइनरियों के लिए अवधारण मूल्य निर्धारण प्रणाली समाप्त की जाएगी तथा रिफाइनरी द्वार स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्यनिर्धारण आयात समता की दिशा में अग्रेसित होगा, तथापि नियंत्रित उत्पादों अर्थात एम एस, एच एस डी, एस के ओ, एल पी जी तथा ए टी एफ के रिफाइनरी द्वारा मूल्य "समायोजित आयात समता" मूल्यों पर नियत किये जाएंगे।

(2) यह कि प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता मूल्य बाजार मूल्यों की दिशा में तथा अन्य प्रमुख उत्पादों अर्थात एलपीजी, ए टी एफ, एस के ओ तथा एम एस के मूल्य एक चरणबद्ध तरीके से आयात समता के सिद्धांत की दिशा में बढ़ेंगे तथा पैराफिन मोम, बिटुमैन,

नाफ्था, भट्टी तेल तथा एल एस एच एस का मूल्यनिर्धारण नियंत्रणमुक्त कर दिया जाएगा।

(3) यह कि मंत्रिमंडल के 1 सितंबर, 1997 के निर्णय के अनुसार डीजल का मूल्य आयात समता के सिद्धांत पर नियत होना जारी रहेगा।

इन सुधारों के संबंध में चरणबद्ध कार्यक्रम 1 अप्रैल, 1998 से आरंभ कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों तथा तेल समन्वय समिति के लेखाओं की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जांच की जाती है।

रसोई गैस डीलरों द्वारा बीमा शुल्क लगाया जाना

7635. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी, विशेषकर रोहिणी जोन में कुछ रसोई गैस एजेंसियां बिना रसीद दिये उपभोक्ताओं से प्रति कनेक्शन बीमा शुल्क के रूप में 200 रुपये वसूल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोक्ता द्वारा उक्त शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण कुछ कनेक्शन निरस्त किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं;

(घ) क्या विभाग की अनुमति के बगैर रसोई गैस डीलर कनेक्शन निरस्त करने हेतु अधिकृत हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं तो ऐसे डीलरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है;

(च) क्या उपभोक्ताओं को कम भरे हुए सिलिंडर देने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के कारण डीलरों के विरुद्ध कुछ शिकायतें लंबित पड़ी हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है/ किये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को विशेष रूप से रोहिणी अंचल सहित राजधानी में उपभोक्ताओं से कनेक्शन के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा बीमा शुल्क के रूप में 200 रुपए प्रभारित करने का कोई मामला नहीं मिला है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को रोहिणी अंचल में अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध हाल मे कोई शिकायत नहीं मिली है।

सी.ए.जी. के निष्कर्षों पर की-गई-कार्रवाई

7636. श्री रामजी मांझी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय और उनके नियंत्रणाधीन विभागों ने गत तीन वर्षों के दौरान अनियमितता के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के विभिन्न निष्कर्षों पर कोई की-गयी-कार्यवाही टिप्पण प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका कब तक उत्तर दे दिया जाएगा; और

(ग) उनके मंत्रालय में विभाग-वार आज की स्थिति के अनुसार कितनी की-गई-कार्यवाही लंबित है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विभिन्न निष्कर्षों पर कार्रवाई टिप्पणियाँ नियमित रूप से प्रस्तुत कर रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 1999 की नवीनतम रिपोर्ट के बारे में एटीएन प्रक्रिया में और उसे निश्चित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ग) एनटीपीसी से संबंधित 5 कार्रवाई टिप्पणियां नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को विधिक्षा हेतु भेजी गई हैं। 8 लेखा परीक्षा टिप्पणियों, जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 1999 की रिपोर्ट में दर्शायी गई थीं, पर कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 2 एनजेपीसी से, 1 टीएचडीसी से, 2 एनएचपीसी से, 2 एनटीपीसी से तथा 1 पीजीसीआईएल से संबंधित है।

रिलायंस पेट्रोलियम के लिए टर्मिनल शुल्क

7637. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न तेल कंपनियां रिलायंस पेट्रोलियम को टर्मिनल शुल्क का भुगतान कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिवानी कंपनी को ड्रिलिंग का प्रस्ताव

7638. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने मै. शिवानी कंपनी (एस.यू.वी.एल. रिंग) को असम राज्य के सिमेन चापोरी स्थल पर लगभग 9.00 लाख रु. प्रति दिन की दर से ड्रिलिंग कार्य का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य ड्रिलिंग कंपनियां उसी क्षेत्र में उस काम को कम दरों पर कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो मै. शिवानी कंपनी (एस.यू.वी.एल. रिंग) को इतनी ऊंची दर का प्रस्ताव देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस ड्रिलिंग स्थल के लिए कोई निविदा आमंत्रित की गई थी और यदि हां, तो निविदा भरने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या इस ड्रिलिंग स्थल के लिए कोई निविदा नहीं आमंत्रित की गई थी और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(च) उपरोक्त कंपनी को इतना अधिक भुगतान करने के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है तथा इस ड्रिलिंग कार्य से सरकार को कितनी हानि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) आयल इंडिया लिमिटेड के पास छः अन्वेषी कूपों का वेधन करने के लिए मैसर्स शिव वाणी यूनीवर्सल लिमिटेड के साथ एक संविदा है। शिव वाणी यूनीवर्सल लिमिटेड एक विद्यमान प्रचालन दिवस दर, जिसमें 6 लाख रुपए एवं 6,600 अमरीकी डालर समाविष्ट हैं, पर ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे में संभारतंत्रीय रूप से दुर्गम मैदान में अवस्थित असम के धौमाजी जिलान्तर्गत साइमेन चपोरी के 'वाइल्ड कैट' क्षेत्र में एक अन्वेषी कूप का वेधन कर रही है।

मैसर्स शिव वाणी यूनीवर्सल लिमिटेड की रिंग के अलावा असम में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे के इस अछूते क्षेत्र में या तो आयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा अथवा किसी अन्य एजेंसी के द्वारा अब तक कोई अन्वेषी वेधन प्रचालन नहीं किये गये हैं।

(घ) से (च) आयल इंडिया लिमिटेड ने साइमेन चपोरी में कूप वेधन करने के लिए शिव वाणी यूनीवर्सल लिमिटेड के साथ विद्यमान संविदा से जुड़े रहने तथा अकेले इस एक कूप हेतु नई निविदा के लिए पहल न करने के लिए निम्नांकित कारणों से निर्णय लिया था:

(1) ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे में अन्वेषी वेधन के लिए दी गई उच्च प्राथमिकता।

(2) छः अन्वेषी कूपों के वेधन के लिए मैसर्स शिव वाणी यूनीवर्सल लिमिटेड के साथ विद्यमान संविदा जिनमें से दो कूपों का वेधन होना शेष है।

(3) साइमेन चपोरी कूप मुर्कोंगसेलेक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी ई एल) क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है जो लखीमपुर पी ई एल क्षेत्र से सटा हुआ है, जहां मूलतः छः अन्वेषी कूपों का वेधन होना प्रस्तावित था, और यह कि यह दोनों पी ई एल क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर हैं।

(4) असम में दुर्गम मैदानी ऐसे एक दूर-दराज क्षेत्र में एक नई संविदा और वह भी केवल एक कूप के लिए, को अंतिम रूप देने में प्रत्याशित विलंब।

(5) वाणिज्यिक एवं प्रचालनीय पहलू अन्य उपलब्ध विकल्पों की तुलना में विद्यमान संविदा को जारी रखने के पक्षधर हैं।

मैसर्स शिव वाणी यूनीवर्सल लिमिटेड की रिंग साइमेन चपोरी कूप स्थल को पहले ही स्थानांतरित कर दी गई है तथा वेधन कार्य शीघ्र ही आरंभ होगा।

रसोई गैस के नकली सिलिंडर

7639. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मार्च, 2000 के 'द टाइम्स आफ इंडिया में "मेजर इग्नोई एज ट्रेड इन फेक गैस सिलिंडर्स फ्लरिससे' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार तथा वर्षवार रसोई गैस के कितने नकली सिलिंडर जब्त किए गए हैं; और

(ग) इसमें लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में जब्त किये गये सिलेंडरों की संख्या निम्नवत् हैं:

वर्ष	जब्त किए गए सिलेंडरों की संख्या
1997	10960
1998	9795
1999	10250

(ग) तेल उद्योग के तकनीकी दल भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार निर्माण क्रियाकलाप/गुणवत्ता की जांच करने के लिए सूचीबद्ध आपूतकर्त्ताओं के औचक निरीक्षण करते हैं और यदि निरीक्षण के दौरान तकनीकी खामियां पाई जाती हैं तो उद्योग द्वारा ऐसी इकाइयों को "आर्डर" देना निलंबित कर दिया जाता है।

एनटीपीसी का कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र

7640. डा. सी. कृष्णन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र के शुरू किये जाने के बाद से आज की तारीख तक कितनी प्रमात्रा में विद्युत उत्पादन किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संयंत्र भार क्षमता कितनी रही है;

(ग) केएसईबी द्वारा कुल उत्पादित विद्युत में से कितनी मात्रा में विद्युत प्राप्त की गई है और कितनी खपत हुई है;

(घ) केएसईबी द्वारा एनटीपीसी को भुगतान की गई प्रति इकाई शुल्क दर कितनी है;

(ङ) एनटीपीसी के एसईबी के विरुद्ध आज की तारीख कितनी बकाया देय राशि है; और

(च) एनटीपीसी द्वारा ऐसे बकाया देयराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) वर्ष 1998-99 में कायमकुलम सीसीजीपीपी में गैस टरबाइन यूनिट-1 और यूनिट-2 को चालू होने तथा वर्ष 1999-2000 में स्टीम टरबाईन-1 चालू होने के बाद संयंत्र द्वारा 9 मई, 2000 तक 1722 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया गया।

(ख) गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का प्रचालन उनकी आवश्यकता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार किया जाता है तथापि कायमकुलम सीसीपीपी में वाणिज्यिक प्रचालनाधीन यूनिटों का पीएलएफ, जैसा कि एनटीपीसी द्वारा सूचित किया गया है, निम्नवत है।

वर्ष	पीएलएफ%
1998-99	71.46%
1999-2000	55.84%
अप्रैल, 2000	77.26%

(ग) वर्तमान में कायमकुलम गैस विद्युत परियोजना से उत्पादित समग्र विद्युत की निकासी और उपयोग केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा केएसईबी और एनटीपीसी के बीच हस्ताक्षरित पीपीए की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

(घ) कायमकुलम सीसीपीपी के लिए टैरिफ का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा ईआरसी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। टैरिफ निर्धारण का मुद्दा सीईआरसी के पास लम्बित है।

(ङ) एनटीपीसी के अनुसार 31.3.2000 की स्थितिनुसार केरल राज्य विद्युत बोर्ड पर बकाया शेष धनराशि तदर्थ टैरिफ के आधार पर 182.25 करोड़ रुपये (38.16 करोड़ रुपये के अधिभार समेत बैठती है। इसके अतिरिक्त केएसईबी को सीईआरसी द्वारा निर्णीत की जाने वाली टैरिफ के आधार पर अन्तर धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा।

(च) इस मामले पर हाल ही में एनटीपीसी द्वारा केरल सरकार और केएसईबी के साथ चर्चा की गई है जिससे केएसईबी बकाया शेष धनराशि का परिसमापन करने हेतु राज्य सरकार की गारन्टी बाण्डों को जारी करने के लिए राजी हो गया।

चेन्नई पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

7641. डा. ए.डी.के. जयशीलन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने सरकार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000-2001 के लिए समझौता ज्ञापन में वास्तविक प्रचालनों, वित्तीय निष्पादन, मानव संसाधन विकास, परियोजना क्रियान्वयन, सुरक्षा और पार्यवरण जैसे विभिन्न क्रियाकलापों के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

'गेल' द्वारा सावधी जमाएं

7642. श्री शिवाजी माने: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) द्वारा राजधानी स्थित विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधी जमाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजधानी स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों से 'गेल' द्वारा लिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार राजधानी में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के द्वारा किए गए सावधि जमाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं:

बैंक का नाम	धनराशि (करोड़ रुपए)
आई सी आई सी आई	50
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	25
ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	120
यू टी आई बैंक	50
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	20

(ख) 'गेल' ने 1997-98 से 1999-2000 तक के वर्षों के दौरान बैंक आफ बड़ौदा से 540 करोड़ रुपए तथा बैंक आफ इंडिया से 150 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया है।

अपराह्न 12.01 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आज की कार्यसूची में सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 पर विचार करना और उसे पारित किया जाना सूचीबद्ध है। 16 दिसम्बर, 1999 को पुर:स्थापित किये जाने के बाद, इस विधेयक को 17 जनवरी, 2000 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। इस समिति के प्रतिवेदन को 12 मई, 2000 को सभा पटल पर रखा गया था।

आज, मुझे कुछ माननीय सदस्यों से इस विधेयक के संबंध में संशोधनों के नोटिस मिले हैं।

माननीय सदस्यों को किसी विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने के बाद किसी भी समय उसमें संशोधन का नोटिस देने का अधिकार है। तथापि, नियम 79 में यह व्यवस्था है कि जिस दिन विधेयक पर विचार किया जाना हो उसके एक दिन पूर्व तक ही संशोधन की सूचना दी जाये। इस तरह से, सामान्य परिस्थितियों के तहत, जिस दिन विधयेक पर विचार किया जाना सूचीबद्ध हो उस दिन प्राप्त संशोधनों के नोटिसों को समयारोधित माना जाता है।

तथापि, यह सच है कि माननीय सदस्यों को यह बात 13 मई, 2000 को ही मालूम हुई कि विधेयक पर विचार करना 15 मई, 2000 को सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि 13 और 14 मई को अवकाश था, इसलिए मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को संशोधन संबंधी नोटिस देने का पर्याप्त समय नहीं मिला है।

इसलिए मैंने आज अपराह्न एक बजे तक इस विधेयक से संबंधित संशोधन नोटिस देने के लिए माननीय सदस्यों को अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके बाद प्राप्त होने वाले नोटिसों को समयारोधित माना जाएगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): यह सच है कि कार्य मंत्रणा समिति में इस पर चर्चा हुई और निर्णय किया गया कि यदि स्थायी समिति का प्रतिवेदन शुक्रवार तक आ जाता है तो विधेयक को आज के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

निसन्देह, यह विधेयक सरकार की सही मंशा को दर्शाता है इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन स्थायी समिति द्वारा इस विधेयक की संवीक्षा किए जाने के उपरान्त शुक्रवार की शाम को या आज सुबह ही उसे परिचालित किया गया है। इसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता तथा दांडिक न्याय से संबधित कई अन्य मामलों से सम्बद्ध कानूनी जटिलताओं के विस्तृत खण्ड निहित हैं। अधिकतर सदस्यों जिनमें सत्ता पक्ष के सदस्य भी शामिल हैं, की इच्छा है कि हम इसके सभी खण्डों का गहराई से अध्ययन करें और इसके उद्देश्यों को समझें। इसलिए, इसे पारित करने में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और इसे दुबारा मानसून सत्र में ला सकते है। लेकिन यदि आप एक बजे से पहले संशोधन देने के लिए कहें और वह भी इसके खण्डों एवं गुण-दोषों के अध्ययन किए बिना तो यह अनर्थ ही होगा। यद्यपि, हम इस विधेयक की सही मंशा का स्वागत करते हैं, फिर भी मेरा माननीय मंत्री जी से इन मुद्दों पर विचार करने का अनुरोध है।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): मैं अपने साथी का समर्थन करना चाहूंगा। जाहिर है कि हम इस विशेष विधेयक की मंशा का समर्थन करते हैं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री या सरकार को इसे प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने इस पर चर्चा कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में पहले ही कर ली है।

श्री माधवराव सिंधिया: इस विधेयक का संबंध उन कानूनों से है जिनसे सूचना प्रौद्योगिकी के नए युग का सूत्रपात होगा। यह वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि कानून है। इससे कई कानूनी पहलू जुड़े हुए हैं। इसमें बहुत सी खामियाँ हैं। इसमें सूत्रपाती क्षेत्र भी है। यहां तक कि विधि से जुड़ा वर्ग इस खोज में लगा है कि वास्तव में विश्व में नई प्रौद्योगिकी से संबंधित क्या कानून होने चाहिए। अत: हमें इसकी गहराई में जाना होगा ताकि हम कोई गलती न कर बैठें या इसमें कोई कमी न रह जाए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से इसकी गहराई से जांच करने का अनुरोध करूंगा। .हमें इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अन्यथा हम सभी गलती कर सकते हैं जिनके लिए हम बाद में जिम्मेदार महसूस करेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैंने इस मामले पर लिखित नोटिस दिया है। मुझे बोलने की अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सरकार स्थिति स्पष्ट करने जा रही है। कृपया, बात को समझने की कोशिश करें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आरम्भ में ही मुझे स्पष्ट करने दीजिए कि हम इस विधेयक पर प्रतिष्ठा या अहम् को लेकर नहीं खड़े हैं। यह एक प्रकार की राजनीतिक चर्चा नहीं है। यह एक ऐसा विधेयक है जो इस देश में 21वीं शताब्दी का सूत्रपात करेगा। इसलिए हमें इस विधेयक का महत्व जानना होगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, मंत्री जी को अपनी बात पूरी कहने दीजिए।

श्री प्रमोद महाजन: पहली बात यह है कि इस विधेयक के मसौदे को तैयार करने में सरकार को लगभग एक वर्ष का समय लगा। इस विधेयक को 150 बार संशोधित किया गया है और वह भी उसके मसौदे की अवस्था में क्योंकि हम इस विधेयक के महत्व को तो आखिर समझते ही हैं।

मैं समझता हूँ कि इस विधेयक को पिछले वर्ष 16 दिसम्बर को संसद में पुर:स्थापित किया गया था। इस तरह से संसद सदस्यों के पास इस बारे में अपनी राय के निर्धारण के लिए यह पिछले पांच महीनों से उपलब्ध था। इसे पुर:स्थापित किये जाने के बाद, विधेयक को इन्टरनेट पर सभी संबंधितों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवा दिया गया था तथा मेरे मंत्रालय को प्राप्त होने वाले विभिन्न मतों को उस स्थायी समिति को सौंप दिया गया जिसने कि विधेयक की संवीक्षा की है। व्यक्तिगत रूप से भी मैंने इस देश के लगभग 1 हजार ठन लोगों को पत्र लिखे थे जिनका

[श्री प्रमोद महाजन]

संबंध सूचना प्रौद्योगिकी और इससे संबंधित कार्यों से है और उनसे राय ली। इन संबंधित राज्यों को भी हमने स्थायी समिति को भेज दिया था।

इन्हें विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था। मैं फिर कह रहा हूं कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से कुछ संशोधनों की सिफारिश की थी।

इसलिए, अब एक ही सही शिकायत हो सकती है कि सदस्यगण स्थायी समिति द्वारा दिये गये संशोधनों के बारे में अपनी राय नहीं बना पाए। लेकिन जहां तक इस पूरे विधेयक का संबंध है। यह सदस्यों के लिए पांच महीनों से किसी विशेष खण्ड के सही या गलत होने के बारे में उनकी राय के लिए उपलब्ध था *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): इस तरह से, भविष्य में सभी विधेयक दो महीने पहले परिचालित किये जाएंगे और इस प्रकार से उनके ऊपर कोई सभा में चर्चा नहीं की जाएगी। क्या यह आधार है? मैं माननीय मंत्रीजी से इस प्रकार की टिप्पणी की आशा नहीं करता *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, यह मेरे प्रति अन्याय है। यहां तक कि वे मुझे पूरा बोलने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: वे हमें एक घंटे के अन्दर संशोधन देने के लिए नहीं कह सकते। वे कहना चाहते हैं कि दो या तीन महीनों से विधेयक पुर:स्थापित किया गया है या यह परिचालन में है इसलिए सभा में इस पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती *...(व्यवधान)* मैं बड़े धैर्य से आपको सुन रहा हूँ *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मैं ऐसा नहीं समझता।

जहां तक संशोधनों का संबंध है, एक संशोधन के अलावा, सरकार ने स्थायी समिति के सभी संशोधनों को सर्वसम्मति से मान लिया है।

मैं, इनकी बारीकियों में नहीं जा रहा हूँ। हमने इन पर कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा की। उस समय, मैंने सदस्यों से नहीं छुपाया कि समिति की रिपोर्ट 12 तारीख को आने वाली है। कार्यमंत्रणा समिति में प्रत्येक जानता था कि रिपोर्ट 12 तारीख को आने वाली है तथा इस सभा में विधेयक 15 तारीख को आने वाला है। जब 10 तारीख को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई तो यह मंशा स्पष्ट कर दी गई थी कि समिति की रिपोर्ट 12 तारीख को आने वाली है और यदि रिपोर्ट 12 को आयेगी तो ही सभा में यह 15 तारीख को पुर:स्थापित की जायेगी।

12 तारीख को रिपोर्ट आ जाने के बाद, सरकार ने मंत्रीमंडल की बैठक बुलाई जिसमें हमने संशोधनों पर चर्चा की और उन्हें स्वीकृति प्रदान की। माननीय राष्ट्रपति जी से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गयी और आरम्भ में ही संशोधनों को सदस्यों को परिचालित किया गया। यदि आप सदस्यों द्वारा संशोधन देने के लिए उनकी पात्रता को देखो तो समय आज 3.15 तक का है। वैसे इस पर चर्चा कल ही की जाये। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। यदि माननीय सदस्यों का मानना है कि संशोधन देने के लिए 1 बजे तक का समय काफी कम है तो वे दो घंटे और ले सकते हैं।

हम 11 बजे से इस पर अनौपचारिक चर्चा करते आ रहे हैं जब हमें मालूम हुआ कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य इस विधेयक पर चर्चा करना चाहते हैं। जिस किसी सदस्य को इस विधेयक के बारे में आपत्ति थी, वह संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर रहा है। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि हमें चर्चा आरम्भ करनी चाहिए और चर्चा के दौरान यदि हम पाते हैं कि कुछ और सुधार की आवश्यकता है तो हम इसका फैसला कर सकते हैं। लेकिन कृपया, इसे स्थगित मत कीजिए, क्योंकि तीन महीने का विलम्ब सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा में एक वर्ष के विलम्ब के बराबर है, यह बहुप्रतीक्षित विधेयक है। हम चर्चा आरम्भ कर सकते हैं और चर्चा के दौरान यदि हम इस निर्णय पर आते हैं कि इसमें कुछ कमियाँ हैं तो हम उनमें सुधार कर सकते हैं या उनमें संशोधन कर सकते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, दक्षिणी-पूर्वी एशिया से आए आइ लव यू' वायरस ने पूरे विश्व में कई कम्प्यूटरों को बेकार कर दिया है और अनेक समस्याएं खड़ी कर दी हैं। क्या आपको इस विषय की जटिलताएं पता हैं? यही बात मैं पूछ रहा हूँ। यही कारण है कि मैं नहीं समझता कि यह विधेयक इन सभी मुद्दों के बारे में पर्याप्त सुरक्षोपाय करने जा रहा है। यहां तक कि कानून संबंधी वर्ग के लोग भी सुनिश्चित नहीं हैं कि वास्तव में आधार क्या है। हम जो कह रहे हैं वह यह है कि इस विधेयक पर विस्तृत रूप से चर्चा की जानी चाहिए। चाहे इस प्रकार समिति ही इसका अध्ययन कर ले।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मुझे बहुत दुख है कि इस प्रकार के विधेयक पर इस तरह का विवाद उठाया जा रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि सामान्यत: इस विधेयक के उद्देश्य अच्छे हैं। यद्यपि कुछ निश्चित खण्डों में हमारी कुछ आपत्तियां हैं, हम इसका

समर्थन कर रहे हैं। यह दलों की राजनीति का मामला नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा भाव क्यों पैदा हो रहा है। यह अर्थव्यवस्था एवं जीवन का इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए हम चाहते हैं कि जितना संभव हो सके यह विधेयक सुस्पष्ट होना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र ने 1997 में एक कानूनी नमूना तैयार किया था और इसे विश्व के सभी देशों को परिचालित किया गया था। प्रत्येक राष्ट्र इस पर कानून बनाने का प्रयास कर रहा हैं और अपनी आवश्यकताओं और नई दशाओं के अनुरूप अपने आपको ढालने की कोशिश कर रहा है, हम भी अत्यधिक उत्सुक है कि जहां तक सम्भव हो सके एक सम्पूर्ण कानून पारित किया जाये। विधेयक को पढ़ते हुए विशेषज्ञ सलाह प्राप्त किए बगैर शायद ही कोई यह समझ पाये कि यह किस से संबंधित है। नि:संदेह, स्थायी समिति को विशेषज्ञ सलाह अवश्य उपलब्ध कराई गई होगी। मुझे प्रसन्नता है कि जहाँ तक इस विधेयक का संबंध है, सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिशों पर गौर किया है। सामान्यत: हमें ऐसी अभिवृत्ति देखने को नहीं मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं। विधेयक के कुछ खण्डों से विवाद उठ खड़ा हुआ है। आये दिन अखबारों में पुलिस की शक्तियों, चोरी, साइबर कैफे इत्यादि के प्रवेश के बारे में छप रहा है। अखबारों में मैं यह भी पाता हूँ कि 'हैकिंग' के संबंध में भी विवाद है। क्या ये वे ही मामले हैं जिनको आप उसी प्रकार अंतिम रूप देते रहते हैं जिस प्रकार आप विधेयक पर चर्चा करते रहते हैं? यह हमारा दोष नहीं है। बस यह मामला इस सत्र के अवसान की पूर्व संध्या पर सामने आया है।

मुझे अफसोस है कि मैंने माननीय मंत्री महोदय को बीच में टोका। मैंने इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि यह धारणा बन गई थी कि चूँकि यह विधेयक पहले ही पाँच महीनों से परिचालन में है, अब इस पर और क्या चर्चा की जाये और यह भी कि सदस्यों को तैयार रहना चाहिए था। कम से कम जब तक कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ बैठे हैं, सरकार से हम इस रवैये की अपेक्षा नहीं करते। हम सामना करने का रवैया न अपनाएँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह अपील करूँगा कि हम जहाँ तक संभव हो एक परिपूर्ण कानून पारित करें। इन सभी कठिनाइयों से भविष्य में बचा जा सकता है। हम एक उन्नत दर्जे का कानून चाहते हैं क्योंकि भारत के पास इस क्षेत्र में प्रबल संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में प्रबल संभावनाओं वाले हमारे युवा लड़के एवं लड़कियों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े क्योंकि हम जल्दबाजी में यह कानून पारित कर रहे हैं। यही मेरा निवेदन है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आपका इसी के बारे में है या अलग से है?

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अलग से है, आपने अनुमति दी थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पहले यह पूरा हो जाने दें, बाद में बोलिएगा।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, यह कानून इलेक्ट्रानिक शासन, इलेक्ट्रानिक वाणिज्य एवं व्यापार की सुसाध्यता के लिए अभिप्रेत है। मेरे विचार से हमारे पास इस प्रकार का कानून होना चाहिए। इस मुद्दे पर कोई मत-विभाजन नहीं है। आपने माननीय सदस्य को यह कहते हुए सुना है कि हम इस प्रकार के प्रावधान संविधि-पुस्तक में चाहेंगे परन्तु इसे कुछ ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए कि इसमें कोई दोष न रह जाये। यह साधारण प्रकृति का कानून नहीं है। यह कई अन्य विधानों यथा भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और अन्यों से संबधित है। यदि हम यह कानून पारित करते हैं तो इन सभी कानूनों में संशोधन किये जाने का विचार है। इस प्रकार यह एक बड़ा ही जटिल कानून है। इसके अतिरिक्त विधेयक में ही यह प्रावधान है कि इस के पारित होने के पश्चात, बड़ी संख्या में नियम एवं विनियम बनाने होंगे और सभा में प्रस्तुत किये जाने होंगे तथा उनकी जांच के लिए सदस्यों को 30 दिन देने होंगे। सरकार इस कानून को, सदस्यों द्वारा इन नियमों एवं विनियमों की जांच किए जाने एवं उनका अनुमोदन भी कर दिए जाने के बाद ही लागू कर सकती है। स्पष्टत: सरकार सिर्फ ऐसा कानून पारित करके कोई कार्रवाई नहीं कर पायेगी। ये कानून नियमों एवं विनियमों सहित सभा के समक्ष लाने होंगे इन्हें सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और फिर कहीं जाकर इन्हें कार्यान्वित किया जा सकेगा।

इस कानून में कुछ आपत्तिजनक बातें हैं। मैं उन सभी आपत्तियों पर बात करने नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ एक मुद्दे को सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री पाटिल, इस समय नहीं।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसीलिए मैं इसे माननीय मंत्री महोदय एवं प्रधानमंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा। हम इस पर सिर्फ आपत्ति नहीं कर रहे

[श्री शिवराज वि. पाटील]

हैं। हम इस पर तब तक आपत्ति नहीं करेंगे जब तक इसमें कुछ ऐसा सुस्पष्ट न हो कि जिसका संज्ञान लिया जाये। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस कानून को, सदस्यों का उनके विचारों को व्यक्त करने हेतु पर्याप्त समय दिए बगैर पारित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ कुछ और समय की मांग कर रहे हैं। मैं सभा के ध्यान में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहता था वह यह है कि:

> "इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई दंड या शक्ति किसी अन्य दंड को लगाए जाने से रोकेगा जिसमें उससे प्रभावित व्यक्ति पर लागू किए जाने की अवधि के लिए किसी अन्य कानून के अंतर्गत प्रवृत्त है।"

श्री सोमनाथ चटर्जी यहां बैठे हैं। यह दोहरे संकट के सिद्धांत को प्रभावित कर रही है। एक ही कार्य के लिए, आप किसी व्यक्ति को दो कानूनों के अन्तर्गत दंडित कर सकते हैं। यह दोहरे संकट के सिद्धांत के विरुद्ध है। हमें यह देखना होगा कि क्या दोहरे संकट का सिद्धांत इस पर लागू होगा अथवा नहीं। इसलिए, हम माननीय अध्यक्षपीठ एवं सरकार से यह अनुरोध कर रहे हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, इसे जल्दीबाजी में पारित न करें। हमें अपने आप को कठिनाई में नहीं डालना चाहिए। यदि सरकार इसे इस सत्र में पारित भी कर देती है, तो भी वह इसे लागू करने में सक्षम नहीं हो पाएगी क्योंकि बड़ी संख्या में नियम एवं विनियम बनाने होंगे। केवल एक नियम या विनियम ही नहीं बल्कि नियमों एवं विनियमों की एक पूरी सूची है, जिन्हें बनाया जाना होगा। अत: यह अनिवार्य है कि इस पर सभा में चर्चा की जाए। चर्चा किए जाने की प्रक्रिया में हम उन क्षेत्रों को ढूंढ़ सकते हैं जहां यह आपत्तिजनक है। विशेषज्ञों द्वारा इसकी पूरी सावधानीपूर्वक जांच की जाए। हम इसे पूरी सावधानी से जांच-पड़ताल करके अगली तहकीकात में पारित करें और इसे अधिनियम का भी रूप दें। हम इसके मंसूबों अथवा कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अन्य उन उपबंधों का विरोध कर रहे हैं, जो सरकार के साथ-साथ इस देश के लिए भी उलझनें पैदा कर सकते हैं।

श्री शरद पवार (बारामती): मैं शिवराज पाटिल जी के कथनों का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। सैद्धांतिक रूप से, हम इसके विरोधी नहीं हैं। भारत जैसे देश में इस प्रकार के विधान की बहुत अधिक आवश्यकता है। एकमात्र प्रश्न यह है कि हम इस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, और कई विशेषज्ञों द्वारा कुछ गंभीर मुद्दों को उठाया गया है। दृष्टांत के रूप में, आज के समाचार पत्र में नास्सकॉम के अध्यक्ष, श्री देबांग मेहता का वक्तव्य है। उन्होंने कहा है कि इन चार क्षेत्रों में गंभीर समस्याएं हैं। वे इस विशिष्ट क्षेत्र के जाने-माने विशेषज्ञ हैं। हम इस पर कुछ संगठनों के साथ चर्चा करना और अपने विचार देना चाहेंगे। हमारा गंभीर अनुरोध यह है कि इस पर जल्दबाजी न करें। हम पूरी तरह इसके पक्ष में हैं परन्तु हम जल्दबाजी में इसका समर्थन किए जाने की मनोदशा में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, यह वाद-विवाद नहीं है। मैंने सदस्यों के विचारों को सुना है।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): महोदय, मैं एक विधिक मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: इस समय, आप प्रक्रियात्मक मुद्दा उठा सकते हैं और विधिक मुद्दा नहीं उठा सकते। आप विधिक मुद्दों को चर्चा के समय उठा सकते हैं। अब, आप केवल प्रक्रिया के संबंध में बात कर सकते हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, कोई विधेयक केवल संवैधानिक रूप से पुर:स्थापित किया जा सकता है। यह मूलभूत अधिकार एवं गोपनीयता के अधिकार का अतिक्रमण है। इसमें एक उपबंध है जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति कम्प्यूटर नेटवर्क में हस्तक्षेप करता हुआ पाया जाता है तो वह तीन साल की कैद का भागी होगा। मैं कहूँगा कि यदि कोई साफ्टवेयर अभियंता हमारी सहायता करे तो हम इस विधेयक पर वाद-विवाद कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं प्रक्रिया संबंधी विषय पर बोल रहा हूँ। मैंने आपको इसका नोटिस दिया है। महोदय, मुझे प्रक्रिया के संबंध में बोलने की अनुमति दी जाए। यह मेरा अधिकार है।

महोदय, हमारे प्रक्रिया संबंधी नियम किसी मामले को रविवार को परिचालित करने की अनुमति नहीं देते। इसे रविवार को परिचालित किया गया था और सरकार के संशोधनों को रविवार को मुद्रित किया गया था। क्या सरकार सो रही थी? वे संशोधनों को शनिवार अथवा शुक्रवार को भी परिचालित कर सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह प्रक्रिया के विरुद्ध है।

दूसरे, प्रक्रिया नियमों के नियम 80 के स्थगन हेतु नियम 388 के अंतर्गत एक प्रस्ताव भी रविवार को परिचालित किया गया था। आपने यहाँ उपलब्ध एक नियम को स्थगित करने की मांग की है। प्रस्ताव रविवार को प्रस्तुत किया गया था। नियम 80 को स्थगित

करने पर वे कैसे प्रेरित हुए? मैं इसका प्रबल विरोध करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय को इस प्रकार की अनियमित प्रक्रिया का भागीदार नहीं होना चाहिए।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी आज की आवश्यकता है और इसे संघीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा भी मान्यता दी गई है।

महोदय, यह विधेयक दिसम्बर के महीने में पुर:स्थापित किया गया था और इसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। समिति ने इस पर पांच महीने का समय लिया और विस्तृत चर्चा की। जैसा कि इस विधेयक को कुछ नये संशोधनों के साथ पुर:स्थापित किया जा रहा है, सभी विरोधी दलों द्वारा और समय पर दिए जाने की मांग की जा रही है।

श्री माधवराव सिंधिया : समिति ने केवल एक सप्ताह लिया।

श्री के. येरननायडू : महोदय, मेरा अनुरोध है कि सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक यथाशीघ्र पारित किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो हम सभा की बैठक को तीन-चार दिनों के लिए बढ़ा सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस विधेयक को विशेष सत्र में भी पारित कर सकते हैं। यदि यह सितम्बर तक स्थगित हो जाता है तो इसमें और अधिक समय लगेगा। महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक के बगैर भी सूचना उद्योग कार्य कर रहा है। इसीलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से इस विधेयक को विशेष सत्र में पारित किए जाने का अनुरोध कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं, इसलिए मैं अपनी कमजोरी को स्वीकार करता हूं। मेरा यह कहना है कि 21वीं सदी में जाने के लिए इस विधेयक को आज ही पास करना क्यों जरूरी है? ...*(व्यवधान)* महोदय, अभी जो कुछ बातें कही गई हैं कि बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी घर में जाया जा सकता है, किसी के कंप्यूटर की जांच की जा सकती है, ये हमारी मान्यताओं के विपरीत बातें हैं। इस पर जब तक विचार न हो तब तक इसे रहने दें। प्रधान मंत्री जी, आप कभी-कभी तो निर्देश अपने मित्रों को दिया करें। आज ऐसा मौका है जिसमें आप कहें कि यह बिल अगले अधिवेशन में लाने की कृपा करें।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष जी, चन्द्रशेखर जी ने विधेयक के बारे में जो कुछ कहा है और कुछ सीमा तक अपना ज्ञान भी प्रकट किया है, मैं भी उसमें भागीदार हूं। मगर यह विधेयक महत्वपूर्ण और जटिल है और इसकी एक-एक धारा को बारीकी से देखकर स्वीकृत करने की आवश्यकता है। इस पर चर्चा आरम्भ कर दें और जितना समय इस पर लेना चाहें ले सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें चर्चा शुरू करनी चाहिए। हम इस पर बाद में विचार करें।

अपराह्न 12.26 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): अध्यक्ष जी, मैं अक्तूबर, 1996 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 84वें (सामुद्रिक) सत्र में अंगीकृत कनवेंशन, नयाचार और सिफारिशों पर की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विवरण की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1933/2000]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री राम जेठमलानी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1934/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2000 का संख्यांक 1)—केन्द्रीय सरकार के लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1935/2000]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2000 का संख्यांक 7)—सेना और आयुध कारखाने।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1936/2000]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2000 का संख्यांक 8)—वायु सेना और नौसेना।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1937/2000]

(2) वर्ष 1998-99 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं (संघ सरकार) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1938/2000]

(3) वर्ष 1998-99 के लिए विनियोग लेखाओं (संघ सरकार) (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1939/2000]

(4) वर्ष 1998-99 के लिए वित्त लेखाओं (संघ सरकार) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1940/2000]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) एनर्जी मेनेजमेंट सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनर्जी मेनेजमेंट सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1941/2000]

(3) (एक) एनर्जी मेनेजमेंट सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनर्जी मेनेजमेंट सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1942/2000]

(5) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1943/2000]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 342(अ) जो 28 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मार्मुगाओ पत्तन कर्मचारी (शैक्षणिक सहायता) विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 343(अ) जो 28 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता

और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1944/2000]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्गों के किसी भाग/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित स्थायी पुल/अस्थायी पुल का उपयोग करने के लिए शुल्क की वसूली) संशोधन नियम, 2000 जो 13 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 336(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1945/2000]

(3) (एक) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1946/2000]

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सलीम अली सेन्टर फार ओर्निथोलॉजी एण्ड नेच्यूरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेन्टर फार आरनियालॉजी एण्ड नेच्यूरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1947/2000]

(3) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फोरेस्ट मेनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फोरेस्ट मेनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1948/2000]

अपराह्न 12.27 बजे

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 12 मई, 2000 को सभा में प्रस्तुत, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में दर्शायी गई अवधि के अनुसार पांच सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की है:-

(1) श्री सुनील दत्त	17 अप्रैल, 2000 से 17 मई, 2000 तक
(2) श्री सिमरनजीत सिंह मान	17 अप्रैल, 2000 से 11 मई, 2000 तक
(3) श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार	24 अप्रैल, 2000 से 17 मई, 2000 तक

(4) श्री राजेश रंजन	24 फरवरी, 2000 से 16 मार्च, 2000 तक और 17 अप्रैल, 2000 से 17 मई, 2000 तक
(5) श्रीमती निशा चौधरी	17 अप्रैल, 2000 से 17 मई, 2000 तक

क्या समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुरूप सभा अनुमति प्रदान करने हेतु सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है।

सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

अपराह्न 12.28 बजे

संचार संबंधी स्थायी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मैं संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग) से संबंधित ''आईटीआई और एचटीएल लिमिटेड के बारे में विनिवेश आयोग की सिफारिशों'' के संबंध में संचार संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन बारहवीं लोक सभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.28$^{1}/_{2}$ बजे

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती): मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय मानसून सत्र, 2000 के अंतिम दिन तक और आगे बढ़ाती है।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

''कि यह सभा केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय मानसून सत्र, 2000 के अंतिम दिन तक और आगे बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.29 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं ग्रेटर गुवाहाटी (असम) के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की अप्रयुक्त और रिक्त भूमि पर रह रहे लोगों को भूमि को पट्टा पर दिए जाने और उनके पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति के बारे में पान्डु, गुवाहाटी के श्री काली शंकर धर और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.29$^{1}/_{2}$ बजे

कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा 12 मई, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

''कि यह सभा 12 मई, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 'शून्य काल' के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करेगी। श्री मुलायम सिंह यादव।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल): अध्यक्ष महोदय, यह बात पेश करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सन् 1984 में सिखों के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं और वह कई आयोगों और जांचों के माध्यम से साबित भी हो चुकी हैं और हम इस सवाल को बार-बार सदन में और जनता के बीच भी उठा चुके हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार का रवैया और नीयत देखकर कई बार मजबूरी में यह सवाल विधान सभा में और यहां भी उठाना पड़ रहा है।

मैं आपके सामने संक्षेप में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। 1984 में सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ, उसे लेकर श्री रंगनाथ मिश्र जी की अध्यक्षता में एक आयोग बना। उसकी सिफारिशें और रिपोर्ट भी आ गई। मैं रिपोर्ट के बारे में ज्यादा कुछ न कह कर आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। वह रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में मुख्य बात यह थी कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीड़ित परिवार की लड़कियों की शादी, पढ़ाई, हर माह के रहन-सहन का खर्च, भत्ते की व्यवस्था की जाए और मृतकों के परिवार के सदस्यों के लिए दुकानें, विधवाओं के भरण-पोषण के लिए 15 हजार रुपए प्रति माह तथा एकमुश्त 50 हजार रुपए उन विधवाओं को दिए जाएं। यह रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशें थीं। मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में उस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। रिपोर्ट में यह भी बात थी कि कुछ अधिकारी इसके लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए एक जज की नियुक्ति की गई लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि इस बीच हमारी सरकार हट गई और भाजपा व बसपा सरकार द्वारा तुरन्त सारी कार्रवाई को रद्द कर दिया गया। इसके बाद मजबूर होकर जनता के हितों को देखते हुए इस मामले के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्याय मांगने के लिए जाना पड़ा। मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर आपका अधिक समय नहीं लूंगा। हाई कोर्ट का जो एक जजमैंट आया, मैं उसे पहली बार लोक सभा में इसलिए अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं जिससे अध्यक्ष जी आपको समझने में आसानी हो और आप इसे गम्भीरता से ले सकें। 11 मई के जजमैंट में लिखा है—

[अनुवाद]

> "यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है। यह आशा की जाती है कि राज्य विधिमान्य शासन का आदर करेंगे। मगर इस मामले में, विधिमान्य शासन का पालन नहीं किया गया। मामला गंभीर है। किंतु विद्वान चीफ स्टैंडिंग काऊंसिल के लगातार अनुरोध को देखते हुए हम आदेश देते हैं कि मामला 15 मई को प्रस्तुत किया जाए।
>
> इस तारीख को यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो न्यायालय मामले पर गंभीर रुख अपना लेगा।"

[हिन्दी]

अभी 11 मई, 2000 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह फैसला दिया। मुझे जानकारी मिली है कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में निर्णय नहीं लिया। हम यह बात इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि 14 दिसम्बर को दूसरा आयोग बिठाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की उसके सम्बन्ध में यह राय आई है कि आयोग पर खर्चा करने के लिए उसके पास धन नहीं है जबकि तुरन्त खर्चा केवल 13000 से 15000 रुपए का था। सरकार के पास 13 हजार से 15 हजार रुपए खर्चा करने के लिए नहीं हैं। दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने भी कोई आयोग बिठाने की बात कही है। आप इस मामले को और कितना लम्बा खींचेंगे? एक बार जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वह घटना नहीं, जुल्म और अत्याचार, हत्या, आगजनी व लूटपाट की घटना थी, उसकी याद दिलाना देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। इससे कई सम्प्रदायों में कटुता बढ़ती है। मैं इस अवसर पर अपील करना चाहता हूं कि आखिर सरकार का इस बारे में क्या रवैया है? उत्तर प्रदेश सरकार 15 हजार रुपए खर्चा नहीं कर सकती, उसके मंत्रिमंडल में 91 से लेकर 93 मंत्री हैं। अभी एक खबर छपी है कि एक माह का लगभग तीन करोड़ रुपए जेब खर्चा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का केवल जेब खर्च तीन करोड़ रुपए प्रति माह है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : चाय-पानी का कितना खर्चा है?

श्री मुलायम सिंह यादव : चाय-पानी और दूसरे खर्चे अलग हैं। ...*(व्यवधान)* चाय-पानी के अलावा और भी खर्चे हैं। क्या चार करोड़ रुपए खर्चे हो सकते हैं? पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पास 13 हजार रुपए से 15 हजार रुपए नहीं हैं। आज प्रदेश सरकार की फिजूलखर्ची इतनी है, उसके बाद भी उन सिखों के लिए अभी तक कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अब हम केन्द्र

[श्री मुलायम सिंह यादव]

सरकार की राय जानना चाहते हैं कि जब आपके पास 15-20 हजार रुपया नहीं है तो नया आयोग गठित कब होगा? उसके लिए दफ्तर नहीं है, जज की नियुक्ति नहीं की गई है। इसको 16 साल हो गए, और कितना लंबा खींचना चाहते हैं? उसके बाद जो न्यायालय ने फैसला किया है और अपना दृष्टिकोण लिया है, उस दृष्टिकोण को मानने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। इसलिए हम यहां पर सरकार की निन्दा करते हैं। केन्द्र सरकार जानते हुए भी अनदेखी करे तो यह पूरा जुल्म सिखों के साथ होगा जो वोट की राजनीति होगी। वोटों की राजनीति सिखों के साथ करते हो लेकिन उन्हीं सिखों के खिलाफ यह सरकार है। अभी तक तो हम समझते थे कि यह सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, ईसाइयों के खिलाफ है। यह सरकार अकाली दल के साथ है लेकिन सिखों के भी खिलाफ है। केवल वोट की राजनीति इनको करनी है। ये सरकार देश में नफरत फैला रहे हैं और उसी का नतीजा है कि हमारे देश में आंतरिक एकता नहीं है और पड़ोसी देश उसका फायदा उठाते हैं। हमें अपने झगड़ों को ऊपर उठ कर देश के सामने जो खतरे हैं, उनका मुकाबला करना चाहिए। सरकार के इस काम की हम निन्दा करते हैं और मांग करते हैं कि केन्द्रीय सरकार कम से कम इस पर गंभीरता से विचार करे और गंभीरता से निर्णय लेकर दंगा पीड़ितों को तत्काल मदद दें।

[अनुवाद]

श्री जे.एस. बरार (फरीदकोट): महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, चन्द्रशेखर जी भी बोलना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष जी, मुलायम सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, यह अत्यंत संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश के जिस इलाके में घटनाएं हुई थीं, वहां की पीड़ा को उस समय मैंने देखा है और लोगों के मन में बड़ा दर्द है। आज पंजाब की हालत भी बिगड़ रही है। हमारे एक मित्र ने इस बारे में पिछले दिनों एक सवाल उठाया था। सारे इलाकों में आतंकवाद बढ़ रहा है। अगर उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया और उसका पालन नहीं होता है, जैसा मुलायम सिंह जी ने अभी आपके सामने फैसले को पढ़कर सुनाया तो इस पर केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को कोई निर्देश देना चाहिए ताकि कम से कम उस निर्णय का पालन हो, अन्यथा लोगों में अविश्वास बढ़ेगा जिसका नतीजा बुरा होगा। अविश्वास का वातावरण सारे देश में फैल रहा है। इसको रोकने के लिए हम तुरन्त कोई कदम उठाएं तो ज्यादा अच्छा है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): यह बहुत गंभीर सवाल है। इस पर सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है अत: क्या सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब दिया जाएगा?

...(व्यवधान)

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): महोदय, आमतौर पर इसकी जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री पर पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप भी तो पूर्व संसदीय कार्य मंत्री हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं देख रहा हूं कि माननीय अध्यक्ष मेरी ओर बड़ी निश्चितता के साथ देख रहे थे। इसलिए मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं दोनों वरिष्ठ सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनकी भावनाओं को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा और मुझे आशा है कि वे इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 मई की रात को मध्य प्रदेश के इन्दौर शहर में तीन चर्चों में तोड़-फोड़ की गई। चर्चों में तोड़-फोड़ निन्दनीय है और हमारी पार्टी इसकी निन्दा करती है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, इस आरोप में कुछ निर्दोष लोग पकड़े गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें पांच महिलाएं हैं जिनमें से दो शिक्षिकाएं हैं जिनका चर्च में तोड़-फोड़ से कोई लेना-देना नहीं है। वे पकड़ी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, बजरंग दल, संस्कृति रक्षा मंच पर आरोप लगाया गया है। यह आरोप बिलकुल गलत है, बेबुनियाद है। सही बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो गुट हैं। गुटीय राजनीति के कारण कांग्रेस का एक गुट चाहता था कि दिनांक 12.5.2000 को कांग्रेस अध्यक्षा इन्दौर का दौरा न कर पाएं, लेकिन वहीं दूसरा गुट चाहता था कि कांग्रेस अध्यक्षा का इन्दौरा दौरा सफलतापूर्वक संपन्न हो। इसी गुटीय राजनीति के चलते कांग्रेस के लोगों ने ही इस प्रकार की घटनाएं कराईं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): महोदय, मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज सिंह के कथन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, श्रद्धा नामक एक संस्था जिसका कार्य बाल संरक्षण गृह को दिया गया था, 1995 से कार्यरत है और 1999 तक उसका पंजीकरण नहीं हुआ था। ऐसी संस्था को राजीव गांधी फाउंडेशन ने 32,56,766 रुपए अनुदान दिया। यह संस्था धर्मान्तरण के काम में लगी हुई है। फाउंडेशन द्वारा ऐसी संस्था को अनुदान देना जो पंजीकृत नहीं है और धर्मान्तरण के कार्य में लिप्त है, उचित नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज सिंह चौहान, आप यह मामला इस सदन में बहुतों बार उठा चुके हैं। कृपया बैठ जाएं। अब श्री प्रियरंजन दासमुंशी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : अपने इन्दौर दौरे के समय सोनिया जी वहां गईं। उनके सामने बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। उनको पकड़ कर उनके ऊपर चर्च जलाने का आरोप मढ़ दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना की सी.बी.आई. से जांच कराएं ताकि वास्तविक अपराधी पकड़े जाएं और वस्तुस्थिति सामने आए। मैं यह मांग भी करता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन की भी जांच कराई जाए कि किस-किस प्रकार की संस्थाओं को पैसा देती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चौहान, कृपया बैठ जाएं। आप शून्य काल में प्रतिदिन इसी प्रकार की परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): श्री चौहान, अध्यक्ष महोदय आपसे बैठने को कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चौहान, मैंने आपको यह मामला उठाने की अनुमति दे दी है। कृपया बैठ जाएं। यह कोई तरीका नहीं है। यह मामला आप कई अवसरों पर उठा चुके हैं। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): अध्यक्ष महोदय, अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश कुरुप, आप अध्यक्षपीठ को बाध्य नहीं कर सकते कि वह आपको बोलने की अनुमति दे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, पिछले लगभग 6 माह से पूरे भारत में आवश्यक दवाओं, जीवन-रक्षक दवाओं के मूल्यों और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबन्धन को लेकर अत्यधिक चिन्ता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

महोदय, हमें एक स्वयंसेवी संस्था से यह रिपोर्ट मिली थी कि बहुत से राज्यों में गुर्दा, फेफड़ा, मस्तिष्क तथा छाती से संबंधित विशेष रूप से ध्यान देने लायक बीमारियों का इलाज राज्य के अस्पतालों में नहीं किया जा सकता। परिणामत: मरीज वेल्लौर, बंगलौर तथा भारत के दूसरे भागों में जाते हैं। प्रत्येक आपरेशन एवं इलाज पर 1.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक की लागत आती है। राज्य या केन्द्र प्रशासन संबंधित संस्थाओं से बातचीत करके मूल्यों में कमी लाने के लिए कोई निगरानी नहीं करता।

दूसरे, पिछले छ: महीनों में चिकित्सकों द्वारा विहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों के जीवाणुनाशक कैप्सूलों के मूल्य में 20 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यह भी पाया गया कि पिछले लगभग एक माह से दिल्ली एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश तक में, इनमें से कुछ कैप्सूलों के मूल्य में 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यहां तक कि बैंडएड जो कि थोड़ा बहुत कटने पर लगाया जाता है के मूल्य में भी 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कच्चे माल का मूल्य 5 प्रतिशत भी नहीं बढ़ा है। परिणाम यह हुआ है कि देश में भेषज उद्योग द्वारा खुली लूट की जा रही है।

अत:, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि गरीब तथा निम्न मध्यम वर्ग के लोग प्रत्येक पखवाड़े में दवाओं के मूल्य में हुई भारी वृद्धि को सहन नहीं कर सकते। अत: भारत सरकार जिसका इस संबंध में जिम्मेदारी बनती है, को इस विषय पर एक वक्तव्य देना चाहिए कि वह किस प्रकार इन जीवनरक्षक दवाओं के मूल्यों में हो रही वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस विषय पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया है?

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस पर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी?

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी? संबंधित मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने 48 घंटे पहले सूचना दे दी थी। यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि सरकार को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। मैंने इसकी प्रति स्वास्थ्य मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री को दे दी थी। यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया है। यह मामला रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है।

...(व्यवधान)

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : वास्तव में यह अस्पतालों में जीवाणुनाशकों की उपलब्धता तथा उनके उत्पादन को उपलब्धता से संबंधित मामला है। यह जिम्मेदारी संबंधित मंत्री की होगी। मैं यह बात उनके ध्यान में लाऊंगा। मैं माननीय सदस्य के दृष्टिकोण की प्रशंसा करता हूं क्योंकि यह बात उन्होंने सदन के ध्यान में लायी क्योंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह क्या है?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मेरे पास अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों के व्यग्र टेलीफोन रोज आ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)* आप हमको बुलाते नहीं हैं। *...(व्यवधान)* हम क्या करें? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आज प्रत्येक सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा क्योंकि ये सत्र के अन्तिम दिन हैं। मैं आज सबको अवसर देना चाहता हूं। कृपया, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : श्रमिकों को महीनों तक वेतन नहीं दिया जा रहा है। हिन्दुस्तान स्टील कारपोरेशन लिमिटेड के श्रमिकों को दस माह से अधिक समय से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। आपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि एच.एस.सी.एल. के श्रमिकों ने कलकत्ता जाकर इसके कार्यालय पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने मांग की कि दस माह से देय वेतन का उन्हें तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। अन्यथा वे मुख्यालय को खाली नहीं करेंगे।

महोदय, नेशनल प्रोजेक्ट कंसट्रक्शन कारपोरेशन को त्रिपुरा तथा उत्तर-पूर्व के दूरदराज के क्षेत्रों में परियोजनायें चलाना पड़ता है। इसके श्रमिकों को 16 माह से अधिक समय से वेतन का भुगतान नहीं किया गया हैं। मेरे पास अनेक श्रमिकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वे भूख से मर गये। रिहैबिलीटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के श्रमिकों को चार माह से भी अधिक समय से वेतन नहीं मिला है। सरकार ने 'टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया' को बन्द करने का निश्चय किया है लेकिन सरकार ने एक वर्ष से भी अधिक समय से इसके कर्मचारियों तथा श्रमिकों के वेतन का भुगतान नहीं किया है। टी ट्रेडिंग कार्पोरेशन के कम से कम 5 श्रमिक भूख से मर चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे 17 से अधिक उपक्रम हैं जिन पर 10 करोड़ रुपये से ज्यादा देय है। इसके अलावा आई.डी.पी.एल., ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल., बर्नस् स्टैण्डर्ड, सीमेण्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया, एच.एम.टी., एच.ई.सी. हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, आई.एल., कोटा, जेसोप, एम.ए.एम.सी., त्रिवेनी स्ट्रक्चर्स, एन.टी.सी. की सभी इकाइयां हिंदुस्तान कापर, एन.पी.सी.सी. और सेन्ट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के ऊपर कुल देय 1684 करोड़ रुपया है।

इस वर्ष फरवरी के महीने में वेतन तथा अन्य सांविधिक देयों का भुगतान न किये जाने की समस्या का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। बहुत से सेवानिवृत्त श्रमिकों को अभी भी उनके उपदान और पेंशन का महीनों और वर्षों से भुगतान किया जाना बाकी है। मंत्रियों का समूह 9 फरवरी को बनाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यहां उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं। शायद वह उत्तर देने जा रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्रियों के इस समूह के गठन के बाद उनकी पहली बैठक 10 अप्रैल को बुलाई गई थी। मंत्रियों के समूह की बैठक केवल एक बार हुई। यह स्थिति चिन्ताजनक है। श्रमिक भूख से मर रहे हैं।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं श्रमिकों को उनका सांविधिक देय नहीं दिया जा रहा है। संसद ने मजदूरी संदाय अधिनियम पारित किया हुआ है और उसके अनुसार कर्मचारियों को उनका वेतन प्रत्येक माह दिया जाना चाहिए। भारत सरकार इस अधिनियम का उल्लंघन कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं मांग करता हूं कि श्रमिकों को उनकी देय धनराशि, वेतन, अन्य सांविधिक देय, उपदान और पेंशन का तुरन्त भुगतान किया जाए। मैं मंत्री महोदय से इस पर वक्तव्य की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

श्रम मंत्री यहां बैठे हैं। वे मिनिस्ट्री से टेकअप करके हाउस में बतायें कि उनकी तनख्वाह का भुगतान कब तक करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह किसी पार्टी विशेष का या राजनीतिक मामला नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने नहीं दिया जाता। ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश जाधव, कृपया बैठ जाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अध्यक्षपीठ की आलोचना है। मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता।

मैं अनुरोध करता हूं कि यह इतना गंभीर मामला है कि माननीय मंत्री महोदय यह ध्यान रखे कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। माननीय श्रम मंत्री अपने मंत्रालय की देखरेख करने के अलावा सारे कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनके पास शक्तियां नहीं हैं। इस संघर्ष में हम उनके साथ होंगे। उन्हें प्रयास जारी रखने चाहिए और यह देखना चाहिए कि श्रमिक जो कि मनुष्य हैं तथा भारत के नागरिक हैं, भारत सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी भी हैं। कुछ करने की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय को भारत सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों की सहायता के लिए अपने संघर्ष को वित्त मंत्री एवं प्रधान मंत्री तक ले जाना होगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, हम सुबह नौ बजे से बैठे हैं। हमको बोलने नहीं देते। ...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगे। मंत्री महोदय के कथन के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): बिहार में इतने लोगों की हत्या हुई, उसके बारे में किसी को कोई चिन्ता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसने कहा कि चिन्ता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : बिहार में 15 लोगों की हत्या हुई, उसके बारे में किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हमने नोटिस दिया हुआ है और किसी को कोई चिन्ता नहीं है। बिहार के मामले में सब चुप हो जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संवैधानिक देनदारियों के बारे में जो ध्यान दिलाया गया है, निश्चित रूप से यह हम सबकी चिन्ता का विषय है। धीरे-धीरे ऐक्यूमूलेट होते हुए, आपने जो बताया, उससे भी ज्यादा इकट्ठा हो गया है जिसे भुगतान करना है। मेरे पास 31 दिसम्बर, 1999 की 1824 करोड़ रुपये की जानकारी है जिससे भुगतान किया जाना है। किन्तु आप यह मानते होंगे कि जितनी भी सिक यूनिट्स हैं, वे बी.आई.एफ.आर. में चली गई हैं। आप जानते हैं कि सैक्शन 22 के अंतर्गत सारे भुगतान की संवैधानिक देनदारियों पर रोक लग जाती है। इन सारी परिस्थितियों के रहते हुए मंत्री परिषद के एक ग्रुप ने इस पर 10 अप्रैल को विचार किया है। हम इस महीने कुछ विचार करके, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना है, उसके सामने जो उद्देश्य हैं, उसमें देनदारियों के बारे में विचार करने का विषय भी सम्मिलित हुआ है। मैं विश्वास करता हूं कि इस बारे में सरकार शीघ्र अच्छे परिणाम लेकर सामने आयेगी। संवैधानिक देनदारियों की तरफ से जो भुगतान करने की बात है, उसका कोई उपाय निकालेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): अध्यक्ष महोदय, अंडमान निकोबार में आई.सी.डी.एस. द्वारा 429 आंगनवाड़ी केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिनमें कुल 429 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और सहायक काम कर रहे हैं। यह बहुत ही दुख की बात है कि उनका औनरेरिअम बहुत कम है। उनमें नॉन मैट्रिक पढ़े हुए व्यक्ति को हर महीने 438 रुपये और मैट्रिक पढ़े हुए व्यक्ति को 563 रुपये मिलते हैं। इससे भी बुरी हालत आंगवाड़ी हैल्पर्स की है जिन्हें केवल 260 रुपये महीने मिलते हैं। फिफ्थ पे कमीशन के बाद खासकर अंडमान निकोबार जैसे दूर-दराज के एरिया में हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं। और जो आंगनबाड़ी वर्कर्स काम कर रहे हैं यह समाज के उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों का भविष्य तैयार कर रहा है, इसलिए हर आंगनबाड़ी वर्कर महीने में कम से कम 2200 रुपये ऑनरेरियम बढ़ाया जाये, साथ-साथ हैल्पर को भी कम से कम 2000 रुपये दिया जाये, यह मैं सरकार से मांग कर रहा हूं।

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के परभनी जिले से चुनकर आता हूं। यह क्षेत्र का अत्यन्त महत्व का मामला है। मेरे क्षेत्र परभनी में एक पुराना रेडियो केन्द्र है, उसे अभी तक एक स्वतंत्र रेडियो स्टेशन स्थापित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए मैंने सरकार को चिट्ठी लिखी, सरकार ने निर्देश दिया और परभनी रेडियो केन्द्र को एक स्वतंत्र रेडियो केन्द्र घोषित किया गया। एक मई से स्वतंत्र रेडियो केन्द्र स्थापित होने वाला था, लेकिन लोगों ने स्टे ले लिया।

मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि परभनी जिले के रेडियो केन्द्र को स्वतंत्र करने हेतु आप सरकार को निर्देश दें कि हमारे रेडियो केन्द्र को स्वतंत्र नलफ्लेन्ड रेडियो केन्द्र घोषित कर दें। मुम्बई, पुणे, शोलापुर केन्द्र अलग हो गये, महाराष्ट्र के सारे रेडियो केन्द्रों को स्वतंत्र दर्जा अब तक मिल गया है, लेकिन हमारा परभनी ही एक रेडियो केन्द्र है, जिसको अभी तक स्वतंत्र दर्जा नहीं दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश रामराव जाधव, हमने पहले ही वित्त विधेयक और बजट पारित कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : मैं आपके माध्यम से सरकार से इतनी ही विनती करना चाहता हूं कि हमारे परभनी रेडियो केन्द्र को स्वतंत्र दर्जा दिया जाये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज सबको बुलाएंगे।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मथुरा रिफाइनरी में जितने पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनकी बड़े पैमाने पर चोरी होती है। तीन मई को मथुरा के निकट फरह गांव और वहां से नौ किलोमीटर दूर एक बेरी गांव है। एक पैट्रोलियम प्रोडक्ट नेफ्था आता है, यह अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है और

लोग मिट्टी के तेल में नेफ्था को मिलाकर, एक केमीकल और डालकर पैट्रोल बनाकर उसको बेचते हैं। जिसके पास पेटी डीजल का लाइसेंस था, वह दलित था, लेकिन इस काम को दूसरे ही लोग कर रहे थे। 400 लीटर का उसके पास लाइसेंस था, लेकिन जब यह विस्फोट हुआ, उस समय 3800 लीटर तेल था, जिसमें छः ड्रम नेफ्था के थे। यह नेफ्था फटा, जिसमें अभी तक 50 लोगों की मौत हो गई है और 150 लोग आगरा, मथुरा और दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। रिफाइनरी से बड़े पैमाने पर पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की चोरी हो रही है। उत्तर प्रदेश के सत्तारूढ़ दल के लोग मिट्टी के तेल में नेफ्था मिलाकर बड़े पैमाने पर घपला करने का काम कर रहे हैं। यह काम सरकारी संरक्षण में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इमदाद के लिए जो कमिटमेंट किया था और सूबे के वजीर लोग जो वहां पहुंचे थे, न तो लोगों की चिकित्सा का समुचित इन्तजाम हुआ है, न मुआवजा मिला है। मुआवजे के नाम पर कहीं 25,000 रुपये और कहीं 50,000 रुपये लोगों को दिये गये हैं। एक ही परिवार के 4-4, 5-5, 6-6 लोग मारे गये हैं। एक व्यक्ति को कम से कम दो लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, यह एक गम्भीर सवाल है और इसमें सी.बी.आई. की जांच होनी चाहिए कि कौन इस घपले में शामिल हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : 'जीरो ऑवर' में भाषण नहीं देना है।

डा. संजय पासवान (नवादा): अध्यक्ष जी, 12 तारीख के सवेरे बिहार में लखीसराय जिले में हसनपुर बालूघाट के पास जो 15 दलित मजदूरों की हत्या हुई है, यह घोर चिन्ता की बात है, शर्म की बात है।

अपराह्न 1.00 बजे

खासकर यह समय ऐसा है, जब वहां के राजद के नेता लालू प्रसाद जी जेल से बाहर आए, वे जब भी जेल से बाहर आए, दलित मजदूरों की हत्या हुई। यह एक निन्दनीय और चिंता की बात है *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उनको जमानत मिली है।

डा. संजय पासवान : यह कोर्ट का विषय है। वे जेल से बाहर हुए और दलितों की हत्या हुई, ऐसा क्यों हुआ *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह स्टेट सब्जेक्ट है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सिवाय श्री संजय पासवान के भाषण के कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान : तीन महीने से, जब से वहां राबड़ी देवी मुख्य मंत्री बनी हैं, तब से दलित मजदूर असुरक्षित हैं, सौ से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। यह बहुत गम्भीर बात है और ध्यान देने की बात है कि इतनी हत्याएं हो रही हैं। यह समाज बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहा है। इतना ही नहीं जो यह घटना घटी *...(व्यवधान)* वहां इनकी सरकार है, इनका एस.पी. है, इनका कलेक्टर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. पासवान, ये राज्य से संबंधित मामले हैं। आप रोजाना सभा में इस पर चर्चा करते हैं। आप राज्य से संबंधित मामलों पर यहां हमेशा चर्चा कैसे कर सकते हैं? डा. वी. सरोजा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान : वहां एफ.आई.आर. दाखिल हुई। उसमें स्थानीय विधायक और उसके भाई को इन्वाल्व किया गया है। हम मांग करते हैं कि इस गहन विषय पर चर्चा होनी चाहिए और वहां की सरकार जो गरीब विरोधी सरकार है, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार से अपील करती हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. वी. सरोजा के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, कृपया मुझे भी मौका दीजिए। यह अति महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप भी इसमें भाग ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में राज्य से संबंधित मामलों पर हमेशा चर्चा कैसे कर सकते हैं? आप अन्य सदस्यों के लिए व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। यह उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, हालांकि यह राज्य का मामला है, मैंने डा. पासवान को अनुमति दी है। आप सभा में व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. वी. सरोजा के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

डा. वी. सरोजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूं कि सलेम से नामक्कल और मोहानूर होते हुए करूर तक चार लेन की सड़क को मंजूरी दे। वर्ष 1999 में 1,250 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिसमें 300 लोगों की जानें गईं। इस संवेदनशील मामले को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस वर्ष पूर्ण सुसज्जित रक्त बैंक सहित दुर्घटना और आपाकालीन कक्ष की स्थापना का प्रस्ताव किया था। मैं भारत सरकार से यह अपील करती हूं कि भूतल परिवहन मंत्रालय के पास लंबित पड़ी 360 करोड़ रुपये की इस परियोजना को मंजूरी दे। मैं यह भी निवेदन करती हूं कि महोनपुर-रासीपुरम-नामाक्कल क्षेत्र में अस्पताल बनाया जाए। धन्यवाद महोदय।

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूरदर्शन के साथ मिलियनों डालर की धोखाधड़ी से संबंधित राष्ट्रीय महत्व के मामले को उठाना चाहती हूं।

मैं ढाका में हुई नॉक-आउट टूर्नामेंट में आई.सी.सी. के प्रसारण अधिकार पर हुई संशयास्पद समझौते की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जिसमें दूरदर्शन को 4 मिलियन डालर का नुकसान उठाना पड़ा।

मैं मांग करता हूँ कि 'स्पोर्ट्स कन्सोरटियम' के कार्यकरण के संबंध में श्री अरुण अग्रवाल द्वारा प्रसार भारती बोर्ड को सौंपी गई रिपोर्ट का अध्ययन किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाएं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, श्री जगमोहन डालमिया और 'वर्ल्ड टेल' के मार्क मस्कारेन्हास ने मूल समझौते को रद्द कराने में प्रमुख भूमिका निभाई है और इस प्रकार देश को 4 मिलियन डालर का नुकसान हुआ था।

शायद यह इस बड़े घोटाले का मात्र एक हिस्सा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूँ कि इस मामले की पूरी जाँच कराई जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही अहम मामले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अभी हाल ही में कश्मीर के अंदर सरकार ने देश में बगैर कोई वजह बताये कुछ एक्सट्रीमिस्ट्स को छोड़ा है और उन्होंने जेल से निकलते ही पहला बयान यह दिया है कि हमने सरकार से न तो यह रिक्वेस्ट की थी कि हमें छोड़ा जाये और न हम बगैर पाकिस्तान के कश्मीर की कोई बात करने वाले हैं। सारे अखबारों के अंदर छपा है और उनमें से एक नेता ने कहा है:—

[अनुवाद]

> "मैंने श्री आडवाणी के वक्तव्य को पढ़ा है, उन्होंने ने भी वही बात कही है, वे चाहते हैं कि बातचीत संविधान के दायरे में हो। हम इस शर्त को नहीं मान सकते। यदि सरकार इस शर्त पर अड़ी रहती है तो कोई बातचीत नहीं हो सकती है।"

[हिन्दी]

इसके साथ-साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को ट्रिपारटाइट बात करनी पड़ेगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और डिमाण्ड करता हूं कि क्या पिछले साल से जिस पार्टी की सरकार इस देश के अंदर हंगामा करती थी कि 370 को खत्म कर देंगे, पाकिस्तान को अगर इस सरकार ने बातचीत में शामिल किया तो हम पूरी ताकत के साथ इसकी मुखालफत करेंगे। कश्मीर इस देश का अटूट हिस्सा है और इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि यह सरकार पूरे देश को मिसलीड करे। मैं मुतालबा करता हूं कि सरकार वाजह करे और इस हाउस के अंदर पूरे देश को बताये कि सरकार की क्या नीति है। एक्सट्रीमिस्ट्स को क्यों छोड़ा गया?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उनके रोज बयानात आ रहे हैं। उन बयानातों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार अभी हाउस के अंदर बताये कि इस बारे में इनकी क्या पालिसी है। ...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए. ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अलवी, अन्य सदस्यों को भी बोलना है। कृपया इसे समझिए। आप अन्य सदस्यों की आतुरता भी देख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: शून्य काल केवल मामले की महत्ता के उल्लेख के लिए है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: पूरे देश की सिक्योरिटी का सवाल है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हैं, इनसे कहिए कि हाउस के अंदर इसका जवाब दें कि सरकार की क्या पॉलिसी है। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह: माहौल सुधरने लगता है तो इनको तकलीफ शुरू हो जाती है। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: हमें तकलीफ होती है। हम कश्मीर को मुद्दा नहीं बनाने देंगे। ...*(व्यवधान)* कश्मीर इस देश का अटूट हिस्सा है. ...*(व्यवधान)* पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से कहा जाये कि वह इसका जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सालखन मुर्मू बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मुर्मू के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज): मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली प्रदेश में देश के विभिन्न प्रदेशों से आये हुए जो आदिवासी हैं, एस.सी.एस.टी. हैं, उनको दिल्ली प्रदेश की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। एस.टी. के रूप में उनको जो सुविधायें मिलनी चाहिए, दिल्ली प्रदेश में ये सुविधायें बिल्कुल नहीं मिलती। अब दूसरा षडयंत्र होने वाला है और जो मुझे जानकारी मिली है कि जो जनगणना होने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है और जो इन्युमिरेटर्स हैं, उनको ट्रेनिंग के दौरान बताया जा रहा है कि जो एस.सी.एस.टी. के कॉलम्स बनते हैं और दिल्ली में बसने वाले जो आदिवासी हैं, एस.सी.एस.टी. हैं, उनको एस.टी. कॉलम में न रखा जाये, एनी-अदर में रखा जाये ताकि दिल्ली में जो जनगणना होगी, उसमें आदिवासियों की संख्या न दिखायी जाये, यह गंभीर मामला है। एस.सी., एस.टी. के अधिकार का मामला है, संवैधानिक अधिकार का मामला है। दिल्ली में विभिन्न राज्यों से आये हुए आदिवासी भाइयों को कोई सुविधा नहीं मिलती है और यदि अभी ऐसे षडयंत्र के तहत आदिवासियों की संख्या नगण्य दिखायी जायेगी तो यह आपत्तिजनक बात है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, केरल की उर्वरक और रसायन ट्रेवनकोर लिमिटेड संकटग्रस्त है। यह देश का सबसे पुराना सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। यह पिछले साल तक घाटे में चल रहा था। अब, सरकार ने इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को निजी क्षेत्र को सौंपने का फैसला कर लिया है। यह भारत में उर्वरक का सर्वाधिक उत्पादन करती थी। इस उपक्रम में करीब 8,000 कर्मचारियों को रोजगार प्राप्त हैं। सभी हड़ताल पर हैं और सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम के सभी कामकाज ठप्प है। इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और देखें कि यह उपक्रम पहले जैसे ही मुनाफा कमाए।

हाल ही में, उन्होंने एक नए अमोनिया संयंत्र का निर्माण किया है, जो इस घाटे की जड़ है, यदि सरकार ठीक समय पर हस्तक्षेप करती तो इस मामले को सुलझाया जा सकता था और सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम मुनाफे के आधार पर चलाया जा सकता है। मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूँ कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए यह सुनिश्चित करे कि 'फैक्ट' को मुनाफे पर चलाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): महोदय, मैं आपके माध्यम से हिन्दुस्तान की हुकूमत की तवज्जह पाकिस्तान की तरफ से जम्मू-कश्मीर में जारी लगातार फायरिंग की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले दस दिनों से कश्मीर के कुपवारा और बारामूला जिलों में पाकिस्तान मुसलसल गोलाबारी करता आ रहा है। इसका नतीजा यह है कि वहां दस सिविलियन्स मर गए हैं और जायदाद का नुकसान हुआ है। दर्जनों गांवों के लोगों ने हिजरत की और मुखतलिफ इलाकों में जा रहे हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी रेंजर निहत्थे शहरियों पर बराबर फायरिंग कर रहे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि वे लोग न फसल काट सकते हैं और न नई फसल लगा सकते हैं। आज के अखबारों में आया है कि बड़गांव के पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान ने कुछ शिविर बनाए हैं, जहां हैलीकाप्टर से फौजें उतारी गई हैं। वहां 8 मिलिटेंट मारे गए हैं। मैं हुकूमते हिन्दुस्तान से जानना चाहता हूं, सिविलियन प्रापर्टी और सिविलियन्स को बचाने के लिए तथा रियासत जम्मू-कश्मीर की इन्टेग्रिटी को कायम रखने के लिए क्या इन्तजामात करने जा रहे हैं?

दूसरी बात, सिक्योरिटी फोर्सेस के अन्दर कुछ ऐसे एलीमेंट्स भी हैं, जो फेक एन्काउन्टर्स दिखा रहे हैं तथा रेप व किडनैपिंग कर रहे हैं। इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए और भारत सरकार को पूरी तवज्जह देनी चाहिए।

جناب علی محمد نائک (اننت ناگ): [illegible]

डा. **रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली): महोदय, देश भर में कानून बना हुआ है कि आयोडीन युक्त नमक ही खरीदा जाए। आयोडीन युक्त नमक की कीमत 6 रुपए प्रति किलो है और साधारण नमक की कीमत एक रुपया प्रति किलो है। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी को साधारण नमक के मुकाबले में आयोडीन नमक की कीमत पांच रुपए प्रति किलो अधिक देनी पड़ती है। वह जबरन आयोडीन नमक खाता है, जबकि उसको आयोडीन की जरूरत नहीं है और आयोडीन की अधिकता से नुकसान पहुंचता है। इस संबंध में सर्वोदय कार्यकर्त्ता प्रधान मंत्री जी से मिले थे। प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि तीन महीने के अन्दर इस कानून को खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि देश भर में साधारण नमक भी मिले और आयोडीन युक्त नमक भी मिले व जैसा लोग पसन्द करें वैसा नमक खरीदकर खायें। कानून खत्म न होने की स्थिति में लोगों को जबरन आयोडीन युक्त नमक खरीदना पड़ता है, जिससे 25 अरब रुपए का बोझ गरीबों पर पड़ रहा है। प्रधान मंत्री जी के हुक्म के बाद भी तीन महीने के अन्दर वह कानून समाप्त नहीं हुआ है। इससे लगता है कि आयोडीन नमक बनाने वाली लाबी काफी मजबूत है। रुपए-पैसे में ताकत होती है। रुपए-पैसे के बल पर प्रधान मंत्री का आदेश भी लागू नहीं हो रहा है। मैं मांग करता हूं कि इस कानून को समाप्त किया जाए और बाजार में साधारण नमक तथा आयोडीन नमक दोनों मिलने चाहिए, जिससे गरीब पर जो बोझ पड़ रहा है, उससे उसको राहत मिल सके।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। पिछले दिनों सीबीआई ने दिल्ली के एक बहुत बड़े अधिकारी के यहां छापा मारकर दो करोड़ रुपए से अधिक का धन, जिसमें फ्लैट्स, मकान और आभूषण आदि मिले हैं।

अपराह्न 1.15 बजे

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए]*

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज राजनेता तो बदनाम हैं, किन्तु आज तक कितने नौकरशाहों और ब्यूरोक्रेट्स के यहां जांच की गई है या रेड की गई है और वहां लाखों-करोड़ों का सामान मिला है। ...*(व्यवधान)* मेरा यह कहना है कि जो नौकरशाह और ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी लोग महत्वपूर्ण पदों के ऊपर हैं, इनकी जिस समय नियुक्तियां होती हैं या वे ज्वाइन करते हैं उस समय इन्हें अपनी सम्पत्ति डिक्लेयर करने के लिए कहना चाहिए। माननीय विट्ठल साहब ने लिस्ट दी है। हम देखते हैं कि बड़े-बड़े आफिसर बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं, करोड़ों के घपले पाए गए हैं और उनके खिलाफ बड़ी-बड़ी जांच चल रही है। उसके बाद भी वे अपने पद पर बैठे हुए काम कर रहे हैं, जब कि एक इलैक्टेड व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए तो उसे अगली बार जनता अनिर्वाचित कर देती है, हटा देती है। इसलिए मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि देश में जो विभिन्न विभागों, अफसरशाहों के अंदर भ्रष्टाचार है, उसकी जांच के लिए सरकार को कोई बिल लाना चाहिए, प्रावधान करना चाहिए ताकि इस भ्रष्टाचार को रोका जा सके, ये सारे सदन की मान्यता है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी आप बैठिए। हम सबको बुलाएंगे, एक भी आदमी नहीं छूटेगा।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, जिला नासिक, तहसील कलवण में लड़कियों का छात्रावास है। ये छात्रवास ईसाई चलाते हैं। यहां नौ तारीख को मेला था। वहां बजरंग दल के लोग आए और उन्होंने मेले पर हमला किया। उन्होंने दो-तीन वाहनों की तोड़-फोड़ की और दो आदमियों को घायल कर दिया। वहां पुलिस ने हस्तक्षेप किया। वहां एक जगह पिक्चर हो रही थी, वहां भी तोड़-फोड़ की।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि भविष्य में इस तरह धर्म के नाम पर झगड़े न हों। *...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: महोदय, यह गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)* बजरंग दल पर बैन लगाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आठवले जी, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): सभापति महोदय, मैं ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं, जो पूरे हाउस के सभी सदस्यों से संबधित है। भारत सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं, जिस पर विकास के लिए धन जिलों में जाता है, लेकिन किसी भी संसद सदस्य से उस पर कोई राय नहीं ली जा रही है। जैसे सुनिश्चित रोजगार योजना है, यहां से एक बार निर्देश भी गया था, लेकिन किसी भी लोक सभा या राज्यसभा के सदस्य से इस संबंध में कोई राय नहीं ली जा रही और यह जिला पंचायत, क्षेत्र विधायक को सौंपा जा रहा है।

महोदय, पेयजल की समस्या के लिए भारत सरकार से राज्य मिशन के कार्यक्रम के तहत पैसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 50-50 हैंड पम्प सारे विधायकों को दे दिए हैं—चाहे एमएलसी हो या एमएलए हो, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों को एक भी हैंड पंप नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार से जो पैसा पेयजल की समस्या पर जा रहा है *...(व्यवधान)* महोदय, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, आप मांग कर दीजिए।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: महोदय, मेरी बात पूरी होने दीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं दोहरा नहीं रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने पीने के पानी का सवाल उठा दिया।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हमारे दो माननीय सदस्य चिन्मयानंद जी और भूषण सिंह जी यहां बैठे हैं। पूर्वांचल निधि में दो साल पहले संसद सदस्यों की सहमति से खर्चा होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान सभा के 23 सदस्यों को पूर्वांचल निधि में कर दिया और हम लोगों के नाम काट दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी, किसी भी दल का सदस्य हो, वह पूर्वांचल निधि में पैसा नहीं दे सकता है। *...(व्यवधान)* इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि यह जो पैसा जा रहा है, उस पर हम लोगों का हस्तक्षेप होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): माननीय सभापति महोदय, मैं इस सार्वजनिक महत्व के मामले को उठाते हुए सरकार से अनुरोध करता हूँ कि तमिलनाडु की लंबित रेल परियोजनाओं को मंजूरी दें। पिछले सप्ताह तमिल दैनिक दिनामलार में एक लेख छपा था जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु के संसद सदस्यों ने सभा में तमिलनाडु की लंबित पड़ी इस रेल परियोजना को पारित करने की मांग नहीं उठाई है। हम तमिलनाडु के संसद सदस्य समस्याओं को सभा में नियमित रूप से उठाते हैं। फिर भी, इस भाषाई पत्र ने यह दर्शाया है कि जैसे कि हमें अपनी चिंताओं को इस सभा में उठाया है। इस लेख में यह भी कहा गया कि जब केरल के संसद सदस्य रेल मंत्री से मिले तो वह अपने राज्य की परियोजनाओं को पारित करवाने में सफल रहे।

भारत सरकार ने मीटर-गेज कोचों के और इंजनों के निर्माण का कार्य बंद कर दिया है जिसके कारण वह मीटर-गेज लाइन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आमान परिवर्तन आवश्यंभावी है और यह समय की मांग है। इसी प्रकार, कई रास्तों पर दोहरी लाइनों की आवश्यकता है। चेन्नई से तांबरम की दूरी केवल 27 कि.मी. है। त्रिरुचेन्दुर से नेल्लई की दूरी 65 कि.मी. है। नेल्लई से तेनकासी की दूरी केवल 73 कि.मी. है। तेनजई से नागौर की दूरी 86 कि.मी. है। केवल 251 कि.मी. की कुल दूरी को बदलने की आवश्यकता है।

तत्पश्चात तन्जाई से कोलम तक की दूरी मात्र 225 कि.मी. है इस पूरे मार्ग को परिवर्तित किया जाना चाहिए। यह बात इस मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए है।

सभापति महोदय, क्या आप मुझे इस बात की अनुमति देंगे कि इस दस्तावेज* को कार्यवाही सारांश में शामिल किया जाए ताकि इस मामले को क्षेत्रीय भाषा के दैनिक पत्र के साथ उठाया जा सके। तमिलनाडु के संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यह दैनिक पत्र पूरे तमिलनाडु में बिकता है और इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु के संसद सदस्यों ने इस मामले पर अपनी चिन्ता नहीं जताई है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह तमिलनाडु की लंबित परियोजनाओं को मंजूरी दें। जब सरकार द्वारा परियोजनाओं की घोषणा नहीं की गई थी तो अखिल भारतीय अन्ना डी.एम.के. के महासचिव ने विरोध किया था।

---

*सभा पटल पर रखे गये पत्र की तरह नहीं माना गया।

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): महोदय, हाल ही में असम के एक प्रमुख शहर डिब्रूगढ़ में हुई घटनाएं भयावह और चौंकाने वाली है। 4 मई को शिवधारी लाल पासवान और उनके दस वर्षीय पुत्र को अज्ञात बन्दूकधारियों ने अगवा कर लिया। 7 मई को उनकी सिर कटी लाशें ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रेत में पाई गई। उसी दिन डिब्रूगढ़ के नागरिकों ने इस वीभत्स हत्याओं और सरकार के लापरवाह और निठल्लेपन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शवयात्रा निकाली। आश्चर्य की बात यह है कि इस यात्रा को पुलिस द्वारा रोका गया। उन्होंने शान्त भीड़ पर लाठियां बरसाई गई और गोलियां चलाई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और दस व्यक्ति घायल हो गए। असम में बेकसूर लोगों का अपहरण करने और अज्ञात बन्दूकधारियों द्वारा हत्या की जाने जैसी घटनाएं आम बात है। यदि ऐसे अनियंत्रित मानवाधिकार अतिक्रमण बेरोकटोक जारी रहता है तो हमें भय है कि आतंकवाद के मुद्दे को सुलझाने में लोगों की सहायता प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। अत: मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह असम में कानून और व्यवस्था के विफल होने को ध्यान में रखते हुए विशेषकर जहां सरकार नागरिकों के जानमाल की रक्षा करने में विफल रही है तुरन्त उचित कदम उठाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय से अपील करता हूं कि वह न केवल डिब्रूगढ़ में बल्कि पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए संसद का एक जांच दल वहां भेजे।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, मैं स्वयं को इस मुद्दे पर माननीय सदस्य के विचारों से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़): मैं स्वयं को माननीय सदस्य से सम्बद्ध करता हूँ और मांग करता हूँ कि माननीय गृह मंत्री को उपयुक्त एजेन्सियों के मार्फत मामले की जांच करानी चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: ठीक है, आपने भी समर्थन किया है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोल इंडिया जो भारत सरकार की कंपनी है और उसकी सब्सिडियरी कंपनी सेन्ट्रल कोल फील्ड लि. के बारे में सवाल उठाता आ रहा हूं। वहां पर ओवर-बर्डन और कोयला दोनों में घपला किया जा रहा है और वहां पर जो अधिकारीवृंद हैं उनको इसके बारे में भलीभांति जानकारी है। कोकिंग कोल को नॉन कोकिंग कोल करके घपला हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इसकी सीबीआई द्वारा जांच कराई जाये। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): सभापति महोदय, मैं रेलवे हाकरों से संबधित मामले को उठाना चाहता हूं। 10 लाख से अधिक गरीब लोग और हाकर घूम-घूमकर सामान बेचकर अपनी जीविका कमाते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश चूंकि उन्हें कोई पहचान-पत्र नहीं दिये गये हैं वे पुलिस की ज्यादतियों के शिकार हो रहे हैं।

महोदय, इतना ही नहीं रेलवे प्राधिकरण के अधीन हजारों ऐसा ठेका श्रमिक है जिन्हें ठेका श्रमिक अधिनियम के अनुसार न्यूनतम वेतन और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अत: जब कभी भी रेलवे में कोई रिक्ति होती है तो मैं समझता हूं कि उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए क्योंकि वे वहां काफी लम्बे समय से काम कर रहे हैं उन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा है। उन्हें बहुत कम वेतन मिल रहा है उन्हें सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि रेल हाकरी को पहचान पत्र और कुछ अन्य रियायतें दी जाएं ताकि वे अपनी जीविका कमा सकें और पुलिस के उत्पीड़न और अत्याचार से उन्हें बचाया जा सके। ठेका श्रमिकों को रेलवे प्राधिकारियों द्वारा रोजगार के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्हें ठेका श्रमिक अधिनियम के अनुसार वेतन और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए।

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम): अवसर प्रदान करने के लिए माननीय सभापति महोदय मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को उठाना चाहती हूँ राष्ट्र के लिए शर्म का मामला है,

[हिन्दी]

आंध्र प्रदेश में नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में गांव पोटेपल्ली में एक आठ साल की लड़की को उसके मां-बाप ने बेच दिया। इसका एविडेंस मेरे पास है। मेरे पास वीडियो टेप है जिसमें उसके बेचे जाने और खरीद-फरोक्त किये जाने की पूरी घटना देखी जा सकती है। हाउस में जो मैम्बर उसे देखना चाहें, देख सकते हैं। मैं उसे प्रेस को भी दिखाने वाली हूं। मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि आज का दिन पार्लियामेंट में हम महिला आरक्षण संबधी विधेयक को पारित किये जाने पर अभी भी चर्चा कर रहे हैं। इस देश में आज

भी महिलाओं की यह स्थिति है। आज के दिन भी मां-बाप मजबूर होकर अपनी लड़कियों को बेच रहे हैं। सिर्फ एक लड़की की जिन्दगी 19 हजार रुपए में खरीदी जा सकती है। यह देश के लिए शर्म की बात है। मैं सोच रही हूं कि सारा हाउस मेरी इस बात से सहमत होगा।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अड़ूर): माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद केरल, बी.एड. कालेजों को दी गई मान्यता वापस लेने के कारण केरल में बी.एड. कालेज बड़ी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कई कालेजों में सीटों की संख्या घटा दी है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने ऐसी कार्यवाही बाहरी गुट के दबाव के कारण की है।

अत: मैं इस माननीय सभा के माध्यम से भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वह इस मामले की छानबीन करे और केरल के हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को बचाने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। जयपुर शहर में यातायात की व्यवस्था दिनोंदिन बिगड़ रही है। यातायात की व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार ने जयपुर में रिंग रेल की एक योजना बनाई थी। इसका नक्शा आदि बनाने पर लाखों-करोड़ों रुपए खर्च हो गए। इसका लाइन ऑफ एलाटमैंट क्या होगा यह तय होना चाहिए। यदि यह रिंग रेल नहीं बनी तो जहां से यह लाइन जाने वाली है, उस पर लोग कब्जा कर लेंगे और वह बन नहीं सकेगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जयपुर में रिंग रेल तुरन्त पूरी हो, आप यही करना चाहते हैं न?

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मेरा निवेदन है कि रिंग रेल बननी चाहिए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य मजबूती से मांग कर रहे हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, भारत सरकार ने उत्तराखंड बनाने की घोषणा की है लेकिन वहां लोक सभा और विधान सभा में शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स की सीटों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां सरकार उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने वाली है, वहां एस.सी., एस.टी. के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान करना चाहिए। आप इस बारे में सरकार को आदेश दें।

स्वामी चिन्मयानंद (जौनपुर): सभापति महोदय, आज अयोध्या में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। वहां वैष्णव जगत के जाने-माने संत परमहंस रामचन्द्र दास, जिनकी आयु 90 वर्ष है, पर बम से हमला हुआ है। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल से बाहर साइकिल पर बम रखा हुआ था। जब वे बाहर निकले तो वह बम फटा। पता नहीं वह बम रिमोट संचालित था या टाइम बम था? यह बहुत ही गंभीर मामला है। चूंकि उनका नाम रामजन्म भूमि न्यास के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है और वे राम जन्म भूमि से जुड़े हुए थे, इसलिए लगता है कि इसमें किसी विदेशी एजेंसी का हाथ है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच किसी केन्द्र की एजेंसी से कराई जाये।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, गंगा का निरन्तर और खतरनाक भूमि कटाव के कारण पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों के लिए बड़ी चिन्ता का कारण बन रहा है। संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यकाल में विशेष समिति गठित की गई थी और उसने गंगा और उसके तट की रक्षा के लिए 932 करोड़ रुपये की योजना की सिफारिश की थी। गंगा और पद्मा अंतर्राष्ट्रीय नदी हैं और केन्द्र सरकार को उत्तरदायित्व लेना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में आठ जिले गम्भीर समस्या में है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक ओर से यह सूखा है और बंगलादेश की ओर से भूमि बन रही है अत: केन्द्र सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। तट को ऊंचा करने का कार्य ठीक से नहीं किया गया है इसे नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

अन्तत: केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को क्रमश: 75 और 25 लाख के अनुपात में धनराशि देनी चाहिए। तभी भारत सरकार गंगा कार्य योजना का क्रियान्वयन ठीक से कर सकेगी और बंगाल तथा बिहार राज्यों को बचाया जा सकेगा।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): महोदय, अत्यन्त दुखी मन से मैं इस देश के विभिन्न भागों में ईसाईयों के ऊपर किए गए हमलों के मामले को उठा रहा हूँ। पिछले ही दिन जब ऐसा ही मामला इस सभा में उठाया गया था तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इससे इन्कार किया था और कहा था कि महत्वहीन मामले बार बार उठाये जा रहे हैं।

[श्री के.पी. सिंहदेव]

आज मैं यह सुन कर हैरान रह गया जब माननीय भारतीय जनता दल के सदस्य ने जानबूझ कर इस पुनीत सदन में गलत तस्वीर प्रस्तुत की।

इन्दौर में, इसाई महिला होस्टल पर बजरंग दल के कार्यकर्त्ताओं के दल ने हमला किया। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपराधियों को गिरफ्तार करने के विरोध में इन्दौर में बंद का आयोजन किया। यह देश इसाइयों को सताने वालों के लिए सुरक्षित बन गई है और इस सरकार और इन अपराधियों के बीच सुखद संबंध है।

ये सभी अपराध इसलिए किये गये हैं क्योंकि केन्द्र में इससे सहानुभूति रखने वाली सरकार है। हम इस प्रकार के मामले बार बार उठाते रहेंगे जब तक यह सरकार इन अपराधियों को पकड़ नहीं लेती है। इस देश को ऐसे देश के रूप में नहीं जाने जाना चाहिए जहां अल्पसंख्यकों पर बार-बार अत्याचार होते हैं।

[हिन्दी]

श्री रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसे मसले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं शायद इसके बारे में कोई चिन्तित नहीं, इसलिए इसके लिए मुझे अंत में समय दिया जा रहा है।

देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि गत 11 मई, 2000 को हम एक अरब का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पिछले 50 वर्ष की हमारी जितनी योजनायें, कार्यक्रम और नीतिया थीं, अगर हम उनकी ओर नजर डालकर देखें तो कहीं भी उनका सकारात्मक परिणाम दिखाई नहीं दिया। सन् 1971 से लेकर 1996 तक हिन्दुस्तान की जनसंख्या में 38 करोड़ 60 लाख की वृद्धि हुई है। यह जनसंख्या विस्फोट है। अगर इस ओर सरकार तथा सभी दलों ने मिलकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर वरीयता प्रदान करके ध्यान नहीं दिया तो इस देश का भविष्य क्या होगा, मक्खी-मच्छरों की तरह आदमी होने लग जायेंगे। इससे पानी, अन्न, कपड़े की तथा अन्य समस्यायें पैदा हो जायेंगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए ऐसे कदम उठायें जिससे राष्ट्रीय हित में परिवार नियोजन का कार्यक्रम पूरा हो सके। इसके साथ यह भी विचार किया जाये कि इस योजना के फेल होने के क्या कारण रहे और किस प्रकार बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय अपनाने का प्रयास किया जाये।

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाकिस्तान ने हमें कश्मीर में गुरिल्ला वारफेयर में धकेला है। लेकिन कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छे काम किये हैं। उनके सहयोग के लिए जो ग्राम सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं वे बहुत उपयोगी साबित हुई हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ग्राम सुरक्षा समितियां तादाद में और ज्यादा बनाई जाएं। खासतौर पर डोडा, भद्रवाह, पुंछ और राजौरी क्षेत्र में उन्हें बिल्कुल आधुनिक शस्त्र दिए जाएं, ताकि वे उग्रवादियों का मुकाबला कर सकें। इसके अतिरिक्त हमारे नेशनल बॉर्डर पर बड़ी तादाद में ग्राम सुरक्षा समितियां बनाना बहुत जरूरी है, ताकि वहां से इनफिल्ट्रेशन, शस्त्रों और मादक द्रव्यों की तस्करी को रोका जा सके। इसके अलावा रेलवे लाइन के दोनों ओर कसने वाले ग्रामों में भी ग्राम सुरक्षा समितियां बना दी जाएं और रेलवे ट्रैक की सुरक्षा का जिम्मा उन्हें दिया जाए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, ट्रावनकोर (फैक्ट) एक बड़ा सरकारी उपक्रम है जो उर्वरकों का उत्पादन कर रही है और भारत में विशेषकर दक्षिण में ज्यादातर विकास पिछले 50 वर्षों से इस महान संगठन का लाभ उठा रहे हैं।

अब हम देखते हैं कि सरकार 'फैक्ट' का निजीकरण करने जा रही है। यह बड़े पैमाने का सरकारी उपक्रम है जो ठीक काम कर रहा है और लाभ अर्जित कर रहा है। इसके पास 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की परिसम्पत्तियां हैं। यदि इसे बहुत कम मूल्य पर बेचा जाता है तो राष्ट्र के लिए यह शर्म की बात होगी। हम निजीकरण का घोर विरोध करते हैं। 'फैक्ट' के प्रबंधक, कामगार और अधिकारी कल अर्थात 16 तारीख को पूर्ण दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि निजीकरण की पहल को वापस लेने के लिए तुरंत कार्यवाही करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं श्री पी.सी. थॉमस द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूँ।

अपराह्न 1.37 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.35 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 2.40 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.40 बजे पुनः समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

(एक) जैव विविधता विधेयक*

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जैव विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के पोषणीय उपयोग और जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यपूर्ण हिस्सा बंटाने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न है:

"कि जैव विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के पोषणीय उपयोग और जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री टी.आर. बालू: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 2.43 बजे

(दो) लौह और इस्पात कंपनी (समामेलन और प्रबंध-ग्रहण विधि) निरसन विधेयक*

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि लौह और इस्पात कंपनी समामेलन अधिनियम, 1952 और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1972 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2 दिनांक 15.5.2000 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि लौह और इस्पात कंपनी समामेलन अधिनियम, 1952 और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1972 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं लौह और इस्पात कंपनी (समामेलन और प्रबंध ग्रहण विधि) निरसन विधेयक, 2000 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सन् 1972 में भारत सरकार ने भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया था क्योंकि इसके उत्पादन में रह-रहकर गिरावट आ रही थी। इसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के लौह और इस्पात कंपनी (पुनर्संरचना) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1978 के उपबंध के अधीन यह कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित की गई थी। सरकार द्वारा इस कंपनी के अधिग्रहण के बाद भी यह अधिनियम 28 सालों तक कानूनी पुस्तक में रहा। तो इस मौजूदा अधिनियम को अब निरस्त करने की क्या आवश्यकता है? हमारे विचार से यह इस कम्पनी के निजीकरण की दिशा में एक कदम है। भारत सरकार पहले ही निविदाएं आमंत्रित कर चुकी है। सभा में हम पहले ही यह मामला उठा चुके थे कि भारतीय लौह एवं इस्पात कम्पनी जैसी कम्पनी जिसके पास कोयले की अपनी खानें, लौह-अयस्क और धोवन-शालाएं हैं, को कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है।

कम्पनी की 6000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को अब कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है। यह विधेयक लाये जाने के पीछे उद्देश्य उस मौजूदा कानून को निरसित करने का है जो 1972 में बनाया गया था।

अध्यक्ष महोदय: आपको अपने दृष्टिकोण का औचित्य बताना होगा कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मेरे ख्याल से यह संशोधन करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधेयक अभी भी कानूनी पुस्तक में है। 1978 में भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी के राष्ट्रीयकरण के बाद भी यह विधेयक जारी रहा है। अब सरकार इसे निरसित करने का विचार क्यों कर रही है? इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारे देश के एक महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग का निजीकरण, किया जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मैं अधिनियम निरसित करने वाले इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं। हम सभी जानते हैं कि 1969 से 1971 तक पूरे देश में जो बहस हुई

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

थी वह प्रिवी पर्स उन्मूलन, बैंक राष्ट्रीयकरण और क्या संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाये, के संबंध में थी। मैं इतिहास दोहराना नहीं चाहूंगा। जनादेश, लोगों की बुद्धिमत्ता देश को एक विशेष दिशा में ले जाती है। यह अधिनियम केवल पश्चिम बंगाल से ही संबंधित नहीं है। यह सभी सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों को अस्थायी बनाने, उनका निजीकरण करने और राष्ट्रीयकरण करने के सरकार के गुप्त एजेंडे को उजागर करता है। एक दिन यह आपके राज्य को विशाखापट्नम बना देगा। अभी सलेम और दुर्गापुर इसके लक्ष्य है और बाद में यह सभी जगह होगा यह तो केवल शुरुआत है और आइसबर्ग के टिप हैं। आज पूरी सभा इसके प्रभाव को गम्भीरता से नहीं ले रही है।

भारतीय लौह एवं इस्पात की 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट जो मेरी रिपोर्ट नहीं है बल्कि उस मंत्री महोदय की रिपोर्ट है जो यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं, में यह कहा गया है कि हॉट मेटल में 725 मीट्रिक टन उत्पादन की वास्तविक योजना के मुकाबले इस इकाई ने 737.9 मीट्रिक टन का उत्पादन किया। यह लगभग 102 प्रतिशत बैठता है। इसी तरह 325 मीट्रिक टन क्रूड स्टील के उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले 301 मीट्रिक टन का उत्पादन किया जो लगभग 93 प्रतिशत है। 342 मीट्रिक टन से पिटवां लोहा लक्ष्य के मुकाबले इसने 375 मीट्रिक टन का उत्पादन किया जो 110 प्रतिशत से अधिक है। स्वयं मंत्रालय के योजना लक्ष्य के अनुसार इकाई के कार्य निष्पादन की यही रिपोर्ट है। पूरे विश्व में नहीं तो पूरे देश में लौह एवं इस्पात की केवल यही इकाई सरकारी नियंत्रण में है जिसके पास 20,000 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की कोयले की खानों और धोवनशालाओं की संपत्ति है। इस सब के अलावा *...(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ यहां तक कि 1993 में कांग्रेस सरकार ने यह प्रयत्न किया था कि *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, इस स्टेज पर यह सब बोलने की जरूरत नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह कोई पार्टी की बात नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। आप सुनिए। आप जानते नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यदि कुछ है तो मंत्री जी उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: पूरे विश्व में यही ऐसी पब्लिक सैक्टर की यूनिट है जिसके पास इतनी संपत्ति है। 22 अगस्त, 1972 को श्री इंद्रजीत गुप्त और श्री समर गुहा के प्रश्न के जवाब में तत्कालीन मंत्री श्री मोहन कुमारमंगलम ने सभा में यह स्पष्ट किया था कि यह किसी पुरानी प्रबंधन, किसी समूह या किसी व्यक्ति को लौटाई नहीं जाएगी। इस सभा में तत्कालीन सरकार ने यह आश्वासन दिया था। 1993 में जब श्री नरसिंह राव की सरकार ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने की योजना बना रही थी तो पूरी ट्रेड यूनियन ने इसका विरोध किया था और सरकार ने कहा था कि यह गलत है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, इस समय आपको संक्षिप्त टिप्पणी ही करनी चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैंने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि इस सभा में सरकार द्वारा इस प्रकार दिए गए सत्यनिष्ठ वचन को ये बदल नहीं सकते हैं। दूसरी बात, लोक हित में संसद के निर्णय द्वारा प्राप्त संपत्ति को आप फेंक तो नहीं सकते। जो लोग इसके मूल्य से भी कम पैसा दे रहे हैं उनके लिए तो इसका विराष्ट्रीकरण और निजीकरण नहीं किया जा सकता। यह संसद इसको पृष्ठांकित नहीं कर सकती है। यह बड़ी ही मुश्किल चीज है। संसद इसका अनुमोदन नहीं कर सकती। यह संसद विरोधी है। यह संविधान के उद्देश्य की विरोधी है। इसलिए मैं पूरी तरह इसका विरोध करता हूँ *...(व्यवधान)*

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, मैं इसका विरोध करता हूँ *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस कालबाधित है। आपने दस बजे के बाद नोटिस दिया था। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह कोई प्रक्रिया नहीं है। अब मंत्री जी जवाब देंगे।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): महोदय, यह अधिनियम केवल इसलिए बनाया गया था ताकि आई.एस.सी.ओ.

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

का स्टील कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में सम्मिलित किया जा सके। ...*(व्यवधान)* महोदय 1998 में पी.सी. देव की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित आयोग ने कुछ ऐसे कानूनों की पहचान की थी जो अब प्रासंगिक नहीं रह गये हैं, उन्होंने इन अधिनियमों को निरसित करने की संस्तुति की थी। महोदय, मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि इसमें कोई भी गुप्त एजेंडा नहीं है। इसलिए इसके संबंध में कोई उद्देश्य नहीं मानना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, स्थायी समिति ने इसका विरोध किया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य और श्री दासमुंशी ने 10 बजे से पहले नोटिस दिए हैं। मैं आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ?

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.52 बजे

इस समय श्री सुनील खां आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर वापिस जाइए। आप सभा की कार्यवाही को रोक नहीं सकते।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.53 बजे

इस समय, श्री सुनील खां अपने स्थान पर वापस चले गए

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया समझें। स्थिति स्पष्ट है। कार्यविधि नियमों के नियम 72 में कहा गया है:

> ''यदि किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये, तो अध्यक्ष, यदि ठीक समझे तो, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा।''

अतएव, अब मैं प्रक्रिया के अनुसार प्रश्न रख रहा हूँ।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं आपसे अनुग्रह की याचना करता हूँ। आप इस सभा के अभिरक्षक हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, मैं इसे केवल प्रक्रिया के अनुरूप कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसकी एक प्रक्रिया है और मैं उसके अनुसार यह कह रहा हूँ।

प्रश्न यह है:

> ''कि लौह और इस्पात कंपनी (समामेलन) अधिनियम, 1952 और इंडियन आयल एण्ड स्टील कंपनी (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1972 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया ''हाँ'' कहें।

कई माननीय सदस्य: 'हाँ'।

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य इसके विरोध में हैं वे कृपया 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य: 'नहीं'।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में निर्णय 'हाँ' वालों के पक्ष में हुआ। निर्णय 'हाँ' वालो के पक्ष में हुआ।

कुछ माननीय सदस्य: निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ।

अध्यक्ष महोदय: दीर्घायें खाली कर दी जायें।

अध्यक्ष महोदय: अब दीर्घायें खाली कर दी गयी हैं।

सदस्यों का स्वचालित मतदान प्रणाली के संचालन करने के संबंध में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है:

1. प्रत्येक सदस्य को मत विभाजन शुरू होने से पहले अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए और अपने नियत स्थान से ही प्रणाली को संचालित करना चाहिए।
2. कृपया यह देख लें कि मेरी कुर्सी के दोनों तरफ ''सूचक बोर्डों के ऊपर के लाल बल्ब'' दीप्त हैं। इसका अर्थ यह है कि मतदान प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है।

[अध्यक्ष महोदय]

3. मतदान के लिए, प्रथम घंटा के बजने के शीघ्र बाद निम्नलिखित दो बटनों को एक साथ दबायें, अर्थात्:

(एक) सदस्य के सामने रखे हुए हैड फोन प्लेट पर लगा हुआ ''लाल'' बटन; और

(दो) सीटों के डेस्कों के ऊपर लगे हुए निम्नलिखित बटनों में से कोई एक:

'हां'	-	हरा रंग
'नहीं'	-	लाल रंग
'भाग न लेना'	-	पीला रंग

4. यह जरूरी है कि दूसरे घंटे की आवाज सुने जाने एवं लाल बल्बों के 'बुझने' तक दोनों बटनों को दबाये रखा जाए।

माननीय सदस्य कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यदि दूसरे घंटे के बजने तक दोनों बटनों को एक साथ दबा कर नहीं रखा गया है तो मतदान दर्ज नहीं होगा।

5. मत विभाजन के दौरान अम्बर बटन (पी) को न दबायें।

6. सदस्य अपने मत को यथार्थ रूप में सूचक बोर्डों एवं अपनी डेस्क इकाई पर ''देख'' सकते हैं। मत दर्ज न होने की दशा में वे पर्चियों के माध्यम से मतदान की माँग कर सकते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न है:

''कि लौह और इस्पात कंपनी समामेलन अधिनियम, 1952 एवं इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (प्रबंधन ग्रहण) अधिनियम, 1972 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

अपराह्न 3.01 बजे

[मत विभाजन संख्या 9]

पक्ष में

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

*कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णास्वामी, श्री ए.

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गावीत, श्री रामदास रूपला

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री निहाल चन्द

चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जटिया, डा. सत्य नारायण

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ढिकले, श्री उत्तमराव

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

नाईक, श्री राम

नायक, श्री अली मोहम्मद

पटेल, श्री दीपक

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पासवान, डा. संजय

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

*बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बैंदा, श्री रामचन्द्र

भगत, प्रो. दुखा

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई.जी.

माझी, श्री परसुराम

मीणा, श्रीमती जसकौर

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस.

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोहिते, श्री सुबोध

रमैया, डा. बी.बी.

राय, श्री विष्णु पद

रावत, प्रो. रासा सिंह

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वेंकटस्वामी, डा. एन.

शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त

शाह, श्री मानवेन्द्र

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साहू, श्री अनादि

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री साहिब

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

स्वाईं, श्री खारबेल

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अलवी, श्री राशिद

आचार्य, श्री बसुदेव

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

खां, श्री सुनील

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चौधरी, श्रीमती रीना

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

थामस, श्री पी.सी.

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई

पांडियन, श्री पी.एच.

पाटील, श्री उत्तमराव

*पाटील, श्री शिवराज वी.

पाल, श्री रूपचन्द

बराड़, श्री जे.एस.

भगोरा, श्री ताराचन्द

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाटिया, श्री आर.एल.

भूरिया, श्री कांतिलाल

मलयसामी, श्री के.

मुत्तेमवार, श्री विलास

यादव, श्री भालचन्द्र

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

लाहिड़ी, श्री समीक

शाक्य, श्री रघुराज सिंह

सईदुज्जमा, श्री

सिंधिया, श्री माधवराव

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह देव, श्री के.पी.

सोराके, श्री विनय कुमार

हंसदा, श्री थामस

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में – 59

विपक्ष में – 33

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री दिलीप राय: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.02 बजे

(तीन) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2000**

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री प्रमोद महाजन: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने अपना मत पर्चियों के माध्यम से दिया:

पक्ष में : 59 + श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर एवं श्री बाबूभाई के. कटारा - 61

विपक्ष में : 33 + श्री शिवराज वी. पाटील - 34

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2 दिनांक 15.5.2000 में प्रकाशित।

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा नियम 377 के अधीन आने वाले मामलों पर विचार करेगी।

(एक) गोरखपुर-अवध एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बिहार में बरास्ता नरकटियागंज-मोतीहारी मुजफ्फरपुर चलाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी): अध्यक्ष महोदय, बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन से दिल्ली एवं अन्य स्थानों के लिए 21 पेयर गाड़ियां गोरखपुर जं. वाया हाजीपुर-छपरा-सिवान होकर गुजरती हैं। मुजफ्फरपुर जं. से गोरखपुर, मोतिहारी, बेतीया, नरकटियागंज, बगहा को बड़ी लाइन में परिवर्तित हुए कई वर्ष हो गये हैं, किन्तु आज तक कोई एक पेयर गाड़ी इस मार्ग पर नहीं चलाई गई है। गोरखपुर अवध अक्सप्रैस जो 23 घंटे गोरखपुर रुकी रहती है, उसे भी नरकटियागंज, बेतीया होतिहारी होकर मुजफ्फरपुर चलाया जाये।

मेरा केन्द्रीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र की इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें जिससे कि यहां के यात्रियों को भी सुविधा मिल सके। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान देगी।

(दो) हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए "दीक्षित अवार्ड" को लागू किये जाने की आवश्यकता

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमावर्ती शहरों के नागरिकों के बीच बढ़ते तनाव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस सीमा विवाद और यमुना नहर संबंधी मामले को निपटाने का मामला काफी दिनों से लंबित पड़ा है। इनके न, निपटाने की वजह से दोनों राज्यों के किसानों यथा हरियाणा के सोनीपत जिले के खुर्रमपुर गांव और इससे लगे हुए उत्तर प्रदेश के गांव के किसानों के बीच लगातार विवाद उत्पन्न होता रहा है। इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 'दीक्षित पंचाट' का गठन किया गया था। लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है और न ही दोनों राज्यों के राजस्व अभिलेखों को अद्यतन किया गया है जिससे वहाँ के लोगों के बीच असुरक्षा की भावना पनप रही है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि 'दीक्षित पंचाट' को सम्पूर्णत: लागू किया जाए। यह दोनों राज्यों के हित में होगा।

(तीन) तिरूपति से काटापाड़ी के बीच रेललाइन का आमान परिवर्तन तथा गुडुरू और रेणुगुंटा के बीच रेललाइन के दोहरीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

डा. एन. वेंकटस्वामी (तिरुपति): महोदय, तिरुपति जो कि दक्षिण में बालाजी के नाम से प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का धाम है; भारत के अत्यन्त पवित्र तीर्थस्थानों में से एक है। भारत के चारों कोनों से प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में भक्तगण इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस अत्यन्त महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान में संचार की उपयुक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इस मांग को पूरा करने के लिए तिरुपति से काटपाड़ी के बीच आमान परिवर्तन की योजना वर्ष 1992-93 में स्वीकृत की गई थी। लेकिन काम बहुत धीरे चल रहा है। इसी प्रकार की योजनायें जैसे हासपेट-गडक-हुबली-लोंडा, नांदयाल द्रोनाचलम-गुंटाकल, त्रिची से कांचीवरम् आदि 1993 में स्वीकृत की गई थी लेकिन बहुत पहले पूरी हो गई। वर्ष 2000-2001 के बजट में 12 करोड़ रुपये का आवंटन पर्याप्त नहीं है।

अत: इस कार्य को मार्च, 2001 से पहले पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है।

धर्माबरम और पाकल के बीच आमान परिवर्तन के लिए वर्ष 2000-2001 के बजट में दस लाख रुपये का जो आबंटन दर्शाया गया है, वह इस योजना को चलाए जाने के लिए बहुत कम रकम है। इन योजनाओं के पूरी हो जाने पर केरल, मैसूर और बंगलौर के लोगों के तिरुपति पहुँचने के लिए सड़क से चक्कर काटने के बजाए सीधा मार्ग मिल जायेगा और इससे पिछड़े क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी।

गुडुरू से रेणुगुंटा के बीच दोहरी लाइन बिछाने के लिए दूसरा प्रस्ताव रेलवे विभाग के पास लंबित पड़ा है। इसके लिए वर्ष 2000-2001 के बजट में 17 करोड़ रुपये का बजट आवंटन अपर्याप्त है। यह कार्य शुरू किया जाना चाहिए और शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इस दोहरी लाइन की सहायता से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर-पूर्व राज्यों के भक्तगण गुडुरू में घंटों प्रतीक्षा किए बगैर सीधे तिरूपति पहुँच सकेंगे।

(चार) उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित "आर्थिक जोन" को कानपुर में स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): महोदय, कानपुर शहर जिसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता था, आज औद्योगिक बदहाली का शिकार है। वहां के प्रमुख उद्योग बन्द हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, कानून व व्यवस्था की समस्या दिनों-दिन विकराल होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की नीतियों के चलते कानपुर की समस्याओं में निरन्तर वृद्धि हुई है। वहां की समस्याओं आवास, प्रकाश, जल, वायु, रोजगार बढ़ती जनसंख्या व शहर का नष्ट होता स्वरूप प्रमुख है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए समुचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इन समस्याओं पर यदि तत्काल ध्यान न दिया गया तो वहां पर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी।

अत: इस विषम स्थिति के निराकरण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को वहां के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि केन्द्रीय सरकार का वाणिज्य मंत्रालय देश में कुछ इकोनोमिक जोन्स की स्थापना करने जा रहा है। जिन स्थानों/प्रदेशों में ऐसे जोन्स की स्थापना की जानी है, उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है।

अत: सरकार से मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित इकोनोमिक जोन की स्थापना के लिए कानपुर शहर सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है तथा ढांचागत सुविधाओं व अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर को ही नए इकोनोमिक जोन की स्थापना के लिए चयन किया जाए।

(पांच) कर्नाटक में उडुपी में बरही लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विनय कुमार सोराके (उडुपी): दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के उदीपी और उडुपी जिला के कुंडापुर ताल्लुक में वर्षा की अनिश्चितता के कारण किसानों को बहुधा नुकसान उठाना पड़ता है। इस कारण पिछले वर्षों में उडुपी और कुडापुर तालुका क्षेत्र की 15700 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए एक अत्यन्त उपयोगी सिंचाई परियोजना के बारे में सोचा गया था। इस उद्देश्य के लिए सिद्दापुर गांव के निकट होरिबल स्थान पर एक पिकअप बांध निर्माण की योजना बनाई गई थी ताकि बाराही हाइडेल प्रोजेक्ट अपस्ट्रीम से आ रहे 1100 क्यूसेक पानी को रोककर बिजली बनाने के काम में लाया जा सके। 20 करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्चा हो जाने पर भी बाराही लिफ्ट सिंचाई परियोजना नामक यह योजना पूरी नहीं हो सकी है। वर्ष 1992 में केन्द्र सरकार ने 14.50 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आबंटन के साथ इस योजना को अपनी स्वीकृति दे दी।

पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए यह मामला प्रक्रियागत जटिलताओं में ही उलझकर रह गया है क्योंकि बांध के आस-पास की

[श्री विनय कुमार सोराके]

लगभग 275 हेक्टेयर जंगल के पानी में डूब जाने की संभावना है। इस योजना से सिंचाई संबंधी सुविधाओं की संभाव्यता को दृष्टि में रखने पर यह एक अत्यन्त छोटी एवं अनुपयोगी बात होगी।

मैं केन्द्र सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूँ कि उदीपी और कुडापुर के किसानों के व्यापक हित में इस योजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान की जाये ताकि इसके निर्माण से बाराही लिफ्ट सिंचाई योजना से वे लाभान्वित हो सकें।

(छह) महाराष्ट्र सरकार की समेकित डेरी विकास परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में गैर-प्रचालन बाढ़ पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेरी विकास परियोजना-एक चरण-एक (100% केन्द्र द्वारा प्रायोजित) के कार्यान्वयन के लिए 1996-99 के लिए सिंधुदुर्ग, रत्नागिरि, यवतमाल, चन्द्रपुर और गढ़चिरौली जिलों हेतु 27 फरवरी, 1996 को मंजूर किया था।

महाराष्ट्र सरकार ने उसी जिले के लिए आई.डी.डी.पी. परियोजना-एक, चरण-दो के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार का 11 फरवरी, 1997 को पृथक प्रस्ताव भेजा। परियोजना का पूरा खर्चा 1,995.22 लाख रुपया है। यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अभी भी लंबित है।

पुन: महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती, बुलधाना, भंडारा, नांदेड़, लातूर और नंदरबार जिलों के लिए महाराष्ट्र में गैर-प्रचालन बाढ़ पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेरी विकास परियोजना-तीन को लागू करने के लिए 28 दिसम्बर 1998 को एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव अभी भी केन्द्र सरकार के पास लंबित है।

इन परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:

1. मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करना तथा सशक्त बनाना और नये डेरी सहकारिता समिति बनाना।

2. दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने तथा क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे डेयरी को उद्योग के रूप में स्वीकार करें।

3. शहरी क्षेत्रों में दुग्ध प्रसंस्करण तथा भंडारण की क्षमता बढ़ाना।

4. पशुपालन विभाग एवं सहकारिता द्वारा दुग्ध उत्पादकों को दी गई सेवाओं में सुधार करना।

5. किसानों को चारा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना एवं प्रसार सेवाओं द्वारा जागरूक बनाना।

ये सभी परियोजनायें केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं। अत: अनुरोध है कि सरकार इन सभी परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी प्रदान करे।

(सात) केरल में नारियल के पेड़ों में "माइट" रोग के प्रकोप की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री चरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, केरल में कोकोनट माइट रोग कोकोनट के किसानों का बहुत नुकसान कर रहा है। इसको फैलने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाये जाने चाहिए। माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस रोग का मुकाबला करने के लिए केरल सरकार की सहायता हेतु तत्काल उपाय किये जाएं।

(आठ) आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले में सूखे की स्थिति का सामना करने तथा इस क्षेत्र को रेगिस्तान बनने से रोकने के लिए एक दीर्घकालीन संदर्शी योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री कालवा श्रीनिवासुलु (अनन्तपुर): पूरे देश में सबसे कम वर्षा वाले जिलों में अनंतपुर का दूसरा स्थान है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा की दर 522 मिलीमीटर है। यह देश में दूसरा सबसे अधिक सूखा प्रभावित जिला है और इसे भारत सरकार द्वारा मरूभूमि प्रबंध जिले के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेशनल रिमोट सेसिंग एजेन्सी (एन.आर.एस.ए.) ने रिमोट सेंसिंग से इस बात की पुष्टि की है कि कृत्रिम उपग्रह के चित्रों में मरुभूमिकरण के चिह्न देखे गये हैं। पिछले 50 वर्षों में, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से डी.पी.ए.पी., डी.आर.डी.ए., डी.डी.पी. के अधीन टुकड़ों-टुकड़ों में कई कार्यक्रम बनाये गये तथा लागू किये गये। लेकिन अनेक कार्यक्रमों के बावजूद सूखा वृद्धि या मरुभूमिकरण को कम करने की दिशा में समाधान का कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है।

हर वर्ष सूखा राहत उपाय करने की मांग की जाती है, उन उपायों को लागू किया जाता है लेकिन कोई दीर्घकालीन समाधान उपलब्ध नहीं है। अनन्तपुर की जनता यह चाहती है कि यहाँ सूखे और मरूभूमि की समस्या को दूर करने के लिए एक दीर्घकालीन संदर्शी कार्य योजना बनाई जाये। अत: हम भारत सरकार से

अनुरोध करते हैं कि वह अनन्तपुर जिला की सूखा और मरूभूमिकरण की यथासंभव सभी समस्याओं से निपटने के लिए एक आयोग बनाये जो कि सभी समस्याओं का अध्ययन करे तथा एक दीर्घकालीन मंदशी कार्ययोजना बनाये।

(नौ) उत्तर बिहार विशेष रूप से सीतामढ़ी जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): श्रीमान जी, उत्तर बिहार राज्य में बूढ़ी गंडक व सिकरहना नदी के तट पर बसे चम्पारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली और सीतामढ़ी जैसे जिले लगभग प्रति वर्ष ही बाढ़ के प्रकोप से नष्ट होते हैं। यहां के किसानों ने इस बर्बादी से बचने के लिए व परिवार के भरण-पोषण हेतु मौसमी फलों के उत्पादन का सहारा लिया। कठिन परिश्रम और बची-खुची पूंजी लगाकर लीची और आम का उत्पादन शुरू किया और एक सीमा तक सफलता भी उन्हीं मिली। एक लाख टन लीची का उत्पादन इस क्षेत्र ने किया। किन्तु तरोताजा रखने के साधनों के अभाव के कारण यहां 60 से 70 प्रतिशत तक उपज बिना उपयोग के ही नष्ट हो जाती है। लीची और आम को 20 से 25 दिन तक ही रखा जा सकता है अन्यथा वह सड़ कर नष्ट हो जाता है और उत्पादकों को हजारों-लाखों रुपयों की हानि होती है। यहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। परन्तु न ही निजी क्षेत्र में और न ही सरकारी क्षेत्र में अभी तक कोई पहल हुई है। अत: केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना तैयार की जाये।

(दस) कन्याकुमारी से बरास्ता "त्रिवेन्द्रम, कोचीन, कालीकट, मंगलौर, गोवा और मुम्बई तक एक तटीय एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): कन्याकुमारी से मुम्बई बरास्ता त्रिवेन्द्रम, कोचीन, कालीकट, मंगलौर और गोवा पर एक तटवर्तीय एक्सप्रेस राजमार्ग होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण पत्तनों और प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने भी यह सिफारिश की कि यह भारत के लिए महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज में इस योजना को शामिल किया जाना चाहिए था। तथापि इस राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज के अनुसार ही माना जाना चाहिए और इस पर बिना किसी अतिरिक्त विलम्ब के काम आरम्भ किया जाना चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस संबंध में शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की जाए।

अपराह्न 3.18 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा मद संख्या 17, सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक पर विचार करेगी। इसके लिए कार्यमंत्रणा समिति ने चार घंटे का समय संस्तुत किया है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि इलैक्ट्रानिक आधार सामग्री के व्यतिहार द्वारा और इलैक्ट्रानिक संसूचना के अन्य साधनों द्वारा जिन्हें सामान्यतया 'इलेक्ट्रानिक वाणिज्य" कहा जाता है और जिनमें संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज-आधारित तरीकों के अनुकल्पों का उपयोग अंतर्वलित है, किए गए संव्यवहारों को विधिक मान्यता देने, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों की इलैक्ट्रानिक फाइल बनाने को सुकर बनाने और भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, बैंककारी बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 को इलेक्ट्रोनिक डाटा आदान-प्रदान की सहायता से व्यतिहार को सुगम बनाने के दृष्टिकोण से पुर:स्थापित किया गया था। इलैक्ट्रानिक संसूचना के प्रयोग से किए गए व्यतिहार 'इलेक्ट्रानिक वाणिज्य' कहलाते हैं। अब इनका प्रयोम सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के संगठनों तथा व्यावसायिक उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। अत: इस प्रकार से यह जरूरी है कि संचार के वैकल्पिक कागज आधारित तरीकों को विधिक मान्यता प्राप्त हो। यह विधेयक डिजिटल हस्ताक्षर और दस्तावेजों की इलैक्ट्रानिक फाइल को भी विधिक मान्यता प्रदान करेगा। इस विधेयक के अधिनियमन से इलैक्ट्रानिक माध्यम निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाना तथा अधिकारों एवं दायित्वों का सृजन भी हो सकेगा।

इस विधेयक में प्रमाणित करने वाले अधिकारियों के ऊपर पर्यवेक्षण करने के लिए नियंत्रक की नियुक्ति की भी व्यवस्था है, जो कि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करेगा। इलैक्ट्रोनिक माध्यम में व्यतिहारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस प्रस्तावित विधेयक में उसके उपबंधों का उल्लंघन करने पर समुचित दण्ड की व्यवस्था भी की गई है।

[श्री प्रमोद महाजन]

इसके अतिरिक्त इस विधेयक में कम्प्यूटर स्रोत दस्तावेजों, अश्लील प्रकृति की सूचना के प्रकाशन तथा कम्प्यूटर और कम्प्यूटर प्रणाली से छेड़-छाड़ के लिए समुचित दण्ड व्यवस्था तथा सजा के उपयुक्त खंडों का भी प्रावधान है। इस विधेयक से इलैक्ट्रानिक कार्य सुगम हो सकेगा तथा सरकारी अधिकरणों में इलैक्ट्रानिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों की स्वीकृति उपभोक्ता को मिल पाने में सुगमता आएगी। इस विधेयक को 16 दिसम्बर को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था। इसे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी तथा पर्यावरण तथा वन संबंधी समितियों को सौंपा गया था। मैं इन समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने इस बाबत कई बैठकें की, विधेयक की जाँच-पड़ताल की और हमें बहुमूल्य सुझाव दिए। इनमें से दो सुझावों के अलावा लगभग सभी सुझावों को हमने स्वीकार कर लिया है और उन सुझावों को स्पष्ट करने के लिए मैं एक-दो मिनट का समय लूंगा जिन्हें हमने स्वीकार नहीं किया।

समिति का सुझाव था कि वेबसाइट या किसी पोर्टल को पंजीकृत होना चाहिए। हमने सोचा कि आजकल 10 वर्ष के बच्चे भी इनमें संलग्न हैं और इनकी संख्या लाखों में है तो आखिर में पंजीकरण अधिकारी जनता के लिए अनावश्यक रूप से बाधक ही सिद्ध होंगे, इसलिए हमने इस सुझाव को नहीं माना।

दूसरा सुझाव था कि साधारण साइबर कैफे में इसके माध्यम से ही अपराध किया जा सकता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो साइबर कैफे में जाता है उसे पंजीकृत होना चाहिए या जो कुछ भी वह वहां करता है उसका अभिलेख होना चाहिए। हमने सोचा कि अपराध को रोकने के आशय से यह बिल्कुल ठीक है लेकिन एस.टी.डी. केन्द्रों से भी अपराध किये जा सकते हैं। यह पता लगाने के लिए लोगों का अभिलेख नहीं रखा जा सकता कि इसमें गए व्यक्ति ने फोन किया, क्या किया या नहीं। इसी तरह से, कई और स्थानों से भी लोगों के प्रति ऐसे अपराध किये जा सकते हैं। लेकिन हम वहां रजिस्टर नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हमें अपराधों का पता तो लगाना चाहिए लेकिन रजिस्टर रखने की बात लोगों के लिए समस्यायें पैदा करेगी। क्योंकि जो व्यक्ति व्यक्तिगत कम्प्यूटर का वहन नहीं कर सकता है और इस सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ भी उठाना चाहता है उसके लिए ही साइबर कैफे जैसा स्थान है जहां से वह इसका प्रयोग कर सके।

यही दो बातें हैं जिनसे हम स्थायी समिति की सिफारिशों से विनम्रतापूर्वक असहमत हैं और बाकी सभी सुझावों को हमने विधेयक में संसाधनों के रूप में समाहित कर लिया है।

अंत में, मैं एक बात कहना चाहूंगा। सूचना प्रौद्योगिकी कुछ लोगों के लिए एक प्रकार की वैज्ञानिक क्रांति है। कुछ के लिए यह धनार्जन का सरल माध्यम है। भारत के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आने वाले 10 वर्षों में सर्वोत्तम शक्ति बनने का रास्ता है। लेकिन मेरे जैसे साधारण आदमी इसे कैसे परिभाषित करेंगे, मैं तो यही कह सकता हूँ कि मानव संसूचना की यह चौथी पीढ़ी है। जब मनुष्य का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ तो भाव-भंगिमा ही उसकी पहली संसूचना का तरीका था। जब कोई मुस्कुराता था तो हम सोचते थे कि वह खुश है। इसके बाद मानव जाति ने बोल-चाल की भाषा का प्रयोग किया। तब हम लिखित भाषा पर आए। अब हम उस डिजिटल भाषा के क्षेत्र में पदार्पण कर चुके हैं जो कि मानव संसूचना की चौथी पीढ़ी है। यह सर्वाधित द्रुत है। मानव संसूचना की पांचवीं पीढ़ी जो कि मस्तिष्क से मस्तिष्क की संसूचना है, यह बौद्धिक सम्पदा अधिकार है और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास है और किसी के पास यह उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से डिजिटल संसूचना चौथी पीढ़ी है। इसलिए, जब हम बोल-चाल की भाषा से लिखित भाषा की ओर बढ़े तो हजारों पाठ्य-पुस्तकों की रचना की गई। हमने हर चीज को दुबारा लिखा। इसी तरह से जब हम लिखित भाषा से डिजिटल भाषा की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें इस देश का लगभग हर विधान को दुबारा लिखना होगा।

मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि बजट के प्रथम दिन ही, सरकार सी.डी. रोम पर सुब्रहमण्यम् समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहती थी, क्योंकि हमारे पास 2000 पेजों की 800 प्रतियां इस सरल रूप से सुलभ नहीं थी। सचिवालय ने ठीक ही मना किया क्योंकि लोक सभा में हम सभा के पटल पर हां पत्र रख सकते हैं न कि इलैक्ट्रोनिक रूप से हम उन्हें वहां रख सकते हैं। इसलिए इलैक्ट्रोनिक मेल, हर चीज को स्वीकार करते हुए, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, चौथी संसूचना की पीढ़ी होने के नाते हम सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक को यहां लाए हैं। यह नहीं कि हमने इसे लाने में जल्दबाजी की। हमने एक साल से इसकी कोशिश की, जैसा कि मैंने सुबह ही बताया था कि हमने इसे 150 बार पुन: प्रारूपित किया है, तब हमने इसे संसद में रखा और लोगों को दिया। जनता ने भी इस पर वाद-विवाद किया। प्रत्येक चर्चा को स्थायी समिति के पास भेजा गया। स्थायी समिति ने इस पर विचार किया। अब मैं सोचता हूँ कि यदि हम इसे पारित नहीं करते तो देर हो जाएगी, सारा विश्व, भारत के सर्वोच्च शक्ति बनने की प्रतीक्षा कर रहा है, और इसे कानूनी प्रारूप की आवश्यकता है।

मैं सभा से आग्रह करूंगा कि वह जब तक चाहे इस पर पूर्णत: चर्चा करे लेकिन इसे पारित करे और इस सत्र के बाद साइबर विधि को साकार करे।

महोदय, इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, मैं सभा से आग्रह करूंगा कि वह इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करे।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि इलैक्ट्रानिक आधार सामग्री के व्यतिहार द्वारा और इलैक्ट्रानिक संसूचना के अन्य साधनों द्वारा जिन्हें सामान्यतया "इलैक्ट्रानिक वाणिज्य" कहा जाता है और जिनमें संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज-आधारित तरीकों के अनुकल्पों का उपयोग अंतर्वलित है, किए गए संव्यवहारों को विधक मान्यता देने, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों की इलैक्ट्रानिक फाइल बनाने को सुकर बनाने और भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, बैंककारी बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, वर्तमान शताब्दी में इलैक्ट्रानिक्स, जेनेटिक्स और इन्फारमेटिक्स का आधिपत्य होगा। हम सभी कागज रहित और जिसमें कार्ड्स या तारों वाले उपस्कर नहीं होंगे, वाले कार्यालयों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 21वीं सदी ने कागज रहित और बेतार संचार वाले कार्यालयों को अपना लक्ष्य रखा है। इन दो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दो चीजें करने की जरूरत है। एक तो प्रौद्योगिकी का विकास किंतु केवल इससे ही प्रौद्योगिकी विकसित नहीं होगी। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए हमें कानूनी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। विशेषकर शासन, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग व अन्य क्षेत्रों में हमें कानूनी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। इसके बिना उपलब्ध प्रौद्योगिकी का प्रयोग संभव नहीं है।

सरकार कानूनी फ्रेमवर्क बनाने के प्रयास कर रही है। इस दिशा में यह पहला कदम है। इस अधिनियम में भी भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कुछ सीमा तक—सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तथा बैंकिंग व अन्य क्षेत्रों से संबंधित कानूनों को छुआ गया है। इसमें कई नियमों और विधानों को बनाने का भी प्रावधान है। वे यह भी देखेंगे कि सरकारी कार्यालयों एवं ई-कॉमर्स में इस आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए।

मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की पहल पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। इसका स्वागत करना चाहिए। हम सभा में विभिन्न दलों से सदस्यों को बोलते और सरकारी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए देख चुके हैं। मगर वे कह रहे थे कि यह एक अति महत्वपूर्ण कानून है तथा इसे जल्दबाजी में पारित नहीं करना चाहिए। एक-दो महीनों के विलम्ब से आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ 21वीं सदी में प्रवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जल्दबाजी में किए किसी काम से नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सुविधा के स्थान पर समस्या न खड़ी हो जाए। इस पर दोनों ओर के सदस्य वाद-विवाद कर रहे थे।

यह सच है कि विधेयक स्थायी समिति को भेजा गया था तथा स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट को अस्वीकार नहीं किया गया है और उसे स्वीकार कर लिया गया है और जहां तक संभव है सरकार रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित कर रही है। इस मामले में भी विधेयक स्थायी समिति को भेजा गया था और वहां से वापिस भी आ गया है। यह सदस्यों के लिए उपलब्ध है। किंतु कानून बड़ा जटिल है और आगे चलकर इसमें काफी अड़चनें आनी वाली हैं। सदस्यों की इच्छा है कि एक सरल और दोष रहित कानून बनाया जाए या कुछ सीमा तक मानवीय सूझबूझ के लिए संभव दोष सहित कानून बनाया जाए। इसीलिए यह सुझाव दिया गया था।

मुझे पता है कि जब इस सभा में दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक पारित किया गया था, तब क्या हुआ था? उस समय, जहां आप बैठे हैं वहां से मैंने कहा था कि इस कानून को जल्दबाजी में पारित न करें जबकि सभा में सभी दलों के नेताओं ने भी कहा था कि कानून पारित किया जा सकता है क्योंकि इस मुद्दे पर सभी दल एकमत थे। दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक पारित किया गया था। राज्य सभा ने भी इसे पारित कर दिया था और इसे राष्ट्रपति ने भी मंजूर कर लिया था किंतु यह अब तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने इस कानून को लागू करने संबंधी कोई अधिसूचना भी जारी नहीं की है। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस कानून के कुछ उपबंधों पर समाज के कुछ वर्गों को एतराज था और उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किए। हैरानी की बात है कि सभा के एक सत्र के पन्द्रह मिनट में यह कानून पारित किया गया और पहले दिन, दूसरे सत्र में एक प्रस्ताव आया कि इस कानून को हटाकर एक नया कानून बनाया जाना चाहिए। दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के संबंध में ऐसा किया गया।

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक केवल दिल्ली शहर पर ही लागू है। यह जमीन के मालिकों या किरायेदारों पर लागू है। देश के अन्य भागों में या विदेशों में रह रहे नागरिकों पर यह लागू नहीं है। हम एक ऐसा कानून पारित करने जा रहे हैं जो पूरे देश में लागू होगा। यह पहली बार किया जा रहा है। दिल्ली में किराया

[श्री शिवराज वि. पाटील]

नियंत्रण विधेयक था किंतु हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है और हम अभी भी इसे जल्दी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री, सरकार और उन सभी की इच्छाओं और उत्साह की प्रशंसा करता हूँ जिनका विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्वास और भरोसा है कि यह सब बहुत ही कम समय में किया गया। मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। इसके लिए इनका आदर करना चाहिए। किंतु हमें कुछ देर रुककर यह देखना होगा कि इस विधेयक को हम किस रूप में पारित करने जा रहे हैं। समाचार-पत्रों में इस विधेयक के समर्थन और विरोध में लेख प्रकाशित हो रहे हैं। देश-विदेश के लोग कह रहे हैं कि यदि ऐसा कानून होगा तो शासन के लिए इलैक्ट्रानिक मीडिया के प्रयोग में और देश-विदेश के वाणिज्य में सुविधा होगी। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है और इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी शक्तिशाली चीज का उपयोग और दुरुपयोग किया जा सकता है। इनका उपयोग काफी लाभदायक हो सकता है और दुरुपयोग भी काफी हानिकारक। इसलिए वे ऐसे किसी भी कानून के बनाए जाने के बारे में सचेत कर रहे हैं, जिससे बाद में समस्याएं पैदा हों।

ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जिससे देश में नागरिकों की स्वतंत्रता बाधित हो। दो विरोधी सुझाव दिए गए हैं और हमें उनमें संतुलन बनाना होगा। एक ओर तो यह एक सुविधाजनक कानून हो सकता है और दूसरी ओर यह कानून सरकार और दूसरों के लेन-देन को सुरक्षा प्रदान करेगा। सभा के सदस्यों का यह दायित्व है कि वे इसे विस्तार, निष्पक्ष और सावधानी से देखें तथा तभी कानून पारित करें जो आने वाली शताब्दी में हमारी सहायता करेगा।

अब, यहां ऐसी चीज है और इसलिए हमें इस कानून को सावधानीपूर्वक देखना होगा। इसलिए सुझाव दिया गया था। मैं इसे दोहरा रहा हूं। मैं उन लोगों को समझ रहा हूं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं जो इस तरह का कानून लाने के जिम्मेदार हैं। इसी के साथ-साथ मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि जल्दी में आप कोई गलती न करें। यदि गलती हो जाती है तो उसे आसानी से सुधारा नहीं जा सकता। भारत सरकार के लिए दो दिन, दो महीने या दो साल प्रतीक्षा करना खतरनाक नहीं है मगर गलती करना खतरनाक है क्योंकि गलती जल्दी सुधारी नहीं जा सकेगी और गलती का प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। इसलिए इस तरह की नीति बनाने में विलम्ब तो स्वीकार्य है मगर गलती स्वीकार्य नहीं है। ठीक इसीलिए ही सदस्यों ने कहा है कि "पहले प्रतीक्षा करो, रुको, विचार करो और अपना दिमाग इस्तेमाल करो फिर सभा में आओ।"

यह विधेयक काफी महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री ने सही कहा कि सरकार सभा पटल पर कारगिल रिपोर्ट पर सीडी-रोम रखना चाहती थी मगर ऐसा नहीं किया जा सका। यह विधेयक संसद से भी संबंधित होगा। क्या इस विधेयक में ऐसा कुछ है जिससे संसद की कार्यवाही में इलैक्ट्रानिक उपकरणों के प्रयोग में सहायता मिलेगी? खेद की बात है कि इसमें ऐसा नहीं है। आपको इससे अधिक करना पड़ेगा। संभवत: ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आपको संसद के परामर्श से, यदि कानूनी उपबंध नहीं तो कुछ नियम तो बनाने ही होंगे। न्यायपालिका को भी यह स्वीकार्य होगा। न्यायालयों में कई दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे और उन्हें इन दस्तावेजों के साथ लीगल इंपार्टेंस लगाना पड़ेगा। कार्यपालिका के लिए यह निस्संदेह उपयोगी होगा। यह कानून कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों से संबधित है।

हमें इस कानून का दायरा समझना होगा। यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित है। यह केवल सरकार से ही संबंधित नहीं है बल्कि यह बाहर के लोगों से भी संबंधित है। यह वाणिज्य, व्यापार, उद्योग और अन्य क्षेत्रों के लोगों से भी संबधित होगा। इसीलिए हमें यह देखना होगा कि यह कानून सही ढंग से बने।

माननीय मंत्री यह बता चुके हैं कि यह कानून किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। पहले उन्होंने शब्दों की व्याख्या की फिर उन्होंने ऐसा कानून बनाया जो डिजिटल हस्ताक्षर पहचान सके। उन्होंने इलैक्ट्रानिक ट्रांजेक्शन्स, हस्ताक्षर, कंटेंट्स और सभी चीजों से छेड़छाड़ करने वालों को अपराध की श्रेणी में रखा और दण्ड का प्रावधान किया। उन्होंने ध्यान देने, जांच करने इसके जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को दण्ड देने की मशीनरी उपलब्ध कराई। इसमें अदालती निर्णय का उपबंध भी है।

महोदय, मैं अब इस विधेयक पर आता हूँ। मुझे सबसे पहले इस विधेयक के शीर्षक पर ही आपत्ति है। शीर्षक क्या कहता है? वह कहता है 'सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक'। सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक क्या है? क्या यह प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित है? क्या यह प्रौद्योगिकी वितरण से संबधित है? क्या यह प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है? दरअसल, यह विधेयक शासन व वाणिज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबंधित है। किंतु प्रौद्योगिकी विकास से इसका कोई लेना-देना नहीं है। वे कोई फंड उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। वे विकास की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। वे उपयोगकर्त्ताओं को प्रौद्योगिकी वितरण की जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं मगर ऐसा सोच रहे हैं। किंतु यह शीर्षक एक गलत अर्थ दे रहा है और जब मैंने यह शीर्षक 'सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक' पढ़ा तो मुझे भी भ्रम हो गया था। यह सूचित किया

जाना चाहिए था कि यह विधेयक सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग की सुविधा का प्रयास कर रहा है। विधेयक के शीर्षक से ही एक गलत अर्थ मिलता है। क्या इसका कोई और शीर्षक नहीं रखा जाना चाहिए?

क्या हमें इस विधेयक के पूरे नाम को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना चाहिए क्योंकि इस विधेयक ने सौ वर्ष या इससे अधिक वर्षों तक प्रचलन में रहना है? यदि इसका नाम ही विधेयक के पाठकों को गलत अर्थ दे तब तो हमें इसकी जांच करनी ही होगी।

महोदय, मेरी राय में इस विधेयक का क्षेत्र व्यापक नहीं है। इस विधेयक पर मेरी पहली आपत्ति है कि इसका क्षेत्र व्यापक नहीं है, क्योंकि जैसा कि मंत्री जी और मैंने भी स्पष्ट किया है और जिस उद्देश्य के लिए यह लाया गया है उसके अनुसार इस विधेयक को विधायी उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने में सहायता नहीं मिलने जा रही है। इसका क्षेत्र व्यापक नहीं है। विधानमण्डल को इसके अन्तर्गत नहीं लाया गया है। यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका को इसके अन्तर्गत लाया गया है, तो विधान मण्डल को भी इसके अन्तर्गत लाया जा सकता था। इसका क्षेत्र व्यापक नहीं है और इसमें कई कमियां हैं। जहां तक निजी लेन-देन का संबंध है, इसका क्षेत्र व्यापक नहीं है। मैं पृष्ठ संख्या 2 से पढ़ रहा हूं। खण्ड 4 का संबंधित भाग इस प्रकार है:

> ''इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी .....
>
> (ङ) स्थावर संपत्ति या ऐसा संपत्ति में किसी हित के विक्रय या हस्तांतरण के लिए कोई संविदा।''

अब, आप इस विधेयक में चल सम्पत्ति को अंतरित करने की अनुमति दे रहे हैं। चल सम्पत्ति से संबंधित लेन-देन के लिए तो यह विधेयक प्रासंगिक होगा लेकिन स्थावर सम्पत्ति के संदर्भ में नहीं। आप कम्प्यूटर में 50,000 रुपये कीमत की कार के लिए इलैक्ट्रोनिक करार कर सकते हैं या यदि यह 30 लाख मूल्य की मर्सिडिज कार है और इस तरह की करार कम्प्यूटर पर किया जा सकता है लेकिन आप स्थावर सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति में किसी हित की बिक्री या हस्तांतरण की किसी संविदा की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह चल सम्पत्ति के लिए तो प्रयोज्य है लेकिन स्थावर सम्पत्ति के लिए नहीं। स्थावर सम्पत्ति को इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं लाना चाहिए? मान लीजिए स्थावर सम्पत्ति को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए कुछ और उपबन्धों का प्रावधान करना हो, तो इस प्रयोजनार्थ अधिनियम में कुछ उपबन्धों का प्रावधान करना हम सबकी बुद्धि से परे नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। यही कारण है कि मैंने कहा है कि विधानमण्डल को इसके अन्तर्गत नहीं लाया गया है। निजी कार्यकलापों को इसके अन्तर्गत नहीं लाया गया है और इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक नहीं है। हम यह मान कर चल रहे हैं कि यह विधेयक अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा और हमें इस प्रयोजनार्थ कई अन्य कानून बनाने होंगे। मैं सहमत हूं। मैं इस तथ्य पर विवाद नहीं कर रहा हूं। किसी विधेयक में सब कुछ लाना संभव नहीं है लेकिन कम से कम विधेयक को ऐसा होना चाहिए कि इसमें महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हों और तभी इसका क्षेत्र यथासम्भव व्यापक होगा। लेकिन इस विधेयक का क्षेत्र व्यापक नहीं है।

मैंने बताया कि यह किस तरह से चल सम्पत्ति के लिए प्रासंगिक है और स्थावर सम्पत्ति के मामले में नहीं।

इस बारे में मेरी दूसरी आपत्ति है कि इस विधेयक में कुछ अनावश्यक उपबन्ध हैं। जिन लोगों ने इस विधेयक को तैयार किया है उनके मस्तिष्क में इस बात का भय था कि इस विधेयक में कतिपय चीजों का उपबन्ध करना आवश्यक है। इन चीजों के उपबन्ध के बिना भ्रम की स्थिति होगी और इसलिए हमें विधेयक में ऐसे प्रावधान करने होंगे। चाहे वे फालतू, अनावश्यक लगें लेकिन फिर भी आपको उन्हें विधेयक में शामिल करना ही है। अब यह गलत प्रकार का प्रारूप है और गलत तरीके से कानून बनाने का तरीका भी। यदि भारत में अपनाए गए न्यायशास्त्र के कुछ अन्य सिद्धान्त हैं और यदि भारत में न्यायालयों द्वारा कतिपय निर्णय है तो हमेशा ही इस तरह की चीजों को मानना जरूरी नहीं है, उसमें कुछ फालतू, अनावश्यक बातें हैं, दुर्घटनाओं के लिए आप अतिरिक्त बातों का उपबन्ध कर सकते है लेकिन इन्हें आप सामान्य कामकाज करने के लिए अतिरिक्त बातों का उपबन्ध नहीं कर सकते। इस प्रकार की चीजें आवश्यक नहीं हैं। ये सभी अतिरिक्त बातें कहां हैं? मैं केवल एक खण्ड पढ़ता हूं जिससे पता चलेगा कि यह अनावश्यक है। खण्ड 57(2) के अनुसार:

> ''न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पक्षकारों की सहमति से किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील साइबर अपील अधिकरण की नहीं होगी।''

क्या कानून में इस तरह का प्रावधान करना आवश्यक है? यह एक स्थापित सिद्धांत है। यदि किसी न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पक्षकारों के बीच समझौते के लिए कोई निर्णय दिया जाता है तो इस निर्णय को तब तक माना जाता है जब तक किसी कपट की या इसी प्रकृति की किसी बात की दलील पेश न की जाए। लेकिन यहां कानून में इस बात का उपबन्ध है। मैं नहीं जानता कि इस विधेयक में इसका उपबंध क्यों किया गया है।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

फिर इस विधेयक में कुछ और भ्रामक उपबन्ध है और आपको इन भ्रमों को स्पष्ट करना होगा। ये भ्रामक उपबन्ध कौन से हैं? मैं खण्ड 58(1) पढ़ूंगा, इसके अनुसार:

> "साइबर अपील अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा....."

ऐसा प्रतीत होता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। वास्तव में, यह और बृहत्तर क्षेत्र की बात करती है और यहां कहा गया है:

> "और इस अधिनियम तथा किन्हीं नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगा। साइबर अपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है जहां उसकी बैठकें होंगी, विनियमित करने की शक्ति होगी।"

अब यहां तीन चीजें हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत और तब अभिकरणों को अपनी प्रक्रिया अपनाने की अनुमति है। मैं समझता हूं कि इसे भली भांति तैयार नहीं किया गया है। यह अच्छा अधिनियमन नहीं है, यह अच्छा कानून भी नहीं है। फिर, खण्ड 58(2) में यह कहा गया है:

> "साइबर अपील अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं।"

एक जगह पर यह प्रयोज्य नहीं है और दूसरे स्थान पर यह प्रयोज्य है। उसके बाद यह बात यहां दुबारा कही गई है।

> "निम्न मामलों के संबंध में दावे का विचार करते समय:-"

मैं इन पर विस्तार से बात नहीं कर रहा हूं। तत्पश्चात्, परिसीमन अधिनियम में परिसीमनों का उपबन्ध है और इसके अनुसार:

> "परिसीमन अधिनियम, 1963 के उपबंध, जहां तक हो सके, साइबर अपील अधिकरण को की गई अपील को लागू होंगे।"

ये ऐसे उपबन्ध हैं जिनसे भ्रम की स्थिति पैदा होने की संभावना है। कानून को न्यायालयों की कार्यवाही तथा उनसे बाहर व्यवहार को जटिल बनाने की बजाय सरल बनाना चाहिए। तथापि, इससे लगता है कि यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे। एक धारा में एक दूसरे के विपरीत शब्दों एवं शब्दावली के प्रयोग से लोगों के मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न होने की संभावना है।

सरकार की मंशा लगती है कि चूंकि हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं तो काम तेज होना चाहिए; निर्णय लेने में हमें एक दिन या एक महीना नहीं लगाना चाहिए और यदि निर्णय दिया जाना हो तो उसे तुरन्त दिया जाए। तथापि निर्णय देने के और विनिर्णय करने वाले प्राधिकारियों के बनाए गए स्तरों से संभवत: विलम्ब ही होगा। एक तरफ तो प्रमाणपत्र देने के लिए एक अधिकारी है और उसके बाद इस निर्णय के विरुद्ध निर्णय देने के लिए एक अधिकरण और वह निर्णय उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यहां कुल मिलाकर तीन अपीलों का प्रावधान किया गया है। सामान्यत: दो अपीलों की व्यवस्था की जाती है। लेकिन यहां तीन अपीलों की व्यवस्था की गई है। यदि आप तीन अपीलों की व्यवस्था करेंगे तो निसन्देह कुछ लोग समाज में ऐसे भी होंगे जो प्राधिकरणों द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करने में विलम्ब के लिए इस प्रावधान का प्रयोग करें। मैं समझता हूं कि इतने स्तरों को रखना आवश्यक नहीं है। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि न्याय-निर्णयन उचित तरीके से किया जाए। लेकिन वहां यह कठिनाई है और हम इसे अनदेखा भी नहीं कर सकते।

इस विधेयक में एक या दो उपबन्ध वास्तव में ऐसे हैं जो कि इस देश में स्वीकृत आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों के विपरीत जाते हैं। मैं वकालत करने वाला वकील नहीं हूं। श्री जेटली यहां है और सम्भवत: वे इस प्रावधान पर अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं। मैंने जो पढ़ा और समझा उसके आधार पर मैं यह कहता हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेरे मित्र गलत हैं और मैं सही। लेकिन मैं तो महसूस करता हूं कि मैं जो समझ रहा हूं वह सिद्धान्तवार, व्यवहारिक तौर पर और आपराधिक न्यायिक शास्त्र की दृष्टि से भी उचित नहीं है। यह क्या है जिसे मैं आपत्तिजनक मान रहा हूं। यह खण्ड 76 है। पृष्ठ संख्या 21 पर खण्ड 76 के अनुसार:

> "इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति या किया गया अधिहरण किसी अन्य दंड के अधिरोपण को निवारित नहीं करेगा जिसके लिए उसके द्वारा प्रमाणित व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दायी है।"

अपराध करने वाले व्यक्ति को इस कानून के तहत किसी भी तरीके से दण्डित किया जा सकता है। यह धारा कहती है कि उसे

किसी अन्य तरीके से भी दण्डित किया जा सकता है। क्या यह दुहरा दण्ड विधान नहीं है? क्या संविधान के अन्तर्गत इस बात की अनुमति दी गई है? एक व्यक्ति एक अपराध के लिए एक बार ही दण्डित किया जा सकता है। उसे इस अधिनियम के साथ-साथ किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत दो बार दण्डित नहीं किया जा सकता है। मैंने इस उपबंध को ऐसा समझा है। कुछ मित्रों ने मुझे यह समझाने की चेष्टा की कि सम्भवत: सरकार सही है। मैं इस पर बहुत अधिक कठोर रुख नहीं अपना रहा हूं। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की यदि इस पर 'एक' कार्रवाई है तो उस कार्रवाई के लिए कानून का उपबन्ध है, और किसी अन्य कानून के तहत भी उस पर कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय दण्ड संहिता के तहत भी इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। यदि ऐसी बात है और ऐसा सिद्धांत है तो हमें इस प्रकार के प्रावधान की क्या आवश्यकता है? मैं तो यह समझता हूं कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दुबारा दण्ड नहीं दिया जा सकता है, यदि उसे दो कानूनों के तहत दण्डित किया जाना हो तो इनके तहत उसे एक ही न्यायालय में सजा सुनाई जानी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि उसके विरुद्ध दूसरे कानून के तहत मामला दर्ज किया जाए और उसे दूसरी बार दण्डित किया जाए।

अपराह्न 3.54 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

उसे दुबारा दण्डित क्यों किया जाए? यदि तकनीकी रूप से यह किया जा सकता है तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जिस आदमी को दण्डित किया जाना हो उसे सभी समकालीन कानूनों के तहत एक ही बार में दण्डित किया जाए। उसे पूरी प्रक्रिया से दो बार गुजरने की जरूरत नहीं है। उसे दो मामलों या और अधिक मामलों को विभिन्न कानूनों के तहत बार-बार गुजरने की आवश्यकता नहीं है। यदि चार या पांच कानूनों को किसी व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया जा सकता है तो क्या हमें एक मामला एक कानून के तहत, दूसरा दूसरे और तीसरा तीसरे के अन्तर्गत और इसी तरह से आगे दायर करना चाहिए?

इस प्रकार के उपबंध का मैं कड़ा विरोध करता हूं। यह प्रक्रिया को सुगम नहीं अपितु जटिल बना रहा है। यह इस नई प्रौद्योगिकी के उपयोगकर्ताओं को स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर रहा है अपितु इस प्रौद्योगिकी के उपयोगकर्ताओं के मन में भय पैदा कर रहा है। यदि उन्होंने अपराध किया है तो उन्हें एक बार दंडित किया जाना चाहिए। आप जो भी दंड देना चाहते हैं आप उसे दें किंतु आप अलग-अलग समय पर विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अलग-अलग न्यायालयों में दंड नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

इसका मैं विरोध करता हूं। किंतु इसकी कानूनी विशेषज्ञों द्वारा जांच की जानी चाहिए और उन्हें किसी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए।

कुछ लोगों ने इस कानून की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह क्रूर कानून है। कुछ लोगों ने टेलीविजन पर साक्षात्कार दिया है। कुछ लोगों ने इस पर लेख इत्यादि लिखे हैं। मैं इस सीमा तक नहीं जाऊंगा कि मैं यह कहूं कि यह 'क्रूर कानून है'. किंतु इस विधेयक के कुछ उपबंध उससे कहीं अधिक कठोर हैं जितना उन्हें होना चाहिए था और यदि यह संभव हो तो एक ओर हमारा कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि इस नई प्रौद्योगिकी का दुरूपयोग न हो और दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना है कि इस कानून द्वारा नई प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में विवाद पैदा करने के बजाए इसका उपयोग सुकर हो।

मैं पृष्ठ 23 पर खंड 84 का उल्लेख कर रहा हूं। यह एक बहुप्रयोजनीय उपबंध है। इसमें उपबंध है:

> "जहां कोई व्यक्ति, जो कंपनी है, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी निदेश या आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस उल्लंघन के लिए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे।"

और परन्तुक कहता है:

> "परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसा उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।"

आप नेट के इतने विस्तार की अनुमति दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में कार्य कर रहा है, इसके अन्तर्गत लाया जा सके। यदि कंपनी का मुख्यालय यहां हो और मुम्बई, कलकत्ता और बंगलौर में उसके शाखा कार्यालय हों और वे कार्य कर रहे हों तथा यदि ऐसा माना जाए कि वे दिल्ली में बैठे व्यक्ति के मार्गनिर्देशन और पर्यवेक्षण में कार्य कर रहे हैं और यदि वहां कोई अपराध होता है तो आप उस व्यक्ति को आसानी से पकड़ सकते

[श्री शिवराज वि. पाटील]

है जो यहां बैठा है और उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। यह उपबंध कहता है:

> "किंतु उसे यह साबित करने का अधिकार है कि जो कुछ हो रहा है उसे उसकी जानकारी नहीं है और यह उसकी सहमति के बिना किया गया है।"

यह जिम्मेदारी अभियोजन से दोषी व्यक्ति पर डाली गई है।

मेरी राय में इस उपबंध में सटीक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। आप दूर बैठे व्यक्ति, जो फिर भी इस प्रकार के कार्यकलापों का मार्गनिर्देशन कर रहा है, को ऐसा न करने देने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में उपेक्षापूर्ण रवैये के बावजूद कानून में ऐसा उपबंध नहीं है जो जांचकर्ता पुलिस अधिकारी या इस संबंध में किसी अन्य अधिकारी को उसे पकड़ने, उसके विरुद्ध कार्यवाही करने और उसके विरुद्ध अभियोजन चलाने की अनुमति दे सके।

इससे कठिनाइयां पैदा होंगी। जो इस कारोबार में हैं वे पहले ही कहने लग गए हैं, "आप यह क्यों कर रहे हैं? मैंने टेलीविजन पर श्री अरुण जेटली का साक्षात्कार देखा। उन्होंने कहा: 'ठीक है, यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता में है फिर आप इसके बारे में क्यों परेशान हैं? यदि दंड प्रक्रिया संहिता में यह है तो फिर यह उपबंध यहां क्यों किया जा रहा है? दंड प्रक्रिया संहिता इस पर लागू होगी, यह वाक्य ही पर्याप्त है। किंतु आप उपबंध कर रहे हैं किंतु प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस उल्लंघन के लिए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था।" ये शब्द इस कारबार को कर रहे लोगों के मन में शंकाएं पैदा करते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

कारबार को सुगम बनाने के बजाए इस तरह के उपबंध का उपयोग कर वे लोगों के मन में भय पैदा करने जा रहे हैं।

मेरा यह निवेदन है कि इसकी सावधानीपूर्वक जांच की जाए और यदि इस उपबंध को होना चाहिए तो आप निर्णय ले सकते हैं। किंतु मेरी समझ से यह उपबंध अपेक्षा से अधिक कठोर है और इसकी आवश्यकता नहीं है। हम इसे छोड़ सकते हैं या आप इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि इस कानून की कठोरता समाप्त हो।

इस विधेयक में ऐसे कई उपबंध हैं जिससे लगता है कि चूंकि यह एक नया क्षेत्र है और क्योंकि सरकार इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही है तथा देश को भी नए क्षेत्र में ले जा रही है इसलिए सरकार का मानना है कि कई ऐसे अनजाने क्षेत्र हैं जिनमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है अत: सरकार ने यह विवेकाधिकार बरकरार रखा है कि जब कभी कानून में संशोधन या उसकी व्याख्या करना आवश्यक हो तो ऐसा किया जा सके:

> "यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।"

शायद ऐसा उपबंध कर कार्यपालिका संशोधन करने का अधिकार लेने का प्रयास कर रही है जो विधायी कार्य है। यह समर्थ्यकारी उपबंध है। कुछ कानूनों में ऐसा उपबंध है। संविधान में भी कहीं-कहीं पर ऐसा उपबंध है? किंतु यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि यह नया क्षेत्र है। यह दर्शाता है कि ऐसी स्थितियां पैदा होने की संभावना है जिनमें सरकार के लिए यह स्पष्टीकरण देने के लिए अधिसूचना जारी करना आवश्यक हो कि इस कानून को कैसे लागू किया जाए। यह अन्य उपबंधों में भी है। खंड 87(3) नियम बनाने की शक्ति के बारे में है जिसमें उपबंध है:

> "धारा 1 की उपधारा (4) के खंड (च) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई प्रत्येक अधिसूचना और किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस स्तर के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी। किंतु अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

खंड 88(3) में भी इसी तरह का उपबंध है। विधेयक में तीन स्थानों पर विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाले यह संकेत देते हैं कि इन क्षेत्रों में उन्हें इन उपबंधों को देखना होगा और कानून की अलग-अलग ढंग से व्याख्या करनी होगी। यह सतर्कता

अच्छी है क्योंकि यह नया क्षेत्र है किंतु साथ ही यदि आप नियम के बारे में इतने सतर्क हैं तो क्या हमें विधान या संविदा के बारे में भी इतना ही सतर्क नहीं रहना चाहिए? स्वाभाविक रूप से ब्यौरे नियम में दिए हैं और शायद नियमों में दिए गए ब्यौरों को बदलने की गुंजाइश है। किंतु कानून अधिक महत्वपूर्ण है और यदि कोई नियम कानून के विरुद्ध है तो वह स्थिति में सुधार नहीं ला सकता है। इसीलिए हमें इस संबंध में बहुत सावधान रहना होगा।

मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हूं जिन्हें वैज्ञानिकों का साथ मिला और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रहने के कारण दीर्घावधि तक उनका साथ मिला है। मैं प्रत्येक क्षेत्र— प्रशासन, उत्पादन, ज्ञान सृजन के क्षेत्र में आधुनिकीकरण और भावी समस्याओं का सामना करने के प्रयासों की सराहना करता हूं। हम उसकी सराहना करते हैं। किंतु जब हमारा सरोकार ऐसे क्षेत्रों से हो तो गलतियां करने से विलम्ब भला होगा। भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। उन्हें सदियों की सोच के बाद बनाया गया। उनका प्रारूप अच्छी तरह से तैयार किया गया है। भारत के संविधान का प्रारूप अच्छी तरह व स्पष्टत: तैयार किया गया है कि संविधान के उपबंधों के पठन में कोई अस्पष्टता नहीं है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का प्रारूप भी अच्छी तरह तैयार किया गया है। मेरी आपत्ति आकार और लालित्य को लेकर है और इसे बुरा न माना जाए। यह कानून लालित्यपूर्ण ढंग से तैयार नहीं किया गया है। इसमें सटीक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। यह कानून भ्रम पैदा कर रहा है। यह व्यापक नहीं है। कई स्थानों पर अस्पष्ट है। इसीलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हालांकि यह किया जाना चाहिए किंतु यह सुरुचिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। इसे किया जाना चाहिए किंतु इसे ऐसे ढंग से किया जाए कि यदि सभी ब्यौरे के साथ न सही तो कम से कम सारत: यह आगामी कई वर्षों तक जारी रहे। कम से कम सारत: यह बना रहे और इसे आसानी से संविदा पुस्तिका से हटाया नहीं जा रहा है। इसे इस विधि से किया जाए कि ऐसा लगे कि हम नई सदी और कार्यकलापों के नए क्षेत्र में सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रवेश कर रहे हैं। मेरी आपत्ति उस बात को लेकर है और न कि विधेयक के सार को लेकर नहीं है।

मेरी आपत्ति उस आशय या इरादे को लेकर नहीं है जिसके साथ इस विधेयक को लाया गया है। मेरी आपत्ति इस विधेयक के सार के बजाए उस रूप से है जिसमें इसे लाया गया है। इसीलिए, यदि आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, जिसके बारे में सभी सहमत हैं और यदि इसके व्यापक प्रभाव हैं तथा जो वर्षों तक के लिए मान्य रहेंगे तो फिर आप इसे अधिक सतर्कता, थोड़ा धीरे एवं और सही ढंग से क्यों नहीं करते हैं? यही मेरा निवेदन है।

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान (नवादा): सभापति महोदय, बहुत लम्बी प्रतीक्षा के बाद आज इस बिल को सदन में प्रस्तुत किया गया है और मैं इसके समर्थन में उठा हूं। आज सही मायने में सारे विश्व में साइबर और उसके बारे में जो जागरूकता और जो जानकारियां उपलब्ध हैं, साइबर फील्ड में जो साइबर यूनिवर्स है, जो सॉफ्टवेयर कम्प्यूटर के इंडियन एक्सपर्ट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वे निश्चित तौर पर अपनी भूमिका को सार्थक बना रहे हैं। जिससे हम अभी तक वंचित हैं, जो ई-कॉमर्स है, जो ई-बिजनैस है, यह सब इंडिया में भी हो रहा है जिससे हमें नुकसान करोड़ों अरबों रुपये का हो रहा है लेकिन हम लोग इससे वंचित हैं। आज क्राइम हो रहा है लेकिन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जो मशीनरी हमारे पास है, वह सक्षम नहीं है। जब तक क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जो पुलिस पर्सनल हैं, जो भी लोग हैं, जो भी एजेंसियां हैं, उनको यह पता नहीं है कि क्राइम कैसे किया जाता है, क्राइम के क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, इस बिल के द्वारा जो प्रोविजन्स किये गये हैं, उसमें सारी बातें लिखी गई हैं। दुनिया भर में जो भारत की आई.टी. में पहचान बनी है, इस पहचान को कैसे संवारें, कैसे सजायें, यह सोचने की बात है। आपने देखा कि पेटेंट के बिल के मामले में हम लोग पिछड़ गये हैं। पेटेंट मामले में हमारी जो विरासत है जिस पर हमारा आधिपत्य रहा है, उस पर अमेरिका और फ्रांस की कंपनी अपवा दावा ठोक रही हैं। जिस सामान पर हमारा आधिपत्य, ओनरशिप, स्वामित्व रहा है, जो हमारे पुरखे सम्मिलित करते रहे हैं, लॉ बनाने में हम लोगों को थोड़ी देर हो गई है, इस कारण से नुकसान हो गया। आज हम लोगों ने सारे विश्व की कोर्ट में अपील की हुई है, उसकी एपीलैट कोर्ट में हम गये हुए हैं और मुझे आशंका है कि यदि हम इसमें भी देर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत देर हो चुकी है तथा और विलम्ब करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा नुकसान होने वाला है। हमें जानकारी मिली है कि जो विदेश के बैंक हैं, वे दिन भर तो काम करते हैं और रात में सारी इंफॉर्मेशन इंडिया में भेज देते हैं और इंडियन प्रोफैशनल्स से काम करवा रहे हैं क्योंकि यहां लेबर चीप है। जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स यहां भेज दे रहे हैं और यहां राइटिंग करके, फर्निशिंग करके वापस कंट्री में भेज रहे हैं जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। इससे हैकर्स के द्वारा जो आर्थिक क्षति देश को हो रही है, अभी आप लोगों ने सुना कि

[डा. संजय पासवान]

लब बग आ गया, दिल्ली की पुलिस ने उसे पकड़ा है। मैं दिल्ली की पुलिस को शाबासी देता हूं कि उन्होंने वर्कशॉप कराई है। इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे इसे टैकल करें क्योंकि इस बारे में कोई लिखित नियम नहीं हैं। ऑलरेडी इतना विलम्ब हो चुका है। इसे पहले ले आना चाहिए था। मैं कहना चाहता हूं कि कोई नियम फॉरएवर नहीं होता। यह परिवर्तनीय और संशोधनीय है। इसलिए आने वाले समय में जो एप्लीकेशन पार्ट होगा, उसमें कई बातें सामने आएंगी। हमें लगता है कि इसमें जो बातें सामने आएंगी, उनमें अमेंडमेंट होंगे, उनमें भी संशोधन किया जाएगा। इस सरकार ने जो प्रोग्रेसिव स्टैप उठाया है, तमाम कॉर्नर्स से इसका वैलकम किया जाना चाहिए। इसको समाज के हित में, देश के व्यापार के हित में और देश में जो नॉलेजिएबल सोसायटी है, जिसका रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है, जो इस क्षेत्र में महारथी हैं, सारे संसार में वे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, उनको हम बाहर जाने से रोक सकते हैं। जो प्रोफैशनल्स का बाहर माइग्रेशन हो रहा है, इससे मॉस एक्सोडस पर रोक लगेगी। निश्चित तौर पर यह बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन है जो अपने में बड़ा पूर्ण दिखाई देता है और अगर कुछ छूटेगा तो आगे आने वाले समय में हम मोडिफाई कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यह बिल जो लाया गया है, यह समाज, बुद्धिजीवी, देश के व्यापार सभी के हित में हो और इसीलिए माननीय मंत्री जी ने जो यह बिल रखा है, हम इसका स्वागत करते हैं और भविष्य में साइबर लॉज में जो इम्पैडीमेंट्स हैं, जो अड़चनें, व्यवधान हैं, उनसे जूझने में हमें सहायता मिलेगी। इस विधेयक के पास होने से जो काम रुके हुए थे, जिन कामों पर विराम लगा हुआ था, उनको पूरा करने में एक दिशा मिलेगी। यह विधेयक राष्ट्रीय उन्नति में सहायक होने वाला है। हम चाहते हैं कि इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया जाए। इस बिल के संबंध में जो आशंकायें व्यक्त की जा रही है, वे निर्मूल हैं और निश्चित तौर पर इस विधेयक के पास होने के बाद देश आगे बढ़ेगा। इन्फोटैक के मामले में तीन प्रमुख बातें सामने आ रही हैं - बायोडाइवर्सिटी, पेटेंस और साइबर लाज़। इन सब बातों के बारे में सरकार की आंख खुली है और देश ने इसका स्वागत किया है। यह बिल जितनी जल्दी पास होगा, उतना ही देश के लिए अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, सदन से आशा करता हूं कि सदन इस बिल को ध्वनि मत से पास करे।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, यह बहुत समय से लंबित पड़ा विधेयक हमारे सामने आया है। जबकि इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं फिर भी मैं शुरुआत में ही इस बारे में दो बात कहे बिना नहीं रह सकता। इस सरकार को इस कानून को लाने की इतनी जल्दी क्यों है जिसके हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों पर दूरगामी परिणाम होंगे? इसका परिणाम भारतीय समाज की प्रत्येक गतिविधि क्षेत्र में पड़ेगा। मैं हैरान हूँ कि इस जल्दबाजी के क्या कारण हो सकते हैं? इस विधेयक की गहराई में जाने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए था। इस विधेयक से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम आदि जैसे कई वर्तमान कानून अंततः साइबरोन्मुख हो जाएंगे। यदि मैं गलत नहीं हूं तो आज तक केवल दस देशों ने ही सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कानून बनाए हैं। उनमें से केवल तीन ने ही व्यापक विधान बनाए हैं। वर्तमान विधेयक मलेशियाई माडल पर आधारित है। अमरीका, कनाडा जैसे देशों और यूरोपीय संघ ने अपने विद्यमान कानूनों में आवश्यक संशोधन किये हैं। कुछ देशों ने कानूनी ढांचा ऐसा बनाया है जो प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही स्वयं को उसके अनुकूल बनाएगा। इसका कारण यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी अन्य प्रौद्योगिकियों से सर्वथा भिन्न है। यह वैधानिक प्रक्रिया और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के बीच मुकाबला है। कई मौकों पर, सूचना प्रौद्योगिकी वैधानिक प्रक्रिया को पीछे छोड़ देती है। यह रफ्तार इतनी तेज और बुनियादी है कि कई देशों को इस परिस्थिति से सामंजस्य बैठाना कठिन हो जाता है।

इस संबंध में कई उपबन्ध हैं। उदाहरण के लिए, डिजिटल हस्ताक्षर। यह विधेयक का एक महत्वपूर्ण भाग है जो व्यवसाय, बैंकिंग और वाणिज्य लेन-देन की संपूर्ण परिस्थिति को आने वाले समय में आमूल रूप से बदल देंगे। डिजिटल प्रौद्योगिकी "एप्लाइड" गणित पर आधारित प्रौद्योगिकी है। इसे सरलता से यूं कह सकते हैं कि यह एक सम्मित "एनरजिप्शन सिस्टम" है जिसमें एक "प्राइवेट की" और एक "पब्लिक की" होती है। "प्राइवेट की" का पता केवल मालिकों को ही होगा। उसका पता केवल उन्हें ही होगा और "पब्लिक की" का पता दूसरों को होगा जिससे वे "पब्लिक की" के द्वारा, मूल हस्ताक्षर को प्रमाणित कर सकें। यहाँ एक बात आती है जिस पर पूरे विश्व में अमल होता है। हम आज डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग हस्ताक्षरों का पहचान, अधिप्रमाणन और सत्यापन तथा हस्ताक्षरों को सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि इस तकनीक के विकास से, संबंधित देशों को डिजिटल हस्ताक्षरों की परिभाषा को पुनः परिभाषित करना पड़े। मैं समझता हूं कि यह सुझाव "नैसकॉम" ने भी दिया है कि हमारे पास एक मूल कानूनी ढांचा होना चाहिए और उसे वहीं रहने दीजिए जिससे वह स्वयं को प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ स्वयं को समायोजित कर सके।

मैं नेट प्रयोग के दूसरे पक्ष पर आ रहा हूँ। ई-कामर्स में ुख चिंता सुरक्षा से संबंधित है। मुझे लगता है भारत में आज ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रणाली में सुरक्षा के प्रति पूरा विश्वास नहीं । पूरे विश्व में ऐसी प्रणालियां हैं जो अपनी इच्छा से किसी भी चार प्रणाली में दखल दे सकती है। मैं ऐसी एक प्रणाली का हाँ हवाला देना चाहूंगा जिसके कारण, यह कहा जा रहा है कि च फिक्सिंग और सेलफोन की पहचान की गई थी। यह पुरानी ौद्योगिकी है। संपादकीय सांख्यवाहिनी के पृष्ठभूमि में आ गए हैं। स प्रौद्योगिकी को "एशलॉन" प्रौद्योगिकी का नाम दिया गया है। ामने आने वाली अमेरिका की अवरोधन क्षमता (इंट्रासेप्शन पेबिलिटी) सामग्री से यह स्पष्ट हो गया है कि भविष्य में क्या छिपा हो सकता है। उदाहरण के लिए हाल ही में रहस्योद्घाटित एशलॉन परियोजना से अमेरिका इलेक्ट्रानिक संचार के लगभग सभी ाधनों की नकल उतार सकता है—चाहे वह दुनिया भर के फैक्स सारण हैं, ई-मेल संदेश हों, मोबाइल फोन कॉल हो या अन्य केसी भी तरह का टेलीफोन वार्तालाप हो। यह इस कारण हुआ कि, अमेरिका ने फ्रांस को अपने लाभ के लिए कुछ वाणिज्यिक भेद को प्रापत करने हेतु लक्ष्य बनाया। इस विषय में जो विवाद उठे उससे यह स्पष्ट हो गया कि एशलॉन का प्रयोग अमेरिका अपने "नाटो" सहयोगियों, विशेषकर फ्रांस को निशाना बनाकर व्यापारिक जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने क्या किया? वे अपनी जरूरत की सभी सूचना को एशलॉन प्रणाली से प्राप्त कर लेते थे। इसलिए, इंटरनेट प्रणाली के ई-कॉमर्स में कुछ भी अभेध नहीं है। यही इस परिस्थिति से जुड़ा विरोधाभास है। यह "लव बग" के बाद सामने आया है। फिलिपिन्स ने एक महिला अध्यापिका की, पहचान की जिसने शोधपत्र जमा किया था और छात्रों के साथ कुछ अन्य चीजों को इस प्रणाली से जोड़ दिया। चूंकि ये विद्यार्थी और ये लोग वित्तीय कमी के चलते इंटरनेट पर पर्याप्त समय तक काम नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अन्य इंटरनेट सुविधा चाहते थे और असावधानीवश तथा अनभिज्ञतावश वे प्रणाली को नुकसान पहुँचा रहे थे। इस नवीनतम क्षति से विभिन्न प्रणालियों में विभिन्न तरीके से कुल मिलाकर 10 बिलियन डालर का नुकसान हुआ होगा। इसलिए, वायरस-विरोधी, "फायर-वालिंग" जैसा कुछ भी नहीं है, आप इसे जो भी कहें, जो अपने नामाकूल किसी भी लेन-देन में संपूर्ण सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके।

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाले अधिकारियों के बारे में सुझाव आया है।

इन प्रमाणकर्त्ताओं को कौन प्रमाणित करेगा? यह भी हुआ है कि प्रमाणित करने वालों के अधिकार भी जाली निकले हैं। प्रमाणकर्त्ताओं की पहचान भी छिखाई गई है। यहाँ एक प्रावधान भी है जो मुझे नहीं लगता पर्याप्त है। यदि आप विभिन्न खंडों, धाराओं को देखें तो, इस प्रस्तावित कानून में कमियां और बेमेलता दिखेगी। मैं आपको इस परिवर्तन के बारे में बताना चाहता हूँ।

आज, पी.सी. बाद के समय में—कम्प्यूटर, इंटरनेट, प्रसारण प्रणाली, टेलीकाम प्रणाली प्रौद्योगिकी परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण घटना है। परंतु, हमारी सरकार में आप पाएंगे कि एक मंत्री सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए है, दूसरा मंत्री सूचना और प्रसारण विभाग संभाल रहा है और अन्य संचार संबंधी कार्य के लिए अलग मंत्री है जिसका स्वयं का अपना कार्य क्षेत्र है।

श्री प्रमोद महाजन: सभी एक ही पक्ष के हैं।

श्री रूपचन्द पाल: जी हाँ, एक पक्ष के हैं परंतु सबका मस्तिष्क एक नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन: जी हाँ, हम हैं।

श्री रूपचन्द पाल: मैं इस पर बाद में बोलूंगा।

दिल्ली में भी, सेलफोन में, एक व्यक्ति वॉयरलेस अप्लीकेशन प्रोटोकॉल द्वारा, अपने कम्प्यूटर से कार्यवाही कर सकता है। परिवर्तन इस प्रकार का है कि, केबल टी.वी. जो इस देश में पी.सी. से भी अधिक है, अधिक इंटरनेट सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं—बेसिक से सेल फोन, मोबाइल से बेसिक और इसी तरह टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध हैं। इस प्रकार विश्व के विकसित देशों—अमेरिका में फेडरल कमीशन और यू.के. में "आफटेल" में प्रौद्योगिकी परिवर्तन को देखते हुए केवल एक ही सत्ता है। हमारे देश में, तकनीक के इस तेजी से अभ्युदय के बाद भी, हम इस बदलाव के तत्व पर ध्यान देने में संपूर्ण रूप से असफल हुए हैं। मुझे पता है, मंत्री महोदय यह उत्तर देंगे कि एक उपसमूह बनाया गया है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 और साथ ही प्रस्तावित प्रसारण विधेयक का विस्तार से अवलोकन करेगा।

मुझे पता है, मंत्री महोदय यह कहेंगे कि डी.टी.एच. पहलू और डी.टी.एच. संभावनाओं की जाँच प्रसारण विधेयक में की जाएगी। मुझे पता है वे यह कहेंगे कि 1885 का भारतीय तार अधिनियम में इस विशेष परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए उपयुक्त संशोधन किये जायेंगे। परंतु मेरा प्रश्न यह है कि, जब सूचना प्रौद्योगिकी की ये विशेष खूबी मानव विकास, मानवीय समाज के सभी पहलू में अपना योगदान दे रहा है तो, आप इस संपूर्ण परिस्थिति पर व्यापक दृष्टिकोण डालने में असफल क्यों हो रहे हैं?

[श्री रूपचन्द पाल]

आप इस स्थिति पर व्यापक दृष्टि डालने में असफल क्यों हो रहे है? निःसंदेह इसके बाद भी यह प्रयोगात्मक विधान होगा। तीव्र बदलती परिस्थितियों में अंतिम जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए विश्व के कई विकसित देश एक मूल कानूनी ढांचा बना रहे हैं और जब जैसे इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी उसके विकास के साथ सामंजस्य बैठाएंगे।

क्या मैं माननीय मंत्री से सूचना की परिभाषा पूछ सकता हूँ? क्या इसमें 'स्वर' है? आवाज को सम्मिलित किया गया है। मुझे पता है कि मंत्री यह कहेंगे कि वे आवाज को सूचना के परिभाषा के एक भाग के रूप में लेंगे। विख्यात न्यायवदि श्री नरीमन की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई है जो इस पर ध्यान दे रही है। यह सच भी हो सकता है। परंतु प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं इस प्रश्न को नहीं पूछ रहा हूँ। क्यों इंटरनेट टेलीफोन की अनुमति नहीं दी जा रही है? आप एशलॉन तकनीक के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि सांख्यवाहिनी किस प्रकार हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है। आप जानते हैं कि कारगिल युद्ध में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना पड़ा था, कैसे पाकिस्तान ने हमारे सिगनल का पता लगा लिया था, कैसे हमें अपनी भाषा को बदलना पड़ा और कैसे ''कोडिंग-डिकोडिंग'' की समस्या से निपटना पड़ा।

यहाँ तक कि हर्षद मेहता के मामले में क्या हुआ? महोदय, आपने भी इस मामले को उठाया था। हर्षद मेहता के फ्लोपी डिस्क को डिकोड करने में कई महीने लग गए थे। यह बहुत पहले हुआ था। परंतु अब परिस्थिति बदल चुकी है। भारत में भी ऐसे मामले आ रहे हैं और हम परिस्थिति पर नियंत्रण पाने की स्थिति में नहीं हैं। नियंत्रक अधिकारी को बैठाने के बाद भी, और डिजिटल हस्ताक्षर को प्रमाणित और सत्यापित करने हेतु प्राधिकरण के गठन के बाद भी, सुरक्षा के संबंध में प्रस्तावित बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के बाद भी, मुझे नहीं लगता कि यह विशेष विधेयक आने वाली घटनाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त होगा।

इससे भी बड़ी बात है कि सरकार जल्दबाजी में है। अब हमारे ई-कामर्स को 300 करोड़ की आय हो रही है, शायद, मोटे अनुमान के बाद इस आज को हम 2002 तक 10,000 करोड़ रुपये तक ले आएं। हम ई-कामर्स और नई अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। परंतु हमारे माननीय वित्त मंत्री स्वयं यह कह रहे हैं कि भारतीय परिस्थिति में माऊस और क्लिक पर बहुत कुछ बोलना नहीं चाहिए। ईमारतें और भवन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। बल्कि, भारतीय परिस्थितियों में माउस और क्लिक से बैल और हल ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने यह देखा है। प्रधानमंत्री द्वारा जो सरकार के और हमारे वित्त मंत्री के घनिष्ट मित्रों, श्री राहुल बजाज और श्री संजीव गोयनका के नेतृत्व में स्थापित समूह की एक अद्यतन रिपोर्ट में भारतीय परिस्थितियों में उत्पादक क्षेत्र की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अपने आप हमारी अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं कर सकती और इस नई अर्थव्यवस्था में अस्थिरता, अनिश्चितताओं को हर कोई देख रहा है। क्या हम हो रही घटनाओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी संचार और मनोरंजन के नाम का क्या मतलब है— पत्रकारों ने शेयर बाजार में उसे आई सी ई का नया नाम दिया है।

यह कहा जाता है कि जब नासडाक को जुकाम होता है, बम्बई शेयर बाजार को छींके आती हैं, हम इतने निर्भर हो गये हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हमें यह प्रमाण-पत्र दे रहे हैं कि सिलिकॉन वैली में 40 प्रतिशत योगदान भारतीयों का है। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री खुश होते हैं कि उन्हें अमरीकी राष्ट्रपति से प्रमाणपत्र मिला और यह कि अमरीकी राष्ट्रपति को चालक-लाइसैंस इंटरनेट के द्वारा दिया जा सका है। क्या संभव नहीं है? भारत की स्थिति विश्व के इंटरनेट सूची में क्या है? यह दुःखदायी है। स्वीडन का स्थान पहला है। हम पाकिस्तान से केवल एक कदम आगे हैं। यह इस देश के लिए स्वाभाविक है जिसमें इतनी गरीबी और इतनी निरक्षरता है। यह संभव नहीं है कि हम इंटरनेट को लाएंगे और लोग उसके लिए टूट पड़ेंगे। केवल कुछ उच्च वर्ग, उच्च-मध्यम वर्ग और अभिजात वर्ग ही, इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर पाएंगे।

प्रौद्योगिकी एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती है तथा मानव विकास में योगदान दे सकती है जिसकी हमारे पास बेहद कमी है। हमें यह जानकर दुख हुआ है कि पाकिस्तान इस बात पर गर्व कर रहा है कि मावन विकास में वह हमसे आगे है तथा हमारे विदेश मंत्रालय को यह स्वीकार करना होगा। क्या आपको इस पर शर्म नहीं आती? साक्षरता के आँकड़ों, बाल मृत्यु दर के आंकड़ों, खाद्य उपलब्धता के आंकड़ों, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आँकड़ों के संबंध में, पाकिस्तान इस बात पर गर्व कर रहा है कि वह हमसे आगे निकल गया है। श्रीलंका इस बात पर गर्व कर रहा है कि कई क्षेत्रों में वह हमसे आगे निकल गया है।

कम्प्यूटर का प्रयोग भारतीय समाज के कल्याण और मानव विकास के लिए किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी कार्ययोजना द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी।

इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि कम्प्यूटर नेटवर्क में उपग्रह आधारित, आप्टिकल फाइबर केबल आधारित

और अन्य तंत्रों पर आधारित या डाकरेक्ट-टू-होम की बजाय एजुकेशन-टू-होम सुदूर शिक्षा में कैरियर नेटवर्क शामिल होंगे। मैं श्री अरुण जेटली जी को संबोधित कर रहा हूँ। डायरेक्ट-टू-होम के प्रति इतना उत्साह दर्शाने की बजाय ई.टी.एच. सेवा या एजुकेशन-टू-कम्युनिटी-सेंटर्स, ई.टी.सी.सी. के बारे में की गई अपनी सिफारिश के प्रति उत्साह क्यों नहीं दिखाते? आप डिजीटल हस्ताक्षर के बारे में अधिक चिंतित हैं मैं यह नहीं कह रहा कि यह आवश्यक नहीं है। मैं यह बात वैश्वीकरण—प्रौद्योगिकीय वैश्वीकरण, व्यावसायिक वैश्वीकरण और व्यापारिक वैश्वीकरण के युग में नहीं कर रहा हूँ। परन्तु विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा कितना है? यह आधे प्रतिशत से भी कम है।

उनका कहना है कि वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ई-कामर्स में आपको कोई ड्यूटी नहीं थोपनी चाहिए। यह विश्व व्यापार संगठन के बड़े सहयोगियों की ओर से दिया जाने वाला सही दबाव नहीं है। यही दावा भारतीय उद्यमियों द्वारा भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि सी.वी.सी. के अध्यक्ष श्री एन. विट्ठल ने भी सिफारिश की है कि ई-कामर्स पर दस वर्षों तक कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए। डिजीटल क्रांति के इस युग में प्रौद्योगिकी हर दिन सभी सीमाएँ तोड़ते हुए सीमारहित राज्य और पत्रविहीन समाज की ओर जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रगति का प्रमुख निर्धारक बन गई है। यह समाज ज्ञान आधारित समाज कहलाने लगा है। हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि भारत किस प्रकार इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग अपने हित में कर सकता है।

किसी ने कहा है कि हम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक शक्ति बन सकते हैं। अन्य किसी ने कहा है कि हमारे अंदर विश्व सूचना प्रौद्योगिकी पर छा जाने की क्षमता है। यह सच है। साथ ही, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम इस सूचना प्रौद्योगिकी को मानव विकास तथा अपने विद्यमान विनिर्माणकारी क्षेत्र के साथ किस तरह समेकित कर सकते हैं। हम इस अद्भुत सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के प्रति किस तरह योगदान कर सकते हैं? यहां हम पिछड़ रहे हैं।

इस विधेयक के कई उपबंध काफी गंभीर प्रकृति के हैं।

मैं उनमें से कुछ का उल्लेख कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए, एक उपबंध है कि पुलिस किसी भी घर, किसी भी व्यक्ति या किसी भी घरेलू सामान की बिना वारंट तलाशी ले सकती है।

आप इस देश के विभिन्न अधिनियमों के इतिहास को देखने से जान पाएंगे कि पुलिस ने न केवल टाडा और मीसा का दुरुपयोग किया है बल्कि ऐसे कई मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय दंड संहिता का भी दुरुपयोग किया है। मैं समझता हूँ कि खंड 79 एक गंभीर खंड है। यह उलझाने वाला है और यह प्रत्येक शांतिप्रिय भारतीय नागरिक के मन को परेशान करने वाला है जो इस देश के विकास और प्रगति में रुचि लेता है। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है:

> "पुलिस अधिकारी किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा तथा वहां पाए गए किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकेगा जो युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति है।"

यह केवल संदेह के आधार पर ही है। इसे बदलना होगा। मैंने एक संशोधन दिया है।

जहां तक खंड 78 का संबंध है, अनेक संगीत निकायों और अन्य संस्थाओं के कलाकारों की यह गंभीर आपत्ति है कि खंड 78 के अंतर्गत नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाले कुछ मामलों में उत्तरदायी नहीं होंगे। अगर यह उसकी जानकारी में है तो नेटवर्क सेवा प्रदानकर्त्ता इसके लिए उत्तरदायी होगा। अगर यह उसे ज्ञात नहीं है तो विश्व के अन्य भागों में क्या होता है?

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं श्री रूपचंद पाल का आभारी हूं कि उन्होंने बोलने का मौका दिया है। खण्ड 79 के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि यह कानून काफी कठोर है तथा यह कि आप पुलिस अधिकारी को वह अधिकार दे रहे हैं जो इस देश में किसी भी कानून के अंतर्गत किसी को नहीं दिया गया। इसलिए मैं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के खंड 165 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह है पुलिस अधिकारी द्वारा छानबीन। मैं पूरा खंड पढ़ना नहीं चाहता। मैं यही कह सकता हूँ कि खंड 165 और 79 लगभग समान हैं। इसलिए आज, इस देश में ऐसा कानून मौजूद है जिसमें किसी के भी घर में छानबीन के लिए जाया जा सकता है। इसी कानून के अंतर्गत हम इस पर आपत्ति कर रहे हैं। दोनों कानूनों में यही अन्तर है कि खंड 165 के अंतर्गत एक सिपाही भी इस देश में किसी के भी घर में घुसकर छानबीन कर सकता है। परन्तु खंड 79 के अंतर्गत हमने स्तर को उठा दिया है क्योंकि हम समझते हैं कि यह एक साइबर अपराध है। जब किसी को साइबर अपराध जैसे किसी अपराध की छानबीन करनी है तो यह सिपाही या पुलिस अधिकारी के निचले स्तर पर नहीं हो सकता।

वास्तव में, पुलिस विभाग, जिसने स्थायी समिति के समक्ष प्रतिवेदन दिया था, ने इस बात पर जोर दिया था कि उन्हें ऐसे ही अधिकार दिये जाने चाहिए क्योंकि प्रत्येक कानून में उन्हें इस

[श्री प्रमोद महाजन]

प्रकार का अधिकार दिया गया है कि अगर उन्हें किसी प्रकार का अपराध होने की आशंका हो तो उन्हें छानबीन करने का अधिकार है।

मैं स्थायी समिति का आभारी हूँ। उन्होंने लोगों को पुलिस राज थोपने तथा उन्हें परेशान करने की इस मांग का विरोध किया है। यह एक सर्वसम्मत सिफारिश है। उन्होंने कहा है कि खंड 79 में कुछ भी गलत नहीं है। इसके विपरीत, खंड 79 में, हमने छानबीन करने वाले अधिकारी का स्तर बढ़ाकर पुलिस उपाधीक्षक कर दिया है। अगर आप फेरा को देखें तो यह भी शत प्रतिशत वैसा ही प्रावधान है। इसलिए, एक आम नागरिक के लिए कोई भी सिपाही किसी के घर में घुसकर समस्या पैदा कर सकता है। देश का कानून यही है। अब, इन लोगों के पास कम्प्यूटर हैं। इसलिए, हमने इनके लिए डी.एस.पी. का उच्चस्तर करना है। फिर भी अगर वे डी.एस.पी. से संतुष्ट नहीं हैं तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या उनका यह अर्थ है कि एक महानिरीक्षक उनके घर जाकर छानबीन करे। इसलिए, हम समझते हैं कि यह एक साईबर अपराध है। अगली सदी में, अपराध काफी उच्च स्तर पर किये जाने की संभावना है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ प्रावधान किया गया है उसमें कुछ भी कठोरता वाली बात नहीं है।

मैं दंड प्रक्रिया का वर्णन तक नहीं कर सकता। मैं राजनैतिक महत्व भी नहीं चाहता अन्यथा मैं यही कहता कि पश्चिम बंगाल सरकार दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर सकती है और पुलिस अधिकारियों को घरों में जाकर छानबीन करने पर रोक लगा सकती है। परन्तु हम ऐसा कभी नहीं करते। यह प्रेस द्वारा फैलायी गयी भ्रांति है कि हम कोई कठोर नियम ला रहे हैं। यह सच नहीं है। इसके विपरीत, हमने छानबीन करने वाले अधिकारी का स्तर डी.एस.पी. तक बढ़ा दिया है क्योंकि हमने सोचा कि डंडे वाला सिपाही यह नहीं समझ सकता कि साईबर अपराध क्या है। हमें आशा है कि एक डी.एस.पी. स्तर का अधिकारी निश्चय ही कम्प्यूटर-प्रेमी व्यक्ति होगा और मैं नहीं समझता कि जहां तक इसका संबंध है इस कॉलम में कुछ भी गलत या परेशान करने वाला है।

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): महोदय, प्रश्न यह है कि व्यक्ति पूरी तरह प्रशिक्षित होना चाहिए। यह डी.एस.पी. या एस.पी. का प्रश्न नहीं है, यह तो प्रशिक्षण का प्रश्न है। यदि किसी सब इन्सपेक्टर को भी प्रशिक्षण दिया जाता है और अगर उसे कम्प्यूटर का ज्ञान है तो वह भी यह काम कर सकता है। प्रशिक्षण आवश्यक है न कि किसी अधिकारी का स्तर।

श्री प्रमोद महाजन: मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं समझता हूँ कि श्री शिवराज पाटिल ने मसौदा तैयार करने में समझदारी की बात कही है। अगर मैं मसौदा तैयार करता हूँ कि कम्प्यूटर जानने वाला पुलिस अधिकारी छानबीन करेगा, फिर हरेक व्यक्ति यही कहेगा कि यह किस तरह का मसौदा है? इसलिए, हम यह मानते हैं कि एक डी.एस.पी. स्तर का अधिकारी कम्प्यूटर प्रेमी होगा और स्थायी समिति ने यह पहले ही सिफारिश की है कि पुलिस के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, परन्तु मैं यह शर्त नहीं लगा सकता कि जो व्यक्ति कम्प्यूटर जानता है वही जाएगा क्योंकि इससे समाधान के बजाय समस्याएं अधिक पैदा होंगी। परन्तु मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूँ।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, समस्या यही है। इसी कारण हमने कहा था कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर कुछ और गहराई से विचार करने तथा कुछ और समय की आवश्यकता है। इसलिए, अगर इस विधेयक पर मानसून सत्र में चर्चा की जाती है तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। महोदय, यहाँ अपराध की प्रकृति भिन्न है, जहां बिना वारंट के कोई भी व्यक्ति किसी के घर में घुस सकता है। अपराध की प्रकृति क्या है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो ''चेरनोबिल वाइरस' तथा हाल ही के ''आई लव यू'' वाइरस तथा ऐसी ही अन्य चीजों के संबंध में हुआ था। क्या कोई पुलिस अधिकारी घर में घुसकर कम्प्यूटर के स्रोतों से नष्ट किए गए दस्तावेजों की पहचान कर सकता है? क्या वह इलैक्ट्रोनिक जालसाजी के लिए अपने घर में अपने कम्प्यूटर का प्रयोग करेगा और आप क्या करेंगे? आप उस व्यक्ति के साथ उसके हार्डवेयर पर भी कब्जा कर लेंगे? महोदय, समस्या यही है।

महोदय, अपराध की प्रकृति, प्रौद्योगिकी तथा विश्व के विकसित देशों द्वारा इसका किस तरह ध्यान रखा जा रहा है, इसे समझने में भारी असफलता हुई है। मैं हैकिंग के प्रयोग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बात उठा सकता था। यहां तक कि विश्व के अत्यन्त शक्तिशाली देश भी यह कह रहे हैं कि ऐसी स्थितियों में वे असहाय हैं।

इस प्रकार तथ्यों से छेड़छाड़ करना, गोपनीयता का उल्लंघन, डिजीटली बनाए गए जाली सर्टिफिकेट छापना, जाली इलैक्ट्रोनिक रिकार्डों, रिकार्डों को बदलने, धोखाधड़ी, जालसाजी, इत्यादि जैसे विभिन्न अपराध हो रहे हैं। मैं उनका नाम ले सकता हूँ। सर, ट्रोजन होर्स, ट्रैप डोर्स, लोजिक बम्ब्स, डाय डिडलिंग, स्कैवेजिंग इम्परसनेशन, वायर टैपिंग, डाटा लीकेज, सलामी टेक्निक्स, आई.पी. पूलिंग, सीमूलेशन, मोडलिंग इत्यादि कुछ ऐसे ही अपराधों के नाम हैं जिनका पता लगाया गया है। इन अपराधों की प्रकृति ऐसी है

और हम अपने अनुभव से जानते हैं कि यह किसी भी तरह साइबर अपराध को नियंत्रित या रोक नहीं सकता। यह केवल पुलिस के हाथों में एक अन्य कठोर हथियार होगा।

इसलिए, मेरी मांग है कि जैसा कि मैंने संशोधन किया है, इसे फिर से लिखा जाना चाहिए और "वारंट के बिना" हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि प्रौद्योगिकी की प्रकृति ऐसी है और किसी तरह का उप-खंड जोड़ा जाना चाहिए। स्थायी समिति के समक्ष, जहां तक मैं समझता हूँ, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से यह सुझाव दिया गया था।

श्री प्रमोद महाजन: कोई व्यक्ति सामान्य अपराध की तुलना में साइबर अपराध बहुत तेजी से कर सकता है। किसी को छूरा मारने में कुछ समय लगता है लेकिन साइबर अपराध कुछ सेकेण्डों में तीसों देशों में फैल सकता है जहां उसको कोई पकड़ नहीं सकता।

यदि आप न्यायालय में जाकर वारंट की मांग करते हैं तो उतने समय में सब कुछ खत्म हो जायेगा और यह अपराध 125 देशों में फैल जायेगा जो इससे निपट नहीं सकते। इसीलिए इसकी हमें दूसरे देशों में आवश्यकता है।

श्री रूपचन्द पाल : इसमें एक खंड जोड़ा जा सकता है। यह मेरा सुझाव नहीं है। यह सुझाव एक अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति ने स्थायी समिति के समक्ष रखा था। सुझाव यह था कि इस प्रौद्योगिकी की विशेष प्रकार की प्रकृति होने के कारण, इसके दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए उचित दण्ड का विधान होना चाहिए।

अब मैं धारा 78 की बात कर रहा हू। इसमें विधान है कि नेटवर्क सेवा देने वाले की जानकारी के बिना यदि कोई गलती हो जाती है तो इसके लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा। यही भेद है। अमेरिका में एक पूर्णत: संशोधित खंड है जिसे डी.एम.सी.ए. कहते हैं। यूरोपीय संघ में इस प्रकार का एक निर्देश है कि जैसे ही जानकारी मिले आपत्तिजनक सामग्री को तुरन्त हटा दिया जाना चाहिये चाहे वह इसकी जानकारी में हो अथवा न हो।

महोदय, अब एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कापीराइट अधिनियम की धारा 51 या बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत कोई अपराध किया है तथा वह इस धारा 78 की आड़ लेता है तो क्या होगा? अत: ऐसी मांग है कि इस धारा को उचित रूप से बदला जाना चाहिए, संशोधित किया जाना चाहिये और इसका मसौदा फिर से बनाया जाना चाहिये ताकि कलाकारों और उनकी कृतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

महोदय, मुझे कुछ और सुझाव देने हैं। एक न्यायाधिकरण के विषय में है। न्यायाधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है। उसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। वे अपनी मर्जी से चाहे जितना समय लगे, मुद्दों पर विचार-विमर्श करते रहते हैं। मेरा यह सुझाव है कि न्यायाधिकरणों के लिए एक समय-सीमा होनी चाहिये जिसके अन्दर उन्हें अपने विचार या निर्णय या इसे आप जो भी नाम दें, देना चाहिये। इसके नियंत्रक, उपनियंत्रक और सहायक नियंत्रक की योग्यताएं, अनुभव और सेवा शर्तें धारा 17 के अंतर्गत दी गई हैं। अब स्थायी समिति ने कुछ सुझाव दे रखे हैं। उसमें से कुछ माननीय मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिए हैं जिनका अवलोकन किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि सी.ई.बी.आई. (सेबी) की तरह अपीलीय न्यायाधिकरण को एक सदस्यीय निकाय बनाया जा रहा है। यह कहा गया है कि उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिये, उसे भारतीय विधि सेवा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन यहां एक और प्रावधान का उल्लेख किया जाना चाहिये कि वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे सूचना प्रौद्योगिकी का कुछ ज्ञान होना चाहिए ताकि पीठासीन अधिकारी इसका ध्यान रख सके।

महोदय, यह विधेयक अपर्याप्त है और यह बहुत सी अक्षमताओं से ग्रस्त है। यह व्यापक नहीं है। इससे हमें बहुत फायदा नहीं होने वाला है। विकासशीलता की स्थिति में हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं और हमारे हित व्यापक उपायों द्वारा सुरक्षित किये जाने चाहिये जो नहीं किया गया है। बहुत से मुद्दों पर विचार नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरा अन्तिम सुझाव है कि इस मंत्रालय का विलय कर दिया जाना चाहिये। केवल एक प्राधिकरण होना चाहिए। इसकी देखरेख के लिए एक ही निकाय होना चाहिए।

यह सुझाव सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता द्वारा दिया गया है जिसको अन्य स्थानों पर व्यवहार में लाया गया है और यह भी बहुत कुछ इसलिए किया गया है ताकि उसमें किसी व्यक्ति विशेष को खपाया जा सके। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप अपनी बात समाप्त नहीं करेंगे?

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, अब समाप्त कर रहा हूं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं कुछ गंभीर आपत्तियों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि इसे आगे चर्चा के लिए तथा विधेयक के बहुत से प्रावधानों में और अधिक सुधार के लिए प्रवर समिति को सौंप दिया जाना चाहिए।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, यह सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक रफ्तार वाला विधेयक है। यह 'हाई, वायर ट्रांसफर आफ बिजिनेस' से संबंधित हैं।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): क्या आप इसमें से गति को निकाल देना चाहते हैं?

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक 1999 दिसम्बर 1999 में पुर:स्थापित किया गया था। क्या यह पर्याप्त समय नहीं है जिसमें इस विधेयक का अध्ययन किया जा सके और इसमें यथावश्यक इस अधिनियम के विषय में जरूरी सुझाव दिए जा सकें? यह कहना सही और उपयुक्त नहीं है कि इस सत्र में यदि यह विधेयक अधिनियम न बन सका तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। यह सत्य नहीं है। विश्व बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। 1996 में ही संयुक्त राष्ट्र ने अपने सदस्य राज्यों को सिफारिश की थी कि इस संबंध में सुझाये गये मॉडल कानून को सदस्य देशों द्वारा शीघ्र ही पास कर दिया जाना है। चार वर्ष बीत गये हैं। भारत ने इस दिशा में प्रगति नहीं की है। हम सोचते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। लेकिन कुछ मामलों में हम अवरोध खड़े कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की इसमें रुचि नहीं है। इस सभा का प्रत्येक सदस्य इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र पास करने में रुचि रखता है ताकि हम शेष विश्व के साथ चल सकें। ऐसा नहीं है कि यह विधेयक केवल अंशत: स्वीकार किया गया है जैसा कि श्री रूपचन्द पाल ने कहा कि केवल विकसित देशों ने ही उसे स्वीकार किया है। घाना जैसे देश ने भी इस दिशा में कदम उठाया है तथा विधेयक पारित किया है। मलेशिया और घाना भी विकासशील राष्ट्र हैं। वे अपने देश के व्यापक हित में इन कानूनों को पारित कर रहे हैं और वे दूसरे देश के वाणिज्य और व्यापार के साथ मिलकर चलने के विषय में सोच रहे हैं।

हमारे देश के लिए आवश्यक है कि वह शीघ्रातिशीघ्र विश्व व्यापार संगठन जो बहु-व्यापार करार सृजित कर रहा है, के साथ ई-कामर्स संबंधी कार्य के लिए इलेक्ट्रानिक व्यवस्था करे। यदि हम शीघ्र ही विश्व व्यापार संगठन के अन्य देशों के साथ मिलकर चलने के लिए कदम नहीं उठाते हैं तो हम करारों में असफल हो जायेंगे। अत:, हमारा यह कर्त्तव्य है कि इस सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र पारित कर दिया जाए, इसे एक अधिनियम बनाया जाए, और इलेक्ट्रानिक रिकार्ड तथा डीजीटल हस्ताक्षर के कानूनों को मान्यता दी जाए।

अपराह्न 5.00 बजे

जब तक इस इलेक्ट्रानिक लेनदेन की दिशा में कदम नहीं उठायेंगे तो आप पीछे छूट जायेंगे। हमारे देश ने अनेकों इलेक्ट्रानिक विशेषज्ञ, ई-कामर्स विशेषज्ञ पैदा किए हैं। इस समय संसार में हमारे देश के अनेक विशेषज्ञ फैले हुए हैं। बहुत से भारतीय इलेक्ट्रानिक स्नातक हैं। आप किसी देश में काम कर रहे इलेक्ट्रानिक विशेषज्ञों को देखें तो पायेंगे कि देश के बाहर जाने वालों में प्रत्येक दो में से एक भारतीय है तथा प्रत्येक चार में से एक आन्ध्र प्रदेश का है। आन्ध्र प्रदेश भी एक नेटवर्क की स्थापना कर तथा अंकीय रिकार्ड में होने वाले विकासात्मक कार्यों से गांवों को संगठित कर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अत: जब तक यह विधेयक पास न हो जाये हम इसे अधिकारिक नहीं बना सकेंगे। जब तक यह विधेयक पास नहीं होता हम अपने देश में कम्प्यूटर के माध्यम से किए गए किसी भी लेन-देन को मान्यता प्रदान नहीं कर सकेंगे। यदि तीन माह का और समय लगेगा तो हम पिछड़ जायेंगे। और कुछ लोगों ने कहा है कि इस विधेयक में कुछ अशुद्धियां एवं विसंगतियां हैं लेकिन यदि कोई गलती होगी भी तो वह बहुत बड़ी नहीं है। यदि आवश्यकता हो तो हम अधिनियम में संशोधन कर सकते हैं। हम बहुत से अधिनियमों में संशोधन कर रहे हैं। अपने संविधान का नब्बेवां संशोधन हमने हाल ही में पारित किया है। यदि जरूरी हुआ तो इस अधिनियम में संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? हम अगले सत्र या उससे अगले सत्र में कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि यह एक विकासशील व्यवसाय है। शेष विश्व को यह सोचने का अवसर नहीं देना चाहिए कि हम पीछे छूट रहे हैं। हम इस बात पर गर्व सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद हमारे देश के वैज्ञानिक और विज्ञानकर्मी विश्व में सबसे अच्छे हैं। संपूर्ण प्रणाली का कार्य देखने के लिए हमारे पास पर्याप्त लोग हैं। दूसरे देशों में भारतीय इस कार्य को देख रहे हैं। हम इससे भयभीत क्यों हों? इस बात का भय बिल्कुल नहीं है कि इससे हमें बहुत नुकसान होगा।

यह ठीक कहा गया है कि दूसरे मामलों में भी पुलिस का कोई सिपाही भी आप को थाने ले जाकर पूछताछ कर सकता है। लेकिन इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक से कम स्तर का कोई अधिकारी पूछताछ नहीं कर सकता है। यह पर्याप्त सुरक्षोपाय है। वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है। समाज में भी वह एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी है। एक पुलिस उपाधीक्षक को धारा 79 के अधीन शक्तियां प्राप्त हैं। मुझे कहना चाहिए कि अन्य कानूनों की तुलना में यह एक संकीर्ण कानून है। यहां अनेक जाने-माने वकील भी हैं।

श्री अली मोहम्मद नायक : पुलिस या आदमी किसी को ले जा सकता है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : जहां तक मैं समझता हूं इसमें तर्कसंगत प्रकृति एवं तर्कसंगत सुरक्षा भी है। इन कंप्यूटर प्रणालियों का प्रयोग करने वालों के पास ई-कामर्स और डीजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध हैं।

आन्ध्र प्रदेश सभी गांवों, स्कूलों तथा विभिन्न बाजारों में तकनीक के हस्तांतरण की दिशा में आगे बढ़ा है। अन्य देशों में कई दूसरी प्रणालियों के साथ भी हमें इन चीजों को शामिल करना होगा। इस विधेयक के पास किए बगैर हम इसे शामिल नहीं कर सकते। अन्य देश इस स्थिति में नहीं होंगे कि अपेक्षित सूचना उपलब्ध करा सके। अत: विकासोन्मुख सरकारों के लिए यह एक अत्यन्त प्रगतिशील प्रकार का अत्यंत आवश्यक मामला है।

हमें बिना किसी हिचकिचाहट के इस विधेयक को पास करना चाहिए ताकि हमारा देश दूसरे देशों के साथ कदम मिलाकर चल सके तथा ई-कामर्स के क्षेत्र में समृद्ध हो सकें। अन्यथा हम पीछे छूट जायेंगे तथा अप्रगतिशील कहे जायेंगे और हमारा देश विश्व व्यापार में भाग लेने की स्थिति में नहीं रहेगा।

महोदय, इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक इसी सत्र में पास कर दिया जाना चाहिए।

अपराह्न 5.05 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 15 मई, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन विधेयक, मई 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 15 मई, 2000 को यथापारित अर्द्धचालक परिपथ अभिन्यास डिजाइन विधेयक 2000 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 5.06 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक–*जारी*

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): सभापति महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैंने यहां अपने सहयोगियों के सुझाव सुने। इन साइबर कानूनों से सरकार ने अनेक अपराध के अवसर पैदा किए हैं। अपराध कानून की उपज है। श्री अरुण जेटली इस बारे में जानते होंगे। यदि अधिक कानून होंगे तो अपराध अधिक होंगे यदि कम कानून होंगे तो अपराध कम होंगे। यहां फर्जी दस्तावेज तैयार करने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167, 172, 173, 175, 192, 204, 463, 464, 466, 468, 469, 470, 476, 477(क) महत्वपूर्ण है। विभिन्न श्रेणियों के लोग जो इन खंडों के अंतर्गत हो गए हैंया जिनके इन साइबर कानूनों के अंतर्गत आने की संभावना है, वे इन अपराधों में फसेंगे।

खंड 79 में उपबंध है:

> ".....पुलिस अधिकारी किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा तथा वहां पाए गए किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति है या जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या कर रहा है या करने वाला है।"

जब भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के अंतर्गत अपराध तय किये बिना अपराध निर्धारित होता है, पहले से है तब मैं इसे दो भागों में बांटता हूं - अपराध और विचारण, आपने अपराध की परिभाषा कई धाराओं में दी है, साइबर अपीलीय अधिकरण अध्याय में आपने उपबंध किया है, साइबर अपील न्याय अधिकरण के पीठासीन अधिकरण के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने का पात्र न हो। यह खंड 62 के बिलकुल विपरीत है जिसमें उपबंध है कि साइबर अपील न्यायाधिकरण के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा। यदि आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हैं तो क्या उसके विनिश्चय के विरुद्ध किसी उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी। राज्य प्रशासनिक न्यायधिकरण द्वारा हाल ही में दिये गये निर्णय में उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र की व्याख्या की गई। उससे पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष प्रशासनिक अधिकरण का

[श्री पी.एच. पांडियन]

पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता था और उसके निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जाती थी। अब न्यायिक निर्णय के आधार पर अपील स्थानीय उच्च न्यायालय में की जाती है किंतु यहां पर खंड 50 खंड 62 द्वारा एक दूसरे के बिलकुल विपरीत है।

जहां उन्होंने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होगी वहां उन्होंने सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिया। खंड 61 के द्वारा न्याय अधिकारिता समाप्त नहीं की जा सकती है। इस संबंध में अनुच्छेद 226 पहले से है। यदि वे संसद द्वारा अधिनियम बनाकर भी इस अधिकारिता को समाप्त करना चाहें तो भी अनुच्छेद 226 को लागू करने से नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 226 मूलभूत अनुच्छेद है। वह इन दोनों को जोड़ नहीं सकते। मंत्री जी को यह जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्येक अधिनियम में सिविल न्यायालय की अधिकारिता के बारे में एक उपबंध होगा। क्या इसका तात्पर्य यह है कि रिट याचिका के दौरान हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं।

अब मैं अपराधों के बारे में बोलता हूं। खंड 65 में उपबंध है:

> "जो कोई कम्प्यूटर, कम्प्यूटर कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले कम्प्यूटर साधन कोड को" – यह कम्प्यूटर साधन कोड हर किसी को उपलब्ध है – "जब कम्प्यूटर साधन कोड का रखा जाना या अनुरक्षित किया जाना तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अपेक्षित न हो, से जानकर या साशय छिपाता है, नष्ट करता है या परिवर्तित करता है अथवा साशय या जानकर किसी अन्य से छिपवाता है, नष्ट कराता है या परिवर्तित कराता है तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।"

आपने यह कहां से लिया है? यह खंड 161, 165 या 171 में नहीं। यह अभिनव प्रयोग है। हम संसद सदस्यों को कम्प्यूटर दिए गए हैं। यदि यह किसी वेबसाइट से जुड़ा हो और यदि कोई इसमें छेड़छाड़ करता है तो वे कहते हैं, "जानकर या साशय" हमें यह साबित करना होगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम और नेटवर्क से छेड़खानी करने का आशय नहीं था। फिर खंड 65 का यह उपबंध क्यों हो? क्या यह अपराध में फंसाने वाला उपबंध नहीं है? फिर क्या कोई साइबर कानून का पालन करेगा?

अब मैं खंड 45 पर आता हूं जिसमें साइबर न्यायाधिकरण के गठन के बारे में उपबंध है। खंड 45 में उपबंध है:

> "जो कोई इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों का उल्लंघन करेगा तो ऐसे उल्लंघन के लिए जिसके लिए अलग से कोई उपबंध नहीं किया गया है, ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को पच्चीस हजार रुपए से अनधिक का प्रतिकर का संदाय करने का दायी होगा।"

इस खंड 45 को खंड 76 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें उपबंध है:

> "इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति या किया गया अधिहरण किसी अन्य दंड के अधिरोपण को निवारित नहीं करेगा जिसके लिए उसके द्वारा प्रमाणित व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दायी है।"

क्या यह दोनों खंड 45 और 76 विरोधाभासी नहीं हैं?

मैं खंड 76 पर पुन: बल देता हूं। मेरे कानूनी ज्ञान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध एक विषय पर कानूनों के विभिन्न उपबंधों के अधीन अभियोजन चलाया जा सकता है। माना कोई व्यक्ति अपनी आय को ज्ञात स्रोतों से अधिक धनसंपत्ति एकत्रित करता है तो उसे आयकर अधिनियम के उल्लंघन के लिए आरोपित किया जा सकता है और साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन आरोपित किया जा सकता है। अत: यह खंड 76 ठीक है किंतु खंड 45 के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह खंड 76 के विपरीत नहीं है?

खंड 47 में उपबंध है:

> 47; इस अध्याय के अधीन प्रतिकर की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी निम्नलिखित बातों पर सम्यक् ध्यान देगा अर्थात्:
>
> (क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप हुए अभिलाभ या नावाजिब फायदे की मात्रा, जहां वह परिमाण निर्धारित करने योग्य हों;
>
> (ख) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को हुई हानि की मात्रा;

अपराध है। यह कंप्यूटर नेटवर्क साइबर कानून का उल्लंघन है। आप मुआवजा कैसे तय करेंगे, इसके लिए आप क्या तरीका

अपनाने जा रहे हैं आप अधिकरण के सदस्यों के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी करने जा रहे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कंप्यूटर विज्ञान में पारंगत नहीं हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वह कानून की व्याख्या कर सकता है। यदि इस अपील अधिकरण में निर्णय देने में साफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ हो तो वह मामले का निर्णय कर सकता है। यह ऐसा आपराधिक मामला नहीं है जिसका निर्णय न्यायाधीश द्वारा किया जाए। अत: सरकार को अपील अधिकरण की संरचना में बदलाव लाना चाहिए।

फिर साइबर कानून और अपील अधिकरण तथा जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया की बात आती है। कहीं पर आपने कहा है कि नैसर्गिक न्याय के प्रश्न के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होंगे और कहीं पर आपने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होंगे। आपने ये दोनों बातें एक ही कानून में कहीं हैं। क्या इस साइबर अपील अधिकरण का गठन किसी अलग कानून के अधीन किया जाएगा या सिविल न्यायालय अधिकरण के अधीन किया जाएगा?

प्रतिकर के प्रश्न पर विचार के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण है। इस तथ्य पर विचार करने या यह पता लगाने के लिए दांडिक न्यायालय है कि ड्राइवर अविवेकपूर्ण ढंग या लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। इन दोनों मामलों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता है और उनका विचारण एक ही न्यायाधीश द्वारा नहीं किया जा सकता है। आपने यहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 और 346 को यहां कैसे शामिल किया।

सभापति महोदय, यह एक अत्यन्त तकनीकी विषय है और इसीलिए मैं इसकी हर पंक्ति पढ़ रहा हूं। यहां या तो सिविल प्रक्रिया संहिता लागू हो या दंड प्रक्रिया संहिता लागू है किंतु दोनों संहिताएं लागू नहीं हो सकती हैं। आप एक ही समय पर सिविल न्यायालय और दंड न्यायालय का कार्य नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि इस उपबंध के अधीन आप प्रतिकर का अधिनिर्णय दे सकते हैं। दूसरे उपबंध में आप कहते हैं कि दंड अधिरोपित करेंगे। इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह न्यायिक क्षेत्र के प्रश्न के बारे में इस पर पुनिर्विचार करे। सिविल न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र भिन्न है और दंड न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र भिन्न है, यदि सिविल क्षति होगी तो प्रतिकर दिया जाएगा और यदि दांडिक अपराध होगा तो दंड दिया जाएगा किसी एक ही न्यायाधीश को सिविल न्यायालय और दंड न्यायालय की शक्तियां निहित नहीं की जा सकती है। फिर कंपनियों द्वारा अपराध की बात आती है। विधेयक के खंड 84 में उपबंध है:

> "जहां कोई व्यक्ति, जो कंपनी है, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी निदेश या आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस उल्लंघन के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे।"

यह सुपरिभाषित नहीं है। यह स्वत: स्पष्ट नहीं है। कंपनियों द्वारा अपराधों को क्रमबद्ध व्यवस्थित किया जाना चाहिए। यह कानून क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित नहीं है, न्यायाधीश को यह पता लगाने के लिए एक पृष्ठ देखना होगा कि यह अपराध है या नहीं और यह देखने के लिए दूसरा पृष्ठ देखना होगा कि इसमें प्रतिकर का दावा है या नहीं और यह देखने के लिए उन्हें अन्य पृष्ठ देखना होगा कि वह दंड दे सकता हैं। यह एक 'क्लेंकेट' कानून है। हम कंप्यूटर युग में है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। हम इस विधेयक को पढ़ते हैं। किंतु साथ ही यह कार्य समुचित ढंग से किया जाना चाहिए।

घरों में छोटे बच्चे, अधिकारी, किशोर और महिलाएं कंप्यूटर पर काम करती हैं। वे वेबसाइट भी संचालित करते हैं। यदि यह एक अपराध है यदि इसे आपराधिक कृत्य माना जाए तो फिर कोई भी कंप्यूटर नहीं खरीदेगा और वेबसाइट संचालित नहीं करेगा। मुझे संसद का कम्प्यूटर या वेबसाइट नहीं चाहिए हमने अभी यह शुरू भी नहीं किया है और आप हमें दंड से डरा रहे हैं। फिर लोग वेबसाइट या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर नेटवर्क समझने का प्रयास कैसे करेंगे।

अत: मेरा कहना है कि इस विधेयक में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, इस संबंध में एक और अध्ययन कराया जाए। स्थायी समिति ने इसका विस्तार से अध्ययन किया है। अब हम संसद सदस्यों के मन में शंकाएं हैं। हमारे मन में शंकाएं पैदा हुई हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : जब कोई नया विधेयक लाया जाता है तो यह हमेशा होता है।

श्री पी.एच. पांडियन : हां, यह नया विधेयक है। इसे कानून की कसौटी पर बाद में खरा उतरना है। इसके पारित होने के बाद

[श्री पी.एच. पांडियन]

इसे न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। अत:, एक नई समिति द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और लोगों के हितों एवं अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। यह कम्प्यूटर नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन है। सार्वजनिक स्थान एक अलग ही चीज है। कुछ स्थानों में निजी भवनों में सार्वजनिक स्थान भी शामिल होता है।

सभापति महोदय, यह विधेयक काफी तकनीकी किस्म का है। इसे समझना काफी मुश्किल है। प्रेस में भी इस पर वाद-विवाद हुआ था। दूरदर्शन पर वाद-विवाद हुआ था। कल, हमारे विनिवेश विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अरुण जेटली ने दूरदर्शन पर कहा कि पुलिस द्वारा परिसरों में प्रवेश किया जाना एक सामान्य सी बात है। यह नहीं हो सकता। यदि एक पुलिस अधिकारी किसी साधारण व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वह एक अलग बात है। यह साइबर कानून आम व्यक्तियों से संचालित होने वाला नहीं है बल्कि इसका संचालन उच्च स्थानों, ऊंची योग्यताओं वाले व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा। इसलिए, मेरे विचार से माननीय मंत्री, श्री प्रमोद महाजन जी इसे समझेंगे। अन्यथा, हमें इन वेबसाइटों को छेड़ने से डर लगेगा। मानो, कोई अन्दर आकर खटखटाता है और मैं इसे बन्द भी नहीं कर सकता। लोक सभा द्वारा आवंटित क्वार्टरों में भी ऐसा हो सकता है। किसी को भी हम पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। अत: मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इस विधेयक को संशोधित करे।

मैं विधेयक के विषय का समर्थन करता हूं, परन्तु जिस तरीके से इसकी रूप-रेखा तैयार की गई, जिस तरीके से सरकार इसका संचालन करने वाली है और जिस तरीके से इसे निष्पादित किया जाना है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। मैं तो कहूंगा कि कानून को लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए नहीं तो समाज कानून का उल्लंघन करेगा। समाज को कानून के अनुसार मोड़ना आसान नहीं है। इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक की विषयवस्तु का समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं, विधेयक के उद्देश्य और मंशाओं का समर्थन करते हुए सरकार को इसे संशोधित करने एवं विधेयक पर नए सिरे से नजर डालने की अपील करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): सभापति महोदय, मैं माननीय प्रमोद महाजन जी के द्वारा रखे गए इनफोर्मेशन टैक्नोलॉजी से संबंधित बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल पर बहस शुरू करते समय आदरणीय पाटील जी ने कहा था कि हमें इस बिल को पास करने में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह पाल जी ने कहा कि आसमान नहीं गिर जाएगा, अगर यह बिल पास नहीं होगा। मैं इनके आब्जरवेशन से सहमत नहीं हूं। हम चाहते हैं कि यह बिल देश हित और जनहित में तुरंत पास हो, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में कहा था कि देश में पहले "जय जवान और जय किसान" का नारा लगा, लेकिन आज इस देश को "जय विज्ञान" कहने की जरूरत है।

सभापति जी, आज से 10 साल पहले हमारा देश में सूचना और तकनीकी के माध्यम से बहुत थोड़ी आय अर्जित कर रहा था लेकिन पिछले 10 सालों में हम 4 बिलियन डालर से ऊपर आय इस माध्यम से अर्जित कर रहे हैं। इस माध्यम से हम 2008 तक 87 बिलियन डालर कमाएंगे, ऐसा हमारा सपना है।

सभापति महोदय, एक प्रगतिशील समाज के लिए आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। एक कहावत है कि अगर महंगे से महंगा जूता भी पहनने वाले को पांव में काटता है तो वह उसे फेंक देता है। इसी तरह से हमारे देश को दुनिया की महान ताकत बनने में जो भी रुकावटें आ रही हैं, आज वक्त की पुकार है कि हम उन सब रुकावटों को दूर करते हुए, भारत को परम वैभव की तरफ ले जाने के लिए, हर वह कदम उठाएंगे, जो देश के हित में बहुत जरूरी है।

आज इस बिल पर यह कहा जा रहा है कि पुलिस घर में घुस आयेगी। दुनिया के बहुत से देशों ने बहुत पहले इस बिल को अपनाया है और अपने सिस्टम से साईबर-क्राइम को रोकने में भी सफलता पाई है। हम इस बिल को डिले नहीं कर सकते हैं। आज भारत जैसे देश के लिए जिसकी लम्बाई 4 हजार मील और चौड़ाई भी 4 हजार मील है, सूचना और तकनीकी के माध्यम से सूचना का जाल बिछाने की जरूरत है। इसके माध्यम से ऐसा एजूकेशन का ढांचा बिछाने की जरूरत है जिससे हमारे आने वाले बच्चे सूचना और तकनीकी के सहारे देश का नाम संसार में बढ़-चढ़कर रोशन कर सकें।

सभापति जी, इस तकनीकी के आने से हमारे देश से गरीबी और बेरोजगारी भी दूर होगी। हमारे से पहले सत्ता में रहने वालों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि हरगोविंद खुराना जैसे वैज्ञानिक को यहां पर प्रोफेसर की नौकरी भी नहीं

मिली, लेकिन बाहर जाकर वह अपनी बुद्धि के कौशल से नोबल पुरस्कार प्राप्त करते हैं। हमारे ही देश के अमर्त्य सेन जैसे को यहां पढ़ने-लिखने का चांस नहीं मिला लेकिन बाहर जाकर अपनी बुद्धि के कौशल से नोबल पुरस्कार लेते हैं। आज भारत से जो ब्रेन-ड्रेन हो रहा है उसका कारण यहां पर उनको सही चांस उपलब्ध न होना है। आज हमारे इंजीनियर, डाक्टर्स इंग्लैंड और अमरीका में जाकर किस तरह से धूम मचा रहे हैं, यह सबको पता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर हमारे बच्चों को हमारे देश में ही सब साधन और अवसर उपलब्ध होंगे तो वे चाहे कम्प्यूटर के क्षेत्र में हों, डाक्टरी के क्षेत्र में हों या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हों, वे अमरीका और इंग्लैंड की तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि अपने बुद्धि कौशल को वे भारत को ऊंचा उठाने में लगाएंगे।

इस तकनीकी के माध्यम से समय की बचत होगी, क्योंकि यह तकनीकी रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। इस तकनीकी के माध्यम से हम वह सारे डाटाज इकट्ठे करने में कामयाब होंगे जिससे हमारी यह महान संसद भी अपनी पॉलिसी शीघ्र बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि इनके पास अप-टू-डेट आंकड़े उपलब्ध होंगे। आज किस तरह जनसंख्या का विस्फोट हमारे देश को खा रहा है, किस तरह आज तक योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को लागू करने में, उनके नतीजे प्राप्त करने में कहां तक सफलता प्राप्त की, आज वे सारे डाटा इस टैक्नॉलोजी के माध्यम से मिनटों-सैकिंडों में आ जाएंगे। पब्लिक हैल्थ के क्षेत्र में जाकर हम इन सब बातों को अर्जित कर सकते हैं। हमारे वामपंथी भाई इसका विरोध कर रहे हैं। आप चीन को देखें। उसने किस तरह सॉफ्टवेयर में जाकर इस क्षेत्र में उन्नति की? चीन ने अमेरिका में अपने टॉयस और ऑरनामैंट्स भेजकर किस तरह रुपया कमाया तथा किस तरह 18 बिलियन रुपया अमेरिका के माध्यम से इस क्षेत्र में कमाया? जब कम्युनिस्ट कंट्री इनफर्मेशन और टैक्नॉलोजी के लिए अपने दरवाजे खोल सकते हैं तो भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में इस दरवाजे को खोलने में कौन सी रुकावटें आ रही हैं? इस टैक्नॉलोजी के माध्यम से हम भारत जैसे देश को महान बनाना चाहते हैं।

सभापति महोदय : आप कृपया आसन ग्रहण करें। आप अपना बाकी भाषण बाद में करें। अब आधे घंटे की चर्चा शुरू की जाती है।

अपराह्न 5.32 बजे

आधे घण्टे की चर्चा

गुट-निरपेक्षता के संबंध में

[अनुवाद]

श्री आर.एल. भाटिया (अमृतसर): अध्यक्ष महोदय, मैंने गुट-निरपेक्षता से संबंधित एक प्रश्न रखा था और दिनांक 15 मार्च को मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर असंतोषजनक था। इसके परिणामस्वरूप मैंने इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की है।

प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार एवं प्रधान सचिव, श्री ब्रजेश मिश्रा जी ने 6 फरवरी को म्युनिख में यह वक्तव्य दिया था कि गुट-निरपेक्षता का सिद्धांत एक दकियानूसी सिद्धांत था। आगे उन्होंने यह कहा कि आज का भारत इन दकियानूसी सिद्धांतों पर बहस करने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहने का साहस किया कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद गुट-निरपेक्षता मात्र एक मंत्र बन गया।

पंडित जवाहर लाल नेहरू भारतीय विदेश नीति के जनक हैं। भारत ने उसी विदेश नीति के आधार पर महान ऊंचाइयों को प्राप्त किया। भारत ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन के एक सदस्य के रूप में एवं गुट-निरपेक्ष आंदोलन के एक नेता के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप लगभग 100 देश स्वतंत्र हुए। न केवल 100 देश स्वतंत्र हुए, बल्कि भारत गुट-निरपेक्ष विश्व का नेता बन गया।

मैं पुन: अचंभित हो गया था जब मेरे सहयोगी श्री अजित पांजा जी ने भी यह वक्तव्य दिया कि गुट-निरपेक्ष अप्रासंगिक हो गया है। जबकि गुट-निरपेक्षता की इस नीति ने पिछले पचास वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, आज यह नई सरकार इसमें खामियां देख रही है और कहती है कि यह अप्रासंगिक हो गया है और यह एक मंत्र भर है। यह वह श्रद्धांजलि है, जो भारत के महान नेता, पंडित जवाहर लाल नेहरू को इस सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे विश्व में पंडित नेहरू द्वारा प्रतिज्ञापित भारतीय विदेश नीति की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में उनको उद्धृत किया जाता है, वे गुट-निरपेक्ष आंदोलन में उद्धृत किए जाते है; और सभी विश्व मंचों में महान पुरुष पंडित जवाहर लाल नेहरू के दृष्टिकोण के कारण भारत की प्रशंसा की जाती है।

[श्री आर.एल. जालप्पा]

यहां, नए लोग, नई सरकार इसमें त्रुटि पा रहे हैं। वे कहते हैं यह दकियानूसी है, यह एक मंत्र भर है। मैं आश्चर्यचकित हूं। मैंने श्री जसवंत सिंह द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कैटेगार्बिया में भी दिए गए भाषणों को पढ़ा है, जहां वे विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लने गए थे। उसमें भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पाया था।

परन्तु एक सेवानिवृत्त नौकरशाह, जिसे आपने अपना सुरक्षा सलाहकार बनाया है, को आपकी नीतियों का खंडन करने और यह कहने कि 'गुट-निरपेक्षता एक मंत्र है, यह एक दकियानूसी सिद्धांत है, कहने का यह अधिकार किसने दिया है?

महोदय, अपने मंत्री एवं प्रधानमंत्री का खंडन करने का यह अधिकार इस सुरक्षा सलाहकार को किसने प्रदान किया है? मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा। पिछली सभी सरकारों ने, चाहे वह श्री चरण सिंह, श्री वी.पी. सिंह, श्री चन्द्रशेखर, श्री देवगौड़ा या श्री गुजराल की सरकार रही हो, उस नीति को जारी रखा एवं उस विदेश नीति को सराहा था। परन्तु, यहां एक नई सरकार है, और वे उस नीति में त्रुटि खोजने लगे हैं जो विश्व भर में इतने वर्षों से जारी है।

महोदय, गुट-निरपेक्ष नीति, जिसने सैकड़ों देशों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता प्रदान किया, को दकियानूस, एक मंत्र बताना एक विचित्र सी बात है जिसे मैं इन नेताओं के मुख से सुन रहा हूं। मैं कामना करता हूं कि नई व्यवस्था के अधीन भारत एक अग्रणी भूमिका निभा चुका होगा चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की इस नीति को हमारे सभी पूर्ववर्ती विदेश मंत्रियों से लेकर अभी तक के सभी विदेश मंत्रियों द्वारा लागू किया गया है। इस प्रकार भारत अपने मुक्त-चिंतन एवं विश्व स्तर पर निभाई गई भूमिका के कारण जाना जाता है।

महोदय, 13वें गुट-निरपेक्ष सम्मेलन, जिसमें माननीय मंत्री जी ने भाग लिया, में कामना करता हूं कि उसमें उन्होंने एक भूमिका निभाई होगी और उन्होंने आंदोलन को राजनीतिक एवं आर्थिक दिशा में मोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया होता क्योंकि आज विकासशील देश नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आज विश्व एकध्रुवीय हो चला है। गुट निरपेक्ष देशों के साथ रहते हुए भारत विश्व को नई चुनौतियों, नए खतरों के प्रति आगाह कर पाने में बुरी तरह असफल हुआ है।

सभापति महोदय, मेरे विचार से, नई सरकार आज के विश्व की नई स्थिति का मूल्यांकन करने में असफल है। शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। चालीस वर्षों से चली आ रही विश्व व्यवस्था अब नहीं है। रूस विघटित हो चुका है। अब, विश्व में केवल एक शक्ति ऐसी है जो महाशक्ति की भूमिका निभा रही है और समूचा विश्व उनकी ओर देख रहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू का वह भारत कहां है जो ऐसी स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता? आज विश्व आर्थिक एकाधिकार की समस्या से जूझ रहा है। हम, गुट-निरपेक्ष देशों ने साथ मिलकर साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब इस विश्व पर एक नया साम्राज्यवाद 'आर्थिक साम्राज्यवाद'' छा गया है। सभी देश इसका मूल्यांकन करने एवं नीतियों को सूचित करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि बदलते विश्व की इस परिस्थिति में क्या वे एक नई सोच को लाए जाने और बदली हुई परिस्थितियों में उस नीति को जिसका इस देश में अनुपालन किया गया है, जारी रखने पर विचार करेंगे।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है या विश्व शांति की हमारी नीति बदल गई है। क्या वे सभी सिद्धांत जो पहले प्रासंगिक थे, आज वे प्रासंगिक हैं या नहीं? क्या हमारे देश के आर्थिक विकास को प्राप्त करने के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम प्रयत्नशील नहीं हैं?

मैंने माननीय मंत्री से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि जो उन्होंने गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में कहा वह सही है या नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं श्री अजित कुमार पांजा द्वारा कही गई बातों में काफी विरोधाभास है। मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा यदि आप हमें बताएं कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्या गुट-निरपेक्षता की नीति में विश्वास करते हैं या नहीं? क्या आपका इस नीति में विश्वास है? क्या आप एक नई नीति को प्रतिज्ञापित कर रहे हैं?

मैं जानना चाहूंगा कि नई नीति क्या है और आपकी नई नीति इस देश की आम राय पर आधारित है या नहीं? क्या आपने विपक्ष के नेताओं से बातचीत की है क्योंकि विदेश नीति हमेशा देश की आम राय पर आधारित होती है। मैं इन सभी प्रश्नों का जवाब चाहूंगा।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। विदेश मंत्री अपनी बात कह रहे हैं। इसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दूसरी बात कह रहे हैं। सभा में यह प्रश्न हमारी गुट-निरपेक्ष नीति के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा दिए गए वक्तव्य से उठ खड़ा हुआ है।

हमने गुट-निरपेक्षता की इस नीति को स्वतंत्रता प्राप्त करने से भी पहले स्वीकारा था। यह नीति किसी एक सरकार की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। हमारा दल पहले भी असहमत रहा है। हम पूर्ववर्ती सरकार की कई नीतियों के विरोध में हैं। परन्तु, एक नीति पर हमारे दल ने भी पहले सरकार का समर्थन किया और आज भी हम देश के हित में यह चाहते हैं कि हमें गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करना चाहिए।

एक समय वह था जब हमने अपने देश को नेतृत्व प्रदान किया था। हमारा देश गुट-निरपेक्ष आंदोलन का नेता था। यह गुट-निरपेक्ष आंदोलन न केवल हमारे अपने देश के हितों के संरक्षण के लिए, बल्कि सभी विकासशील देशों के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। गुट-निरपेक्ष आंदोलन का उपयोग अतीत में महाशक्ति द्वारा विश्व को एक ध्रुवीय विश्व में बदलने के कदमों या प्रयासों के विरोध में किया गया था।

इससे विकासशील देशों की एकता में सहायता मिली। इस प्रकार यह एक आंदोलन था। हमने इस गुट-निरपेक्ष आंदोलन को अपने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद स्वीकारा था। अत: इस आंदोलन को मजबूती प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इसमें कोई परिवर्तन किया गया है क्योंकि आज हम पाते हैं कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन के प्रति सरकार के रवैये में बदलाव आया है। इन दो या तीन वर्षों के दौरान, यह आंदोलन कमजोर हुआ है। अत:, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारी नीति, जो किसी एक दल की, किसी एक सरकार की नहीं है बल्कि देश के लोगों की है, के प्रति सरकार के रवैये में बदलाव आया है।

कभी-कभी, हम पाते हैं कि धीरे-धीरे हम गुट-निरपेक्ष आंदोलन से अपने आपको अलग कर रहे हैं। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की नीति क्या है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में अलग बात क्यों की। मैं गुट-निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में सरकार की नीति को जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, हमारी भारतीय विदेश नीति का जो मूल आधार शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, गुटनिरपेक्षता और मानवाधिकारों का संरक्षण, नि:शस्त्रीकरण, 'जियो और जीने दो' है, मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार इन सिद्धांतों पर दृढ़ता से डटी हुई है। 36वां म्यूनिख सम्मेलन 6 फरवरी, 2000 को हुआ, वहां पर सुरक्षा नीति पर बोलते हुए माननीय प्रधान मंत्री के विशेष सुरक्षा सचिव तथा भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सलाहकार और विशेष सचिव श्री ब्रजेश जी ने जिस संदर्भ में कोई बात कही थी, ऐसा मालूम पड़ता है कि विपक्षी महानुभाव उसी तथ्य को तोड़-मरोड़ कर "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी" की भावना से सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, आपके माध्यम से यही स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार की गुटनिरपेक्षता की नीति वास्तव में सफल सिद्ध हुई है और आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय जनमत और समर्थन जुटाने में हमारे कर्मठ विदेश मंत्री माननीय जसवंत सिंह जी ने माननीय अटल जी के नेतृत्व में जो कर्मण्यतावाद दिखलाया और उनकी पुष्टि भी हुई, चाहे हवाई जहाज के अपहरण के समय सारी दुनिया के देशों ने उसकी निन्दा की, अथवा कारगिल के युद्ध के समय पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने और उसको सीमा में वापस जाने के बारे में दुनिया के सभी देशों ने जो बात कही और इसी प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि अब संसार दो गुटों में तो बंटा हुआ नहीं है, अब संसार एक हो गया है—पहला और दूसरा गुट नहीं के बराबर है क्योंकि अब आर्थिक साम्राज्यवाद और दूसरी बातें बढ़ रही हैं—ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्षता की हमारी नीति अटल है, कायम है और निश्चित रूप से यह सरकार उसी नीति पर चल रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहूंगा कि गुटनिरपेक्षता की नीति को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को और भी अधिक सुदृढ़ और व्यावहारिक बनाने के लिए यह सरकार क्या उपाय कर रही है, यह सदन को बताने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): माननीय सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने यह आधे घंटे की चर्चा को उठाया है क्योंकि इससे सरकार को सभी शंकाओं के समाधान करने और इस संबंध में सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने का मौका मिलता है।

सच यह है कि इस पद पर पहले श्री आर.एल. भाटिया थे। उन्होंने इस चर्चा की शुरुआत की थी और उन्होंने तीन मुख्य प्रश्न पूछे थे, जिसे वस्तुत: अन्य सदस्यों ने दोहराया है—सभी तीन नहीं, परंतु गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रसंग में हैं। मुझे यह पुष्टि करने और सदस्यों के साथ सहमत होने में कोई कठिनाई नहीं है कि जिन आदर्शों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक निर्माताओं को प्रेरित किया वे हैं; उपनिवेशवाद और सभी प्रकार के प्रभुत्ववाद, रंगभेद का कड़ा विरोध तथा गुटों की राजनीति पर आधारित

[डा. जसवंत सिंह]

अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित न करना। उनके आपस में घनिष्ठ संबंध हैं, और उनकी अभी भी प्रासंगिकता है क्योंकि इसका गहरा संबंध हमारे देश के समूचे स्वतंत्रता संघर्ष के साथ जुड़ा है।

इस अर्थ में, गुटनिरपेक्षता की अवधारणा हमारी स्वतंत्रता संघर्ष की ही तरह हमारी विदेशी नीति में इस सिद्धांत का सार स्वाभाविक रूप से आया। इसलिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में यह विश्वास, जिसका अभिप्राय विचारों की स्वतंत्रता और कार्य की स्वायत्तता से है, भारत की विदेश नीति का हिस्सा रहा है और रहेगा। मैं इस संबंध में किसी प्रकार की कोई शंका स्थापित नहीं करना चाहता।

हम यह नहीं मानते हैं कि शीत युद्ध समाप्त होने के परिणामस्वरूप इस आन्दोलन का महत्व कम हो गया है क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध की उपज नहीं थी। मैंने अभी समझाने का प्रयत्न किया है कि यह स्वयं आंदोलन के विचारों की उत्पत्ति है इसके विभिन्न स्रोत हैं। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह अपने मूल सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहा है; और गुटनिरपेक्ष देशों के साथ हमारे संबंधों का विषय अभी भी प्राथमिकता का क्षेत्र बना हुआ है। हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी मंचों में मुख्य सदस्य के रूप में भाग लिया।

1998 के मुख्य भाषण में, जो डरबन में हुई गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 12वां सम्मेलन था, प्रधान मंत्री ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों से यह निवेदन किया था कि अपनी शक्ति को बढ़ाए जिससे नाम की संख्या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रभावशाली आवाज बन सके।

माननीय सदस्य, श्री आर.एल. भाटिया ने जो दूसरा प्रश्न पूछा, वह कार्टाजेना सम्मेलन से संबंधित और कार्टाजेना सम्मेलन में हमारी रही भूमिका के बारे में था। मुझे कार्टाजेना में देश का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान प्राप्त हुआ था। मैं इसकी सभी उपलब्धियों की यहां चर्चा नहीं करूंगा। मुझे सम्माननीय सदस्यों से इसे बांटने में कोई कठिनाई नहीं है कि कार्टाजेना में सम्पूर्ण आन्दोलन के प्रति नया उत्साह देखा, सदस्य देशों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की इत्यादि। सच तो यह है कि अंतिम विज्ञप्ति जो कार्टाजेना में जारी की गई थी, मंत्रियों की बैठक में, अन्य मामलों के साथ—मैं सभा का समय उन सभी बातों पर नहीं लेना चाहता—अफगानिस्तान पर, पहली बार, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विज्ञप्ति में तालिबान की कड़ी निंदा की गई। मुझे लगता है, यह भारत की पहल का नतीजा थी। इस विज्ञप्ति ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी व्यापक सम्मेलन के लिए हमारे प्रस्ताव हेतु अपना समर्थन दोहराया।

भारतीय शिष्टमंडल ने ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थिति को सफलतापूर्वक बनाए रखा। इसने पहली बार आंदोलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में मानवता हस्तक्षेप के संबंध में अमेरिका द्वारा हाल ही में प्रतिपादित धारणा का स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विज्ञप्ति में इस संबंध में उल्लेख है। जहाँ तक आर्थिक मामलों का संबंध है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने विशेष रूप से पूछा है, भारतीय शिष्टमंडल ने, कृषि के संबंध में अनेक राष्ट्रीय वार्ताओं में प्रमुख रूप से कृषि अर्थव्यवस्थाओं की चिंताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता तथा कृषि को विश्व व्यापार संगठन के सामान्य नियमों के अंतर्गत लाने की आवश्यकता को शामिल करने में सफल रहा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बाल मजदूरी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन जैसे मामले में स्थिति बहुत सुरक्षित रही। यह सफलता मुख्यत: भारतीय शिष्टमंडल द्वारा किये गये प्रयासों के कारण थी। मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। विज्ञप्ति में अनेक अन्य पहलुओं का उल्लेख है। माननीय सदस्यों ने उस विज्ञप्ति को अवश्य पढ़ा होगा।

तीसरा प्रश्न था क्या विदेश नीति के शांति और निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को छोड़ दिया गया है। कैसे लक्ष्य के रूप में शांति छोड़ी जा सकती है? यह लक्ष्य इस लायक है कि इसे प्राप्त करने के प्रयास जारी रहें, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हों। मैं माननीय मंत्री को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि भारत अपने विदेश नीति के सिद्धांतों से विमुख नहीं हुआ है। इसे विद्यमान रखा जाएगा। श्री बसुदेव आचार्य ने भी मुख्यत: यही प्रश्न उठाया था।

[हिन्दी]

रासा सिंह रावत जी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने सरकार की नीति को सही ढंग से रखा। उन्होंने पूछा है कि गुट निरपेक्ष को अधिक सबल और सार्थक करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? इसके बारे में सरकार जो प्रयत्न कर रही है, उसका मैं अभी जवाब दे चुका हूं और सरकार उस दिशा में प्रयत्नशील रहेगी, यह आश्वासन मैं माननीय सदस्य को देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

इसने बाद, मैं समझता हूँ कि इस मामले को पूरी तरह से छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी पहलुओं और प्रश्नों का जवाब दे दिया गया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल पर चर्चा अधूरी थी इसलिए अब उस पर चर्चा आरंभ होती है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: सभापति महोदय, मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आर.एल. भाटिया: एक नौकरशाह ने वक्तव्य दिया है। माननीय मंत्री ने उसका उल्लेख नहीं किया है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: पूरी चर्चा एक नौकरशाह द्वारा दिए गए वक्तव्य के कारण की गई है। मंत्री महोदय ने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। *...(व्यवधान)* मेरा सवाल था। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप लोगों ने जो सवाल पूछा था, मंत्री जी ने उनका जवाब दे दिया है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्री जी ने ठीक से जवाब नहीं दिया है। *...(व्यवधान)*

श्री आर.एल. भाटिया: सभापति जी, मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। इन्होंने बृजेश मिश्रा जी का नाम तक नहीं लिया कि उन्होंने गलत किया या उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। *...(व्यवधान)* यह हमारी पालिसी नहीं है। इन्होंने इस पर कोई जिक्र नहीं किया। *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुराई): ब्रिजेश मिश्रा जी ने जो कहा, अजीत पांजा जी ने जो कहा, उसके बारे में मंत्री जी का क्या विचार है, यह हम जानना चाहते हैं। आप कहिये कि आप इससे सहमत नहीं हैं और दोनों को निकाल दीजिए तब हम खुश होंगे। लेकिन आप इन्हीं दोनों को रखकर कहते हैं कि मेरी नीति एक है मगर मेरे राज्य मंत्री की नीति दूसरी है। यह किस प्रकार की सरकार है?

श्री जसवंत सिंह: ऐसा नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: आप हमे यह बताइये कि पांजा साहब ने ऐसा नहीं कहा या यह मान लीजिए कि उन्होंने कहा इसलिए उनको वहां रखना सही नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: 15 मार्च 2000 को प्रश्न संख्या 286 का उत्तर सदन में दे दिया गया है।

श्री आर.एल. भाटिया: वह गोलमोल जवाब था इसलिए मैंने इस पर डिसकशन मांगी थी। *...(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: आपने जो स्पष्टीकरण मांगा था, वह मैं दे चुका हूं।

श्री आर.एल. भाटिया: आप अब भी नहीं कह रहे कि बृजेश मिश्रा जी ने जो कहा, वह गलत है। आप ऐसा कह दीजिए तब हम मान जायेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्यों की भ्रांतियों का मैं उत्तर कैसे दूं? आपने जो प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों का मैं समुचित उत्तर दे चुका हूं।

अपराह्न 6.00 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक–*जारी*

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): मैं कह रहा था कि हम 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुए। *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुराई): सभापति महोदय, क्या आजादी की तारीख रखवाने के लिए बहस जारी रख रहे हैं?

श्री रतन लाल कटारिया: इसके साथ ही जापान भी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् उसी समय आजाद हुआ। लेकिन इन्फोर्मेशन एंड टैक्नोलोजी के माध्यम से जापान ने अपने पांव पर खड़े होकर *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: छः बज चुके हैं। यदि सभा की सहमति हो, इन्फोर्मेशन एंड टैक्नोलोजी बिल महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर बहस जारी रखें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, हम सब चाहते हैं कि बहस जारी रहे लेकिन आज नहीं, कल करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम भी चाहते हैं कि बहस जारी रहे लेकिन आज नहीं कल करेंगे।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि आप जितना समय लेना चाहें ले सकते हैं। वह सभा में उपस्थित नहीं हैं। इस पर कल चर्चा की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो हम कल देर रात तक बैठ जाएंगे और इसे पास कर देंगे। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): इस पर चार घंटे रखे गए हैं लेकिन इसे आज खत्म करना तय हुआ था।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं समझता हूं कि मानीय मंत्री जी आज जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्र शेखर सहित सभी नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये थे तब सभा में उपस्थित नहीं थे। उस समय माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं खड़े होकर हस्तक्षेप किया था कि यह विधेयक वास्तव में कई मामलों में जटिल है और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि सदस्य जितने घंटे बोलना चाहते हैं वह चर्चा जारी रख सकते है अत: 4 घंटे की समय सीमा सदन के नेता द्वारा निरस्त कर दी गई थी।

श्री प्रमोद महाजन: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप चार घंटे से अधिक बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह कभी भी नहीं कहा कि इस पर कल चर्चा होगी लेकिन आप आज इस पर जितना समय चर्चा करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बैठने को तैयार हैं और हम चाहते हैं कि सदन की बैठक का समय बढ़ाया जाए।

महोदय, हर बार विपक्ष नियम 193 के अधीन चर्चा करने की मांग करता है और हम इस पर कल अथवा परसों चर्चा करने के लिए राजी हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: यह नियम 193 के अधीन नहीं है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है।

श्री प्रमोद महाजन: मुझे मालूम है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। इसीलिए मैं इसके लिए आग्रह कर रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इस विधेयक का सभा के किसी भी भाग द्वारा विरोध नहीं किया गया है हममें से भी कोई इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा है। हम सभी इस विधेयक के पक्ष में हैं। महोदय, लगभग सभी दलों ने यह राय व्यक्त की है कि इस विधेयक *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: सभी दलों ने नहीं व्यक्त की है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ठीक है। मैं कहूंगा कि सत्ता पक्ष के दलों ने व्यक्त नहीं की है। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जो हमारे सभा के माननीय नेता हैं, ने हमारी शंकाओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि यह चर्चा रोकी नहीं जानी चाहिए आप जितनी देर चाहें इस पर चर्चा कर सकते हैं। जहां तक मुझे ध्यान है आपने भी सदन से जाने से पहले कहा था कि चर्चा तो शुरू होने दीजिए हम अन्य मुद्दे बाद में ले सकते हैं।

अपराह्न 6.02 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, कार्यमंत्रणा समिति ने चार घंटे का समय आवंटित किया है। अत: चर्चा जारी रहने दीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, यदि आप सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं और भावनाओं को पूरी तरह नजर अंदाज करके प्रत्येक कार्यवाही इस तरह करना चाहते हैं तो हमारे हस्तक्षेप करने का मतलब ही क्या है? हम इस विधेयक का समर्थन करना चाहते हैं और इस सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, नियम 193 के अधीन सभी चर्चाओं के लिए दो घंटे का समय है। लेकिन नियम 193 के अधीन कोई भी चर्चा मात्र दो घंटे नहीं चलती थी। हम हमेशा छह से आठ घंटे बैठते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: आप पहले संसदीय कार्य मंत्री नहीं हैं जिन्होंने यह किया है। अन्य संसदीय कार्य मंत्रियों ने भी ऐसा ही किया है आपने किसी पर कोई कृपा नहीं की है *...(व्यवधान)* प्रधानमंत्री की बात को भी नकारा गया है यह उनकी अवहेलना कर रहे हैं। वह प्रधानमंत्री से बड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो समझा है वह यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह

कल भी जारी रह सकती है यदि आप इसे हमारे सहयोग के बिना पारित करना चाहते हैं तो आप इसे पारित कर सकते हैं यदि आप ऐसा चाहते हैं तो राज्य सभा में इसे रोका जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: कई और वक्ता हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव: यदि यह यहां पारित हो जाता है तो इसे राज्य सभा में रोका जाएगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: हमने कार्यमंत्रणा समिति में विचार किया था कि कार्यवाही की इस मद को आज ही पूरा किया जाएगा। मात्र इसी आधार पर कार्यवाही कल और परसों के लिए निर्धारित की गई है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: यदि यह चर्चा कल भी जारी रहती है तो इसमें गलत क्या है? *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मुझे राज्य सभा में भी इसे पारित करवाना पड़ेगा। मुझे राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य सभा में इसे लेने के लिए एक दिन के अन्तराल की आवश्यकता है *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: इसमें इतनी जल्दी क्या है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपील करूंगा कि वरिष्ठ नेता जो कुछ कह रहे हैं आप उस पर विचार कीजिए। मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूं आपने सुबह नेताओं के विचारों और रुख का अध्ययन किया है आपको इस मुद्दे पर नेताओं द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया स्वरूप माननीय प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का ख्याल करना चाहिए *...(व्यवधान)* यदि वे आज ही इसे पारित कराना चाहते हैं तो इन्हें इसे कराने दीजिए ऐसा लगता है कि उन्हें हमारी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है उन्हें, जिस तरीके से वह चाहते हैं, उस तरीके से इस पर विचार करने दीजिए। क्या काम करने का यह तरीका है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खण्डूड़ी: अध्यक्ष महोदय, सभी वरिष्ठ नेता बैठक में उपस्थित थे कार्यमंत्रणा समिति में जो कुछ विचार किया गया था उसका पालन नहीं किया जा रहा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम पर दोष मत लगाइए। मैंने इसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय को पहले ही बता दिया है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हम भी 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुए और इसके साथ-साथ जापान ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने विकास का रास्ता अपनाया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, सभा का समय बढ़ाए बिना सभा की कार्यवाही किस प्रकार जारी रह सकती है? अपराह्न 6.05 हो गए हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया: जापान ने इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी को अपनाकर अपने पांव के ऊपर खड़े होकर इतनी तरक्की की कि अमेरिका जैसे देश उसके कर्जदार हैं। अगर हमारे देश के अन्दर भी कोई ऐसा विकास का मॉडल अपना लिया जाता तो आज हमारा देश भी दुनिया की सुपर पावर में होता। आज प्रमोद महाजन जी यह बिल लाये हैं तो इस बिल के बारे में यह कहा जा रहा है कि इसको अभी पास न किया जाये। आज जब इस बिल को अपनाकर अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और हमारे छोटे-छोटे एशियन कंट्रीज जैसे घाना, सिंगापुर ने इसको अपनाया। आज सारी दुनिया के अन्दर इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी के अंतर्गत जो 500 मानी हुई कम्पनियां काम कर रही हैं, उन कम्पनियों में 208 भारतीय कम्पनियां हैं, जो आज सारे दुनया के अन्दर छाई हुई हैं। इसी तरह से सिलिकोन का जो क्षेत्र है, उसके अन्दर भी भारतीय *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री कटारिया, कृपया एक मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यदि सभा सहमत हो तो हम आज शाम सात बजे तक चर्चा जारी रख सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन: हम वह नहीं कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि यह कार्यवाही आज ही समाप्त की जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि संसदीय कार्य मंत्री जिद करते हैं कि कार्यवाही की इस मद को आज ही पूरा किया जाए तो

[श्री प्रियरंजन दासमुशी]

वह अपने दल के सदस्यों के साथ इसे कर सकते हैं। हम सभा से बाहर जा रहे हैं ...*(व्यवधान)* सरकार का यह रवैया है। निसन्देह मुझे माननीय संसदीय कार्य मंत्री से यह उम्मीद नहीं थी यह क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय सर्वोच्च हैं ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: हमने इस समझौते के आधार पर कि यह विधेयक आज ही पारित किया जाएगा, कल और परसों के लिए कार्यक्रम तैयार किया है ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सुबह माननीय सदस्य चाहते थे कि इसे इस सत्र में नहीं लिया जाना चाहिए। एक सुझाव था कि इसके लिए विशेष सत्र होना चाहिए। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम जितना समय इस पर विचार करना चाहें, कर सकते हैं और श्री बसुदेव आचार्य और श्री प्रियरंजन दासमुंशी सहित लगभग सभी सदस्यों ने कहा था कि यह विधेयक पारित किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए यह देखने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए कि जब ये लोग वहां नहीं हैं तो यह पारित किया जाए क्योंकि इससे दूसरे सदन में भी पारित कराने में कठिनाई उत्पन्न होगी। क्या मैं कह सकता हूं कि यह कहने के बजाय कि इसे किया जाना चाहिए हमें एक दूसरे की बात मान लेनी चाहिए? यदि यह ऐसा नहीं करते हैं तो इन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्हें दूसरे सदन में सहयोग की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: पहली बात तो यह है, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, हाथ जोड़ कर याद दिलाना चाहता हूं, अध्यक्ष जी वहां थे, बुधवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें तय किया गया था कि अगले हफ्ते विपक्ष किस बात पर चर्चा करना चाहता है, सत्ता पक्ष किस बिल को पास कराने की इच्छा रखता है। इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। उसके अनुसार घंटे तय हुए, उसके अनुसार दिन तय हुए कि सोमवार को क्या पूरा करना है, मंगलवार को क्या पूरा करना है और बुधवार को क्या पूरा करना है। यह अचानक आया हुआ बिल नहीं है। छः महीने से संसद के पास पड़ा हुआ बिल है। उसके बाद शुक्रवार को यह आएगा, यह हमने पहले बताया था। हम इसमें कौन सी जबर्दस्ती कर रहे हैं। यह सारा करने के बाद हम रोज छः बजे के बाद भी बैठे हैं, हमने हर चीज को माना है। ये कह रहे हैं कि सरकार इस बिल को पारित कराना चाहती है। हमने सबने मिल कर तय किया था। अगर सबने मिल कर तय किया था तो उसको हाउस में आकर हम बदल दें और आप कहें कि मैं जबर्दस्ती कर रहा हूं, यह मुझ पर अन्याय है। सबने तय किया था, स्पीकर साहब के सामने तय किया था। सब लिखित में है, मिनिट्स हैं, वह हाउस में अनाउंस हुआ। अब यह कहें कि आज का हाउस का काम पूरा नहीं होगा।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): ऐसा नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन: मेरा इतना ही निवेदन है कि आज का काम पूरा करें। मैं यही आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह बिल महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं और इसे पारित कराना चाहते हैं। आपने सुना है कि यहां के लोग बोल रहे हैं कि पारित करना है, वहां के भी लोग बोल रहे हैं। बीच में एकाध दिन का परिवर्तन का ही मुद्दा है। एक दिन बाद हो सकता है। आप सरकार में बैठे हुए हैं, आपको बिल पारित करना है, हम इधर बैठे हुए हैं, हमें बोलना है। आपके पारित करने का भी काम हो जाएगा और हमारे बोलने का भी काम हो जाएगा। आपने कहा कि हम बैठेंगे, किसी वजह से इधर के लोग आज नहीं बैठना चाहते, कल थोड़ा ज्यादा समय बैठ जायेंगे। ऐसी बात नहीं है, हमने एक दिन बाद भी बिल पास करके भेजा है। इसलिए इसको प्रैक्टिस इश्यू न बनाएं। स्पीकर साहब ने कहा है कि सात बजे तक बैठिए, उनकी भी बात रह जाएगी और आपकी भी रह जाएगी।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, हम कल सांख्यवाहिनी का विषय नहीं ले रहे हैं और हम इस कार्य को पूरा करेंगे। तत्पश्चात् हम नियम 193 के अधीन चर्चा भी करेंगे। महोदय हम कार्यमंत्रणा समिति में निर्धारित किये गये कार्यक्रम के बजाय हमेशा नए कार्यक्रम को लेते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मेरा हमेशा यह विचार रहा है कि हमें कार्यान्वयन समिति के निर्णय का अनादर नहीं करना चाहिए। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। इस सभा की परम्परा है कि यदि कार्यान्वयन समिति कुछ निर्धारित करती है और यदि कुछ और अतिरिक्त आमने का जाता है तो हमें सभा में प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आपसे अनुरोध करने से पहले, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि शुक्रवार दोपहर को यदि स्थायी समिति का प्रतिवेदन आ जाता है तो हम सोमवार को चार घंटे इस पर चर्चा करेंगे। उस

समय तक हमें मालूम नहीं था कि स्थायी समिति के क्या-क्या संशोधन हैं जिन्हें सरकार मान रही है। यह सभी चीजें रविवार को जाकर स्पष्ट हुई है और आज सुबह जब हम इकट्ठे हुए तो प्रत्येक दल ने, विपक्ष ने अपने सचेतकों के मार्फत स्पष्ट किया है कि हमें इसके विस्तार में जाना पड़ेगा और हमें सभी ऐसे संशोधनों पर अपने विचार रखने होंगे क्योंकि वे चाहते हैं कि यह विधेयक पारित हो जाए और इस पर अधिक समय लग सकता है।

अध्यक्ष महोदय: सुबह हम इन सब चीजों पर चर्चा कर चुके हैं और पुन: आप इसे उठा रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यही बात है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं। जब हमने उस पर विचार किया था तब आपको मालूम था कि सुबह सदन का मूड क्या था और माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, हम 7 बजे तक बैठेंगे।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, हमने क्या निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय: हम 7 बजे तक सदन की बैठक बढ़ा रहे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: ठीक है।

श्री प्रमोद महाजन: नहीं महोदय, लेकिन इस विधेयक का क्या होगा? कब क्या होगा? क्या हमें कार्यमंत्रणा समिति की मूल कार्यसूची पर जाना चाहिए?

श्री शिवराज वि. पाटील: हम इसे कल पारित करेंगे। हम यह बात सभा में कह रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन: माननीय श्री शिवराज पाटील कह रहे हैं कि कल वह इसे पारित कर देंगे। ठीक है।

श्री शिवराज वि. पाटील: नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि सभी इससे सहमत हैं।

श्री प्रमोद महाजन: लेकिन वे मुझे कल तक विधेयक को पारित करवाने की अनुमति देंगे।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया: मैं इसे कंक्लूड ही कर रहा हूं। अंत में, मैं इस बिल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश के अंदर जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, इसमें दो लाख अस्सी हजार लोग काम कर रहे हैं और जो सपना हमने देखा है कि हम भी अपने देश की जी.डी.पी. को इसके माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं, सन् 2008 तक हमने 87 बिलियन का सपना देखा है, उसके लिए देश के अंदर 2008 तक 2.2 मिलियन वर्कर्स को नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी।

सायं 6.16 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

हमारे देश के लिए इंफार्मेशन एंड टैक्नोलोजी के युग में क्रांतिकारी कदम उठाने बहुत जरूरी हैं क्योंकि हमारा जिन देशों के साथ कम्पीटिशन आ रहा है, यहां तक कि पड़ोसी देश जो चाइना है, आज की तारीख में वहां पर 18 लाख बिलियन का व्यापार हो रहा है और चाइना ने अपने इंटरनैट को यहां तक बढ़ाया है कि सन् 2000 के अंत तक वहां 3.8 लाख मिलियन लोगों के पास इंटरनैट सुविधा होगी, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए इस सदन से चाहूंगा कि इस बिल को राष्ट्र हित में आज ही सर्वसम्मति से पास किया जाये ताकि हम इंफार्मेशन एंड टैक्नॉलाजी को अपनाकर दुनिया के देशों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया के मुकाबले पर लाकर अपने देश को परम वैभव की ओर ले जाये। इसके साथ ही मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक को 16 दिसम्बर को पुर:स्थापित किये जाने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। इतने महत्वपूर्ण विधेयक के लिए हमें पांच महीने तक इन्तजार करना पड़ा और अब हम इतनी जल्दी में हैं कि इसे बिना विस्तृत चर्चा के पारित करना पड़ रहा है।

महोदय, उद्देश्यों और कारणों के कथन—जो वास्तव में ही काफी पुनीत है—में एक इलैक्ट्रानिक शासन व अन्य दूसरा इलैक्ट्रानिक वाणिज्य है; जबकि उद्देश्यों और कारणों के कथन में इलैक्ट्रानिक वाणिज्य का ही विस्तार है, इलैक्ट्रानिक शासन के बारे में यह कहता है:

> "सरकारी कार्यालयों और उसके अभिकरणों में इलैक्ट्रानिक अभिलेखों और अंकीय हस्ताक्षरों के उपयोग और उनकी अभिस्वीकृति के लिए उपबंध करके इलैक्ट्रानिक शासन को सुकर बनाने की दृष्टि से इसके लिए उपबंध करने का

[श्री के.पी. सिंह देव]

प्रस्ताव है। इससे नागरिक सरकारी कार्यालयों के साथ परेशानी मुक्त होकर अधिक संपर्क बनाए रखने में समर्थ होंगे''

लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह पारदर्शी हो।

महोदय, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि सभ्यता के इतिहास में, मानव के विकासक्रम पर किसी भी वैज्ञानिक कार्य ने इतना व्यापक प्रभाव नहीं डाला है जितना कि सूचना प्रौद्योगिकी ने। इसलिए, महोदय मैं प्रो. रूपचंद पाल से संभवत: और अधिक सहमत हूं। यद्यपि वार्षिक रिपोर्ट प्रतिज्ञापित करती है कि मानव विकास पर इसका प्रभाव है लेकिन जिस विधेयक को पुर:स्थापित किया है उसमें ई-वाणिज्य के सिवाय मानव विकास के लिए देने के लिए कुछ नहीं है।

महोदय, जो मंत्रालय अब श्री अरुण जेटली के पास है। उसका लगभग आधे दशक पूर्व मुझे भी काम देखने का मौका मिला। मुझसे पहले के प्रतिष्ठित मंत्री श्री उपेन्द्र और मैंने भी उस समय महसूस किया कि प्रसारण, सूचना, माइक्रोचिप, इलैक्ट्रोनिक्स तथा अंतरिक्ष को मिलाकर एक मंत्रालय किया जाना चाहिए क्योंकि इसका प्रत्येक भारतीय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। महोदय, खैर, देर आए, दुरुस्त आए।

आज, इन्हें मिलाकर एक करने पर चर्चा हो रही है। महान क्रांति, सूचना क्रांति जिसे सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है, के द्वारा मानव विकास पर भी वार्ता चल रही है। उस समय स्विच दबाते ही हम सुपर हाइवे सूचना प्राप्त कर लेते थे। कोई टेलीविजन को दूरभाष, टैलेक्स, फैक्स के साथ-साथ इन्टरनेट के रूप में पूरे विश्व में प्रयोग कर सकता था। लेकिन आज इस मल्टीमीडिया सूचना हाइवे ने जिसकी अभिव्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी है, ने इस प्रणाली की जगह मात्र पांच वर्षों में ही ले ली है। आज हम देखते हैं कि सरकार के पास व्यापक आधार है, यद्यपि वार्षिक रिपोर्ट में इसकी पहचान की गई और उसने तीन कार्यबलों की नियुक्ति को उचित माना। इनमें एक साफ्टवेयर, एक हार्डवेयर और एक अन्य का वह दावा करती है कि यह ग्रामीण विकास, जनशक्ति प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए है जो कि इस विधेयक से पूरी तरह गायब है।

तत्पश्चात् वार्षिक रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार की चर्चा है। इसके अनुसार वर्ष 2008 तक सबके लिए सूचना की उपलब्धता के बारे में भी चर्चा करती है। लेकिन यह बात इस विधयेक में नहीं है। यही वजह है कि मुझसे पहले के वक्ता श्री शिवराज पाटील जब सर्वप्रथम इस विधेयक पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यह बिल्कुल व्यापक विधेयक नहीं है। इसमें हमारी एक आशंका है कि यह विधेयक पूर्णत: अपरिपूर्ण है और मात्र वाणिज्य तक ही सीमित है। यह सूचना सुपर हाइवे आंकड़ों को प्राप्त करने के साथ-साथ उनकी पुन: प्राप्ति की गति और वाणिज्यिक विश्व में सबसे आगे रहने के माध्यम से अमेरिकावासियों द्वारा वाणिज्य पर आधिपत्य का दूसरा रास्ता है। इसलिए यदि कोई उस भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण के पूर्व लेखे-जोखे से गुजरे जो कि सेवा प्रदान करने के कारण यह विनियामक बन गया है, आज पूरा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और दूरसंचार मंत्रालय के कारण क्रन्दन कर रहा है।

श्री अरुण जेटली, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उस समय एक काम चल रहा था और जिस समय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण स्थापित किया जा रहा था उसमें कुछ दोष दिखाए गए। यह बात सरकार के ध्यान में लायी गई। उन्होंने रक्षा, इलैक्ट्रोनिक्स या अन्तरिक्ष किसी भी विभाग से परामर्श नहीं किया और कुछ प्रतिज्ञापित कर दिया। इसे तत्कालीन सरकार ने ठीक प्रकार से या गलत रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन आज पूरा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्रन्दन कर रहा है कि 22 सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं में से 18 की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। मेरा मतलब है कि वे घाटे में चल रहे हैं और मात्र चार ही इस पूरे वातावरण में बचे हुए हैं। भारत सुपर-शक्ति, सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व शक्ति बनना चाहता है। हम अपने लोगों को अपने ही कानूनों या अपने नियामक प्राधिकरणों द्वारा नुकसान करके ऐसा नहीं कर सकते। सेवा प्रदाता, न्यायाधीश, निर्णायक और अपराधी कहीं नहीं हैं। यहाँ ऐसा ही मामला था विनियामक होने कारण यह सेवा प्रदाता भी था।

अब, आधारभूत संरचना विकसित न होने के कारण यह सूचना प्रौद्योगिकी संसद को और उन लोगों को धोखा देने की पावन प्रत्याशा मात्र ही होगी कि प्रतिवर्ष लाखों लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा काम मिलेगा। इसका मतलब है कि यदि यह सरकार पांच वर्ष तक चलती है तो पचास लाख नौकरियां पैदा होंगी और इसका मतलब होगा पचास लाख नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

इसके अतिरिक्त, हमने अभी हाल ही में, एक माह से भी कम समय पहले, अपने संसद सदस्यों को कम्प्यूटर और इन्टरनेट की सुविधाएं दी हैं। जब माननीय सदस्य विभिन्न मंचों में चर्चा करते हैं तो उसमें इतनी अधिक असंतुष्टि होती है कि इन्टरनेट में अधिक विलम्ब होता है। इन कम्प्यूटरों को प्रक्रमित करने में इतना अधिक विलम्ब होता है कि संसद सदस्य को और प्रभावी बनाने, संसद और देश के प्रति और उपयोगी बनाने के बदले में यह अनुपयोगी ही रहा है। हम ऐसी आधारभूत अवसंरचना पर निर्भर

हैं जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण मामलों में हमें नीचा ही दिखाती है।

अत: मानव विकास का अर्थ है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, दूरस्थ शिक्षा, खेल, संस्कृति और सूचना का अधिकार जिसके बारे में हम हर किसी व्यक्ति से यह बात करते सुनते हैं लेकिन हम पिछले कुछ वर्षों से इसे सुनते आ रहे हैं क्योंकि उचित प्रकार की आधारभूत अवसंरचना के बिना इनमें से कुछ भी नहीं होने जा रहा है।

विधेयक में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट में जिक्र है लेकिन विधेयक में नहीं। यदि माननीय मंत्रीजी अपने उत्तर में इसे स्पष्ट कर सकें तो हमें अत्यधिक खुशी होगी। इससे बात भी साफ हो जाएगी।

मैं माननीय मंत्री जी को पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री के नजरिये कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक प्रखण्ड को आपस में जोड़ा जाएगा, को लागू करने के प्रयास के बधाई देना चाहूंगा। इसका कार्यान्वयन माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पर ही निर्भर करता है। इस बारे में मुझे इतना जोश आया कि मैंने उन्हें यह लिखते हुए एक पत्र भी भेज दिया कि उन्हें तूफान-प्रभावित क्षेत्र सहित उड़ीसा को क्यों नहीं लेना चाहिए या बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के हिस्सों और एजेन्सी क्षेत्रों को भी क्यों नहीं शामिल करना चाहिए। जहां तक डिजिटल संचार का संबंध है, पूर्वोत्तर की तरह ही हम भी उतने ही पिछड़े हैं और जहां शिक्षा की जरूरत है, जहाँ सामान्य संचार या संसूचना की जरूरत है, जहाँ शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी गुणात्मक रूप से प्रभावी हो सकती है वहाँ हमारे लोगों को शक्ति प्रदान करने के लिए संसूचना अच्छा माध्यम है।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे प्रकाश डालें कि यह पूर्वोत्तर कार्यक्रम क्या है, पूर्वोत्तर के लिये यह नजरिया क्या है और क्या इसकी पुनरावृत्ति लद्दाख के कुछ क्षेत्रों, अण्डमान या लक्षद्वीप समूहों के भाग में और वे क्षेत्र भी जो कि मौसम संबंधित घटनाओं जैसे बाढ़ और तूफान से ग्रसित है और जहाँ आपसी सम्पर्क टूट जाता है वहां भी की जा सकती है।

सूचना प्रौद्योगिकी में, हमें साइबर अपराध भी मिलेंगे और अभी हाल ही में श्री फाली नरिमान ने सरकार का ध्यान 'वेब-कॉस्टिंग' की ओर आकृष्ट किया था। 11वीं लोक सभा से पहले इसे इस प्रारूपित किए जा रहे प्रस्तावित प्रसारण विधेयक में शामिल नहीं किया गया था। मैं ऐसी आशा करता हूं और ऐसी भी आशा करता हूं कि दूर-संचार मंत्रालय के पास कुछ ऐसे कानून हैं जो कि इस विशेष सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक के अनुरूप नहीं हैं।

इसलिए, इसमें कुछ कमियां हैं, इसमें कतिपय विपथन, द्विभाजन हैं, इसमें अनेक मंत्रालयों जिनके अलग-अलग कानून हैं, के बीच मतभेद है। इसलिए मैं समझता हूं कि मंत्री जी को देर-सबेर छ: महीने बाद या अगले सत्र में इस पर व्यापक विधेयक लाना ही होगा क्योंकि यह व्यापक विधेयक नहीं है। इसका तात्पर्य मूलत: वाणिज्य के लिए है और यह पूरे राष्ट्र की आशाओं को उजागर कर रहा है।

मैं सभा का ध्यान दिलचस्प लेख "जैक द हैकर" की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह दिनांक 20 फरवरी के 'द टेलीग्राफ' से है हमारी एल.ए.आर.आर.डी.आई.एस. ने इसकी रूतरन दी है। मैं उद्धृत करता हूं:

> "सम्भाव्य सूचना प्रौद्योगिकी शक्ति के रूप में भारत को देकर आक्रमण से सचेत रहना चाहिए। परत्येक वर्ष साइबर आक्रमण बढ़ रहे हैं और उनमें अत्याधुनिक तरीके अपनाए जा रहे हैं।"

यह फरवरी 2000 की बात थी यानि दिसम्बर से कुछ दो माह पूर्व संयुक्त राज्य के न्यायाधीश ने आठवें दशक के कुख्यात हेकर अपराधी केविन मितनिक को जेल से मुक्त कर दिया। यहां तक कि प्रतिष्ठित फैडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 20 वर्षों तक भी इस मामले में कुछ खास नहीं कर सका और मुझे नहीं मालूम कि इस कानून के अन्तर्गत कौन सी एजेन्सी है जिसमें कि पुलिस के सिपाही या सहायक आयुक्त या उपायुक्त को इन हेकरों को पकड़ना है। हैकर कौन है? यह कहता है:

> "'श्री मितनिक की तरह ही जो कम्प्यूटर प्रणाली के अन्दर हैकिंग करता है और प्रणाली के अन्दर से ही उन पर नियंत्रण कर लेता है और ये जोम्बे आक्रमण अपरिष्कृत हैं जो कि मानव तरंग आक्रमणों के डिजिटल के समतुल्य हैं।"

अब, इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है, आन्तरिक सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। यह सरकारी मशीनरी को भी पंगु बना सकता है। मैं समझता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप इन समुदाय केन्द्रों का निर्माण करने जा रहे हों, आप ई-शासन का सृजन करने जा रहे हो। इसलिए इन सभी प्रभावों का गहन अध्ययन अवश्य कर लिया जाए। चूंकि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उन्हें इस राज्य सभा में भी पारित करवाना

[श्री के.पी. सिंह देव]

है, उनकी इस मंशा को देखते हुए मैं यही आशा कर सकता हूं कि अत्यधिक गतिशील व्यक्ति होने के नाते, मैं जानता हूं कि वे रक्षा, सूचना और प्रसारण मंत्रालयों में रहे हैं मैं भी इनमें मंत्री रहा हूं और वे हमेशा आगे बढ़ने वाले ऐसे युवक हैं जो कि संसद के त्रिकट कीपर भी हैं - वे भविष्य में इस पर संशोधन लाएंगे ताकि हम उन सभी शंकाओं जो कि मीडिया ने डाली हैं के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और विश्व के कुछ अन्य अग्रणी देशों, जिन्होंने हमारे ऊपर तीव्र शुरुआत की है के अनुभवों पर आधारित हमारे मस्तिष्क के भय का निराकरण कर सकें।

हमें पश्चिम की नकल करने की आदत है। हम किसी चीज को शीघ्रतापूर्वक अपनाने की कोशिश करते हैं वह भी बिना इसके दुष्प्रभावों को समझे, जो कि आठ से दस साल बाद प्रभावित होकर कष्टदायी बनती है। आज मनुष्य की गोपनीयता प्रभावित है, यही कारण है कि एल गोरे और बिल क्लिंटन के दिमाग की उपज है—सूचना सुपर हाइवेज उसे नौवें दशक के दौरान ही रोका जाना चाहिए था।

अब, हम मल्टी-मीडिया सूचना हाईवे युक्त इस सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने जा रहे हैं। मानव मस्तिष्क पर इसका क्या सामाजिक प्रभाव पड़ने जा रहा है? हमारे बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जिस तरीके से वीडियो चोरी और ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या अश्लीलता आ रही है और जिसके लिए माननीय मंत्री जी मेरी दूसरे सदन में भर्त्सना किया करते थे। मैं उन्हें केवल याद देलाना चाहता हूं कि ये ही चीजें हैं जिनसे हमें बचना है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे उस विधेयक का समर्थन करने का अवसर दिया जिसे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री प्रमोद महाजन द्वारा पुर:स्थापित किया गया है। मुझे उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अपनी बात कहने का अवसर मिलता है जिन्हें इस सभा के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित सदस्यों ने उठाया है।

एक प्रश्न जो आज बार-बार उठाया गया है कि इस विधेयक को पारित करने की इतनी अनिवार्यता क्या है। श्री के.पी. सिंह देव और श्री रूपचन्द पाल द्वारा उठाया गया दूसरा प्रश्न यही है। क्या कानून को इतना व्यापक नहीं होना चाहिये कि प्रौद्योगिकी की अभिबिन्दुता के प्रभाव को अपने दायरे में ले सके? श्री शिवराज पाटिल ने अनेक मुद्दे गिनाये हैं, जिन पर वे चाहते हैं कि इस विधेयक के पारित होने से पहले विचार किया जाना चाहिए। उनका कहना, ''जल्दी में कानून न बनाओ क्योंकि बाद में उसमें कुछ विरोधाभास पैदा हो सकते हैं।''

इस विधेयक के दो उद्देश्य हैं। इस कानून का प्रथम उद्देश्य इलेक्ट्रानिक अभिलेखीकरण, इलेक्ट्रानिक-वाणिज्य तथा इलेक्ट्रानिक-संचार से संबंधित है, जो आज एक वास्तविकता बन गया है। वे पहले से ही हमारे लिए चुनौती बने हैं तथा हमारे वर्तमान कानून इतने पीछे छूट गये हैं कि वे इन अभिलेखों को विधिक मान्यता नहीं दे पाते हैं।

दूसरा उद्देश्य यह है कि इस नई प्रौद्योगिकी के आ जाने से, नये प्रकार के अपराध अस्तित्व में आ गये हैं। इसलिए इस विधेयक को पास करने में देरी करने का अर्थ है कि इलेक्ट्रानिक-मेल, इलेक्ट्रानिक अभिलेखीकरण के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान आवश्यकता को मान्यता न देना तथा इसके पास न होने तक इस क्षेत्र के अपराधियों को अपराध करने की छूट देना।

महोदय, मैं इस पर दो छोटे उदाहरणों से प्रकाश डालना चाहूंगा। आज संविदा, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार, यहां तक कि घरेलू व्यापार से संबंधित कार्य भी दो व्यक्तियों के सशरीर आमने-सामने बैठकर, बात-चीत करके तथा लिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके संपन्न नहीं हो रहे हैं। यह कठोर वास्तविकता है कि ये कार्य अब इलेक्ट्रानिक-मेल तथा अनेक इलेक्ट्रानिक अभिलेखों द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। हमारे न्यायालय इनमें से किसी को मान्यता नहीं दे सकते क्योंकि परम्परागत कानूनों के अनुसार ये अभिलेख, अभिलेख नहीं माने जाते हैं।

इसलिए यदि कोई इन संविदाओं से पीछे हटता है तो ये अभिलेख कागज की तरह नहीं हैं जिस पर कि लिखा गया है क्योंकि इनको कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। हम कितनी देर तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 1997 में आदर्श विधि को स्वीकार कर लिया है। एक के बाद एक राष्ट्र इनं कानूनों को स्वीकार करते जा रहे हैं। अब इस कानून का एक अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप विकसित हो गया है। अत: मैं सोचता हूं कि इस समय इस कानून को पास कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रानिक अभिलेखीकरण को मान्यता देने वाले इस कानून के माध्यम से इस देश में इलेक्ट्रानिक व्यापार काफी आसान हो जायेगा। अभी पिछले सप्ताह 'लव-बग' ने अनेकों कम्प्यूटरों को बर्बाद कर दिया। जब मैंने समाचार-पत्रों की रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे अपने आप में आश्चर्य हो रहा था कि किस कानून के अनुसार भारत में इस प्रकार के कार्य अपराध माने जायेंगे। वास्तव में, कोई भी कम्प्यूटरों पर प्रसार कर सकता है, सूचना चुरा सकता है, सूचना नष्ट कर सकता है फिर भी वह स्वतंत्रतापूर्वक घूमेगा क्योंकि हमने इस दिशा में कोई

कानून बनाने में पहले ही काफी देरी कर दी है। इसलिए, महोदय, इस दिशा में काफी देरी हो जाने के कारण इसकी अत्यन्त आवश्यकता है तथा विधायिका प्रतिदिन की बदलती हुई परिस्थितियों के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है जो कि न केवल इस अभिलेखीकरण को मान्यता देगा बल्कि आज की नई वास्तविकताओं के यथार्थ को भी मान्यता देना प्रारंभ कर देगा।

श्री पाटिल का यह कथन ठीक है कि कानून का प्रौद्योगिकी के साथ कदम मिलाकर चल पाना कठिन है। कानून की तुलना में प्रौद्योगिकी की रफ्तार बहुत तेज है। इस क्षेत्र में आपको अनुभवों से सदैव शिक्षा मिलेगी। इसलिए समय-समय पर इस कानून की प्रासंगिकता के लिए आपको अपने कानून में परिवर्तन करना होगा। इसका सबसे अच्छा प्रमाण श्री पाल और श्री के.पी. सिंह देव ने अपने मत व्यक्त करते समय दिया था जब वे एक व्यापक अभिबिन्दुता कानून की बात कर रहे थे। इन क्षेत्रों के बारे में वर्षों से कुछ नहीं सोचा गया है। अभिबिन्दुता एक वास्तविकता है लेकिन मेरा विचार है कि कानून बनाते समय एक को दूसरे के साथ नहीं मिलाया जा सकता है। इस कानून का उद्देश्य नये साइबर अपराध करने, उन अपराधों से सुरक्षा मुहैया कराने, उन अपराधों के कारण हुई क्षति का प्रतिपूरण करने तथा उन अपराधों के लिए दण्ड की व्यवस्था करने तक सीमित है। यह कानून इलेक्ट्रानिक अभिलेखीकरण को कानून के क्षेत्र में वास्तविक रूप से मान्यता दिलाने के लिए है। इंटरनेट, दूरसंचार और प्रसारण पर अभिबिन्दुता का प्रभाव एक अलग मुद्दा है, और जैसा कि सही कहा जा चुका है कि सरकार इस पर निश्चित रूप से सोच रही है तथा हम इस क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं।

प्रस्तावित विधेयक के विषय में अनेक प्रश्न उठाये गये हैं और उनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं विस्तार से कुछ कहना चाहता हूं। श्री पाटिल यह जानना चाहते थे कि अचल संपत्तियों के बिक्री संविदा को क्यों इलेक्ट्रानिक वाणिज्य से बाहर रखा गया है। इसको बाहर रखा जाना एक वास्तविकता है क्योंकि इसके लिए एक अलग कानून ''रजिस्ट्रीकरण अधिनियम'' है जो कि रजिस्ट्री किए गये प्रत्येक अचल संपत्ति सौदे को मान्यता देता है। पूरे देश में उप रजिस्टार और रजिस्टार के कार्यालय हैं। जब तक वे कार्यालय भी बदलती हुई प्रौद्योगिकी के अनुसार अपने को नहीं बनाते हैं तब तक यह संभव नहीं होगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि समय के साथ वे भी अपने ढांचे को बदलेंगे। आज यह कहना संभव नहीं है कि अचल संपत्ति की प्रत्येक संविदा इसके अंतर्गत आ सकेगी। हमें तब तक कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि अभिलेखों की वास्तविकता का इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो जाता।

अनेक प्रश्न उठाये गये हैं। उदाहरण के लिए, यह कहा गया कि अपील न होने पर भी धारा 57 के अन्तर्गत यह प्रावधान क्यों दिया जाए? श्री पाटिल ने आपत्ति की है कि धारा 57(2) का प्रावधान अनावश्यक है। पक्षकारों की सहमति के आदेश से किसी न्यायाधिकरण के विरुद्ध अपील दर्ज नहीं करायी जा सकती। इससे भी ज्यादा अनावश्यक प्रावधान यह मालूम होता है कि दो पक्षकार जब किसी निर्णायक अधिकारी के समक्ष क्षतिपूर्ति के लिए किसी धनराशि पर सहमत हो जाते हैं तो सामान्यत: कोई भी न्यायाधिकरण उसके विरुद्ध अपील नहीं सुनेगा। लेकिन व्यावहारिक अनुभव इसके विपरीत है। लोगों ने किसी आदेश पर सहमत हो जाने के बाद भी अपील दायर कर रखी है इसलिए हमने कानूनों में अनेक संशोधन किये हैं। वास्तव में, अभी मैं सिविल प्रक्रिया संहिता को पढ़ रहा था जिसकी धारा 96 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि किसी न्यायालय द्वारा दिए गये सहमति आदेश के विरुद्ध अपील को सामान्यत: स्वीकार नहीं किया जाता है। इससे पहले लोग फायदा उठाते थे। पहले वे किसी प्राधिकारी के समक्ष अपनी सहमति दर्ज करा देते थे और बाद में दूसरे प्राधिकारी के समक्ष पहले वाले आदेश को चुनौती दे देते थे।

अत:, सावधानी के तौर पर बहुत से कानून संशोधित कर दिये गये हैं। यह प्रावधान केवल इसी कानून में नहीं है। अनेक कानूनों में यह संशोधन कर दिया गया है ताकि उनमें भी इस प्रकार का प्रावधान हो सके।

धारा 58 के अनुसार न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता से बाध्य नहीं है लेकिन यह प्राकृतिक न्याय का पालन करने को बाध्य है। और तत्पश्चात् धारा 58(2) का उल्लेख आने पर माननीय सदस्य श्री शिवराज पाटील को उसमें विरोधाभास दिखाई दिया। लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता के कुछ अधिकार अभी भी न्यायाधिकरण को प्राप्त हैं। धारा 58 वह मानक प्रावधान है जिसे उन सभी कानूनों में रखा गया है जिनके अनुसार विशेष न्यायाधिकरण गठित किए गये हैं। विशेष न्यायाधिकरणों के गठन का उद्देश्य द्रुतगति से किसी विवाद का समाधान प्रस्तुत करना और कानून में उल्लिखित असुविधाजनक प्रक्रिया से बचना तथा निष्पक्षता एवं विवाद के समाधान में देरी से बचना है। किसी भी प्रक्रिया में निष्पक्षता को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि उससे संबंधित व्यक्तियों को अपनी बात कहने का उपयुक्त अवसर दिया जाए। इसलिए यदि आप सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन करने को बाध्य नहीं भी हों तो भी आप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने को बाध्य हैं। प्रत्येक निर्णायक कानून निर्णायक प्राधिकारी को ये शक्तियां प्रदान करता है। लेकिन इन प्राधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता की कुछ शक्तियां प्रदान

[श्री अरुण जेटली]

की गई हैं क्योंकि यदि उनको ये शक्तियां नहीं दी जायेंगी तो वे कैसे गवाहों को बुलायेंगे; कैसे उनको शपथ दिलायेंगे; कैसे वे मौखिक साक्ष्य तथा शपथ का साक्ष्य प्राप्त करेंगे? इसलिए उनको केवल कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं तथा उन्हें इस संहिता को सामान्य तौर पर लागू करने की शक्ति नहीं दी गई है। अनेक अधिनियमों में इस प्रकार का प्रावधान करके निर्णायक प्राधिकारियों को ये शक्तियां दी गई हैं।

वास्तव में, मैं दूसरे कानूनों - 'सेबी' कानून, 'फेरा' कानून, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम में इस प्रकार की समानताओं की बात कर रहा था। इनमें लगभग इसी से मिलते-जुलते प्रावधान हैं। इसलिए इस कानून में इस प्रकार का प्रावधान किया जाना कोई असाधारण बात नहीं है।

एक मुद्दा यह उठाया गया था कि धारा 62 के अनुसार उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। क्या हम तीन स्तरों पर अपील करने की व्यवस्था बना रहे हैं? इसका उत्तर है 'नहीं'। एक निर्णायक प्राधिकारी होगा। तथ्य एवं कानून पर आधारित उसके आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकेगी। न्यायाधिकरण में अपील केवल तथ्यों के आधार पर हो सकेगी। उच्च न्यायालय में पुन: अपील तथ्यों के आधार पर नहीं केवल कानून के सवाल पर नागरिक के कानून के अनुसार दायर की जा सकेगी। दुबारा कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। तथ्यों के आधार पर केवल एक बार अपील दायर की जा सकती है। कानून के सवाल पर, आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। यह भूमि के सामान्य कानून में दिया गया है। यह कानून उसी कानून के अनुसार है।

और इसके बाद अनुच्छेद 136 के अधीन न्यायालय के विशेष आदेश पर एक बार उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी लेकिन यह कानूनी अधिकार नहीं है। यह पूर्णत: विवेकात्मक समाधान है जो कि किसी व्यक्ति का अपील दायर करने का कानूनी अधिकार नहीं माना जा सकता है। अत: तथ्यों के आधार पर एक बार तथा कानून के सवाल पर दो बार अपील दायर की जा सकती है। इसके अलावा कोई अन्य अपील दायर नहीं की जा सकती।

धारा 76 के विषय में श्री पी.एच. पांडियन ने प्रतिकूल विचार व्यक्त किये लेकिन श्री शिवराज पाटिल ने यह सुझाव दिया कि धारा 76 दोहरे संकट के सिद्धांत का उल्लंघन कर रही है। क्योंकि धारा 76 में प्रावधान है "इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति या किया गया अधिहरण किसी अन्य दंड के अधिरोपण को निवारित नहीं करेगा ....."

इस पर श्री पांडियन ने अपना विचार एक अत्यन्त उपयुक्त व्याख्या के साथ यह कहते हुए रखा, यदि आपके पास बेहिसाब संपत्ति है तो आप दूसरे कानून के अनुसार भी गैर-कानूनी ढंग से प्राप्त की गई संपत्ति पर कर देने के लिए उत्तरदायी होंगे। अधिनियम एक ही हो सकते हैं। लेकिन अपराध भिन्न हो सकते हैं। इसलिए अनुच्छेद 20 का दोहरे संकट का सिद्धान्त भिन्न-भिन्न अपराधों पर भी लागू होता है। इसके अनुसार यह व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। जैसा कि श्री पांडियन ने ठीक कहा है यदि भिन्न प्रकार के अपराध हों यथा एक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आता है तथा दूसरा आयकर अधिनियम के अंतर्गत आता है तो कानून में उनके लिए दो अलग प्रकार के समाधान के उपाय की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह अनुच्छेद 20 के अनुरूप नहीं है।

धारा 79 के संबंध में आज सुबह माननीय सदस्यगणों ने भी टिप्पणी की है। यही वह उपबंध है जिस पर मीडिया में भी गहन चर्चा हुई है। इस उपबंध में यह व्यवस्था है कि "दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे का न हो वह किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा तथा वहां पाए गए किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकेगा।" अब, यह टिप्पणी की गई है कि इस प्रकार का उपबंध क्रूर प्रकृति का है।

माननीय मंत्री श्री प्रमोद महाजन ने पहले हस्तक्षेप करते हुए इसे स्पष्ट कर दिया था। ऊपरी तौर पर यह तर्क आकर्षक लगता है। लेकिन आप किसी परिसर की तलाशी करने की शक्ति किसी पुलिस अधिकारी को किस प्रकार से देने जा रहे हैं?

लेकिन क्या यह पहला कानून है जिसमें कि इस शक्ति को दिया गया है? इस शक्ति के पीछे अच्छा खासा तर्क है। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 165 में भी यह शक्ति है। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम में यह शक्ति धारा 45 में है। वास्तव में, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा 45 को इस विधेयक के खण्ड 79 में समान रूप से पुन: उद्धृत किया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 105 में भी यही शक्ति निहित है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): क्या वरीय न्यायालयों ने बिना वारंट की गिरफ्तारी के विरुद्ध कोई निर्णय दिया है?

श्री अरुण जेटली : ये उपबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और उनकी पुष्टि की गई है और इन उपबंधों में से किसी को भी खारिज नहीं किया गया है।

मैं आपको इनका तर्काधार दूंगा। हमें इस पर नहीं जाना है कि लोगों में इसकी छवि क्या है। यह शक्ति अपराध प्रक्रिया संहिता में क्यों निहित है? एक पुलिस अधिकारी को सूचना मिलती है कि किसी स्थान पर हथियार रखे हुए हैं और कुछ आतंकवादी उन हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या उसे तीन दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी, किसी उच्च प्राधिकारी के पास जाना होगा उसकी अनुमति लेनी होगी और तब जाकर वह जांच पड़ताल कर पाएगा? जब तक वह वहां पहुंचता है हथियारों को वहां से हटा दिया जाता है। सीमा शुल्क अधिकारी को कहा जाता है कि किसी विशेष स्थान, पोत या हवाई जहाज में कुछ तस्करी का सामान पड़ा हुआ है और तस्करी होने जा रही है। वह इसकी तलाशी लेना चाहता है। क्या उसे किसी अन्य प्राधिकारी के पास जाकर ऐसा करने के लिए अनुमति मांगनी पड़ेगी? यदि उसे अनुमति लेने में 15 दिन लग जाते हैं और उसके बाद आकर वह सम्पत्ति की जांच करता है। अपराधी की अचम्भे में तलाशी लेना ही जांच का मूलमंत्र है। हमें लोकप्रियता के नाम पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए जहां कि अपराधी जो कि प्राय: कानून से आगे ही रहते हैं उन्हें इससे और लाभ मिल सके।

आज बदलते समय में, इस नई प्रौद्योगिकी की वजह से साइबर अपराध आये दिन की घटनाएं हो गए हैं। श्री प्रमोद महाजन ने ठीक ही कहा है कि साइबर अपराध होते हैं। धन शोधन की बात ही ले लीजिए। यद्यपि वह इस अधिनियम में समाविष्ट नहीं है और किसी अन्य कानून का विषय है। पूरे विश्व में इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से धन को एक दिन में सैकड़ों देशों से शोधित किया जा सकता है लेकिन उसमें भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे जो सिद्धांत कार्यरत है; वह है तत्काल साक्ष्य को निस्सहाय करना और उस पर आधिपत्य स्थापित करना। क्या हमें ऐसी बोझिल प्रक्रिया को अपनाना है जिससे कि हमारे पुलिस अधिकारियों या सीमा शुल्क अधिकारियों के हाथ बंध जाएं और अपराधी सक्षम हो जाएं क्योंकि कानून बनाते समय हम जनप्रिय रूप से सोचते हैं कि ऐसी शक्तियां पुलिस को क्यों देनी चाहिए।

यदि विदेशी मुद्रा का अवैध लेनदेन चल रहा है तो प्रवर्तन अधिकारी को जाकर ऐसी सम्पत्ति को जब्त कर लेना चाहिए। यदि आप जब्त करने और तलाशी लेने की शक्ति को वापस ले लेते हो तो आप प्रत्येक आपराधिक जांच में व्यवधान ही डालेंगे। यदि कोई साइबर अपराध हो रहा हो तो प्रभारी अधिकारी - इस विधेयक में सही समाविष्ट है कि पुलिस उपाधीक्षक के स्तर का अधिकारी — को यह शक्ति होगी कि वह जाकर इस कम्प्यूटर को अपने कब्जे में ले ले जिससे यह अपराध किया जा रहा है। यदि आप कहते हैं कि उसे यह शक्ति नहीं दी जानी चाहिए तो विधि के उदारीकरण के नाम पर हम ऐसे संस्थागत तंत्र का सृजन कर रहे हैं जहां कानून तोड़ने वालों को ही लाभ मिलेगा और जांच प्राधिकरणों को पंगु कर दिया जाएगा।

श्री शिवराज पाटिल ने कम्पनियों द्वारा किए जा रहे अपराधों का उल्लेख किया था, इस प्रावधान के कारण इस विधेयक में कुछ असामान्य बात नहीं है। कम्पनी ही बड़ी संख्या में वाणिज्यिक और आर्थिक कानूनों में व्यापारिक गतिविधियां करती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कंपनी के मामलों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए जब कोई कम्पनी अपराध करती है तो वास्तविक नहीं बल्कि एक विधिक पहचान होने के नाते उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे जेल भेजा जा सकता है। अधिक से अधिक कम्पनी पर अर्थदण्ड या जुर्माना ही किया जा सकता है। अत: अपराध विधि में प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है कि जब आप कम्पनी की तरफ से व्यापार करते हो और अपराध कर बैठते हो तो कानून यह देखता है कि कम्पनी के पीछे कौन व्यक्ति इन कार्यों के लिए जिम्मेदार है ताकि उस व्यक्ति को सजा दी जा सके। यह पहला मौका नहीं है जब इस उपबंध को पुर:स्थापित किया गया हो। आर्थिक अपराध वाले सभी कानूनों में यह उपबंध मौजूद है। 'सेबी' अधिनियम की धारा 26 में भी यह उपबंध है। 'फेरा' की धारा 68 के तहत भी यही उपबंध है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 140 में भी यही है। इसलिए हर मामले में यही व्यवस्था है क्योंकि इस उपबंध के न होने पर यह अपराधियों के लिए स्वर्ग बन जाएगा। उन्हें बस इतना ही करना है कि स्वयं अपराध करने के स्थान पर एक कम्पनी का निर्माण करें। तब तस्करी को कम्पनी के नाम पर किया जाएगा। विदेशी मुद्रा से संबंधित उल्लंघनों को भी कम्पनी के नाम पर किया जाएगा और तब वे कहेंगे कि आप कम्पनी को जेल नहीं भेज सकते और इसके लिए वह जिम्मेदार भी नहीं है। इसलिए कानून कम्पनी का पर्दा हटाता है, कम्पनी के पीछे के व्यक्ति को प्रकाश में लाता है और उसे सजा देता है और कानून के प्रति उसकी जवाबदेही निश्चित करता है। इसलिए, वास्तव में ही धारा 84 के संबंध में इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह एक सामान्य उपबंध है, जिसे प्रत्येक विधान में स्थान दिया गया है।

संदेहों से मुक्ति के लिए इस विधेयक में खण्ड 85 भी महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने पहले कहा है कि जहां कानून को बदलती और विकसित होती प्रौद्योगिकियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है वहां संदेहों से मुक्ति स्थान ग्रहण करती है। श्री पाटील ने सही कहा कि "इस अधिनियम से टकराने वाली बात के लिए कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जा सकता।" सरकार द्वारा दिया गया कार्यकारी स्पष्टीकरण कानून की सर्वमान्यता से ऊपर नहीं हो सकता लेकिन जब तक यह स्वयं की प्रकृति में

[श्री अरुण जेटली]

स्पष्टकारी है और अधिनियम के साथ अस्तित्व में रह सकता है। भविष्य की दृष्टि से सभी कानूनों में सरकार के पास स्पष्टीकरण देने की शक्ति विहित होनी चाहिए। यदि उसमें संदेह है तो इस संदेह को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि ऐसी नई प्रौद्योगिकियों का प्रादुर्भाव होगा, ऐसी नई स्थितियां उत्पन्न होंगी जिनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए ऐसी सामान्य शक्तियां जो कि अधिनियम की अवज्ञा के लिए नहीं है बल्कि इस अधिनियम के उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए है, अधिनियम में निहित रखी जाती हैं।

श्री पांडियन ने दो अत्यंत सुसंगत मुद्दों को उठाया था। खण्ड 50 के अंतर्गत जब अधिकरण का गठन किया जाता है तो उसका प्रमुख उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है लेकिन आपको शंका है कि यह अपने आप में उस अधिकरण से उच्च न्यायालय में अपील होगी। यदि इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ''क्या यह उसी प्राधिकारी से समकक्ष प्राधिकारी की अपील है या जैसे इसे कानून की भाषा में कहा जाता कि 'सीज़र' की ''सीज़र' से अपील। ऐसी बात नहीं है। बड़ी संख्या में अधिकरणों और जांच-आयोगों के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। संगठनों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाले विधि विरुद्ध संगठन अधिनियम (अनलॉफुल आर्गेनाइजेशन एक्ट) के तहत सभी अधिकरणों के प्रमुख भी वर्तमान न्यायाधीश होते हैं। उनके आदेशों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है क्योंकि जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस अधिकरण की अध्यक्षता करते हैं तो उस समय वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे पदस्थापित किया गया है लेकिन स्वयं में वे उच्च न्यायालय नहीं होते। जब कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकरण की प्रमुखता करता है तो उसके पास उस समय उच्च न्यायालय के रिट अधिकार नहीं होते। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कि कभी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था। यह योग्यता होनी चाहिए। वह अधिकरण की प्रमुखता कर रहा है, कई कानूनों के तहत उसके आदेशों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में किए जाने का प्रावधान है क्योंकि अधिकरण में होने के कारण उसका क्षेत्राधिकार सीमित है, उसके पास उच्च न्यायालय का विस्तृत क्षेत्राधिकार नहीं है। अत: वास्तव में इसे माना नहीं जा सकता है।

धारा 61 का बार-बार अर्थ निकाला गया है और जब यह कहा जाता है कि ''किसी भी न्यायालय को ऐसे मामलों को स्वीकार करने की शक्ति नहीं होगी जो कि अधिकरण के समक्ष हों'' तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे कानून में ''कोई भी न्यायालय'' जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शंका व्यक्त की जाती है कि यह विधान अनुच्छेद 226 में दी गई उच्च न्यायालय की शक्तियों को कैसे छीन सकता है। श्री पांडियन बिल्कुल सही है। धारा 61 के तहत जब 'कोई भी न्यायालय' शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे सिविल न्यायालय के रूप में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। इसे बार-बार स्पष्ट किया गया है। उदाहरण के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची में दल-बदल कानून के तहत अध्यक्ष को शक्तियां दी हैं। उसमें भी इसी प्रकार का प्रावधान है ''कोई भी न्यायालय माननीय अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों को स्वीकार नहीं करेगा।'' लेकिन संविधान पीठ ने कहा ''कि यह उच्च न्यायालय के रिट संबंधी क्षेत्राधिकार को नहीं काट सकता क्योंकि यह मूलभूत ढांचे का अंग है। लेकिन यह केवल सिविल कोर्ट की शक्तियों को ही ले सकता है। अत: जब कोई मुद्दा न्यायनिर्णायक अधिकरण के सम्मुख लम्बित हो या अधिकरण के सम्मुख लम्बित हो तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। जहां तक रिट शक्ति का संबंध है तो लगभग सबका यही मत है कि यह मूलभूत ढांचे का भाग है। यहां तक कि संविधान संशोधन भी इसे छीन नहीं सकता। इसलिए 'किसी न्यायालय को अधिकार नहीं है' शब्द सिविल न्यायालयों के संबंध में ही सुसंगत हैं।

श्री पांडियन जानना चाहते थे कि क्या खण्ड 45 तथा 76 के बीच विवाद है। मेरा कानून से संबंधित अध्ययन है कि ये दोनों अलग-अलग दिशाओं में संचालित होते हैं। धारा 45 मात्र क्षतिपूर्ति से संबंधित है। इसलिए यदि आप साइबर के माध्यम से किसी को आघात पहुंचाते हों और इस विधेयक में अथवा नहीं दिया गया है तो यह साधारण शक्ति है कि उक्त व्यक्ति को इसके तहत 25,000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति मिल सकती है। खण्ड 45 क्षतिपूर्ति से संबंधित शक्ति है जबकि खण्ड 76 स्वयं में शक्ति है। जैसा कि श्री पाटील ने सम्भावित दृष्टिकोण रखा था कि यह ऐसी शक्ति है जहां कोई व्यक्ति दूसरे अधिनियम के तहत अपराध करता है तो इस अधिनियम के उपबंध उसे सजा देने के रास्ते में नहीं आएंगे। इसलिए धारा 76 का संबंध उस अपराध से है जो कि दूसरे अधिनियम के तहत किया जाता है। ये दोनों अलग-अलग दो विभिन्न क्षेत्राधिकारों और भिन्न विषयों से संबंधित है। इसलिए, एक दूसरे का आपस में विवाद हो ही नहीं सकता।

कुछ उठाए गए मुद्दे निश्चित रूप से चिंता के विषय हैं लेकिन इस विधेयक में कुछ उपबंधों को पहली बार शामिल नहीं किया गया। विभिन्न कानूनों में से समय की कसौटी पर पूरे उतरे प्रावधान के रूप में विद्यमान है। इस विधेयक को वृहत्तर अन्तर्राष्ट्रीय माडल के रूप में लाया जा रहा है। इस कानून का उद्देश्य स्वत: ही इसके अधिनियमन की आवश्यकता पर जोर देता है। जब श्री के.पी. सिंह देव हैकर से संबंधित लेख को पढ़ रहे थे तो मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि आज के कानून में हैकर ने कौन सा अपराध किया है। कोई भी हैक कर सकता है, आप किसी

की सूचना चुरा सकते हैं, और उसे बर्बाद कर सकते हैं और साफ बच निकल सकते हैं क्योंकि हमारे अपराधिक कानून इसे अपराध नहीं मानते। आज यह अपने आप में ही भारी आवश्यकता का आधार है। इसलिए सभी पक्षों के सदस्यों से मेरी अपील है कि इस विधेयक को अत्यधिक आवश्यकता के रूप में पारित करें। ऐसे भी अवसर आएंगे जब प्रौद्योगिकी हमसे भी आगे निकल जाएगी और हमें इस विधेयक में संशोधन करने पड़ेंगे। लेकिन संशोधन इस अधिनियम को सुदृढ़ ही बनाएंगे। इस विधेयक का उद्देश्य वास्तविकता को मान्यता देना है। और हम पहले से ही इस पर कार्य कर चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी पक्षों के सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे ताकि यह जल्दी से जल्दी लागू हो सके।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति जी, अच्छा ही है, विद्वान वकील जिस तरह से कोर्ट में बहस करते हैं, उस तरह से जेटली जी ने सदन में बहस की। सरकार ने सूचना तकनीक का विधेयक लाकर यह दावा किया है कि देश में इस क्षेत्र में क्रान्ति आ गई और देश बहुत तरक्की पर पहुंच गया है। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य कहते थे कि यह बहुत उपयोगी विधेयक है। इसकी गहराई से छानबीन करने की जरूरत है। इसलिए इसमें जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को जल्दी पास करने के संबंध में जो तर्क दिए हैं और बताया है कि इस विधेयक को पास करने की आतुरता क्यों है, तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि इस विधेयक को पास करने की इतनी ही आतुरता थी, तो वे इसे पहले क्यों नहीं लाए, इस सत्र के अंतिम दिनों में क्यों लाए?

सभापति महोदय, मंत्री जी ने बताया कि वे इस विधेयक को दिसम्बर में लाए थे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री दावा करते थे कि हम विधेयक को लाए थे, तो फिर वे छः महीने तक कानों में तेल डालकर क्यों बैठे रहे और इस कानून को बनाने में जो देरी हुई, उसके लिए कसूरवार कौन है? यदि दो-तीन महीने विलंब से विधेयक को पास करने में धरती पलट जाएगी और बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो अब तक मंत्री जी इस विधेयक को क्यों नहीं लाए और अब इतनी देर से लाए हैं, तो उसके लिए किस को दोषी ठहराया जाए?

सभापति महोदय, इस प्रकार से वकीलों की तरह से सदन में आकर मंत्री जी ने तर्क दिए हैं और उलटे को सीधा और सीधे को उलटा बताने का प्रयास किया है, यह ठीक नहीं है। सदन में बहस इस प्रकार से नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस देश के नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार ही नहीं है, तो इस कानून को लाने का क्या फायदा है। जब हमें सूचना पाने का अधिकार ही नहीं है, तो सूचना तकनीकी कानून का हमें क्या लाभ होने वाला है?

सभापति जी, हमारे राम जेठमलानी जी क्रिमिनल केसेस के बहुत बड़े कानूनवेत्ता हैं, हमें सुनाई पड़ा है कि वे एक पेशी के लिए कोर्ट में पेश होने हेतु बहुत अधिक रुपए लेते हैं, यह तो अच्छी बात है कि हमारे कानून मंत्री बहुत विद्वान हैं। हमें उनसे मालूम हुआ कि सूचना पाने के कानून को इसलिए पास नहीं किया जा सका क्योंकि उसमें किसी अधिकारी की अदला-बदली का सवाल था। मैं कानून मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस कानून को सरकार ने क्यों दबा रखा है। आज वे इन्फर्मेशन टैक्नोलौजी के कानून को पास कराने के लिए इतने बेचैन हैं और इसके पास होने में देर होने से अनर्थ हो जाएगा, तो वे सूचना पाने के अधिकार से संबंधित कानून को पास कराने से क्यों कतरा रहे हैं?

सभापति जी, यह बात ठीक है कि सूचना तकनीक के क्षेत्र में हमारा देश काफी तरक्की कर रहा है, बाकी चीजों में तो पीछे है। इसका भी एक कारण है कि यहां का तकनीकी आदमी, वैज्ञानिक, इंजीनियर, कम्प्यूटर जानने वाला, साफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवेलप करने वाले आदमी ने काफी मेहनत की है। इसलिए वह तरक्की कर रहा है और उसी योग्यता को रखने वाले विदेशी बच्चे बहुत ऊंचा वेतन लेते हैं, लेकिन हमारे देश के तकनीकी जानने वाले वैज्ञानिक या अन्य क्षेत्रों के जानकार कम वेतन पर काम करते हैं। इसलिए यह तरक्की मालूम दे रही है।

सायं 7.00 बजे

इन्होंने इसमें दावा किया है कि इससे क्रांति हो जायेगी तथा पहले कागज वगैरह को कीड़ा खा जाता था या उलट-पलट में उसे भूल जाते थे, अब उसे कम्प्यूटर में भर कर रख दिया जायेगा तो वह जानकारी तुरंत मिल जायेगी। यह ठीक बात है। इन्होंने कहा कि इलैक्ट्रानिक वाणिज्य और इलैक्ट्रानिक शासन को सुदृढ़ बनाने में दो प्रधान रुकावटें हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बिल से इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ बल मिलेगा, वह आगे बढ़ेगा? मुझे लगता है कि इस बिल से इसमें कुछ और बाधा न पड़ जाये। बिना विधेयक के हम तरक्की कर रहे हैं, हिन्दुस्तान आगे बढ़ गया लेकिन अब आप इस विधेयक को लाकर उसको रोकना चाहते हैं। इस विधेयक की क्या उपयोगिता है? इसमें कानून होना चाहिए था लेकिन सरकार पता नहीं अभी तक इसे क्यों नहीं लाई? एक बात देखने में आ रही है कि इलैक्ट्रानिक प्रारूप में अश्लील सूचनायें

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

प्रकाशित हो रही हैं। हमें बताया गया है कि इंटरनेट में, कम्प्यूटर में कुछ अंटशंट लोग देखा-देखी हेराफेरी कर रहे हैं।

सभापति महोदय: रघुवंश जी, सात बज गये हैं।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): सभापति जी, इनकी स्पीच खत्म होने दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अभी आठ और सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है।

श्री प्रमोद महाजन: मैं बाकी के वक्ताओं के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं उनके भाषण के बारे में कह रहा हूँ। आज उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए और बाकी सदस्य कल भाषण दे सकते हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी आठ और सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है। यदि सभा की सहमति हो तो हम आज चर्चा समाप्त कर सकते हैं और चर्चा का उत्तर कल हो जायेगा।

कुछ माननीय सदस्य: महोदय नहीं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): उन्हें अपना भाषण आज ही समाप्त करने दीजिए। तब तक हम यहां रहेंगे।

सभापति महोदय: ठीक है।

इसलिए, सभा की बैठक का समय उनके भाषण समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाता है। आप जल्दी खत्म कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं मूल बात कह रहा हूं।

सभापति महोदय: आपकी मूल बात हो गई है। आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, अगर मैं क्लाज-वाइज कहूंगा तो उसके लिए मुझे एक घंटा चाहिए। *...(व्यवधान)* जो मूल बात है, वही मैं कह रहा हूं। इसलिए इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल से हमें आशंका है हिन्दुस्तान ने आज तक जो तरक्की की है, इस बिल के आने से इसमें उलझन हो जायेगी। इसमें उपद्रव की गुंजाइश है। कहते हैं कि पुलिस को खूब छूट है। पुलिस को छूट होने से, अपराध ठीक हो रहा है जहां स्मगलिंग का सामान है, वहां नहीं जाता और बिना स्मगलिंग वाली जगह में चला जायेगा। जहां कम्प्यूटर ठीक काम करेगा, वहीं ठुक जायेगा और जहां गड़बड़ करेगा वहां नहीं जायेगा, इसका इलाज आपके पास क्या है? इसलिए हम लोग आशंकित रहते हैं कि किसी को इतना अधिकार न दे दिया जाये कि वह उसका दुरुपयोग करने लगे। पुराने सी.आर.पी.सी. को जस्टीफाई करने लगे तो ठीक है कि कहीं अपराध हो रहा है तो किसी को पकड़ने का अधिकार है। पुलिस को और सबको उस जगह जाने का अधिकार है। उसके चलते किसी को उसका दुरुपयोग करने की छूट दे दी जाये, यह हम लोगों की आशंका थी इसलिए हमने कहा था कि इतनी आजादी नहीं दी जानी चाहिए कि वह धम ढकेल नहीं चला जाये, किसी को अपमानित या और कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करे।

यह कहते हैं कि सूचना के आदान-प्रदान से हमको दुनिया की जानकारी मिल रही है। यह ठीक बात है कि टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। पुराने जमाने में सूचना का काफी विस्तार था। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था तो संजय ने उस युद्ध का सारा वर्णन कर दिया था कि कौन क्या बोल रहा है, कौन मर रहा है आदि। यानी इस जमाने में भी इसका विस्तार था। अभी इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी में अमेरिका नम्बर एक है। दूसरा यहां प्रेम जी हैं। हम सुनते हैं कि उनका धन घट गया है। वह दूसरे नम्बर से नीचे जा रहे हैं। इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी में यह सब जो खेल हो रहा है, उससे गरीब आदमी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे क्या गरीब आदमी का अनाज बढ़ जायेगा, उत्पादन बढ़ेगा? इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी से कितना उत्पादन बढ़ेगा। किसान कां कुछ उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। क्या इससे कुछ खाद आ जाएगी? कुछ नहीं होगा। इसलिए यह आरामदायक है लेकिन अनिवार्य चीज नहीं है। *...(व्यवधान)* इससे व्यापारियों का ज्यादा कारोबार होने वाला है। इसमें जनता कैसे लिख दिया। जनता को कम्प्यूटर से क्या मतलब है। इन्होंने लिखा है—यद्यपि जनता को इन लाभों के बारे में जानकारी है, आम जनता कम्प्यूटर क्या जाने, किन्तु फिर भी वह समुचित विधिक संरचना की कमी के कारण इलैक्ट्रानिक रूप में कारोबार करेंगे। आगे लिखा है—इलैक्ट्रानिक वाणिज्य और इलैक्ट्रानिक शासन, इन दो मामलों के लिए इन्फोर्मेशन एंड टैक्नोलोजी बिल आया है। इससे वाणिज्य व्यापार की बढ़ोत्तरी और व्यापारी लोगों को लाभ होगा।

इलैक्ट्रानिक शासन को सुघड़ बनाने के रास्ते में आती विधि मान्यता के लिए लेख हस्ताक्षरों के बारे में बनाएं। यह किस उद्देश्य हेतु लिखा है। आगे उन्होंने कहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग यू.एन.सी.आई.टी.आर.ए.एल.

पी.एल.एस.–48/7/36/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।